ऐक्टनम्बर १४बाबत सन् १८८२ ई० ॥

मजमूये ज़ाबितैदीवानी

मुसद्दिरहजनाब मुअल्लाअल्क़ाब नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर हिंदइजलास कौंसलबग़र्ज़ इजतिमाअ व तरमीम उनक़वानीनके जो ज़ाबितैअदालतहायदीवानी से मुताल्लिक़ है ॥

यह ऐक्टएकुम जून सन् १८८२ ई० से नाफ़िज़हुआ और अहकामात इस ऐक्टके कुलब्रटिशइंडिया से मुताल्लिक़ और मवस्सर हैं बजुज़बाज़ इज़लाअ के जिनकी तसरीह इस ऐक्टकी फ़ेहरिस्त में होगई है मन्कूल तर्जुमः गवर्नमेण्ट ॥

तीसरी बार

लखनऊ

मुंशी नवलकिशोर (सी, आई, ई) के छापेखाने में छपा
जौलाई सन् १८९० ई० ॥

इसमतबेमें जितने प्रकारकी ऐक्टहिन्दीमें छपीहैं उनमेंसे कुछ नीचेलिखी जातीहैं ॥

(मुतअल्लिक़े फ़ौजदारी)

ऐक्टनम्बर १० सन् १८८२ ई० मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी ॥

ताज़ीरातहिंद अर्थात् हिन्दुस्तान का दण्डसंग्रह ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई० जो ऐक्टनं० १४ सन् १८७० ई० और ऐक्टनम्बर १० सन् १८८२ ई० के अनुसार कुछ मंसूखहुआ और ऐक्ट ६ सन् १८६१ ई० व ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० व ऐक्ट १९ सन् १८७२ ई० व ऐक्ट १० सन् १८७३ ई० व ऐक्ट १२ सन् १८८१ ई० व ऐक्ट ८ सन् १८८२ ई० और ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० के अनुसार शोधा गया ॥

कमीशनबरौदह मै नज़ायर मुक़द्दमा ज़हरखुरानी बकरनील फ़ीरसाहब बहादुर रज़ीडण्ट निस्बत महाराजा मल्हारराव गायकवाड़ अज़अंगरेज़ी मुतरज्जिमह पंडितप्यारेलाल जी स्वर्गवासी ॥

सवाल व जवाब पोलीस-मुरत्तिबह साहब इन्स्पेक्टर जनरल मुमालिक मग़रबी व शिमाली व अवध व रुहेलखण्ड रेलवे का दस्तूरुल्अमल ॥

(मुतअल्लिक़े दीवानी)

ऐक्टनम्बर १--सन् १८७९ ई० क़ानून इस्टाम्प ॥

ऐक्टनम्बर २--सन् १८८६ ई० इनकमटिक्स ॥

(मुतअल्लिक़ेमाल)

ऐक्टनम्बर २२--सन् १८८६ ई० बाबतलगान अवध ॥

ऐक्टनम्बर १९-सन् १८७३ ई० मालगुज़ारी अराज़ी मुमालिकमग़रबी व शिमाली ॥

सरकुलर नम्बर ८०—अलिफ़—सन् १८७७ ई० तक़ावीचा-

॥

फ़ेहरिस्त रदीफ़वार ऐक्ट नं० १४ बाबत सन् १८८२ ई०
मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥

लफ़्ज़ैं रदीफ़वार	दफ़आत
ऐजंटववकील॥	३६व३७ व ३८ व ३९ व ४० व ४१ व ४२१ व ४२६ व ४२७ व ४६६ ॥
ऐक्ट	१व२ व ३ व ४ व ६ व ७ व ८ व ९ व ५१६ व ६३५ व ६३८ व ६४२व ६४७ व ६४९ व ६५० व ६५१ ॥
(बे)	
बाज़दावा ॥	३७३ व ३७४ व ४५२व४५५ ॥
बरी ॥	३५८व ४२८ व ४८० ॥
बिलआफ़ऐक्सचेंज व हुण्डवी॥	५३२ व ५३३व५३४ व ५३५ व ५३६ व ५३७ व ५३८ ॥
बिनायदावा ॥	४४व४५ व ४६ ॥
बयानात तहरीरी ॥	११०व१११ व ११२ व ११३ व ११४ व ११५ व ११६ ॥
बयानातहलफ़ी॥	१९४व१९५व१९६व १९७ ॥
(ते)	
तजवीज़सानी॥	९९व१०३ व ४१३ व ५५८ व५६०व६२३व६२४ व ६२५ ॥
तर्त्तीबनालिश॥	४२ व ४३ ॥
तरमीम अर्ज़ीदावा ॥	३३ व ४७ ॥
तादादमालियतअपीलबहुज़ूरमलिकामुअज़्ज़मह	५९६ ॥
तामीलडिकरीबिलजब्र ॥	२६० ॥
तामील समन ग़ैरमामूली ॥	७२व७३ व ७४व७१ व ७६व ७७व७८ व ७९ व ८० वद२ ॥
तक़र्हरतारीख़॥	६९व४०८ व ४२० व ४५२॥
तक़सीम रसदी डिकरीदारान॥	२९५ ॥
(से)	
सालिसी ॥	५०६व५०७ व५०९ व ५१०व ५११ व ५१२ व ५१५ व५१६ व ५१७व५२४व५२५व ५२६ ॥

लफ़्ज़ैं रदीफ़वार	दफ़आत
(जीम)	
जायदाद मनकूला या ग़ैर मनकूला ज़ौजा॥	२५९ ॥
जुर्माना ॥	१८० ॥
(हे)	
हुक्मनामा ॥	९३व९४ व ९५ व ४६७ व ५१३ व ६४८ व ६५० ॥
(ख़े)	(अलिफ़)
ख़र्चा अपीलाँवलायतव ज़मानत	६०२व६०४ व ६०५ व ५०६ व ५०७ व ५०९ ॥
ख़र्चा समन व ग़ैरह ॥	१६१व१६७ व २१८ व २१९ व २२० व २२१ व ३८७ व ४१५ व ४८५ व ४८६ व ५१९ व ६२० ॥
ख़ुलासाइज़हार ख़ुराक	१८४व१८९व १९० व १९१ ॥ ३३८व३३९ व ३४०व ४८२ ॥
(दाल)	
दायनान दीवालिया ॥	३५२ व ३५३ ॥
दरख़्वास्त इजरायडिकरी ॥	२३०व२३१ व २३२ व २३५ व २३७ व २३८ व २६० ॥
दरख़्वास्तइजरायडिकरीज़बानी॥	२५६ ॥
दरख़्वास्त मुफ़लिस ॥	४०१ व ४०२ ॥
दस्तावेज़ ॥	५९व ६० व ६१ व ६२ व ६३ व १२८ व १२९ व १३० व १३१ व १३२ व १३३ व १३४ व १३८ व १३९ व १४० व १४१ व १४२ व १४३ व १४४ व १४९ ॥
(डाल)	
डिसमिस ॥	९६व९७ व ९९ (अलिफ़) व १०२व ५५६ व ५५७ ॥
डिकरी ॥	२०५व२०६ व २०७ व २०८ व २०९ व २१० व २११ व

फ़ेहरिस्त रदीफ़वार ऐक्ट नं० १४ बाबत सन् १८८२ ई० ।

[illegible] रदीफ़वार	दफ़आत	लफ़्ज़ रदीफ़वार	दफ़आत
नकल फ़ैसला डिकरी ॥	[illegible] ॥		३४३ व ४२५ व ४६९ ॥
		व.गुज़ाश्तकुर्की	२५ व २८० ॥
नक़ल डिकरी वफ़ैसलाअपील॥	५८० व ५८१ ॥	वज़अ गवाह ।	१८८ ॥
		वफ़ात ॥	३६१व३६२ व ३६३ व ३६४ व ३६५ व३६६व३६७व३६८ ॥
नीलाम ॥	२८४ व २८५ व २८६ व २९३व २९७ व २९८ व३५७ ।	(हे)	
नीलाम जाएदाद ग़ैरमनकूला	३०४ व ३०६ व ३०७ व ३०८ व ३०९ व ३१० व ३१४॥	हाईकोर्ट ॥	५८४व५८७ व ६१२ व ६१३ व ६१४व६१५ व६१९ व ६२१ व ६२२ व ६३१ व ६३२ व ६३३ व ६३४ व६३९व६५२ ॥
नीलामके बज यफ़रोख्त ॥	[illegible] ॥		
(वाव)		हर्जा ॥	४९१ व ४९७ ॥
वापसीअर्ज़ीदा[illegible]	५७ ॥	याददाश्त ह[illegible]	५४१ व ५४३ ॥
[illegible] ॥	[illegible]	जिबात [illegible]	

इति ।

फ़ेहरिस्त दफ़अ़वार ऐक्टनम्बर १४ बाबत सन् १८८२ ई०

मजमूआ़ ज़ाब्ता दीवानी ॥

दूसरा बाब ॥

फ़रीक़ मुक़द्दमा और उनकी हाज़िरी और दरख़्वास्तें और अफ़आल ॥

बाबत वुकला व मुख़्तारान मक़बूला ॥

सातवां बाब ॥

ज़िक्र हाज़िरी फ़रीक़ैन मुक़द्दमा और नतीजाग़ैरहाज़िरी॥

दफ़ा | मज़मून | सफ़ा

दशवां बाब ॥

इन्कशाफ़ हाल और मक़बूली व मुआयना व पेशी व ज़ब्ती और वापसी दस्तावेज़ातमें ॥

दफ़ा	मज़मून	सफ़ा

ग्यारहवां बाब ॥

क़रारदाद तन्क़ीहात ॥

बारहवा बाब ॥

ज़िक्र उससूरतका जब मुक़द्दमाअव्वल मरतबारूबकारहोकर फ़ैसलहोजाये ॥

तेरहवां बाब ॥

ज़िक्रइल्तवा ॥

चौदहवांबाब ॥

तलबी व हाज़िरीगवाहान ।

पन्द्रहवां बाब ॥

ज़िक्र समाअत नालिश और ज़बानबंदी गवाहों का ॥

ल

तीसराहिस्सा ॥

खासक़िस्मकीनालिशात ॥

छब्बीसवांबाब ॥

नालिशात मुफ़लिसी ॥

सत्ताईसवां बाब ॥

नालिशात सरकार या सरकारी ओहदेदार की तरफ़से या उन पर ॥

अट्ठाईसवां बाब ॥

नालिशात अज़तरफ़रिआयामुमालिक ग़ैर और अज़तरफ़ या बनामवालियानरियासतहिन्दोस्तानी और वालियानमुमालिक ग़ैर ॥

बत्तीसवां बाब ॥

नालिशात अज़तरफ़ औरबनाम मुलाज़िमानफ़ौज ॥

तेंतीसवां बाब ॥

इंटरप्लीडर यानी नालिश अमीन बमुरादतास्फ़िया बैनुल्मुतनाज़ऐन ॥

अड़तीसवां बाब ॥

कारारवाई अदालत निस्बत इक़रारनामा फ़ीमाबैन फ़रीक़ैन ॥

उनतालीसवां बाब ॥

ज़ाब्तासरासरीदस्तावेज़ात क़ाबिलख़रीदफ़रोख़्तका ॥

चालीसवां बाब ॥

नालिशात बाबत अशिया यख़ैरात आमके ॥

हिस्सा ६ ॥

अपील ॥

इकतालीसवां बाब ॥

अपील बनाराज़ी डिकरियात इब्तिदाई ॥

हिस्सा १० ॥

उनचासवां बाब ॥

मरातिब मुतफ़र्रिक़ ॥

फ़ेहरिस्त नमूनाजात ज़मीमा नम्बर ४ ऐक्ट नम्बर १४ बाबत सन् १८८२ ई० मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥

नंबर	मज़मून	सफ़ा
१९	बाबत उजरत और मसाला के बक़ीमत वाजिबी ॥	३४५
२०	बाबत ज़रकिराया मुअय्यन: बमूजिब सरख़त ॥	३४६
२१	बाबत इस्तेमाल और दख़ल के बकिराया मुअय्यन ॥	३४७
२२	बाबत इस्तेमाल और दख़ल के बकिराया मुनासिब ॥	३४७
२३	बाबत ख़ुराक और किराया मकान ॥	३४८
२४	बाबत किराया माल ॥	३४८
२५	बाबत किराया सवारीजहाज़॥	३४९
२६	बरबिनाय फ़ैसला सालिसी ॥	३५०
२७	बरबिनाय फ़ैसलामुल्कग़ैर ॥	३५०
	(बे) अरायज़ दावाबरबिनाय दस्तावेज़ातबाबतमहज़अदायज़र॥	३५१
२८	बरबिनाय इक़रारनामा ज़र सालाना ॥	३५१
२९	नालिश उसशख़्सकी जिसको रुपया पानाहो बनाम लिखने वाले प्रामेसरीनोट के ॥	३५१
३०	नालिश उसशख़्सकी जिसके नाम पहिली मरतबा बेचालिखागया बनाम लिखनेवाले प्रामेसरीनोट के ॥	३५४
३१	नालिश उसशख़्सकी जिसके नाम मिनबाद बेचा लिखागया बनामप्रामेसरीनोटलिखनेवालेके॥	३५४
३२	नालिशउसशख़्सकीजिसकेनाम पहिलीमरतबा बेचालिखागया॥	३५५
३३	नालिश उसशख़्सकी जिसके नाम मिनबाद बेचाकिया गया बनाम उस शख़्सके जिसने पहिली मरतबा बेचालिखा जिसहालतमें कि फ़रोख़्तकी इबारत जुहरी मख़सूसहो ॥	३५६
३४	नालिश उसशख़्सकी जिसके नाम मिनबाद बतहरीर जुहरी फ़रोख़्त कियागया बनाम ख़ास उसशख़्सके जिसने उसके नाम बतहरीर जुहरी फ़रोख़्तकिया ॥	३५६
३५	नालिश उसशख़्सकी जिसके नाम मिनबाद फ़रोख़्त बज़रिये तहरीर जुहरीकीगई बनामउस शख़्सके जिसने दर्मियानमें तहरीर जुहरीकी ॥	३५७
३६	नालिश उसशख़्सकी जिसके नाम अख़ीर फ़रोख़्त बज़रिये तहरीर जुहरी कीगई बनाम लिखनेवाले प्रामेसरीनोट और पहिली और दूसरी फ़रोख़्तकरनेवालेबज़रिये तहरीरजुहरीके ॥	३५८
३७	नालिश हुंडीके लिखनेवाले की बनाम सकारने वालेके ॥	३५९
३८	नालिश उसशख़्सकी जिसको रुपया अदाकरना लिखाहो बनाम सकारने वालेके ॥	३६०
३९	नालिश उसशख़्सकी जिसके नाम पहिली मरतबा बज़रिये तहरीर जुहरी बेचालिखागया॥	३६०
४०	नालिश उसशख़्सकी जिसके नाम अख़ीर मरतबा बज़रिये तहरीरजुहरी बेचालिखा गया॥	३६१
४१	नालिश उसशख़्सकी जिसको रुपया अदाहोना लिखाहो बनाम लिखने वाले हुंडीके बाबत न सकारे जानेके ॥	३६२
४२	नालिश उसशख़्सकी जिसके नाम पहिली मरतबा बज़रिये तहरीर जुहरी बेचा लिखागया बनाम उसशख़्सके जिसनेपहिलीमरतबा बेचालिखा ॥	३६२

नंबर	मज़मून	सफ़ा
१२९	डिकरी अख़ीर बाबत बेबात ॥	४६९
१३०	हुक्म इस्तिदाई—मुकद्दमा एहतमाम तरका—दफ़ा २१३ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥	४७०
१३१	डिकरी अख़ीर बमुकद्दमा नालिश मूसीलहदरबाब एहतमाम तरका मुतअफ़्फ़ा—दफ़ा २१३—मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥	४७४
१३२	हुक्म वास्ते फिस्ख शराकत के—दफ़ा२१५—मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥	४७७
१३३	शराकत—डिकरी अख़ीर—दफ़ा२१५ -मजमूआ ज़ाब्तादीवानी ॥	४७९
१३४	सार्टीफ़िकट अदम ऐफ़ाय डिकरी दफ़ा२२४—मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥	४८०
१३५	इत्तिलाअनामा वास्ते ज़ाहिर करने वजह न जारी होने डिकरी के दफ़ा२४८—मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥	४८१
१३६	वारंट कुर्की जायदाद मन्कूला मक़बूज़ा मुद्दआअलेह बइल्लत इजराय डिकरी ज़र नक़्द दफ़ा २५४—मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी॥	४८२
१३७	वारंट बनाम बेलफ़ वास्ते दिलापाने क़ब्ज़ा अराज़ी वग़ैरह के दफ़ा २६३—मजमूआ ज़ाब्ता दीवान॥	४८३
१३८	कुर्की बसीग़े इजराय डिकरी हुक्म इम्तनाई उस हालमें कि जायदाद क़ाबिल कुर्की ग़ै मन्कूला हो—दफ़ा २६८—मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥	४८४
१३९	हुक्म इम्तनाई जिस हालमें कि जायदाद अज़क़िस्म दयून के हो दफ़ा २६८—मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥	४८५
१४०	कुर्की बसीग़े इजराय डिकरी हुक्म इम्तनाई जिस हालमें कि जायदाद हिस्सा किसी आमकम्पनी वग़ैरह का हो—दफ़ा २६८ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥	४८६
१४१	कुर्की बसीग़े इजराय डिकरी हुक्म इम्तनाई बहालत जायदाद ग़ैर मन्कूला दफ़ा २७४ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥	४८७
१४२	कुर्की—हुक्म इम्तनाई जिस हालमें कि जायदाद ज़र नकद या कोई शै मकफूला बक़ब्ज़े अदालत या ओहदेदार सरकार के हो—दफ़ा२७२व४८६—मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥	४८७
१४३	हुक्म बदमुराद कि रुपया व ग़ैरह जो किसी शख़्स सालिसके क़ब्ज़ेमें हो मुद्दई को दियाजाय दफ़ा २७७—मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥	४८८
१४४	इत्तिलाअ बनाम क़ारिनदायन के—दफ़ा २७८—मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥	४८९
१४५	वारंट नीलाम जायदाद बाबत इजराय डिकरी ज़र नकद दफ़ा२८७ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ॥	४९०
१४६	इत्तिलाअनामा बनाम क़ाबिज़ जायदाद मन्कूला जो बाबत इजराय डिकरी नीलाम—दफ़ा ३००—मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी॥	४९२
१४७	हुक्म इम्तनाई बदमुराद कि दयून जो बाबत इजराय डिकरी नीलाम कियेगये बजुज़ मुश्तरी के किसी औरको अदा न किये	

इति ॥

ऐक्ट नम्बर १४ बाबत सन् १८८२ ई० ॥

मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

ऐक्ट बग़रज़ इजतमाअ व तरमीम उन क़वानीनके जो ज़ाबितै अदालतहाय दीवानीसे मुतअल्लिक़ हैं ॥

हरगाह यह क़रीन मसलहत है कि क़वानीन जो ज़ाबितै अदालतहाय दीवानी से मुतअल्लिक़ हैं जमा व तरमीम कियेजावें लिहाज़ा बज़रिये इसकेहस्बज़ैल हुक्म होता है॥

मरातिब इब्तिदाई ॥

दफ़ा १—जायज़ है कि यह ऐक्ट मजमूये ज़ाबितै दीवानी कहाजाय और यहऐक्ट यकुमजूनसन् १८८२ई० से नाफ़िज़ होगा ॥

यह दफ़ा और दफ़ा३ तमाम ब्रटिशइण्डिया से मुतअल्लिक़ हैं दीगर दफ़आत कुल ब्रटिशइण्डियासे बजुज़ अज़लाअ मुंदर्जे फ़ेहरिस्त के जिनकी तसरीह ऐक्ट १४ सन् १८७४ में है मुतअल्लिक़ हैं ॥

दफ़ा २—इसऐक्टमें अगर मज़मून या सियाक़ इबारतमें कोई अम्र ख़िलाफ़ इसके न हो तो—

बाबके लफ़्ज़से इसीमजमूयेका बाब मुराद है ॥

ज़िलेके लफ़्ज़से अदालतदीवानी दर्जै आलामजाज़ समाअतइब्तिदाईकेइलाकेअख़्तियारातकीहुदूदअर्ज़ी मुराद है कि वहअदालत इसमजमूयेमें बाद अर्ज़ीअदालत ज़िलेकेनामसे मौसूमहै और लफ़्ज़ज़िलेमेंअदालत हाईकोर्टकेमामूलीअख़्तियारात समाअत इब्तिदाईसी-

ग़ैदीवानीकीहुदूद अर्ज़ीभी शामिलहैं और हरअदालत दीवानी जो अदालत ज़िलेसे कमदर्जा रखतीहै और भी हर अदालत मुतालिबेजात ख़फ़ीफ़ा इसमजमूयेकीअग़राज़के लिये अदालत हाईकोर्ट और अदालत ज़िलेके मातहत समझी जायेंगी ॥

प्लीडर याने वकीलके लफ्ज़से हरशख्स मुराद है जो किसीदूसरे शख्सकीतरफ़सेअदालतमें हाज़िरहोनेऔर सवालवजवाबकेकरनेकामुस्तहक़हो औरउसलफ्ज़में हर ऐडवेकेट और वकील और अटरनीहाईकोर्टकाशामिलहै॥

गवर्नमेंट प्लीडर याने वकील सर्कार उस ओहदेदार का भी हावी है जिसे लोकिल गवर्नमेंट में उन तमाम ख़िदमात या उनमेंसे किसीकीअंजामदहीकेलिये मुक़र्रर किया हो जो सराहतन् इस मजमूयेकी रूसे गवर्नमेण्ट प्लीडर से मुतअल्लिक़ कीगईहैं ॥

लफ्ज़कलक्टरसे हरओहदेदार मुरादहै जो कलक्टर मालगुज़ारी अराज़ी के मुतअल्लिक़ ख़िदमतोंको अंजाम देताहै ॥

लफ्ज़ डिकरी से मुराद है बाज़ाबिता ज़ाहिर करना फ़ैसलेका निस्वत किसीदावे या जवाबदिहीके जो किसी अदालत दीवानीमेंरुजू या पेशकीजाय जब ऐसेफ़ैसलेसे जहांतकउसकोतअल्लुक़अदालत सादिर कुनिन्दासेहो कोई मुक़द्दमा इब्तिदाई या अपीलतै होजाय पस हुक्म जिसकी रूसे अरज़ीनालिश नामंज़ूर कीजाययाजिसमें तफ़हीम हिसाबकी हिदायतहो याजिसकीरूसे कोईअम्र मुतज़क्किरह या महव्विला दफ़ा २४४ बइस्तस्नाय अम्र

मुसर्रह दफ़ा ५८८ के तै कियाजाय इसतारीफ़में दाख़िल है मगर हुक्म मुसर्रहै दफ़े ५८८ उसमें दाख़िल नहीं है॥

लफ़्ज़हुक्मसे बाज़ाबेता ज़ाहिरकराना किसीफ़ैसल अदालत दीवानीका मुरादहै जोउसक़िस्मकी डिकरी न हो जिसकी तारीफ़ ऊपर कीगईहै ॥

लफ़्ज़ तजवीज़ से वह बयान हाकिम अदालत का मुरादहै जिसमेंकिसीडिकरी या हुक्मकेवजूहलिखेजांय॥

लफ़्ज़ जजसे अदालतका ओहदेदार इजलासकुनिन्दामुराद है ॥

लफ़्ज़ मदयून डिकरीसे हरशख़्स मुरादहै जिस पर डिकरी या हुक्म सादिर हुआहो ॥

लफ़्ज़ डिकरीदारसे हरशख़्स मुरादहै जिसकेहक़में डिकरी या कोईहुक्म लायक़ इजरासादिर हुआहो और वह शख़्स जिसके हुक्म में ऐसी डिकरी या ऐसा हुक्म मुन्तक़िल कियाजाय इसतारीफ़ में दाख़िल है ॥

लफ़्ज़ तहरीरी में सीसा और पत्थर का छपाहुआ शामिल है और लफ़्ज़ तहरीरमें सीसा और पत्थरका छापा दाख़िल है ॥

लफ़्ज़ दस्तख़तीमें अलामत कियाहुआ दाख़िल है जब कि शख़्स अलामत करनेवाला अपना नाम न लिखसक्ताहो इसलफ़्ज़ में मुनक़्क़िश होना नाम किसी शख़्स मुशार अलेह का शामिल है ॥

अदालत रियासत ग़ैरसेवहअदालतमुरादहैजोब्रिटिशइण्डियाकी हुदूदसे बाहरहोऔर ब्रिटिशइण्डियाके अंदर

अख्तियार न रखतीहो और जनाबनव्वाबगवर्नरजनरल बहादुर बइजलास कौंसल के हुक्मसे मुक़र्रर न हुईहो ॥

तजवीज़ रियासत ग़ैरसे रियासत ग़ैरकी अदालत की तजवीज़ मुरादहै ॥

लफ्ज़ ओहदेदार सरकारीसे मुराद हर शख्सहै जो मिंजुमले अक़साम मुन्दर्जै ज़ैल के किसी क़िस्म में दाख़िलहो याने–

हरजज ॥

मलकामुअज्ज़िमा दाम इक़बालहाका हरमुलाज़िम मुतअह्हद ॥

मलकामुअज्ज़िमा की अफ़वाज बर्री या वहरीकाहर ओहदेदार कमीशनयाफ्तह जबवह गवर्नमेण्टके ज़ेरहुक्मख़िदमत अंजाम देताहो ॥

अदालतका हरएक अहल्कारजिसको बएतबारअपने मन्सबके किसीअम्र क़ानूनी या अम्र वाक़ैकीतहक़ीक़ात करना याउसकी कैफ़ियत बयानकरना या किसीदस्तावेज़का मुरत्तिबयातसदीक़करना या अपनेपास रखना या किसी जायदादका यहतमामलेना या क़ब्ज़ेसे अलाहिदाकरना या किसी हुक्मनामे अदालत की तामील करना या किसी को हलफ़देना या एकज़बानसे दूसरी ज़बान में बताना या अदालतके आदाबका इंतिज़ाम रखना ज़रूरहै और हरशख्सजिसकोख़िदमातमज़कूरै मेंसे किसीख़िदमतके अंजामदेनेका अख्तियार बिलख़ुसूस अदालतसे अताहुआहो ॥

हर शख्स जो ऐसा ओहदा रखताहो जिसके एतबार

से किसी शख्सको क़ैद करने या क़ैदमें रखनेका उसको अख्तियार हो ॥

हर ओहदेदार सर्कारी जिसपर उसको ओहदे के एतबारसे वाजिबहै कि जरायमका इन्सिदादकरे या उनके वक़ूअकी इत्तिलादे या मुजरिमों को सज़ा दिलवाये या ख़लायक़की तन्दुरुस्ती या सलामती या आरामकी हिफ़ाज़त करता रहे ॥

हर ओहदेदार जिसपर उसके ओहदेकी रूसे वाजिब है कि सर्कारकी तरफ़से कोई माल ले या हासिलकरे या रक्खे या सर्फ़करे या सर्कारकी तरफ़से कोई पैमायश या तशख़ीश या कोई मुआहिदा करे या सीग़ैमाल के किसी हुक्मनामेकी तामील करे या ज़रके मुतअल्लिक़ अग़राज़ सर्कार की तहक़ीक़ात करे या कैफ़ियत लिखे या कोई दस्तावेज़ जो अग़राज़ सर्कारी मुतअल्लिक़ै ज़रसे इलाक़ा रखतीहो मुरत्तिब या मुसद्दिक़ करे या अपने पास रक्खे या जो क़ानून सर्कारी अग़राज़ ज़रकी हिफ़ाज़तके लिये नाफ़िज़है उससे ख़िलाफ़ वर्ज़ी न होनेदे और हरओहदेदार जो सर्कारकी मुलाज़मत करता या सर्कार से तनख्वाहपाताहो या जो ख़िदमत सर्कारी अंजामदेनेके इवज़ उजरत बज़रिये फ़ीस या कमीशन के पाताहो ॥

और वृटिशइण्डिया के हरजुज्वमें जहां यह मजमूआ नफ़ाज़ पिज़ीर हो गवर्नमेण्ट याने सर्कार के लफ्ज़ में गवर्नमेण्ट आफ़इण्डिया और लोकिल गवर्नमेण्ट भी शामिल समझी जायेगी ॥

दफ़ा३—इस मजमुयेके पहिले ज़मीमै मुन्सलिकेमें जो

क़ानून और ऐक्ट मुन्दरिजहैं वह जिसक़दर कि उसी ज़-
मीमाके ख़ाने सोममें लिखाहैं इसमजमूयेकी रूसे मन्सूख़
कियेगये मगर वह कुलइश्तिहारात जो ऐसे किसीक़ानून
या ऐक्ट मन्सूख़ैकी रूसे मुश्तहर और तमाम एलाम ना-
मजात और क़वायद जो उसकीरूसे मुश्तहर और मुरत्तब
और मुक़ामात और इक़रार नामजात और शरहनामजा-
त और नमूनेजात जो उसकी रूसे मुक़र्रर और दाख़िल
और मुअय्यन और तय्यार कियेगयेहों जहांतक इसमज-
मूयेके मज़मूनके मुआफ़िक़हों ऐसेसमझेजायँगे कि गोया
इस मजमूयेकी रूसे मुश्तहर और मुरत्तब और मुक़र्रर
और दाख़िल और मुअय्यन और तय्यार कियेगये थे॥

और जहां किसीऐक्ट या क़ानून या इश्तिहार में जो
इस मजमूयेके नाफ़िज़ होनेकी तारीख़ से पहले नाफ़िज़
या सादिर हुआहो ऐक्ट ८ सन् १८५९ ई० ख्वाह ऐक्ट
२३ सन् १८६१ ई० या मजमूआ ज़ाबितादीवानी या
ऐक्ट नम्बर १० सन् १८७७ई० या किसी और ऐक्ट का
हवाला दियागयाहो जो इस मजमूये की रूसे मन्सूख़
कियागया है वह हवाला जहांतक मुमकिन हो इसतरह
पढ़ाजायेगा कि गोया इसी मजमूआ या उसके जुज्व
मुनासिब का हवाला दियागया था॥

बजुज़ उससूरतके जो दफ़ा ९९ (अलिफ़) में महकूम
है और सूरतोंमें इसदफ़ाकी किसी इबारत से किसी ऐसे
मुक़द्दमेइब्तिदाई या अपीलकी काररवाई माक़बल डिक-
रीपर कुछअसर न पहुंचेगा जो यकुमजून सन् १८८२ई०
से पहले दायरहुआहो न किसी कार्रवाई माबाद डिकरी

पर जो तारीख़ मज़कूर से पहले शुरू और उस तारीख़ तक ज़ेरतजवीज़ रहीहो ॥

हर अपील जो तारीख़ २९ जूलाई सन् १८७९ ई० को ज़ेरतजवीज़ था जिसका दाख़िलकरना उससूरत में जायज़ होताकि यहमजमूआ उसकेअदख़ालकी तारीख़ पर नाफ़िज़होता उसीतरह मसमूअ और फ़ैसलकिया जायगा कि गोया यह मजमूआ उस तारीख़ को नाफ़िज़ था और हर हुक्म मशअर इन्तिक़ाल किसी मुक़द्दमे के साहब कलक्टर के पास हस्ब दफ़ा ३२० जो तारीख़ मज़कूर से पहले सादिर हुआहो और हरइश्तिहार जिसके मज़मूनसे उसकादफ़ा ३६०के मुताबिक़ जारीहोना पायाजाय जो उसतारीख़से पहले मुश्तहर कियागयाहो ऐसासमझाजायगा कि गोया क़ानून के मुताबिक़ सादिर और मुश्तहर किया गया था ॥

दफ़ा ४ —बजुज़ उसके जिसकी निस्बत हुक्मदफ़ा३के फ़िक़रै सानीमें हुआ कोई इबारत इसमजमूयेकी मुख़िल क़वानीन मुन्दर्जै ज़ैल की न समझी जायगी (याने)

मुमालिक मुतवस्सितहकी अदालतोंका ऐक्टमुसद्दिरै सन् १८६५ ई० ॥

ऐक्ट मुतअल्लिक़े अदालतहाय मुल्क ब्रह्मा मुसद्दिरै सन् १८७५ ई० ॥

ऐक्ट मुतअल्लिक़े अदालतहाय पंजाब मुसद्दिरै सन् १८७७ ई० ॥

मुल्क अवध की दीवानी अदालतोंका ऐक्ट मुसद्दिरै सन् १७७६ ई० ॥

या कोई क़ानून जो किसी गवर्नर या लफ्टिनेंट गवर्नर के हुजूर से बइजलास कौंसिल मुताबिक़ ऐक्ट कौंसिल हिन्द मुसद्दिरै सन् १८६१ ई० के आजतक सादिर हो चुका है या आयन्दा सादिर हो जिसकी रूसे ज़मींदारों और उनके असामी या कारिन्दे के दरमियान की नालिशात के लिये कोई खास ज़ाबिता कार्रवाई मुक़र्रर हुआ हो ॥

या कोई क़ानून जो किसी गवर्नर या लफ्टिनेंट गवर्नर के हुजूर से बइजलास कौंसिल मुताबिक़ ऐक्ट कौंसिल हिंद मुसद्दिरै सन् १८६१ ई० के आजतक सादिर हो चुका है या आयन्दा सादिर हो जिसमें जायदाद ग़ैर-मन्कूला की तक़सीम के अहकाम मुंज़बित हुये हों ॥

और जहां कि क़वानीन मज़कूरैबाला में से किसी की रूसे अख्तियार समाअत मुक़द्दमा दीवानी का कमिश्नर और डिपुटी कमिश्नर दोनों को यकसां दियागया हो लोकिल गवर्नमेंट एलान करसक्ती है कि उन ओहदेदारों में से कौन वास्ते अग़राज़ मजमूये हाज़ा के अदालत ज़िला

दफ़ा ५—इस मजमूये के दूसरे ज़मीमे मुन्सलिके में जिन अबवाब और दफ़आत की तसरीह है वह जहां तक मुतअल्लिक़ हो सकें उन अदालतहाय मतालिबाजात ख़फ़ीफ़ा से मुतअल्लिक़ समझी जायेंगी जो ऐक्ट ११ सन् १८६५ ई० के बमूजिब मुक़र्रर हुई हैं और बाक़ी तमाम अदालतों से भी समझी जायेंगी (सिवाय अदालतहाय मतालिबैजात ख़फ़ीफ़ा बाक़ैंद अदालत कलकत्ता व मन्दरास व बम्बई) जो अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा के अख्तियारात अमल में लाती हैं

दूसरे बाब और दफ़ैआत इस मजमूयेकी अदालतहाय मज़कूरै से मुतअ़ल्लिक़ नहीं हैं॥

दफ़ा६—इस मजमूये की कोई इबारत महकमे जात मुफ़स्सिलै जैलकी हद्द अख्तियार समाअ़त या ज़ाबितै में मुख़िल न होगी॥

(अलिफ़) मिलटरी कोर्ट आफरैकोयैस्ट याने अदालतहाय फ़ौजी॥

(बे) ओहदेदार वाहिद जो अहाते बम्बईमें इसलिये हस्ब ज़ाबिता मुक़र्रर कियागयाहो कि छावनी और इस्टेशनमें जहां उस प्रेज़ीडंसीकी फ़ौज मुक़ीम हो फ़ौजके बाज़ारोंमें ख़फ़ीफ़नालिशात दीवानी फ़ैसिलकियाकरैया-

(जीम) गांवके मुन्सिफ़ या गांवकी पंचायत हस्ब अहकाम मजमूये दीवानी मन्दरासके॥

(दाल) महकमै रिकार्डर रंगून जब कि बतौर अदालत इन्सालोयंट याने दीवालिया वाक़ै रंगून या मोलमैन या आक़ियाब या बसीनके इजलास करता हो॥

और न किसी अदालतको ऐसी नालिशातकी समाअ़तका अख्तियार देनेका असर रक्खेगी जिनमें शैमुतनाज़ाकी तादाद या मालियत उस तअय्युनसे (जबकि कोई तअय्युनहो) ज़ियादहहो जिसकी समाअ़तका उसे हस्ब मामूल अख्तियार है॥

दफ़ा७—निस्बत अमूर　　　जैलके याने—

(अलिफ़) अख्तियारात मुस्तमिलैबाज़जागीरदारों औरज़ीमन्सबोंके जिनको प्रेज़ीडंसी बम्बईके क़ानून १३ सन् १८३० ई० और ऐक्ट १५ सन् १८४० ई० के अह-

कामके बमूजिब उन मुक़द्दमातमें अख्तियार दियागयाहै जो उनमें मज़कूर हैं और—

(बे)मुक़द्दमात उन अक़सामके जिनकी सराहत उन क़वानीनमें हुईहै जो इस मजमूयेके तीसरे ज़मीमे मुन्सलिकै में मुन्दर्ज हैं ॥

ऐसे मुक़द्दमातमें और अदालत दीवानी के रूबरू सीग़े अपीलमें जब अपील जायज़ हो ॥

उन्हीं क़वायद के बमूजिब कारखाई होगी जो इस मजमूये में मुन्दर्ज हैं इल्ला उस सूरतमें कि वह क़वायद किसी ऐसे अहकाम खासके खिलाफ़ हों जिनका ज़िक्र या हवाला इस दफ़ामें हुआ है ॥

दफ़ा८—बजुज़ उसके जिसकी बाबत हुक्म दफ़आत ३ और २५ और ८६ और २२३ और २२५ और ३८६ और बाब ३९ में है यह मजमूआ किसी ऐसी अदालत मतालिबेजात खफ़ीफ़ाके किसी मुक़द्दमे या कारखाई से मुतअल्लिक़ न होगा जो बलाद कलकत्ता और मन्दरास और बम्बई में क़ायम है ॥

लेकिन लोकिलगवर्नमेंटको अख्तियारहै कि बज़रिये इश्तिहार मुन्दरजै गजट सर्कारीके इसमजमूये या उसके किसी जुज्वको बजुज़ उसक़दरके जो अपील और तजवीज़सानीसे इलाक़ा रखताहै किसी अदालत मतालिबा खफ़ीफ़ा से मुतअल्लिक़ करदे ॥

दफ़ा९—यह मजमूआ दश हिस्सों में मुन्क़सिम है जिनकी यह तफ़सील है ॥

पहला हिस्सा नालिशात अलल उमूम ॥

दूसरा हिस्सा	कारखाई हाय लाहक़ा ॥
तीसरा हिस्सा	ख़ास क़िस्मकी नालिशात ॥
चौथा हिस्सा	चारहकार मुक़्ज़ायवक़्त ॥
पांचवां हिस्सा	कारखाई हाय ख़ास ॥
छठवां हिस्सा	अपील ॥
सातवांहिस्सा	इस्तस्बब हाईकोर्ट से और निगरानी हाईकोर्ट की ॥
आठवांहिस्सा	तजवीज़ सानी ॥
नवां हिस्सा	क़वायद ख़ास जो हाईकोर्ट-हाय मुक़र्ररह हस्बसनद शाहीसे मुतअल्लिक़हैं॥
दशवां हिस्सा	बाज़ मरातिब मुतफ़र्रिक़ ॥

पहिला हिस्सा ॥

नालिशात अललउमूम ॥

पहला बाब ॥

अदालतों के अख़्तियार समाअत और नज़ाअ फ़ैसल शुदहका बयान ॥

दफ़ा १०—कोई शख़्स किसी कारखाई दीवानी में अपनी नसल या मोलद की वजहसे किसी अदालत के अख़्तियार समाअतसे मुस्तस्ना न होगा ॥

दफ़ा ११—अदालतों को(बरिआयत अहकाम मुंदर्जे मजमूये हाज़ा)तमाम नालिशात क़िस्म दीवानीकी तजवीज़ करनेका अख़्तियार है बजुज़ उन नालिशातके जो

किसीक़ानून नाफ़िज़ुलवक़्क़कीरूसे ममनूउलसमाअ़तहों ॥

तशरीह—जिसनालिशमें तनाज़ा दरबाबहक़ मिलिक-यतके याहक़ किसी मन्सबकेहो वह अज़क़िस्म नालिश दीवानीहै बावजूदे कि वह हक़ बिल्कुल मुनहसिर ऊपर तजवीज़ मसायल रस्म या रिवाज़ मज़हबी के हो ॥

दफ़ा १२—बजुज़ उस सूरतके कि मुक़द्दमेकी काररवाई दफ़ा २० के बमूजिब मुलतवी कीजाय अ़दालतको ऐसे मुक़द्दमेकी तजवीज़ का अख़्तियार न होगा जिसमें अम्रमुतनाज़ासराहतन् और दरअसल वहीहो जोकिसी और पहले रुजूकियेहुये ऐसे मुक़द्दमेमें जो उसीअम्र दादरसीके लिये फीमाबैन उन्हींअशख़ासके या दरमियान ऐसे अशख़ासके मुतनाज़ाकियाहो जिनकेज़रियेसे अशख़ासमज़कूर या उनमेंसे कोईदावीदारहै—औरजोब्रटिश-इण्डियाके अंदर उसी अ़दालत या उससे आला ख्वाह अदनादरजेकीकिसीऔरअ़दालतमेंजिसे ऐसीदादरसी का अख़्तियारहोया ब्रिटिशइंडियाकीहुदूदकेबाहर किसी ऐसी अ़दालतमें दायरहो जो जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसलके हुक्मसे मुक़र्रर हुई हो और उसीतरहका अख़्तियाररखतीहो या जो मलिका मुअ़ज़्ज़मा दाम इक़बालहा बइजलास कौंसलके हुज़ूरमें दायर और ज़ेरतजवीज़ हो ॥

तशरीह—अगर कोई मुक़द्दमा किसीरियासत ग़ैरकी अ़दालतमें दायरहो तो इसबातकी मुमानियतनहीं है कि दूसरा मुक़द्दमा जिसकी वही बिनाय दावाहै ब्रटिश-इण्डियाकी किसी अ़दालतमें रुजू कियाजाय ॥

दफ़ा १३-कोई अदालत किसी ऐसे मुक़द्दमे या बहस की तजवीज़ न करेगी जिसमें वह अम्र जो सरीहन् और दरअस्ल तन्क़ीहतलबहो एक मर्त्तबा पहले माबैन फ़रीक़ैन हालऐसे फ़रीक़ैन के जिनके ज़रियेसे मुतख़ासमीन हाल या बाज़ उनमेंसे दावीदारहैं और उसी इस्तहक़ाक़ पर ख़सूमत क़ायम करतेहैं ऐसीअदालतमें सरीहन्और दर अस्ल तनक़ीह पाकर उसकी मारफ़त मसमूअ और क़तअन् तैहोचुकाहो जो ऐसेमुक़द्दमे मरजूआ माबाद या और मुक़द्दमेके तजवीज़ करनेकी मजाज़हो जिसमेंबहस मज़कूर बारसानी पेश कीजाय ॥

तशरीह अव्वल-ज़रूरहै कि मुक़द्दमे साबिक़में अम्र मुतज़क्किरै सदरको एक फ़रीक़ने तसलीम कियाहो और दूसरे फ़रीक़ने न सराहतन् या माने उससे इन्कार या इक़बाल किया हो ॥

तशरीह दोम-हरअम्र जो उस मुक़द्दमे साबिक़में जवाब या दावेकी बिना क़रार दिया जासक्ताथा और क़रार देना चाहिये था समझा जायेगा कि वह मुक़द्दमे में एक अम्र सरीहन् और दरअस्ल तन्क़ीहतलब था ॥

तशरीह सोम-जिस दादरसीका दावा अरज़ीनालिश में कियागया हो और वह डिकरी में सराहतन् मंज़ूर न कीगई हो वह इस दफ़ाकी ग़रज़ के लिये ऐसी समझी जायगी कि मंज़ूर नहीं हुई ॥

तशरीह चहारुम-तजवीज़ हस्बमुराद इसदफ़ाके उस वक़्त क़त　　　अदालत मुजा
सिवाय बसीग़ै तजवीज़सानी उसको किसी फ़रीक़ की

दरख्वास्त पर तब्दील या अपनी मरज़ीसे उसपरनज़र-
सानी न करसके फ़ैसला जो क़ाबिल अपीलहै हस्बमाने
दफ़ाहाज़ा उसवक़्तक क़तईहोसक्ताहै कि उसका अपील
न कियाजाय ॥

तशरीहपंजुम्—जिसहालमें कि अशख़ास बाबतकिसी
ज़ाती हक़के जिसका दावा वह वास्ते अपने और दीगर
अशख़ासके बशिरकतकरतेहों व नेकनिय्यती अदालतमें
नजाअ रुजूकरेंतोतमाम अशख़ासजोइसहक़मेंग़रज़रख-
तेहों वास्ते मतालिब इस दफ़ा के दावीदार बज़रिये उन
अशख़ासके समझेजायेंगे जिन्होंने ऐसी नज़ाअरुजूकी ॥

तशरीह शशुम्—जब किसीतजवीज़ रियासत ग़ैरपर
इस्तदलाल कियाजाय तो उसतजवीज़मुसद्दक़ हस्बज़ा-
बितेका पेशहोना शहादतक़यासी इसअम्रकाहै किजिस
अदालतने उसे सादिर किया वह उसके सादिर करनेकी
मजाज़थी इल्ला उस सूरतमें कि मिस्लसे उसके ख़िलाफ़
पायाजाय लेकिन अदालत मज़कूरके मजाज़ न होने का
सुबूत देनेसे वह क़यास रफ़ा होसक्ता है ॥

दफ़ा १४—रियासत ग़ैरकी तजवीज़ ऐसी तासीर न
रक्खेगी कि मानेरुजूअ नालिशकी ब्रिटिशइंडियामें हो ॥

(अलिफ़) अगर वह तजवीज़ बहस्ब रूयदाद मुक़-
द्दमा के न कीगई हो ॥

(बे) अगर मुक़द्दमेसे बादि उन्नज़रमें मालूमहोकि वह
तजवीज़ ऊपर ग़लत फ़हमी किसी ऐसे क़ानूनकेमबनीहै
जो बाहम वालियान मुल्कके वाजिबुत्तामील है या जो
ब्रिटिशइण्डियामें नाफ़िज़ है ॥

(जीम) अगर वह तजवीज़ बदानिस्त उस अदालतके जिसमें पेशकीजाय ख़िलाफ़ इन्साफ़ असलीके हो ॥

(दाल) अगरवह तजवीज़ फ़रेबसेहासिल कीगईहो ॥

(हे) अगर वह मूयद ऐसे दावेकी हो जो किसीक़ानून मजारिया ब्रिटिशइण्डियाकी उदूलहुक्मीपर मबनीहो ॥

दूसरा बाब ॥

नालिश करनेका मुक़ाम ॥

दफ़ा १५—हरनालिशसबसे अदना दरजेकी अदालतमें जोउसकीतजवीज़करनेकी मजाज़होरुजूअ कीजायेगी ॥

दफ़ा १६—मुक़द्दमात जिनमें दावाअक़साम मुफ़स्सिलै ज़ैलसेहो बक़ैद तादाद मालियत या और क़यूद के जो किसी क़ानूनकीरूसे मुक़र्रर हुईहैं उसअदालतमेंदायर कियेजायेंगे जिसकेअख़्तियारसमाअतकी हुदूद अरज़ी के अन्दर जायदाद वाक़ैहो ॥

(अलिफ़) वास्ते हुसूल जायदाद ग़ैर मन्क़ूलाके ॥

(बे) वास्ते तक़सीम जायदाद ग़ैरमन्क़ूलाके ॥

(जीम) वास्ते करानेबैअबात याइन्फ़काकरहनजायदाद ग़ैर मन्क़ूला के ॥

(दाल) वास्ते तस्फ़ियाकराने किसी और हक़ यामराफ़क़केजोजायदादग़ैरमन्क़ूलामेंयाउससेमुतअल्लिक़हों॥

(हे) वास्ते पाने मुआविज़ा किसी नुक़सानकेजोजायदाद ग़ैर मन्क़ूला को पहुँचा हो ॥

(वाव) वास्ते पाने जायदाद मन्क़ूला के जो फ़िल्वाक़ै तहत हिरासत या क़ुर्क़ीहो ॥

मगर शर्त्तयहहै कि जो नालिशात वास्ते दादरसीके निस्बत ऐसी जायदाद ग़ैरमन्क़ूलाके या मुआविज़ेनुक़सान ऐसीजायदाद ग़ैरमन्क़ूलाकेहों जोमुद्दआअलेह के क़ब्ज़ेमेंहो यामुद्दआअलेह केलिये किसीऔरकेक़ब्ज़ेमें हो और ख़ुद मुद्दआअलेहकी तामीलहुक्मसे उसतमाम दादरसीका हुसूल मुमकिनहोतो जायज़है कि उसअदालतमें रुजूअ कीजायें जिसकेइलाक़ेकी हुदूद अरज़ीके अन्दर जायदाद वाक़ैहो याउसअदालतमेंजिसकेइलाक़े कीहुदूदअरज़ीकेअन्दरमुद्दआअलेह फ़िल्वाक़ै औरबिलइरादा सकूनत रखताहो या कारोबार करताहो या ख़ुद हुसूल मुन्फ़अत के लिये कोईकाम करताहो ॥

तशरीह—इसदफ़ामें जायदादके लफ्ज़से वहजायदाद मुरादहै जो ब्रिटिशइण्डिया में वाक़ैहो ॥

दफ़ा१७—बरिआयत क़यूद मुतज़क्किरह सदरके और सबनालिशात उसअदालतमें रुजूअकीजायेंगी जिसके इलाक़े अख्तियार की हुदूद अरज़ीके अन्दर ॥

(अलिफ़) बिनाय दावा पैदाहुईहो या—

(बे)सब मुद्दआ अलेहुम् बरवक़्त शुरूहोने नालिशके फ़िल्वाक़ा और बिलइरादा रहतेहों याकारोबारकरतेहोंया बज़ातख़ासहुसूल मुन्फ़अतकेलिये कोई कामकरतेहोंया-

(जीम)मिन्जुमिलै मुद्दआअलेहुम् कोई मुद्दआअलेहबरवक़्त शुरू होनेनालिशके फ़िल्वाक़ा औरबिलइरादह सकूनत रखताहो या कारोबार करता या बज़ातख़ास मुन्फ़अतकेलियेकोईकामकरताहो-बशर्त्ते किनालिशकेइस तरहरुजूहोनेकी अदालत इजाज़तदे यावहमुद्दआअले-

हुम् जो कि हस्ब मज़्कूरैबाला सकूनत न रखते हों या कारोबार न करते हों या बज़ातख़ास मुन्फ़अ़तके लिय काम न करते हों उसपर सकूत इख्तियार करें ॥

तशरीह १—जिसहालमें कि कोईशख्स सकूनतमुस्तक़िल एक मुक़ामपर रखताहो और सिर्फ़ किसी ग़रज़ चन्दरोज़ाकेलिये दूसरीजगह सकूनत आरज़ीभी रखता हो तो निस्बत किसी बिनाय दावेके जो उसके चंदरोज़ा रहने के मुक़ाम पर वाक़ैहो यह समझा जायगा कि वह दोनों मुक़ाम पर सकूनत रखता था ॥

तशरीह २—जमाअ़त सनदयाफ्ता या कम्पनीके कारोबारका होना उसके सदर या ख़ासदफ्तर वाक़ै ब्रिटिशइण्डियामें समझाजायगा या निस्बत किसी बिनायदावे के जो उसजगह वाक़ै हो जहां जमाअ़त या कम्पनी का कोई दफ्तर मातहत हो उस दफ्तर मातहतके मुक़ाममें कारोबार होना तसव्वर कियाजायगा ॥

तमसीलात ॥

(अलिफ़) ज़ैद एक ब्योपारी कलकत्ते में है बकर देहलीमें कारोबार रखताहै बकरने बतवस्सुत अपने आढ़तियाके जो कलकत्तेमें है ज़ैदसे माल ख़रीद किया और ज़ैदको लिखा कि वहमाल ईस्टइण्डिया रेलवे कम्पनीके हवाले करो ज़ैदने उसके मुताबिक़ कलकत्तेमें माल हवाले किया तो जायज़है कि ज़ैदक़ीमत मालकी बाबत कलकत्तेमें जहां बिनायदावा पैदाहुई है ख्वाह देहलीमें जहा बकर कारोबार करताहै बकर पर नालिश करे ॥

(बे) ज़ैदशमलेपररहताहै और उमरू कलकत्तेमें और

बकर देहलीमें यहतीनों ज़ैद और उमरू और बकरबना-
रसमें इकट्ठे हुये और उमरू और बकरने बिलइश्तराक
एकप्रामेसरीनोट जो ज़ैदुलतलब वाजिबुल्अदाथा लिख
करज़ैदके हवालेकिया तोजायज़है किज़ैदउमरू और बकर
पर बनारसमें नालिश करे जहां बिनाय दावा पैदाहुई है
और यहभी जायज़है कि ज़ैद उनपर कलकत्तेमें नालिश
करे जहां उमरू सकूनत रखता है या देहलीमें जहां कि
बकर रहताहै मगर इनदोनों सूरतोंमें अगर वहमुद्दआअ-
लेह जो वहां सकूनत नहींरखताहै एतराज़करे तो बिला
इजाज़त अदालतके मुक़द्दमा क़ायम न रहसकेगा ॥

दफ़ा १८—ज़ात या जायदाद मन्क़ूलाको नुक़सान पहुं-
चानेकेमुआविज़ेकीनालिशातमें अगरवहनुक़सानकिसी
अदालतकेइलाक़ेकी हुदूद अरज़ीके अंदर पहुंचाहो और
मुद्दआअलेह दूसरी अदालतके इलाक़ेकी हुदूद अरज़ीके
अंदर रहता या कारोबार करता या बज़ातखुदमुन्फ़अतके
लियेकोईकामकरताहोतोमुद्दईको अख्तियारहैकि अपनी
मर्ज़ीके मुताबिक़ दोनों अदालतोंमें से जिसमें चाहे ना-
लिश रुजूकरे ॥ तमसीलात ॥

(अलिफ़) ज़ैदने कि देहलीमें रहताहै उमरूको कल-
कत्तेमें मारा तो जायज़ है कि उमरू कलकत्ते में ज़ैद पर
नालिश करे या देहली में ॥

(बे) ज़ैदने कि देहलीमें रहता है कलकत्ते में बयानात
अज़ालाहैसियतउर्फ़ीनिस्बतउमरूकेशायाकियेतो जाय-
ज़हैकि उमरूकलकत्तेमें ज़ैदपर नालिशकरे या देहलीमें ॥

(जीम) ज़ैद एकरेलवे कम्पनीकी लैनपर सफ़रकरता

था जिसका सदर दफ्तर होड़ामें है उसको ब वजह किसी ग़फ़लतके जोकम्पनीके ज़िम्मेंआयद हुईहै गाड़ी के उलट जानेसे इलाहाबाद में ज़रर पहुंचा पसजायज़ है कि ज़ैद होड़ामें रेलवे कम्पनी पर नालिश करे या इलाहाबाद में ॥

दफ़ा १९—अगर नालिश वास्ते दादरसी के निस्बत ऐसीजायदादग़ैरमन्क़ूलाके या मुआविज़ानुक़सानऐसी जायदाद ग़ैरमन्क़ूलाके हो जो एकही ज़िलेकी हुदूद के अंदरअदालतहायमुतअद्दिदके इलाक़ेइख़्तियारमेंवाक़ै हो तो जायज़है कि नालिश उस अदालतमें रुजूकीजाय जिसके इलाक़ेअख़्तियारकेअन्दर इसजायदादकाकोई जुज्ववाक़ैहो बशर्त्ते किकुल दावा बलिहाज़ मालियतसे मुद्दआबहा क़ाबिल समाअत अदालत मज़कूराकेहो ॥

अगर वहजायदाद ग़ैरमन्क़ूला अंदरहुदूदअज़लाअ मुतअद्दिदके वाक़ैहो तोनालिशको किसी अदालतमें जो दूसरे मरातिबके लिहाज़से उसकी समाअतकी मजाज़ हो और जिसकेइलाक़ेके अंदरजायदाद मज़कूरकाकोई जुज्व वाक़ैहो रुजूकरना जायज़है ॥

दफ़ा २०—अगर कोई नालिश जिसका एकसेज़ियादह अदालतोंमें रुजूहोनाजायज़है ऐसीअदालतमें रुजू कीजाय जिसकेइलाक़े अख़्तियारकी हुदूद अरज़ीकेअन्दरमुद्दआअलेहयाजुमलेमुद्दआअलेहुमफ़िल्वाक़ैऔर बिलअमब बूदोबाशनरखतेहों याकारोबार न करतेहोंया मुन्फ़अतके लिये ज़ातख़ास से कोई काम न करतेहों तो उस मुद्दआअलेह याकिसी मुद्दआअलेहको अख़्तियार

है कि तरफ़सानी को अपने इरादेसे दरबाब गुज़राननै दरख्वास्तके बग़रज़ मौक़ूफ़ रहने कारखाई मुक़द्दमे के बज़रिये इत्तिला तहरीरी मुत्तिला करके अदालतमें उस मज़मूनकी दरख्वास्तदे ॥

अगर अदालतको बादसमाअत बयान उनफ़रीक़ों के जिनको अरज़ करना मंजूरहो इसबातका इतमीनान होजाय कि मुक़द्दमेके किसी और अदालतमें रुजूहोनेसे इंसाफ़होनेकी ज़ियादा उम्मे ताउसको अ कि कारखाई मुक़द्दमेको क़तअन् या तासुदूरहुक्मसानी मौक़ूफ़ रक्खे और निस्बत उसखर्चे के जो लाहक़ हाल फ़रीक़ैन या किसी फ़रीक़ के होचुका हो जोहुक्म मुनासिब समझे सादिरकरै ॥

ऐसीसूरतमें अगर मुद्दई दरख्वास्तकरे तोअदालत को लाज़िम है कि कैफ़ियत उसहुक्मकी जिसकी रूसे कारखाई मुल्तवीकीगई हो अर्ज़ी दावेकी पुश्तपरलिख कर अर्ज़ी वापिस करे ॥

चाहिये कि ऐसीदरख्वास्त सबसेपहले मौक़ेमुसाकिनुल्हसूल पर और हर सूरत में उमूर तन्क़ीह तलबके क़रार पानेसे पहले दाखिल कीजाय और अगरकोईमुद्दआअलेह ऐसीदरख्वास्त न करे तोयहसमझाजावेगा कि गोया यह वह मुक़द्दमेकेरुजूहोनेपर राज़ी हुआथा ॥

दफ़ा२१—जब अदालतदफ़ा२०केबमूजिब कारखाई मुल्तवीकरेऔरमुद्दईअपनामुक़द्दमाकिसीऔरअदालत में दुबारा दायरकरे तो उसअर्ज़ी नालिशकी बाबतकुल रुसूम अदालत न लीजायेगी मगरशर्त्त यहहै कि अदा-

लत साबिक़में उसके रुजू होनेके वक़्रुस्म कामिलली गईहोऔर उसअदालतसेअर्ज़ीदावावापिस कीगईहो ॥

दफ़ा २२—जब एकसे ज़ियादह अदालतोंमें नालिश का रुजू होना जायज़हो और वह सब अदालतें एकही अदालत अपील की मातहतहों तो हरमुद्दआअलेहको अख्तियारहैकि तरफ़सानियानको अपनेइसइरादेसेकि मुक़द्दमेको दूसरीअदालतमें मुन्तक़िल करानेकोलियेउस अदालतमें दरख्वास्त दिया चाहताहै बज़रिये इत्तिला तहरीरी मुत्तिला करके अदालत अपीलमें दरख्वास्तदे और अदालतअपीलतरफ़सानियोंका बयानसुनके अगर उनको कुछ अरज़ करनाहो यहबाततजवीज़ करेगी कि मिंजुमले उनअदालतहाय ज़ीअख्तियारके किसअदालतमें मुक़द्दमेकी कारवाई होगी ॥

दफ़ा २३—जबवहअदालतें मुख्तलिफ़ अदालतहाय अपीलकी मातहतहों मगर एकही हाईकोर्टके ताबेहोंतो हरमुद्दआअलेहको अख्तियारहै कि तरफ़सानियान को अपने इस इरादेसे कि वहअदालत हाईकोर्टमें यह दरख्वास्तदिया चाहताहै कि मुक़द्दमा दूसरी अदालतज़ी अख्तियारमें मुन्तक़िल कियाजाय बज़रिये इत्तिलातहरीरी मुत्तिलाकरके उसीके मुताबिक़दरख्वास्त दाख़िल करे और अगर नालिशाकिसी ऐसीअदालतमें रुजूकी जाय जो अदालत ज़िलेके मातहतहोतो वह दरख्वास्त मे उज़रात तरफ़सानियानकेअगर कुछहों उसअदालत ज़िलेकी मारफ़त भेजी जायगी जिसकीअदालतमज़कूर मातहतहो और हाईकोर्टको अख्तियारहोगाकि बादस-

मात्र्प्रतउज़राततरफ़सानियानकेअगर कुछहों यह अम्र तै करदे कि मिंजुमला अदालत हाय ज़ी अख्तियार के मुक़द्दमेकी काररवाई किस अदालतमें हो ॥

दफ़ा २४–अगर वह अदालतें मुख्तालिफ़ अदालत हाईकोर्टकीमातहतहों तोहर मुद्दआअलेहकोअख्तियार है कि तरफ़सानियान को अपने इस इरादे से कि वह बहज़ूर उसहाईकोर्टके जिसके इलाक़ेके अन्दर अदालत मज़कूरवाक़ैहो जिसमेंमुक़द्दमा दायरहुआहो दरख्वास्त दिया चाहताहै इत्तिलातहरीरीके ज़रियेसे मुत्तिलाकरके उसके मुताबिक़ हाईकोर्टमें दरख्वास्त दे॥

अगर नालिश किसी ऐसीअदालतमें रुजूकीजायजो अदालत ज़िलेके मातहतहो तो दरख्वास्त मै उज़रात मदखलै तरफ़सानियान अगर कुछ उज़रात हों उसअ-दालत ज़िलेकी मारफ़त भेजीजायगी जिसकी अदालत मज़कूर मातहत हो ॥

और वह अदालत हाईकोर्ट तरफ़सानियानके उज़-रातपर गौर करनेके बाद (अगर कुछ उज़रातहों) यह अम्र तै करैगी कि मिंजुमलै चन्द अदालत हाय ज़ी अख्तियारकेमुक़द्दमेकीकाररवाईकिसअदालतमेंहोगी॥

दफ़ा २५–अदालतहाईकोर्टयाअदालतज़िला मजा-ज़है कि अहाली मुक़द्दमे में से किसी की दरख्वास्तपर फ़रीक़हाय मुक़द्दमेको इत्तिलादेकर औरजिन फ़रीक़ोंको अर्ज़ मारूज़ करना हो उनका बयान सुनकर या खुद अपनीमर्ज़ीसेबगैरदेने ऐसी इत्तिलाके किसीमुक़द्दमेको आमइससे कि वह किसी अदालतमराफैऊलामेंदायर

हो याकिसीअदालत अपीलमें जोमातहत अदालतहाई-कोर्टया अदालत ज़िलै मज़कूर की हो (जैसी कि सूरत हो) अपने पास तलबकरके ख़ुद उसकी तजवीज़में मसरूफ़हो या किसी और अदालत मातहतमें तजवीज़के लिये मुन्तक़िलकरे जो बलिहाज़ नोइय्यत मुक़द्दमे और तादाद या मालियत से दावाके उसकीतजवीज़ करनेकी मजाज़हो ॥

वास्ते अग़राज़ इसदफ़ाके ऐडिशनलजज और असिस्टंटजज की अदालतें अदालत ज़िलेकी मातहत समझी जायेंगी ॥

अगर कोई मुक़द्दमा इसदफ़ाके बमूजिब किसी अदालत मतालिबेजात ख़फ़ीफ़े से मुन्तक़िल कियाजाय तो अदालत मुजव्विज मुक़द्दमे मज़कूर वास्ते अग़राज़ उस मुक़द्दमेके बमंज़िलै अदालत मतालिबेजात ख़फ़ीफ़ेके समझी जायेगी ॥

तीसरा बाब ॥

फ़रीक़ैन और उनकी हाज़िरी और दरख़्वास्तों और अफ़आलका बयान ॥

दफ़ा२६--जायज़ है कि ऐसे जुमले अशख़ास मुक़द्दमे में बज़िमरै मुद्दइयान शामिल कियेजायें जिनको एकही बिनाय दावेकी बाबत किसी दादरसी मुतदाविया के इस्तहक़ाक़का होना मुश्तरकन् या मुन्फ़रदन् या बाज़को बजाय बाज़के बयान कियाजाय और बग़ैर किसी तरमीमके उनमुद्दयोंमेंसे एक या कईके हक़में जोकि मुस्तहक़ दादरसीके पायेजायँ फ़ैसला बाबत उस दादरसी के

सादिर कियाजाय जिसका इस्तहक़ाक़ मुद्दई या मुद्दइ-
यान मज़कूरकोपहुँचताहो लेकिन मुद्दआअलेह गोकामया-
याब नहो मुस्तहक़ पाने अपने उसख़र्चेकाहोगा जोकि
ऐसे शख़्सके शरीक करनेसे आयदहुआहो कि मुस्तहक़
दादरसी नहीं पायागया इल्ला उसहालमें कि अदालत
ख़र्चे मुक़द्दमेकी तजवीज़में और तरहका हुक्मदे ॥

दफ़ा२७--जब मुक़द्दमा किसी ऐसे शख़्स के नामसे
जो मुद्दई सही न हो रुजू कियाजाय या इश्तबाह हो कि
आया मुक़द्दमा मुद्दई सहीके नामसे रुजूहुआ है या नहीं
अगर अदालतको इतमीनान होजाय कि मुक़द्दमावाक़ई
सहोसे इसतौरपर शुरूकियागया है और असल अम्र न-
ज़ाईके तस्फ़ियेके लिये ज़रूरहै कि बजाय मुद्दईग़लतके
कोई और शख़्स या अशख़ास बतौरमुद्दई या मुद्दइयानके
क़ायम याज़ियादह कियेजायें तो अदालत हुक्मदे सक्ती
है कि बक़ैद उनशरायतके जो उसके नज़दीक क़रीन इ-
न्साफ़ हों ऐसा कियाजाय ॥

दफ़ा२८--जायज़है कि वहजुमला अशख़ासज़िमरे मु-
द्दआअलेहुम्में शामिलकियेजायँजिनकेमुक़ाबिल एकही
मुआमिलेकीबाबतदादरसीके इस्तहक़ाक़काहोनामुश्तर-
कन् या मुन्फ़रदन् या बाज़पर बजायबाज़केहोना बयान
कियाजाय और जायज़है कि बग़ैर किसी तरमीम के उन
मुद्दआअलेहुम् मेंसे एक या ज़ियादह मुद्दआअलेहुम्पर
जिनकीज़िम्मेदारीसाबितहो मुवाफ़िक़ज़िम्मेदारी हरएक
के फ़ैसला सादिर कियाजाय ॥

दफ़ा२९--मुद्दईकोअख़्तियारहै कि अगर उसकी मर्ज़ी

हो एकही मुक़द्दमेमें उन अशख़ासमेंसे सबको या बाज़को मुद्दआअलेह करे जो एकही मुआहिदेकीबाबतमुन्फ़र्दन् या मुश्तरकन् औरमुन्फ़र्दन्ज़िम्मेदारहों और उनअशख़ास में वहलोगभीशामिलकिये जासक्तेहैं जोबिलआफ़ऐक्स चेंज और हुण्डियात और प्रामेसरी नोटोंके फ़रीक़हों ॥

दफ़ा ३०–जबबहुतसेअशख़ासएकहीमुक़द्दमेमेंएकही हक़ रखतेहों तो जायज़ है कि उनमेंसे एक या चंदफ़रीक़ बइजाज़त अदालतजुमले अशख़ासहक़दारकी तरफ़से नालिशकरें या उनपर नालिश कीजाय या ऐसीनालिश में जवाबदहीकरें लेकिन अदालत ऐसीसूरतमें मुद्दई के ख़र्चसे इत्तिलाअ
को उनकीज़ातपर इत्तिलाअनामेकी तामीलकरने से या (अगर बसबब मुतआहिदहोने अशख़ासकेया और किसी वजहसे ऐसीतामील अक़्लन् मुमकिननहो तो) बज़रिये इश्तिहार आमके पहुँचाये जैसा कि अदालत हरसूरतमें हुक्म दे अमल कियाजायगा ॥

दफ़ा ३१–मुक़द्दमे फ़रीक़ों के बेजा शामिल करने की वजहसे बायस हक़तल्फ़ी का न होगा और अदालत को जायज़हैकि हरमुक़द्दमेमें जो अहाली मुक़द्दमा फ़िल्वाक़े हाज़िरहों उनके हुक़ूक़ व मराफ़िक़ से जिस्क़दर मुक़द्दमे को तअल्लुक़हो सिर्फ़उसीक़दरकी बाबत अम्रमाबउन्नि-ज़ाका तस्फ़ियाकरे ॥

इसदफ़ाकीकिसीइबारतसेमुद्दइयोंकोयहजायज़ न होगा कि जुदागानाबिनाहाय दावेकीबाबतशरीकनालिश हों ॥

दफ़ा ३२–अदालत को अख़्तियारहै कि बरवक़् पेशी

अव्वलकेया उसके पहले किसी फ़रीक़की दरख्वास्तपर ऐसी शरायतसे जो अदालतके नज़दीक क़रीन इन्साफ़ हों यह हुक्म दे कि नाम किसी फ़रीक़का जो बतौर बेजा मुद्दई या मुद्दआअलेह के ज़िमरेमें दाख़िल हुआ हो ख़ारिज कियाजाय ॥

और अदालतको अख़्तियार है कि किसी वक़्त ऐसी दरख्वास्तपर या बिदून उसके ऐसी शरायत से जो उसकी दानिस्तमें क़रीन इन्साफ़ हों यह हुक्म दे कि कोई मुद्दई मुद्दआअलेह गरदानाजाय या जो मुद्दआअलेह हो वह मुद्दई बनायाजाय और नाम किसी शख़्सका जिसको बतौर मुद्दई या मुद्दआअलेह शरीक करना चाहियेथा या जिसका अदालतमें हाज़िर होना इसवजहसे ज़रूर है कि अदालत जुमले मरातिब मुतनाज़ा मुतअल्लिक़े मुक़द्दमोंको बख़ूबीतकमीलके साथ फ़ैसल और तैकरसके शामिल कियाजाय ॥

कोई शख़्स बग़ैर अपनी रज़ामन्दीके बतौर मुद्दई या रफ़ीक़ मुद्दईके मुक़द्दमेमें शामिल न कियाजायगा ॥

जिसशख़्सकीतरफ़से हस्बदफ़ा ३० नालिश रुजूअकी जाय या जवाबदेही कीजाय अदालतसे दरख्वास्त कर सक्ता है कि वह उसनालिशमें फ़रीक़मुक़द्दमा कियाजाय॥

जुमले अशख़ासपर जो हस्बमज़कूरेसदर ज़िमरेमुद्दआअलेहुम् में

असाल कियाजायगा जो आयन्दा बयान कियागया है और (बरियायत एहकाम दफ़ा २२ क़ानून तमादी सन् १८७७ई० मजारिये हिंदके) उनके मुक़ाबिलेमें मुक़द्दमे की कारखाई का शुरूअ होना उसतारीख़से समझाजायगा जब सम्मन उनपर जारीहुआ हो ॥

आज्ञ

जिसतौरपर कि ज़रूरीहो तरमीमकीजायगी इल्लाउस
सूरतमें कि अदालत ऐसी हिदायत नकरै और सम्मन
की नक़ल मुरम्ममाकी नये मुद्दआअलेह और असली
मुद्दआअलेहुम पर तामील की जायेंगी ॥

दफ़ा३४--तमाम उज़रात इसबातके कि मुक़द्दमेमेंजो
चाहियेथा फ़रीक़ नहींहै याकि उसमें ऐसे अशखासशा-

हैं

मुद्दआअलेहोंमेंइस्तेमालबेजाकानुक्सहोजिसक़दरजल्द

अ०

आज्ञ

दफ़ा३५--जब मुक़द्दमेमें एकसे ज़ि
जायज़है कि उनमेंसे एक या ज़ियादह मुद्दइयोंको किसी
दूसरे मुद्दईकी तरफ़से इजाज़त दीजाय कि वह किसी
काररवाईमें जो इसमजमूये के बमूजिबहो उसकी तरफ़
से हाज़िरहोकर सवाल व जवाब या पैरवीकरें औरइसी
तरह जब मुक़द्दमेमें एकसेज़ियादह मुद्दआअलेह हों तो
जायज़हैकिउनमेंसेएकयाज़ियादहमुद्दआअलेहोंकोउन
मेंसे किसी दूसरे मुद्दआअलेहकी तरफ़से इजाज़त दी-
जाय कि क़िस्म मज़कूरकी किसी काररवाई में उसकी
तरफ़से हाज़िर होकर सवाल व जवाब या अमलकरें ॥

वह इजाज़त तहरीरी [illegible] र उसपर इजाज़त देनेवाले के दस्तख़तहोंगे और वह अदालतमें दाख़िल की जावेगी ॥

एजंटान् याने मुख्तारान् मक़बूला और उनके वुकलाकी बाबत ॥

दफ़ा३६--जब क़ाननन् यह हुक्महो या अख़्तियार दियागयाहो कि कोई फ़रीक़ अदालत मराफ़ै ऊला या अपील उसअदालतमें हाज़िरहोयादरख्वास्तदेयाकोई और अमलकरे तो बजुज़ उससूरतके कि किसी क़ानून नाफ़िज़ह वक्तमें कुछ और हुक्म सराहतन् मुन्दर्ज हुआ हो जायज़हैकि फ़रीक़ मज़कूरकोअसालतन् यामारफ़त अपने क़ायम मुक़ाम मक़बूलै यावकीलके जो हस्बज़ाबिता उसकी तरफ़से पैरवी करनेके लिये मुक़र्रर हुआहो हाज़िरहो या दरख्वास्तदे या अमलकरे ॥

मगर शर्त्तयहहै कि अगरअदालतअसालतन्हाज़िर होनेकाहुक्मदे तो फ़रीक़मज़कूर को असालतन् हाज़िर होना पड़ेगा ॥

दफ़ा३७—एजंटान् मक़बूला जो अहाली मुक़द्दमे की तरफ़सेअदालतमें हाज़िरहोसक्के और दरख्वास्तदेसक्के और अमल करसक्के हैं यह हैं ॥

(अलिफ़)अशख़ासजो ऐसेअहाली मुक़द्दमेकी तरफ़ से अपने नामके आममुख्तारनामजातरखते हों जोउस अदालत [illegible] अर्ज़ीके अन्दर नरहते हों जिसकी हुदूदके अन्दर हाज़िर होने या दरख्वास्त देने या अमलकरनेकी ज़रूरतहो और मुख्तारनामों में उन

की तरफ़से हाज़िरहोने और दरख्वास्तदेने और अमल करनेका अख्तियार दियागयाहो ॥

(बे) मुख्तारान् जिन्होंने किसीक़ानून मजारियावक़्त कीरूसेसार्टीफ़िकटहस्बज़ाबितामुख्तारीकापायाहो और अपने आक़ाओंकीतरफ़से मुख्तारनामा ख़ासकेज़रियेसे यह इख्तियार रखतेहों कि उनकीतरफ़से ऐसे उमूरको अंजामदेतेरहैंजोमुख्तारलोगक़ानूनन् अंजामदेसक्तेहैं॥

(जीम) अशख़ास जो उनअहाली मुक़द्दमेकीतरफ़से या उनकेनामसे कुछ तिजारत या कारोबार करतेहों जो उस अदालतके इलाक़ेकी हुदूद अर्ज़ीके अंदरनरहतेहों जिसकीहुदूदके अंदर हाज़िरहोना या दरख्वास्त देना याअमलकरनासिर्फ़मुआमलात मुतअल्लिक़े तिजारत याकारोबारकीबाबतहो और कोई औरक़ायममुक़ाम जि-सकोऐसीहाज़िरीअदालतऔरदरख्वास्तदेनेऔरअम-लकरनेकी इजाज़तबसराहतदीगईहो वहांमौजूदनहो ॥

इसदफ़ाकी ऊपरकी कोईइबारत उनक़ितआत मुल्क सेमुतअल्लिक़नहोगीजो बिलफ़ैल जनाबनव्वाबलफ्टि-नेण्ट गवर्नर बहादुर पंजाब और जनाब चीफ़कमिश्नर बहादुर अवध और जनाब चीफ़कमिश्नर बहादुर ममा-लिक मुतवस्सिताकेताबअ हुक्महैं बल्कि उन क़ितआत मुल्कमेंअहालीमुक़द्दमेके एजण्टान्मक़बूला जिनकी मा-रफ़तऐसी हाज़िरी अदालत और अदख़ालदरख्वास्त और अमलहोसकेगा वहीलोगहोंगे जिनको लोकिलग-वर्न्नमेंट वक़्तन् फ़वक़्तन् बज़रिये इश्तिहार मुंदरजे गज़ट सरकारीके उन उमूर के वास्ते क़रार दे ॥

दफ़ा ३८—वह हु [illegible]

[illegible]

पर तामील कियेगयेथे बजुज़ उससूरतके कि अदालत से कोई और हिदायत हो ॥

इसमजमूयेकेएहकामजो फ़रीक़मुक़द्दमेपर हुक्मनामा जारीहोनेकेबाबमेंहैं उससूरतसेभी मुतअ़ल्लिक़होंगेजब उसके एजण्ट मक़बूलेपर हुक्मनामा जारीकियाजाय ॥

दफ़ा ३९—तक़र्रुर वकीलका जोहस्बमुतज़क्किरे बाला अदालतमें हाज़िरहोने या दरख्वास्तदेने याकोईअमल करनेके लिये मुक़र्ररहो बज़रिये तहरीर के होगा और तक़र्रुरकी वह तहरीर अदालतमें दाखिल कीजायगी ॥

जब वह इस तरह दाखिल होजाय तावक़्ते कि वह बज़रिये किसीतहरीर दस्तख़ती मवक्किल मदखलैअदा-लतके अदालतकी इजाज़तसे मन्सूख़ नकीजाय याता-वक़्ते कि मवक्किलया वकीलफ़ौतनहो यामुक़द्दमेकी कारर्वाइयां जहांतक कि उसमवक्किल से इलाक़ारखता हों इख्तितामको न पहुँचें नाफ़िज़ समझी जायँगी ॥

किसीअदालत हाईकोर्टके ऐडवकेटकेलिये जो बमूजिब फ़रमानशाही मुक़र्ररहुईहो ज़रूरनहींहैकि किसीतरहका नविश्तह मुतज़म्मिन इख्तियारपैरवीमुक़द्दमायाअमल करनेके अदालतमें दाखिलकरे ॥

दफ़ा ४०—हुक्मनामजात आम इससे कि उनमेंफ़रीक़ मुक़द्दमेके असालतन् हाज़िर होनेका हुक्महो या न हो जो किसीमुक़द्दमा मराफ़ैउला या अपीलमें किसीफ़रीक़

के वकीलपर तामील कियेजायँ या वकील के दफ्तर या मस्कन मामूलीपर छोड़दिये जायँ ऐसे मुतसाव्विर होंगे कि गोया ख़ुद मवक्कल को पहुँचादियेगये और मवक्कल को उनका इ [illegible] होगई औ [illegible]
अदालत और तरहपरहुक्मदे वजमीअ वजूहैं उसमुक़-द्दमे या अपीलकी निस्बत वैसेही मवस्सर होंगे कि गो-या वह असालतन् फ़रीक़ मज़कूर को दियेगये या ख़ुद उसपर उनकी तामील कीगई ॥

दफ़ा ४१—इल्ला वह एजंटान् मक़बूलैके जिनका ज़िक्र दफ़ा ३७ में हुआहै हर शख्स जो अदालत के इलाक़ेके अंदर रहताहो हुक्मनामेके इजराको क़बूलकरनेकेलिये एजंट मुक़र्रर होसक्ता है ॥

जायज़है कि ऐसा तक़र्रुर ख़ासहोया आममगर तहरीरी होना लाज़िमहै औरउसपर मुक़र्ररकरनेवालेके दस्तख़त होंगे औरवहतहरीरया अगरतक़र्रुर आमहोतोउसकीनक़-लमुसद्दक़ै हस्ब ज़ाबितै अदालत में दाख़िलकीजायगी॥

चौथा बाब ॥

नालिशकी तरतीब ॥

दफ़ा ४२—हरनालिश जहांतकमुमकिनहो इसतौरसे मुरत्तिबकीजायगीकि तमाममरातिब मुतनाज़ेकीनिस्बत तजबीज़क़तईकरनेकी उससेवजहपाईजाय औरमरातिब मज़कूरकी बाबतआयंदाफिरानिज़अ अदालतनहोसके॥

दफ़ा ४३—हर नालिश में वह तमाम दावा शामिल किया जायगा जो मुद्दई बिनाय दावेपर क़ायम करसक्ता हो मगर मुद्दईको यह अख्तियारहै कि मुक़द्दमेको किसी

अदालतकी समाअतके लायक़ करनेकी ग़रज़से अपने दावे में से जिस्क़दर जुज्व चाहे छोड़दे ॥

अगर मुद्दई अपने दावेमेंसे किसी जुज्वकी बाबतनालिशनकरे या अमदन् उसकीनालिशकरनेसेबाज़आये तोआयंदह उसजुज्वकी बाबतजोइसतौरपर मतरूकरहा हो या जिसके दावा करने से मुद्दई बाज़रहाहो नालिश न करसकेगा ॥

जिसशख्सको एकही बिनायदावेकी निस्बत कईचारेजोइयोंका इस्तेहक़ाक़हो उसेअख्तियारहै कि उनतमाम या उनमेंसे किसी चारेजोई की नालिशकरे लेकिन जिस हालमें कि(बजुज़ इजाज़त अदालत के जो क़ब्लपेशी अव्वल हासिलकी गईहो) उन चारेजोइयोंमें से किसीकी नालिश तरक करे तो मिन्बाद बाबत उस चारेजोई के जो तरककीगईहो मजाज़ नालिशका न होगा ॥

इसदफ़ाकी अग़राज़के लिये दस्तावेज़मुआहिदा और कफ़ालतनामा जो इसकी तामील के इतमीनान के लिये लिखाजाय दोनों बमुंज़िले विनाय दावा वाहिद के मुतसव्विर होंगे ॥

तमसील ॥

ज़ैदने एकमकान अमरूको बारासौ रुपये सालानाके किरायेपरदिया औरबाबतकुल सन् १८८१-१८८२ई०के किराया वाजिबुल्वसूल और ग़ैरमवदारहा ज़ैदने अमरू पर सिर्फ़बाबतकिराया वाजिब सन् १८८२ई०के नालिश की पस ज़ैद मिन्बाद अमरू पर बाबत किराये वाजिब सन् १८८१ ई० के नालिश करनेका मजाज़ न होगा ॥

दफ़ा ४४–क़ायदा(अलिफ़) जो नालिशवास्ते बाज़

याफ्त जायदाद ग़ैर मन्क़ूला के या इस्तक़रार हक़ीयत जायदाद ग़ैरमन्क़ूला के हो बग़ैर इजाज़त अदालतके कोई बिनायदावा उसमें शामिल न कीजायेगी बजुज़ ॥

(अलिफ़) दुआबी वासिलात या बाक़ियात ज़रलगान या किराया जायदाद मुतदाविया के ॥

(बे)हरजा बाबत इनहराफ़ किसी मुआहिदेके जिसकी रूसे जायदाद या उसकेकिसी जुज्वपर क़ब्जाहो और॥

(जीम)दुआबीमुत्तहन्वास्तेनफ़ाज़किसीचारैजोईके मिंजुमलाउनचारैजोइयोंकेजोवहरेहनकीरूसेकरसक्ताहो ॥

क़ायदा (बे) कोईदावा जो किसीवसी या मोहतमिम तरकायावारिसको या उसपरउसकेउसमन्सबसेपहुंचता हो उसदावेमें शामिल न कियाजायगा जो उसकी ज़ात ख़ासको या ज़ातख़ासपर पहुंचताहो इल्लाउसहालमें कि दावा आख़िरुल्ज़िक्रकी निस्बतबयानकियाजायकिवह उसी जायदादसे पैदाहोता है जिसकी बाबत मुद्दई या मुद्दआअलेह मज़कूरवसी या मोहतमिमतरकायावारिस होनेकी हैसियत से नालिशकरताहै या उसपर नालिश कीगईहै या कि वहदावा ऐसाहै जिसको वह बशिरकत शख्स मुतवफ़्फ़ा के जिसका वह क़ायममुक़ामहै दिलापाने का मुस्तहक़ या अदाकरने का सज़ावार है ॥

दफ़ा ४५-बरिआयतक़वायद मुन्दर्जेबाब २-औरदफ़ा ४४ मुद्दईको अख्तियारहै कि एकहीमुक़द्दमेमें चन्द बिनाहायदावाको बमुक़ाबिले एकही मुद्दआअलेह या चंद मुद्दआअलेहुम् मुश्तरकके शामिलकरेऔर जिनमुद्दइयों को उसीमुद्दआअलेह वाहिदयामुद्दआअलेहुम् मुश्तरक

पर चन्द बिनाहायदावेकी रूसे जिनमें उनका हक़मुश्त-रकहो दावा पहुंचता हो उनको अख्तियार है कि ऐसे बिनाहाय दावेको एकही नालिशमें शामिल करें ॥

[illegible] होतो अदा-लत मजाज़होगी कि क़ब्लपेशी अव्वल जिसवक्त खुद चाहे या किसीमुद्दआअलेहकी दरख्वास्तपर या मुक़द्दमे कीकिसी नवय्यतमाबादपर अगरफ़रीक़ैनराज़ीहो किसी ऐसी बिनायदावाकी अलाहिदा तजवीज़ होनेकाहुक्मदे या उसके अलाहिदा इन्फ़िसालके लिये जो और हुक्म ज़रूरी या मुक्तज़ाय मसलहत समझे सादिर करे ॥

जब चन्दबिनाहायदावा शामिलकीजायँतो अख्तियार समाअतअदालतकानिस्बतउसमुक़द्दमेके शैमुतदाविया की उसतादाद या मालियतमजमूई पर मुनहसिरहोगा जो बतारीखरुजूअ नालिशहो आमइससेकि कोईहुक्म हस्ब फ़िक़रे २ दफ़ा हाज़ाके दियागयाहो या नहीं ॥

दफ़ा ४६—अगर किसी मुद्दआअलेहको यह उज्रहो मुद्दईनेएकही मुक़द्दमेमें चन्दबिनाहायदावा शामिल की हैं जिनका एकमुक़द्दमे में तस्फ़िया नहींहोसक्ता तो उसकोअख्तियारहै कि क़ब्लपेशीअव्वल या जिसहाल में कि उमूरतन्क़ीहतलब क़रार पाचुके हों किसी शहा-दतके क़लम्बन्द होनेसे पहलेकिसीवक्तअदालतमें इस मज़मून की दरख्वास्त दे कि अदालतके हुक्मसे मुक़-द्दमा सिर्फ़ उन्हीं बिनाहायदावेसे मुतअल्लिक़क़रार दिया जाय जो एक मुक़द्दमेमें बसहूलियत तै होसकें ॥

दफ़ा४७—अगरऐसी दरख्वास्त के समाअत होनेपर अदालतको ऐसी जुमलै बिनाहाय दावेका एकही मुक़द्दमे में तैकरना दुश्वार मालूमहो तो अदालत यहहुक्म देसकेगी कि इनमेंसे कोई बिनायदावा खारिजकी जाय और यह हिदायत करसकेगी कि अर्ज़ीदावे की तरमीम उसकेमुताबिक़कीजाय और खरचेकी निस्बत जो हुक्म क़रीन इन्साफ़ समझे सादिरकरे ॥

हरतरमीम पर जो इसदफ़ाके बमूजिब कीजाय जजके दस्तख़त तसदीक़न् सब्तहोंगे ॥

पांचवां बाब ॥

नालिशातक रुजूइ   बयान ॥

दफ़ा ४८—हरनालिश इस तरह रुजूअ कीजायगी कि अर्ज़ीदावा अदालतमें या उसओहदेदारकेपास दाखिल कीजायगी जो अदालतसे उसकाम के लिये मुक़र्रर हो ॥

दफ़ा ४९—चाहिये कि अर्ज़ीदावासाफ़ २ अदालतकी ज़बान में लिखीहुईहो पर शर्त्तयहहै   ज़बान अँगरेज़ी न हो   इजाज़तसे) अर्ज़ीदावे का अँगरेज़ीमें लिखाजाना जायज़ है लेकिन इससूरतमें अगर मुद्दआअलेह चाहे तो तरजुमा अर्ज़ीदावे का अदालत की ज़बानमें अदालतमें दाखिल कियाजाय ॥

दफ़ा ५०—अर्ज़ीदावे में मरातिब मुफ़स्सिलै ज़ै मुन्दर्ज होंगे ॥

(अलिफ़) नाम उस अदालतका जिस में नालिश रुजूअ की जाय ॥

(बे) नाम और पता और जाय सकूनत मुद्दईकी ॥

(जीम) नाम और पता और जाय सकूनत मुद्दआ-अलेह की जहांतक कि दरियाफ़ होसके॥

(दाल) साफ़ और मुख्तसिर बयान उन मरातिब का जो मुक़द्दमे की बिनायदावा हों और यहकि बिनाय-दावा कब और कहां पैदाहुई॥

(हे) इस्तदुआय दादरसीकी जोमुद्दईचाहताहै और॥

(वाव) अगर मुद्दईने दावेमें कुछ मुजरा दियाहो या दावेके किसी जुज्वका तरक कियाहो तो मुजरा दियेहुये या तरक कियेहुये जुज्वकी तादाद॥

अगर मुद्दई ज़रनक़द दिलापाने का दावीदारहो तो अर्ज़ीदावे में जहांतक कि उस मुक़द्दमेमें मुमकिनहो दावे की सही तादाद लिखीजायगी॥

जो नालिश ज़र वासिलातकीहो और जो नालिश इसतरहकीहो कि ज़रयाफ़्तनी मुद्दई उसके और मुद्दआ-अलेहके दरमियान हिसाबातगैर तैशुदहके लिये जाने पर मालूमहोगा उसमें अर्ज़ीदावे के अंदर ज़र मुतदा-विया की सिर्फ़तादाद तख़मीनी लिखनी काफ़ी है॥

जबकि मुद्दई बहैसियत क़ायममुक़ामी के नालिशकरे तो अर्ज़ीदावे में न सिर्फ़ यह ज़ाहिर कियाजायगा कि मुद्दई शैमुद्दआबहामें एकवाक़ई गरज़मौजूदह रखता है बल्कि यहभी लिखा जायगा कि इसके दिलापानेकी ना-लिशकरसकनेके लिये जोजो काररवाई ज़रूरीथी उसको मुद्दईअमलमेंलाचुकाहै॥ तमसीलात॥

(अलिफ़) ज़ैद बहैसियत वसी बकरकी नालिशकर-ताहै तो अर्ज़ीदावे में यह बयान होनाचाहिये कि ज़ैद

ने बकर के वसीयतनामे को साबित करादिया है ॥
(बे)ज़ैदबमंसबमोहतमिमतरकाबकरकीनालिशकरता है तो अर्ज़ीदावेमें यहबयान होनाचाहिये कि ज़ैदनेचिट्ठियात मोहतममी निस्बत तरका बकरकेहासिलकरली हैं ॥
(जीम)ज़ैद बमंसबविलायत ख़ालिद एकशख़्स नाबालिग़ क़ौम मुसल्मानके नालिशी है मगरज़ैदशरअ और रिवाज इसलामके मुताबिक़ ख़ालिदका वलीनहीं है तो अर्ज़ीदावेमें बयान होना चाहिये कि ज़ैद बतौर ख़ास ख़ालिदका वली मुक़र्रर हुआहै ॥
अर्ज़ीदावेमें यह ज़ाहिर करना चाहिये कि मुदआअलेह शैमुद्दआबहामें ग़रज़रखताहै या ग़रज़रखनेका दावाकरताहै और ज़िम्मेदार इसबातकाहै कि मुद्दई के मतालिबेकी जवाबदिही उससे कराईजाय ॥

तमसील ॥

ज़ैद अमरूको अपनावसी और बकरको अपनामौसीलहू और ख़ालिदको अपनेतरकेका एकदेनदार छोड़कर फ़ौत होगया बकरने ख़ालिदपर इसमुरादसे नालिशकी कि वह बईफ़ाय वसीयतके जो बहक़्क़बकरके हुईहै अपना देन अदाकरदे तो अर्ज़ीदावेमें यहज़ाहिर करना चाहिये कि अमरू ख़ालिदपर नालिशकरनेसे बिलावजहइन्कार करताहै या यह कि अमरू और ख़ालिदने फ़रेबन् बकर को महरूम करनेकेलिये बाहम साज़िशकी है या इसी क़िस्मकी और२ वजूह बयानकी जायेंगी जिनसेख़ालिद का बकर के मुक़ाबिलेमें देनदार होना पायाजाय ॥
अगर बिनायदावा इसमुद्दतसे पेश्तर पैदाहुईहो जो

अमूमन् उस नालिशके रुजूअकरनेकेलिये किसी क़ानून हद्दसमाअत में मुक़र्रर है तो अर्ज़ीदावे में यह लिखा जायगा कि मुद्दई अपने दावेको क्यों क़ानून मज़कूरकी तासीरसे मुस्तस्ना समझताहै ॥

दफ़ा ५१—अर्ज़ीदावेपर दस्तख़तमुद्दई और उसकेवकीलके अगर कोई मुक़र्रर हुआहो सब्तकियेजायँगे और उसकेज़ैलमें मुद्दई या कोई और शख्स जिसका मुक़द्दमेके वाक़ियातसे वाक़िफ़होना हस्बइतमीनान अदालत साबितहुआहो उसकी तसदीक़ करेगा ॥

मगर शर्तयहहै कि अगरमुद्दईबवजह ग़ैरहाज़िरीया किसी और वजह माकूल के अर्ज़ीदावेपर दस्तख़त न करसके तो जायज़है कि उसकीतरफ़से उसकामुख्तार ज़ी अख्तियार अर्ज़ीदावेपर दस्तख़त करदे ॥

दफ़ा ५२—तसदीक़बईं मज़मून होगी कि ताहदइल्म तसदीक़ करनेवालेके यह सचहै सिवाय उन मरातिबके जो और लोगोंके बयान और अपनेयक़ीनसे लिखेगये हों और मरातिब आख़िरुल्ज़िक्र की निस्बत लिखा जायगा कि उनके सचहोनेका उसकोबावरहै ॥

इबारत तसदीक़ पर तसदीक़ करनेवाले के दस्तख़त सब्तहोंगे ॥

दफ़ा ५३—जायज़है कि अर्ज़ीदावा बरवक्त या क़ब्ल अज़पेशी अव्वल अदालतकी रायके मुवाफ़िक़ नामंज़ूर या किसी मीआदके अंदर जो अदालतसे मुक़र्ररहो तरमीम होनेकेलिये वापिस की जाय या उसीवक्त और वहीं ऐसी शरायतपर जो अदालत दरबाब अदाय उसख़र्चेके

जो अर्ज़ी की तरमीम होनेके बायस पड़ाहो मुनासिब समझे तरमीम कीजाय॥

(अलिफ़) अगर वह मरातिब जो हस्ब मुतज़क्किरह बाला अर्ज़ीदावे में लिखने ज़रूर हैं सही २ और बिलातवालत के न लिखेगयेहों या॥

(बे) अगर अर्ज़ीदावे में सिवाय मरातिब मज़कूर के कुछ और मरातिब हों या॥

(जीम) अगरउसपर दस्तख़त और तसदीक़की इबारत ऊपर लिखेहुये के बमूजिब न लिखीगईहो या॥

(दाल) अगर अर्ज़ीदावेसे कोई बिनायदावा ज़ाहिर न हुईहो या॥

(हे)अगर वहदफ़ा४२के मुताबिक़ मुरत्तिब न हुईहो या॥

(वाव)अगरअर्ज़ीदावा अशख़ासके न शामिलकिये जाने या ग़लत शामिल कियेजानेकी वजहसे बेजातौर पर मुरत्तिब कीगईहो या इस वजहसे कि मुद्दईने ऐसी बिनाहायदावेको शामिलकियाहो जो एकही नालिशमें शामिल न होनी चाहिये थीं॥

मगर शर्त्तयहहै कि अर्ज़ीदावेमें इसतरहकी तब्दील न होसकेगी कि एक हैसियतका मुक़द्दमा बदलकर दूसरी हैसियतका मुक़द्दमा होजाय जो उसके ख़िलाफ़हो॥

जब अर्ज़ीदावेकी तरमीम कीजाय तो उस तरमीम पर जजके दस्तख़त तसदीक़न् सब्तहोंगे॥

दफ़ा ५४–नीचे लिखीहुई सूरतोंमें अर्ज़ीदावा नामंज़ूर की जायँगी॥

(अलिफ़) अगर दादरसी मुतदावियेका तअ़य्युन मा-

लियत कमकियागयाहो औरमुद्दई उसमीआदके अंदर जो अदालत मुक़र्ररकरेगी अदालतके हुक्मके बमूजिब कमी मालियतकी इसलाह न करे ॥

(बे) अगर दादरसीमुतदावियाका तअय्युन वाजिबी कियागयाहो लेकिन अर्ज़ीदावा कम क़ीमतके स्टाम्प पर तहरीर हुईहो और जब मुद्दई को अदालत हुक्मदे कि वह अंदर मीआद मुअय्यना अदालत के स्टाम्प मतलूबे को पूराकरदे और वह उसमें क़ासिर रहे ॥

(जीम) अगर अर्ज़ीदावेके बयान से नालिश क़ानूनके किसी ताकीदी क़ायदे की रूसे ममनू उस्समाअतहो ॥

(दाल) अगर अर्ज़ीदावा मीआद मुक़र्ररह अदालत के अन्दर तरमीम होनेके लिये वापिसहोकर उसी मीआदके अन्दर तरमीम न की गईहो ॥

दफ़ा ५५–जब अर्ज़ीदावा नामंज़ूर कीजाय तो जज को लाज़िमहै कि हुक्म नामंज़ूरीका मयवजह उसहुक्म के खुद अपने हाथसे तहरीर करे ॥

दफ़ा ५६–नामंज़ूर होना अर्ज़ीदावे का बर बिनाय किसी वजह मिंजुमले वजूह मरकूमैवाला बतौर खुदमानै इसका न होगा कि मुद्दई उसी बिनायदावेकी बाबत नई अर्ज़ीदावा गुज़राने ॥

दफ़ा ५७–अर्ज़ीदावा नीचे लिखीहुई सूरतोंमें अदालत मजाज़में दाखिल होनेकेलिये वापिस की जायगी ॥

(अलिफ़) अगर नालिश ऐसी अदालतमें रुजूअकी गईहो जो उस अदालतसे कम या ज़ियादहदर्जारखतीहो जो उसकी तजवीज़ की मजाज़है जब कि ऐसी अदालत

मौजूदहो या जिसहालमें किक़ानूनन् ऐसा अख़्तियार न दियागयाहोकि मुद्दईजिसअदालतमेंचाहेअर्ज़ीगुज़राने॥

(बे) अगर नालिश जायदाद ग़ैरमन्क़ूलाकी बाबत हो मगर दफ़ा १६ की शर्त उस से मुतअल्लिक़ न हो और यह वाज़े हो कि जायदाद मज़कूर का कोई जुज्व उस अदालत के इलाक़े की हदूद अराज़ी के अंदर वाक़ै नहीं है जिसमें कि अर्ज़ी दावा पेशकी गई ॥

(जीम) अगर किसी और सूरत में यह वाज़ेहो कि बिनायदावा उन हदूद अराज़ी के अंदर पैदा नहींहुई और न मुद्दआअलेहुम् में से कोई मुद्दआअलेह उन हदूद के अंदर रहता या कारोबार करता या बज़ात ख़ास मुनफ़अत के लिये कोई पेशाकरताहै ॥

अर्ज़ीदावा वापस करने के वक़्त जज अपने हाथ से अर्ज़ीदावाकी पुश्तपर उसके अदख़ालकी तारीख़ और नीज़ तारीख़ वापसी की और नाम शख़्स पेशकुनिन्दह का और मुख़्तसिर हाल इस अमर का कि किस वजह से वापस की गई लिखदेगा ॥

दफ़ा ५८—मुद्दई को लाज़िमहै कि एक याददाश्त उन तमाम दस्तावेज़ात की (अगर हों) जो मुद्दई ने अर्ज़ीदावा के साथ पेशकी हों अर्ज़ीदावाकी पुश्तपर लिखदे या अर्ज़ीदावाके साथ मुंसलिक करदे और अगर अर्ज़ीदावा मंज़ूरहो तो अर्ज़ीदावाकी उसक़दर नक़लें सादह काग़ज़पर पेशकरे जिसक़दर मुद्दआअलेहुम् हों इल्ला उस सूरतमें कि अदालत अर्ज़ीदावाकी तवालत या मुद्दआअलेहुम्की तादाद के लिहाज़से या

और वजहकाफ़ीसे मुद्दईको इजाज़तदे कि इसंतादादके

[illegible]

[illegible] ॥

अगरमुद्दई बहैसियत क़ायममुक़ामी नालिशकरे या मुद्दआअलेह पर या मुद्दआअलेहुममें से किसीपर बहैसियत क़ायममुक़ामी नालिशकीजाय तो बयानात मज़करसे वाज़ेहोनाचाहिये कि मुद्दई किस हैसियतसे नालिशकरता है या मुद्दआअलेह पर उसकी किसहैसियत से नालिशहुईहै ॥

मुद्दईको अख्तियारहै किबाइजाज़त अदालत बयानातमज़कूर को इसग़रज़से दुरुस्तकरे कि वह अर्ज़ीके मज़मून के मुताबिक़ होजायँ॥

अदालत का आलाअहलकार अहकामकी तामील करनेवाला उस याददाश्त और नक़लों या बयानात मुतज़क्किरैसदर पर उससूरतमें दस्तख़त करेगा जब वह इनका मुआइना करनेके वक्त उनको सहीपाये ॥

अदालत उनमरातिबको जो दफ़ा ५० में मज़कूरहैं एक किताव में भी जो उसीग़रज़से मुरत्तिबरहेगी और जिसका नाम दीवानी मुक़द्दमात का रजिस्टर होगा दर्जकरायेगी और जो मुक़द्दमात रजिस्टरमज़कूर में दर्ज हों उनपर हरसाल में बतरतीव तारीख़ दाख़िलहोने अर्ज़ीदावाके नम्बर चढ़ाये जायँगे ॥

दफ़ा ५१—अगर मुद्दई किसीदस्तावेज़की रूसे नालिशकरे जो उसकेपास या उसके अख्तियारमें हो उसको

लाज़िमहै कि दस्तावेज़ मज़कूर अर्ज़ीदावा दाखिलकर-
ने के वक्त अदालतमें पेशकरे और दस्तावेज़ या उसकी
एक नक़ल अर्ज़ीदावा के साथ नत्थी होने के लियेउसी
वक्त अदालतके हवाले करे ॥

अगर मुद्दई किसी और दस्तावेज़ातपर अपनेदावा
की ताईदमें बतौर सबूतके इस्तदलाल करे (आमइस
से कि वह उसकेपास या उसके अख्तियार में हों या
न हों) तो उसको लाज़िम है कि दस्तावेज़ात मज़कूर
को एक फ़ेहरिस्त में दर्जकरे जो अर्ज़ीदावा में शामिल
या उसके साथ नत्थी की जायगी॥

दफ़ा ६०–अगर कोई ऐसी दस्तावेज़ मुद्दईकेपास या
उसके अख्तियारमें न हो तो जहांतक मुम्किनहोमुद्दई
यहज़ाहिर करेगा कि वहकिसकेक़ब्ज़े या अख्तियारमेंहै॥

दफ़ा६१–जबकोई मुक़द्दमा किसीकाग़ज़ क़ाबिल ख़रीद
व फ़रोख्त पर बनी हो अगर काग़ज़ मज़कूर का तल्फ़
होजाना साबितहो और मुद्दई इसबातका इक़रार नामा
हस्बइतमीनान अदालतलिखदे कि आयंदह अगरकोई
और शख्स उसकाग़ज़की रूसे दावाकरे उसकी जवाब
दही मुद्दई के सिररहेगी तो अदालत उसीतरह डिकरी
सादिर करसकेगी जिसतरह उससूरतमें सादिरकरती जब
कि मुद्दई काग़ज़मज़कूरको अपनी अर्ज़ीदावा के साथ
अदालतमें पेशकरता और मआनू काग़ज़की एक नक़-
ल अर्ज़ीदावाकेसाथ नत्थी होनेकेलियेदाखिलकरदेता ॥

दफ़ा ६२–अगर दस्तावेज़ जिसकी रूसे मुद्दई नालि-
शी हो किसी बहीखाता या दूसरी बहीकी रक़महो जो

उसके पास या उसके अख़्तियारमेंहो तो मुद्दईको ला-
अर्ज़ीदा हा
नक़ल रक़मकी जिसपर उसका इस्तदलालहै पेशकरे ॥
अदालत या वह अहल्कार जिसको अदालत उसकाम
के लिये मुक़र्रर करे
लिये कुछ निशान करेगा और नक़लको मुआयनह और
असलकेसाथ मुक़ाबिलहकरके और अगरनक़लसहीपाई
करअसल वहीमुद्दई
नक़लकोशामिल मिसलकरेगा॥
दफ़ा ६३--जो दस्तावेज़ कि मुद्दई को बरवक़्त गुज़रने
अर्ज़ीदावा के अदालतमें पेशकरनी या जो फ़ेहरिस्त
मुन्दर्जे या मुन्सलके अर्ज़ीदावा में दाख़िलकरनी ज़रूर
है अगर वह उसीतौरपर पेश न कीजाय या दाख़िल न
कीजाय तो मुक़द्दमा की समाअतके वक़्त बग़ैर इजाज़त
अदालतके उसकीतरफ़से वजह सबूतमें न लीजायगी ॥
अ-
ल्लिक़ नहीं है जो मुद्दआअलेह के गवाहों से जिरह के
सवालात करनेकेलिये या बजवाब किसी मुक़द्दमाके जो
मुद्दआअलेहने क़ायमकिया हो अदालत में पेशहों या
जो किसीगवाहको महज़उसकीयाददिहीकेलियेदीजायँ॥

छठवांबाब ॥

बाबत इजराय व तामील सम्मनके ॥

जारीहोना सम्मन का ॥

दफ़ा ६४—जब अर्ज़ीदावा दाख़िल रजिस्टर होजाय
और नक़ूल या बयानातमुश्तसिर जिनका दाख़िलहोना

दफ़ा ५८ की रूसे ज़रूरहै दाख़िलहोजायँ जायज़है कि सम्मन हर मुद्दआअलेह के नाम इस हुक्म से जारी कियाजाय कि वह तारीख़ मुन्दर्जै सम्मन पर अदालत में हाज़िर होकर दावा की जवाबदही करे ॥

(अलिफ़) असालतन् या ॥

(बे) मारफ़त किसी वकील के जिसको बख़ूबी हिदायत की गई हो और जो मुक़ाम सवालात ज़रूरी मुतअल्लिक़ै मुक़द्दमा का जवाब देसके या ॥

(जीम) मारफ़त किसीवकीलके जिसकेहमराह ऐसा कोईशख़्सहो जो ऐसे तमामसवालातका जवाब देसके ॥

ऐसे हर सम्मनपर जज या उस ओहदेदारके दस्तख़त सब्त होंगे जिसको जज उस काम पर मुक़र्रर करे और उसपर अदालतकी मुहर की जायगी ॥

मगर शर्त यह है कि अगर अर्ज़ीदावा के दाख़िल होने के वक़्त मुद्दआअलेह अदालत में हाज़िर होकर मुद्दई के दावासे अक़बाल करचुकाहो तो सम्मन उसके नाम जारी न कियाजायगा ॥

दफ़ा ६५--हर सम्मनके साथ उन नक़्ल या बयानात मुख़्तसिरमें से जो दफ़ा ५८ में मज़कूरहैं एकनक़्ल या एक बयान भेजाजायगा ॥

दफ़ा ६६--अगर अदालत के नज़दीक मुद्दआअलेह का असालतन् हाज़िर होना ज़रूरहो तो सम्मनमें उस की निस्बत यह हुक्म होगा कि मुद्दआअलेह अदालत में बतारीख़ मुसर्रहा सम्मन असालतन् हाज़िर हो ॥

अगर अदालतकेनज़दीक मुद्दईका भी उसीरोज अ-

सालतन् हाज़िरहोनाज़रूरहो तो अदालत मजाज़होगी कि मुद्दईके उसरोज़ असालतन् हाज़िरहोनेकाहुक्मदे ॥

दफ़ा६७-किसीफ़रीक़कीनिस्बतअसालतनहाज़िरहोनेका हुक्म न दियाजायगा इल्लाउससूरतमें कि उसकीसकूनत ॥

(अलिफ़) अदालत के मामूली अख्तियार समाअत इब्तिदाई की हदूद अरज़ी के अन्दर हो या ॥

(बे) हदूदमज़कूरकेबाहरहो मगरमुक़ामअदालतसे पचासमीलसेकमफ़ासिलापरहो या अगररेलगाड़ीउसकीसकूनतसे मुक़ामअदालततकके छठेहिस्सेकेपांचगुना फ़ासिलापरचलतीहो तो मुक़ामअदालतसे दोसौमीलसे कम फ़ासिलापरहो ॥

दफ़ा ६८--सम्मन जारी करने के वक़्त अदालत यह अमर तै करेगी कि सम्मन सिर्फ़ वास्ते क़रार दाद अमूर तन्क़ीहतलबकेहोगा या वास्ते इन्फ़िसाल क़तई मुक़द्दमा के और सम्मनमें उसके मुताबिक़ हिदायत लिखीजायगी॥

मगर शर्त यह है कि हर मुक़द्दमा मस्मूअ अदालत मुतालिबा जात ख़फ़ीफ़ामें सम्मन वास्ते तस्फ़ीया क़तई मुक़द्दमा के जारीकियाजायगा ॥

दफ़ा ६९--मुद्दआअलेहकी हाज़िरीके लिये तारीख़मुक़र्रर करनेके वक़्त अदालत मरातिब मुन्दर्जेज़ैलका ख़याल रक्खेगीयानी क़िल्लत या कसरतकार मरजूआकी और मुद्दआअलेहकी सकूनतका मुक़ाम और मुद्दतजोसम्मन जारी करनेकेलिये ज़रूरहै औरवहतारीख़ऐसी मुक़र्ररकी जायगी कि मुद्दआअलेहको तारीख़ मुक़र्ररहतक हाज़िर होकर मुक़द्दमाकी जवाबदही करनेकी मुहलतकाफ़ीमिले॥

यहबात कि किसक़दरअर्सामुहलतकाफ़ीकहलायेगा हर मुक़द्दमाके हालातख़ासकेलिहाज़से तजवीज़कीजायगी ॥

दफ़ा ७०—सम्मनमें जिसकीरूसे हाज़िरहोने और जवाबदहीकरनेकाहुक्महो मुद्दआअलेहकेनामयहहुक्ममुन्दर्जहोगा किकोई दस्तावेज़ जो उसकेक़ब्ज़ा याअख्तियार मेंहो और जिसमें निस्बतरूयदाद मुक़द्दमा मुद्दईके कुछ शहादतहो या जिसपर मुद्दआअलेहको अपनी जवाबदहीकी ताईदकेलिये इस्तदलालकरना मन्ज़ूरहोपेशकरे ॥

दफ़ा ७१—जब सम्मनवास्ते तैक़तई मुक़द्दमाकेहोउसमें मुद्दआअलेह के नाम यहहिदायत लिखीजायगी कि जो तारीख़ मुद्दआअलेहकी हाज़िरीकेलिये मुक़र्ररहुईहै उस तारीख़को ऐसेगवाहपेशकरे जिनकी शहादतपर अपनी जवाबदहीकी ताईदकेलिये मुद्दआअलेहको इस्तदलाल करना मन्ज़ूरहो ॥

सम्मन की तामील ॥

दफ़ा ७२—सम्मन अदालतके अहलकार मुनासिबको इस ग़रज़से हवालह कियाजायगा कि वह ख़ुद या मारफ़त अपने किसी मातहत के उसकी तामीलकरे ॥

दफ़ा ७३—तामील सम्मनकी इसतरह होगी कि उस की एकपर्त दस्तख़ती जज या दस्तख़ती उसओहदेदार की जिसको जज उस ग़रज़से मुक़र्रर करे और सब्त ब मुहर अदालत हवालह या पेशकी जायगी ॥

दफ़ा ७४—जब एक से ज़ियादह मुद्दआअलेहुम् हों तो लाज़िमहै कि हरएक मुद्दआअलेहपर सम्मन की तामील की जाय ॥

मगरशर्तयहहै कि अगर मुद्दआअलेहुम् बाहमशरी-

कहीं और मुक़द्दमाभी मुआमिलाशरकतसे मुतअल्लिक़
हो क़

जिसकीदादरसीका दावा कोठी शराकतीपरहोसक्ताहो तो
बजुज़ उससूरतके कि अदालत उसकेख़िलाफ़ हिदायत
करे सम्मनकीतामील इसतरहहोसक्तीहैयानी (अलिफ़)

आ पर खु

मुक़े लिये या (बे) किसी शख़्स पर जो शराकती कारो-

२ है

औ अख़्तिया

इब्तिदाई सीग़ैदीवानीकी हुदूद अरज़ीके अन्दरवाक़ैहो ॥

दफ़ा ७५–जब मुमकिनहो सम्मनकी तामील मुद्दआ-
अलेह की ज़ातपर कीजायगी इल्लाउसहालमें कि उस-
का कोई कारिन्दह सम्मनलेनेका मजाज़हो कि उसवक़्त
कारिन्दहको सम्मन देना काफ़ीहोगा ॥

दफ़ा ७६–अगर नालिश किसी कारोबार या कामकी
बाबत ऐसे शख़्सके नामहो जो अदालत जारी कुनिन्दह

य दूद अरज़ीके

कूनत नरखताहोतो तामीलसम्मनकी किसीसरबराहकार
या कारिन्दहपर जो बरवक़्त तामील सम्मन बज़ात ख़ुद
उसकारोबार या कामको उसशख़्सकीतरफ़से हुदूद मज़-
कूरके अन्दर करताहो तामील काफ़ी मुतसव्विरहोगी ॥

इसदफ़ाकी ग़रज़के लिये जहाज़का नाख़ुदा उसके
मालिक या चार्टर यानी केराया करनेवालेका कारिन्दह
समझाजायगा ॥

दफ़ा ७७–उस नालिश में जोकि वास्ते दादरसी के

निस्बत जायदाद् ग़ैर मन्क़ूलाके या मुआविज़ै नुक्सान

कोई

[सा एजंट या मुख़्तार न हो जिसको तामील सम्मन के क़बूल करने का

मुआमलेह के किसी एजंट या कारिंदेपर

दफ़ा ७८—अगर किस

उसकीतरफ़सेमौजूदहो तो जायज़है कि तामीलसम्मन

ग़

अंज़ाक़िस्ममज़कूर पर जो उसकेसाथ रहताहो की जाय॥

ब माने इस दफ़ाके अहलख़ान-

ख़ल नहीं है ॥

दफ़ा ७९—जबसम्मन लेजानेवाला सम्मन की नक़ल मु-दआअलेहको असालतन् या मुदआअलेहकेलिये उसके किसीएजंट या औरशख़्सकोहवाले या उसकेपासहाज़िर करे तो सम्मन लेजानेवालेको ज़रूरहै कि उस शख़्स से

पुश्तपर दस्तख़त कराले ॥

दफ़ा ८०—अगर मुदआअलेह यादूसराशख़्स उसकी तामील के इक़बालपर दस्तख़त न करे ॥

या अगर अहल्कार तामील कुनिंदे कोमुदआअलेह न मिलसके और कोई एजंट उसका न हो

तरफ़ से सम्मनलेनेका मजाज़ हो और कोई दूसराऐसा शख्स भी न हो जिसपर सम्मन की तामील होसके ॥

तो अहल्कार तामीलकुनिन्दा सम्मन की एक नक़ल उस मकान के सदर दरवाज़े पर चस्पां करदेगा जिसमें मुद्दआअलेहअमूमन्रहताहो बादअज़ांअसल सम्मन उसके जारी करनेवाली अदालत को वापिस करदेगा और उसकी पुश्तपर या किसी पर्चे मुन्सलिके पर यह लिखदेगा कि इस तौरपर नक़ल चस्पां की और चस्पां करने के हालातभी उस तहरीर में दर्ज करेगा ॥

दफ़ा ८१—जुमला सूरतों में जब सम्मनकी तामील बमूजिबदफ़ा ७९ के कीजाय अहल्कार तामीलकुनिन्दा को लाज़िमहै कि असल सम्मन की पुश्तपर या किसी पर्चे मुन्सलिके पर यह हाल लिखे या लिखवाये कि सम्मन की तामील किसवक़ और किसतौरपर कीगई ॥

दफ़ा ८२—जब कोई सम्मन बमूजिब दफ़ा ८० के वापिसआये अदालत अहल्कार तामील कुनिन्दासेउस को हल्फ़ देकर हाल कार्रवाईका जो उसने की हो दरियाफ्त करेगी और जायज़ है कि उस बाबमें तहक़ीक़ात मज़ीद जो उसकी दानिश्तमें मुनासिबहो अमलमें लाये और ख्वाह यह क़रार देगी कि सम्मनकी तामील हस्ब ज़ाबिता होगी या जिस तौरपर कि उसकी दानिश्त में मुनासिब हो उसकी तामील करनेका हुक्म देगी ॥

जब अदालत को किसी वजह से यक़ीन होजाय कि मुद्दआअलेह इस ग़रज़से कि सम्मनकी तामील उसपर न होने पाये रूपोश रहता है या किसी और वजहसे

सम्मनकी तामीलमामूलीतौरसेनहींहोसक्तीहै तो अदा-
लत यह हुक्म सादिरकरेगी कि बज़रियेचस्पां करनेएक
पर्त्त सम्मन के अदालतकी किसी नज़रगाह आम पर
और भी मुद्दआअलेह के उस मकान(अगरकोईहो)के
मंज़िरआम पर जिसमें आख़िर मर्त्तबा उसका सकूनत
रखना मालूम हो या किसी और तौरसेजो अदालतको
मुनासिब मालूमहो सम्मनकी तामीलकीजाय ॥

दफ़ा ८३--सम्मनकी तामील उसतरीक़ेपर जो बजाय
तरीक़े मामूली के अदालत के हुक्म से मुस्तैमिल किया
जायउसीतरहपर मवस्सरहोगी गोयासम्मनकी तामील
मुद्दआअलेह पर असालतन् की गई थी ॥

दफ़ा ८४--जब सम्मन की तामील किसी और तरीक़
से बमूजिबहुक्म अदालतके कीजाय तोअदालतमुद्दआ-
अलेह की हाज़िरी के लिये उस्क़दर मीआद मुक़र्रर करे-
गी जो बनज़र हालात उससूरतके मुनासिब मालूमहो ॥

दफ़ा ८५--अगर मुद्दआअलेह सिवाय उस अदालत
के जिसमें नालिश रुजूअ हुई हो किसी और अदालतके
इलाक़े अख़्तियारके अन्दररहताहो और जिसअदालत
में नालिशहुईहो उसके इलाक़े अख़्तियारकी हुदूद
अरज़ीके अन्दर उसका कोई एजंट जो सम्मन लेनेका
अख़्तियार रखताहो सकूनत न रखताहो तो ऐसीअदा-
लतसम्मन मज़कूरको अपनेकिसी अहल्कारकी मारफ़त
ख्वाह डाकपर किसीऐसी अदालतमें जो हाईकोर्ट न हो
लेकिन उस मुक़ाम पर हुकूमत रखतीहो जहांमुद्दआअ-
लेह रहता हो याने जिस तरीक़े से सम्मन की तामील

करानी आसानहो मुरसिलकरेगी और मुद्दआअलेहकी हाज़िरी के लिये उस्क़दर मीआद मुक़र्रर करेगी ॥

जिस अदालत में सम्मन भेजाजाय वहउसकेवसूल होने पर उसी तरह कार्रवाई करेगी गोया खुद उसने कियाथा बादअज़ां उस सम्मनको मयउस मिसल के जो (कुछ) इसफ़िक़रे के मुवाफ़िक़ मुरत्तिबकी गई हो उसी अदालत में वापस करेगी जिसने कि दर असल उसको जारीकिया हो ॥

दफ़ा ८६—जब कोईहुक्मनामा ऐसीअदालतसेसादिर आहो जोबलाद कलकत्ता औरमंदरास औरबंबई और रंगूनकीहुदूदकेबाहरमुक़र्ररहो और उसकीतामीलकिसी ज़िलामें उसके बेजात ख़फ़ीफ़े में मुरसिल कियाजायगा जिसके इलाक़ अख्तियारकेअंदर हुक्मनामेकी तामीलकरानीमंजूरहो॥

और वह अदालत मताल्लिबेजात ख़फ़ीफ़ा उसहुक्मनामेकी निस्बत उसी तरह अमल करेगी कि गोया उसी ने जारीकियाथा ॥

और बादअज़ां हुक्मनामेको उसी अदालतमेंवापस भेजेगी जहां से वह जारीहुआथा ॥

दफ़ा ८७—अगरमुद्दआअलेहजेलखानेमें होतो सम्मन उस जेलख़ानेकेओहदेदार मोहतमिम को दियाजायगा जिसमें मुद्दआअलेह क़ैदहो और ओहदेदारमज़कूरमुद्दआअलेह पर सम्मन की तामील करायेगा ॥

सम्मन मयकैफ़ियत उसकी तामील के जोसम्मनकी

पुश्तपर लिखीजायगी और जिस कैफ़ियत की ज़ैल में दस्तख़त ओहदेदार मोहतमिम जेलख़ाना और मुद्दआ-अलेहके सब्तहोंगे उसअदालतमें वापिस भेजाजायगा जहांसे सम्मन जारी हुआथा ॥

दफ़ा८८—अगर वह जेलख़ाना जिसमें मुद्दआअलेह क़ैदहो उसज़िलेमें न हो जिसमें नालिश दायरहुईहो तो जायज़है कि सम्मन बज़रियेडाकके या और किसीतरीक़ सेजेलख़ानेकेओहदेदारमोहतमिमके पास भेजाजायऔ-र ओहदेदारमज़कूर मुद्दआअलेहमज़कूरपर सम्मनकी तामील करायेगा और वह सम्मन हस्ब मुन्दर्जेदफ़ा८७ मयकैफ़ियत उसकीतामीलके जो उसकी पुश्तपर लिखी जायगी और जिसपर दस्तख़त सब्तहोंगे उसअदालत में वापिस भेजाजायगा जहांसे सम्मन जारीहुआथा ॥

दफ़ा८९—अगर मुद्दआअलेह ब्रटिशइंडियासे बाहर रहताहै और ब्रटिशइंडियामें ऐसा कोईएजंट न रखताहो जो सम्मन लेनेका मजाज़हो तो सम्मन लिफ़ाफ़ेमें बंद होकर मुद्दआअलेह के पास उसपतेसे मुरासिल किया-जायगा जहां वह रहताहो और अगर उसके मकान से उस मुक़ाम तक जहां अदालत वाक़ैहै डाक जारीहो तो सम्मन बज़रिये डाक भेजाजायगा ॥

दफ़ा९०—अगर उसमुल्कमें जहांमुद्दआअलेहसकूनत रखताहै रेज़ीडंट या एजंट सर्कार अंगरेज़काहो तो स-म्मन उसरेज़ीडंट या एजंटके पास बज़रिये डाक के या और नेहजपर मुद्दआअलेहपर तामीलपानेके लिये भे-जाजायगा और अगर रेज़ीडंट या एजंट सम्मनको यह

इबारत उसकीपुश्तपर लिखकर और उसकेज़ैलमें अपने दस्तख़तकरके वापिसकरे कि सम्मनकी तामील मुद्दआअलेहपर मुताबिक़ हिदायत मुंदर्जैबालाकेहोगई तो वह इबारत ज़ाहिरी सम्मनकी तामीलका सुबूत क़तईहोगी ॥

दफ़ा९१—अदालतको अख्तियारहै कि बावजूदकिसी इबारत मुंदर्जै दफ़आत मासबक़ के सम्मन के एवज़ एक चिट्ठी जिसपर जजकेदस्तख़त या किसी और ओहदेदार के दस्तख़त सब्तहों जिसको जज उसकामकेलिये मुक़र्रर करे मुद्दआअलेहके नाम भेजे जबकि उसका रुतबा अदालत की दानिश्तमें उस मराआतके लायक़ हो ॥

उसचिट्ठीमें वह तमाम मरातिब मुन्दर्जहोंगे जिनके सम्मन में दर्ज करनेका हुक्म है और बहिफ्ज़ एहकाम मुन्दर्जै दफ़े ९२ के वह चिट्ठी बहमै वजूह बतौर सम्मन के मुतसव्विर होगी ॥

दफ़ा९२—जब चिट्ठी उस तौर पर बजाय सम्मन के लिखीगई हो तो वह बज़रिये डाक या मारफ़त क़ासिद ख़ास मुन्तख़िबकियेहुये अदालतके या और किसीतरीक़े सेजोअदालतकेनज़दीकमुनासिबहो मुद्दआअलेहकेपास भेजीजायगी—इल्लाजबकिमुद्दआअलेहऐसाकोईएजंट रखताहो जोसम्मनलेनेका मजाज़होकिउससूरतमेंजायज़हैकिवहचिट्ठी उसएजंटको हवालेकीजायया उसकेपास भेजदीजावे ॥ तामील हुक्मनामजात ॥

दफ़ा९३—हर हुक्मनामा जो इसमजमूयेकी रूसे जारीकियाजाय उसकी तामील बसर्फ़े उस फ़रीक़के कीजायगी जिसकी दरख्वास्तपर वह जारीहुआथा इल्ला उस

सूरतमें कि अदालत और नेहजकी हिदायत करे ॥

रसूमअदालत बाबत तामील हुक्मनामा हुक्मनामेके जारी होनेसे पहिले अंदर मीआद मुजव्विज़ह अदालत वसूल करली जायगी ॥

दफ़ा ९४- तमाम इत्तिलाअ नाम जात और एहकाम जो इसमजमूये के मुताबिक़ किसी शख्सको देने या उस पर तामील करने मंजूरहों तहरीरी होंगे और उसीतरह तामील कियेजायँगे जिसतरह हस्बमरकूमैबाला सम्मन की तामील होनीचाहिये ॥

महसूल डाक ॥

दफ़ा९५-जबकिकिसीइत्तिलाअनामेया सम्मनयाचिट्ठी पर जो इसमजमूयेकेबमूजिब जारी होकर बसबील डाक रवाना कीजाय महसूल डाक वाजिबुल्अदाज़ हो तो वह महसूल और रसूम उसकी रजिस्टरीकी रवानगी से पहलेअंदरमीआदमुजव्विज़हअदालत अदाकरनीहोगी मगर शर्त्तयहहै कि लोकलगवर्न्नमेंटको अख्तियारहै कि बाद हुसूल मंजूरी जनाबनव्वाब गवर्न्नरजनरल बहादुर इजलास कौंसल ऐसे महसूल डाक या रुसूमरजिस्टरी या दोनोंको मुन्माफ़करे या कोई शरह रुसूम अदालतकी मुक़र्ररकरे जो उसके बदले लीजायगी ॥

सातवांबाब ॥

ज़िक्र फ़रीक़ैन हाज़िराका और गैर हाज़िरी के नतीजे का ॥

दफ़ा ९६–जो तारीख़ सम्मन में मुदआअलेहकी हाज़िरी और जवाबदिही के लिये मुक़र्ररहोना चाहिये कि

(अलिफ़) अगर यह साबित होजाय कि सम्मन की तामील हस्बज़ाबिता कीगईथी तो अदालतमजाज़होगी कि मुक़द्दमेमें यकतरफ़ा काररवाई करे ॥

(बे) अगर सम्मन का हस्बज़ाबिता तामीलपानासाबित न कियाजाय तो अदालत यह हुक्म देगी कि एक दूसरा सम्मन जारीकियाजाय और मुद्दआअलेहपरउस की तामील कीजाय ॥

(जीम) अगर यह साबितहो कि सम्मनकीतामीलमुद्दआअलेहपरहोगई मगरउसक़दरमुद्दतपेश्तरसेनहींहुई कि वह तारीख़ मुंदरजै सम्मनतक हाज़िरहोकर मुक़द्दमे की जवाबदिही करसकेतो अदालत मुक़द्दमेकी समाअत किसीऔर तारीख़ आयंदापर जो अदालतकीतजवीज़से मुक़र्ररहो। मु९

रीख़आख़िरुज़्ज़िक्रकी इत्तिला मुद्दआअलेहको दीजाय ॥

अगर सम्मनकी तामील मुद्दत काफ़ीके अंदर मुद्दईके नहुईहो तो अदालत उसे हुक्मदेगी कि उस इ-ल्तवासे जो ख़र्चा आयदहुआहो अदाकरे ॥

दफ़ा १०१—अगरअदालतने किसीतारीख़आयंदापर मुक़द्दमेकीसमाअतयकतरफ़ा मुल्तवीरक्खीहो और मुद्दआअलेहतारीख़मज़कूरको या उससेपहले हाज़िरहोकर अपनी ग़ैरहाज़िरी साबिक़ की वजह काफ़ी ज़ाहिर करे तो जायज़है कि मुद्दआअलेह की जवाबदिहीऐसीशरायत परजिनकी अदालत दरबाबअदायख़र्चा या अदम अदायख़र्चाहिदायतकरे मुक़द्दमेमें उसीतरह मसमूअहो कि गोया वह उसी तारीख़ को हाज़िर हुआ था जो

इख्तिदाअन् उसकी हाज़िरी के लिये मुक़र्रर हुई थी ॥

दफ़ा १०२--अगर मुद्दआअलेह ... हाज़िर नहोतोअदालतमुक़द्दमेकोडिसमिसकरेगी इल्ला उससूरतमें कि मद्दआअलेहदावा या जुज्वदावेकोक़ुबूल करे कि उस सूरत में अदालत मुद्दआअलेहके इक़बाल के बमूजिब उसपर डिकरी सादिरकरेगी और जबसिर्फ़ जुज्वदावे का इक़बाल हो उसक़द्र मुक़द्दमा डिसमिस करेगी जो जुज्व ग़ैरइक़बाली से मुतअल्लिक़ हो ॥

दफ़ा १०३--जबदफ़ा १०२ के बमूजिबकोई मुक़द्दमा कुल्लन् या जुज़न्डिसमिस कियाजायतोमुद्दईको अख्तियार नहोगा कि उसी बिनायदावेपरनईनालिशकरेलेकिन उसको अख्तियाररहेगा किहुक्मडिसमिसीकीमन्सूख़ीके लिये दरख्वास्तदे और अगरसाबित होजाय कि मुक़द्दमे की समाअत के लियेपुकारे जानेके वक्त वह किसी वजह काफ़ीके बायस हाज़िरहोनेसे माज़ूरथातो अदालतहुक्म डिसमिसीको उनशरायतपरदरबाबदिलानेया न दिलाने ख़र्चेके जो मुनासिब समझे मन्सूख़करेगी औरमुक़द्दमेमें काररवाई ...

अगर मुद्दईने अपनी दरख्वास्तकी इत्तिला तहरीरी मुद्दआअलेहपर तअमील न कराईहोतो कोई हुक्मइस दफ़ाके बमूजिब सादिर न कियाजायगा ॥

दफ़ा १०४--अगर उस तारीख़पर जो किसी ऐसे मुद्दआअलेह साकिनबेरूं ब्रिटिशइण्डियाकेनामकी नालिश की समाअतके लिये मुक़र्रर हुई हो जिस का कोई ऐसा एजंट न हो जोसम्मन लेनेका अख्तियार रखताहो या

अत मुस्तवी कीगईहो मुद्दआअलेह हाज़िर न हो तो मु-
द्दई मजाज़होगा कि अदालतसे दरख्वास्तकरके अपने
मुक़द्दमेमें पैरवीकरनेकीइजाज़तचाहे और अदालत यह
करसक्ती है कि मुद्दई अपने मुक़द्दमे की पैरवी
करे और ऐसी शरायत का पाबन्द रहे जो

१०५-- ...जिय ... हैं

से एक या चन्द हाज़िर हों और बाक़ी ग़ैरहाज़िर हों तो
अदालत को अख्तियार है कि बमूजिब दरख्वास्त उस
मुद्दई या मुद्दइयान हाज़िरके मुक़द्दमेमें उसी तरह पैरवी
होनेकी इजाज़तदे कि गोया सबमुद्दइयान हाज़िरहुयेथे

दफ़ा १०६--अगरएकसे ज़ियादह मुद्दआअलेहुम् हों
एक या चन्द उनमेंसे हाज़िरहों और बाक़ीहाज़िर
न हों तो मुक़द्दमेमें कारखाई जारीरहेगी और वक़्त
सादिर करने फ़ैसले के अदालत उन मुद्दआअलेहों के
निस्बत जो हाज़िर नहीं ऐसा हुक्म सादिर करेगी जो
मुनासिब मालूमहो ॥

दफ़ा १०७--अगर कोई मुद्दई या मुद्दआअलेह जिस-
को दफ़ा ६६ यादफ़ा४३६ अहकामके बमूजिब असाल-
तन् हाज़िरहोनेका हुक्मदियागयाहो असालतन्हाज़िर
न होने या असालतन् हाज़िर न होने की वजह काफ़ी
हस्बइतमीनानअदालतज़ाहिर न करे तोवहदफ़आतया
सबक़के उन जुमले अहकामका पाबंदरहेगाजो उनमुद्दइ-

यान और मुद्दआअलेहुम्‌से मुतअल्लिक़ हैं जो हाज़िर नहीं
दरबाब मन्सूख़करने डिकरियात यकतरफ़ाके ॥

दफ़ा१०८—हरसूरतमें कि डिकरी यकतरफ़ा मुद्दआ-अलेहपरसादिरकीजाय मुद्दआअलेहमजाज़ है कि जिस अदालतसे डिकरी सादिर हुईहो उसमें इसग़रज़से दरख़्वास्तदे कि डिकरीकी मन्सूख़ीकाहुक्म सादिरहो ॥

और अगरवह अदालतको मुतमय्यनकरदे किसम्मन कीतामील हस्बज़ाबितानहींकीगई याकिवह किसीवजह मवज्जहसे उसरोज़ अदालतमें हाज़िरनहोसकाजब कि मुक़द्दमासमाअतकेलियेपेशाकियागयातो अदालतहुक्म मुतज़म्मिनमन्सूख़ीडिकरीमयशरायतदरबाबख़र्चा औ-या
औरतौरपरजोमुनासिबमालूमहोसादिरकरेगी और मुक़द्दमे में कारखाई होनेकेलियेएकतारीख़ मुक़र्रर करेगी॥

दफ़ा१०९—कोई डिकरी बवजह गुज़रने दरख़्वास्त क़िस्म मज़कूरके मन्सूख़नकीजायेगीइल्ला उससूरतमेंकि दरख़्वास्तके गुज़रने की इत्तिला तहरीरी तरफ़सानीको पहुँचाई गईहो॥

आठवां बाब॥

बयानात तहरीरी और मुजराहोनेका ज़िक्र॥

दफ़ा११०—फ़रीक़ैन मुक़द्दमेको अख्तियार है कि मुक़द्दमेके अव्वलरूबकारकेवक़्त या उससेपहले किसीवक़्त अपनी २ तरफ़के बयानाततहरीरी दाख़िलकरें औरअदालत उनको लेकर शामिल मिसल करेगी॥

दफ़ा१११—अगर किसी मुक़द्दमेमें जो वास्तेपानेज़र नक़दके हो मुद्दआअलेह को यह दावाहो कि उसका

कोईमतालिबा मुअय्यन ज़रनक़दकाजो उसकोक़ानूनन् मुद्दईसे पानाहै मुद्दईके मतालिबेमें मुजरा दिया जाय और अगर ऐसेदावेमें जोमुद्दआअलेहको मुद्दईपर पहुँचताहै दोनों फ़रीक़ को वही हैसियत हासिल हो जो मुद्दईके दावेमें इनकोहासिलहै तो यह बातजायज़होगी कि मुद्दआअलेह मुक़द्दमेके अव्वल रूबकारके वक़्एक बयान तहरीरी जिसमेंउसके मतालिबे मुजरा तलबकी तफ्सील हो दाख़िलकरे लेकिन उसकेबाद किसी और वक़्पर दाख़िल नकरसकेगाइल्ला उससूरतमें कि अदालतसे उसकी इजाज़त मिले ॥

बाद अज़ां अदालत उसदावेकी तहक़ीक़ात करेगी और अगर अदालतको इसअम्रका इतमीनानहोजाय कि मुक़द्दमेकी कैफ़ियत मुताबिक़ उन शरायतके है जो इस दफ़ाकी ऊपरकी इबारतमें मरक़ूम हैं और अगर वह तादाद मुतदाविया जिसका मुजरालेना मंज़ूर हो अदालत के अख़्तियार समाअतसे बाहरनहो तो अदालत एक क़रज़ेको दूसरे क़रज़ेमें मुजरा करादेगी ॥

ऐसा मुजरा दिलाना उसीक़दर मवस्सर होगा कि गोया मुद्दआअलेहकी तरफ़से अरज़ीदावा दायरहुईथी हत्ता कि अदालतको अख़्तियारहोगा कि असल दावा औरउसकेमुक़ाबिलमुद्दआअलेहकेदावेदोनोंकीनिस्बत एकही मुक़द्दमे में फ़ैसलाक़तई सादिरकरे लेकिनतादाद डिक्रीशुदहपर जोहक़ किसीवकीलका बाबत उसख़र्चे के हो जो डिक्रीके बमूजिब उसको पानाहो इसपर वह फ़ैसला मवस्सर न होगा ॥

तमसीलात ॥

(अलिफ़)ज़ैदने दोहज़ार रुपये वास्ते उमरूके छोड़े और बकर को अपना वसी और मौसीलहू बाक़ीमुन्दा का क़रारदिया उमरूफ़ौतहुआ और ख़ालिदनेचिट्ठियात मोहतममी तरका उमरूकीहासिलकीं और बकरने एक हज़ार रुपया बाबतज़मानत ख़ालिदके अदाकिये बादअज़ां ख़ालिदने बकरपर बाबत ज़रवसीयतीके नालिशकी बकर ज़रवसीयतीमेंसे एकहज़ार रुपया बाबत क़रज़े के मुजरा नहीं पासक्ताहै क्योंकि बकर और ख़ालिदकी जो हैसियत निस्बत अदाय मुबलिग़ एकहज़ार रुपयेके है वही निस्बत माल वसीयतीके नहीं है ॥

(बे)ज़ैद बिलावसीयत और उमरूका मक़रूज़ मर गया बकरने चिट्ठियात मोहतममीतरका ज़ैदकीहासिल की और उमरूने जुज्व उस जायदाद का बकरसे ख़रीद किया पस जोनालिश बाबत ज़रसम्मन मिंजानिबबकर बनाम उमरूहो उसमें उमरू उस क़ीमत में से अपना क़रज़ा मुजरानी नहीं पासक्ता है क्योंकि यहां बकर की दो हैसियत मुख़तलिफ़ हैं एक हैसियत बायाहोने की बमुक़ाबिले उमरू के जिसमें कि वह उमरूपर नालिश करताहै और दूसरी हैसियत क़ायममुक़ामी ज़ैदकी है ॥

(जीम) ज़ैदनेउमरूपर बज़रिये बिलआफ़ एक्सचेंज के नालिशकी उमरू बयान करताहै कि ज़ैदने उमरू के माल के बीमा कराने में बेजा ग़फ़लत की और वह ज़िम्मेदार मुआवज़े का है जो मुजरा होना चाहिये जो-कि इस मुआमले में तादाद रक़म मुजराई की मुतहक़्क़

नहीं है इसलिये मुजरा नहीं दिलाई जासक्ती ॥

(दाल) ज़ैदने उमरूपर पांच सौ रुपयेके बिलआफ़ ऐक्सचेंजके ज़रियेसे नालिशकी और उमरूके पासएक डिकरी बनाम ज़ैद बाबत मुबलिग़ एकहज़ार रुपयेके है जोकि यहदोनों दुवावीरक़म मुअय्यन ज़रनक़दकेहैं इस-लिये एकबमुक़ाबिला दूसरेके मुजरादिलाया जासक्काहै॥

(हे) ज़ैदने उमरूपर बाबत हरजा एकमुदाख़िलत-

रुपयेका ज़ैदका लिखाहुआहै और वह यहदावा करता है कि जो रुपया ज़ैदको इसनालिशमें दिलायाजाय उसमें से यह रक़म मुजराकीजाय उमरू ऐसा करसक्काहै इस-वास्ते कि जब ज़ैदको रुपया दिलाया जायेगा तब दोनों रक़में ज़रनक़द की मुअय्यनहो जायेंगी ॥

(वाव) ज़ैद और बकरने मिलकर एकहज़ाररुपयेकी नालिश उमरू पर की उमरू ऐसा क़रज़ा जो तनहा याफ्तनी उसका ज़ैदके ज़िम्मेहै मुजरा नहीं पासक्काहै ॥

(ज़े) ज़ैदने बकर और उमरूपर एकहज़ार रुपयेकी नालिशकी बकर ऐसाक़रज़ा जो तनहा याफ्तनी उसका ज़ैदके ज़िम्मेहै मुजरा नहीं पासक्का है ॥

(हे) ज़ैद बकर और उमरूकीकोठी शराकतीकाबक़-दर एकहज़ार रुपयेके देनदारहै बकर उमरूको छोड़कर फ़ौतहोगया ज़ैदने उस उमरूपर बाबत क़रज़े तादादी पन्द्रह सौ रुपये के जिसका उमरू बज़ातख़ास देनदार था नालिशकी उमरू को अख़्तियारहै कि क़रज़ा एक हज़ार रुपयेका मुजराले ॥

दफ़ा११२-बजुज़ उस सूरतके जो दफ़ा मुलहक़ा बालामें मज़कूरहै कोई बयान तहरीरी मुक़द्दमेके पहले समाअ़त होजाने बाद मंज़ूर कियाजायेगा ॥

मगर शर्त्तयहहैकिअ़दालतजिसवक़्तचाहे किसीफ़रीक़ से बयान तहरीरी या तितिम्मै बयान तहरीरी तलबकरे और उसके दाख़िल होनेकेलिये एकमीआ़द मुक़र्ररकरे॥

नीज़ शर्त्तयहहै कि वास्ते तरदीद किसी बयान तहरीरीके जोअ़दालतसे तलबहोकर दाख़िलहुआहोबयान तहरीरी या तितिम्मै बयान तहरीरी किसीवक़्त अ़दालत की इजाज़त से मक़बूल होसक्ताहै ॥

दफ़ा११३-अगर कोईफ़रीक़ जिससे बयान तहरीरी तलबहुआहोउसमीआ़दकेअंदर बयानतहरीरी दाख़िल न करे जो अ़दालतसे मुक़र्रर हुईहो तो अ़दालत मजाज़ होगी कि उस फ़रीक़पर डिकरी साबितकरे या मुक़द्दमे की निस्बत कोईहुक्मदे जो मुनासिब मालूमहो ॥

दफ़ा११४-बयानात तहरीरी उसक़दर इख़्तिसार के साथ जो बलिहाज़हालात मुक़द्दमै मुमकिनहों लिखेजायेंगे और ब इन्दराज दलायल मुरत्तिब न हुआकरेंगे बल्कि चाहिये कि हत्तुलइम्कान उनमें सिर्फ़बयान उन्हीं वाक़ियाकाहो जिनको वह फ़रीक़ जिसने बयानतहरीरी मुरत्तिब कियाहो या जिसकीतरफ़से मुरत्तिब कियागया हो नफ़्समुक़द्दमा बावरकरे याजिनको वहतसलीमकरता हो यायह समझताहो कि वहउनको साबितकरसकेगा॥

ऐसा हरबयान तहरीरी दफ़आ़त में मुन्क़सिम किया जायगा जिनपर नम्बर मुसलसल सब्तहोगा और हर

दफ़ामें जहांतक मुमकिनहो एकजुदीबात लिखीजायेगी॥

दफ़ा ११५—बयानात तहरीरीपर दस्तख़त और तसदीक़ की इबारत उसी तरह ज़ैलमें लिखीजायगी जिस तरहदफ़आ [illegible] स्तख़तकरने औरतसदीक़ की इबारत लिखनेका हुक्महै और कोई बयानतहरीरी जिसपरहस्बमरक़ूमा सदरदस्तख़त और तसदीक़की इबारत न हो अदालतमें मक़बूल न होगा॥

दफ़ा११६—अगर अदालतके नज़दीक कोई बयान तहरीरी जिसे अदालतने तलब कियाहो याकिसीफ़रीक़ ने अज़ख़ुद दाख़िल कियाहो पुरअज़ हुज्जत बदलायल या तूलोतवील या मुतज़म्मिन किसी अम्र ग़ैरमुतअल्लिक़ मुक़द्दमे का हो तो अदालत मजाज़है कि उसीवक़्त और वहीं उसकी इसलाहकरे या उसकी पुश्तपर हुक्म लिख कर उसको नामंज़ूर करे या यह हुक्मलिखे कि वह दाख़िलकरनेवालेको इसग़रज़से वापिस दियाजाय कि वह मीआदकेमुक़र्ररहअदालतके अन्दरउसकी इसलाहकरे और निस्बत ख़र्चा दिलाने या न दिलानेके ऐसीशरायत लिखे जो अदालतको मुनासिब मालूमहो ॥

जब इसदफ़ाके बमूजिब किसीबयान तहरीरीमेंइसलाहकीजाय तोइसलाहकी तसदीक़केलिये जज उसपर अपने दस्तख़त करेगा ॥

जब इसदफ़ाके बमूजिबबयानतहरीरी नामंज़ूरकिया जाय उसकादाख़िल करनेवाला कोई और बयान तहरीरी दाख़िल नकरसकेगा इल्ला उससूरतमें किअदालतसराहतन् तलबकरे या उसकेदाख़िल होनेकी इजाज़तदे ॥

नवांबाब ॥

फ़रीक़ैनकी ज़बानबन्दीअ़दालतकी मारफ़त ॥

दफ़ा ११७—मुक़द्दमेकी समाअ़त अव्वलवक़्त अ़दालत मुद्दआ़अ़लेह या उसकेवकीलसे दरियाफ़्तकरेगी किवह बयानात वाक़ै मुन्दरजे अ़र्ज़ीदावेकोतसलीमकरताहै या उनसे इन्काररखताहै और हरफ़रीक़ या उसकेवकीलसे निस्बत उनबयानात वाक़ैकेजो फ़रीक़सानीके बयानतहरीरीमें (अगर कोई बयान तहरीरीहो) लिखेगयेहों और जिनको सराहतन् या अज़रूये मफ़हूम लाज़िमी के उस फ़रीक़ने जिसके मुक़ाबिल वह लिखेगयेथे नहीं तसलीम किया या उनसे इन्कार नहींकियाहो इस्तफ़्सार करेगी कि तुम उनको तसलीमकरतेहो या उनसे इन्कार करतेहो औरउसतसलीमयाइन्कारकोअ़दालतक़लम्बन्दकरेगी॥

दफ़ा११८—मुक़द्दमकी समाअ़त अव्वल या किसी समाअ़त माबादकेवक़्तअ़दालतकोअख़्तियारहैकि ज़बानबन्दी किसी फ़रीक़की जो अ़दालत में हाज़िर आये या मौजूदहो या किसीशख़्सकी जोमुक़द्दमे के मरातिबज़रूरी का जवाबदेसके और जिसका फ़रीक़ मज़कूर या उसका वकील अपनेसाथअ़दालतमें लायाहो क़लम्बन्द करले और अ़दालत मजाज़है कि अगरमुनासिबसमझेज़बानबन्दी लिखेजानेके दरमियान को इस्तफ़्सारकरना मंज़ूरहो इस्तफ़्सार करे ॥

दफ़ा ११९—ज़बानबन्दी का ख़ुलासा जजके हाथ लिखाजायेगा और वह शामिल मिसल रहेगा ॥

दफ़ा१२०—अगरवकीलकिसीफ़रीक़का जो वकालतन्

हाज़िरहोकिसीसवालज़रूरी मुतअल्लिकैमुक़द्दमेकेजवाब देनेसे मुन्किर या माज़ूर हो और अदालतके नज़दीक उसफ़रीक़पर जिसका वह क़ायममुक़ामहै उसका जवाब देना वाजिबहोऔर बदानिस्तअदालतके मुमकिनहोकि अगर उससे असालतन् इस्तफ्सारकियाजाय वहजवाब उसका देसकेगा तो अदालत मजाज़होगी किमुक़द्दमेको किसीतारीख़ आयन्दातक मुल्तवी करके हुक्मदे कि वह फ़रीक़ बतारीख़ मज़कूरै असालतन् हाज़िर हो ॥

अगर फ़रीक़ मज़कूर बतारीख़ मुअय्यना बिलाउज़्र जायज़ असालतन् हाज़िर नहो तोअदालतको अख्तियारहोगा कि उसपर डिकरी या ऐसाहुक्मबनिस्बत मुक़द्दमेके जो उसकेनज़दीक मुनासिबहो सादिरकरे ॥

दशवां बाब ॥

बाबत इन्कशाफ़हालऔरमक़बूली और मुआयना और दरपेश और ज़ब्ती और वापिसी दस्तावेज़ातके॥

दफ़ा१२१—हर फ़रीक़को अख्तियार है कि किसी वक़्त बहुसूल इजाज़त अदालतके तहरीरी बंद सवालात का जिनके जवाबात तरफ़सानी से लेने मंज़ूरहों या जब कि तरफ़सानी एकसे ज़ियादहहों और उनमेंसे एकया ज़ियादह से लेनेमंज़ूरहों अदालतकी मारफ़त हवाले करे और सवालातके ज़ैलमें यह सराहतकरदे कि हरशख्स से किस किस सवालका जवाब तलबहै ॥

मगर शर्त्तयहहै कि बिलाइजाज़त अदालतके किसी फ़रीक़को अख्तियार न होगा कि एकही शख्स को एक

ज़ियादह बंद सवालातके हवालेकरे और कोई मुद्दआअ़-लेह वास्तेलियेजाने इज़हार मुद्दईके मजाज़देने बंदसवालातकानहोगाइल्लाउसहालमें किउसमुद्दआअ़लेहनेकोई बयान तहरीरी पहले दाख़िलकरदियाहो और वहबयान लेलियागयाहो और शामिल मिसलकरदियागयाहो ॥

दफ़ा १२२—बंद सवालात जो दफ़ा १२१ के बमूजिब हवाले कियाजाय उसफ़रीक़के वकीलको (अगर कोईहो) जिससे सवालात कियेजायँ दिया जायेगा या उस तरह उसकी तामील कीजायेगी जिसतरहहस्ब अहकाम मुंदर्जे दफ़आत बाला सम्मन की तामील के वास्ते हुक्महै और अहकाम दफ़आत ७९ व ८० व ८१ व ८२ दरसूरत आख़िरुज़्ज़िक्र जहांतक कि मुमकिनहो मुतअ़ल्लिक़होंगे॥

दफ़ा १२३-मुक़द्दमे का ख़र्चा तै करने के वक़्त किसी फ़रीक़ की दरख़्वास्त पर अदालत इस अम्र की तहक़ीक़ात करेगी या तहक़ीक़ात करायेगी कि बंद सवालात जारी करना मुनासिबथा या नहीं और अगर अदालतके नज़दीक बंद सवालात बिलावजह या बराह ईज़ारसानी या तवालत बेजाके साथ हवाले किया गयाहो तो ख़र्चा जो बंद सवालात मज़कूर और उसके जवाब लेनेमें पड़ाहो फ़रीक़ क़ुसूरवार पर आयद कियाजायेगा ॥

दफ़ा १२४--अगर मुक़द्दमे में अहदुल फ़रीक़ैन कोई कारपोरेशनयाने जमाअ़तसनदयाफ़्तह या जायंटइस्टाक कम्पनीयाने शराकती जमाअ़तहो आम इससे कि उसको कारपोरेशन की सनद मिलीहो या नहीं या ऐसी जमाअ़त मुश्तरक हो जिसको क़ानूनन् अपने नाम से या

दफ़ा १२९—मुक़द्दमेके दौरानमें हरवक़्त अ़दालत को अख़्तियार है कि किसी फ़रीक़ मुक़द्दमे को हुक्म दे कि तमाम दस्तावेज़ात जो उसके क़ब्ज़े या अख़्तियारमें हों या रही हों और मुक़द्दमेके किसी अम्र निज़ाईसे मुतअ़ल्लिक़ हों उनको बज़रिये तहरीरी बयान हल्फ़ीके ज़ाहिर करदे और हर फ़रीक़ मुक़द्दमे को क़ब्ल समाअ़त अव्वल हरवक़्त अख़्तियार है कि इसतरह का हुक्म देने के लिये अ़दालतसे दरख़्वास्त करे ॥

हर तहरीरी बयान हल्फ़ी जो इस दफ़ा के बमूजिब किया जाय उसमें यह तसरीह होनी चाहिये कि किस दस्तावेज़ को मिंजुम्लै दस्तावेज़ात मज़कूर मुज़ाहिर पेश करनेमें उज़्र रखता है और ऐसे उज़्र की वजूहात भी उसमें बयान की जायँ ॥

दफ़ा १३०—मुक़द्दमेके दौरानमें हरवक़्त अ़दालत को अख़्तियार है कि किसी फ़रीक़को मिंजुम्लै उन दस्तावेज़ातके जो नालिश या मुक़द्दमेके किसी अम्र निज़ाई से मुतअ़ल्लिक़ उसके क़ब्ज़े [illegible] ाँ जिसक़दर दस्तावेज़ात का पेशकरना अ़दालतकी दानिस्तमें मुनासिब हो उनके पेशकरनेका हुक्म दे और जब वह दस्तावेज़ात पेश होजायँ अ़दालत उनकी निस्बत हस्बमुक़्तज़ाय इन्साफ़ अ़मल करेगी ॥

दफ़ा १३१—हर फ़रीक़ मुक़द्दमे को अख़्तियार है कि मुक़द्दमेकी समाअ़तसे पहले या बरवक़्त समाअ़त किसी वक़्त किसी और फ़रीक़को अ़दालतकी मारफ़त इस मज़मून की इत्तिलाअ़ दे कि वह किसी दस्तावेज़ मख़सूस को वास्ते

मुआयना फ़रीक़ इत्तिलाअदिहन्दा या उसके वकीलके पेश करे और फ़रीक़ मज़कूर या उसके वकील को उस दस्तावेज़ की नक़ल लेनेदे ॥

कोईफ़रीक़ जो ऐसीइत्तिलाअकी तामील नकरे दस्तावेज़मज़कूरको उसमुक़द्दमेमें आयन्दा अपनीतरफ़से बतौर सुबूतके दाख़िल न करसकेगा इल्ला उससूरतमें कि वह अदालतका इतमीनानकरदे कि दस्तावेज़ मज़कूर सिर्फ़ उसीके हक़से मुतअल्लिक़ या किउसको इत्तिलाअ कीतामील न करनेकीकोई और वजहकाफ़ी हासिलथी॥

दफ़ा१३२–जिस फ़रीक़ को ऐसी इत्तिलाअ दीजाय उसको लाज़िमहै कि इत्तिलाअ पानेसे दसरोजके अंदर अदालतकी मारफ़त उसफ़रीक़को जिसने इत्तिलाअदी हो अपनी तरफ़से इसमज़मूनकी इत्तिलाअदे कि फ़लां वक़्पर जो उस इत्तिलाअदेनेकी तारीख़से तीनरोज़ के अंदरहो दस्तावेज़ात मतलूबा या उनमेंसे उसक़दर दस्तावेज़ात जिनके पेश करनेमें उसको उज़्र नहो उस[illegible] वकीलके दफ्तर में या किसी और मुक़ाम मुनासिबपर मुआयनाहोसकेंगी और इत्तिलाअमें यहभी लिखाजायेगा कि किस २ दस्तावेज़ के पेश करनेमें अगर कोई ऐसीहों उसको उज़्रहै और किन वजूहसे उज़्रहै ॥

दफ़ा १३३–अगरकोई फ़रीक़ जिसपर दफ़ा १३१ के बमूजिब इत्तिलाअकी तामीलहो दफ़ा १३२ केबमूजिब इत्तिलाअ इसबातकीकिदस्तावेज़ात किसवक़्त मुआयना होसकेंगी न भेजे या मुआयना करानेसे इन्कार करे या मुआयनेकेलिये कोई मुक़ाम नामुनासिब मुक़र्ररकरे तो

वह फ़रीक़ जिसको मुआयना मंज़ूर है अदालतमें यह दरख्वास्तदेसक्ताहै कि मुआयनेकाहुक्मसादिर कियाजाय॥

दफ़ा १३४—जब दस्तावेज़ात मुआयनातलब उन दस्तावेज़ातमेंसे नहीं जिनकाहवाला अर्ज़ीदावे या बयान तहरीरी या उस फ़रीक़ के बयान हल्फ़ीमें हो जिसपर दरख्वास्तगुज़रीहोयाजो उसकेबयानहल्फ़ी मुतअल्लिक़े दस्तावेज़ातसे ज़ाहिरहोंतो दरख्वास्त मज़कूरकी ताईद में बयान हल्फ़ी बतफ़सील इनमरातिबके दाख़िलकिया जायगा (अलिफ़) किस किस दस्तावेज़का मुआयना मंज़ूर है (बे) यह कि फ़रीक़ दरख्वास्तकुनिन्दामुआयनाकरने कामुस्तहक़ (जीम) यहकि वहदस्तावेज़ात उसफ़रीक़के क़ब्ज़े या अख्तियारमें हैं जिसपर दरख्वास्त गुज़रीहै॥

दफ़ा १३५—अगर वह फ़रीक़ जिससे किसी क़िस्मका अफ़शाहाल या किसीशैका मुआयनाकराना मतलूबहो उसकेया उसके किसीजुज्वके अफ़शा या मुआयना कराने से इन्कारकरे और अदालतकोइतमीनानहो कि इस्तहक़ाक़ ऐसेअफ़शा या मुआयनाकरानेका मुक़द्दमेके किसी अम्रतन्क़ीही या वहसतलबकी तजवीज़पर मुनहसिरहै याकि किसी और वजहसे ऐसेअफ़शा या मुआयना कराने का इस्तहक़ाक़ तैकरनेसे पहले उसअम्रतन्क़ीही या बहस तलबकी तन्क़ीह करनीज़रूरहै तो अदालत यह हुक्मसादिर करसकेगी कि उसअम्र तन्क़ीही या बहस तलबकी तजवीज़ पहलेहोजाय और अफ़शा या मुआयनाकराने का अम्र पीछेसे तै कियाजाय॥

दफ़ा १३६—अगर इसबाबके मुताबिक़ कोईहुक्म किसी

फ़रीक़पर जारीकियाजाय इसमज़मूनसे कि वह किसीबंद सवालातका जवाबदे या अफ्शा या हाज़िर या मुआयना कराये और वहहुक्म हस्बज़ाबिता हवालेहोचुकाहो और बावजूद इस्के वह उस हुक्मकी तामील न करे तो वह मुस्तौजिबहोगा किअगरमुद्दईहो तो उसकीनालिशअदम पैरवीमें डिसमिसकीजाय और अगर मुद्दआअलेहहो तो उसका जवाब अगर गुज़रा हो ख़ारिज कियाजाय और उसकी निस्बत ऐसा अमल कियाजाय कि गोया वह हाज़िर नहींहुआ और उसने जवाबदिही नहीं की ॥

और वहफ़रीक़ जिसने बंदसवालात दाख़िलकियाहो या अफ्शा याहाज़िरयामुआयनाकरानेकी दरख्वास्तदी हो मजाज़होगा कि उस मज़मूनका हुक्म सादिरकरनेके लिये अदालतमें सवालदे और अदालत उस मज़मूनका हुक्म सादिरकरनेकी मजाज़होगी ॥

अगर इसबाबके बमूजिब कोई हुक्म किसी फ़रीक़की ज़ातपर इसमज़मूनसे जारीहोचुकाहो कि वह बंदसवालातका जवाबदे या अफ्शा या हाज़िर या मुआयनाकराये और वहहुक्म मज़कूरकी तामील न करे तो वह उस जुर्मका भी मुर्त्तकिबसमझाजायगा जो मजमूये ताज़ीरात हिंद की दफ़ा १८८ में मज़कूरहै ॥

दफ़ा १३७—अदालत मजाज़है कि अपनीखुशीसे और अगर फ़रीक़ैन में से किसी फ़रीक़की तरफ़से दरख्वास्त गुज़रे तो बशर्त्त मुनासिबसमझनेके किसी और मुक़द्दमे याकाररवाईकी मिस्लकोअपने याकिसी और अदालत के दफ्तरख़ानेसे तलबकरके उसका मुआयनाकरे ॥

बताईद हरदरख्वास्तके जो इसदफ़ाके बमूजिबगुज़रे (अगर अदालत औरतरहका हुक्म न देतो) लाज़िमहै कि दरख्वास्तकुनिन्दा या उसका वकील एक तहरीरीबयान हल्फ़ी बसराहत इस अम्रके दाख़िल करे कि मिस्ल मतलूबा उस मुक़द्दमे में जिसमें दरख्वास्त गुज़रीहै क्योंकर मवस्सरहै और यह कि नक़ल मुसद्दक़ै हस्बज़ाबिते काग़ज़ात मशमूला मिस्ल की या उसजुज्वके जो सायल को दरकारहै बिला तवक़्क़ुफ़ या बिलासर्फ़ नामुनासिबके नहीं मिलसक्ती है या यह कि पेशहोना असल काग़ज़ात का वास्ते अग़राज़ मादिलतके ज़रूरी है॥

इसदफ़ाकी किसी इबारतसे यह न समझाजायगा कि अदालत किसी ऐसे काग़ज़को शहादतमें मुस्तैमिल कर सक्तीहै जो हस्ब क़ानून शहादत मजरियेहिन्द उस मुक़द्दमे में दाख़िल न होसक्ता॥

दफ़ा १३८—फ़रीक़ैन मुक़द्दमा या उनके वुकला को लाज़िमहै कि मुक़द्दमेकी समाअत अव्वलकेवक्त दस्तावेज़ात मुफ़स्सिलैज़ैल अपने साथ लेते आयें और उनको अपने पास रक्खें ताकि बवक्त तलब अदालतके उनको पेशकरसकें याने हरक़िस्मकी दस्तावेज़ात वजह सुबूतजो उनकेक़ब्ज़े या अख्तियारमें लायक़ इस्तदलालकेहों और जो उसकेपेश्तर अदालतमें दाख़िल न होचुकीहों और ऐसी कुल दस्तावेज़ात जिनकीनिस्बत अदालतने समाअत अव्वलसे पहले किसीवक्त पेशकरने का हुक्मदियाहो॥

दफ़ा १३९—कोई दस्तावेज़ी सुबूत जो किसी फ़रीक़के क़ब्ज़े या अख्तियारमेंहो और जिसको मुताबिक़ शरायत

दफ़े १३८ पेशकरना ज़रूरथा मगर जो पेश न हुआ हो मुक़द्दमेकी कारवाई की किसीनौबत आयंदापरशामिल मिस्ल न कियाजायेगा—इल्लाउस सूरतमें कि उसकेपेशन करनेकी वजह मवज्जह हस्ब इतमीनान अदालत ज़ाहिर कीजाय और अगर जज उसको शामिल मिस्लकरलेतो उसकोशामिलमिस्लकरनेकी वजूहलिखनाज़रूरहोगा ॥

दफ़ा १४०—जो दस्तावेज़ात फ़रीक़ैन की तरफ़ से मुक़द्दमेकी अव्वल समाअतके वक़्त पेशकीजायें उनको अदालत लेलेगी मगर शर्त्तयहहै कि दस्तावेज़ात जो हरफ़रीक़ पेशकरे उनके साथ एकसही फ़ेहरिस्त उस नमूनेकी जिसकी अदालत हाईकोर्ट वक़्त बवक़्त हिदायत करती रहे तय्यार करके मुन्सलिक करदे ॥

अदालतमजाज़ है कि मुक़द्दमेकी किसीनौबतपरकि-सी दस्तावेज़को नामंज़ूर करे जो बदानिस्त उसके मुक़-द्दमेसे ग़ैर मुतअल्लिक़हो या और तरहपर लेनेके लायक़ नहो और अदालत उसकी नामंज़ूरीकी वजहलिखेगी ॥

दफ़ा १४१—कोईदस्तावेज़ उसवक़्ततक शामिल मि-स्ल नकी जायगी जबतक कि क़ानून शहादत मजरिये वक़्तके बमूजिब उसकासबूत न दियागयाहो या वहतस-लीमनकीगईहो—और हरदस्तावेज़की ज़ोहरपर जो हस्ब मरक़ूमैबाला साबित या तसलीम हुईहो मुक़द्दमेका नंबर और फ़रीक़ैनके नाम वग़ैरह और दाख़िल करनेवालेका नाम और दाख़िलकरनेकी तारीख़लिखीजायगीबादअ-ज़ांजजअपनेदस्तख़तसेउसकीपुश्तपरलिखदेगाकिजिस

हपेशकीगई उसके ख़िलाफ़साबित

हुई या उसनेउसको तसलीमकिया याने जैसीकिसूरतहो और उसकेबाद वहदस्तावेज़मिस्लमें शामिलकीजायेगी॥

मगर शर्त्त यह है कि अगर दस्तावेज़ मज़कूर किसी वहीखाते या और किताबकी रक़म या इबारतहो तोवह फ़रीक़ जिसकीतरफ़से ऐसी किताब पेशकीजाय मजाज़है कि उसरक़म या इबारतकी नक़लदाख़िलकरे औरजायज़ है कि उसपर नम्बर मुक़द्दमा वग़ैरह मरातिब मुतज़क्किरै बाला लिखेजायें और वहनक़ल मिस्लमें नत्थीकीजायेगी और अदालत रक़म याइबारत मज़कूरपर निशान करके किताब मज़कूर शख़्स दाख़िलकुनिन्देको वापिसदेगी ॥

तमाम दस्तावेज़ात जोबरवक़्तसमाअ़तअव्वल पेश हों और इसतौर से साबित या तसलीम न की गईहों वह फ़रीक़ दाख़िलकुनिन्दे को वापिस दीजायेंगी ॥

दफ़ा १४२—जब दस्तावेज़ साबित शुदह या तसलीम शुदह पर फ़रीक़ैनमें से कोई इस्तदलालकरे लेकिन अदालत उसको क़ाबिल दाख़िल होनेके न समझे तो उसपर अलावह इबारत ज़ोहरी मज़कूरै बालाके लफ्ज़ नामंज़ूर शुदह लिखदिया जायेगा और जजउसतहरीर ज़ोहरीपर अपने दस्तख़त करदेगा ॥

बादअज़ां वह दस्तावेज़ फ़रीक़ दाख़िलकुनिन्दे को वापिस दीजायेगी ॥

दफ़ा १४३— बावजूद किसी हुक्म दफ़आत ६२ व १४१ व १४२ के अदालतको अख़्तियारहै कि अगर वजह काफ़ीदेखे तो हिदायत करे कि कोई दस्तावेज़ या किताब जो उसके रूबरू मुक़द्दमेमें पेशकीगई हो ज़ब्त

होकर अदालतके किसी ओहदेदार की हिरासत में उस मुद्दततक और उन शरायत के साथ रक्खीजाय जो अदालतको मुनासिब मालूमहों ॥

दफ़ा १४४–जिन मुक़द्दमात में अपील क़ानूनन् नहीं होसक्ताहै मुक़द्दमे के फ़ैसलहोनेपर और जिन मुक़द्दमात में अपील क़ानूनन् जायज़है बाद गुज़रने मीआद अपील के या अगर अपील दाख़िल होगयाहो तो बाद तस्फ़िये अपीलके जो शख़्स आम इससे कि वह फ़रीक़ मुक़द्दमाहो या न हो किसी दस्तावेज़को जो उसकीतरफ़से मुक़द्दमेमें दाखिल और शामिल मिस्लहुईहो वापिसलेना चाहता हो उसके वापिस पानेका मुस्तहक़ होगाइल्ला उससूरत में कि वहदस्तावेज़ दफ़ा १४३के बमूजिब ज़ब्तहुईहो॥

मगर शर्त्त यहहै कि दस्तावेज़ सूरत हाय मुतज़क्किरे बालामें से किसीके वाक़ैहोने से पहिलेभी किसीवक्त वापिस होसक्तीहै दरहाले कि वहशख़्स जो उसकी वापिसी की दरख़्वास्तकरे दस्तावेज़ मज़कूरकी एकनक़ल मुसद्दक़ै असलकी जगहपर रक्खेजाने के लिये अदालतके अहल्कार मुनासिबके हवाले करदे ॥

और यहभी शर्त्तहै कि कोई दस्तावेज़ जो डिकरीकी रूसे रद या बेकार होगईहो वापिस न कीजायेगी ॥

जबकोई दस्तावेज़ जो वजहसुबूतमें लीगईहो वापिस कीजाय तो दस्तावेज़का लेनेवाला उसकेवापिसपानेकी रसीद एक रसीदबही में लिखदेगा जो उसग़रज़से मुरत्तिब रहा करैगी ॥

दफ़ा १४५–अहकाम जो इस मजमूयेमें दस्तावेज़ात

की निस्बत दर्जकियेगयेहैं जहांतक होसके तमाम और अशियायमादी सेभी मुतअल्लिक़ होंगे जो बतौर शहादत पेश होसक्ती हैं ॥

ग्यारहवांबाब ॥

क़रार दियाजाना उमूरतन्क़ीह तलब का ॥

दफ़ा १४६–उमूरतन्क़ीह तलब उसवक़ पैदा होते हैं जब कि कोईफ़रीक़ किसी अम्रनफ्स मुक़द्दमा मुतअल्लिक़े वाक़िआत या क़ानूनको बयानकरे और फ़रीक़सानी उससे इन्कारकरे ॥

उमूरनफ्स मुक़द्दमा वह उमूर क़ानूनी या वाक़िआती हैं जो मुद्दईको वास्ते ज़ाहिर करने हक़ नालिशके बयान करने लाज़िम हैं ॥

हरअम्रनफ्स मुक़द्दमा जिसे एक फ़रीक़ बयान करे और दूसरा उससे इन्कारकरे एक अलाहिदा अम्रतन्क़ीहतलब क़रार दियाजायगा ॥

उमूर मज़कूर दो क़िस्मकेहैं (अलिफ़) उमूर तन्क़ीह तलब मुतअल्लिक़ वाक़िआत (बे) उमूरतन्क़ीहतलब मुतअल्लिक़ क़ानून मुक़द्दमेकी अव्वल समाअतपर अदालत को लाज़िमहै कि बाद पढ़ने अरज़ीदावा और बयानात तहरीरीके अगरहों और फ़रीक़ैनकी उसज़बानबंदीकेबाद जो ज़रूरी मालूमहो यह दरियाफ्तकरे कि किस २ अम्र वाक़िआती या क़ानूनीनफ्स मुक़द्दमेकीबाबत फ़रीक़ैनके दरमियाननिज़ाअहै उसकेबाद अदालत उनउमूरतन्क़ीह तलबको जिनपर बदानिस्त अदालत मुक़द्दमेकी सही तजवीज़का मदारहो क़रार देकर क़लम्बन्दकरेगी ॥

जब कि उमूर तन्क़ीहतलब क़ानूनी और वाक़िआती दोनोंएकही मुक़द्दमेमें पैदाहों और अदालतकीरायमें सिर्फ़उमूरक़ानूनीकी बिनायपर मुक़द्दमा तैहोसक्ताहो तोअदालतको लाज़िमहै कि पहले उन्हीं उमूरकी तजवीज़करे और उसग़रज़केलिये अगर मु

जायज़है कि क़रारदेना उमूर वाक़िआतीका उसवक़्तक मुल्तवीरक्खे कि उमूर क़ानूनी तजवीज़ होजायँ॥

इसदफ़ाकी किसीइबारतसे अदालतपर उसहालतमें उमूर तन्क़ीह तलबका क़रारदेना और क़लम्बन्द करना लाज़िमनहींहै जबकि मुक़द्दमेकी समाअत अव्वलकेवक़्त मुद्दआअलैह की तरफ़से कुछ जवाबदिही न हो॥

दफ़ा १४७—

(अलिफ़)उनबयानात हल्फ़ीसेजोफ़रीक़ैनने याकिसी अशख़ासने उनकीतरफ़से हाज़िरहोकर याउनफ़रीक़ या अशख़ासके वुकलाने कियेहों॥

(बे)बयानात मुंदर्जैअर्ज़ीदावा या बयानात तहरीरीसे अगर ऐसे बयानात मुक़द्दमेमें गुज़राने गयेहों याउन सवालातके जवाबातमेंकियेगयेहोंजोमुक़द्दमेमेंदियेजायँ॥

(जीम)उनदस्तावेज़ातके मज़मूनसे जो फ़रीक़ैनमेंसे किसीने पेशकीहों॥

दफ़ा १४८—अगर अदालतकी यहराय हो कि बिला इज़हार किसीशख़्सके जोअदालतमें हाज़िरनहोयाबिला मुआयना किसी दस्तावेज़के जो मुक़द्दमेमें पेश न हुईहो उमूर तन्क़ीहतलब क़रारवाक़ई क़ायमनहींहोसक्के तोउसे

अख्तियारहोगाकि क़ायमकरना उमूर तन्क़ीह तलबका
किसी तारीख़ आयन्दापर जिसे अदालत मुक़र्रर करेगी
मुल्तवीरक्खे और(बरिआयतक़वायद मुंदर्जेक़ानूनशहा
दत मजरियेहिन्द)बज़रिये इजरायसम्मन याओरहुक्म-
नामेके जबरन् किसी शख़्सको हाज़िर कराये या किसी
दस्तावेज़को उसशख़्ससे जिसके पासहो पेशकराये ॥

दफ़ा १४९–अदालतको अख्तियारहै कि डिकरी सा-
दिरकरनेसे पहले किसीवक़ उमूर तन्क़ीहतलबको उन
शरायतसे जो मुनासिब मालूमहों तरमीमकरे या उनमें
औरइसातरहवास्ते
तस्फ़ियें निज़ाअमाबैन फ़रीक़ैनके जोतरमीम याइज़ाफ़ा
उमूर तन्क़ीहतलबका ज़रूरीहो अमलमें आयेगा ॥

अदालतको यहभी अख्तियारहै कि डिकरी सादिर
करनेसे पहले किसीवक़ किसीउमूर तन्क़ीहतलबको जो
बराह ग़लती क़रार दियेगये या बढ़ायेगये मालूमहोतेहों
ख़ारिज करदे ॥

दफ़ा१५०–जब फ़रीक़ैन मुक़द्दमा बाहम इत्तिफ़ाक़
करें कि फ़लांअम्र वाक़िआती या क़ानूनीकातस्फ़ियाफ़ी-
माबैन उनकेहोनाचाहिये तोउनको अख्तियारहै किअम्र
मज़कूरको बतौर अम्रतन्क़ीहतलबके क़लम्बंदकरके एक
इक़रारनामाबइंदराज शरायत मुफ़स्सिलेज़ैलकेलिखदें॥

(अलिफ़)यहकि जबअदालत निस्बतअम्रतन्क़ीह
तलब मज़कूरकेअपनीराय मुतज़म्मिन असबातयानफ़ी
के क़ायमकरे तोउसवक़ मुबलिग़ मुंदर्जे इक़रारनामा या
जिसक़दर कि अदालत मुतहक़्क़िक़ करे या जिस तौरसे

अदालतहिदायतकरे एकफ़रीक़दूसरेफ़रीक़को अदाकरे या कि कोई फ़रीक़ किसी ऐसे हक़का मुस्तहक़ याऐसी ज़िम्मेदारी का पाबन्द क़रारदियाजाय जिसकी सराहत इक़रारनामेमें मुंदर्जहो ॥

(बे) यहकि अदालतकी उसतौरपर रायक़ायमहोनेपर जायदाद जो इक़रारनामेमें मुंदर्ज और मु. मुतनाज़ाफ़ियह हो एकफ़रीक़ दूसरे फ़रीक़के हवालेकरे याजिसतरह दूसराफ़रीक़ हिदायतकरे उसीतरहअमल कियाजाये या—

(जीम)यहकि अदालतकी उसतौरपर रायक़ायम होनेपर फ़रीक़ैनमेंसे एक या ज़ियादहफ़रीक़कोईखासफ़ेल जो अम्रनिज़ाईसेमुतअ- ल्लक़हा अ उ

दफ़ा१५१—अगर बादकरने उसक़दरतहक़ीक़ातके जो मुनासिबमालूमहोअदालतको इसअम्रकाइतमीनानहो॥

(अलिफ़)कि इक़रारनामा मुतख़ासमीन की तरफ़से बाज़ाबिता मुकम्मिलहुआ ॥

(बे)औरउनको अम्रतस्फ़ियेतलब मज़कूरके इन्फ़िसालमें हक़ीक़ी ग़रज़है और—

(जीम)औरअम्रमज़कूरक़ाबिलतजवीज़इन्फ़िसालहै॥

तोउसको अख्तियारहै किअम्र तन्क़ीहीको क़लम्बंदकरके उसकी तजवीज़ करे और अपनी तजवीज़ या रायबनिस्बत उसके उसीतरहसेलिखे कि गोयाअदालत ने खुद उसको अम्रतन्क़ीह तलब क़रारदियाथा ॥

औरअदालत मज़कूर अपनीतजवीज़यारायानिस्बत

अम्र मज़कूरके लिखकर बमूजिब शरायत इक़रारनामे के फ़ैसला सादिर करेगी ॥

और बमूजिब उसफ़ैसलेके डिकरी सादिरहोगी और जायज़ होगा कि डिकरीका इजरा इसीतरह कियाजाय कि गोया फ़ैसला ऐसे मुक़द्दमे में जिसमें निस्बत अम्र तन्क़ीहीके फ़रीक़ैनमें इख़्तिलाफ़हो सादिर हुआथा ॥

बारहवां बाब ॥

ज़िक्र उससूरतका जब मुक़द्दमा समाअत अव्वलपर फ़ैसल कियाजाय ॥

दफ़ा१५२—अगर मुक़द्दमेकी समाअत अव्वलके वक़्त मालूमहो कि फ़रीक़ैनमें बनिस्बत किसीमसयलै क़ानूनी या अम्र वाक़ैके बहस नहींहै तो अदालतको जायज़होगा कि फ़ैसला उसीवक़्त सादिरकरे ॥

दफ़ा१५३—जिसहालमें कि कई मुद्दआअलेहहों और उनमेंसे किसी एकको किसी अम्रक़ानूनी यावाक़िआती में मुद्दईके साथ इख़्तिलाफ़ न हो तो अदालतको अख़्तियारहै कि उसमुद्दआअलेह के हक़में या उसके ख़िलाफ़ मुरादफ़ौरन् फ़ैसला सादिरकरे और मुक़द्दमेकी कार्रवाई सिर्फ़दीगर मुद्दआअलेहुमके मुक़ाबिले में जारीरहेगी ॥

दफ़ा१५४—जबफ़ीमाबैन मुतख़ासमीनके बहस किसी अम्रक़ानूनी या वाक़िआती की हो और उमूर तन्क़ीह तलब हस्ब तरीक़े मुतज़क्किरे बाला अदालत ने मुक़र्रर कियेहों और अदालतको इतमीनान हासिलहो किबनिस्बत किसी उमूर तन्क़ीह तलबके जोमुक़द्दमेके फ़ैसलेके लिये काफ़ीहों कोई और दलील या सुबूत सिवाय उसके

जो फ़रीक़ैन फ़िल्फ़ौर पेश करसक्ते हैं ज़रूर नहींहै और मुक़द्दमेमें फ़ौरन् कारखाई करनेसे कुछ बे इन्साफ़ी पैदा नहोगी तो अदालत को अख़्तियार होगा कि उन उमूर तन्क़ीह तलबकी तजवीज़ शुरूकरे॥

और अगर तजवीज़ उमूर मज़कूरकी वास्ते इन्फ़िसाल मुक़द्दमे के काफ़ीहोतो मुताबिक़ उसके मुक़द्दमेको फ़ैसल करदे आम इससे कि सम्मन सिर्फ़ बग़रज़ क़रार देने उमूर तन्क़ीह तलब या इन्फ़िसाल क़तई मुक़द्दमे के जारी हुआहो॥

मगर शर्त्तयहहै कि जबसम्मनसिर्फ़बग़रज़ क़रारदेने उमूर तन्क़ीह तलबके सादिरहो तो फ़रीक़ैन मुक़द्दमाया उनकेवकील हाज़िरहों और कोईउनमेंसे एतराज़नकरे॥

अगर वहतजवीज़ वास्ते इन्फ़िसाल मुक़द्दमेके काफ़ी नहोतोअदालत मुक़द्दमेकीसमाअतमज़ीद मुल्तवीकरके कोईतारीख़वास्तेपेशकरनेसुबूत मज़ीद याऔर दलायल के जैसा कि मौक़ाहो मुतअय्यन करेगी॥

दफ़ा १५५—अगर सम्मन बग़रज़ इन्फ़िसाल क़तई मुक़द्दमेके जारीहुआहो औरकोईफ़रीक़ बिलावजहकाफ़ी उससुबूतको जिसपरउसको इस्तदलालहो पेशनकरे तो अदालतकोअख़्तियारहै किफ़ौरन् मुक़द्दमेकोफ़ैसलकरे॥

या अगर उसकी दानिस्तमें मुनासिब हो तो हस्ब दफ़ा १४६ तन्क़ीहात क़रारदेने और उनको क़लम्बन्द करनेके बाद मुक़द्दमेको वास्तेपेशहोने उसशहादतके जो बराबिनाय तन्क़ीहात मज़कूर उसको फ़ैसलकरनेके लिये ज़रूरीहो मुल्तवी रक्खे॥

तेरहवां बाब ॥

इल्तवा का ज़िक्र ॥

दफ़ा १५६—अदालतको अख्तियारहै किबहालत पेश होने वजह मवज्जहके असनाय दौरान् मुक़द्दमेमें किसी वक्त फ़रीक़ैन या किसी फ़रीक़ को मोहलतदे और मुक़द्दमेकी समाअतको वक़्तन् फ़वक़्तन् मुल्तवी करतीरहे ॥

[illegible] और रोज़ वास्ते समाअत आयंदा मुक़द्दमे के मुक़र्ररकरेगी और निस्बत खर्चेके जो इल्तवाके बायससे आयंदाहो हुक्ममुनासिब समझे सादिर करेगी ॥

मगर शर्त्तयहहै किजबशहादतकी समाअत एकमर्त्तबा शुरूहोजाय चाहिये किसमाअत मुक़द्दमा रोज़बरोज़ बराबर जारीरहे जबतक कि कुल गवाहान हाज़िरीनके इज़हारात क़लम्बन्दनहोलेंबजुज़उससूरतकेकिअदालत की दानिस्तमें समाअतको मुल्तवी करना बवजहज़रूरी हो और उन वजहको जज अपने हाथसे लिखेगा ॥

दफ़ा१५७—अगर उसतारीखपर जो बाद इल्तवाके समाअतके लिये मुक़र्ररहुई हो फ़रीक़ैन या उनमेंसे कोई हाज़िरहोनेसे क़ासिररहे तो अदालतको अख्तियारहोगा कि मुक़द्दमे को उन तरीक़ों में से किसी एकके बमूजिब फ़ैसलकरेजो अज़रूय बाबके मुक़र्ररहुयेहैं या ऐसा और हुक्मसादिरकरे जो उसकेनज़दीक मुनासिबहो ॥

दफ़ा१५८—अगर फ़रीक़ मुक़द्दमा जिसको मोहलत मिलीहो अपना वजहा सुबूत पेशकरे याअपने गवाहोंको हाज़िर न कराये या और कोईअम्र जो वास्ते जारीरहने

कारखाई मुक़द्दमेके ज़रूरी नहो और जिसके लिये मोह-
हो [illegible] फ़ उसअदम
[illegible]
॥

चौदहवां बाब ॥

गवाहोंकी तलबी और हाज़िरी का ज़िक्र ॥

दफ़ा १५९—अहाली मुक़द्दमे को अख़्तियार है कि बादअज़ांकि सम्मन मुद्दआअलेह पर तामील पानेकी ग़रज़ से हवाले कियाजाय आमइससे कि वह सिर्फ़ तन्क़ीहात के क़रारदेनेके लियेहो या वास्ते इन्फ़िसाल क़तई मुक़द्दमे के अदालतमें या उस ओहदेदार के रूबरू जो इस कामकेलिये मुक़र्ररहो दरख़्वास्त देकर उस तारीख़ से पहले जो वास्ते क़रारदाद तन्क़ीह या इन्फ़िसाल क़तईके मुक़र्ररहुईहो याने जैसीसूरतहो सम्मन उनलोगों के नाम हासिल करलें जिनकी हाज़िरी अदाय शहादत या दस्तावेज़ पेशकरने के लिये ज़रूरी हो ॥

दफ़ा१६०—जो शख़्स इजराय सम्मनकी दरख़्वास्त करे उसको लाज़िमहै कि सम्मनके दियेजाने से पहले और इस मीआदके अंदर जो अदालतने मुक़र्ररकीहो
त [illegible]
सम्मन भेजाजाय जिसक़दर रुपयाउस अदालतके आमदरफ्त के लिये जिसमें तलबी उसकी कीगई और भी बाबत एकरोज़ हाज़िरी अदालतके काफ़ी समझे अदालतमें दाख़िलकरे ॥

अगर वह अदालत महकमैहाईकोर्ट के मातहत हो तोशरह इख़राजात मज़कूरके मुक़र्ररकरनेमेंउनक़वायद

की पाबन्दहोगी जो हाकिम ज़ीअख़्तियार की तजवीज़ से इस बाबमें मुक़र्ररहों अगर कुछहों ॥

दफ़ा१६१—मुबलिग़ जो बाबत ख़र्चे मज़कूरके अदालतमें जमाकियाजाय बरवक़ तालीमहोने सम्मनकेउस शख़्सके रूबरू हाज़िर कियाजायगा जिसकेनामकावह सम्मनहोअगरउसकीतामीलउसकीज़ातपरमुमकिनहो॥

दफ़ा१६२—अगर अदालतको या उस ओहदेदार को जो इस कामके लिये अदालत से मुक़र्ररहुआहो यहदरियाफ्तहोकिजोमुबलिग़ अदालतमें दाख़िलाकियागया वह इख़राजात मज़कूरके अदाके लिये काफ़ीनहीं है तो अदालत यह हिदायत करसक्तीहै कि बज़ादमुबलिग़मज़कूरके जिसक़दर रुपया शख़्समौसूमा सम्मनको देना बाबत इख़राजात मज़कूरके ज़रूरी मालूमहो दियाजाय और अगर ज़रमज़कूर अदा नकियाजाय तो अदालत यह हुक्म देसक्तीहै कि ज़र मज़ीद मतलूबा उसशख़्स की जायदाद मन्क़ूलाकी क़ुर्कीऔरनीलामसेवसूलकिया जाय जिसने सम्मन हासिल कियाहो याअदालतशख़्स तलबशुदहको बग़ैरलेने उसके इज़हारकेरुख़सतकरे या ज़रमज़कूरके वसूलकरने और उसशख़्सकोरुख़्सतकरने याने दोनोंबातोंकाजैसाकिऊपरबयानकियागयाहुक्मदे॥

अगर शख़्स तलबशुदहको एकरोज़सेज़ियादहअर्से तक ठहराना ज़रूरीहोतो अदालतमजाज़होगी किवक़न् फ़वक़न् वास्तेअदख़ालउसक़दररुपयेके जोवास्तेअदाय इख़राजात उसके क़ायममज़ीद के काफ़ीहो तलबकराने वालेको हुक्मदे और अगरज़रमज़कूर दाख़िल न किया

जाय तो यह हुक्मसादिरकरे कि ज़रमज़कूरउसशख़्सके मालमन्क़ूलाकी क़ुर्क़ी और नीलामसे वसूल कियाजाय जिसकीदर्ख्वास्तपरवहशख़्सतलबहुआथा याअदालत वग़ैरहलेने इज़हारकेउसशख़्सकोरुख़सतकरे या ज़रमज़कूरके वसूलकरने और उसशख़्सको रुख़सत करने याने दोनों बातोंका जैसाकि ऊपर बयान कियागया हुक्मदे ॥

दफ़ा १६३–हर सम्मन में जो बहुक्म हाज़िर होने शख़्स तलबशुदहके वास्ते अदाय शहादत या पेश करने दस्तावेज़के हो शराहत उसवक़्त और मौक़ेकीहोगीजिस वक़्त और जहां उसको हाज़िरहोना ज़रूरहै और उसमें यहभी लिखाजायेगा कि हाज़िरी बग़रज़ अदायशहादत या दरपेशीदस्तावेज़ या दोनों अम्रकेलियेमतलूबहैऔर अगर शख़्स तलबशुदहको किसीदस्तावेज़ ख़ासकेपेश करनेकाहुक्महुआहो तो कैफ़ियत उसदस्तावेज़कीसेहत मुनासिबके साथ सम्मनमें लिखीजायेगी ॥

दफ़ा १६४–हरशख़्सदस्तावेज़के पेश करने के लिये बिदून इसके कि वास्ते देने इज़हार के तलबहो तलब होसक्ताहै और अगर कोईशख़्स जो सिर्फ़वास्ते दरपेशी दस्तावेज़केतलबहुआहो दस्तावेज़पेशकरनेकेलिये असालतन् हाज़िर नहोबल्कि किसी औरशख़्ससे दस्तावेज़को पेशकराये तो उसकी निस्बत यह समझाजायेगा कि उसने हुक्म सम्मनकी तामीलकी ॥

दफ़ा १६५–अदालतकोअख्तियारहै कि किसीशख़्स हाज़िर अदालतको हुक्म दे कि वह अदाय शहादतकरे

या ऐसी कोई दस्तावेज़ पेशकरे जो उस वक्कवहीं उसके क़ब्ज़ेवाक़ई या अख्तियारमें हो ॥

दफ़ा १६६–जो सम्मन किसी शख्सके नामइसहुक्म से जारीकियाजाय कि वह शहादतदे या दस्तावेज़ पेश करे उसकी तामील हत्तुल्इम्कान क़रीब २ इसी तौरसे की जायेगी जिसतरह इस मजमूये की दफ़आतबालामें मुद्दआअलेहपर सम्मनके तामील करनेका हुक्महै और वह क़वायद जो इस मजमूयेकेछठेंवबाबमें दरबाबसुबूत तामीलसम्मनके मुन्दर्जहैं हरसम्मनसेमुतअल्लिक़होंगे जिसकी इसदफ़ाके बमूजिब तामील कीजाय ॥

दफ़ा १६७–हरएक सूरतमें सम्मन की तामील इतने अरसे पहले उस वक्कके जो शख्स मतलूबकी हाज़िरीके लिये सम्मन में मुन्दर्जहो कीजायेगी कि उसको बग़रज़ तहय्ये और तैमनाज़िलके उस मुक़ामतक जहां उसका हाज़िरहोना ज़रूर है मोहलत क़ाफ़ी मिले ॥

दफ़ा १६८–अगरअहलकार तामीलकुनिन्दासम्मन अदालतके रूबरू तसदीक़करेकि उससम्मनकीतामील नहीं होसक्तीहै जो वास्ते तलबी किसी शख्सके बग़रज़ अदाय शहादत यादरपेशीकिसीदस्तावेज़केहै तोअदा-लत इज़हारहल्फ़ी तामील कुनिन्दा सम्मनका दरबाब अदम तामील सम्मनके लेगी ॥

और अगरअदालतको इतमीनानहो कि ऐसीशहा-दतका अदा या दस्तावेज़का पेशहोना ज़रूरीहै और वह शख्स जिसके अहज़ार के लिये सम्मन जारीहुआहै इस मुरादसे फ़रार या रूपोश होगयाहै किसम्मनकीतामील

उसपर नहो तो अदालत मजाज़होगी कि इश्तिहार इस हुक्मकेसाथ मुश्तहर कराये कि वह उसवक़्त और मौक़े पर जो इश्तिहारमें मुन्दर्जहो हाज़िर होकर अदाय शहादतकरे या दस्तावेज़पेशकरे और एकपर्त उस इश्तिहार की उस मकानके दरवाज़े बेरूनीपर आवेज़ां कीजायेगी जिसमें शख़्स मज़कूर मामूलन् रहताहो ॥

अगर वहशख़्स वक़्त और मौक़ेमुन्दरजैइश्तिहारपर हाज़िर नहो तो अदालत मजाज़होगी किअगरमुनासिब समझे बरतबक़ गुज़रने दर्ख़्वास्त उस फ़रीक़के जिसने सम्मन जारीकरायाहो यहहुक्मदे कि जायदादउसशख़्स की जिसकी हाज़िरीकीज़रूरतहै उसमिक़दारतक जो अदालतमुनासिबसमझेऔर जो कुर्क़ीकेकुलख़र्चे औरउस जुर्माने की तादादसे ज़ियादह न हो जो दफ़ा १७० के बमूजिब उसपर आयद होसक्ताहै कुर्क़ कीजाय ॥

मगर शर्त्तयहहै कि कोईअदालत मतालिबै ख़फ़ीफ़ै जायदाद ग़ैरमन्क़ूला की कुर्क़ीका हुक्म न देसकेगी ॥

दफ़ा १६९—अगर शख़्स मतलूब उसकीजायदादकी कुर्क़ीके वक़्त हाज़िर होकर अदालतको इसबातसेमुतमय्यन करदे कि वह सम्मनकी तामीलसे गुरेज़ करनेके लिये फ़रार या रूपोश नहींहुआथा और उसकोइस्क़दर मुद्दत पेश्तरसे इश्तिहार की इत्तिला नहीं हुईथी कि वह वक़्त और मौक़े मुन्दरजै इश्तिहारपरहाज़िर होसक्तातो अदालत यहहुक्मदेगी कि जायदाद कुर्क़ीसेवागुज़ाश्त कीजाय और कुर्क़ीके इख़राजातकी निस्बत जो हुक्म मुनासिब समझे सादिर करेगी ॥

दफ़ा १७०—अगर शख़्स मतलूब हाज़िर नहो या हाज़िरआये मगर अदालतकी इसबातसे मुतमय्यननकरे कि वह सम्मनकी तामीलसे बचनेकेलियेफ़रार या रूपोश नहींहुआथा और उसक़दर मुद्दत पेश्तरसे इश्तिहार की इत्तिलाअ नहींपाईथी किवक़ औरमौक़ामुन्दर्जेइश्तिहार पर हाज़िर होसक्ता तो अदालत मजाज़होगी कि उसपर उसकी हैसियतके मुताबिक और जुमलेहालात मुक़द्दमे पर लिहाज़करके अपनीरायसेकिसीक़द्र जुर्माना आयदकरे जो पांचसौ रुपयेसे ज़ियादह न हो और यह हुक्मदे कि जायदाद मक़रूक़ा या जुज्व उसका वास्ते अदाय जुमले इख़राजात मुतअल्लिक़ेक़ुर्क़ी और ज़रजुरमानामुतज़क्किरै बालाके नीलामकियाजाय ॥

मगर शर्त्त यहहै कि अगर वहशख़्स जिसकीहाज़िरी मतलूबहै ख़र्चा और जुरमाना मज़कूरैबालाअदालतमें अदाकरदे तो अदालत जायदादकी निस्बत क़ुर्क़ीसेवा गुज़ाश्त होनेका हुक्म सादिर करेगी ॥

दफ़ा १७१—बपाबन्दीक़वायदइसमजमयेकेजो अदालत में हाज़िररहनेऔर हाज़िरहोनेके बाबमेंहै और एहकाम मुन्दर्जेक़ानूनशहादत मजरियेहिन्दमुसद्दिरैसन् १८७२ ई० के अगर अदालतकोकिसीवक़्तऐसेशख़्सकाइज़हार लेनाज़रूरी मालूमहो जोफ़रीक़ मुक़द्दमा नहो और जिस को किसीफ़रीक़ने बतौर गवाहके नामज़द न किया हो तो अदालत मजाज़होगी कि ख़ुदअपनी मर्ज़ीसेशख़्स मज़कूरकेनाम सम्मन इसहुक्मके साथ जारीकराये कि वह तारीख़ मुक़र्ररहपर बतौर गवाहके अदाय शहादत

करे या कोई दस्तावेज़मक़बूज़ाअपनीपेशकरे औरअदा-
लत मजाज़होगी कि उसका इज़हार बतौर गवाहकेले
या उससे दस्तावेज़ मतलूबा पेश कराये ॥

दफ़ा १७२—बपाबंदी मुतज़क्किरै दफ़ा मुलहक़ाबाला
के जिस शख़्सके नाम सम्मन किसीमुक़द्दमेमें हाज़िरहो
कर शहादतदेनेकेलिये जारीहुआहो उसकोलाज़िमहै कि
उस वक़्त और मौक़ेपर हाज़िरहो जो सम्मनमें इसग़रज़
से मुक़र्ररहुआहो और जिसशख़्सकेनाम सम्मन दस्ता-
वेज़ पेशकरनेके लिये जारीहो उसको लाज़िम है किउस
वक़्त और मौक़ेपर ख़ुद हाज़िरहोकर दस्तावेज़ पेशकरे
या दूसरेसे पेशकराये ॥

दफ़ा १७३—कोईशख़्सजो सम्मनके हुक्मके बमूजिब
हाज़िरहो अदालतसे जाने न पायेगा इल्ला उससूरतमें
औरउसवक़्ततकांकि(अलिफ़)उसकाइज़हारहोगयाहोया
उसनेदस्तावेज़पेशकरदीहो औरअदालतबरख़ास्तहोग
ई होया(बे)उसनेअदालतसे चलेजानेकीइजाज़तलीहो॥

दफ़ा १७४—अगर कोईशख़्स जिसपरसम्मन बहुक्म
अदाय शहादत या दरपेशी दस्तावेज़ के जारीहुआहो
सम्मनकीतामीलनकरेयाअगरकोईशख़्ससम्मनकेहुक्म
के बमूजिब हाज़िरहोकर ख़िलाफ़ एहकाम दफ़ा १७३
के अदालतसे चलाजाय तो अदालत उसकी निस्बत
यह हुक्म देसक्ती है कि वह गिरफ्तार होकर अदालत
के रूबरू हाज़िर कियाजाय ॥

मगर शर्त्तयहहै कि अगर अदालत को इस बातके
बावर करनेकीवजहहो कि वह शख़्स जिसने सम्मनको

तामील नकी उसकी अदमतामीलकी कोईवजहजायज़ रखताहैतोऐसाहुक्मजोऊपर मज़कूरहै न दियाजायेगा॥

जब कोईशख्स अदालतके रूबरू इसतौरपर हाज़िर कियाजाय अगरवह अदालतको इसबातसेमुतमय्यन न करसके कि सम्मन की तामीलनकरने की उसकोकोई वजह जायज़ हासिल थी तो अदालत मजाज़ होगी कि उसपर किसी तादादतक जुर्माना करे जो पांचसौरुपये से ज़ियादह न हो॥

तशरीह-अदा या हाज़िर न करना मुबलिगकाफ़ीका वास्ते ज़ादराह वग़ैरह इख़राज़ातमुतज़क्किरै दफ़ा १६० के हस्ब मुराद इसदफ़ाके अदम तामीलकी वजहजायज़ समझा जायेगा॥

अगर कोई शख्स जो उस तौरसे गिरफ्तार होकर अदालत के रूबरू हाज़िरकियाजायफ़रीकैन मुक़द्दमाय उनमेंसे किसीकी ग़ैरहाज़िरीकेसबब से वहशहादतअदा न करसके या वह दस्तावेज़पेश न करसके जिसकेअदा या पेश करनेके लिये उसकी तलबी हुईथीतो अदालत मजाज़होगी कि उससे हाज़िर ज़ामिनी माक़ूल या और ज़मानत उसवक़्त और मौक़ेपर हाज़िर होनेके लिये जो मुनासिब मुतसव्विरहो तलबकरे और बाददाखिलहोने ऐसी हाज़िर ज़ामिनी या ज़मानतके उसको रिहा करे॥

दफ़ा १७५-अगरकोईशख्सजिसनेसम्मनकीतामील नकीहो फ़रार या रूपोश होजाय इसतौरसे किउसको गिरफ्तारकरकेअदालतमेंहाज़िरकरनागैरमुमकिनहोतोएहकामदफ़आत१६८और १६९और १७०के यहतब्दील

अल्फ़ाज़ तब्दीलतलबउससे मुतअ़ल्लिक़ कियेजायेंगे॥

दफ़ा १७६—किसी शख़्सपर अदालतमें अदायशहादतकेलियेयाइज़्हारदेनेकेवास्तेअसालतन् हाज़िरहोना वाजिबनहींहै इल्ला उससूरतमें कि उसकी सकूनत—

(अलिफ़)अदालतके अख़्तियारसमाअ़तइब्तिदाई मामूलीकी हुदूद अर्ज़ीके अन्दरहो या—

(बे)हुदूद अर्ज़ी मज़्कूरके बाहरहो मगर ऐसी जगह परहो जो मुक़ाम अदालतसे पचासमील से कमफ़ासले परहो या अगर दरमियान मुक़ामसकूनत शख़्समज़्कूर और मुक़ाम अदालतके रेलकीसड़क कुलफ़ासलेकेछठवें हिस्से के पांचगूनेपरहो तो जो मुक़ाम अदालत से दोसौ मीलसे कम फ़ासलेपरहो॥

दफ़ा १७७—अगर कोईफ़रीक़ मुक़द्दमा जो अदालत में हाज़िर हो अदालतसे हुक्म होने पर शहादत देने या किसीऐसी दस्तावेज़के पेशकरनेसे जोउसवक़्त और वहीं उसकेक़ब्ज़ावाक़ई या अख़्तियारमेंहो बिलावजहजायज़ इन्कारकरे तो अदालत मजाज़होगी कि अगर मुनासिब समझे उसपर डिकरी सादिर करे या मुक़द्दमेकी निस्बत ऐसा हुक्मदे जो अदालतको मुक़्तज़ाय इंसाफ़ मालूमहो॥

दफ़ा १७८—जब किसी फ़रीक़ मुक़द्दमे को हुक्म दिया जाय कि वहशहादत अदा या दस्तावेज़ पेशकरे तोक़वायद मुन्दर्जै मजमूये हाज़ा जो गवाहोंसे मुतअ़ल्लिक़ हैं जहांतक मुतअ़ल्लिक़ होसकें फ़रीक़मज़्कूरसेभी मुतअ़ल्लिक़ समझे जायेंगे॥

पन्द्रहवांबाब

बाबत समाअ़त मुक़द्दमेऔरलेनेइज़्हारात गवाहोंके ॥

दफ़ा १७९—मुक़द्दमेकी समाअ़तकेलिये जोरोज़ मुक़र्रर हुआहो उसरोज़ या जिस रोज़तक मुक़द्दमेकी समाअ़त मुल्तवी कीगईहो उसरोज़ वह फ़रीक़ जो शुरूकरने का इस्तेहक़ाक़ रखताहै अपने मुक़द्दमेकीहालत बयानकरनी शुरूअ़ करेगा और बताईद उनउमूर तन्क़ीहीके जिनका साबितकरनाउसकेज़िम्मेहै अपनीवजहसुबूतपेशकरेगा ॥

तशरीह—शुरूअ़ करनेका इस्तेहक़ाक़मुद्दईकोहैइल्ला उससूरतमें कि मुद्दआअ़लेह मुद्दई के बयान कियेहुये वाक़आतको तसलीमकरकेयहइसरार करताहो कि अज़-रूयक़ानून या बर बिनाय उनवाक़आत मज़ीदकेजोखुद मुद्दआअ़लेह बयानकरे मुद्दई उसदादरसी के किसीजुज़्व का मुस्तहक़ नहींहै जिसका वहदावा करताहै ऐसी सूरत में शुरूअ़करनेका इस्तेहक़ाक़ मुद्दआअ़लेहकोपहुँचेगा ॥

दफ़ा १८०—तब फ़रीक़सानी अपने मुक़द्दमेकी हालत बयान करके जो कुछसुबूत रखताहो पेशकरेगा ॥

जिसफ़रीक़ ने शुरूअ़ कियाहो बादज़ां वह जवाब देनेका मुस्तहक़होगा ॥

जब चन्द उमूर तन्क़ीहतलब हों और उनमें से बाज़ उमूरका बार सुबूत फ़रीक़सानीपर हो तो शुरूअ़ करने वाले फ़रीक़ को अख़्तियार है कि अगर चाहे उनउमूर का सुबूत उसीवक़्त दाख़िलकरे या पीछे से बतौर जवाब सुबूत गुज़रानीदा फ़रीक़सानी के पेशकरे और पिछली सूरतमें शुरूअ़ करनेवाला फ़रीक़ मजाज़होगा कि जब

फ़रीक़सानी अपना कुल सुबूत दाख़िलकरचुके अपनी तरफ़से उन बाज़ उमूरकी बाबत सुबूतदे और उसवक़्त फ़रीक़सानी को अख़्तियार होगा कि शुरूअ करनेवाले फ़रीक़ने जो शहादत इसतौरपर पेशकीहो ख़ासउसीका जवाबदे लेकिन उसवक़्तशुरूअ करनेवालाफ़रीक़तमाम मुक़द्दमेकी निस्बतएकजवाब आमदेनेकामुस्तहक़होगा॥

दफ़ा १८१--इज़हारात गवाहान हाज़िरीन्‌कीज़बानी कचहरी आममें जज के रूबरू और ज़ेरहिदायत और एहतमाम जाती जजके लिये जायेंगे॥

दफ़ा १८२--जिन मुक़द्दमात में अपील क़ानूनन्‌जायज़ हो इज़हार हरगवाहका अदालतकी ज़बानमें जज के हाथसे या जजके रूबरू और ज़ेरएहतमाम और हिदायत जाती जजके लिखाजायगा और बिलअमम बतौर सवाल व जवाब के नहींबल्किबतौर एकबयानसिलसिले बंदके होगा और जब इज़हार तमामहोजाय तो वहरूबरू जज और गवाहके औरभी रूबरू फ़रीक़ैनयाउनके वकलाके पढ़ाजायगा और अगरज़रूरत इसलाहकीहो तो जजउसकी इसलाह करके उसपर दस्तख़तकरेगा॥

दफ़ा १८३--अगरइज़हार हस्बदफ़ा १८२उसज़बानमें जिसमेंगवाहबयानकरे तहरीरनहो बल्कि दूसरीज़बानमें लिखाजायजिसकोगवाहनसमझताहो तोवहइज़हार जो क़लम्बंद कियाजाय गवाहको उसज़बानमें तर्जुमाहोकर समझादियाजायेगाजिसज़बानमेंउसनेइज़हारदियाहो॥

दफ़ा १८४--जिनमुक़द्दमातमें इज़हार गवाहका जज के हाथसे न लिखाजाय जजको लाज़िमहै कि हरगवाह

जो इज़हारदे उसकाखुलासाबतौर याददाश्तके लिखता जाय और लाज़िमहै कि जज ऐसीयाददाश्तअपनेहाथ से लिखे और उसपर दस्तख़तकरे और वह मिसल में शामिल कीजायेगी ॥

दफ़ा१८५—जहां कि ज़बान अंगरेज़ी अदालतकीज़बान नहींहै लेकिन तमाम फ़रीक़मुक़द्दमाजोअसालतन् हाज़िरहों और वकला उनके जो वकालतन् हाज़िर हों उस शहादतका जो अँगरेज़ीमें अदाकीजाय अंगरेज़ीमें लिखनेपर एतराज़ न करें तो जज उसको अपने हाथसे अँगरेज़ीमें लिखलेगा ॥

दफ़ा१८६—अदालतको अख्तियार है किख़ुद अपनी खुशीसे या किसी फ़रीक़ या उसके वकीलकी दरख्वास्त पर किसीख़ास सवाल और उसके जवाबको या किसी एतराज़का जो किसीसवालपरकियाजायक़लम्बंदकरेया कराये बशर्तेकि इस बातकी कोई वजह ख़ासपाईजाय॥

दफ़ा१८७—अगर किसीसवालपर जो किसी गवाहसे कियाजाय किसी फ़रीक़ या उसके वकीलको एतराज़हो और अदालत उससवालकापूछना जायज़रक्खे तोजज को लाज़िमहै कि सवाल और उसका जवाब और एतराज़ और एतराज़ करनेवालेकानाम और उसकी बाबत अपनी तजवीज़ क़लम्बंद करे ॥

दफ़ा१८८—अदालत को अख्तियार है कि निस्बत वजह किसी गवाहके जो इज़हार देनेकेवक़्तपाईजाय जो कुछ लिखना ज़रूर समझे लिखे ॥

दफ़ा१८९—जिन मुक़द्दमात में कि अपील जायज़ न

होयहबात ज़रूरनहोगी कि इज़हारात गवाहोंकेलफ्ज़ बलफ्ज़ लिखेजायँ बल्कि जजको लाज़िम होगा कि हर गवाहके बयान का खुलासाबतौर याद्दाश्त जैसा वह बोलताजाय अपनेहाथसे लिखकर उसपर अपने दस्तखतकरे और वहयाद्दाश्त मिसलमें शामिलकीजायगी॥

दफ़ा १९०—अगर जज उसयाद्दाश्तकेलिखने से जो इसबाबके रूहकाम मुन्दर्जैबालाके बमूजिब लिखनीचाहिये माजूरहो तो वह अपनी माज़ूरीकीवजह क़लम्बंद करायेगा और कचहरी आममेंयाद्दाश्त अपनी ज़बान से लिखवादेगा॥

ऐसी हर याद्दाश्त मिसलमें शामिलरहेगी॥

दफ़ा १९१—अगरकोईजज जिसनेइसबाबकेबमूजिब कोईइज़हार अपने हाथसे लिखाहो या कोई याद्दाश्त लिखवाई हो मुक़द्दमेके खतम होनेसे पहिले फ़ौतकरेया अदालतसे अलाहिदा कियाजाय तो उसहाकिमकोजो उसकीजगह मुक़र्ररहो अख्तियार है कि अगर मुनासिबसमझे उसइज़हारयायाद्दाश्तकी निस्बत उसीतरह अमल करेकिगोयाखुदउसीनेउसको लिखाथायालिखवायाथा॥

दफ़ा १९२—अगर कोई गवाह अन्क़रीब अदालतके इलाक़ेअख्तियार से बाहरजानेवालाहो या और किसी वजह मवज्जहसे अदालत का इतमीनान कियाजायकि उसका फ़ौरन् इज़हारलेना ज़रूरहै तो अदालत को अख्तियारहै कि किसीफ़रीक़ या खुदगवाह की दरख्वास्त पर बाद रुजूहोने मुक़द्दमेके किसीवक़्त गवाह मज़कूरका इज़हार उसीतरहले जिसतरह ऊपरहुक्महोचुकाहै॥

अगर ऐसे गवाहका इज़हार फ़ौरन्रूबरू फ़रीक़ैन के न लियाजाय तो उसकाइज़हार लेनेकेलियेजोतारीख़ मुक़र्ररहो उसकीऐसीइत्तिलाअजोअदालतकाफ़ीसमझे फ़रीक़ैन को दीजायेगी ॥

इज़हार जो इसतौरसे लियाजाये गवाह को पढ़कर सुनादियाजायेगा और अगर वहउसकीसेहतको क़बूल करेतोउसपरउसकेदस्तख़तकियेजायेंगेऔर वहइज़हार मुक़द्दमेकी किसीसमाअतकेवक़्पढ़ेजानेके लायक़होगा॥

दफ़ा १६३—अदालतको अख़्तियारहै कि मुक़द्दमेकी किसी नौबतपर किसी गवाहकोजिसका इज़हार हो चुकाहो और जो दफ़ा १७३ के बमूजिबअदालतसे नचलागयाहो अपने हुज़ूर फिर तलबकरे औरब रिआयत एहकाममुंदर्जें क़ानूनशहादत मजरियेहिन्द मुसद्दरैसन् १८७२ई० के उससे ऐसे सवालातकरे जो अदालतको मुनासिब मालूमहों ॥

सोलहवां बाब ॥

तहरीरी बयान हल्फ़ी ॥

दफ़ा १६४—हर अदालत मराफ़ेऊला और हर अदालत अपील हरवक़्त मजाज़है कि अगरवजह काफ़ीपाई जायतोहुक्मदे कि उनशरायतपरजोबदानिस्तअदालत माकूलहोंकोईख़ासअम्रयाउमूरवाक़िआतीतहरीरीबयानहल्फ़ीकीरूसे साबितकियेजायँया किसीगवाहका तहरीरी बयानहल्फ़ी मुक़द्दमेकी समाअतकेवक़्त पढ़ाजाय॥

मगर शर्त्त यहहैकि अगरअदालत को दरियाफ़्तहो किकोई फ़रीक़ बराह नेकनिय्यती किसी गवाहको इस

गरज़से इज़हार के लिये हाज़िर कराया चाहता है कि उससे जिरहके सवालात कियेजायँ और उस गवाहका हाज़िर करना मुमकिन हो तो हुक्म इस मज़मून का न दियाजायगा कि ऐसे गवाह का इज़हार बज़रिये तहरीरी बयान हल्फ़ीके लियाजाय ॥

दफ़ा १९५–जायज़है कि किसीदरख्वास्तपर शहादत बज़रिये तहरीरी बयान हल्फ़ी के लीजाय लेकिन अदालत मजाज़है

पर तहरीरकुनिन्दा बयान हल्फ़ी को जिरहके सवालात के लिये हाज़िर होनेका हुक्मदे ॥

ऐसीहाज़िरी अदालतमें होनीचाहिये इल्लाउसहाल में कि तहरीरकुनिन्दा बयान हल्फ़ी इस मजमूयेकीरूसे अदालतमें असालतन् हाज़िरहोनेसे मुआफ़हो या अदालत और तरहकी हिदायतकरे ॥

दफ़ा १९६–तहरीरीबयानात हल्फ़ीमें सिर्फ़वहीवाक़ियात ज़ाहिर कियेजायँगे जिनको तहरीरकुनिन्दा अपने इल्मख़ास से साबित करसक्ताहो बजुज़ उससूरतके कि दरख्वास्तहाय दरमियानीकी निस्बतहोकि उसवक़्नामुर्दाके बयानात जिनपर वह यक़ीन रखताहो मक़बूलहो सक्ते हैं बशर्त्ते कि यक़ीनकीवजूहमाक़ूल ज़ाहिरकीजायँ॥

ख़र्चा हरतहरीरी बयानहल्फ़ीका जिसमें बिलाज़रूरत मरातिबसई या दलायल दाख़िलहुयेहों या जिसमें दस्तावेज़ातकी नक़ल या इन्तिख़ाबमुन्दर्जहो उसफ़रीक़ के ज़िम्मे आयदहोगा जो उसकोपेशकरे (इल्ला उससूरतमें कि अदालत और तरहका हुक्मदे)

दफ़ा१९७–हर तहरीरी बयान हल्फ़ीकी सूरतमें जो इस मजमूये के बमूजिबहो ॥

(अलिफ़) हरएक अदालत या मजिस्ट्रेट या–

(बे) वह ओहदेदार जोइसकामके लिये हाईकोर्ट की तजवीज़से मुक़र्ररहो या–

(जीम) वह ओहदेदार जो किसी और अदालतसे मुक़र्ररहुआहो जिसअदालतको लोकलगवर्न्नमेण्टने इस ग़रज़से अख्तियारआम या खास दियाहो ॥

मजाज़है कि हलफ़तहरीरकुनिन्दाबयानहल्फ़ीकादे॥

सत्रहवां बाब ॥

दरबाब फ़ैसले और डिक्री के ॥

दफ़ा१९८–अदालत को लाज़िमहै कि बादअजां कि शहादत हस्बज़ाबितै लीगईहो और फ़रीक़ैनके सवाल व जवाब असालतन् या बज़रियेवकला या एजंटानमक़-बूलै के समाअत होचुकेहों फ़ैसला उसी वक़्त या किसी तारीख़ आयंदापर जिसकीइत्तिला हस्बज़ाबितै फ़रीक़ैन या उनके वकलाको दीजायेगी कचहरी आममें सुनादे॥

दफ़ा१९९–जायज़है कि जजऐसे फ़ैसला जो जजसा-बिक़ने जिसका वह क़ायम मुक़ाम है लिखाहो मगर सु-नाया न हो पढ़सुनाये ॥

दफ़ा२००–फ़ैसला अदालतकी ज़बानमें या अंगरेज़ी में या जजकी असली ज़बानमें लिखाजायगा ॥

दफ़ा२०१–जब फ़ैसला सिवाय ज़बान अदालत के किसी दूसरी ज़बानमें लिखाजाय तोअगर फ़रीक़ैनमेंसे कोई फ़रीक़ दरख्वास्त करे उसका तर्जुमा अदालतकी

ज़बानमें कियाजायगा और तर्जुमेपर भी जज के दस्त-
ख़त ख्वाह् उसओहदेदारके दस्तख़त सब्तहोंगे जिसको
जज उस कामके लिये मुक़र्ररकरे ॥

दफ़ा२०२--जब फ़ैसला सुनायाजाय उसी वक़्त जज
कचहरीआममें उसपरअपनेदस्तख़त औरतारीख़लिखे-
गा और फ़ैसलेमें कुछबदला याबढ़ाया न जायेगा इल्ला
बग़रज़ सेहत किसी ग़ल्ती लफ्ज़ीके या बग़रज़ रफ़ाकरने
किसी हुक्म इत्तिफ़ाक़ी ग़ैरमक़्सर किसी जुज्व नफ्सुल्-
अमरी मुक़द्दमेके या बरवक़्त तजवीज़ सानीके ॥

दफ़ा२०३--अदालत मतालिबै ख़फ़ीफ़े के फ़ैसले में
सिवाय उमूर तस्फ़िये तलब और तजवीज़ बाबत उमूर
मज़कूरके कुछ और लिखना ज़रूर नहीं है ॥

बाक़ी जुमलै अदालतोंके फ़ैसलेमें बयान मुख्तसिर
मुक़द्दमे का और उमूर तस्फ़ियातलब और तजवीज़ हर
अम्रमज़कूरकी और तजवीज़की वजूहलिखनी ज़रूरहैं ॥

दफ़ा२०४--जिनमुक़द्दमातमें उमूरतन्क़ीहतलब क़-
रारदियेगयेहों अदालत अपनीतजवीज़ या तस्फ़ियाहर
तन्क़ीह जुदागानाकी निस्बत मयवजूहलिखेगी इल्लाउ-
सहालतमें कि मिन्जुमला उमूरतन्क़ीहतलबके एकयाच-
न्दउमूरकी तजवीज़वास्तेइंफ़िसाल मुक़द्दमेके काफ़ीहो ॥

दफ़ा२०५--डिकरीपरतारीख़ फ़ैसलासुनानेकी लिखी
जायेगी औरजबजजकोइतमीनानहोजायकिडिकरीमुता-
बिक़फ़ैसलेकेलिखीगईहैतोवहडिकरीपरदस्तख़तकरेगा॥

दफ़ा२०६--चाहिये कि डिकरीमुताबिक़ फ़ैसलेके हो
डिकरीमें नंबर मुक़द्दमा और फ़रीक़ैनकेनाम औरउनका

पता और दावेकी तफ़सील जैसा अदालतके रजिस्टर में मुंदर्जहो और बयानसाफ़ उसदादरसीका जो कीगई हो या और इन्फ़िसाल मुक़द्दमेका लिखाजायेगा ॥

नीज़डिकरीमें तसरीहमिक़दार खर्चेकी जो मुक़द्दमेमें पड़ाहो और यहकि किसक़दरखर्चा किसहिसाबसेकिस २ फ़रीक़के ज़िम्मेहोगा लिखाजायेगा ॥

अगर डिकरी फ़ैसलेकेमुताबिक़ न पाईजाय या डिकरीमें कोईग़लती किताबत या हिसाब की पाई जाय तो अदालत को लाज़िमहै कि ख़ुद अपनी रायसे याकिसी फ़रीक़की दरख्वास्तपरडिकरीकोइसतरहपर तरमीमकरे कि वह फ़ैसलेके मुताबिक़ होजाय या ग़ल्तीकी तरमीम करे मगर शर्त्तयहहै कि इत्तिला इरादह तरमीमकीबतौर माक़ूल फ़रीक़ैन या उनके वकलाको दीजायगी ॥

दफ़ा २०७--जबशैमुतदाविया जायदाद ग़ैरमन्क़ूला हो और जायदाद मज़कूर की हुदूद या उसकी अराज़ी के नम्बर किसीकाग़ज़ बन्दोबस्त या नक्शेपैमायशमेंमुंदर्जहों तो डिकरी में वह हुदूद या नम्बरहाय अराज़ी तफ्सीलवार लिखेजायेंगे ॥

दफ़ा २०८--अगरमुक़द्दमाबाबतमालमन्क़ूलाकेहोऔर डिकरीवास्तेदिलाने उसमालकेहो तोउसमें तादाद उस रुपयेकीभी जोदरसूरत अदम इमकानदिलानेमालमज़कूरकेबिलएवज़उसकेवाजिबुलअदाहोगालिखीजायेगी॥

दफ़ा २०९--अगर मुक़द्दमावास्ते दिलापाने किसीज़र नक़द याफ्तनी मुद्दईके हो तो अदालत मजाज़होगी कि डिकरीमें हुक्मसूद का बाबत उसज़र असलके जिसकी

डिकरीहो उसशरहसे जोकि अदालत मुनासिब तसव्वुर करे तारीख़ नालिशसे तारीख़डिकरीतक अलावह उससूदके जिसकाकि ज़रअसल मज़कूरपर तारीख़रुजू नालिशतक बाबत किसी मुद्दत माक़ब्लइइरजाअ नालिशके इन्फ़िसाल कियाजाय मयसूद मज़ीद उसज़र मजमूईके जिसका उसनेहजपर इन्फ़िसालहोउसशरहसे किअदालतमुनासिब तसव्वरकरे मिनइब्तिदाय तारीख़डिकरी लग़ायत योम अदा या लग़ायत ... ...ख़ माक़ब्लके जोकि अदालत मुनासिब समझे सादिरकरे ॥

दफ़ा २१०–जुमलै डिकरियात ज़रनक़्दमें अदालत को अख़्तियार है कि दरसूरत होने वजह मवज्जहके हुक्मदे कि ज़र मज़कूर बसबील क़िस्तबंदी मयसूद या बिलासूद अदाकिया जाय ॥

और बाद सादिरहोने ऐसी डिकरीके अगर मदयून डिकरी दरख़्वास्तकरे और डिकरीदार राज़ीहोतो अदालत यह हुक्मसादिर करसक्ती है कि बरिआयतशरायत अदाय सूद या कुर्क़ी जायदाद मुद्दआअलेह यालेनेज़मानतके मुद्दआअलेहसेया और तौरकेजो अदालतमुनासिबसमझे तादादडिकरीशुदह बइक़सातअदाकीजाय॥

सिवाय उससूरतके जो इस दफ़ा और दफ़ा २०६ में मुन्दर्जहै कोई डिकरी फ़रीक़ैनकी दरख़्वास्तपर तब्दील न कीजायेगी ॥

दफ़ा २११–जब मुक़द्दमा वास्ते हसूल क़ब्ज़ा ऊपर जायदाद ग़ैरमन्क़ूलाकेहो जिससेज़रलगान या किराया या और मुनाफ़ा हासिल होताहो तो अदालत मजाज़

है कि अपनेडिकरीमें यहहुक्मसादिरकरे कि जायदादम-
ज़कूरकाज़रलगान या किराया या वासिलाततारीख़रुजू
नालिशसे उस तारीख़ तक कि उसके फ़रीक़को जिसके
हक़में डिकरी कीगई क़ब्ज़ा न मिले या जबतक कि ता-
रीख़ डिकरीसे तीनवर्ष न गुज़रजायँ (जौनसाअम्र पह-
उस शरहके जो

तशरीह—लफ़्ज़ वासिलात जायदाद से वह मुनाफ़ा
है जो जायदादके क़ाबिज़ नाजायज़ने फ़िलहक़ी-
क़त जायदादसे वसूल कियाहो या मामूली कोशिशसे
उससे वसूल करसक्ताथा मयसूद ऊपर उस मुनाफ़ेके॥

दफ़ा २१२—जब मुक़द्दमा वास्ते दिलापाने क़ब्ज़ेऊपर
जायदाद गैरमन्कूला और उसकी वासिलात के हो जो
मुक़द्दमे के रुजूहोनेसे पेश्तर बाबत किसी मुद्दतकेवाजि-
बुल्वसूलहोगईहो और निस्वततादाद वासिलातके फ़-
रीक़ैन में तकरारहो तो अदालत मजाज़ होगी कि खुद
डिकरीमें वासिलात की तादाद तैकरदे या डिकरीकीरूसे
जायदाददिलादे और निस्बत तादाद वासिलातके तह-
क़ीक़ात होनेका हुक्मदे और बरवक़्त हुक्मआयंदा के
तादाद मज़कूरका इन्फ़िसाल करे॥

दफ़ा २१३—जब नालिश इसलियेहो कि जायदादका
हिसाब लियाजाय और उसका इन्तिज़ाम क़रार वाक़ई
अदालतकी डिकरी के बमूजिब कियाजाय तो अदालत
को लाज़िमहै किडिकरीसादिर करनेसे पहले वास्तेलिये
जानेहिसाब और होने तहक़ीक़ातके हुक्मदे और उसके

अलावह ऐसी और हिदायत करे जो मुनासिब मालूम हो॥

जब किसी ऐसे शख्सकी जायदादका इन्तिज़ाम अदालतकी मारफ़त हो जो इस मजमूयेके नफ़ाज़के बाद फ़ौतकरे तो अगर वहजायदाद इसक़दर गुंजायश न रखती हो कि उसके तमाम दयूनवाजिब और ज़िम्मेदारियां उससे बेबाक़ होजायँ तो निस्बत इस्तहक़ाक़ दायनान किफ़ालतदार और गैर किफ़ालतदार के और निस्बत उनदयून और ज़िम्मेदारियोंके जो क़ाबिल सुबूत केहों और निस्बत तअय्युन मालियत ज़रहाय सालाना

दा

दमद्दनज़र रहेंगे जो निस्बत तरकैहाय अशख़ास इंसालोयें-टयानेदीवालिया क़रारयाफ्ताके उसवक्त नफ़ाज़ पिज़ीर हों॥

वसूलकरनेके मुस्तहक़ होते मजाज़ होंगे कि जायदाद के इन्तिज़ामकी डिकरी के बमूजिब दावीदार हों और जायदादपर ऐसादावाकरें जो इस मजमूयेकी रूसे उनको इस्तिहक़ाक़न् पहुँचताहो ॥

जो दर्ख्वास्तें बमूजिब दफ़ै २६५ क़ानून मुआहदे मुतआल्लक़ा ई० के गुज़रें इस दफ़ा की मुरादके बमूजिब मुक़द्दमात समझी

दफ़ा २१४—जब मुक़द्दमा हक़शफ़ैका किसी ख़ास जायदादकी बाबतहो और अदा

सादरकरे ं कि ज़रसम्मन अदालतमें न दाखिल करादिया गयाहो डिकरी में तसरीह इस की लिखीजायगी जिसमें या जिससे प

जाय और अदालत यह क़रार देगी कि बरवक़् दाख़िल होने उसज़र सम्मनके मयख़र्चा जो (अगरकुछ) डिकरी में मुद्दईपर आयद कियागयाहो मुद्दई क़ब्ज़ा उस जाय-दाद का हासिलकरे लेकिन जिसहाल में कि वहरुपया और ख़र्चा इसतौरपर न दाख़िल कियाजाय नालिश मयख़र्चा डिसमिस होजायेगी ॥

दफ़ा २१५—जब मुक़द्दमा वास्ते शिकस्त करने किसी शराकतकेहो अदालत मजाज़है कि डिकरीकरनेसे पहले हुक्मके ज़रियेसे ऐसीतारीख़ मुक़र्ररकरे जिस तारीख़को शराकत फ़िस्ख़ समझीजायेगी और वास्ते लेने ऐसे हि-साब और अमलमेंआने ऐसेफ़ेलोंके जो मुनासिब मालूम हों हिदायतकरे ॥

दफ़ा २१५—(अलिफ़) जब मुक़द्दमा वास्ते समझा पाने हिसाब दाद व सितद नक़दी माबैन मालिक और एजंट केहो और बाक़ीकुल मुक़द्दमातमें जिनकी बाबत दफ़आत बालामें कुछ अहकाम सादर नहींहुयेहैं जब वास्ते दरियाफ़्त इसअम्रके कि किस फ़रीक़को किस क़दर मुबलिग़लेना या देनाहै यह अम्र ज़रूरहो कि हि-साब दाख़िल करायाजाय तो अदालतको लाज़िमहै कि अपनी डिकरी लिखनेसे पहले हुक्म दरबाबलेने हिसाब केजिसतौरसे मुनासिब समझे सादिरकरे ॥

दफ़ा २१६—अगर मुद्दआअलेहने कोई मतालिबा अ-पना मुद्दईके दावेमें मुजराहोनेके लिये पेशकियाहो और अदालतने उसका मुजराहोना मंज़ूर कियाहो तो डिकरी में यह लिखाजायगा कि किसक़दर तादादयाफ़्तनी मुद्दई

है और किस्क़दर याफ़्तनी मुद्दआअलेह पस डिकरी की रूसे वह तादाद दिलाई जायगी जो एक फ़रीक़को दूसरे फ़रीक़से याफ्तनी मालूमहो ॥

अदालतकीडिकरी निस्बतकिसीमुबाल्लिग़के जोमुद्दआ-अलेहको दिलायाजाय वही तासीर रक्खेगी और निस्बत अपीलहोने या न होनेके उन्हींक़वायदकी रिआयत उसमें वाजिबहोगी कि गोया दावा मुबालिग़मज़कूरका मुद्दआअ-लेहनेबज़रिये नालिशअलाहिदा बनाममुद्दईकेकियाथा॥

दफ़ा २१७-फ़ैसला और डिकरी की नकूल मुसद्दिक़े फ़रीक़ैन को अदालतमें दरख्वास्त करनेपर और उन्हीं के सर्फ़से दीजायँगी॥

अठारहवां बाब ॥

बाबतखर्चा

दफ़ा २१८-अदालतको अख्तियारहै कि किसीदर-ख्वास्तकी निस्बत हुक्मदेने के वक्त जोइस मजमूये के अहकामके बमूजिबगुज़रे दरख्वास्तकाखर्चा किसीफ़री-क़को दिलाये याखर्चेकीतजवीज़ मुक़द्दमेकी किसीकारर-वाई आयन्दातक मुल्तवीरक्खे ॥

दफ़ा २१९-फ़ैसलेमें यह हुक्म दाख़िलहोना चाहिये कि हरफ़रीक़ का खर्चा किसको अदाकरना चाहियेयाने यहकि वह अपनाखर्चा आप अदाकरेगा या किसीऔर फ़रीक़ मुक़द्दमे से पायेगा और अपना कुलखर्चापायेगा या कोई जुज्व उसका या किस हिसाब रसदीसे ॥

दफ़ा २२०-अदालत कोकुल्ली अख्तियार हासिलहै कि हरदरख्वास्त और मुक़द्दमे में जिसतरह मुनासिब

समझे खर्चा आयद या तक़सीम करे और यह अम्र कि अ-
दालत मुक़द्दमेके तजवीज़ करनेकी मजाज़ न थी खर्चेकी
निस्बत उस अख़्तियारके अमलमें आनेका मानै न होगा ॥

पर शर्त्त यह है कि अगर अदालत यहहुक्मदे कि
किसी दरख्वास्त और मुक़द्दमेका ख़र्चा मुताबिक़ नतीजे
के आयद न कियाजाय तो अदालत को ऐसे हुक्म देने
की वजह लिखनी पड़ेगी ॥

जायज़है कि हरहुक्म मुतअ़ल्लिक़े ख़र्चा जो इस मं-
जमूयेके मुताबिक़ सादिरहो और डिकरी का कोई जुज्व
न हो उसीतरह जारी कियाजाय कि गोया वह बमंज़िले
डिकरी ज़र नक़दके था ॥

दफ़ा २२१—अदालत यहहुक्मदेसक्तीहै कि वहख़र्चाजो
एकफ़रीक़को दूसरे फ़रीक़से पानाहो उसरुपयेसे मुजरा
कियाजाय जिसकायाफ्तनीहोना फ़रीक़ मुस्तहक़खर्चेसे
दूसरे फ़रीक़को तसलीम या मुक़द्दमेमें तजवीजहुआहै॥

दफ़ा २२२—अदालतको अख़्तियारहै कि ख़र्चेपर सूद
किसी हिसाबसे दिलाये जो सालाना ६) रुपयेफ़ीसदीसे
ज़ियादह नहो और यहभी हिदायतकरे कि ख़र्चा मयेसूद
या बिलासूद शैमुतनाज़ाफ़ियामें से दियाजाय या उस
शैपर आयद कियाजाय ॥

उन्नीसवां बाब ॥

इजराय डिकरी काज़िक्र ॥

(अलिफ़) अदालत जिसके ज़रिये से डिकरी जारी
होसक्तीहै ॥

दफ़ा २२३—जायज़है कि डिकरीमुताबिक़ उनअहकाम

के जो ज़ैलमेंलिखेहैं उस अदालतसे जारीकीजाय जिसने डिकरी सादिरकीहो या उस अदालत से जिसमें डिकरी इजराके लिये भेजीजाय ॥

जायज़ है कि अदालत जिसने डिकरी सादिरकीहो डिकरीदार की दरख़्वास्त गुज़रने पर डिकरी को दूसरी अदालतमें जारीहोनेके लिये भेजदे ॥

(अलिफ़) अगर वहशख़्स जिसकेनाम डिकरी सादिर हुईहोउसदूसरीअदालतकेइलाक़ेकीहुदूदअरज़ीकेअंदर फ़िल्वाक़ैऔर बिलइरादैसकूनतरखतायाकोईकारोबार या मुनाफ़ेके लिये बज़ातख़ास कोई पेशा करताहो या—

(बे) अगर उस शख़्सकेपास उसअदालतके इलाक़े की हुदूद अरज़ी के अंदर जिसने डिकरी सादिरकीहो इस क़दर जायदाद न हो जो वास्ते वसूल करनेज़रडिकरीके काफ़ीहो बल्कि उस दूसरी अदालत के इलाक़े की हुदूद अरज़ीके अंदर जायदाद रखताहो या—

(जीम) अगर डिकरीमें हुक्मनीलाम ऐसी जायदाद ग़ैरमन्क़ूलैका हो जो अदालत सादिर कुनिन्दै डिकरीके अख़्तियार हुकूमतकी हुदूद अर्ज़ीसे बाहर वाक़ैहो या

(दाल) अगर अदालत जिसने डिकरी सादिरकीहो किसी और वजहसे जो उसे लिखनीचाहिये यहमुनासिबसमझे कि डिकरीउसदूसरी अदालतसेजारीकीजाय ॥

अदालत सादिर कुनिन्दा डिकरीको अख़्तियार है कि अपनी मरज़ीसे डिकरीको वास्तेइजराय के अपनी किसी अदालत मातहतमें भेजदे ॥

अदालत जिसमें डिकरी उसदफ़ाकीरूसे इजरायके

लिये भेजीजाय उसके इजरा पाजाने का हाल अदालत सादिरकुनिन्दा डिकरीको लिखभेजेगी या अगरअदालत अव्वलुल्ज़िक्र उसका इजरा न करसके तो उसके न जारी होसकनेके हालात लिखकर मुरसिल करेगी ॥

अगर डिकरी किसी ऐसे मुक़द्दमेमें सादिरहुईहो जो लायक़ समाअत अदालत मुतालिबे ख़फ़ीफ़ाकेहो और अदालत जिसने सादिरकीहो यहचाहे कि उसकीतामील कलकत्ता या मंदरास या बंबई या रंगूनमेंहो तो अदालत मज़कूरको अख़्तियारहोगा कि नकूल और सारटीफ़िकट मुतज़क्किरे ज़िम्नहाय (अलिफ़) और (बे) और (जीम) दफ़ा २२४ कोकलकत्ता यामंदरास या बम्बई या रंगून (जैसी कि सूरतहो) की अदालतमतालिबे जातख़फ़ीफ़ा केपासभेजदे और वह अदालत मतालिबे जातख़फ़ीफ़ा उसीतरह डिकरी की तामील करेगी कि गोया उसीने डिकरी सादिरकी थी ॥

अगर वह अदालत जिसमें डिकरी वास्ते इजरायके भेजीजाय उसीज़िलेमेंवाक़ेहो जिसमें कि अदालतसादिर कुनिन्दा डिकरीहै तो यह अदालत डिकरीको बिलावसातत अदालतअव्वलुल्ज़िक्रमें भेजदेगी लेकिनजिस हालमें कि वहग़ैरज़िलेमेंहो तो अदालत सादिरकुनिन्दा डिकरीको उसज़िलेकी अदालतज़िलेके तवस्सुतसे भेजेगी जिसमें उसकाइजरा होनेवालाहो ॥

दफ़ा २२४—जो अदालतकी डिकरी को हस्ब दफ़ा २२३ भेजे उसेलाज़िमहै कि काग़ज़ात मुफ़स्सिलै ज़ैल भी मुरसिल करे ॥

(अलिफ़) डिकरी की नक़ल ॥

(बे) सार्टीफ़िकट इसमज़मूनका कि अदालत सादिर कुनिन्दा डिकरीके इलाक़ेकेअन्दर सीग़ेइजरायसे डिकरी काईफ़ायनहीं हुआहै या अगर डिकरीकाजुज़न् इजराय हुआहो तो यहां लिखाजायगा कि किसक़दरईफ़ायहुआ औरडिकरीका किसक़दरजुज्वबिलाइजराय बाक़ीहैऔर-

(जीम) नक़ल किसीहुक्मकी जो वास्ते जारीहोने डिकरीके सादिरहुआहो और अगर सादिर न हुआहो तो सार्टीफ़िकट इसमज़मूनका भेजे कि सादिर नहींहुआ ॥

दफ़ा २२५-अदालत जिसमें डिकरी इजरायके लिये भेजीजाय नक़ल और सार्टीफ़िकटमज़कूरकोबिलासुबूत मज़ीदसेहतडिकरी या हुक्मइजरायके या उनकीनक़लके या बिलासुबूत अख्तियार समाअत अदालत सादिरकुनिन्दा डिकरीके नत्थी करालेगी इल्ला उस सूरतमें कि अदालत साबिकुज़्ज़िक्र किसीख़ासवजहसेजिन्हें जजको अपने हाथसे लिखना चाहिये ऐसा सुबूत तलबकरे ॥

दफ़ा २२६-जब वह नक़ल इसतरह नत्थीकीजायँ तो वह डिकरी या हुक्म जिस अदालतमें कि भेजागया हो अगर वह ख़ुद अदालत ज़िलाहै तोवही अदालतजारी करदेगी या जिसअदालतमातहतको वह हुक्मदे उसकी मारफ़त इजराय पायेगा ॥

दफ़ा २२७-अगर वहअदालत जिसमें डिकरीइजराय केलियेभेजीजाय अदालत हाईकोर्टहो तो वहउसडिकरी का इजराय उसी तौरपर करेगी कि गोया ख़ुद उसने अपने मामूली अख्तियार समाअत इब्तिदाई सीग़े

दीवानी के नाफ़िज़करने में वह डिकरी सादिर की थी ॥

दफ़ा २२८—जिस अदालतको डिकरी इसबाबके बमूजिब इजरायकेलिये भेजीजाय उसको डिकरी मज़कूरके इजरायमें वही अख्तियारात हासिलहोंगे कि गोया खुद उसीने डिकरी सादिरकीथी और वहसबलोग जो डिकरी के इजरायमें उदूलहुक्मीकरें या हाज़िरहोंउसीतरहअदालत मज़कूरकी तजवीज़से सज़ापानेकेलायक़होंगे कि गोया उसी अदालतने डिकरी सादिरकीथी—और अदालत मज़कूरसे जोअहकामउसडिकरीके इजरायमेंसदूर पायें उन्हीं क़वायदके बमूजिब क़ाबिल अपील होंगे कि गोया उसीअदालतने डिकरी सादिर कीथी ॥

दफ़ा २२९—अगर किसी ऐसी अदालतने डिकरी सादिरकीहो जोबमूजिबहुक्मजनाबमुअल्लाअलक़ाबनव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल के किसी वाली या रईस मुमालिक ग़ैरके क़लमरौके अंदर मुक़र्ररहो और उसका इजराय उसअदालतके इलाक़ेकेअंदर नहोसके जहांसे वहडिकरी सादिरहुईहो तो उसका इजरायमुताबिक़ उन अहकामके जो इसमजमूयेमें मुंदर्ज हैं ब्रिटिशइण्डियाकीकिसीअदालतकेइलाक़ेके अंदरहोसकेगा ॥

(बे) दरख्वास्त इजराय डिकरी ॥

दफ़ा २३०—जब डिकरीदार अपनी डिकरी जारी करानाचाहे वह इसअदालतमें दरख्वास्तदेगा जिसने डिकरी सादिरकीहो या उस ओहदेदारके पासदेगा अगर ऐसा ओहदेदार हो जो इसकामपर मुक़र्ररहो या अगर डिकरी हस्ब अहकाम मुन्दर्जे सदर किसी और अदालतमें भेजी

गईहो तो दरख्वास्त उस अदालतको या उसके ओह-
देदार मुनासिब को दीजायेगी ॥

अदालत मजाज़है कि अगर मुनासिब समझे मदयून
कीज़ात और उसकी जायदाद दोनोंपर एकही वक्त डिक-
रीके इजरायसे इन्कार करे ॥

जब इस दफ़ेके बमूजिब दरख्वास्त वास्ते इजराय
ऐसी डिकरीके गुज़रकर मंज़ूर कीजाय जिसकी रूसे ज़र
नक़दके अदा या किसी मालके हवाले करनेका हुक्म हु-
आहै तो उसके बाद कोई दरख्वास्त ब ग़रज़ जारीकरने
उसी डिकरी के मंज़ूर न की जायेगी ॥

तारीख़ हाय मुफ़स्सिलै ज़ैलसे बारह बरसके गुज़र
जानेके बाद याने--

(अलिफ़)तारीख़ डिकरीसेजिसका इजरायमंज़ूरहै या
तारीख़ डिकरी अपीलसे(अगर अपीलहुआहो)जिसमें
मज़कूर बहाल रक्खीगईहो या--

(बे)जब डिकरीयाहुक्ममाबादमेंयहहुक्महोकिकोई रुप-
याकिसीख़ासतारीख़परअदायामालहवाले कियाजाय तो
क़िस्तके न अदा औरमालके न हवालेकरनेकीतारीख़ से
जिसकीबाबतसायल वह डिकरीजारीकराना चाहताहो ॥

इस दफ़ेकी किसी इबारतसे ऐसीसूरतमें कि मदयून
डिकरी ने किसी फ़रेब या ज़ब्रसे डिकरी के इजराय को
किसी अरसेमें जो दरख्वास्तदेनेकी तारीख़सेबारहबरस
माक़बलके अन्दरहोमुम्तनाकियाहोअदालत ममनूअन
होगी कि बाद गुज़रने मीआद बारहबरस मज़कूर के
दरख्वास्त इजराय डिकरी को मंज़ूरकरे ॥

नफ़ाज़ न्दर हरडिकरीके इ
कारवाई अमलमें आसकीहै आ
कारवाईके उसक़ानूनका रूस मुक़र्रर
जो मजमूयं हाज़ाके नफ़ाज़के ऐन माक़बल जारीथा
वह उसतीनसालके ख़त्महोनेसे पहिले गुज़रगई हो ॥

दफ़ा २३१—अगर डिकरी एकसे ज़ियादह अशख़ास के हक़में बिल इस्तराक सादिर हुई हो तो उनमेंसे कोई एक या ज़ियादह अशख़ास या उसके या उनके क़ायम मुक़ाम लोग सबके फ़ायदेकेलिये कुल डिकरीके इजराय की दरख्वास्त करसके हैं या जिसहालमें कि उनमें से कोई मरगयाहो तो बाक़ी मुन्दों और मुतवफ़्फ़ाके क़ायम मुक़ामान हक़ीर

अगर अदालतको अज़रूयवजहमवज्जहकेमुनासिब मुतसव्विर हो कि ऐसी दरख्वास्तके गुज़रनेपर इजराय डिकरीमंज़ूर कियाजाय तो वह ऐसा हुक्म सादिरकरेगी जो वास्ते हिफ़्ज़ हुक़ूक़ उन अशख़ासके कि उस दरख्वास्त में शरीक न हुयेहों ज़रूरीहो ॥

दफ़ा २३२—अगर इन्तक़ाल किसी डिकरी का बज़रिये इन्तक़ाल तहरीरीयाबवजह असरक़ानूनके डिकरीदारकी तरफ़ सेकिसीऔर शख्सकेनाम अमलमेंआयेतो मुंतक़िलअलेह को जायज़होगा कि उसकेइजरायकी दरख्वास्त उस अदालतमें करे जिसनेडिकरीसादिरकी हो और अगरअदालतमुनासिबसमझेतोडिकरीकाइजराय उसीतौरपर और बक़ैद उन्हींसरायतकेअमलमेंआयेगा

कि गोया दरख्वास्त डिकरीदारकी तरफ़ से गुज़री थी ॥

मगर शर्त्त यहहै कि–

(अलिफ़) जब डिकरी बज़रियेइन्तक़ालके मुन्तक़िल हुईहो तो दरख्वास्त मज़कूर की इत्तिला तहरीरी इन्तक़ाल करनेवाले और मदयून डिकरीदोनोंको दीजायेंगी और जबतक कि अदालत उनके उज़रात को अगर वह इजराय डिकरीकी निस्बत कुछ उज़्र रखतेहों न सुनले तबतक डिकरी जारी न की जायेगी ॥

(बे) औरजबडिकरीज़र नक़दको चंदअशख़ासपर हो और वहउनमेंसे एकशख्सके नाममुन्तक़िल कीगईहो तो वह डिकरी उनबाक़ी अशख़ासपर जारी न कीजायेगी ॥

दफ़ा २३३–हरशख्स जिसके नाम डिकरी मुन्तक़िल कीजायबपाबंदी उन हक़ूकके (कि अगरकोईहों) डिकरी का मालिक होगा जिनको मदयून असल डिकरीदारके

दफ़ा २३४–अगर मदयून डिकरी डिकरी की तामील

अख्तियार है कि मदयून मुतवफ्फ़ा के क़ायममुक़ाम जायज़पर डिकरी जारीहोनेकी दरख्वास्तअदालत सादिर कुनिंदा डिकरी को गुज़राने ॥

ऐसे क़ायममुक़ामकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उसीक़दरहोगी

तसरुफ़अजाक़स्म

इन्तक़ालवग़ैरहनहुआहो और वास्तेदरियाफ्त मिक़दार ज़िम्मेदारीके अदालत इजराय कुनिन्दा डिकरी मजाज़

होगी कि अपनी मरज़ी से या डिकरीदारकी दरख्वास्त गुज़रनेपर क़ायममुक़ाममज़कूरसे ऐसे काग़ज़ात हिसाब ज़बरन्‌दाख़िल कराये जो उसको मुनासिब मालूमहों ॥

दफ़ा२३५-दरख्वास्त इजरायडिकरी तहरीरी होगी और उसपर तसदीक़ की इबारत तरफ़से दरख्वास्तकुनिन्देके या किसीऔर शख्सकी तरफ़ से लिखी जायगी जिसकी निस्बत अदालतको सुबूत काफ़ी गुज़रे कि वह हालात मुक़द्दमेसे बख़ूबीवाक़िफ़ है और उसमें तफ्सील मरातिब मुफ़स्सिलै ज़ैल बतौरनक्शे दर्जहोगी याने--

(अलिफ़) नम्बर मुक़द्दमा ॥

(बे) नाम मुतख़ासमीन के ॥

(जीम) तारीख़ डिकरी ॥

(दाल) कैफ़ियत इस अम्रकी कि बनाराज़ी डिकरी केअपील हुआ या नहीं ॥

(हे) औरयह कि शैमुतनाज़ेकी बाबत किसीतरहका तस्फ़िया दरमियान मुतख़ासमीन बाद सुदूर डिकरी के अमलमेंआया या नहीं और अगर अमलमें आया तो क्या तस्फ़िया हुआ ॥

(वाव) आयाउससे पहिलेडिकरीके इजरायके लिये कोई दरख्वास्तें गुज़रीं या नहीं और गुज़रीं तो किस मज़मूनकी और उनका क्या नतीजा हुआ ॥

(जे) तादाद ज़रक़र्ज़ा या मुआविज़े की मयसूद के अगर कुछहो जो डिकरीकेरूसे याफ्तनीहो याऔरदादरसी जो डिकरीकी रूसे हुईहो ॥

(हे) तादाद ज़रख़र्चा अगर कुछ दिलायागयाहो ॥

(तो) नामउस शख्सका जिसके ऊपर डिकरीजारी करानामंज़ूर हो और--

(ये)यहकि किसतरहसे अदालतकीअआनतमतलूब है याने बज़रिये दिलायेजाने उसख़ास मालकेजिसकी डिकरीहुईहोयाबज़रिये गिरफ्तारी और क़ैद उसशख्स के जिसका नामदरख्वास्तमें मुन्दर्जहो या बज़रियेक़ुर्क़ी उसकी जायदादके या औरतौरपर जैसा कि बनज़रनव-य्यतदादरसी मतलूबाके ज़रूरीहो॥

दफ़ा २३६--जबदरख्वास्त वास्ते क़ुर्क़ी किसीमालम-न्क़ूला अज़ां मदयून डिकरीकेगुज़रे औरवहउसकेक़ब्जेमें न हो तो डिकरीदार को लाज़िमहै कि उसकेसाथएकफ़-हरिस्तालीके उसमालकीजोक़ुर्क़करानाहोमशअ़रउसकेऐसे बयान के जो बवजह माक़ूल सहीहो मुन्सलिककरे॥

दफ़ा २३७--जबदरख्वास्तवास्ते क़ुर्क़ीकिसीमालग़ैर मन्क़ूलाअज़ां मदयून डिकरीकेगुज़रे उसकेज़ैलमेंबया-न जायदादका जिससे उसकी क़रारवाक़ई शिनाख्तहो-सके मयसराहत हिस्सा या इस्तहक़ाक़ मदयूनडिकरीके जहांतक कि सायल को ताहद यक़ीन मालूम हो और सायल तहक़ीक़करसकाहो मुन्दर्जकरे॥

ऐसे हरबयान और सराहत की तसदीक़ उसीतरह होगी जैसी कि अर्ज़ीदावेकी तसदीक़केलिये इसमजमूये में ऊपर हुक्महै॥

दफ़ा २३८--अगर जायदाद ऐसीअराज़ी की क़िस्मसे हो जो दफ्तर कलक्टरीमें दर्जरजिस्टरहो तो ज़रूरहैकि क़ुर्क़ीकी दरख्वास्तकेसाथ दफ्तर मज़कूरके रजिस्टरका

इन्तिखाब मसद्दके बतफ़सील उनमरातिब

जारी को

हि

दरबाब इल्तवाय इजराय डिकरीके ॥

दफ़ा २३९–उसअदालतकोजिसमेंडिकरी इसबाबके

ह काफ़ाज़ाहरका

मीआद माकूलके लिये इसग़रज़सेमुल्तवी रक्खे कि म-द्यून डिकरी उसअदालतमें जिसनेडिकरीसादिरकी हो या किसीऔरअदालतमेंजोअख्तियारसमाअत अपील निस्बत डिकरीमज़कूर या उसके इजरायकेरखतीहो इस अम्रकीदरख्वास्तकरे कि हुक्मवास्ते इल्तवाय इजराय डिकरीकेसादिरहो या कोई और हुक्ममुतअल्लिकैडिकरी या इजराय डिकरी सादिर हो जो अदालत मराफ़ैऊला मज़कूर याअदालत अपीलउसहाल में सादिरकरनेकी मजाज़होती जबकिडिकरीउसीअदालतसेजारीकीजाती

ज़ारी

और अगर जायदाद या ज़ात मद्यून डिकरी कि सीग़ै इजराय डिकरीसे कुर्क या गिरफ्तार होगई हो तो वह अदालत जिसनेहुक्मनामा इजरायकाजारीकियाहो इसहुक्मके सादिरकरनेकी मजाज़होगी कि तादरियाफ्त होने नतीजै दरख्वास्तके जोवास्ते सुदूर हुक्ममुफ़स्सल

बालाके गुज़रीहो जायदाद मक़रूक़ै वापिस दीजाय या ज़ात मदयूनकी रिहाकीजाय॥

दफ़ा २४०—क़ब्ल इसके कि दफ़ा २३९ के बमूजिब हुक्मइल्तवा इजरायका या हुक्मवास्ते वापिसदेने जायदाद या रिहाकरने ज़ात मदयूनके सादिरकियाजाय अदालत मजाज़होगी कि मदयून डिकरीसे उसक़दरज़मानत तलबकरे या उसको ऐसी शरायतका पाबंदकरे जो अदालतको मुनासिब मालूमहों॥

दफ़ा २४१—मदयून डिकरी की जायदाद या ज़ातकी रिहाई जो दफ़ा २३९ केबमूजिब अमलमेंआये मानेइस बातकीनहोगी कि वह जायदाद या ज़ात मदयूनकी फिर बइल्लत डिकरी के जो इजराय के लिये भेजीगईहो क़ुर्क़ या गिरफ्तार कीजाय॥

दफ़ा २४२—हरहुक्म उस अदालतका जिसने डिकरी सादिरकीहो या उस अदालत अपील का जिसका ऊपर मज़कूर हुआहै दरबाब इजराय डिकरी मज़कूर के उस अदालतपर वाजिबुत्तामीलहोगा जिसमें डिकरी इजराय के लिये मुरासिल कीगईहो॥

दफ़ा २४३—अगर किसी अदालतमें कोईनालिशउस शख्सकी तरफ़से जिसपर उसीअदालतकी डिकरीहुईहो डिकरीदारके नामदायर होतो अदालत को अख्तियारहै कि अगर मुनासिब समझे नालिश मुतदायराके फ़ैसल होनेतकडिकरी मज़कूर काइजराय क़तअन् याबपाबंदी ऐसीशरायतके मुल्तवी रक्खे जो मुनासिब मालूम हों॥

(दाल) तनाज़आत क़ाबिल तजवीज़ अदालत इज-राय कुनिन्दा डिकरी॥

दफ़ा २४४–तनाज़आत मुफ़स्सिलैजैलका इन्फ़िसाल उस अदालत के हुक्मसे होगा जो डिकरीका इजरायकरे न बज़रिये नालिश जुदागानेके याने–

(अलिफ़) तनाज़आतानिस्बततादादवासिलातकेजिस-कीबाबत डिकरीमेंहुक्महै कि उसकी तहक़ीक़ात कीजाय॥

(बे) तनाज़आत निस्बततादाद किसी वासिलात या सूदके जिसकीबाबत डिकरी में हुक्महै कि शैमुतदाविया की वासिलात या सूद तारीख़ रुजू नालिशसे तारीख़ इजराय डिकरी तक या तारीख़ डिकरी से तीनबरस के गुज़रनेतक अदा कियाजाय॥

(जीम) कोई और उमूर निज़ाई माबैन फ़रीक़ैन उस मुक़द्दमे के जिसमें डिकरी सादिरहुईहो या माबैन उनके क़ायममुक़ामोंके और जो डिकरीके इजराय या उसकेई-फ़ाय या बेबाक़ीसे तअल्लुक़ रखतेहों॥

इस दफ़ाकी कोईइबारत ऐसीनालिश जुदागानाकी मानै न होगी जो उस वासिलातकी बाबतहो जो माबैन तारीख़इरजाअ मुक़द्दमा मराफ़ैऊला और तारीख़इजराय डिकरी उस मुक़द्दमे के हुईहो बशर्ते कि उस डिकरी में ऐसी वासिलात की बाबत कुछ तजवीज़ न हुईहो॥

(हे) डिकरियातके इजरायका तरीक़ा॥

दफ़ा २४५–वक्त़ गुज़रनेदरख्वास्त इजराय डिकरी के अदालतको यहदरियाफ्तकरनाचाहिये किआयातामील उनअहकाम दफ़आत २३५ व २३६ व २३७व २३८

की जो मुक़द्दमेसे मुतअ़ल्लिक़ हैं हुईहै या नहीं और अ-
गर उनकी तामील न हुईहो तो

" कि दरख्वास्त इजरायाडकरी नामंजूरकरे या उसीवक्त
ख्वाह अंदर किसीमीआद मुक़र्ररह अदालतके उसकी
तसहीह होनेकी इजाज़तदे अगर दरख्वास्त उसतौर
पर तसहीह न पाये तो वह नामंजूर कीजायगी ॥

हर तसहीहपर जो इसदफ़ाके बमूजिब कीजाय जज
के दस्तख़त तसदीक़न् सब्तहोंगे ॥

जब दरख्वास्त मंजूरकीजाय तो अदालतको लाज़ि-
महै कि मुक़द्दमेके रजिस्टरमें एक याददाश्त दरख्वास्त
की मयतारीख़ के जब कि दरख्वास्त गुज़रीथी दर्जकरे
और उसके बाद दरख्वास्त के मज़मून के मुताबिक़ डि-
करीके जारीहोनेका हुक्मदे ॥

परशर्त्तयहहैकि अगरडिकरीबाबतज़रनक़दकेहो तोउ-
सीक़दरमालियतकी जायदादक़ुर्ककीजायगी जोक़रीब२
उसतादादकेबराबरहो जोडिकरीकीरूसे दिलाईगईहो ॥

दफ़ा २४६—अगर माबैन दोफ़रीक़केहरएककीडिकरी
दूसरेपरबाबतअदायज़रअदालतमेंपेशकीजायतोइजरा
य सिर्फ़उसफ़रीक़कीडिकरीका अमलमेंआयेगा जिसका
ज़रडिकरी कसीरहो और सिर्फ़उसक़दर ज़रकीबाबत जो
बादमुजरादेनेज़रक़लीलकी डिकरीकेबाक़ीरहे—और ज़र
कसीरकीडिकरीपर ईफ़ायज़रक़लीलकादर्जहोगाऔरभी
ज़रक़लीलकोडिकरीपरईफ़ायज़रक़लीलकामुन्दर्जहोगा॥

अगर दोनों रक़म बराबरहों तो दोनों डिकरियों पर
ईफ़ाय उनका दर्ज कियाजायेगा ॥

तशरीह १—डिकरियात जोइसदफ़ासे मक़सूदहैं वहहैं जिनका इजराय एकही वक़्त में और एकही अदालत की मारफ़त होसक्ताहै ॥

तशरीह २—यह दफ़ा उस सूरतसे भी मुतअ़ल्लिक़है जिसमें कि कोईफ़रीक़ उन डिकरियोंमें से एक डिकरीका मुन्तक़िलअ़लेहहो और नीज़बाबत क़रज़े डिकरीशुदह के जो असल मुन्तक़िल करनेवालेसे पानाहो उसीतरह क़ल्होगी जिसतरह कि खुद मुन्तक़िलअ़लेहके ज़िम्मेके क़र्ज़े डिकरीशुदहसे मुतअ़ल्लिक़है ॥

तशरीह ३—यह दफ़ा बजुज़सूरतहायमुफ़स्सिलै ज़ैल और सूरतोंसे मुतअ़ल्लिक़ नहींहै ॥

जबकि डिकरीदार एक मुक़द्दमेका उन मुक़द्दमोंमें से जिनमें डिकरियां सादिर हुईहों मद्यून डिकरी दूसरेमुक़द्दमेकाहो और हरफ़रीक़एकहीहैसियत दोनोंमुक़द्दमों में रखताहो और—

जबकिज़रयाफ़्तनीडिकरियोंकामुअ़य्यनतादादकाहो ॥

तमसीलात ॥

(अलिफ़) ज़ैदकेपास डिकरी बनामउमरू एकहज़ार रुपयेकीहै और उमरूकेपास एकडिकरी बनामज़ैदके वास्ते अदाय एकहज़ार रुपयेके इसशर्त्तसेहै कि अगर ज़ैद एक ज़माने आयंदा में फ़लां माल न हवालेकरे तो वह रुपयादियाजाय उमरूहस्बदफ़ाहाज़ा अपनी डिकरी को क़ाबिलमुजराईनहीं क़रार देसक्ताहै ॥

(बे) ज़ैद औरउमरूशराकती मुदइयाननेएकडिकरी एकहज़ाररुपयेकी बकरपरहासिलकीऔर बकरनेएकडि-

करी हज़ाररुपयेकी उमरूपरहासिलकी बकर अपनी डिकरी हस्बदफ़ाहाज़ाक़ाबिल मुजराईनहीं क़रारदेसक्ताहै॥

(जीम) ज़ैदने एक डिकरी उमरूपर हज़ार रुपयेकी पाई औरबकरने जोकि उमरूका अमानतदारहै ज़ैदपर एक डिकरी हज़ाररुपयेकी उमरूकी तरफ़से हासिलकी उमरू हस्बदफ़ाहाज़ा बकरकी डिकरी को क़ाबिल मुजराई नहीं क़रार देसक्ता॥

दफ़ा २४७—जब एकहीडिकरीके बमूजिब दोफ़रीक़मेंसे हरएक दूसरेसेतादाद मुख्तलिफ़के पानेका मुस्तहक़हो तो जिसफ़रीक़की तादादयाफ्तनीकमहै वह फ़रीक़सानी परइजरायडिकरीनहींकरासक्ताहै लेकिनउसकीडिकरीपर उसतादाद क़लीलका अदाहोजाना लिखदियाजायेगा॥

जबकिदोनोंतादाद बराबरहों तो किसीफ़रीक़कोइजराय डिकरी करानेका अख्तियार न होगा बल्कि हरएक रक़मका अदाहोजाना डिकरीपर लिखदियाजायगा॥

दफ़ा २४८—अदालत एकइत्तिलानामा बनामउस शख्सके जिसके ऊपर डिकरी जारी कराने की दरख्वास्त कीजाय इसहुक्मसे कि वह मुद्दतमुअय्यनाके अंदर(जो अदालतको मुक़र्रर करदेनीचाहिये)वजह बयानकरे कि डिकरी उसपर क्यों न जारीकीजाय सादिरकरेगी॥

(अलिफ़) जिसहालमें कि तारीख़डिकरी से तावक्त गुज़रने दरख्वास्तइजरायडिकरीके एकबरससेज़ियादह अर्सा गुज़रजाय या—

(बे)जिसहालमें कि उस मुक़द्दमे के किसी फ़रीक़के क़ायम मुक़ाम जायज़ पर डिकरी जारी कराने की दर-

ख्वास्तकीजाय जिसमें कि वहडिकरी सादिरकीगई हो-
मगरशर्त्तयहहै कि सूरतहाय मुफ़स्सिलैज़ैलमें किसी
ऐसे इत्तिलानामेकी ज़रूरत न होगी ॥
जबतारीख़डिकरी औरदरख्वास्तइजरायडिकरीकेमा-
बैनगोकि अर्साज़ियादह एकसालसेगुज़रगयाहो लेकिन
जिसडिकरीके इजरायकी दरख्वास्तहो उसके अपीलकी
डिकरीकीतारीख़से या उसहुक्मअख़ीरकी तारीख़से जो
ख़िलाफ़मुराद उसफ़रीक़के जिसपर इजरायकरानेकी दर-
ख्वास्तहै किसीपहिलीदरख्वास्त इजरायडिकरी मज़कूर
पर सादिरहुआहो एकसालके अंदरदरख्वास्तगुज़रे या-
जबकि दरख्वास्त अगरचे बमुक़ाबिले क़ायम मुक़ाम
जायज़ उसफ़रीक़के गुज़रे जिसपर डिकरीसादिरकीगई
हो लेकिनउसीशख़्सपर उससेपेश्तरदरख्वास्त इजराय
की गुज़रचुकीहो औरउसपरडिकरीके जारी होनेकाहुक्म
अदालतने दियाहो ॥
तशरीह-दफ़ाहाज़ामें अदालतसेमुरादवहअदालतहै
जिसने कि डिकरी सादिरकीहो इल्ला जबकि डिकरीइज-
रायकेलिये दूसरीअदालतमें भेजीजाय तो उससूरतमेंवह
दूसरी अदालत उसीमानेमें दाख़िलहै ॥
दफ़ा २४९-अगरवहशख़्स जिसपरइत्तिलानामाहस्ब
दफ़ै मुलहक़ाबालाके सादिरहो हाज़िर न आये या वजह
मवज्जहहस्बइतमीनान अदालतवास्तेजारी नकियेजाने
डिकरी के पेश न करे तो अदालत हुक्म इजराय डिकरी
का सादिर करेगी ॥
अगरवहनिस्बतइजरायडिकरीकेकुछएतराज़पेशकरे

तो अदालत उस एतराज़पर गौर करके वह हुक्मसा-
दिर करेगी जो उसके नज़दीक मुनासिब हो ॥

दफ़ा २५०—बादतक़मीलमरातिबइब्तिदाईके अगरकुछ
होजोअज़रूयअहकाममरक़ूमैबालाकेमतलूबहों अदाल-
तकोलाज़िमहोगाकिवारंटबग़रज़इजरायडिकरीसादिरक
रेइल्लाउससूरतमें किउसके नज़दीककोईवजहमानेहो ॥

दफ़ा २५१—इजराय डिकरीके वारंटपरवारंटकेसादिर
होनेकी तारीख़ और दस्तख़तजज या और ओहदेदारके
जिसको अदालत उसकामके लिये मुक़र्ररकरे सब्त होंगे
और मोहर अदालतसब्तहोकर वारंट मज़कूर मुनासिब
ओहदेदारको इजरायके लिये हवाले कियाजायेगा ॥

और उस वारंटमें वह ख़ास तारीख़ लिखदी जायेगी
जिसमें या जिससे पहिले उसका इजरायहोना चाहिये
और वह ओहदेदार जिसका यह कामहो उसकीपुश्तपर
तारीख़ और तौर उसके इजरायका और दरसूरतअदम
इजरायवजह अदमइजरायकीलिखेगाऔर बादतहरीर
इस इबारत जोहरीके उस अदालत को वापिस करेगा
जिसने उसे सादिर कियाहो ॥

दफ़ा २५२—अगर किसीफ़रीक़पर बहैसियतहोने क़ा-
यममुक़ाम क़ानूनीशख़्स मुतवफ़्फ़ाके डिकरीहुईहो और
डिकरी मज़कूर वास्तेदिलानेज़रनक़दके जायदादशख़्स
मुतवफ़्फ़ासे हो तो इजराय डिकरी का बज़रिये क़ुर्क़ी
और नीलाम जायदाद मज़कूरके होसक्ताहै ॥

अगर ऐसी कोई जायदाद मदयून डिकरीके क़ब्ज़ेमें
बाक़ी न रहे और वह हस्ब इतमीनान अदालत यहसा-

बित न करसके कि उसने उसजायदाद शख्स मुतवफ़्फ़ा को जिसका उसके क़ब्ज़ेमें आना साबितहो बजा सर्फ़ किया है तो मद्यून डिकरीपर डिकरी बाबत उसक़द्र जायदादके जिसको उसने बजा सर्फ़ न कियाहो उसी तरीक़ से जारी होसक्तीहै जैसे कि डिकरी मज़कूर ख़ुद उसीकी ज़ात ख़ासपर हुईहो ॥

दफ़ा २५३—जब कोइशख्स क़ब्ल सादिरहोने डिकरी किसी मुक़द्दमे इब्तिदाई के उसडिकरी या उसके किसी जुज्वकी तामीलके लिये ज़ामिन होगयाहो तो जायज़है कि डिकरी उसकी ज़ातपर उसहद्दतक कि वह उसका ज़िम्मेदार होगयाहै इसीतरह जारी कीजाय जिसतरह डिकरीका इजराय मुद्दआअलेहपर होसक्ताहै ॥

मगर शर्त्तयहहै कि इत्तिला तहरीरी इसमज़मूनसेजो अदालतहरसूरतमेंकाफ़ीसमझे ज़ामिनको पहुँचाईजाय॥

दफ़ा २५४—हरएकडिकरी या हुक्म जिसमें किसी फ़रीक़को बतौर मुआविज़े या ख़र्चके या बतौर बदलकिसी और तरहकी दादरसीके जो अज़रूय डिकरी या हुक्मके कीगईहो या किसी और वजहसे ज़र नक़द अदाकरने का हुक्म हुआहो इसतरह इजराय पासक्ताहै कि मद्यून डिकरी क़ैदकिया जाय या उसकी जायदाद उसतरीक़ेसे क़ुर्क़ और नीलाम कीजाय जो आयन्दा मज़कूरहै या दोनों तरीक़ों से ॥

दफ़ा २५५—अगर डिकरी ज़रवासिलात या और ऐसे मुआमिलेकी हो जिसके ज़रनक़दका तअय्युन मिन्बाद होनेवालाहो तो जायदाद मद्यून डिकरी की क़ब्लअज़

तादाद ज़र जो बमूजिब डिकरी के उसके ज़िम्मे
क़ुर्क़ कीजाय उसीतरह क़ुर्क़कीजासक्ती
ज़र नक़द के

दफ़ा २५६–जब डिकरीसिर्फ़ बाबत एकतादाद नक़द सादिर हुईहो और तादाद डिकरीशुदह १०००) से ज़ियादह नहो तो अदालत मजाज़है कि डिकरी सादिर करनेके वक़्त डिकरीदारकी ज़बानी दरख्वास्तपर फ़ौरन् डिकरीजारीहोनेका हुक्मदे और वारंट मौसूमाज़ातमदयून डिकरीके अगर वह अदालत के इलाक़े की हुदूद अरज़ीके अंदरहोया ऊपर जायदादमन्क़ूला शख्समज़कूरके जो हुदूद मज़कूरके अंदरहो सादिरकरे ॥

दफ़ा २५७–कुलरुपया जो डिकरीकेबमूजिब वाजिबुल्अदाहोहस्बतफ़सीलमुंदर्जैज़ैल अदाकियाजायेगायाने–

(अलिफ़)उस अदालतमें जिससे डिकरी जारीकरना मुतअल्लिक़हो या–

(बे)डिकरीदारको अदालतसे बाहर या–

(जीम) जिसतरह अदालतसादिर कुनिन्दा डिकरी हिदायत करे ॥

दफ़ा २५७–(अलिफ़) हरइक़रार बाबतदेनेमोहलत वास्ते अदायदैन डिकरी शुदह के नाजायज़होगा इल्ला उससूरतमें कि वह किसी मुआविज़ेके बदले और अदालत सादिर कुनिन्दा डिकरीकी इजाज़तसे हुआहो और अदालत मौसूफ़ाकी रायमें वह मुआविज़ा बलिहाज़हालात मौजूदाके माक़ूलहो ॥

हर इक़रार मुतअ़ल्लिक़े बेबाक़ी किसी दैन डिकरी शुदह का जो मुक़्ज़ी इस बातका हो कि कोई मुबलिग़ अ़लावा उसतादादके जो डिकरी की रूसे वाजिब है या वाजिबुल्अदाहोनेवालीहो हालतन् या सराहतन्अदा कियाजाय नाजायज़होगा इल्लाजबकि वहइजाज़तमुत-ज़क्किरा सदरसे वक़ूअमें आये ॥

जाय दैनके ईफ़ामें सर्फ़किया जायेगा जो डिकरीकीरूसे वाजिबहो और अगर कुछ फ़ाज़िलरहेतो उसको मदयून

दफ़ा २५८—अगर कोई मुबलिग़ जो डिकरी कीरूसे वाजिबुल्अदाहो अ़दालतसे बाहर अदाकियाजाय याशै डिकरी शुदहकुल या जुज्वका तस्फ़िया हस्ब रज़ामंदी डिकरीदारके औरतौरपरहोजाय या अगर कोईमुबलिग़ बराहतकफ़ील किसी ऐसे इक़रारके दियाजाय जिसका ज़िक्र दफ़ा २५७ (अलिफ़) में हुआहैतो डिकरीदारको ज़ि... लिग़के अदाहोने याऐसेतस्फ़ियेके वक़ूअमें आनेकी इत्तिला उस अ़दालतमें करदे जिससे डिकरी का इजरा मुतअ़ल्लिक़हो ॥

मदयून डिकरीकोभी अख्तियारहै कि ऐसेमुबलिग़के अदा या तस्फ़ियेके वक़ूअसेअ़दालतको मुत्तिलाकरेऔर अ़दालतसे दरख्वास्तवास्ते जारीहोनेनोटिसबनाम डि-करीदार बिदींमज़मूनकरे कि नामबुरदा एकतारीखमुक़-र्ररह अ़दालतपर हाज़िरहोकर इसबातकी वजहज़ाहिर करे कि ऐसा अदा या तस्फ़िया क्यों बलफ्ज तसदीक़

और   ।लबा-
ज़ाब्ता ऐसे नोटिस के डिकरीदार तारीख़ मुक़र्ररहपर
हाज़िर नहो या हाज़िर होकर वजह उसकीज़ाहिरनकरे

म्बन्द नकियाजायतोअदालतउसकोक़लम्बंदकरलेगी॥

लतमें तसलीम न कियाजायेगा इल्लाउससूरतमेंकिउस-
की तसदीक़ हस्ब मुतज़क्किरैबाला होचुकीहो॥

दफ़ा२५९—अगरडिकरी किसीख़ासशैमन्कूलैया कि-
सी ख़ासशैमन्कूलैके हिस्सेयाज़ौजावापिसपानेकीबाबत
होतो उसकाईफ़ाइसतौरपरहोगाकि शैमन्कूलायाहिस्सा
मज़कूरपर क़ब्ज़ा कियाजायेगा अगर मुमकिनहो और
उसफ़रीक़के सुपुर्द कियाजायेगा कि जिसकेहक़में डिकरी
हुईहो या उसशख़्सकोदियाजायेगा जिसकोडिकरीदारने
अपनीतरफ़सेउसकेलेनेकेवास्ते मुक़र्ररकियाहोयामदयून
डिकरीक़ैदकियाजायेगा या जायदाद उसकीक़ुर्ककीजाय-
गीयाइंदुलज़रूरतक़ैदऔरक़ुर्कीदोनोंअमलमें आयेंगी॥

जबकोई क़ुर्की जो इसदफ़ाकेबमूजिबहुईहो छःमहीने
तक क़ायम रहीहो अगर मदयून डिकरीने उसवक़्त तक
डिकरीकीतामील न कीहो औरडिकरीदारनेवास्तेनीलाम
कराने जायदाद मक़रूक़ैके सवालदियाहो तो जायज़है
कि जायदादनीलामकीजायऔर अदालतकोअख़्तियार
है कि ज़रसमन नीलामसे डिकरीदारकोउसक़दर मुबालिग़
दिलाये जो दफ़ा २०८ के बमूजिबमुक़र्ररहुआहोऔर २
सूरतोंमें

मालूमहो और बाक़ी रुपयाअगरकुछबाक़ीरहेमदयूनको उसकी दरख्वास्तपर हवालेकरे ॥

अगरमदयूनडिकरीनेडिकरीकी तामील करदीहो और तामीलका कुलख़र्चअदाकरदियाहो जोउसकेज़िम्मेदेना वाजिबथा या अगरवक़इन्क़ज़ायछःमहीनेकेतारीख़कुर्क़ी से कोई दरख्वास्तवास्ते नीलामकरानेजायदादकेगुज़री नहो या गुज़रकर नामंज़ूरहुईहो तो कुर्क़ीबाक़ीनरहेगी ॥

दफ़ा २६०—अगरवहफ़रीक़ जिसकेनामडिकरीवास्ते तामील ख़ास किसीमुआहदेके या वास्ते दिलायेजानेह-क़्क़ इज़दवाज केयावास्ते तामीलकरने या बाज़रहनेके किसीख़ासफ़ेलसे सादिरहुईहो डिकरी या हुक्मइम्तनाई की तामील करनेका मौक़ा पाचुकाहो और अमदन्उस-की तामील करनेसे बाज़रहाहो तो जायज़है कि उसपर डिकरीकी तामील बिलजब्र इसतौरसेहो कि वह क़ैद या उसकी जायदाद कुर्क़ कीजाय या क़ैद और कुर्क़ी दोनों अमलमें आयें ॥

जब कोई कुर्क़ीहस्बदफ़ेहाज़ा एकबरसतकक़ायमरही हो अगर मदयून डिकरीने डिकरी की तामील न कीहो और डिकरीदार ने जायदाद मक़रूक़े के नीलामहोनेकी दरख्वास्तदीहो तो जायज़है कि वहजायदाद नीलामकी जाय औरअदालतकोअख्तियारहै कि ज़रसमननीलाम से उसक़दरहरजाजोअदालतकोमुनासिबमालूमहो डि-करीदारको दिलाये और ज़रफ़ाज़िल अगर कुछहोमद-यून डिकरीको उसकी दरख्वास्त पर देदे ॥

अगर मदयून डिकरीने डिकरीकीतामीलकीहो और

तमाम खर्चा वाजिबुल्अदा जो उसके जारी करनेमेंसर्फ़
हुआहो अदाकियाहोयाअगर तारीख़ कुर्क़ीसेएकबरसके
बाद कोई दरख्वास्त जायदाद के नीलाम कराने की न
गुज़री न मंज़ूरकीगईहो तो वहकुर्क़ी बाक़ी न रहेगी ॥
दफ़२६१—अगर डिक्री वास्ते तकमील किसीइन्त-

करा डि

री हो

तय्यार करके अदालतके हवालेकरे ॥
उस वक्तअदालत मसौदे मज़कूर का मदयून डिकरी
पर उसी तरह
तामील करने के लिये ऊपर हुक्महोचुकाहै और उसके
साथ एकइत्तिला तहरीरी मशाअर इसअम्रकेजारीहोगी
कि अगर मदयूनको कुछ उज़्रहोतो अपने उज़रात उस
मुद्दत मुंदर्जे इत्तिलानामेके अन्दर पेशकरे जो अदालत
उस ग़रज़के लिये मुक़र्रर करे ॥
आर गमसन्ना
इसग़रज़से अदालतमेंपेशकरे कि वहइस्टाम्पकाग़ज़मलुल्-
क़ीमतपर अगर इस्टाम्पक़ानून दरकारहो लिखाजाय॥
बादगुज़रने मुद्दत तामील मज़कूरके अदालतयावह
ओहदेदार जिसको अदालतने इसकामपर मुक़र्ररकिया
हो मुसन्ना पेशकरदाकी तकमील करेगा या वह मजाज़
होगा कि अगर ज़रूरत देखे उसको तब्दीलकरे ताकि

वहशरायत मुंदर्जें डिकरीसेमुताबिक़होजाय औरमुसन्ना
ुदः
मगर शर्त्तयहहै कि अगर कोईफ़रीक़ उस
एतराज़ रखताहोजोहस्व मरक़ूमैबाला उसकेनाम जारी
हुआहो तो लाज़िमहै कि उसकेउज़राततहरीरीमीआद
मुक़र्ररहके अन्दर पेशहों और उनपर अदालतकेरूबरू
बहसकीजाय बाद अज़ांअदालतजोहुक्ममुनासिबसमझे
सादिर करेगी और मुसन्नाकीउसकी शरायतकेमुताबिक़
तकमील या तब्दील व तकमील दोनों करेगी॥
दफ़ा२६२–जायज़है कि किसी इन्तक़ालनामेकी तक-
मील या किसी दस्तावेज़ क़ाबिल बैबाशिरा की इबारत
फ़रोख्तकीतहरीर जो हस्ब शरायत दफ़ामुलहक़ा बाला
अदालतकी तरफ़सेहो इसनमूनेसे कीजाय(जीम,दाल)
जज अदालत मुक़ाम–(या जैसीसूरतहो)तरफ़से (अ
लिफ़,बे)के बमुक़द्दमे(हे,वाव)बनाम(अलिफ़,बे) या
किसी और नमूनेसे हो जो हाईकोर्ट की तजवीज़से व-
क़्तन् फ़वक़्तन् मुक़र्ररकियाजाय और उसकाअदालतकी
तरफ़से तकमील कियाजाना वहीअसररक्खेगाकिगोया
उसीफ़रीक़ने जिसको इन्तक़ालनामा याइबारतफ़रोख्त
आथा इन्तक़ालनामा यादस्तावेज़
की ज़ोहरपर फ़रोख्तकी इबारतकी तकमील की॥
दफ़ा २६३–अगर डिकरी वास्तेदिलानेजायदादग़ैर-
मन्क़ूलाकेहोतो उसपर उसफ़रीक़कोक़ब्ज़ादिलायाजा-
येगा जिसके हक़में डिकरी हुईहो या जिसशख्सको वह
अपनीतरफ़सेक़ब्ज़ालेनेके वास्तेमुक़र्ररकरेउसको क़ब्ज़ा

दियाजायेगा और अगर कोईशख्स जिसपर डिकरीकी पाबंदी लाज़िमहै जायदादको ख़ाली करनेसे इन्कारकरे तो बशर्त्त ज़रूरत वह निकाल दियाजायेगा॥

दफ़ा२६४—अगर डिकरी वास्ते दिलाने [illegible]

जायदाद [illegible] [illegible]कूल [illegible] [illegible]

[illegible]

वाजिब नहो कि वह दख़लछोड़दे तोअदालतकोलाज़िम होगा किजायदादमज़कूरके किसीमनज़रआमपरनक़ल वारंटकी आवेज़ांकराके दख़लदिलाये और बज़रिये मुनादी बज़रबदहल वमौक़ेहाय मुनासिब याऔर तौरपर हस्बरिवाज मुरव्विजके मज़मून डिकरीका निस्बतजायदाद मज़कूरकेदख़ीलकीआगाहीकेलिये मुश्तहरकरादे॥

मगर शर्त्तयहहै कि अगर शख्सक़ाबिज़का पतालगसके तो इत्तिलानामा तहरीरी बइन्दराज मज़मूनडिकरी उसपर जारी कियाजायेगा और उससूरतमें इश्तिहार देनेकी ज़रूरत न होगी॥

दफ़ा २६५—

क़ब्ज़ा हिस्सामहाल ग़ैरमुन्क़सिमाके कि जिसकी मालगुज़ारी सर्कारम दाजाती है सादिर हुइह

मुहाल या अलाहिदगी हिस्सेकीमारफ़त साहबकलक्टर के मुताबिक़ उसक़ानूनके अगर कोईहोअमलमेंआवेगी जो बमादे तक़सीम या अलाहिदा करने दख़ल हिसस ऐसे महालातके उसवक़्त नफ़ाज़ पिज़ीरहो॥

(दाल) कुर्क़ी जायदाद॥

दफ़ा २६६—जो जायदाद कि बइल्लत इजरायडिकरी

ज़रूरी

अराज़ियात और

बाब और ज़रनक़द और बैंकनोट और चिक् यानेरुक़्क़ा और बिलआफ़ऐक्सचैंज औरहुण्डियात और प्रामेसरी नोट और नोटसर्कारी और तमस्सुकात या दीगरकफ़ा लतनामाजात ज़रनक़दऔर ज़रक़र्ज़ाऔर हिस्सामिंजु मलै सरमाया या सरमाया मुश्तरका कारख़ाना किसी

या ग़ैरमन्क़ूलै क़ाबिलफ़रोख़्त जो मदयून डिकरीकेहोंया जिसपर या जिसकेमुनाफ़ेपर उसकोऐसाअख़्तियारतस रुफ़का पहुँचताहो कि वहउसकोअपनी मुन्फ़अ़तकेलिये

ह वह बतौ

है

(अलिफ़) ज़रूरी पोशाक मदयून डिकरी और उसकी ज़ौजा और अतफ़ाल की ॥

) अहल हरफ़ाके औज़ार औअगर मदयूनडिकरी

जो बदानिस्त अदालत मदयून डिकरी को उसके पेशे ज़राअ़तमें मुआ़श पैदा करनेकेलिये ज़रूरीहों ॥

(जीम) मसाला मकानात और दीगरइमारात का जो काश्तकारोंकीहों और उनके दख़लमें हों ॥

(दाल) बहीज़ात हिसाब ॥

(हे) महज़ हक़ूक़ जो ख़िसारेकी नालिशकरनेके हों॥

(वाव)हरहक़ जाती ख़िदमतका ॥

(ज़े)वज़ीफ़ा और पेन्शनदारान् सर्कारीफ़ौजी और मुल्की और पेन्शन सीग़ै पोलिटिकल ॥

(हे)तन्ख्वाह ओहदेदार सरकारी यारेलवेकम्पनीके मुलाज़िमकीजबवहतन्ख्वाह२०)रु० माहवारीसे ज़िया-दह न हो और जबइससे ज़ियादह हो तो ओहदेदारया मुलाज़िम मज़कूरकी तन्ख्वाह माहवारीका एकनिस्फ़॥

(तो) तन्ख्वाह और मवाजिब उनलोगों के जिनसे आईनलश्करी हिन्दुस्तानी मुतअल्लिक़ हैं ॥

(ये)उजरतमज़दूरान्औरमुलाज़िमानख़ानगीकी ॥

(काफ़)उम्मैदवरासतबहालतपसमान्दगीयाऔरहक़ याइस्तहक़ाक़जोमहज़मुतअल्लिक़याबहैयज़इमकानहो

(लाम)हक़नान व नफ़का आयन्दाका ॥

तौज़ीह—वज़ीफ़ा वग़ैरह मुतज़क्किरै ज़िम्न—(रे) व (हे) व (तो) व (ये) क़ुर्क़ी और नीलामसेमुस्तस्ना हैं याने क़ब्लख्वाहबाद वाजिबुल्अदा होनेके ॥

मगर शर्त्तयहहै कि इ मफ़हूम न होगा कि—

(अलिफ़)मसालह मकानात और दीगरइमारतका डिकरीज़रलगानकेइजरामेंक़ुर्क़ी व नीलामसेबरी है या—

(बे) न इबारतमज़कूरऐक्टमुतअल्लिक़ैफ़ौजमुसद्दरै सन् १८८१ ई० या उसक़िस्मके और क़ानूनमेंजोकिसी वक़्त नफ़ाज़पज़ीरहों ख़ललअन्दाज़ होगी ॥

दफ़ा २६७—अदालत मजाज़ है कि बअख्तियार खुद या डिकरीदारकी दरख्वास्तपर जिस शख्स को तलब करना ज़रूर समझे तलब करके उससे निस्बत किसी ऐसी जायदादके इस्तफ्सार करे जो डिकरीके ईफ़ाके लिये कुर्क होनेके लायक़ हो और शख्स तलबशुदहसे ऐसी दस्तावेज़ दाख़िल करायेजो उस जायदादके मुतअल्लिक़ उसके क़ब्ज़े या अख्तियारमें हो और बअख्तियार खुद सम्मन सादिर करने से पहले क़रारदे कि किसके फ़ायदेके लिये ऐसा सम्मन जारी कियागया॥

दफ़ा २६८—दरसूरत (अलिफ़) ऐसे क़रज़ेके जिसकी बाबत इतमीनानके लिये कोई दस्तावेज़ क़ाबिल बैवाशिरा न लिखी गईहो या (बे) किसी मजमै आमया जमाअत सनदयाफ्तहके सरमायेके हिस्सेके या (जीम) किसी और जायदाद मन्क़ूलाके जो मदयून डिकरीके क़ब्ज़े में न हो बजुज़ ऐसी जायदादके जो किसी अदालत में अमानतन् जमा या अदालतकी हिफ़ाज़तमें हो कुर्क़ी बज़रियेहुक्म तहरीरी मशअर मुमानियत इनउमूरके होगी॥

(अलिफ़) क़रज़ेकी सूरतमें क़रज़ख्वाहको यह मुमानियत होगी कि तासुदूर हुक्मसानी अदालतके वह क़रज़ा वसूल न करे और क़रज़दारको यह कि वह तासुदूर हुक्म मज़कूर क़रज़ा अदा न करे॥

(बे) दरसूरत हिस्से के जिसके नामसे हिस्सा दर्ज रजिस्टर हो उसको यह मुमानियत होगी कि उसको मुन्तक़िल और उसका मुनाफ़ा वसूल न करे॥

(जीम) दरसूरत और जायदाद मन्क़ूलाके सिवाय

उसके जोऊपर मुस्तस्नाहुई है शख्स क़ाबिज़ जायदाद को यह मुमानियत होगी कि वह उसको मदयून डिकरी के हवाले न करे ॥

हुक्म मज़कूरकी एक नक़ल कचहरीके किसीमंज़िर-आमपरआवेज़ां कीजायेगी और एकनक़लक़रज़दारको दरसूरत क़रज़ेके या मजमैआम ख्वाह जमाअत सनद-याफ्तहकेओहदेदारमुनासिबकोदरसूरतहिस्सासरमाया के या शख्स क़ाबिज़ जायदाद को दरसूरत किसी और जायदाद मन्क़ूलाके उसके जो ऊपर मुस्तस्ना हुईहै मुरसिल कीजायेगी॥

क़रज़दारको जिसको इसदफ़ाकी ज़िम्न(अलिफ़)के बमूजिब मुमानियत हुईहो अख्तियार है कि ज़र क़रज़ा ज़िम्मगीअपनाअदालतमें जमाकरदेऔरउसके जमाक-रनेसे वह उसीक़दरबरीउज़्ज़िम्माहोजायेगा कि गोया उस ने शख्स मुस्तहक़ वसूल क़रज़ाको अदा कियाथा ॥

अगरक़ुर्क़ीतनख्वाहयाफ्तनी किसीअहलकारसर्कार या मुलाज़िम रेलवे कम्पनीकी मंज़ूरहोतो वह क़ुर्क़ीबज़-रिये इजराय हुक्मतहरीरी बनाम उसओहदेदारकेजिस से तनख्वाह मज़कूरकी तक़सीममुतअल्लिक़हो मशअर इस हिदायतके होगीकि हरमहीनेमें उसक़दर जुज्वतन-ख्वाह मदयूनकाजो अदालततजवीज़करे तासुदूरहुक्म-सानी अदालत वज़ा करतारहे ॥

एकनक़लऐसे हरहुक्मकी कचहरीके नज़रगाहआम पर आवेज़ां की जायेगी और उस ओहदेदारको हवाले की जायेगी जिससे क़ुर्क़ी तामील मुतअल्लिक़ हो ॥

ऐसे हर ओहदेदार को अख़्तियार होगा कि वक़्तन्
वज़ेशुदह को अदालत में
दाख़िलकरे और ऐसेदाख़िलकरनेसे गवर्न्नमेण्ट यारेलवे
कम्पनी जैसा मौक़ा हो उसीक़दर बरीउज़्ज़िम्मे होगी
कि गोया वह रुपया मदयून डिकरीकोअदाकियागया॥
दफ़ा२६९—अगरशैकुर्क़ीतलब क़ूला
हो जिसपर मदयूनडिकरी क़ाबिज़है मगर उनअक़साम
जायदादमें नहो जो दफ़ा२६८की पहलीशर्त्तमें मज़कूरहै
तो उसकी क़ुर्क़ी बज़रिये गिरफ्तारी वाक़ईजायदादमज़-
कूरके होगी औरअहलकार क़ुर्क़ी उसजायदादकोअपनी
हिरासतमें याअपनेकिसी मातहतकीहिरासतमें रक्खेगा
और उसकी हिफ़ाज़त क़रारवाक़ईका ज़िम्मेदारहोगा ॥
परशर्त्तयहहैकिजबशैमकरूकाउसक़िस्मकीहो जोजल्द
अज़ख़ुद ख़राबहोजाती है या जिसकी हिफ़ाज़तकाख़र्च

का अख़्तियारहोगा किफ़ौरन्उसकोफ़रोख़्त करडाले॥
लोकल गवर्न्नमेंट मजाज़है कि क़वायद मुनासिबदर-
बाब ख़ुर्दनोश औरहिफ़ाज़तजानवरान् और दीगरमाल
मन्क़ूल [illegible] क़्तन् फ़वक़्तन् मु [illegible]
रह [illegible] ९ [illegible] कुर्क़
उसकोलाज़िमहैकि बावजूद अहकाममुंदर्जेज़ुन्वमासबक़
दफ़ै हाज़ाके उन क़वायदके मुताबिक़ अमलकरे ॥
दफ़ा२७०—अगर शै क़ुर्क़ीतलब कोईदस्तावेज़क़ाबि-
लबैअवशराहो जो अदालतमेंदाख़िल नहुईहोतोउसकी
क़ुर्क़ी बज़रिये उसकी गिरफ्तारी वाक़ई के होगी और

दस्तावेज़ मज़कूर अदालतमें हाज़िर कीजायेगी और ताहुक्मसानी अदालत के अदालतमें रहेगी ॥

दफ़ा २७१—कोईशख्स जोइस मजमूयेके मुताबिक़ऐसे हुक्मनामेकी तामीलमेंमसरूफ़हो जिसमें मालमन्क़ूलाके ज़ब्तकरनेकाहुक्मयाअख्तियार दियागयाहोकिसीमका-

पहले दख़ल न करसकेगा और न किसीसकूनतकेमकान के दरवाज़े बेरूनीके तोड़नेका मजाज़होगा लेकिन जब कोई शख्स किसीमकानसकूनतकेअंदर बाज़ाब्ता पहुँच जाय तो उसको अख्तियारहोगा कि उसमकानके किसी कमरेके दरवाज़ेको जिसमेंमाल मज़कूरकेमौजूदहोनेके बावरकरनेकी वजहहो बंद न रहनेदे और खोले ॥

मगरशर्त्त यहहै कि अगर वहकमरा ऐसी औरतकेद-ख़ल वाक़ईमेंहो जोहस्बरिवाज मुल्ककेबाहरनहींनिकल-तीहै तो शख्स तामीलकुनिंदा हुक्मनामा उसको इत्तिला करेगा कि उसको निकलजानेका अख्तियारहै और कुछ अरसे माक़ूलतक औरतके निकलजानेका इंतिज़ारकरके और निकलनेकेलिये उसको हरतरहकी सहूलियतमुना-शख्स मज़कूर मजाज़होगा कि मालगिरफ्ता-

कामके इस अम्रकी भी हरतरहसे एहतियातकरे किमाल कमरे से खुफ़िया न उठजाय ॥

दफ़ा २७२—अगर वहमाल अदालतमें या ओहदेदार सरकारीके पास जमाया उसकीहिफ़ाज़तमेंहो तो उसकी क़ुर्क़ी इसतरहहोगी कि अदालत याओहदेदार मज़कूरके

पास इत्तिलानामा इस दरख्वास्त के साथ भेजाजायगा कि तासुदूर हुक्मसानी उसअदालतके जहांसे इत्तिला-नामा सादिर हुआहो माल मज़कूर और उसका सूद या हिस्सामुनाफ़ाजोवाजिबुल्अदाहोकिसीकोनदियाजाय॥

परशर्त्तयहहै कि अगर माल मज़कूर किसी अदालत में जमाहो या उसकी हिफ़ाज़तमेंहो तो निज़ाअइस्तह-क़ाक़ मिल्कियत या वसूल मुक़द्दमेकी जो माबैन डिकरी-दार और किसी ऐसे शख्स ग़ैर के पैदाहो जो मदयून डिकरीनहींहैऔरजो बज़रिये किसीइन्तिक़ाल याक़ुर्क़ीके या और तरीक़से मालमज़कूरमेंहक़रखनेकादावीदारहो अदालत मज़कूरसे तै कीजायगी ॥

दफ़ा २७३—अगर शैक़ुर्क़ी तलबडिकरी ज़रनक़दमुस-द्दरै उसी अदालतके हो जिसने डिकरी इजराय तलब सादिरकीहोतो उसकी क़ुर्क़ीइस्तरह होगी कि अदालत से हुक्म सादिरकियाजायेगा कि उसज़रनक़दकी डिकरी का जो रुपया वसूलहो डिकरीइजरायतलब की बेबाक़ी में लगाया जाय ॥

अगर शैक़ुर्क़ीतलब डिकरी ज़र नक़द मुसद्दरै किसी दूसरी अदालतकी हो तो उसकीक़ुर्क़ी इस्तरह होगी कि इत्तिलानामा तहरीरीबसब्तदस्तख़त जज उसअदालत के जिसने डिकरी इजराय तलब सादिरकी हो इस दर-ख्वास्तकेसाथउसदूसरी अदालतमें मुरसिलकियाजाये-गा कि वहअपनी डिकरीका इजरामुल्तवीरक्खे उसवक़्त तक कि वहइत्तिलानामा मुरसिल करनेवालीअदालतके हुक्मसे फ़िस्ख़कियाजाय पसअदालतवसूलकुनिन्दा इ-

त्तिलानामा अपनीडिकरीका इजराबरतबक़उसकेमुल्तवी रक्खेगी इसशर्त्तसे और उसवक़्तक कि–

(अलिफ़)अदालत सादिरकुनिन्दै डिकरीइजरायत-लब उसइत्तिलानामे को फ़िस्ख़करे या–

(बे)डिकरी इजरायतलबका डिकरीदार अदालतवसूल कुनिन्दा इत्तिलानामा मज़कूरको दरख्वास्तदे कि वह अदालत अपनी डिकरीको जारीकरे ॥

बरवक़्त वसूल होने ऐसी दरख्वास्त के वह अदालत डिकरीको जारीकरेगी और ज़र वसूलशुदह को डिकरी इजराय तलबके ईफ़ा में लगादेगी ॥

दरसूरततमाम दूसरी डिकरियोंके क़ुर्क़ी इसतरहहोगी कि अदालत सादिरकुनिन्दैडिकरी इजरायतलबकाजज इत्तिलानामादस्तख़तीअपनाडिकरीक़ुर्क़ीतलबकेडिकरी दारके नाम इस इम्तनाअसे भेजेगा कि वह उसडिकरी का मुन्तक़िल या किसीनौअकेमतालबेकाज़ेरबार नकरे और जिसहालमें कि यहडिकरी किसी औरअदालतकी सादिर कीहुईहो तो उस अदालत के पासभी उसीतरह काइत्तिलानामाइसमज़मूनसे भेजनाहोगा कि वहडिकरी क़ुर्क़ी तलबका इजरा नकरे तावक़्ते कियहइत्तिलानामाब-हुक्मअदालत मुरसिलकुनिन्दैके फ़िस्ख़नकियाजायऔ-रहरअदालतजिसमें ऐसाइत्तिलानामापहुँचे तावक़्ते कि वहउसतरह फ़िस्ख़ न कियाजाय उसकीतामीलकरेगी॥

जो डिकरी कि इस दफ़ै के बमूजिब क़ुर्क़ हो उसके क़ाबिज़को लाज़िमहैकि अदालत इजरा कुनिन्दाडिकरी

मज़कूरको वह इत्तिला और मदद दे जो बवजह माकूल तलबकीजाय ॥

दफ़ा२७४–अगर शै क़ुर्क़ीतलब जायदाद गैरमन्क़ूलाहो तो उसकी क़ुर्क़ीइसतरह होगी कि हुक्मके ज़रिये से मदयून डिकरीकोइम्तनाअ कीजायेगी कि वह जायदाद मज़कूरको किसी तौरसे मुन्तक़िल या किसी नौअ से ज़ेरबार मुतालिबा नकरे औरइम्तनाअआमहोगीकि कोईशख्स बज़रिये ख़रीदारी या हिबै बतौर दीगरमदयूनसे जायदाद मज़कूर न ले ॥

वह हुक्म किसी जगह जायदाद मज़कूरके ऊपरया उसके मुत्तासिल बज़र बदुहल या किसी और तरीक़ै मामूलीसे मुश्तहर कियाजायेगा और उसहुक्मकीएक२ परत जायदाद और भी मकान अदालतके किसीमंज़र आमपर आवेज़ां कीजायेगी ॥

जब कि जायदाद आराज़ी मालगुज़ारी सर्कारहो तो उसहुक्मकी एकनक़लउसज़िलेके कलक्टर की कचहरी मेंभी चस्पांहोगी जिसमें वह आराज़ी वाक़ैहो ॥

दफ़ा २७५–अगर तादाद डिकरीशुदह मैख़र्चा और जुमलैमुतालिबैजात और मसारिफ़केजोकिसीजायदाद की क़ुर्क़ीमें आयदहुयेहों अदालतमें दाख़िलकरदीजाय या अगर डिकरीकाईफ़ा अदालतकीमारफ़त और तरह होजाय या अगर डिकरी मुस्तरद यामन्सूख़कीजाय तो बरतबक़ गुज़रने दरख्वास्त किसीशख्सके जो जायदाद मक़रूक़ामें किसीतरहका हक़रखताहो हुक्म वागुज़ाश्त क़ुर्क़ीका सादिर कियाजायेगा ॥

दफ़ा २७६—जब कुर्क़ी बज़रिये गिरफ्तारी वाक़ई या बसुदूर हुक्म तहरीरीके जिसका इश्तिहार और एलान बाज़ाब्ता हस्बशरायत मुन्दरजै सदरके कियागयाहो वकूअमें आये तो बअय्याम क़यामकुर्क़ी इन्तकालख़ानगी करना जायदाद मक़रूक़ैका बज़रिये बै या हिबै या रहन याबतौर दीगर और अदाकरनामदयून डिकरीकोक़रज़ा या सरमायाके मुनाफ़ेका या हिस्साशराकती जमा वग़ैरहका बमुक़ाबिले उन तमाम मुतालिबेजातके जिनका ईफ़ाय इस कुर्क़ीकी रूसे होसक्ताहो बातिलहोगा ॥

दफ़ा २७७—अगर जायदाद मक़रूक़ा सिक्का या करन्सी नोटहो तो अदालतको अख्तियारहै कि किसीवक़्त अय्यामक़याम कुर्क़ीमें यह हिदायतकरे कि वहसिक्का या नोटया कोईजुज्व उसका जो डिकरीके ईफ़ायकेलियेकाफ़ी हो उसफ़रीक़को अदाकियाजाय जो डिकरीके रूसेउसके पानेका मुस्तहक़हो ॥

दफ़ा २७८—अगर कोई जायदादसीग़ै इजरायडिकरी से कुर्क़ कीजाय और कोई दावानिस्बत उसजायदादके या एतराज़ निस्बत कुर्क़ीके इसबुनियाद पर कियाजाय कि वह जायदाद कुर्क़ीके लायक़नहींहै तो अदालतको लाज़िम है कि दावे या एतराज़की तहक़ीक़ात करे और दरबाबलेने इज़हार शख्स दावीदार यामोतरिज़के और नीज़ जुमलै दीगर उमूरमें वही अख्तियारात अमलमें लाये कि गोया वह फ़रीक़ मुक़द्दमाथा ॥

पर शर्त्तयहहै कि अगर अदालतके नज़दीक ऐसेदावे या एतराज़ के पेश करने में क़स्दन् या बिला ज़रूरत

तवक्कुफ़ हुआहोतो उसकी तहक़ीक़ात न कीजायगी ॥

अगर वह जायदाद जिससेदावा या एतराज़ मुतअल्लिक़हो मुश्तहर व नीलाम होचुकी हो तो जायज़है कि अदालत अम्र नीलाम ता दौरान तहक़ीक़ात दावा या एतराज़के नीलाम को मुल्तवी रक्खे ॥

दफ़ा २७९—शख्स दावीदार या एतराज़ कुनिन्दाको इसबातका सुबूत देना लाज़िमहै कि कुर्क़ीकी तारीख़पर वह जायदाद मक़रूक़ा में कुछ हक़ रखता था या उस पर क़ाबिज़ था ॥

दफ़ा २८०—अगर ऐसी तहक़ीक़ातके वक़्त अदालतको इतमीनान होजाय कि बाएतबार वजह मुन्दर्जेदावा या एतराज़के जायदादमज़कूर कुर्क़ीकेवक़्त मदयूनडिकरीके क़ब्ज़ेमें या उसकीतरफ़से अमानतन् किसी और शख्स के क़ब्ज़ेमेंनथी या कि किसी काश्तकार या और शख्सके दख़ल में नथी जो मदयून डिकरीको लगान देताहो या यहकि गोवह जायदादकुर्क़ीके वक़्तमदयूनडिकरीके क़ब्ज़े में रहीहोइल्लावह अपनेलिये या बतौरअपनीमिल्कीयत के उसपर क़ाबिज़नथा बल्कि किसीग़ैरशख्सके लिये या बतौर अमानतदार दूसरे शख्सके या जुज़न् अपनेलिये और जुज़न् दूसरे शख्सकी तरफ़से क़ब्ज़ा रखताथा तो अदालतको इसहुक्मका सादिरकरना लाज़िमहोगा कि जायदाद मज़कूर कुल्लन् या जुज़न् जिस्क़दर मुनासिब मालूमहो कुर्क़ी से वागुज़ाश्त कीजाय ॥

दफ़ा २८१—अगर अदालतको इतमीनानहो कि मदयून डिकरी जायदाद मक़रूक़ेपर कुर्क़ीके वक़्त बतौरमा-

लिकके क़ाबिज़ था न किसी दूसरे शख़्सकी तरफ़से याकि कोई और शख़्स उसपर मदयून डिकराकी तरफ़से अमानतन् क़ाबिज़ था याकि वह किसी काश्तकार या और शख़्सके दख़लमें थी जो मदयून डिकरीको लगानदेताहै तो अदालतको लाज़िमहै कि उसदावेको नामंज़ूर करे ॥

दफ़ा २८२—अगर अदालत को इतमीनान हो कि जायदाद मक़रूक़ा किसीऐसेशख़्सके पास रहन या ज़ेर मतालिबा है जो उसपर क़ब्ज़ा नहीं रखता है और अदालतके नज़दीक कुर्क़ीकाक़ायमरखनामुनासिबहो तो अदालत मजाज़ होगी कि बहिफ़्ज़ रहन या मतालिबा के कुर्क़ी क़ायम रक्खे ॥

दफ़ा २८३—जिसफ़रीक़ के ख़िलाफ़ हुक्म दफ़ा २८० या २८१ या २८२ के बमूजिब सादिर कियाजाय उसे अख़्तियारहै कि वहनालिश नम्बरी वास्ते साबितकराने उसहक़के जो उसको जायदाद मुतनाज़ेमें पहुँचताहै रुजूकरे मगर सिवाय पाबन्दी नतीजे ऐसी नालिशके (अगरनालिशहो) और सबतरह वहहुक्म क़तईहोगा ॥

दफ़ा २८४—हरअदालत इसहुक्मके सादिरकरने की मजाज़होगी कि जायदाद मक़रूक़ा या जुज़्व उसकाजो डिकरीके ईफ़ायकेलिये ज़रूरी मालूम हो नीलामाकिया जाय और ज़रसमन नीलाम मज़कूरकाया उसकाजुज़्व काफ़ी उसफ़रीक़को दियाजाय जो डिकरीकीरूसे उसके पानेका मुस्तहक़हो ॥

दफ़ा २८५—जिसहालमेंकिजायदायजोकिसीअदालत की हिरासतमेंनहो कई अदालतोंकी डिकरीके इजरायमें

क़ुर्क़कीजायतो उसजायदादको लेनायावसूलकरना और उसकी निस्बत हरदावा और उसकीक़ुर्क़ीपर हर एतराज़ कीबाबततजवीज़करनाउसअदालतसे मुतअल्लिक़होगा जो उनअदालतोंमेंसबसेआलादरजेकीहो औअगरउन-केदरजेमें कुछ फ़र्क़नहो तो उसअदालतसे मुतअल्लिक़हो-गाजिसकीडिकरीकीइल्लतमेंजायदादपहिलेक़ुर्क़हुईहो ॥

(ज़े) नीलाम और हवालेकरना जायदादका ॥

(अलिफ़) क़वायद आम ॥

दफ़ा २८६—नीलाम बसीगे इजराय डिकरी मारफ़त किसी अहल्कार अदालत या और शख्सके जिसकोअ-दालत मुक़र्ररकरे अमलमें आयेगा और बजुज़ उससू-रतके जो दफ़ा २९६ में मज़कूरहै और सूरतोंमें नीलाम आम हस्बतरीक़े मुफ़स्सिलै ज़ैलके हुआ करेगा ॥

दफ़ा २८७—जबसीगेइजरायडिकरीसेकिसीजायदादके नीलाम होनेका हुक्मदियाजायतो अदालतकोलाज़िमहै कि नीलाममक़्सूदहका इश्तिहार अदालतकी ज़बानमें मुश्तहरकराये औरइश्तिहारमज़कूरमेंनीलामकीतारीख़ और मुक़ाममुन्दर्ज होगा और मरातिबमुफ़स्सिलैज़ैलउ समेंहत्तुलमक़दूरसेहतऔरसिदाक़तकेसाथलिखेजायँगे

(अलिफ़) जायदाद जो नीलाम होनेवाली है—

(बे) तादाद मालगुज़ारी मुशख्ख़ससेमुहालयाहिस्से मुहालकी जबकि वह हक़ीयतजोनीलाम होनेवालीहै हु-क़ूक़व मराफ़िक़ मुहाल मालगुज़ार सरकार या जुज़्व मुहाल मालगुज़ार सरकारकेहों ॥

(जीम) कोईबार कफ़ालतजो इसजायदाद परहो ॥

(दाल) तादाद जिसके वसूलकेलिये नीलामका हुक्म दियागया हो और—

(हे) दूसराहर अम्र जिससेबदानिस्त अदालत ख़रीदार को इसग़रज़से वाक़िफ़होना ज़रूरहो कि वह जायदाद ज़रनीलामकी नवय्यत और मालियततजवीज़करसके॥

बग़रज़तहक़ीक़ करने उनमरातिबके जो इश्तिहारमें लिखेजायँगे अदालतको जायज़है कि जिसशख़्सकीज़रूरतहो उसे तलबकरे और उनमेंसे किसीकीबाबत उससेइज़हारले और जोदस्तावेज़ उनके मुतअल्लिक़ उसके क़ब्ज़े या अख़्तियारमें हो वह उससे हाज़िरकराये॥

हाईकोर्टको लाज़िमहै किइस मजमूयेके नफ़ाज़केबाद जिसक़दर जल्दमुमकिनहो उमूरातमहकूमें दफ़ाहाज़ाकी अंजामदिहीमें अदालतोंको हिदायतहोनेके लिये क़वायद मुरत्तिबकरे और हाईकोर्टको अख़्तियारहै कि वक़्तन्फ़वक़्तन्उनक़वायदका जो इसतरहमुरत्तिबकिये जावेंतब्दील करतीरहे और वहतमाम क़वायद मुक़ामके सरकारीगज़टमेंमुश्तहररहोंगेऔर उसकेबाद हुक्मक़ानूनकारक्खेंगे और साहब रिकार्डर रंगून निस्बतअपनी अदालत और अदालत मुतालिबेजात ख़फ़ीफ़ै रंगूनके हस्ब मुराद इस फ़िक़रैके हाईकोर्ट समझाजायगा॥

इसदफ़ाकी कोई इबारत उन सूरतोंसे मुतअल्लिक़न होगी जिनमें डिकरी का इजराय कलक्टरकेपास मुन्तक़िल होगयाहो॥

दफ़ा २८८—कोईजजया औरओहदेदारसरकारीकिसी ग़लती या ख़िलाफ़बयानीयाफ़रोगुज़ाश्ताकीबाबतजोबमू-

जिबदफ़ा २८७ किसीइश्तिहारमें पाईजायलायक़ मवा-
ख़ज़ेके नहोगा इल्ला उससूरतमें कि वहग़लती वग़ैरहबद
दियानतीसे कीगईहो ॥

दफ़ा २८९-इश्तिहारमुताबिक़ तरीक़ै मुअय्यनै दफ़ा
२७४ उसीमौक़ेपर मुश्तहर कियाजायगा जहांजायदाद
कुर्क़हुईथी और एकनक़लउसकी बादअज़ांकचहरी के
अंदर आवेज़ां कीजायगी और अगरअराज़ीसरकारको
मालगुज़ारी देतीहो तो कलक्टरकी कचहरीमेंभी-

अगर अदालत हिदायत करे तो ऐसा इश्तिहारमु-
क़ामके सरकारीगज़ट और मुक़ामकेकिसी अख़बारमेंभी
मुश्तहर कियाजायगा और ख़र्चा उसमुश्तहरीकामिन्जु-
मलै ख़र्चा नीलामके मुतसव्विर होगा ॥

दफ़ा २९०-बजुज़सूरत जायदाद मुतज़क्किरै इबारत
शर्त्ती दफ़ा २६९ केकोई नीलाम महकूमा व बाबहाज़ा
बिला रज़ामन्दी तहरीरी मदयून डिकरीके उस वक़्तक
न होना चाहिये कि जिस तारीख़ को नक़ल इश्तिहार
की जज अमर नीलामकी अदालतमें आवेज़ां कीगईहो
उससे दरसूरत जायदाद ग़ैरमन्कूलाके अरसा अक़ल
दरजा ३० योमका और दरसूरत जायदाद मन्कूला के
अक़लदरजा अरसा पन्द्रहरोज़का न गुज़र जाय ॥

दफ़ा २९१-अदालत मजाज़है कि अगर मुनासिबस-
मझे तोइसबाबकेमुताबिक़ नीलामकोसिवायउसनीलाम
के जो साहब कलक्टरकी मारफ़त अमलमें आये किसी
औरतारीख़ और शराअततक मुल्तवीकरदे औरआमिल
नीलामअगरमुनासिबसमझेनीलाममुल्तवीकराकेइल्त-

बाकीवजूह क़लमबन्दकरे मगर शर्त्तयहहै कि जबनीलाम
मकानअदालतकेअहातेकेअंदरहोतोबग़ैरइजाज़तअदा
लतकेइल्तवा नकरनाचाहिये जबकभी नीलामइसदफ़ा
केबमूजिब सातरोज़से ज़ियादा अरसेतक मुल्तवीकिया
जायतो एक ताज़ाइश्तिहार मुताबिक़दफ़ा २८६ मुश्त-
हरकियाजायगा इल्लाउससूरतमें किमदूनडिकरीउससे
दरगुज़र करनेपरराज़ीहो और अगर लाटकीबोलीख़त्म
होनेसे पहिले कुलरुपया मुतालिबा और ख़र्चेकामयख़र्चे
नीलाम ओहदेदार मज़कूर के रूबरू हाज़िर कियाजाय
या सुबूत इसबातका हस्ब उसके इतमीनानके दियाजाय
कि वह मतालिबा मयख़र्चे हाय मज़कूर उस अदालत
में दाख़िल होचुका है जिसने नीलामका हुक्मदिया था
तो लाज़िम है कि नीलाम मौकूफ़ कियाजाय ॥

दफ़ा २९२—कोई ओहदेदार जो इस बाबके मुताबिक़
किसी नीलामके मुतअल्लिक़ कोईख़िदमत अंजाम देताहो
उसे लाज़िमहै कि हीलतन् यासराहतन् किसीजायदाद
के लिये जो नीलाम पर चढ़ाई जाय बतौर ख़रीदार के
बोली न बोले और न हीलतन् या सराहतन् ऐसी जा-
यदादमें कोई इस्तहक़ाक़ हासिल करे और न हासिल
करनेका इक़दाम करे ॥

दफ़ा २९३—ओहदेदार आमिलनीलामको लाज़िमहै
कि कमीक़ीमतको (अगरकुछहो) जो इसमजमूयेके बमू-
जिबनीलाम मुक़र्ररहोनेकेबायस बवजहक़ुसूर ख़रीदार
नीलामवाक़ैहो मयजुमलैइख़राजातके जो ऐसीनीलाम
मुक़र्ररसे मुतअल्लिक़हों अदालतमें लिखकर गुज़राने ॥

और वह कमीक़ीमत और इख़राजात डिकरीदारया मदयून डिकरीकी दरख्वास्तपर शख्स क़ासरसे उनक़वायदके बमूजिब वसूलकियेजायँगे जो वास्ते इजराय डिकरी ज़रनक़द के इसबाबमें मुन्दर्जहैं ॥

दफ़ा २९४–वह डिकरीदार जिसकी डिकरीकेईफ़ायके लियेजायदाद नीलामकीजाय मजाज़नहींहै कि बिलाहुसूल इजाज़तसरीह अदालतके जायदाद नीलामी के लिये बोलीबोलै या उसको ख़रीदकरे ॥

जब डिकरीदार अदालत की इजाज़त सरीह हासिल करके जायदाद ख़रीदकरे तो जायज़है कि वह मुतालिबा जोडिकरीकीरूसेवाजिबुलअदाहो और ज़रसमननीलाम बमुक़ाबिले एकदूसरेकेअगर वहचाहे तो मुजरा होजाय और अदालत इजरायकुनिन्दा डिकरीकुलयाजुज्वईफ़ाय डिकरीका उसकेमुताबिक़ उसपर लिखदेजब डिकरीदार खुद या मारफ़त किसी और शख्सके बिलाहुसूल ऐसी इजाज़तकेजायदादकोख़रीदकरेतो अदालत मजाज़हैकि अगर मुनासिब समझे बरतबक़दरख्वास्तमदयूनया औरकिसीशख्सके जो नीलामसे वास्तारखताहो हुक्म वास्तेइन्फ़िसाख़नीलामके सादिरकरे और ख़र्चाऐसीदरख्वास्त और हुक्मका और कमीक़ीमतकी जो नीलाम सानीके बायस वक़ूअमें आये और कुलइख़राजात मुतअल्लिक़े नीलामसानी डिकरीदारसे अदाकरायेजायेंगे॥

दफ़ा २९५–जब सीग़े इजराय डिकरीसे कुछ रुपया बज़रिये नीलाम जायदाद या बतौरदीगर अदालत को वसूलहो और एकसेज़ियादह अशख़ासने उसके वसूल

होनेसे पहिले दरख्वास्तेंवास्तेजारीहोनेअपनी २ डिक-
रियात ज़रनक़द के ऊपर एकहीमदयून डिकरीके उस
अदालतमें दाख़िलकीहों जिसमेंवहज़रनक़ददाख़िल है
मगरडिकरियातका रुपया न पायाहो तोरुपयावसूलशु-
दह बादमिनहाईख़र्चा वसूलकरनेकेउनजुमलेअशख़ास
के दरमियान बहिसाब रसदी तक़सीम कियाजायेगा ॥

मगर शर्त्त यह है कि–

(अलिफ़)जबकोई जायदाद ताबैरहनयामवाख़िज़ेके
जो उसपर हो नीलाम कीजाय तो ज़रसमन नीलामसे
जोकुछफ़ाज़िल निकलेउसमें मुरतहन या मवाख़िज़ेदार
बहैसियत मुरतहनी या मवाख़िज़ेदारी हिस्सापाने का
मुस्तहक़ न होगा ॥

(बे)जब वहजायदाद जो सीग़े इजरायडिकरीसे नी-
लाम होनेके क़ाबिलहै किसीकेपासमरहूनहो या उसपर
कुछमवाख़िज़ाहोतो अदालतमजाज़होगी किबरज़ामंदी
मुरतहिन या मवाख़िज़ेदारके यहहुक्मदे किजायदादबि-
लाबार रहन या मवाख़िज़ेके नीलामकीजाय औरमुरत-
हिन यामवाख़िज़ेदारको नीलामकेज़रसमनपरवहीइस्त-
हक़ाक़देजोउसको जायदादनीलामशुदहपरहासिलथा॥

(जीम)जब जायदाद ग़ैरमन्क़ूलाऐसीडिकरीके इज-
रायमें नीलामकीजाय जिसमें यहहुक्म मुन्दर्जहो किजा-
यदाद फ़लां मवाख़िज़ेकी बेबाक़ीके लियेनीलामकीजाय
तो ज़रसमन नीलाम हस्बतरतीब मुफ़स्सिलैज़ैलकेसर्फ़
कियाजायेगा ॥

अव्वलन्–नीलामके इख़राजातकी बेबाक़ी में ॥

सानियन्-उस ज़रदैन असल व सूदके अदाकरनेमें जिसका मवाख़िज़ा जायदाद परहै ॥

सालसन्-मवाख़िज़ै हाय मावादके असल व सूद के अदाकरनेमें अगर ऐसे मवाख़िज़ेहों और-

राबअन्-तक़सीम रसदी दरमियान उनअशख़ासके जो डिकरियातज़रनक़दकी मद्यूनपर रखतेहों और जिन्होंने जायदादकेनीलामसेपहिले दरख्वास्त जारीकराने अपनी डिकरियातकी उसअदालतमें दाख़िलकीहो जिसने डिकरी बहुक्म नीलाम जायदाद मज़कूर सादिरकी थी और जिनकी डिकरियां हनोज़ बेबाक़ न हुईहों ॥

अगर वह कुलरुपयाया जुज्व उसका ऐसेशख्सको दियाजाय जो उसके लेनेका मुस्तहक़ न थातो वहशख्स जो लेनेका मुस्तहक़हो उस शख्सपर नालिश वास्तेजबरन् वापिसदिलाने ऐसे रुपये के दायर करसक्ता है ॥

इसदफ़ाकीकोई इबारत सरकारके किसी हक़मेंख़लल अंदाज़ न होगी ॥

(बे) क़वायद मुतअल्लिक़ै जायदाद मन्क़ूला ॥

दफ़ा २९६-अगर जायदाद नीलामहोनेवाली अज़ क़िस्म दस्तावेज़ क़ाबिल बै व शिराहो या हिस्सा किसी आम कम्पनी याजमाअत सनदयाफ्ताकाहो तो अदालत मजाज़होगी कि बजाय सादिरकरनेहुक्म नीलामआम के ऐसी दस्तावेज़ या हिस्सा मज़कूरे बालाको मुताबिक़निर्ख़ बाज़ार उसवक़्तके मारफ़त दलालके फ़रोख्त करने की इजाज़त दे ॥

दफ़ा २९७-दरसूरत औरजायदाद मन्क़ूलाकेक़ीमत

हरलाटकीवक़ नीलाम या जिसक़दर जल्द बाद नीलाम के अहल्कार आमिल नीलाम हुक्मदे दाख़िल करनी होगी और दरसूरत न दाख़िल करने के वह शै फ़ौरन् फिरनीलामपर चढ़ाई जायगी और नीलामकीजायगी॥

बाद अदाय ज़रसमनकेअहल्कार आमिलनीलामएक रसीद उसकी बाबतदेगा और नीलामक़तई होजायेगा॥

दफ़ा २९८—जायदाद मन्क़ूलै का नीलाम उसकी मुश्तहरी या तामीलमें बेज़ाब्तगी होनेके सबबसेनाजायज़ न होजायेगा लेकिनअगरकिसीशख़्सको ऐसीबेज़ाब्तगी सेजोकिसी औरशख़्सकीजानिबसे वाक़ैहुईहो ज़ररपहुँचे तो उसको अख़्तयार है कि वह वास्ते वसूलयाबीहर्जा या (अगरवहशख़्सख़रीदारहो) बाबत मिलने उसख़ास जायदाद और बाबत उसहरजेके जो उसके न मिलने के बायस आयदहुआहो उसकेनाम नालिश दायर करे॥

दफ़ा २९९—अगर जायदाद नीलामी कोई दस्तावेज़ क़ाबिल बै व शिराकेहो या और जायदाद मन्क़ूलाहोऔर ज़ब्ती वाक़ई उसकी अमलमें आईहो तो ऐसीजायदाद ख़रीदार के हवाले करनी होगी॥

दफ़ा ३००—जब जायदाद नीलामी अज़क़िस्म जायदाद मन्क़ूलैकेहो जिसपर मदयून डिकरी कोइश्तहक़ाक़ इसक़ैदसेहो कि कोई और शख़्स उसपर क़ब्ज़ारक्खे तो ख़रीदारको जायदाद मज़कूर से इस तौरसे दिलाई जायगी कि शख़्स क़ाबिज़ जायदाद मज़कूरको इत्तिला दीजाय कि जायदादपर किसीशख़्स को सिवायख़रीदार नीलाम के दख़ल न दे॥

दफ़ा ३०१—अगर जायदाद नीलामी अज़ क़िस्म दैन के हो जिसके इतमीनानकेलिये कोई दस्तावेज़ क़ाबिल बै व शिरा न लिखीगईहो या हिस्सा किसीआमकम्पनीकाहो तो सुपुर्दगीउसकी बज़रियेहुक्मतहरीरीअदालतमशअर इसइम्तनाअके अमलमें आयेगी किदायनज़र क़रज़ाया उसका सूद वसूल न करे और मदयून बजुज़ ख़रीदारके और किसीशख़्सको ज़रक़रज़ा मज़कूर अदानकरे यायह कि वहशख़्स जिसके नामसे हिस्सा मज़कूरहो हिस्सा मज़कूर को बजुज़ ख़रीदारके किसी और शख़्स के हाथ मुन्तक़िल न करे और न कुछहिस्सामुनाफ़ा या उसके सूदका बाबत इसकेलिये और मैनेजर या सेक्रेटरी याकोई औरओहदेदारमुनासिबऐसीकम्पनीकाकिसीऔरशख़्स के हाथबजुज़ ख़रीदारके ऐसाइन्तक़ाल नहोनेदे और न और किसीको मुनाफ़ा अदा होनेदे ॥

दफ़ा ३०२—अगर लिखना इबारत इन्तक़ाली या दस्तावेज़इन्तक़ालकामिन्जानिब उसफ़रीक़के जिसकेनाम कोई दस्तावेज़ क़ाबिल बै व शिरा या किसी कम्पनी आमकाहिस्सा लिखाहुआहो वास्तेइन्तक़ालउसदस्तावेज़ या हिस्सेके मतलूबहो तो जायज़ है कि जज ऐसी दस्तावेज़की पुश्तपर याहिस्सेके सार्टीफ़िकटपर इबारत इंतक़ालीलिखदे या औरकिसीऐसीदस्तावेज़कीतकमील करे जो ज़रूरीहो ॥

नमूना इबारत इंतक़ाली या तकमील का हस्बमुंदर्जे ज़ैल या मिस्ल उसके होगायाने—ज़ैदकेदस्तख़तमारफ़त

ख़ालिद अदालतफ़लांका जजया (जैसीसूरतहो) बमुक़द्दमै बकर बनामज़ैद॥

जबतक कि दस्तावेज़ या हिस्सामज़कूरका इन्तक़ाल नहोअदालतकोअख़्तियारहोगाकिकिसीशख़्सकोवास्ते वसूलसूदयाहिस्सैमुनाफ़ाके जो बाबतउसकेयाफ्तनीहो औरउसकीरसीदपरदस्तख़तकरदेनेकेलियेबज़ारियेहुक्म के मुक़र्र्रकरे और इसतरहकी इबारतइंतक़ालीमुसबितै या दस्तावेज़मुकमिलैयारसीददस्तख़तीकुलउमूरकीनिस्बतमिस्लमुसबितैयामुकमिलैयादस्तख़तीख़ुदउसीफ़रीक़के वास्ते तमाम इग़राज़के जायज़औरनातिक़ होगी॥

दफ़ा ३०३—दरसूरत किसीऐसी जायदाद मन्क़ूलै के जिसका ज़िक्र ऊपर नहींकियागया अदालतकोजायज़है कि मुश्तरीको या जिसेवहबतलायेउसजायदादकोमिलने का हुक्मदे और उसीकेमुताबिक़ वह जायदादमिलेगी॥

(जीम) क़वायद मुतअल्लिकै जायदाद ग़ैरमन्क़ूला॥

दफ़ा ३०४—नीलाम जायदाद ग़ैरमन्क़ूलाकाबसीग़ै इजराय डिकरी बजुज़अदालतमुतालिबेजातख़फ़ीफ़ेकेहर अदालतकेहुक्मसे होसक्ता है—

दफ़ा ३०५—जबहुक्मवास्ते नीलामजायदादग़ैरमन्क़ूला के सादिरहो अगरमदयूनडिकरीअदालतको मुतमय्यन करसके कि वजह इसअम्रके बावर करनेकीहै कि डिकरी का मुतालिबा बज़रिये रहन या मुस्ताजरी या बै ख़ानगी जायदाद मज़कूर या उसकेजुज़्वके या मदयून डिकरी की किसी और जायदाद ग़ैरमन्क़ूला के वसूलहोसक्ताहै तो अदालतमजाज़हैकि बरतबक़ गुज़रने दरख़्वास्त म-

दूयन डिकरीके उसजायदादके नीलामको जो नीलामके हुक्ममें मुन्दर्ज हो किसीअरसेतकजो अदालतको मुनासिबमालूमहो मुलतवी रक्खे ताकि मदयूनडिकरी रुपये की सबील करसके॥

ऐसी सूरतमें मदयूनडिकरी को एक सार्टीफ़िकट अदालतसे मिलेगाजिसमें उसकोअख्तियारदियाजायेगा कि वह बावस्फ़मुन्दर्जहोनेकिसी औरहुक्मकेदफ़ा २७६ मेंएकमीआदमुअय्यनकेअंदरजोसार्टीफ़िकटमेंदर्जहोगी रहन या मुस्ताजरी या बै हस्बदरख्वास्त अमलमेंलाये लेकिन शर्त्तयहहै किजोरुपयाऐसे रहन या मुस्ताजरीया बै की बाबतवाजिबुल्अदाहो अदालतमें दाख़िलकिया जायेगा मदयून डिकरी को न मिलैगा॥

और यहभीशर्त्तहै कि कोई रहन या मुस्ताजरी याबै जोहस्बदफ़ाहाज़ा अमलमेंआये नातिक़ नहोगा तावक़्ते कि अदालतसे उसकी मन्ज़ूरी न हो॥

दफ़ा३०६—जबजायदादग़ैरमन्क़ूलाइसबाबकेबमूजिब नीलाम कीजाय तो उस शख्सकोजो ख़रीदारनीलामक़रार दियाजाय बफ़ौरख़रीदार क़रारपानेके अपनीबोली की तादादपर पच्चीसरुपया सैकड़ा ओहदेदार नीलाम कुनिन्दाकेपास उसीवक़्तजमाकरना होगा और दरसूरत जमा न करने के जायदादफ़ौरन् फिरनीलाम पर चढ़ाई जायेगी और नीलामकी जायेगी॥

दफ़ा३०७—ख़रीदार नीलाम को लाज़िम है कि रोज़ नीलामसेपन्द्रहवेंदिनअलावह रोज़नीलामके क़ब्लबरख़ास्तअदालतकुलज़रसमनदाख़िलकरे याअगरपंद्रहवें

दिन रोज़ इतवार या और कोईरोज़ तातीलका वाक़ै हो तोपन्द्रहवें दिनकेबाद जिसरोज़ पहिलेकचहरीखुलेउसी दिन दाख़िल करना ज़रूरहै ॥

दफ़ा३०८–अगर रुपया मीआद मुन्दर्जैदफ़ामुलहक़ा बालामेंदाख़िल नकियाजायज़रअमानत बादअदाकरने ख़र्चै नीलामके सरकारमें ज़ब्तहोगा और वहजायदाद दुबारानीलाम कीजायेगी और ख़रीदारका सिरका इस्तहक़ाक़ निस्बत जायदाद याकिसीजुज्वज़रसमन नीलाम माबादके बाक़ी न रहेगा ॥

दफ़ा३०९–जब कि ज़रसमन उसमीआद के अंदर जो उसके अदाके लिये मुक़र्ररहै अदानहो तो लाज़िमहै कि हरनीलाम मुक़र्रर जायदाद ग़ैरमन्क़ूला का बादसुदूद इश्तिहारजदीदके जोबमूजिब उसीतरीक़े और बतक़र्रुर उसी मीआदकेहो कि दफ़आतमासबक़में नीलामकेलिये मुक़र्ररहै अमलमें आये ॥

दफ़ा३१०–अगर वह जायदाद जो बइल्लतइजराय डिकरी नीलामकीजाय हिस्साकिसीजायदाद ग़ैरमंक़ूला ग़ैरमुन्क़सिमाका हो और दो या कई अशख़ास जिनमें से एक हिस्सेदार उसजायदादका हो उसनीलामकेवक़्त किसीबोलीमें एकही तादादकी बोलीबोलें तो वह बोली हिस्सेदारकी बोली समझी जायगी ॥

दफ़ा३११–डिकरीदार को या उस शख्सको जिसकी जायदाद ग़ैरमन्क़ूला हस्ब बाबहाज़ा नीलाम होगई हो अख्तियारहै कि अदालतमें दरख्वास्तवास्ते इन्फ़िसाख़ नीलामके बराबिनाय किसी बेज़ाब्तगी नफ़्सुल अमरीके

जो उस नीलामके इश्तिहार करने या अमलमें लाने में हुईहो गुज़राने--लेकिनकोई नीलाम बवजह बेज़ाब्तगी फ़स्ख़ नहोगा इल्लाउसहालमें किसायलहस्बइतमीनान अदालत साबित करे कि उस बेज़ाब्तगीसे उसकोज़रर वाक़ई पहुँचाहै ॥

दफ़ा३१२—अगरदरख्वास्त मुतज़क्किरा दफ़ामुलहक़ाबाला नगुज़रे या पेशहोकर उज्र नामंज़ूर होजाय तो अदालत हुक्म मंज़ूरी नीलाम जहांतकफ़रीक़ैनमुक़द्दमा और ख़रीदार नीलाम से तअल्लुक़हो सादिर करेगी ॥

अगर ऐसीदरख्वास्त गुज़रे और उज्रमंज़ूर हो तो अदालत हुक्म मन्सूख़ी नीलाम का सादिर करेगी ॥

कोईनालिश बराबिनाय ऐसी बेज़ाब्तगी के वास्ते मन्सूख़ी किसी हुक्मके जो इसदफ़ाके मुताबिक़ सादिरहो तरफ़से उसशख्सके जिसके ख़िलाफ़ मतलब ऐसाहुक्म हुआहो रुजू न होगी ॥

दफ़ा३१३—ऐसेहर नीलामके ख़रीदारको अख्तियार है कि अदालतमें दरख्वास्त इस्तिरदाद नीलामकीइस बुनियादपर गुज़रानेकि जायदाद जिसशख्सकी मिल्कियत ज़ाहिरकरकेनीलामकीगईथी वहदरअस्लजायदाद मज़कूरमें ऐसाकोई हक़ नहीं रखता था कि जो क़ाबिल नीलामके था उसपर अदालतमजाज़होगीकि जो हुक्म मुनासिब समझे सादिरकरे मगरशर्त्त यह है कि कोई हुक्म इन्फ़िसाख़ नीलाम का न दियाजायेगा इल्लाउस हालमें कि मदयून डिकरी और डिकरीदार को मौक़ाउज़रातके सुनेजानेका निस्बत उसहुक्मके मिलचुकाहो ॥

दफ़ा ३१४—कोई नीलाम जायदाद ग़ैरमन्क़ूलैका जो सीग़ै इजराय डिकरीसे अमलमें आये क़तईनहोगा तावक़्ते कि वह अदालतसे मन्ज़ूर न हो ॥

दफ़ा३१५—जबनीलाम किसीजायदादग़ैरमन्क़ूला का दफ़ै३१२ख्वाह दफ़ा३१३केबमूजिबमुस्तरदकियाजाय॥

या जब यह दरियाफ्तहो कि मदयूनडिकरी कोईहक़ क़ाबिल नीलामजायदादमें जिसका नीलामहोनाज़ाहिर कियागयानहीं रखताथा और इसवजहसेख़रीदारउससे महरूम कियागया है ॥

तोख़रीदारमुस्तहक़होगाकि अपनाज़रसमननीलाम मैयाबिलासूदजैसाअदालत हिदायतकरेउसशख्ससेवापिस

जायज़हैं किवहज़रसमनऔर सूद(अगरकुछ)अदालतसे दियागयाहो शख्समज़कूरसे बमूजिब उनक़वायदके वापिस करायाजाय जो वास्ते इजराय डिकरी ज़रनक़द के इसमजमूये में मुंदर्ज हैं ॥

दफ़ा ३१६—जबनीलामजायदाद ग़ैरमन्क़ूलैकाहस्ब मुतज़क्किरै सदरनातिक़ होजाय तो अदालतको लाज़िम हैकि क़ितैसार्टीफ़िकटमशअर तफ़सीलजायदादनीलाम शुदह औ नाम उसशख्सके जो वक़्त नीलाम उसकाख़रीदारक़रारपायाथा अताकरे ऐसेसार्टीफ़िकट में तारीख़ बहाली नीलामकी दर्जहोगी और जहांतक फ़रीक़ैन मुक़द्दमेसे ग़रज़है या उनअशख़ाससेजो फ़रीक़ैनकीमारफ़त या उनके ज़रियेसेजायदाद नीलामीमेंदावारखते हों मिलकियत जायदादनीलामशुदहकी तारीख़सार्टीफ़िकट

से ख़रीदारकी ज़ातमें दाख़िलहोजायेगी न उससेपहिले

ई

म वक़्अमें आयाथा तारीख़नीलामतकबरक़राररहीहो॥

दफ़ा ३१७–कोई नालिश इस बिनायपरख़रीदारसार्टीफ़िकटयाफ्तह के नाम समाअ़त न कीजायेगी किख़रीद किसी और शख़्स की तरफ़ से या ऐसे शख़्सकीतरफ़से कीगईथी जिसकेज़रियेसे वहदूसराशख़्सदावाकरताहै॥

कोई इबारतइसदफ़ाकी मानेनालिश हासिल करने इसहुक्मकी नहोगी कि नामख़रीदारसार्टीफ़िकटयाफ्तह का सार्टीफ़िकटमें फ़रेबन् या बिला रज़ामन्दी असल ख़रीदारके दाख़िल कियागया है॥

दफ़ा ३१८–अगरजायदादनीलामशुदहमदयूनडिकरी या मिन्जानिब उसकेकिसी और शख़्सकेक़ब्ज़ेमें या बक़ब्ज़े शख़्सदीगरकेहोजो बज़रियेऐसेइस्तहक़ाक़केउस जायदादकीनिस्बतदावीदारहोकिबादक़ुर्क़ीजायदादमज़कूरके मदयून डिकरीसे हासिलहुआहो औरदफ़ै ३१६के बमूजिब उसजायदादकी बाबतसार्टीफ़िकट दियागयाहो तो अदालत ख़रीदार कीदरख़्वास्तपरयहहुक्म देगी कि ख़रीदारको या और शख़्सको जिसकोकि उसने अपनी तरफ़से क़ब्ज़ालेनेके लियेमुक़र्ररकियाहो जायदादमज़कूरपरक़ब्ज़ादिलायाजायऔरअगर ज़रूरतहोतोजोशख़्सदख़लदेनेसेइन्कारकरेवहउसमसेनिकालदियाजाय॥

दफ़ा ३१९–अगर जायदाद नीलामशुदह असामीया किसीऔरशख़्सकेदख़लमेंहो जिसकोउसकेदख़लका इस्तहक़ाक़हासिलहो औरउसजायदादकीबाबतसार्टीफ़ि-

कट हस्बदफ़ा३१९ दियागयाहोतोअदालतवहजायदाद उसको इसतरहसे दिलानेका हुक्मदेगी किनक़लसार्टीफ़िकट नीलामको जायदादमज़कूरकेकिसीनज़रआमपर आवेज़ांकरायेगी औरबज़र्बदुहल या बज़रियेदीगरतरीक़ामुरव्विजेके मुनासिबमुक़ाममेंवास्ते इत्तिलाअक़ाबिज़ जायदादकेयहमुश्तहरकरायेगी कि उसमें हक़ीयत मद्यून डिकरीकी ख़रीदार नीलामकेहाथ मुन्तक़िलकीगई॥

दफ़ा३२०—लोकलगवर्नमेण्टको अख्तियारहै कि बमंज़ूरी जनाबमुअल्लाअल्क़ाब नव्वाब गवर्नरजनरलबहादुर ब इजलास कौंसल बज़रियेइश्तिहारमुंदर्जेगज़ट सर्कारीके एलानदे कि फ़लांइलाक़ेअरज़ीमेंइजरायडिकरियातका उनमुक़द्दमातमें जिनमें अदालतकेहुक्मसेकोई जायदाद ग़ैरमन्क़ूला नीलामहोनेवाली हो या इजराय किसीख़ासक़िस्मकीडिकरीका मिन्जुमले ऐसीडिकरियोंके याइजरायडिकरियातका जिनमें हुक्मनीलाम किसी ख़ासक़िस्मकी जायदाद ग़ैरमन्क़ूला या हक़ीयत वाक़ैजायदादगैरमन्क़ूलाकादियागयाहो कलक्टरकेपासमुन्तक़िल कियाजाय और ऐसेएलानको मन्सूख़ या तरमीमकरे॥

माहज़ालोकलगवर्नमेण्टमजाज़है किबाबरफ़अहकाम मुंदर्जे किसीदफ़ेमासबक़के वक़्तन् फ़वक़्तन् क़वायद दरबाबमुरासिलहोनेडिकरीकेअदालतसे बख़िदमतकलक्टर औरबतक़र्रुरउसज़ाबितेके जिसकीपाबंदीबवक़्त इजराय डिकरी कलक्टर और उसके मातहतों पर वाजिब होगी और इसबाबमें कि डिकरी कलक्टरके पाससे अदालत में भेजीजाय मुरत्तिब करतीरहे॥

दफ़ा ३२१—जब किसीडिकरीका इजराय हस्बतरीक़ै मुफ़स्सिलै वाला मुंतक़िलकियाजाय तो साहब कलक्टर को अख़्तियार है कि—

(अलिफ़)उसीतरह अमल करे जिसतरह अदालत दफ़ै ३०५ के बमूजिब अमल करती या—

(बे)कुल या जुज्व जायदाद मुश्तहरानीलामकोबाद अख़्ज़ उजरतके पट्टा इस्तमरारी या मीआदी पर दे या उसको रहन करे॥

(जीम)जायदाद बरसर नीलामको या जुज्व उसका जिसक़दर ज़रूर हो बै करे॥

दफ़ा३२२—जबइजराकिसी डिकरीकामुन्तक़िलकिया जाय जिसमें हुक्म नीलाम जायदादग़ैरमन्क़ूलाका मुवाफ़िक़एकमुआहिदेकेजिसकाअसरख़ासउसीजायदादपर पहुँचता हो न दियागयाहो बल्किवह डिकरीज़रनक़दकी हो जिसके ईफ़ायकेलियेअदालतने हुक्मनीलामजायदादग़ैरमन्क़ूलाका दियाहो तो साहबकलक्टरको अख़्तियारहै कि अगर बाद उसक़दर तहक़ीक़ातके जो ज़रूरी मालूमहो उसको वजह इसगुमानके पाईजाय कि तमाम दयून ज़िम्मगी मदयून बिलानीलाम उसकी तमामजायदाद ग़ैरमन्क़ूला मुतहासिलाके बेबाक़ होसक्तेहैं तोहस्बतरीक़ह मज़कूरा आयंदा अमलकरे॥

दफ़ा३२३—(अलिफ़) सूरत मुतज़क्किरै दफ़ा ३२२में साहबकलक्टरको चाहिये क़िता नोटिस याने इश्तिहार इसहुक्मके साथ मुश्तहरकरे॥

(अलिफ़)कि हरशख़्स जो मदयून डिकरीकेनामऐसी

डिकरी ज़रनक़द की रखताहो जो उसकी जायदादग़ैर मन्क़ूलाकेनीलामसेबेबाक़होसक्तीहै और जिसकोडिकरीदारख़ुद उसतौरपरबेबाक़ करानाचाहताहो औरनीज़हरशख़्सक़ाबिज़ ऐसी डिकरीज़रनक़दका जिसकेवसूलके लिये काररवाई नीलाम जायदाद मज़कूरकीदायरहोएक नक़ल डिकरीकी और सार्टीफ़िकटउसअदालतका जिसनेडिकरी सादिरकीहो या जोउसकीतामीलमें मसरूफ़हो साहबकलक्टरके रूबरू हाज़िरकरे जिसमेंयहलिखाहो कि डिकरीकीरूसे किसक़दर रुपया वाजिबुल्अदा है॥

(बे) और यह कि हरशख़्स जो जायदाद मज़कूरपर कुछदावा रखताहो अपने दावेका हाललिखकर साहब कलक्टरकेपास दाख़िल और उसकेसुबूतकीदस्तावेज़ात अगर कुछ मौजूद हों पेशकरे॥

ऐसाइश्तिहार ज़िलेकी ज़बान मुरव्विजामें मुश्तहर कियाजायेगाऔरउसकी तामीलकेलिये अरसा६०रोज़ का तारीख़ मुश्तहरीसे दियाजायेगा और मुश्तहरी इस तरहसे होगी कि उसकी एकपरत उस अदालतकेमकान इजलासपर आवेज़ांकीजायेगी जिसनेअसल हुक्महस्ब मन्शाय दफ़ा३०४ सादिर कियाहो और चन्दपरतेंऐसे मुक़ामात पर (अगरकोईहों) लटकाईजायेंगीजोसाहब कलक्टरको मुनासिब मालूमहों और जब निशान और पता किसीडिकरीदार यादावीदारका मालूमहोतोइश्तिहारकी नक़ल उसकेपास बाज़ाय डाक या और तौरपर भेजी जायेगी॥

दफ़ा ३२२-(बे)बादइन्क़ज़ायमीआदमुंदर्जैइश्तिहार

साहब कलक्टरएकतारीख़मुक़र्ररकरेगा वास्ते समाअ़त
जुमलैउज़रात के जो मदयूनडिकरी या ऐसे डिकरीदार
ख़्वाह दावीदारलोग (अगर कोईहों) पेशकरनाचाहें और
नीज़वास्ते अमलमेंलाने ऐसीतहक़ीक़ातकेजोवास्तेदरि-
याफ्त नौइयत और तादाद ऐसीडिकरियात औरदआ-
वी और नौइयत व तादाद जायदाद ग़ैरमन्क़ूलाममलू-
कामदयूनके साहबमौसूफ़को ज़रूरी मालूमहो और वह
मजाज़ होगा कि ऐसीसमाअ़त और तहक़ीक़ातकोव-
क़्तन्फ़वक़्तन् मुल्तवी करतारहे ॥

अगरानिस्बत असलियतया मिक़दार उसज़िम्मेदा-
रीकेजोउनडिकरियात और मुतालिबेजातकी रूसेमदयू-
नडिकरीसे लाहक़हो जिनकी इत्तिलाअसाहबकलक्टर
को होगईहो या निस्बततक़दीम बताख़ीर उनडिकरिया-
तयामुतालिबेजातके या निस्बत माख़ूज़ी व मकफ़ूलीजा-
यदाद मज़कूर जेहतअदाय डिकरियात व मुतालिबेजा-
तमज़कूर किसीतरहकानिज़ाअ नहो तो साहबकलक्टर
एककैफ़ियत तय्यारकरेगा इसतफ़सीलकेसाथ कि ऐसी
डिकरियातके पटानेकेलिये किसक़दर रुपयावसूलकिया
जायेगा और हरएकडिकरी और मुतालिबाकिसतरती-
बसे बेबाक़ किया जायेगा और इसमक़सदकेलिये किस
क़दरजायदाद ग़ैरमन्क़ूला क़ाबिल हुसूलहै ॥

अगर उमूर मुतज़क्किरै सदरकी बाबत कोई निज़ाअ
बरपाहोतो साहबकलक्टर निज़ाअमज़कूरको मै हालात
निज़ाअ औरअपनीरायके उसअदालतमेंमुरासिलकरेगा
जिसने असलहुक्म हस्बमन्शाय दफ़ा३०४सादिरकिया

हो और अम्रनिज़ाईकी बाबत जो काररवाई होतीरहीहो उसकोताअानेजवाबकेमुल्तवीरक्खेगा अगरअम्रनिज़ाई उसअदालतकीसमाअतकेलायक़होतोवहअम्रमज़कूरकोतैकरदेगीवइल्लामुक़द्दमेको किसीअदालतमजाज़समाअतमेंमुरासिल करेगी और जो फ़ैसला अख़ीर उसकी निस्बतक़रारपाये उसकीइत्तिलाअ साहबकलक्टरकोदीजायेगी उसपर साहब कलक्टर वह कैफ़ियत जो ऊपर मज़कूर होचुकीहै इस फ़ैसलेके मुताबिक़ तय्यारकरेगा ॥

दफ़ा ३२२–(जीम) साहब कलक्टर को अख़्तियार है कि इश्तिहारात और तहक़ीक़ात मुतज़क्किरै दफ़आत ३२२ (अलिफ़) और ३२२ (बे) ख़ुदअपनी ज़ातसेमुश्तहरकरनेऔर अमलमें लानेकेबदलेएकबयानतहरीर करे जिसमें हाल मदयूनडिकरी और उसकी जायदादग़ैरमन्क़ूलाका जहांतक साहब कलक्टरको उसका इल्महो या जिसक़दरकाग़ज़ातसरिश्तेसेवाज़ेहहोसराहतके साथलिखाजायेगाऔरबयानमज़कूरकोअदालतज़िलामेंभेजदेगा उसपरअदालत ज़िलावह इश्तिहारात सादिरकरेगी औरवहतहक़ीक़ातअमलमेंलायेगी औरवहकैफ़ियतलिखेगीजोदफ़आत३२२(अलिफ़)और३२२(बे)मेंमहकूम हैऔरकैफ़ियतमज़कूरकोसाहबकलक्टरकेपासभेजदेगी।

दफ़ा ३२२–(दाल) फ़ैसलाअदालतकानिस्बतउसनिज़ाअकेजोहस्बमुन्दर्जेदफ़आत३२२(बे)या३२२(जीम) के बरपाहो जहांतक उसको फ़रीक़ैन मुक़द्दमेसे तअल्लुक़ हो वहीअसररक्खेगाऔर उसीतरहक़ाबिलअपीलहोगा जिसतरह डिकरीमवस्सर और क़ाबिलअपील होती है ॥

दफ़ा ३२३—जब तादाद ज़र जिसका वसूल करना ज़रूर है और मिक़दार जायदाद क़ाबिल हुसूल हस्बतरीक़े मुक़र्ररह दफ़आत ३२२ (बे) या ३२२ (जीम) के मुनक़्क़ह होजाय तो साहब कलक्टर को अख़्तियार होगा कि—

(१) अगर साहबमौसूफ़कीदानिस्तमें तादादमतलूबा बिला नीलामकुलजायदादक़ाबिलहुसूलके वसूल करनी ग़ैरमुमकिनहो तो जायदाद मज़कूर को नीलाम करदे या अगर मालूमहो कि तादादमतलूबा मैं सूद मुन्दर्जेडिकरी (अगर सूदकी डिकरीहुईहो) या जबसूदकी डिकरी न हुई हो मयसूद (अगर कुछहो) उसशरहके मुताबिक़ जो मशारुन्अलेहका दिलाना क़रीनइन्साफ़ मालूमहो बिलाज़रूरत नीलामके वसूल करना मुमकिन है तो—

(२) तादादमतलूबा मैसूद (बावस्फ़किसीहुक्म मुंदर्जे दफ़ा ३०४ के) फ़राहमकरे इस तौर पर याने—

(अलिफ़) बज़रिये देने पट्टाकुल या जुज्व जायदाद मज़कूरकेबरायदवाम या किसी मीआदके लिये ब अदाय ज़र पेशगी ख्वाह ॥

(बे) बज़रियेरहनकुलयाजुज्वजायदादमज़कूरख्वाह॥

(जीम) बज़रिये बैजुज्व जायदाद मज़कूर के ख्वाह—

(दाल) बज़रिये देनेठेका याख़ुदअपनेएहतमाम या दूसरेकी सरबराहकारीमें रखने कुल याजुज्वजायदाद मज़कूरके किसीमीआदके लिये जो तारीख़ हुक्म नीलाम से बीस बरससे ज़ियादह अरसे के लिये न हो ख्वाह—

(हे) जुज्वअन् एक तरीक़ा और जुज्वअन् दूसरे तरीक़ोंको अमल में लानेसे ॥

(३) वास्तेहुस्नइंतिज़ामकुल या जुज़्वजायदादमज़कूर के हस्बमन्शायदफ़ाहाज़ासाहबकलक्टरमजाज़होगाकि तमाम अख़्तयार　　　नाफ़िज़ करे ॥

(४) बग़रज़अफ़ज़ूनीक़ीमतबाज़ारीजायदादमौजूदा या उसके किसीजुज़्वके या इसमक़सूदसे किवह जायदाद　　　इंतिज़ामख़ासमेंरखने केलायक़ होजाय या उसको किसीमवाख़िज़ेकी बेबाक़ीके लिये नीलामके सदमेसे बचानेकेलिये साहबकलक्टर को अख़्तियाररहेगाकिकिसीमवाख़िज़ेदारकेदैनकोजोवाजिबुलअदा　　　या किसी मवाख़िज़ेदार के मतालिबेका मसालाआम इससे कि वह वाजिबुलअ-ख़ज़ होगयाहो या नहींकरदे और बग़रज़फ़राहमी ऐसे सरमायेकेजिसकी मददसेऐसीबेबाक़ी या मसाला होसके उसक़दर जुज़्व जायदादको जो उसके नज़दीक मिक़दार में काफ़ीहो रहनकरे या ठेकेपरदे याबय करे और अगर कोई निज़ाअ निस्बत तादाद उस मवाख़िज़ेके बरपाहो जिसका तै करना साहबकलक्टर को इस फ़िक़रेके बमूजिब मंज़ूरहो तो साहब मौसूफ़को अख़्तियारहै कि ख़ुद अपनेयामदयूनडिकरीके नामसे नालिशवास्ते लियेजाने हिसाबमतालिबेकेअदालतमुनासिबमें रुजूअकरेया इस बातपरराज़ीहो किअ निज़ाई दोशख़्ससालिसको जिन मेंसेएकसालिस एकफ़रीक़ औरदूसरा सालिसदूसरे फ़री-क़की तजवीज़से मुक़र्ररहोगा या ऐसेसरपंच को जिसको दोनों सालिसनामज़द करेंफ़ैसलेकेलियेसुपुर्दकियाजाय॥

बरवक़्त काररवाई मुताबिक़ जिम्नहाय २ व ३ व ४

मुतअ़ल्लिक़ै दफ़ैहाज़ा साहब कलक्टरको लाज़िम है कि बइतबाअ़ उनक़वायदके कारबंदहो जो इस ऐक्टके मुनासिब और वक़्तन् फ़वक़्तन् हाकिम आला निगरानी सीग़ै मालकी तजवीज़से मुरत्तिब हों ॥

दफ़ा ३२४—अगर पट्टा या सरबराहकारी मुतज़क्किरै दफ़ा ३२३ के ख़त्महोनेपर तादादवसूल तलबवसूल न होजायतो साहबकलक्टर उसअम्रकी इत्तिलाअ़ मदयून डिकरी या उसके क़ायममुक़ाम हक़ीयतको तहरीरन् देगा और उसमें यह ज़ाहिर करेगा कि अगर बाक़ीरुपया जो वास्तेबेबाक़ी मतालिबेजातमज़्कूरके दरकारहो इत्तिलाअ़नामेकी तारीख़से छः हफ्तेके अन्दर कलक्टरके पास अदा नकियाजाय तो साहबकलक्टर जायदादमज़्कूरको कुलन् या उसका जुज्व काफ़ी नीलाम करेगा और अगर छः हफ्ते मज़्कूरके गुज़रनेपर वह ज़रबाक़ी अदा नकिया जाय तो साहबकलक्टर जायदाद मज़्कूर या उसके जुज्वको नीलाम करेगा ॥

दफ़ा ३२४—(अलिफ़) साहबकलक्टरको लाज़िमहै कि वक़्तन् फ़वक़्तन् उसअदालतमें जहांसे असलहुक्म मुतअ़ल्लिक़ै दफ़ा ३०४ सादिरहुआहो हिसाबतमाम मुबालिग़ काजोउसकेक़ब्जेमें आये हैं और तमाममसारिफ़का जो उन अख्तियारात और ख़िदमात की तामील में उसके ज़िम्मे आयदहुयेहों जो इसबाबकी शरायतके मुताबिक़ उसको मुफ़व्वज़हुयेहैं दाख़िलकरे और जो तादाद बाक़ी रहे उसको तासुदूर हुक्म अदालत अपने पास रक्खे ॥

मसारिफ़ मज़्कूरमें तमाम ज़रहाय क़रज़ा औरदयून

जो बाबत जायदाद मज़कूर या उसके किसी जुज़्वके सर्कारको वक़्तन्फ़वक़्तन् वाजिबुल्अदाहों और ज़रलगान (अगर कुछहो) जो ऐसी जायदाद या जुज़्वकी बाबत वक़्तन्फ़वक़्तन् किसी क़ाबिज़ आलाको दादनीहो और नीज़ख़र्चतलबी गवाहान (अगरसाहबकलक्टर ऐसी हिदायतकरे) शामिल होगा॥

तादाद बाक़ी अदालतकी मारफ़त उमूर मुफ़स्सिलै ज़ैलमें सर्फ़ कीजायगी॥

अव्वलन्—मद्यून डिकरीके ख़ानदानमेंसे उनलोगों को (अगर कुछहों) नान व नफ़्क़ा देनेमें जोजायदादकी आमदनीसे परवरिशपानेके मुस्तहक़ हैं और हरअहल ख़ानदानकेलिये उसमिक़्दार तक जो अदालतको मुनासिब मालूम हो और—

सानियन्—जबसाहबकलक्टरकी काररवाईमुताबिक़ दफ़ा३२१के हुईहो उसअसल डिकरीकीबेबाक़ीमेंजिस के इजराके लिये अदालतने हुक्मनीलामजायदाद ग़ैरमन्क़ूलाका सादिरकियाहो या और तरहपरसर्फ़कीजाय जैसी अदालत हस्बुलहुक्मदफ़ा२९५ हिदायतकरेया—

सालसन्—जब साहब कलक्टरकी काररवाई दफ़ा ३२२के मुताबिक़हुईहो उनमवाख़ज़ोंके सूदकीमिक़्दार घटानेमेंजिनमेंजायदादमाख़ूज़हो और (जबमद्यूनडिकरीके पासकोई औरज़रियाकाफ़ीपरवरिशकानहो) उसको उसतादादतकनानवनफ़्क़ादेनेमें जोअदालतकोमुनासिबमालूमहो और नीज़ बाक़ीमें मज़कूरको उसअसलडिकरीदार और दूसरे डिकरीदारोंकेदरमियान बतौररसदीतक़-

सीम करनेमें जिन्होंनेनोटिसयानेइत्तिलानामेकीतामील कीहो और जिनके मतालिबेजात उसमुबालिगमजमूईमें शामिलहुयेथे जिसके वसूलकरनेकेलिये हुक्महुआथा ॥

और कोई और शख्स क़ाबिज़ डिकरी ज़र नक़दका उसवक़्तक ऐसी जायदादकी आमदनी या उसकी बाक़ी से अपनी डिकरीपटाने का मुस्तहक़ न होगा तावक़्ते कि वह डिकरीदार लोगजिन्होंने हुक्ममज़कूरहासिलकिया हो बेबाक़ न होजायें ॥

और ज़र फ़ाज़िल (अगर कुछहो) असल मदयून डिकरी या किसीऔरशख्सको (अगरकोईहो) औरअदालत उसकी बाबत हिदायत करे हवाले कियाजायेगा ॥

दफ़ा३२५—जबसाहब कलक्टर कोई जायदाद इस बाबके बमूजिब नीलामकरे उसको चाहिये कि जायदाद को एक या चंद लाटकरके जैसा मुनासिबसमझे नीलाम आमपर चढ़ाये और अख्तियारहै कि—

(अलिफ़) हरलाटकेलिये एकमुनासिब तादाद अक़्‌मुक़र्रर ॥

(बे) एकमीआदमाक़ूलकेलियेनीलामकोऐसीहरसूरतमें मुल्तवीकरदे जबउसका मुल्तवीकरना इसग़रज़से ज़रूरमालूमहो कि जायदादकेइवज़क़ीमतमाक़ूलहासिल होऔरउसकोलाज़िमहै किइल्तवाकीवजूहक़लम्बंदकरे॥

(जीम) जायदादको जब नीलामपर चढ़े खुदख़रीद करले और उसको बज़रिये नीलाम आम या अहदो पैमान ख़ानगीके जैसा मुनासिब समझे फिर फ़रोख्तकरे॥

दफ़ा३२५—(अलिफ़)जबतक कि साहब कलक्टरको

निस्बत जायदाद ग़ैरमन्क़ूला मदयून डिकरी या किसी जुज्व जायदादके मन्सब नाफ़िज़करने या अमलमेंलाने उस इक़्तिदारात या ख़िदमातका जो दफ़आत ३२२ लग़ायत ३२५ कीरूसे उसको मुफ़व्विज़ या उसकेज़िम्मे वाजिबुत्तामील की गईहों हासिलरहे तबतक मदयूनडिकरी या उसकेक़ायममुक़ामहक़ीयतको किसीतरहअख़्तियार न होगा कि जायदाद मज़कूर या कोई जुज्व उसका मरहून या किसी दैनमें माख़ूज़करे या पट्टेपरदे या मुन्तक़िलकरे इल्लाबहुसूल इजाज़ततहरीरी साहबकलक्टरके और न किसीअदालत दीवानीकोबइल्लत इजराय किसीडिकरीज़रनक़दके ऐसीजायदाद या उसकेजुज्व पर कोई हुक्मनामा जारी करनेका अख्तियार होगा॥

अरसैमज़कूरमें किसीअदालतदीवानीको यहमन्सबनहोगा कि बइल्लतइजराय किसी डिकरीके जिसकीबेबाक़ीकेलिये साहब कलक्टरने दफ़ा २२३ के बमूजिब बन्दोबस्त कियाहो मदयून डिकरीकी ज़ात या उसकी जायदाद पर कोई हुक्मनामा जारी करै॥

वक़्त महसूबीमीआदसमाअत मुतअल्लिक़ै इजराय ऐसीडिकरीके जिसपर इसदफ़ाके अहकामका कुछअसरपहुंचे निस्बत किसी चारैजोईके जिससे डिकरीदारबवजहतासीरमज़कूर चंदरोज़ा महरूम रक्खागयाहो अरसामज़कूर हिसाबसे ख़ारिज रक्खाजायेगा॥

दफ़ा ३२५-(बे)जबवह जायदादजिसके नीलामहोनेका हुक्म हुआहो एकज़िलेसे ज़ियादह चंदज़िलोंमेंवाक़ैहो तो वहइक़्तिदारात और ख़िदमात जो हस्बअहकाम

दफ़आत ३२१ लगायत ३२५ साहबकलक्टरको मुफ़व्वज़ और उसकेज़िम्मे वाजिबुत्तामीलकीगई हैं वक़नूफ़वक़न् अज़लाअ मज़कूरकेकलक्टरोंमेंसे उसकलक्टरकीमारफ़-तनाफ़िज़होंगीऔरतामीलपायेंगी जिसकोलोकलगवर्न्न-मेंटबज़रियेकिसीक़ायदेआमयाहुक्मख़ासकेमुक़र्ररकरे ॥

दफ़ा३२५-(जीम) बवक़्नफ़ाज़ उन इख़्तियारात के जो हस्बदफ़आत३२२लगायत ३२५ कलक्टरको दिये गयेहैं कलक्टर मौसूफ़ को बग़रज़जबरन् हाज़िरकराने फ़रीक़ैन मुक़द्दमा और गवाहों और पेशकराने दस्तावे-ज़ातके वही अख़्तियारात हासिलहोंगे जो अदालत दीवानी को हासिलहैं ॥

दफ़ा ३२६-जबकिसी इलाक़ै अरज़ीमें जिसमें हस्ब मन्शाय दफ़ा ३२० के कोईएलाननाफ़िज़नहो जायदाद मक़रूका क़िस्म अराज़ी याहिस्से अराज़ीसेहोऔरकल-क्टरअदालतको यहरायलिखभेजे कि अराज़ी या हिस्से अराज़ीकानीलामकरनानामुनासिबहै और वसूलकरना ज़र डिकरीकाअंदरमीआद माक़ूलकेइसतरहमुमकिनहै कि अराज़ी या हिस्सा मज़कूर चन्दरोज़के लिये मुन्त-क़िलकियाजाय या ज़ेरसरबराहीरहेतो अदालतकलक्ट-रको इजाज़त देसक्तीहै कि बजाय नीलामअराज़ी या हिस्सेमज़कूरकेहस्बतरीक़ै मुजव्विज़े अपनेके ज़रडिकरी के वसूलकरनेका बंदोबस्तकरे ऐसीसूरतमेंशरायतमुंदर्जै दफ़आत ३२० फ़िक़रै२ लगायत ३२५ (जीम)जहांतक मुतअल्लिक़ होसकें मुतअल्लिक़ कीजायेंगी ॥

दफ़ा३२७-लोकल गवर्न्नमेण्ट मजाजहोगी कि वक़्नन्

फ़वक़्तन् बमंज़ूरी जनाब मुअल्ला अल्क़ाब नव्वाबगवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल किसीइलाक़े अरज़ीके लिये ज़रनक़द की डिकरियोंके इजरायमें अराज़ीकेकिसी क़िस्मके हक़ूक़ व मराफ़िक़ को नीलाम करनेके वास्तेशरायत मुक़र्रर करके क़वायद ख़ास मुन्ज़ब्तकरे जिसहाल में कि वह हक़ूक़ व मराफ़िक़ ऐसे ग़ैर मुअय्यन और ग़ैर मुतहाक्किक़हों कि बदानिस्त लोकलगवर्न्नमेंट उनकी मालियतका तअय्युन करना ग़ैर मुमकिन हो ॥

और जब यह मजमूआ किसी इलाक़े अरज़ीके अंदर नफ़ाज़ पाये अगर कोई क़वायद ख़ास दरबाब नीलाम अराज़ी बइल्लत इजरायडिकरी उस इलाक़ेमें नाफ़िज़हों तो लोकलगवर्न्नमेंट मजाज़ होगी कि ऐसे क़वायद को बरक़राररक्खे या बमंज़ूरीजनाबनव्वाबमुअल्लाअल्क़ाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसलके वक़्तन्फ़वक़्तन् उनमें तरमीम करती रहै ॥

तमाम क़वायद जो हस्ब मज़्कूरै सदर जारी हों या बरक़रार रक्खे जायें और तरमीमात जो उन क़वायद में होतीरहैं मुक़ामकेसर्कारी गज़टमें मुश्तहरकीजायेंगी और मुश्तहरहोनेकेबाद मिस्लक़ानूनके वाजिबुत्तामीलहोंगी॥

(हे)—मज़ाहिमत इजरायडिकरी ॥

दफ़ा ३२८—अगर बवक़्त इजराय किसीडिकरीकेजिसकीरूसे जायदादपर क़ब्ज़ा दिलानाहो कोई शख़्स उस ओहदेदारका हारिज या मुज़ाहिमहो जोवारंटकेइजराय के लिये मुक़र्ररहुआहो तो डिकरीदारको अख़्तियारहै कि

ऐसी मुज़ाहिमत या हर्जकेवक़्से एकमहीनेकेअंदरकिसी वक़् अदालत में उसका इस्तिग़ासा करे ॥

अदालत इस्तिग़ासेकी तहक़ीक़ातके लिये एकदिन मुक़र्रर करेगी और उस शख्सको जिसकी निस्बत इस्तिग़ासा हुआहो उसका जवाब देनेके लिये तलब करेगी॥

दफ़ा ३२९—अगर अदालतको इतमीनानहो कि मदयून डिकरी या कोई शख्स बइग़वाय उसके हारिजया मुज़ाहिम हुआ तो अदालतको लाज़िम होगा कि निस्बत इस्तिग़ासेके तहक़ीक़ातकरे और ऐसाहुक्म सादिर करे जो उसके नज़दीक मुनासिब मुतसव्विर हो ॥

दफ़ा ३३०—अगरअदालतकोइतमीनानहो कि मुक़ाबिल या मुज़ाहिमत बिलावजह जायज़थी और यह कि मदयूनडिकरीयादीगरशख्सउसके अग़वासेजायदादका क़ब्ज़ामिलनेमें मुक़ाबिला यामुज़ाहिमत अबतककररहा है तोअदालतमजाज़है आय डिकरीदारके मदयूनडिकरी या दीगरशख्स मज़कूरको वास्तेउसक़दर मीआदकेजो तीसदिनतक होसक्ती है जेलख़ानेमें भेजदे और इसतरहकी तजवीज़हारिज किसी ऐसी सज़ाकी न होगी जिसका मदयून डिकरी या दीगर शख्स मज़कूर बमूजिब मजमूये ताज़ीरातहिंद या किसी और क़ानूनके निस्बत तदारुक मुक़ाबिला या मुज़ाहिमतके सज़ावार समझा जाय और यह हिदायत करे कि डिकरीदार को जायदादका क़ब्ज़ा दिलायाजाय ॥

दफ़ा ३३१—अगरमुक़ाबिला या मुज़ाहिमतामिंजानिब और शख्सकेअलावह मदयूनडिकरीके सरज़दहो

और वह बनेक नियमती यहदावाकरताहो किवहअपनी तरफ़से यामिन्जानिब किसीऔर शख्सअलावह मदयून डिकरीके जायदाद मज़कूरपर क़ाबिज़है तो दावाउसका बसब्तनंबर दाखिलरजिस्टर होकर एक मुक़द्दमा क़रार दियाजायेगा जिसमें डिकरीदार मुद्दई मुतसव्विर होगा और दावीदार मज़कूर मुद्दआअलेह—

औरअदालतको लाज़िमहोगा किदावेकी तहक़ीक़ात उसीतौरपर और उसीतरहके अख्तियारसेकरे गोयाकि नालिश बाबत जायदादके डिकरीदारकी तरफ़से बनाम दावीदारहस्ब अहकाम बाबपंजुममजमूयेके दायरहुईथी इसतरहकी तजवीज़ हारिज किसीऐसी काररवाईकी न होगी जिसकीरूसेशख्सदावीदार बमूजिब मजमूयेताज़ीरातहिंदयाकिसी और क़ानून मुतअल्लिकै सज़ायमुक़ाबिले या मज़ाहमतके सज़ावारहो ॥

और अदालत ऐसाहुक्म बगरज़इजरायडिकरी या इल्तवाय इजरायडिकरीके सादिरकरेगी जो उसके नज़दीक मुनासिब मुतसव्विरहो ॥

ऐसा हरहुक्म असर डिकरीका रक्खेगा और मिसल डिकरीकेअपील वग़ैरहकीतमाम शरायतकापाबंदहोगा॥

दफ़ा ३३२—अगरकोई औरशख्स सिवायमदयून डिकरीवइल्लत इजरायडिकरीके किसी जायदादसे बेद ख़ल होजाय और शख्स मज़कूर यह उज़्रकरे कि डिकरी दार कोइस्तहक़ाक़ उसके बेदख़ल करनेका जायदाद मज़कूर से अज़रूय डिकरीके इसवजहसे नहींपहुँचता है किवह शख्सअपनीतरफ़से या दीगरअशखासकी जानिबसेजो

मदयून डिकरी न हो जायदाद मज़कूरपर बनेकनिय्यती क़ाबिज़है और जायदाद डिकरीमें मुन्दर्जनहींहै या अगर उज़्र उसका यहहो कि डिकरीमें मुन्दर्जहै मगर वहउस मुक़द्दमेके फ़रीक़ैनसे नथा कि जिसमें डिकरी सादिर हुई तो वह मजाज़है कि अदालतमें दरख्वास्त गुज़राने ॥

अगर अदालतकोदरख्वास्तकुनिन्देका इज़हारलेने से यह ज़ाहिरहोकि दरख्वास्तगुज़रानेकी वजह माक़ूल थीतो अदालतको लाज़िमहै कि अम्रमुतनाज़ेकी तहक़ी-क़ातमें मसरूफ़हो और अगर यहमालूमहो कि वहवजह फ़िलअसल मौजूदहै जिसकाज़िक्र इसदफ़ाके फ़िक़रेअ-व्वलमें आयाहै तो अदालत यहहुक्म सादिरकरेगी कि दरख्वास्त कुनिंदेको जायदादपर क़ब्ज़ा दियाजाय और जिससूरतमें कि अदालतसे यहतजवीज़नहो दरख्वास्त नामंज़ूर कीजायेगी ॥

इसदफ़ाके बमूजिब दरख्वास्तें समाअत करनेकेवक्त़ अदालतको चाहियेकिमदार अपनीतजवीज़का सिर्फ़उन वजूह मुरव्वासमतपररक्खे जिनकीसराहतऊपरकीगईहै ॥

जिसशख्सके नाम इसदफ़ाके बमूजिब हुक्म सादिर कियाजाय उसको अख्तियार है कि नालिश नंबरीवास्ते साबित कराने अपने इस्तहक़ाक़ मुक़ाबिज़त जायदादके जिसपरवह अपनेतईं दख़ील ज़ाहिर करता है दायरकरे और हुक्ममज़कूर बपाबंदी नतीजेनालिशमज़कूरके (अ-गरकोई दायरहो) नातिक़होगा ॥

दफ़ा ३३३–किसी क़दर मज़मून मुन्दर्जै दफ़ा ३३१ ख्वाह ३३२ का उसशख्ससे मुतअ़ल्लिक़ नहींहै जिसके

नाम मद्यूनडिकरीने बादरुजूअहोनेउसनालिशकेजिसमें डिकरी स़ादिरहुईहैअपनी जायदाद मुन्तक़िलकरदीहो॥

दफ़ा ३३४—अगर कोई जायदाद ग़ैरमन्कूला बइख़्तियार इजराय डिकरीके नीलामहुईहो और उसके ख़रीदार के साथ निस्बत दख़लयाबी के मद्यून डिकरी या उसकी तरफ़से कोईशख़्स मुक़ाबिल या मुज़ाहिमहो तोवह अहकाम इसबाबके जो डिकरीदार को शै डिकरी पर दख़लदिहानीमें मुक़ाबिला या मुज़ाहिमत करने की बाबत हैं उससे मुतअल्लिक़ होंगे॥

दफ़ा ३३५—अगर ऐसीजायदादके ख़रीदारके मुक़ाबिलेमें सिवाय मद्यून डिकरीके कोई ऐसाशख़्स हारिज या मुज़ाहिमहो जोनेकनिय्यतीसे अपने मुस्तहक़ क़ब्ज़ा मौजूदहका समझताहो याअगर ऐसीजायदादपरदख़ल दिलानेके वक़्त कोई ऐसाशख़्स बेदख़ल करादिया जाय तो अदालत कोलाज़िमहै कि इन्दुलशिकायत ख़रीदार या ऐसे शख़्स बेदख़लशुदह की निस्बत हर्ज या मुज़ाहिमत या बेदख़ली मज़कूरके जैसामौक़ाहो तहक़ीक़ातकरके जो हुक्ममुनासिब समझे सादिरकरे॥

शख़्स मग़लूब को अख़्तियारहोगा कि वास्ते इस्तक़रार इसहक़के जिसकाकि वह जायदादके क़ब्ज़े हालकी बाबत दावा करताहै नालिश रुजूअकरे लेकिन बपाबंदी नतीजा ऐसी नालिशके अगर कोई नालिशहो हुक्म मज़कूर मुस्तातिम होगा॥

(तो) गिरफ्तारी और क़ैद॥

दफ़ा ३३६—जायज़ है कि मद्यून डिकरी किसीरोज़

और किसीवक्त बइल्लत इजराय डिकरी गिरफ्तार किया जाय और लाज़िमहै कि जिसक़दर जल्द मुमकिन हो अदालतमें हाज़िर कियाजाय और जायज़है कि वहउस ज़िलेकेजेलखाने दीवानीमें क़ैदरक्खाजाय जहांअदालत सादिरकुनिन्दा हुक्मक़ैद वाक़ैहो या अगरउस जेलख़ाने में गुंजायशकाफ़ी और मुनासिबनहो तोकिसी औरजगह क़ैद कियाजाय जिसे लोकलगवर्न्मेण्ट वास्तेक़ैद रखने उन अशखासके मुक़र्ररकरे जिनकी निस्बत ज़िलेकी अदालतोंसे क़ैदरखनेका हुक्महो॥

(अलिफ़) इसदफ़ाके बमूजिबगिरफ्तारी करनेकेवक्त जायज़नहीं है कि गुरूब आफ़ताबके बाद या तुलूआफ़ताबसे पहिलेकिसी मकानसकूनतमेंदख़लकियाजाय और न किसीमकान सकूनतकादरवाज़ा बेरूनीतोड़ना जायज़ हैइल्ला जब ओहदेदार मजाज़ गिरफ्तारी किसीमकान के अन्दर बाज़ाब्ता पहुँचगयाहो तो उसको अख्तियार हैकि मकानमज़कूरके किसीकमरेकादरवाज़ा बन्द नरहने दे और खोलेजिसमें किसीवजहसे उसकोयक़ीनहो किमदयून डिकरी दस्तयाब होजायेगा मगर शर्त्तयह है कि अगरवहकमरा ऐसीऔरतकेदख़लवाक़ईमेंहो जोमदयून डिकरीनहो और जो हस्बरिवाज मुल्ककेबाहरनहीं निकलतीहै तो ओहदेदार मजाज़ गिरफ्तारी औरत मज़कूर कोजतादेगा किउसकोबाहर निकलजानेका अख्तियारहै औरबाददेनेमोहलतमाकूलवास्तेनिकलजाने औरतमज़कूरके और निकलनेके लियेउसको हरतरहकीसहूलियत

मुनासिबदेकर ओहदेदारमज़कूर मजाज़होगा कि गिर-
फ्तारी करने के लिये ऐसे कमरे के अन्दरजाये॥

(बे) अगर वहडिकरीजिसकेइजरायकरनेमें कोईमद-
यून डिकरी गिरफ्तार हुआहो बाबत ज़रनक़दकेहो और
मदयून डिकरी उसकी तादाद और ख़र्चा गिरफ्तारीका
ओहदेदार गिरफ्तार करनेवालेको अदाकरदे तो ओहदे-
दार मज़कूर उसको फ़ौरन् रिहाकरेगा॥

लोकलगवर्नमेण्ट बज़रियेइश्तिहार मुन्दर्जेसर्कारीग-
ज़टके यहहुक्म देसक्तीहै कि जबकोई मदयून डिकरी इस
दफ़ाकेबमूजिब बइल्लतइजराय किसी डिकरीज़रनक़दके
गिरफ्तारहोकरअदालतकेरूबरूहाज़िरकियाजायअदा-
लतउसको मुत्तलाकरेगी कि उसको अख्तियारहै किबाब
बिस्तुमकेमुताबिक़इन्सालोयंट याने दीवालिया क़रारपाने
केलियेदरख्वास्तदे औरअगर उसनेकोई फ़ेलबदनिय्य-
तीका निस्बतमज़मून अपनी दरख्वास्तके न किया हो
और अगर वहअपनी कुलजायदादको अदालतके किसी
ऐसे रिसीवर याने मोहतमिमके क़ब्ज़ेमेंकरदे जिसे अदा-
लतने मुक़र्रर कियाहो तोउसको रिहाई दीजायेगी॥

अगर बादइश्तिहार मज़कूर मदयूनडिकरी ऐसी दर-
ख्वास्तदेनेका इरादह ज़ाहिरकरे और ज़मानतकाफ़ी ब-
वादहइसअम्रके दाख़िलकरदेकि जिसवक्त़ अदालत
तलबकरे वह हाज़िर होगा और एकमहीने के अन्दर
हस्बदफ़ा ३४४ के इन्सालोयंट याने दीवालिया क़रार
दियेजानेके लिये दरख्वास्त देगा तो अदालत उसको
गिरफ्तारीसे रिहाई देगी॥

लेकिन जिसहाल में कि वहऐसी दरख्वास्त न दे तो अदालत हुक्मदेसक्तीहैकि ज़मानतका रुपयावसूलकिया जाययाबइल्लतइजरायडिकरीउसकोजेलखानेमेंक़ैदकरै॥

बसूरतज़ामिनके जायज़है कि ज़रज़मानत उसतरीक़ परवसूल कियाजाय जो दफ़ा २५३ में मज़कूरहै॥

दफ़ा ३३७–हरवारंटमें जो मदयूनडिकरीकी गिरफ्तारीकेलियेहो उस ओहदेदारको जोउसकी तामीलकेलिये मुक़र्रर हो यह हिदायतहोगी कि वह मदयून डिकरीको अदालतकेरूबरू जिसक़दर जल्द कि बसहूलियतहोसकेहाज़िरकरे इल्ला उसहालतमेंकि रुपयाजिसकेअदाकरनेकाउसकोहुक्मदियागयाहोमैसूद और खर्चेकेअगरकुछउसपरआयदहुआहोगिरफ्तारीसे पहिले अदाहोजाय

दफ़ा ३३८–लोकल गवर्न्नमेंटको अख्तियारहै कि वक़्तन् फ़वक़्तन् मदारिज शरह ख़ूराक माहवारीके जोमदयूनान डिकरीको बहालत क़ैददीजायगी बलिहाजउनके दर्जा और क़ौम और मुल्कके मुक़र्रर कियाकरे॥

दफ़ा ३३९–अगर डिकरीदार उसक़दरमुबलिगअदालतमें जमानकरे जो बलिहाजशरहमुक़र्ररहबालावास्ते ख़ूराक़ मदयून डिकरीकेरोज़ गिरफ्तारीसे तारोज़हाज़िर कियेजाने बहुज़ूर अदालतके बदानिस्त जजकाफ़ीहोऔर तावक़्ते कि दाख़िल नकरे कोईमदयूनडिकरी सीग़ेइजराय डिकरी से गिरफ्तार न किया जायेगा॥

जब मदयून डिकरी सीग़ेइजराय डिकरीसे जेलख़ाने मेंभेजाजाय अदालत उसकी ख़ूराककेलिये उसक़दरज़र माहाना मुक़र्रर करेगी जिसका वह शरहमज़कूरकी रूसे

मुस्तहक़हो या जहांशरह मुक़र्रर नहो जिसक़दर अदालत उसके दर्जेके लिहाज़से दिलाना काफ़ीसमझे ॥

ख़ूराक माहवारी जो अदालतसे मुक़र्ररकीजायबतौर पेशगीहरमहीनेकी पहिलीतारीख़से पेश्तर माह बमाह उसफ़रीक़को दाख़िलकरनी लाज़िमहै जिसकीदरख्वास्त पर डिकरी जारीहुईहो ॥

ज़रख़ूराक पहिलेमर्तबे माहरवांके उसक़दर अय्याम कीबाबतअदालतके अहलकार मुनासिबको अदाकरना होगा जो मदयून डिकरीके जेलख़ानेमें भेजे जानेकेवक्त सेबाक़ीरहें और आयन्दारुपयाख़ूराकका (अगरकुछवाजिबहो) अफ्सरमोहतमिमजेलख़ानेको अदाकियाजायेगा ॥

दफ़ा ३४०—वहरुपया जोडिकरीदारने मदयूनडिकरी की ख़ूराक के लिये बाबत उन अय्यामके जिनमें कि वह जेलख़ानेमेंरहेदियाहो मुक़द्दमेंकाख़र्चा मुतसव्विरहोगा ॥

मगर शर्तयहहै कि मदयून डिकरी किसीऐसे रुपयेके लिये जेलख़ाने में न रक्खा जायेगा और न गिरफ्तार किया जायेगा जो बाबत ख़ूराकके सर्फ़ हुआहो ॥

दफ़ा ३४१—मदयून डिकरी जेलख़ाने से उन सूरतोंमें छूटजायेगा जो जैलमें मुंदर्ज हैं ॥

(अलिफ़) जबतादाद मुंदर्जा वारण्ट सुपुर्दगी अफ्सर मोहतमिम जेलख़ानेको अदाकरदीजाय या—

(बे) जबडिकरीकाईफ़ायकामिलऔरतौरपरहोजायया

(जीम) जब वह शख्स चाहे जिसकी दरख्वास्त पर मदयून डिकरी क़ैदभेजा गयाहो या—

(दाल) जबवहशख्सजिसनेउसकोक़ैदमेंभेजाहोज़रख़ूरा-

क मुक़र्ररह बालादाख़िल नकरे जैसाऊपरमज़कूरहैया—
(हे)जब मदयून डिकरी इन्सालोयंट क़रार दियाजाय जैसाकि आयंदा मज़कूरहै या—
(वाव)जबउसकीमीआद क़ैद जिसकीहुदूददफ़ा३४२ में मुकर्रर कीगई हैं पूरीहोजाय—
मगर शर्तयहहै कि उनसूरतोंमें जो इसदफ़ाकीजिम्न हाय २ व ३ व ५ में मज़कूरहैं मदयून डिकरीबालाहुक्म अदालत रिहान कियाजायेगा ॥
मदयून डिकरी जो इस दफ़ाके बमूजिब रिहाई पाये वह बदींवजह क़रज़ेसे रिहाई नहीं पाता है लेकिनउसी डिकरीकी इल्लतमें फिर गिरफ्तार नहींहोसक्ताहै जिसके इजरायमें वहक़ैदकिया गयाथा ॥
दफ़ा ३४२—कोईशख्स इजराय
ज़ियादह असेतक क़ैद न कियाजायेगा ॥
या अगर डिकरीमें हुक्मवास्ते अदाकरने किसीमुबलिगकेहो जो ५० रुपयेसे ज़ियादह नहो तो वहछःहफ्ते से ज़ियादह मुद्दततक क़ैद न किया जायेगा ॥
दफ़ा३४३—ओहदेदार जिसको वारंट तामीलकरने के लिये सुपुर्दहुआहो उसकीपुश्तपर लिखेगा कि उसकी तामील किस तारीख़ और क्योंकर हुई और अगर तामील उसरोज़के बादहुईहो जो तामीलका आख़िर रोज़ मुक़र्रर कियागयाथा तो तवक्कुफ़की वजह लिखीजायेगी और अगर तामील न हुईहो तो तामील न होनेकी वजह लिखीजायेगी और ओहदेदार मज़कूर ऐसीइबारत ज़- लिखकर वारंटको अदालत में वापिस करेगा ॥

अगर कैफ़ियत ज़ोहर ई इसमज़मून की हो कि ओहदेदार मज़कूर वारंट की तामील न करसका तो अदालत उसकी वजह माज़ूरी की बाबत उसका इज़हार हलफ़ी लेगी और अगर मुनासिब समझे तो उसकी माज़ूरी की निस्बत गवाहों को तलब करके उनके इज़हार ले और नतीजै तहक़ीक़ात क़लम्बन्द करे ॥

बीसवां बाब ॥

इन्सालोयंट याने दीवालिया मदयूनान डिकरी ॥

दफ़ा ३४४—हर मदयून डिकरी जो बइल्लत इजराय डिकरी ज़रनक़द के गिरफ्तार या क़ैद कियाजाय या जिसकी जायदाद की निस्बत हुक्म क़ुर्क़ी बसीग़ै इजराय डिकरी ज़र नक़द के सादिर हुआ हो मजाज़ है कि दरख़्वास्त तहरीरी इस इस्तिदुआ से गुज़राने कि वह इन्सालोयंट याने दीवालिया क़रार दियाजाय ॥

हरदारिंदा डिकरी ज़रनक़द मजाज़ है कि दरख़्वास्त तहरीरी इस इस्तिदुआ से गुज़राने कि मदयून डिकरी इन्सालोयंट क़रार दियाजाय ॥

ऐसी हर दरख़्वास्त उस अदालत ज़िले में गुज़रेगी जिसके इलाक़े हुकूमत की हुदूद अरज़ी के अंदर मदयून डिकरी सकूनत रखता या हिरासत में हो ॥

दफ़ा ३४५—दरख़्वास्त में जो तरफ़ से मदयून डिकरी के गुज़रे यह मरातिब दर्ज किये जायेंगे ॥

(अलिफ़) यह अम्र कि फ़िलहक़ीक़त वह गिरफ्तार या क़ैद कियागयाथा या कि हुक्म वास्ते क़ुर्क़ी उसकी जायदाद के सादिर होगया और नाम अदालत का जिसके हुक्म से वह

गिरफ्तारयाक़ैदकियागयाया जिसकीमारफ़त हुक्मक़ुर्क़ी सादिरहुआ और नाममुक़ामकाजहां वहगिरफ्तारयाक़ैद कियागयाथा और उसमुक़ामका जहां वह हिरासतमें है ॥

(बे) तादाद और क़िस्म और तफ्सील उसकी जायदाद की और मालियत उसजायदादकी जो ज़रनक़द न हो ॥

(जीम) मुक़ामयामुक़ामातजहांवहजायदादमौजूदहो ॥

(दाल) उसका आमादाहोना इस बातपर कि जायदाद मज़कूरको अदालतके तहत तसर्रुफ़ करेगा ॥

(हे) तादाद और तफ्सील तमाम मुतालिबेजात ज़र नक़दको जो उसके ज़िम्मे वाजिब हों और-

(वाव) नाम और सकूनत उसके क़रज़ख्वाहोंकी जहां तककिउसकोमालूमहो या उसकोमुतहक़्क़िक़होसक्तीहो ॥

दरख्वास्त मज़कूरमें जब तरफ़से डिकरीदार डिकरी ज़रनक़दके गुज़रे तारीख़ डिकरी और नामअदालतका जहांसे वहसादिरहुईहो और तादादबाक़ी जो डिकरीकी रूसेवाजिबहो और मुक़ाम जहांमदयूनडिकरी रहताहो या हिरासतमें हो दर्ज किया जायगा ॥

दफ़ा ३४६—दरख्वास्त पर दस्तख़त और तसदीक़ सायलकी उसीतौरपर होगीजैसा किक़ब्लअर्ज़ीमजमूये हाज़ामें वास्ते दस्तख़त और तसदीक़ अरायज़दावेके बयान कियागया है ॥

दफ़ा ३४७—अदालत एक दिन वास्ते समाअत दरख्वास्तके मुक़र्ररकरेगी और उसदरख्वास्तकी नक़लमै इश्तिहारतहरीरी बतअय्यनउसवक़्त और मुक़ामकेजिस मेंकिउसकीसमाअत कीजायेगीअदालतमेंआवेज़ांकरा-

येगी और सायल के सर्फ़से उसकी तामील करायेगी ॥
जब सायलमद्यून डिकरी होतो नक़ल और इश्तिहारमज़कूर उस डिकरीदारपर जारीकिया जायेगा जिस की डिकरीके इजरायमें मद्यून गिरफ्तार या क़ैदकिया गया या हुक्म कुर्क़ीका सादिर हुआ ख्वाह डिकरीदारके वकील पर और नीज़मद्यूनके और और क़र्ज़ख्वाहों पर (अगर कुछहों)जिनकेनाम दरख्वास्तमें मुन्दर्जहों ॥
जबसायल डिकरीदारहो तो नक़ल और इश्तिहार मद्यूनडिकरी याउसके वकीलपर जारी कियाजायेगा ॥
अदालत मजाज़है कि अगर मुनासिब समझे सायल के ख़र्चसे दरख्वास्त मज़कूरको ऐसे गज़टहाय सर्कारी औरकाग़ज़ातअख़बारमेंछपवादेजोमुनासिबमालूमहों॥
दफ़ा ३४८—अगर अदालत मुनासिब जाने तो उसी तरहकी नक़ल और इश्तिहार किसी और शख्सके पास भी जो कि अपनेतईं सायलका क़र्ज़ख्वाह बयानकरता हो और बाबत उसदरख्वास्तके उज़्रपेश करनेकीइजाज़त चाहताहो भेजा जायेगा ॥
दफ़ा ३४९—जबकि मद्यून डिकरी हिरासतमें हो तो अदालतकोअख्तियारहै किदरअसनायसमाअत मुक़द्दमाबमूजिब दफ़ा३५०के हुक्मदे किवहफ़ौरन् जेलख़ाने में भेजाजाय या उसको उसी ओहदेदार अदालत की हिरासतमें रक्खे जिसको कि इजराय वारंटकोलियेमामूर कियाहो या उससे ज़मानत काफ़ी इसक़रारके साथ कि वह इन्दुलतलब हाज़िर होगा लेकर उसको रिहाईदे ॥
दफ़ा३५०—बतारीख़ मु

तारीख़ मावादमें जिसपर अदालत समाअत दरख्वास्त की मुल्तवी रक्खे अदालत को लाज़िमहै कि रूबरू उन अशख़ासके जिनके पास वह इश्तिहार भेजागयाहो या रूबरू उनके वकलाके मदयून डिकरीका इज़हार निस्बत उसके हालातमौजूदहवक़्के और निस्बत उसके आयंदा व सायल अदाय क़रज़ेकेलिये और उज़रात डिकरीदार और दीगर क़रज़ख्वाहोंके जिनकेअस्माय दरख्वास्तमें मुन्दर्जहों और नीज़ उज़रात उन अशख़ासके जोअपने तईं दाइनक़रार देतेहों अगरहों निस्बत बरीयत मदयून डिकरीके समाअतकरे और अगरमुनासिबजाने तोउस कोअख्तियारहै किडिकरीदार और दीगर क़रज़ख्वाहों और और अशख़ासको अगर कोईहों मोहलत इसबात की दे किवहशहादत इसअम्रकी पेशकरें कि मदयून डिकरीदीवालिया क़रारदियेजानेका मुस्तहक़ नहीं है ॥

दफ़ा ३५१—अगर अदालतको इतमीनान उमूरमुफ़स्सिलै ज़ैलकाहो ॥

(अलिफ़) यह कि बयान मुन्दर्जे दरख्वास्त नफ्सुलअम्रमें सहीहै ॥

(बे)मदयूनडिकरीने उसनालिशके रुजूअहोनेकेवक़्से जिसमें वहडिकरी सादिरहुईथी जिसकेइजरायमें वह गिरफ्तार या क़ैदहुआहै या हुक्मक़ुर्क़ीसादिर हुआहै या किसीवक़्त मावादमें अपने क़रज़ख्वाहोंका रुपयाफ़रेबन् हज़्म करनेकी नियतसे अपनी जायदादका कोईहिस्सा मख़फ़ी या मुन्तक़िल या अलाहिदा नहीं कियाहै ॥

(जीम)यहकि उसने यहबात जानकर कि वह अपने

क़रज़ख्वाहों का कुलरुपया अदा नहींकरसक्ताहै कोई मु-
आमलाक़रज़ाबे एहतियातीसेनहीं किया और बेवाजबी
अपने क़रज़ख्वाहोंमें से किसी को कुछअदा करने या
अपनीजायदादके मुन्तक़िलकरनेसे तरजीह नहींदी है॥

(दाल) यह कि उसने निस्बत मरातिब मुन्दर्जे दर-
ख्वास्त के कोई और फ़ेलबदनिय्यतीका नहीं कियाहै॥

तोअदालतउसको इन्सालोयंट यानेदीवालियातज-
वीज़ करसक्ती है और अगर मुनासिब समझे यहहुक्म
भी देसक्ती है कि मोहतमिम उसकीजायदाद का मुक़र्रर
कियाजाय याअगर मोहतमिमजायदादका मुक़र्ररनकरे
तो उस दीवालियेकी रिहाई करे॥

दफ़ा३५२—तब उन क़रज़ख्वाहोंको जिनके नाम दर-
ख्वास्तमें मुन्दर्जहैं और और अशख़ासको (अगरऐसे
अशख़ासहों) जो अपने तईं दीवालिया का क़रज़ख्वाह
ज़ाहिर करतेहोंअपने२दुआवी ज़रनक़दकीतादाद और
तफ्सील की शहादत पेशकरनीहोगी और अदालतको
लाज़िम होगा कि बज़रिये हुक्मके तजवीज़ करदे कि
किन अशख़ास ने अपने तईं दीवालियाका क़रज़ख्वाह
और अपना२क़रज़ा साबितकियाहै और एक फ़ेहरिस्त
उन अशख़ासऔर क़रज़ोंकीमुरत्तिबकरनीलाज़िमहोगी
और क़रारपाना दीवालियेका जो दफ़ा ३५१ में मज़कूर
है ऐसासमझाजायेगा कि गोया वह उसहर क़रज़ख्वाह
केहक़में उसके क़रज़े मज़कूरकी डिकरी है॥

ऐसी फ़ेहरिस्तकी एक नक़्ल मुक़ाम कचहरीपरआ-
वेज़ां की जावेगी॥

इस दफ़ा की किसी इबारत से किसी इन्सालोयंट (दीवालिया) कोठीके शरीकको या जबकि वह दीवालसे पहिले फ़ौत हो तो उसके क़ायममुक़ाम जायज़ को यह इस्तहक़ाक़ न होगा कि उसकोठीके और क़रज़ख्वाहोंके मुक़ाबिलेमें वहभी अपना सुबूतदे ॥

दफ़ा ३५३—दीवालियेहरक़रज़ख्वाहको जिसका नाम ऐसीफ़ेहरिस्तमें नहो अख्तियार है कि अदालतमेंदरख्वास्तदेकर वास्तेदाखिलकरने शदाहतानिस्बतितादाद औरतफ्सील अपनेदआवी ज़रनक़दकेजोउसकोशख्स दीवालियेपरहों इजाज़त चाहे और अगरसायलशख्स दीवालियेकाक़रज़ख्वाह अपनेतईं साबितकरे तो अदालतसे ऐसाहुक्म सादिरहोनेकी इस्तिदुआकरैकिउसका नामक़रज़ख्वाहोंकी फ़ेहरिस्तमें निस्बत क़रज़ासाबित शुदहके दर्जकियाजाय ॥

हर क़रज़ख्वाह जिसका नाम फ़ेहरिस्तमें मुन्दर्ज हो मजाज़होगा कि अदालतमें इसमज़मूनकी दरख्वास्तदे कि हुक्म वास्ते तरमीम पाने उसक़दर फ़ेहरिस्तकेजहां तादाद यानवअय्यतयातफ्सील उसकेक़रज़ेकीमुन्दर्ज है या वास्ते खारिज होने नाम किसी और क़रज़ख्वाहके या वास्तेतब्दीलीउसक़दरफ़ेहरिस्तके जहां तादाद या नवअय्यत या तफ्सील क़रज़ा किसी और क़रज़ख्वाह की मुन्दर्ज है सादिर कियाजाय ॥

जबकोईदरख्वास्तइसदफ़ाकेबमूजिबगुज़रेअदालत को अख्तियारहै कि ऐसे इत्तिलाअनामजातजो उसको मुनासिबमालूमहोंबसर्फ़दरख्वास्तकुनिन्दाशख्स दीवा-

लिया औरदूसरेक़रज़ख्वाहोंपरजारीकराकर और उनके उज़रात अगर कुछ उज़रातपेशहों सुनकरदरख्वास्तको मंज़ूर या नामंज़ूर करे ॥

दफ़ा३५४–हरएकहुक्मजोदफ़ै २५१ के बमूजिबसादिरहोमुक़ामकेसर्कारीगज़टमेंमुश्तहरकियाजायँगा और उसकी रूसेतमामजायदाददीवालियाकी आमइससे कि वहउसकी दरख्वास्तमें मुन्दर्जहो या नहो बइस्तस्नाय उस अशियायके जोदफ़ा२६६की शर्त्त अव्वलमेंमज़कूर हैं रिसीवरयानेमोहतमिमजायदादकोहवालेहोजायेगी॥

दफ़ा३५५–रिसीवर याने मोहतमिम जायदाद जो हस्बमरक़ूमैबाला मुक़र्रर कियाजाय मुताबिक़ हिदायत अदालतकेज़मानतदाखिलकरेगा औरऐसीतमामजायदादको सिवाय मुस्तस्नियात मुफ़स्सिलैबालाके अपने क़ब्ज़ेमें लायेगा ॥

जबरिसीवर यहतसदीक़करे कि दीवालियेने उसको क़ब्ज़ा देदिया या क़ब्ज़ा देनेके लिये अपने मक़दूर भर कोशिशकीहै अदालतमजाज़होगी कि ऐसीशरायतपर (अगरकुछहों) जोअदालतको मुनासिबमालूमहोदीवालिये को रिहाकरे ॥

दफ़ा३५६–रिसीवर मज़कूर ज़ेरहिदायत अदालतके हस्ब मुफ़स्सलै ज़ैल कारबन्दहोगा ॥

(अलिफ़)जायदादफ़रोख्तकरकेउसकारु०जमाकरेगा॥

(बे) उसमेंसे दयून और जुर्माना और तावात जो कुछ ज़िम्मे दीवालियेके याफ्तनी सर्कारहों अदाकरेगा ॥

(जीम) डिकरीदार मज़कूरका खर्चा अदाकरेगा ॥

(दाल) तमाम ज़रहाय क़रज़ा जिनके इस्तहक़ाम के लिये इन्सालोयंटकी जायदाद मरहूनहुई हो बलिहाज़ क़ायदे तक़दीम वताखीरके अदाकरेगा॥

(हे) जो बाक़ीरहेउसकोक़रज़ख्वाहान् दाख़िलफ़ेहरिस्तकेदरमियान किसीकोतरजीहनदेकर हरएकके क़रज़े कीतादादकेलिहाज़सेबहिसाबरसीदतक़सीम करेगा॥

औरउसरिसीवरको अख्तियारहैकि अपनीख़िदमातके इन्सरामके इवज़बतौरहक़्कुल ख़िदमतइसबाक़ीकी तादादपर जो तक़सीमकीजाय अपनाकमीशन जिसेअदालत मुक़र्ररकरेगी और फ़ीसदी पांचरुपयेकी शरहसे ज़ियादह नहोगानिकाललेऔर ज़रकमीशनजोइसतरहलियाजायतक़सीममज़कूरमें दाख़िलसमझा जायेगा और अगरकुछ फ़ाज़िलहै तो ज़रफ़ाज़िलदीवालियाया उसके क़ायममुक़ामक़ानूनीको हवाले कियाजायेगा॥

मगर शर्त्तयहहै कि उसरक़बे अराज़ीके अंदरजिसमें कोईएलानदफ़ा३२०केमुताबिक़ मुश्तहरहोकर नफ़ाज़पिज़ीरहो कोईनीलामजायदाद ग़ैरमन्क़ूलेकाजो सर्कारको मालगुज़ारी देतीहो या उसकाक़ब्ज़ा या पट्टाअगराज़ज़राअतकेलिये दियागयाहो रिसीवरकीमारफ़तअमलमेंनआयेगाइल्लाबादइसकेकिरिसीवरनेदूसरीजायदादइंसालोयंटकी नीलामकीहो अदालतयहदरियाफ़्तकरेगीकि (अलिफ़) किसक़दरमुबलिग़वास्ते बेबाक़ीमुतालिबेजात क़रज़ख्वाहान् दाख़िलफ़ेहरिस्तबादवज़ूअमुबालिग़केजोपहिलेसे वसूलहुयेहों दरकारहैं (बे) किसक़दरजायदादग़ैरमन्क़ूला इंसालोयंटकी नीलामसेबाक़ी है

और (जीम) उसपरकौन२ मवाखिज़जातक़ायम व मौजूद हैं (अगर कुछहों) और एककैफ़ियत जिसमें तफ़सील मुतज़क्किरै सदर मौजूदहो साहबकलक्टरके पास मुरसिलकरेगी उसपर साहब कलक्टर जिसतरह मुनासिब समझें मुबालिग़ मतलूबा बज़रिये निफ़ाज़ उन अख़्तियारात के पैदा और मुहय्या करेगा जो हस्ब अहकाम दफ़आत ३२२ लग़ायत ३२५ उसको अताहुयेहों मगर बपाबंदी अहकाम इनदफ़आतके जहांतक वह मुतअ़ल्लिक़ होसकें और तमाम मुबालिग़को जो अख़्तियारात मज़कूरके निफ़ाज़से उसके हाथमें आयें अ़दालत के ज़ेर अख़्तियार अपने पास रक्खेगा॥

दफ़ा ३५७—दीवालिया जो दफ़ा ३५१ या ३५५ के बमूजिब रिहाकियाजाय उन क़रज़ोंकीबाबत जो फ़ेहरिस्तमेंमुंदर्जहों गिरफ्तार या क़ैद न कियाजायेगा लेकिन बमलहूज़ी अहकामदफ़ा ३५८ उसकी जायदाद आम इससे कि वह पहिले या पीछे पैदाकीगईहो (बइस्तस्नाय उन अशियायके जो दफ़ा २६६ कीशर्त्तअव्वलमेंमज़कूर हैं और उस जायदादके जो रिसीवरके हवालेहों) इसलायक़होगी कि जबतक दुयून यानी क़रज़ख्वाहानदाख़िल फ़ेहरिस्त बक़दर एक सुल्सकुल ज़र दुयूनकेबेबाक़ न होजायें या अरसा १२ वर्षका तारीख़हुक्म रिहाईसे जो दफ़ा ३५१ या ३५५के मुताबिक़ सादिरहुआहो न गुज़रजाय अ़दालतके हुक्मसे क़ुर्क़ और नीलामकीजाय॥

दफ़ा ३५८—अगरमीज़ानकुल क़रज़हाय दाख़िल फ़ेहरिस्तकी दोसौरुपयेतक या दोसौरुपयेसेकमहो तो अ-

दालत मजाज़होगी और उससूरतमें जब कि क़रज़ाहाय दाखिलफ़ेहरिस्त बक़दर एकसुलसके बेबाक़होगयेहों या तारीख़हुक्म रिहाईसे अरसा १२ बर्ष का गुज़रगयाहो अदालतपर वाजिबहैकि शख्स इन्सालोयंटको जो हस्ब मुतज़क्किरै सदररिहाकियागयाहो हरतरहकीज़िम्मेदारी आयंदासे बाबतदुयूनमज़कूरकेबरीउज़्ज़िमाक़रारदे ॥

दफ़ा ३५१-जबहस्ब दफ़ा ३५० के मुक़द्दमेकी समाअतहोनेके वक्त सायलकी निस्बत साबितहो कि-

(अलिफ़)वह क़सूरवार इसबातकाहै कि उसने अपनी दरख्वास्त में निस्बत क़रज़ैहाय ज़िम्मगी अपने के या निस्बतजायदादममलूकाअपनेकेआमइससेकिवहजायदाद उसकेक़ब्ज़ेमेंहो या उसके मिलनेकी आयंदाउम्मेद हो या कि वहसायलके लिये दूसरेकीअमानतमेंहो कुछ हालमख़फ़ीरक्खायाअमदन् कोईझूठाबयानलिखाया-

(बे) उसने फ़रेबसे कोई जायदाद मख़फ़ी या मुन्तक़िलकरदी या उठवादी या-

(जीम) निस्बतशै मुदआबहा मुंदर्जे दरख्वास्तके कोई और फ़ेल बराह बदनिय्यती के किया ॥

तो अदालतको लाज़िमहोगा कि इन्दुलतहरीक उसके किसी क़रज़ख्वाहके उसकेनाम किसी मीआदतक क़ैदरहनेका हुक्मबज़रिये तहरीरदे जो क़ैदमेंजानेकी तारीख़से एकसालतक होसक्ताहै ॥

या अगर अदालत मुनासिब समझे शख्स मज़कूर को माजिस्ट्रेटकेपास भेजदे ताकि उसकी निस्बत क़ानून के बमूजिब अमल कियाजाय ॥

दफ़ा ३६०—लोकल गवर्न्नमेण्टको अख्तियार है कि बज़रियेइश्तिहार मुन्दर्जेगज़ट सर्कारीके किसीअदालत को जो अदालतज़िला नहो वह अख्तियारात मुफ़व्व-ज़करे जो दफ़आत ३४४ लगायत ३५९ कीरूसे अदा-लत हायज़िलेको अताहुये हैं औरजो मुक़द्दमेदफ़ा ३४४ के बमूजिबरुजूअकियाजाय जजज़िले को अख्तियारहै कि उसे किसी अदालतमें सुपुर्दकरे जो उसीज़िलेमें हो औरजिसकोउसतौरपर अख्तियारात मुफ़व्वज़ हुयेहों॥

वह अदालत जिस को उस तौरपर अख्तियारात मुफ़व्वज़हुयेहों मजाज़है कि जब कोई दरख्वास्त हस्ब मुराद दफ़ा ३४४ किसी ऐसेशख्सकी तरफ़से गुज़रे जो उस अदालतकी डिकरीके इजरायमें गिरफ्तारहुआ हो उसकी समाअत करे॥

कोई इबारतइसबाबकीकिसीअदालतसे मुतअल्लिक़ न होगी जोबलादरंगून और मोलमीन और आक़ियाब और बसीनपर हुकूमतरखतीहो जबकिजायदाद मदयून डिकरी मालियत में २५०० से ज़ियादह हो यातादाद तमाममुतालिबेजातनक़दीकी जोमदयूनके ज़िम्मेवाजिब हो ५०००)से ज़ियादहहो या उसकी जायदाद या कोई जुज्वउसका मुल्क ब्रिटिशब्रह्मासे बाहरवाक़ै हो॥

दूसरा हिस्सा ॥

कारखाई हायलाहक़ा ॥

इक्कीसवां बाब ॥

वफ़ात और शादी और दीवाला निकलना फ़रीक़हायमुक़द्दमेका ॥

दफ़ा ३६१—बशर्त्त क़ायम रहने इस्तहक़ाक़ नालिशके कोईमुक़द्दमामुद्दई या मुद्दआअलेहके फ़ौतहोनेसे साक़ित न होजायगा ॥ तमसीलात ॥

(अलिफ़) ज़ैदनेउमरू और बकरकेसाथ यह मुआहिदह किया कि बकरकी हयाततक वह उमरू को ज़र सालाना अदाकरतारहेगा उमरू और बकरने ज़ैदपर जबरन् अदाकरनेकी नालिशकी औरक़ब्लडिकरीउमरू मरगया तो इस्तहक़ाक़ नालिश बहक़ बकर क़ायमरहा और मुक़द्दमा साक़ित न हुआ ॥

(बे) उसी मुक़द्दमे में क़ब्लडिकरी तमामफ़रीक़ैन मुक़द्दमा मरगये तो इस्तहक़ाक़ नालिश उमरू और बकरमेंसे जो पीछेमराहो उसकेक़ायममुक़ामकेलिये क़ायमरहेगा औरउसको अख़्तियारहोगा कि ज़ैदके क़ायम मुक़ामपर नालिश क़ायम रक्खे ॥

(जीम) ज़ैदने उमरूपर हुरमतबहा की नालिश की ज़ैद मरगया तो इस्तहक़ाक़ नालिशक़ायम नरहा और मुक़द्दमा साक़ित होजायेगा ॥

(दाल) रामदत्तने कि असूलमिताक्षराकेबमूजिबएक हिन्दू ख़ानदान मुश्तरकका एक शरीक है जायदाद

ख़ानदानीकी तक़सीमकेलिये नालिशकी रामदत्त अपने एक लड़के नाबालिग़ देवदत्त को अपना वारिसछोड़कर फ़ौतहुआ तो देवदत्तके लिये इस्तहक़ाक़ नालिशक़ायम रहा और मुक़द्दमा साक़ित न होगा॥

दफ़ा ३६२—अगरमुक़द्दमेमें चंदमुद्दई या मुद्दआअलेह हों और मिंजुमले उनके कोई मरजाय और इस्तहक़ाक़ नालिश सिर्फ़मुद्दई या मुद्दइयान ज़िन्दहकेलिये या सिर्फ़ मुद्दआअलेहुम ज़िंदाकेनामपर क़ायमरहेतो अदालतको लाज़िमहोगा कि उसमज़मूनकी एक इबारत मुक़द्दमे की मिसलमें लिखवाये और मुक़द्दमे की काररवाई मुद्दई या मुद्दइयान ज़िन्दाकी तरफ़सेया बमुक़ाबिला मुद्दआअलेह या मुद्दआअलेहुम ज़िन्दाके बदस्तूर क़ायम रहेगी॥

दफ़ा ३६३—अगर मुक़द्दमेमें एकसे ज़ियादह मुद्दईहों और कोई उनमेंसे फ़ौतहो औरइस्तहक़ाक़नालिशासिर्फ़ मुद्दई या मुद्दइयान ज़िन्दाकेलिये क़ायम न रहै बल्कि उसको या उनको बशिराकत क़ायममुक़ाम जायज़ मुद्दई मुतवफ़्फ़ाके क़ायमरहैतो क़ायममुक़ाम जायज़कीतरफ़से दरख्वास्त गुज़रनेपर अदालत मजाज़ होगी कि नाम क़ायममुक़ाम मज़कूर का बजाय नाम मुद्दई मुतवफ़्फ़ाके मुक़द्दमे की मिसलमें दर्जकरे और मुक़द्दमेकीकाररवाई व पैरवी मुद्दई या मुद्दइयान ज़िन्दा और क़ायममुक़ाम जायज़ मज़कूरके क़ायम रहेगी॥

दफ़ा ३६४—अगरअंदर मुद्दत मुअय्यना क़ानूनीकोई शख्सबइद्दआय क़ायममुक़ामजायज़होनेमुद्दई मुतवफ़्फ़ा के अदालतमें कोई दरख्वास्त न गुज़राने तो काररवाई

मुक़द्दमहके बतहरीक मुद्दई यामुद्दइयानज़िन्दाके होगी ॥
और क़ायममुक़ाम जायज़ मुद्दई मुतवफ़्फ़ाका अगर कोई हो मुक़द्दमेका फ़रीक़किया जायेगा और मुक़द्दमेकी डिकरीके नफ़े व नुक्सानसेउसीतरह इलाक़ारक्खेगाऔर उसका पाबंदहोगा किगोयामुक़द्दमेकी काररवाई उसकी तहरीकसे बशिराकतमुद्दई या मुद्दइयानज़िन्दाकेहुईथी ॥
दफ़ा ३६५–अगर किसीमुक़द्दमेमें जो एकहीमुद्दई हो या एकही ज़िन्दारहाहुआ मुद्दईहो वहमरजाय तोमुतवफ़्फ़ाके क़ायममुक़ाम जायज़कीदरख्वास्त गुज़रनेपरअदालतउसहालमेंकिइस्तहक़ाक़नालिशक़ायमरहै मुक़द्दमे कीमिसलमेंबजायनाममुद्दई मज़कूरकेउसकानामदाख़िल करसक्तीहै और उसकेबाद मुक़द्दमेकी काररवाई होगी ॥
दफ़ा ३६६–अगर अन्दरमुद्दत मुअय्यना क़ानूनीइस तरहकी दरख्वास्त तरफ़से किसीशख्सके जो दावीदार क़ायममुक़ाम जायज़होनेमुद्दईमुतवफ़्फ़ाका हो अदालत में न गुज़रे तो अदालतको अख्तियारहोगा किहुक्मसाक़ित कियेजाने मुक़द्दमेकासादिरकरे और मुद्दआअलेहको उसकी दरख्वास्तपर वहख़र्चा जो जवाबदिही मुक़द्दमेमें उसपरआयदहुआहोदिलाये औरवहख़र्चामुद्दईमुतवफ़्फ़ा मज़कूरकी जायदाद मतरूकासे वसूल कियाजायेगा ॥
या अगर अदालत मज़कूरको मुनासिब मालूमहोतो मुद्दआअलेहकी दरख्वास्तपर और साथ ऐसीशरायतके निस्बत अदाय या अदमअदायख़र्चा जो मुनासिबजाने कोई दूसराहुक्म जो उसके नज़दीक मुनासिबहो क़ायम मुक़ाम जायज़मुद्दई मुतवफ़्फ़ा का मुक़द्दमे में दाख़िलकर

लेनेके लिये या वास्ते काररवाई मुक़द्दमे के बग़रज़ तजवीज़ अख़ीर निस्बत अम्र मुतनाज़ाके या उनदोनों अग़राज़ के लिये सादिरकरे ॥

तशरीह—महज़ सार्टीफ़िकट विरासत या सार्टीफ़िकट वसूलदयूनसे उसका क़ाबिज़ मुतवफ़्फ़ाका क़ायममुक़ाम जायज़ न गरदाना जायेगा लेकिनजबकि शख़्सक़ाबिज़ किसी ऐसे सार्टीफ़िकटका उसकीरूसे क़ब्ज़ा जायदाद जो मुतवफ़्फ़ाकी हो हासिलकरे तो उसवक़्त वह ऐसा क़ायममुक़ाम जायज़ मुतसव्विरहोसक्ताहै जिसपरबाबत उसजायदादके ज़िम्मेदारी आयदहो ॥

दफ़ा ३६७—अगर निज़ाअ इसअम्रकी पैदाहो कि क़ायममुक़ाम जायज़ मुद्दई मुतवफ़्फ़ा का कौनहै तो अदालत को अख़्तियारहोगा कि तावक़्ते कि वह अम्र दूसरीनालिश में तजवीज़ न होजाय मुक़द्दमेको मुल्तवीरक्खे या बवक़्त समाअत मुक़द्दमा या पेश्तर उसके इसबातको तैकरदे कि वास्ते पैरवी मुक़द्दमेके कौनशख़्स क़ायममुक़ामजायज़मुद्दई मुतवफ़्फ़ाका तसलीम कियाजायेगा ॥

दफ़ा ३६८—अगरमुक़द्दमेमेंएकसेज़ियादहमुद्दआअलेह होंऔर उनमेंसे कोईक़ब्ल सुदूरडिकरीफ़ौतहो औरइस्तहक़ाक़नालिशतिनहा बमुक़ाबिलेमुद्दआअलेहयामुद्दआअलेहुम ज़िंदाकेक़ायमनरहे औरनीज़उसहालमेंकि मुक़द्दमेमेंजोएकहीमुद्दआअलेहहोयाएकहीमुद्दआअलेहाज़िंदारहाहो वहमरजायऔरइस्तहक़ाक़नालिशक़ायमरहै ॥

तोमुद्दईको जायज़होगा कि अदालतमें दरख़्वास्तबइन्दिराजनाम और पता और सकूनत उसशख़्सकेजिस

को वह बजाय मुद्दाश्रलेह मुतवफ्फ़ा मज़कूरके यह इज़हारहोने उसके क़ायममुक़ाम जायज़के मुद्दाश्रलेह गरदानना चाहता है गुज़राने ॥

इसतरहकीदरख्वास्तगुज़रनेपर अदालत को लाज़िम है कि मुक़द्दमेकी मिसिलमें नामक़ायममुक़ाम मज़कूरका बजायनाम मुद्दाश्रलेह मुतवफ्फ़ामज़कूरका दर्जकरे ॥

और सम्मनबनामक़ायममुक़ाममज़कूरबहुक्म अहज़ार बतारीखमुअय्यना मुंदर्जैसम्मन वास्ते जवाबदिही मुक़द्दमे के सादिर करे ॥

और बाद उसके मुक़द्दमेकी काररवाई उसीतरह अमलमें आयेगी कि गोया क़ायममुक़ाम मज़कूर आग़ाज़ मुक़द्दमेसे मुद्दाश्रलेह गरदानागयाथा और मुक़द्दमे की पहिली काररवाइयोंमें एकफ़रीक़ रहाथा ॥

मगर शर्त यहहै कि जोशख्सइसतौरपरमुद्दाश्रलेह गरदानाजाय वह यह उज़् करसक्ताहै कि वह मुद्दाश्रलेह मुतवफ्फ़ाका क़ायममुक़ाम जायज़ नहींहै या किसी और तरह की उज्रदारी मुनासिब हाल अपनी हैसियत उस क़ायममुक़ामीके पेशकरे ॥

जबमुद्दई ऐसीदरख्वास्त उस मीआदके अंदर नकरे जो उसकेलिये मुक़र्ररहै तो मुक़द्दमा साक़ित होजायेगा इल्ला उस सूरतमेंकि वह अदालतकेहस्ब इतमीनानसाबितकरे किमीआदमज़कूरके अंदर दरख्वास्तनदाखिल करनेकी कोई वजह काफ़ीथी ॥

दफ़ा ३६९—बबायसशादीकरने मुद्दई या मुद्दाश्रलेहाके मुक़द्दमा साक़ित न होगा—बल्कि बावजूद शादी के

मुक़द्दमे की कारखाई तासुदूर फ़ैसला जारी रहेगी और जब कि डिकरी मुद्दआअलेहके ऊपरहो तो उसका इजराय सिर्फ़ उसीके ऊपर कियाजायगा ॥

अगरऐसामुक़द्दमाहो जिसमेंक़ानूनकीरूसेशौहरअपनी जौजाके दयूनका ज़िम्मेदार हो तो बइजाज़त अदालत डिकरी को शौहरपर भी जारी करना जायज़होगा और अगर फ़ैसला ज़ौजा के हक़में सादिर होतो बशर्ते कि शौहर क़ानूनके बमूजिबशै डिकरी शुदहके पानेका मुस्तहक़हो वह डिकरी बइजाज़त अदालत शौहरकी दरख्वास्त गुज़रनेपर जारी होसक्तीहै ॥

दफ़ा ३७०—जिस मुद्दईके मुक़द्दमे को उसका असेनी याने तफ़वीज़दार या रिसीवर याने मोहतमिम जो दफ़ा ३५१के बमूजिब मुक़र्रर कियाजाय बग़रज़ फ़ायदे उसके क़रज़ख्वाहोंके क़ायम रखसक्ताहो उसकादीवाला निकलना या बेइस्तताअतहोजाना हारिज उसमुक़द्दमेका न होगा इल्ला उसहालतमें कि तफ़वीज़दार या मोहतमिम मुक़द्द   आ-

सकाअदालतहुक्मदे

अगरतफ़वीज़दार या मोहतमिम उसमुक़द्दमेकी पैरवी और अंदर मीआद मुअय्यनाहुक्मकेअदख़ालजमानत में तग़ाफ़ुल या इन्कार करे तो मुद्दआअलेह मजाज़है कि बग़रज़ डिसमिस होनेमुक़द्दमेके मुद्दईकेदीवालानिकलने या बेइस्तताअतहोजाने की बिनायपर दरख्वास्तदे और अदालतको जायज़होगा कि मुक़द्दमा डिसमिस करके मुद्दआअलेहको उसक़दर ख़र्चा दिलाये जो मुक़द्दमेकी ज-

वाबदिहीमें उसपर आयदहुआहो और ख़र्चा मज़कूरको बतौरक़रज़ा ज़िम्मगीजायदादमुद्दईसाबितकरनाहोगा ॥

दफ़ा ३७१–जबकोई मुक़द्दमा इसबाबके बमूजिबसाक़ित होजाय या डिसमिस कियाजाय तो कोई नालिश जदीद उसी बिनायदावेपर रुजूअ न होसकेगी ॥

लेकिन जो शख़्स मुद्दई मुतवफ़्फ़ा या दीवालियाया बेइस्तताअत का अपने तईं क़ायममुक़ाम जायज़होनेका दावाकरताहो मजाज़होगा कि वास्तेसुदूरहुक्ममन्सूख़ी हुक्म सुक़ूत या डिसमिसी मुक़द्दमेके दरख़्वास्तदे और अगर साबित किया जाय कि वह किसी वजह काफ़ी के सबब से मुक़द्दमेमें पैरवी न करसका तो अदालत हुक्म सुक़ूत मुक़द्दमा या हुक्म डिसमिसीको मन्सूख़ करे ऐसी शरायत पर जो उसको ख़र्चाके दिलाने की निस्बत मुनासिब मालूमहों ॥

दफ़ा३७२–और सूरतोंमें जोमुक़द्दमेके दौरानमें किसी हक़के मुन्तक़िल या पैदा यावरासतन् हासिलहोनेकी हों जायज़है कि अदालतकी इजाज़तसे जो जुमला फ़रीक़ैन मुक़द्दमेकी रज़ामन्दीसे या उनपर इत्तिलाअ़तहरीरीकी तामीलकरनेके बाद और उनके उज़रातकी समाअ़तहोनेपर अगर कुछहों दीगईहो मुक़द्दमा मज़कूर उसशख़्स कीतरफ़से या उसके मुक़ाबिले में जिसको हक़ मज़कूर पहुंचाहो बशमूल या बइवज़ उस शख़्सके जिसकी ज़ातसे हक़मज़कूर मुन्तक़िल हुआहो (जैसी कि सूरत मुक़द्दमे की मुक़्तज़ीहो) जारी रक्खाजाय ॥

बाईसवांबाब ॥

बाज़ दावा और तस्फ़िया मुक़द्दमा ॥

दफ़ा ३७३–अगर किसीवक्त़ बादइरजाअ् नालिश मुद्दईकी दरख्वास्तपरअदालतकोइतमीनानहोकि (अलिफ़) मुक़द्दमा बवजह किसी नुक़्सज़ाबिते के साक़ित हो जायेगा (बे) याइसबातकेवजूह काफ़ीहैंकिउसको मुक़द्दमे सेबाज़दावादेने या जुज्वदावेसे बाज़ आनेकी इजाज़त ब इख़्तियारमुजद्ददन् रुजूअ् नालिशके बाबत शैदावा मुक़द्दमामज़कूरकेयाबाबतजुज्वमतरूकाके दीजायतोअदालतकोअख़्तियारहोगाकिबक़ैदऐसीशरायतकेजोदरबाब अदायाअदमअदायख़र्चेकेमुनासिबसमझे इजाज़तदे ॥

अगर मुद्दई बिलाहुसूल इजाज़त मज़कूर मुक़द्दमे से दस्तबरदार हो या जुज्वदावेसे बाज़आयेतो वहउसख़र्चे काज़िम्मेदारहोगा जोअदालतदिलाये औरउसकोबाबत शैदावा या उसके जुज्वमज़कूरके मुजद्ददन् नालिशकरने का अख़्तियार न रहेगा ॥

इसदफ़ाकी किसी इबारतसे अदालतको यह इजाज़त देनेका अख़्तियार नहीं है कि चन्द मुद्दइयोंमें से एक बिलामर्ज़ी दूसरोंके बाज़दावादे ॥

दफ़ा ३७४–हरनालिश जदीदमें जो ब इजाज़त दफ़ा मुलहक़ाबालाके दायरहो मुद्दईपाबन्द क़वानीनतमादी अय्याम का उसीतरह होगा कि गोया नालिश साबिक़ दायर न हुई थी ॥

दफ़ा ३७५–अगरतस्फ़िया किसी मुक़द्दमेका किसी तौरके जायज़ मुसालहः यारफ़ैदादसे कुल्लन्या जुज़अन्

होजाय या मुद्दआअलेह मुद्दईको निस्बत कुल या जुज्वशै मुतनाजा मुक़द्दमेके राज़ीकरदे तो इसतरहका मुसालहः या रफ़ैदाद या राज़ीनामा तहरीर होगा और अदालत उस के मुताबिक़ डिकरी सादिर करेगी जहांतक कि उस मुक़द्दमें से इलाक़ाहो और वह डिकरी जहांतक डिकरीको उसक़दर शैदावेसे तअल्लुक़हो जिससे ऐसा मुसालहः ।रिफया तअल्लुक़ रखताहै नातिक़होगी ॥

अदालतमें रुपयेका दाखिल करना ॥

दफ़ा ३७६—जिसनालिशमें कि दावाक़रजा याखिसारा काहो मुद्दआअलेहको मुक़द्दमेकी किसी नौबतमें जायजहै कि अदालतमें उसक़दर रुपया अमानत दाखिल करे जो पूरे दावे के ईफ़ायकेलिये उसकी दानिस्तमें काफ़ीमुतसव्विरहो ॥

दफ़ा ३७७—लाज़िमहैकि मुद्दआअलेह उस अमानत कीइत्तिला अतहरीरी अदालतकीमारफ़त मुद्दईकोदे और ज़र अमानत मुद्दईकी दरख्वास्तपर मुद्दईकोदियाजाय इल्लाउस सूरतमें कि अदालत औरतरहपर हिदायतकरे॥

दफ़ा ३७८—जो रुपये कि मुद्दआअलेहने अमानतरक्खाहो उसका सूद मुद्दईको इत्तिलाअमज़कूरके पहुँचने की तारीखसे न दिलायाजायगा ख्वाहज़र अमानतबक़दर कुलदावेके हो या उससे कम ॥

दफ़ा ३७९—अगरमुद्दईउसज़र अमानतकोसिर्फ़ बतौर ईफ़ाय जुज्वदावा कुबूलकरले तो उसेजायज़है कि बाक़ी की बाबतनालिशमें पैरवीकरे और अगरअदालत यह तजवीज़करे कि रुपया दाखिल कियाहुआ मुद्दआअलेह

काबक़दरकुलदावामुद्दईकेहै तोमुद्दईकोउसक़दरख़र्चा ना-
लिशकाजोबाददाख़िलहोनेज़रअमानतकेपड़ाहोऔरख़-
र्चामाक़ूलइदख़ालअमानतका जिसक़दर किबवजहज़ि-
यादतीमुतालिबैमुद्दईकेलाज़िमआयाहोअदाकरना होगा

अगर मुद्दई ज़रअमानतको बईफ़ाय अपनेकुलदावे
के मंज़ूरकरले तोउसको लाज़िमहोगा कि बयान इस म-
ज़मूनका अदालतमें गुज़राने और वह बयान शामिल
मिसल कियाजायगा और अदालतको लाज़िमहै किउस
के मुताबिक़ फ़ैसलासदरकरे और बतजवीज़ इस अम्रके
कि ख़र्चा हरफ़रीक़का किसपर आयद होनाचाहिये अदा-
लत इस अम्रपर ग़ौरकरेगी कि किसफ़रीक़पर निज़ाअ
अदालतका इल्ज़ाम ज़ियादह आयद होताहै ॥

तमसीलात ॥

(अलिफ़) ज़ैदपर उमरूके सौरूपये आतेहैं उमरूने
ज़ैदपर उसरुपयेकी नालिशकी और पहिले कुछतक़ाज़ा
नहीं किया और कोई वजह इसअम्रके यक़ीनकरनेकीभी
नथी कि तक़ाज़ासे जो देरहोगी वहकिसीनेहजसे उसके
हक़में मुज़िरपड़ेगी और अरज़ीदावेके गुज़रनेपर ज़ैदने
अदालतमें रुपयादाख़िलकिया और उमरूने अपनेकुल
दावेके ईफ़ायमें उसको मंज़ूर करलिया तो अदालतको
लाज़िमहै कि उसको ख़र्चा न दिलाये इसवास्ते कि नि-
ज़ाअ अदालत उसकीतरफ़से क़यासन् बेबुनियादथी ॥

(बे) उमरूने ज़ैदपर बहालत मुतज़क्किरै तमसील
(अलिफ़) नालिशकी और जब अरज़ीदावा गुज़री ज़ैदने
दावेकी जवाबदिहीकी बाद अज़ां ज़ैदने अदालतमें रुप-

या अमानत दाख़िलकिया उमरूने बईफ़ाय अपने कुल दावेके मंज़ूरकरलिया तोइससूरतमें अदालतको लाज़िमहै कि उमरूको ख़र्चामुक़द्दमेकाभी दिलाये क्योंकि ज़ैद के अमलसे साबितहै कि निज़ाअ अदालत ज़रूरीथी॥

(जीम) ज़ैदपर उमरूके सौरुपये आते हैं और चाहता है किबग़ैररुजूअनालिश रुपया उसको अदा करदे उमरू डेढ़सौ रुपयेका दावारखताहै और उस रुपयेकी नालिश उसने ज़ैदपरकी जब अर्ज़ीदावा गुज़री तो सौ रुपया उसने अदालतमें दाख़िलकरके बाक़ी पचासरुपयेकी निस्बत जवाबदिहीकी बादअज़ां उमरूने सौरुपया बईफ़ाय अपने कुलदावेके मंज़ूरकरलिये अदालतको लाज़िमहै कि उसे ज़ैदकाख़र्चा अदाकरनेका हुक्मदे ॥

चौबीसवांबाब ॥

तलब करना ज़मानत ख़र्चेका ॥

दफ़ा ३८०—अगर बरवक़्त रुजूअ नालिश या किसी नौबत माबादपर अदालतको मालूमहो कि मुद्दई वाहिद या तमाम मुद्दई (जिस हालमें कि कई मुद्दईहों) ब्रिटिशइण्डियासेबाहर मस्कन् रखते हैं और मुद्दई या मुद्दइयान मज़कूर ब्रिटिशइण्डियाकेअंदर अलावहजायदादमुतनाज़िअहकेकाफ़ीजायदादग़ैरमन्कूला न रखतेहोंतोअदालतमजाज़होगी कि ख्वाह अपनीमरज़ीसे ख्वाह किसीमुद्दआअलेहकीदरख्वास्तपरमुद्दईयामुद्दइयोंकोहुक्मदे किउसअरसेकेअंदरजो उसहुक्मकीरूसे मुअय्यनकियाजाय ज़मानतअदायकुलख़र्चेकी जोकिसीमुद्दआअलेहपरआयदहुआहो औरक़यासन्आयदहोनेवालाहोदाख़िलकरें॥

दफ़ा ३८१—अगर ज़मानत मज़कूर मीआद मुअय्यना मज़कूरके अंदर न दाख़िलहो तो लाज़िमहै कि अदालत मुक़द्दमे को ख़ारिजकरे इल्ला उससूरत में कि मुद्दई या मुद्दइयोंको बमूजिबअहकाम दफ़ा ३७३ के मुक़द्दमे से दस्तबरदार होने के इजाज़तदीजाये ॥

दफ़ा ३८२—जो शख्स ब्रिटिशइण्डिया से ऐसेहालात में बाहरकोजाय जिनसे वजह इसअम्रके गुमानक़वीकीहो कि जबउससेख़र्चातलब कियाजायगा वहब्रिटिशइण्डिया में मौजूदनहोगा तो वहहस्बमाने दफ़ा ३८० के ब्रिटिशइण्डियासे बाहरका साकिनूतसव्वर कियाजायेगा ॥

पच्चीसवांबाब ॥

कमीशन ॥

(अलिफ़) कमीशन वास्तेलेने इज़हार गवाहों के ॥

दफ़ा ३८३—हर अदालतको हरनालिशमें अख्तियार है कि वास्तेलेने इज़हार उन अशख़ासके जो अदालत के इलाक़े अख्तियारकी हुदूद अराज़ीके अन्दर रहतेहों मगरइसमजमूयेकेअहकामके बमूजिब अदालतमेंहाज़िरहोनेसे मुआफ़हैं याजो किसीबीमारी याजाफ़जिस्मानीके वजहसे हाज़िरनहीं होसक्ते हैं कमीशनसादिरकरे कि बमूजिबबन्दसवालातके या औरतौरपर इज़हारलियाजाय॥

दफ़ा ३८४—जायज़है कि अदालत ऐसाहुक्म अपनी मर्ज़ी से या बरतबक़ गुज़रने दरख्वास्त में तहरीरी बयान हल्फ़ी या बतौर दीगर मिन्जानिब किसी फ़रीक़ मुक़द्दमे के या अज़तरफ़ उस गवाह के जिसकी शहादत मतलूबहै सादिरकरे ॥

दफ़ा ३८५–अगर कमीशन वास्ते इज़हार ऐसेशख्स के हो जो अन्दर हुदूदअरज़ी इलाक़ै अदालत सादिरकुनिंदैकमीशनके रहताहो तो जायज़है कि कमीशन किसी ऐसे शख्सकेनामसादिरकियाजाय जिसेअदालत सादिर कुनिन्दा कमीशन उसकेइजरायकेलायक़ समझे ॥

दफ़ा ३८६–हरअदालतको हरनालिशमें अख्तियार है कि कमीशन वास्तेलेने इज़हार अशख़ासमुफ़स्सिलै ज़ैल के सादिरकरे ॥

(अलिफ़) कोई शख्स जो अदालतके इलाक़े हुकूमतकी हुदूद अरज़ीसे बाहर रहताहो ॥

(बे) अशख़ास जो उसतारीख़से पहिले हुदूद अरज़ी मज़कूरसे बाहर जानेवाले हों जो उनकेवास्तेअदालतमें इज़हार लिये जानेकेलियेमुक़र्ररहुईहो ॥

(जीम) सर्कारी ओहदेदारान् मुल्की औरजंगी जिन का अदालतमें हाज़िरहोना जजकी दानिस्तमें बमूजिब हर्जकार सरकार होगा ॥

जायज़है कि ऐसा कमीशन किसी ऐसी अदालत में भेजाजाय जो अदालत हाईकोर्ट या रंगून के रिकार्डर की कोर्टनहो जिसके इलाक़े हुकूमतकी हुदूद अरज़ी के अन्दर वह शख्स रहताहो या हाईकोर्टके किसी वकील के नाम भेजाजाय जिसको कोर्ट सादिरकुनिंदा कमीशन मुक़र्ररकरना मुनासिब समझे ॥

जबअदालतइसदफ़ाकेबमूजिबकोईकमीशनसादिरकरे तो यह हिदायतकीजायगी कि आयाकमीशनउसीअदालतमेंवापिसकियाजायेगा या किसीअदालतमातहतमें॥

दफ़ा ३८७—जब किसी अदालतमें दरख्वास्त वास्ते सादिरकरने कमीशनके बग़रज़ लियेजाने इज़हारकिसी ऐसेशख्सके दीजाय जो ब्रटिशइण्डिया से बाहर किसी जगहकारहनेवालाहो और उसअदालतको इतमीनान हो कि उसकीशहादत ज़रूरीहै तो उसेजायज़है कि ऐसा कमीशन जारीकरे॥

दफ़ा ३८८—हरअदालतको जिसमें कमीशन बग़रज़ तहरीर इज़हार किसीशख्सके पहुँचे लाज़िमहै कि कमीशनके मुताबिक़ उसका इज़हारले॥

दफ़ा ३८९—जब कमीशनकी तामील हस्बज़ाबिताहो जाय तो वह मय उस शहादत के जो उसके बमूजिब लीगईहोअदालतसादिरकुनिंदाकमीशनमें वापिसकिया जायगामगरजिसहालमें किहुक्मइसदारकमीशनमें और तरहकी हिदायतहो तो मुताबिक़उसके कमीशन वापिस कियाजायगा और कमीशन औरकैफ़ियतउसकीतामील कीऔरशहादत जो कमीशनकेबमूजिबलीगईहोबरिआयत अहकामदफ़ामुलहिक़ज़ैल शामिलमिसल रहेगी॥

दफ़ा ३९०—शहादतजोबज़रियेकमीशन लीगईहोवह इस मुक़द्दमेमें बतौरशहादतबिलारज़ामन्दी उसफ़रीक़के जिसकेख़िलाफ़ वह दीगईहो पढ़ीनजायगी इल्ला॥

(अलिफ़) जबकिवहशख्सजिसनेशहादतदीहोअदालतके इलाक़ेसे बाहर रहताहै यामरगयाहो या बसबब बीमारी याज़ईफ़ीके असालतन् इज़हार देनेकेवास्तेहाज़िर नहींहोसक्ता या अदालतमें असालतन् हाज़िरहोने से मुआफ़हो या—

मुन्दर्जेज़िम्न मुलहक़ेबालामेंसे किसीके सुबूतलेनेके लिये दरगुज़रकरे और मुक़द्दमेमेंकिसी शख़्सकी शहादतको बतौरशहादतपढ़ेजानेकीइजाज़तदेबावस्फ़सुबूतइसबात के कि बरवक़्त उसकेपढ़ेजानेके वहवजह जिसके लिहाज़ से शहादत बज़रियेकमीशन लीगईथी बाक़ी नहींरही॥

दफ़ा३९१—एहकाममुंदर्जेदफ़्आतबालादरबाबतामील और वापिसीकमीशनके उनबन्दहाय कमीशनसेभीमुत-

(अलिफ़) वहअदालतेंजोब्रटिशइण्डियाकीहुदूद से बाहरहोंऔर बमूजिब फ़रमानमलका मुअज़्ज़िमादाम इक़बालहा या जनाबमुअल्ला अलक़ाब नव्वाबगवर्नरजन रलबहादुर बइजलास कौंसलके मुक़र्ररहुईहों या—

(बे)वहअदालतें जो सिवायमुमालिकब्रटिशइण्डिया के सल्तनतब्रटिशयेम्पायरके किसी जुज़्वमें वाक़ेहों या—

(जीम)वहअदालतें जोकिसीऐसीरियासत ग़ैरमें हों जो उसवक़्त मलकामुअज़्ज़िमा दामइक़बालहा के साथ रब्त और इत्तहाद रखती हो॥

(बे) कमीशन बग़रज़ तहक़ीक़ातके॥

दफ़ा३९२—अगर किसीमुक़द्दमेयाकार्रवाईमेंअदालत वास्तेइन्कसाफ़असालियतकिसीअम्रमाबउलनिज़ाअया वास्ते दरियाफ़्तमालियत बहस्ब निर्ख़बाज़ार किसीमाल के या तादादवासिलातयाख़िसारा या सालानाख़ालिस मुनाफ़ेकेतहक़ीक़ातमौक़ेज़रूर या मुनासिबसमझे और उसकी तहक़ीक़ातजजख़ुदबसहूलियत न करसक्ताहो तो

अदालतको अख्तियारहोगा कि किसी शख्स के नाम जिसको वहलायक़समझे कमीशन सादिर करे और उसको यह हुक्मदे कि तहक़ीक़ात मज़कूर करके अपनी कैफ़ियत उसकी बाबत अदालतमें गुज़राने ॥

पर शर्त्त यह है कि जिसहालमें लोकलगवर्नमेण्ट से इस बाबमें क़वायदमुरत्तिब हुयेहों कि कमीशन किस २ शख्सके नाम सादिर करनाचाहिये तो अदालतको उन क़वायदका पाबन्द रहना लाज़िमहोगा ॥

दफ़ा ३९३—अहलकमीशन बाद मुआयना मौक़े के जो ज़रूरी मुतसव्विरहो और कलम्बन्द करने शहादत के जो उसकीमारफ़त लीजाय उसशहादतको मयअपनी कैफ़ियत तहरीरीके जिसपर वह अपने दस्तख़त भी सब्तकरे अदालत में भेजदेगा ॥

कैफ़ियत अहलकमीशनकी और जोशहादत कि उसने लीहो (लेकिनवहशहादतजिसकेसाथऐसीकैफ़ियतनहो) मुक़द्दमेकी शहादतहोगी और शामिल मिसलरहेगी ले-

[illegible]

बइजाज़तअदालत मजाज़होगाकिखुद अहलकमीशन बनिस्बत किसीमरातिबके जिनकीतहक़ीक़ातकेवास्तेवह मामूरहुआहोयाजिसकातज़किरहउसकीकैफ़ियतमेंहोया निस्बत तर्ज तहक़ीक़ातके सरेइजलास इस्तिफ़सारकरे॥

(जीम) कमीशन वास्ते जांच हिसाबातके ॥

दफ़ा ३९४—हरमुक़द्दमेमें जिसमेंजांचयातस्फ़ियाहिसा-बातज़रूरहो अदालतको अख्तियारहोगा किजिसशख्स को मुनासिब समझे उसकेनाम कमीशन इसहिदायतसे

सादिर करे कि वह जांच या तस्फ़िया हिसाबका करदे ॥

दफ़ा ३९५—अदालत को लाज़िमहोगा कि अहल कमीशनके पास उसक़दर कागज़ात मिसल और हिदायात मुसर्रह जो ज़रूरी हों भेजदे ॥

और बसराहत हुक्ममें लिखे कि अहलकमीशन सिर्फ़ अपनी रूबकारात जोबाबततहक़ीक़ातके तहरीर हों अदालतमें भेजदे या अपनीरायभी निस्बत उस अम्रके जिसकी जांचका उसको हुक्महै तहरीरकरे ॥

अहलकमीशनकी रूबकारात बमंज़िलै शहादतके मुक़द्दमेमें लेलीजायँगी इल्लाउससूरतमें कि अदालतकेनज़दीक कोईवजह उनकीनिस्बत बेइतमीनानीकी पाईजाय ऐसीसूरतमें अदालतउसतहक़ीक़ात मज़ीदका हुक्म देगी जो उसके नज़दीक मुनासिबहो ॥

(दाल) कमीशन वास्ते तक़सीमकरनेके ॥

दफ़ा ३९६—अगरकिसीमुक़द्दमे में तक़सीम जायदाद ग़ैरमन्क़ूलाकी जो मालगुज़ारसर्कारनहो अदालतकीदानिश्तमें ज़रूरीहो तो अदालतको जायज़है किबादतहक़ीक़करने इसबातके कि कौनकौन अशख़ास उसजायदाद में हक़ीयत रखते हैं और उनके क्या २ हुक़ूक़ उसमें हैं कमीशन बनाम ऐसे अशख़ासके जिनको मुनासिब जाने उनहुक़ूक़केमुआफ़िक़ तक़सीमकरदेनेकेलियेसादिरकरे ॥

लाज़िमहै कि अहाली कमीशनउसजायदादकी तहक़ीक़ और मुआयनाकरके उसको उतने हिस्सोंमेंजिनकी हिदायत उसहुक्ममेंहो जिसके बमूजिबकमीशन सादिर कियागयाहो तक़सीमकरदें और उन हिस्सोंको उनअश-

ख़ासके वास्ते मुक़र्रर करें और अगर उसहुक्ममे ऐसी इजाज़तहो तो हिस्सकीमालियतके मसावीकरनेकेलिये जो रुपया देना वाजिबहो उसकी तजवीज़ भी करदें॥

बादअज़ां अहाली कमीशन एक कैफ़ियत मुरत्तिब करके उसपरदस्तख़तकरें (या जिसहालमें कि उनका इत्तिफ़ाक़राय न होसके तो) कैफ़ियतहायजुदागाना मुरत्तिब करें और उसकैफ़ियतमें हरशख़्सका हिस्सह मुक़र्ररकरदें और (अगर उसहुक्ममें ऐसीहिदायतहोतो) हर

[illegible]

वहकैफ़ियत या कैफ़ियतकमीशनकेसाथ मुन्सलिककरके [illegible] और [illegible] कि

[illegible] कैफ़ियातकेकरें

समाअ़तकरकेउनकोफ़िस्ख़करदे और कमीशनजदीदसादिरकरे या (जिसहालमें कि [illegible]

[illegible] ता

(हे)—एहकामआम॥

दफ़ा ३९७—जबकोईकमीशनबमूजिबबाबहाज़ाकेसादिरहो तो अदालत क़ब्लइसदारकमीशन मजाज़होगी कि जिसक़दररुपया वास्तेअख़राजातकमीशनके मुनासिब [illegible] केलिये अंदरमीआदमुजव्विज़ाअदालतकेउसफ़रीक़कोजिसकीदरख़्वास्तकेमुआफ़िक़याजिसके फ़ायदेकेवास्तेकमीशनसादिरहोहुक्मदे॥

दफ़ा ३९८—हरअहलकमीशन जो इसबाबके बमूजिबमुक़र्ररहुआहो अगर उसको हुक्मतक़र्रुरकीरूसे और नेहजकी हिदायत न हो तो मजाज़होगा कि—

अ इन्तहास्वतफरीकैनऔरकिस्मग

को वह या उनमेंसेकोई पेशकरे औरकिसीऔरशख्सकाले जिसेअहलकमीशनमज़कूर उसमुआमलेमेंजोउसको सिपुर्दहुआहोशहादततदेनेकेलियेतलबकरनामुनासिबसमझे

(बे)दस्तावेज़ातऔरदीगरअशियायजो अमूतहक़ीकाततलबसेमुतअल्लिक़हों उनकोतलबकरकेमुआयनाकरे॥

(जीम)किसीवक्तमुनासिबमें उसअराज़ी या इबारत के अंदर जिसकाज़िक्र उस हुक्म में हो दाख़िलहो ॥

दफ़ा ३९९-एहकाम मजमूयेहाज़ा दरबाबतलबकरने और हाज़िरहोनेऔर लेनेइज़हारगवाहानके और निस्बत ख़र्चगवाहों और उन तावानातके जोगवाहोंपर होसक्ते हैं उनअशख़ास से भी मुतअल्लिक़होंगे जिनको इसबाबके बमूजिबशहादततदेने या दस्तावेज़ पेशकरनेकाहुक्मदिया गयाहो आमइससे कि वह कमीशन जिसमेंऐसाहुक्महो ऐसी अदालतसे सादिरहुआहो जो ब्रिटिशइण्डिया की हुदूदके अंदर वाक़ै है या किसी और अदालत से जो हुदूद मज़कूरके बाहरवाक़ैहो ॥

इसदफ़ा की अग़राज़के लिये अहलकमीशन बमंज़िलेअदालतदीवानीके समझाजायगा ॥

दफ़ा ४००-जब कमीशन बमूजिबबाबहाज़ा सादिर कियाजाय अदालतहिदायतकरेगी कि फ़रीक़ैनमुक़द्दमा रूबरू अहलकमीशनके असालतन् या बज़रिये एजंट या वुकलाके हाज़िरहों ॥

अगर वह हाज़िर न हों तो अहलकमीशन को अख़्तियारहै कि यकतरफ़ी कार्रवाई करे ॥

ख़ास क़िस्मकी नालिशात ॥

छब्बीसवांबाब ॥

नालिशात मुफ़लिसी ॥

दफ़ा ४०१—बपाबन्दी क़वायद मुन्दर्जे ज़ैलके मुफ़लिस की तरफ़से हर नालिश होसक्तीहै ॥

तशरीह—वहशख़्स मुफ़लिसकहलायेगाजिसकोइस क़दरइस्तताअ़तनहींहै किवहमुक़द्दमेकीअ़र्ज़ीदावेकीफ़ीस जोक़ानूनमें मुक़र्ररहै अदाकरसकेया जिसहालतमें कि अ़र्ज़ीदावेके लिये कोई फ़ीसमुअ़य्यननहो सिवायअपने पार्चे पोशीदनी ज़रूरी और शै मुतदाविया मुक़द्दमे के किसी और जायदाद मालियती एकसौ रुपयेकाइस्तेहक़ाक़ न रखताहो ॥

दफ़ा ४०२—मुफ़लिसकी तरफ़से कोईनालिश बग़रज़ वसूल ज़र मुआविज़े बाबत ख़ारिजहोनेके ज़ातसेयातोहमत या तहत्तुक या दुश्नामदिही या हमले के रुजूअ नहोसकेगी ॥

दफ़ा ४०३—दरख़्वास्तइस्तजाज़तनालिशमुफ़लिसान तहरीरहोगी और उसमें वह मरातिब मुन्दर्ज करने होंगे जो हस्बदफ़ा ५० अरायज़दावेमें दर्जहोने चाहियें और एकफ़ेहरिस्त हर जायदाद मन्कूला या ग़ैरमन्कूला ममलूकासायलकीबतफ़्सीलमालियततख़मीनीदरख़्वास्तकेसाथमुन्सालिककरनीहोगी और दरख़्वास्तकेज़ैलमें

दस्तख़त और इबारत तसदीक़ उसीतरहलिखीजायगी।

दीक़ लिखनेका इसमजमूयेमें पहिलेहुक्म होचुका है ॥

दफ़ा ४०४—गो द

उससूरतके कि वहदफ़ा ६४० या दफ़ा ६४१ के बमूजिब
अदालतमें हाज़िर होनेसे मुआफ़हो कि उससूरतमें दर-

मजाज़हो और जवाब हरसवालज़रूरीका जोदरख्वास्त
से मुतअल्लिक़हो देसक्ताहो और जो उसीतरह इज़हार
लियेजानेका मुस्तौजिब होगा जिसतरह वहशख्सजिस-
का वह मुख्तारहो अदालत में असालतन् हाज़िरहोने
की सूरत में इज़हारदेनेके लायक़ होता ॥

दफ़ा ४०५—

न ०३ और १४०

तो अदालतको लाज़िम है कि उसको नामंज़ूरकरे ॥

दफ़ा ४०६—अगर दरख्वास्ततरीक़े मुनासिबपर मुर-
त्तब और हस्बज़ाबिता पेशकीजाय तोजजइज़हारसाय-
ल या उसके एजण्टका जब उसको मुख्तारतन् हाज़िर
होनेकी इजाज़तहो सायलके इस्तेहक़ाक़ दावे और जाय-
दादके निस्बत अगर मुनासिबसमझे क़लम्बंदकरेगा ॥

दालतको अख्तियारहै कि अगर मुनासिब समझे हुक्म
दे कि सायल का इज़हार बज़रिये कमीशनके उस तौर
पर लियाजाय जैसा कि इज़हारगवाहग़ैरहाज़िरकाबमू-

जिब एहकाम मजमूये हाज़ाके लिया जासक्काहै ॥

दफ़ा ४०७—अगर अदालतको ज़ाहिर हो कि—

(अलिफ़) सायल मुफ़लिस नहीं है या—

(बे) सायलने दरख्वास्त गुज़राननेसे पहले दोमहीने के अंदर फ़रेबन् या इसबाबके एहकामसे मुस्तफ़ीदहोने की नियतसे कोई जायदाद मुन्तक़िल करदीहै या—

(जीम) उसके बयानात से उस अदालतमें नालिश करनेका इस्तेहक़ाक़ पाया नहीं जाता या—

(दाल) उसने निस्बत शैमुद्दआअलेहा उस नालिश के जिसकी इजाज़त चाहताहै कोई ऐसाक़ौल क़रार किया है जिसकी रूसे किसी और शख्सकोशैमज़कूर में हक़ीयत हासिल होगईहै तो अदालतकोलाज़िमहै कि दरख्वास्त मज़कूरको नामंज़ूर करे ॥

दफ़ा ४०८—अगर अदालतके नज़दीक कोई वजह नामंज़ूरी सवालकी मिंजुमलै वजूह मुन्दर्जै दफ़ा ४०७ के न पाईजाय तो उसको लाज़िमहै कि एक तारीख़ (जिसकी इत्तिलाअ कमसे कम दशरोज़ पहले फ़रीक़सानी और वकील सरकारको देनी होगी) वास्तेलेने शहादतके जो सायल ब सुबूतअपनी मुफ़लिसीके गुज़रानसके और वास्ते समाअत शहादतके जो बतरदीद मुफ़लिसी सायलके पेश की जाय मुक़र्ररकरे ॥

दफ़ा ४०९—उस तारीख़पर जो इस नेहजसे मुक़र्रर कीजाय या उसकेबाद जिसक़दर जल्दबसहूलत मुमकिनहो अदालतको लाज़िमहै कि गवाहान फ़रीक़ैनका इज़हारले (अगर कोईहों) औरअगरचाहे सायल या उस

के

का खुलासा बतौर याद्दाश्तके लिखना होगा ॥

बाबत इसअम्रकेकि

और उस शहादतके (अगरकुछहो) जोकि अदालतमें

किसीममानियतका ममनूआत मुसर्रहः दफ़ा ४०७

दफ़ा ४१०—अगरदरख्वास्त मञ्ज़ूरकीजाय

नम्बरडाला जायेगा और व

गी औरबमंज़िले अरज़ीदावे मुक़द्दमेकेमुतसव्विर होगी

मुतदायरा हस्बबाब ५ बइस्तस्नाय इस
बातके कि मुद्दई बाबतकिसीसवाल या वकालतनामा या
दीगर काररवाई मुतअल्लिक़ै मुक़द्दमेके मुस्तौजिब अ-
दायकिसीरुसूम अदालतका न होगा सिवाय उनरुसूम
के जोवास्ते इजरायहुक्मनामजातके वाजिबुल्अदाहीं॥

दफ़ा ४११—अगर मुद्दई मुक़द्दमेमें कामियाबहो तो
अदालतको लाज़िमहै कि तादाद रुसूम अदालतकी
जो बहालत न मिलने इजाज़त इरजाअनालिशमुफ़लि-
सानामुद्दईके ज़िम्मेवाजिबुल्अदाहोती महसूबकरे और
बाबतउसतादादके शैमुतदावियामुक़द्दमेपरमतालिबामु-
क़द्दमाहोगाऔरगवर्न्मेंटको अख्तियारहोगा कि तादाद

मुक़द्दमेकाइसमजमूयेके बमूजिब वसूलकियाजासक्ताहै ॥

दफ़ा ४१२—अगर मुद्दई मुक़द्दमेमें कामियाब नहो या उसकी मुफ़लिसी आयंदा फिरुस्त होजाय या अगर मुक़द्दमा दफ़ा १७ या दफ़ा १८ के बमूजिब डिसमिस होजाय तो अदालतको लाज़िमहै कि मुद्दई या किसी और शख्स

बमूजिबमुक़द्दमेमें मुद्दईका शरीकहुआ

यहहुक्मदे कि वह उसक़द्र रुसूम अदालत जमा करे

सानाके मुद्दईको अदा करनी वाजिब

अगर अदाल

रुपयेसे ज़ियादह नहो यां उसको किसी मीआदतक क़ैद

महीने

दफ़ा४१३—अगरसायलकीदरख्वास्तपर मुतज़म्मिन इस्तजाज़त इरजाय नालिशमुफ़लिसी दफ़ा ४०१केबमूजिब हुक्म नामंज़ूरीका सादिरहो तो उसकी हर दरख्वास्त माबाद जो उसी क़िस्मकी हो निस्बत उसी हक़ नालिशके बाद अज़ां मसमूअ न

दायरकरं पर

लिसीके नामंजूर करनेमें सर्कार पर आयद हुआहो तो वह पहिले अदा करदे ॥

दफ़ा ४१४—अदालतको अख्तियारहैकिमुद्दआअलेह या वकीलसर्कारकी दरख्वास्तपर जिसकीइत्तिलाअ तहरीरीएकहफ्तापहिलेमुद्दईको दीगईहोमुद्दईकी मुफ़लिसी के फिस्ख़ होनेका हुक्म दे ॥

(अलिफ़) अगर वह दरअसनायमुक़द्दमा क़ुसूरवार ईज़ारसानी या तरीक़ नामुनासिबका हो या—

(बे) अगर यह ज़ाहिरहो कि उसके पास ऐसेवसायल हैंकि उसकी नालिश मुफ़लिसानाकाक़ायम रहना मुनासिब नहीं या—

(जीम) अगर उसने दरबाबशै मुतनाज़ा मुक़द्दमेके कोई ऐसा मुआहिदा कियाहो जिसके एतबार से किसी और शख्सने उसीशैमुतनाज़ेमेंकोईहक़हासिलकियाहो॥

दफ़ा ४१५—ख़र्चाउसदरख्वास्तका जिसमें नालिशमुफ़लिसानादायरकरनेकीइजाज़तकीजायऔरतहक़ीक़ात मुफ़लिसी सायलका मुक़द्दमे के ख़र्चेमें दाख़िल है ॥

सत्ताईसवां बाब ॥

नालिशात अज़जानिब या बनाम सर्कार या ओहदेदारान सर्कार ॥

दफ़ा ४१६—नालिशात जो अज़तरफ़ या बनामगवर्नमेण्टहों वह अज़तरफ़ या बनाम (यानेजैसीकिसूरतहो) जनाब सेक्रेटरी आफ़अस्टेटहिन्द या इजलास कौंसल रुजूअ कीजायेंगी ॥

दफ़ा ४१७—जो अशखास कि ऐक्र

नेहजसे मजाज़ पैरवीके मिन्जानिब गवर्न्नमेण्ट निस्बत किसी काररवाई अदालतकेहों वह ऐसे एजन्टमक़बूला मुतसव्विरहोंगेजो हस्बएहकाम मजमूआहाज़ा मिन्जानिब गवर्न्नमेण्ट हाज़िरहोकर पैरवी करसक्तेहैं और दरख्वास्तेंगुज़रान सक्ते हैं॥

दफ़ा ४१८—जोनालिशात कि मिन्जानिब जनाबसेक्रेटरीआफ़इस्टेटहिन्दइजलासकौंसलकेहों उनमें अर्ज़ीदावेके अन्दरबजायलिखने नाम और पता और मुक़ाम सकूनतमुद्दईके इनअल्फ़ाज़कादाख़िलकरनाकाफ़ीहोगा-
जनाबसेक्रेटरी आफ़इस्टेटहिन्द इजलास कौंसल—

दफ़ा ४१९—वकील सर्कार हरअदालतमेंवास्ते हुसूल हुक्म नामजात मौसूमै सेक्रेटरी आफ़इस्टेट बइजलास कौंसलके जो किसीऐसी अदालतसेसादिर हों सर्कारकी तरफ़से एजन्ट होगा॥

दफ़ा ४२०—अदालतबरवक़्तक़र्रुरतारीख़ अदख़ाल जवाब अर्ज़ीदावे के मिन्जानिब जनाब सेक्रेटरी आफ़इस्टेट इजलास कौंसल मोहलत जो वास्ते करनेख़तकिताबत ज़रूरीसाथ गवर्न्नमेण्टके बतवस्सुतसरिश्तेहाय मुनासिब औरसुदूरहिदायतकेबनामवकील सर्कार बिनाबरहाज़िरी व जवाबदिहीमुक़द्दमा अज़जानिब सेक्रेटरी आफ़ इस्टेट इजलासकौंसल या अज़जानिब सर्कारके माक़ूलहो जायज़ रक्खेगी और हस्बइक़्तज़ाय रायअपने उसमोहलतको बढ़ासक्तीहै॥

दफ़ा ४२१—जिसमुक़द्दमेमें वकीलसर्कारके साथकोई और शख़्सामिन्जानिब जनाब सेक्रेटरीआफ़ इस्टेटइज-

लास कौंसल ऐसा नहो जो मुक़द्दमेके मरातिब नफ़सुल अमरीका जवाबदेसके इसमें अदालतको ऐसेशख्सकीहाज़िरीका हुक्मदेनाभी जायज़ है ॥

दफ़ा ४२२—अगर मुद्दआअलेह ओहदेदारसर्कारहो और अदालतको मालूमहो कि एकपरतनक़लसम्मनकी उसकचहरीके सरदफ्तरकेपासजहांमुद्दआअलेहनौकरहै बग़रज़तामीलकेभेजनेसे तामीलसम्मनकी सबसेज़ियादहसहूलतकेसाथ होसक्तीहै तो ऐसाकरे ॥

दफ़ा ४२३—अगर इन्दुल वसूल सम्मनके ओहदेदार सर्कारको अर्ज़ीदावेकाजवाबदाख़िलकरनेसे पहिलेगवर्न्मेंटसे इस्तस्वाब करनामुनासिब मालूमहो तो वह अदालतसे इस्तदुआ करसक्ताहै किमीआदमुअय्यनासम्मन उसक़दर बढ़ादीजाय जो इस्तस्वाबकरसकनेऔरबतवस्सुत सरिश्तेहाय मुनासिब उसके बाबतहुक्मके वसूल होनेके लिये ज़रूरी हो ॥

और अदालतको अख्तियारहै कि ऐसी दरख्वास्त पर मीआदमज़कूरको जिसक़दर उसको ज़रूरमालूमहो वसअतदे ॥

दफ़ा ४२४—कोई नालिश बनामसेक्रेटरी आफ़इस्टेट इजलासकौंसल या बनामकिसी ओहदेदार सर्कारी के बाबतकिसीफ़ेलके जो उसनेअपने अख्तियारमन्स किया हो रुजूअनकीजायेगी उसवक्ततक कि जिसतारीख़ को इत्तिलाअनामातहरीरी बइन्दराज बिनायदावाऔर नाम और सकूनत मुद्दईकेजिसहालमेंकि नालिशबनाम सेक्रेटरी आफ़ इस्टेटइजलास कौंसलके होनेवालीहोतो

लोकलगवर्न्नमेंटके किसीसेक्रेटरीकेपास या उसकेद....
में या ज़िलेकेसाहबकलक्टरके पास या उसके दफ्तरमें
और जिसहालमें कि नालिशबनाम किसी ओहदेदार
सर्कारके होनेवालीहो तो ओहदेदार मज़कूरके पास या
उसके दफ्तरमें पहुँचादिया गयाहो उससे दोमहीने का
अर्सा न गुज़रले और अर्ज़ीदावेमेंयहबयान मुन्दर्जहोना
चाहिये कि ऐसा इत्तिलाअनामा इसतौरपरहवालेकिया
गया या पहुँचा दियागया ॥

दफ़ा ४२५—लाज़िमहैकिऐसेमुक़द्दमेमेंवारंटागिरफ्तारी
बिलारज़ामन्दीतहरीरी जजज़िलेकेसादिरनकियाजाय ॥

दफ़ा ४२६—अगर सर्कार जवाबदिही नालिशकी जो
किसीओहदेदार सर्कारीपरहो अपनेज़िम्मे क़बूलकरेतो
वकीलसर्कार जबकि उसको इजाज़त हाज़िरी व जवाब-
दिहीअर्ज़ीदावेकी दीजाय अदालतमें दरख्वास्त गुज़रा-
नेगा औरउसदरख्वास्तपरअदालतकोलाज़िमहोगा कि
एक याददाश्तउस इजाज़तकीरजिस्टरमें दर्जकराये ॥

दफ़ा ४२७—अगर वकील सर्कार उसतारीख़ पर जो
इत्तिलाअनामामेंवास्तेहाज़िरीमुद्दआअलेह व जवाबदि-
हीअर्ज़ीदावेके मुक़र्ररहोयाउससे पहिलेदरख्वास्तन गु-
ज़राने तो मुक़द्दमेकी तरतीब मिस्ल उनमुक़द्दमोंकेहोगी
जिनमेंसर्कार अहदुल् फ़रीक़ैन नहो बजुज़इसकेकिनमु-
द्दआअलेहकीज़ातलायक़गिरफ्तारीके न उसकीजायदा-
दक़ाबिलक़ुर्क़ीकेहोगी इल्लाबहालतजारीहोने डिकरीके ॥

दफ़ा ४२८—उसमुक़द्दमेमें जोबनामाकिसी ओहदेदार
सर्कारकेबाबत किसीफेलकेहो जो उसनेअपनेअख्तियार

मन्सबी से किया हो अदालत मुद्दआअलेहका असाल-
तन् हाज़िरहोनेसेऐसेहालमेंबरीकरेगी कि वह अदालत
का इतमीनानकरदे कि वह बिलाहर्ज कारसर्कार अपने
ओहदे से गैरहाज़िर नहीं रहसक्ता ॥

दफ़ा ४२९–जबडिकरीसेक्रेटरी आफ़इस्टेट इजलास
कौंसलपर या किसी ओहदेदार सर्कारीपर बाबत किसी
फ़ेलकेहोजो उसने अपने अख्तियार मन्सबीसे कियाहो
तो डिकरीमें एकमीआदउसकेईफ़ायकेलिये मुन्दर्जहोगी
औरअगरडिकरीकोईफ़ायउसमीआदमुअय्यनाकेअंदर
नहो तो अदालत मुक़द्दमेकी कैफ़ियतलिखकर वास्तेसु-
दूरहुक्मके लोकलगवर्न्मेण्टके हुज़ूर मुर्सिल करेगी ॥

किसी ऐसीडिकरी के बाबत हुक्मनामा इजराय सा-
दिर न कियाजायेगाइल्ला उसहालमें कि वहतीनमहीने
तक जिसका शुमार कैफ़ियतकी तारीख़से कियाजायगा
बिला ईफ़ारहे ॥

अट्ठाईसवां बाब ॥

नालिशात अज़तर्फ़रिआयाय मुमालिक गैर और अज़तर्फ़ या बनाम वालियान रियासतहिन्दु-स्तानी और वालियानमुमालिकगैर ॥

दफ़ा ४३०–दुश्मनकेमुल्ककी रिआयाजोब्रटिशइण्डिया
केअंदरजनाबमुअल्लाअल्क़ाबगवर्न्नरजनरलबहादुरइज
लासकौंसलकी इजाज़तसेरहतीहोऔरदोस्तके मुल्ककी
रिआयाउसीतरहब्रटिशइंडियाकोअदालतोंमें नालिशक
रसकेगीगोयावहजनाबमलिकामुअज्ज़माकी रिआयाथी

दुश्मनकेमुल्ककीकोईरय्यतजोबिलाइजाज़तमज़कूर
ब्रटिशइण्डिया की हुदूद के अन्दर रहती हो या किसी

मुल्कग़ैरमें रहतीहो ब्रिटिशइण्डिया की किसी अ़दालत में नालिश न करसकेगी ॥

तहरीह़—हरशख़्स जो किसीमुल्कग़ैरमें रहताहोजब कि दरमियान सर्कारउसमुल्कग़ैर और मुमालिकतमुत-हिदा ग्रेटब्रिटिन और आयरलेंडके लड़ाई होरहीहो और मुल्क मज़कूरमें बिलाहुसूल लैसन्स दस्तख़ती किसीसे-क्रेटरी आफ़ इस्टेट मिन्जुमलै सेक्रेटरीहाय मलकामुअ़-ज़्ज़िमायादस्तख़तीकिसीसेक्रेटरी गवर्न्नमेंट हिंदकेकारो-बार करताहो इसदफ़ाकी ज़िम्नरकीग़रज़केलिये दुश्मन के मुल्ककी रअ़य्यत साकिन मुल्कग़ैरमुतसव्विरहोगा॥

दफ़ा ४३१—जायज़है कि कोई रियासत मुल्कग़ैर ब्रि-टिशइण्डियाकी अ़दालतोंमें नालिशकरे बशर्ते कि—

जनरलबहादुर इजलास कौंसलने उसरियासतको तस-लीम कियाहो ॥

(बे)नालिशका यह मक़सूदहो कि उसरियासतग़ैरके वाली या रिआ़याके हुक़ूक़ख़ानगी दिलायेजायँ ॥

अ़दालतको इसअम्र वाक़ैपर अ़दालतानालिहाज़ करना होगा कि रियासत ग़ैरको मलकामुअ़ज़्ज़िमा या जनाब नव्वाब गवर्न्नरजनरलबहादुर इजलास कौंसल ने तसलीम नहीं किया ॥

दफ़ा ४३२—वह अशख़ास जोहस्ब दरख़्वास्त वालीख़ुद मुख़्तार या रईस हुक्मरांके आमइससे कि वह बतबय्यतब्रिटिशगवर्न्नमेंटकेगवर्न्नमेंट मौसूफ़से इत्तहाद रखताहो या न रखताहो ब्रिटिशइण्डियाके अंदर रहता

हो या उससे बाहर वाली या रईस मज़कूरकी तरफ़ से नालिशयानालिशकीजवाबदिहीकरनेकेलिये गवर्न्नमेंटके हुक्म खासकेज़रियेसे मुक़र्ररहों बमंज़िलै ऐसेएजंटानम-क़बूलाके समझेजायँगे जिनकीमारफ़त हाज़िरीअदालत औरकार्रवाई औरअदखालदरख्वास्त मिन्जानिबवाली यारईसमज़कूरके हस्बमजमूयेहाज़ाअमलमेंआसक्काहै॥

दफ़ा ४३३—जायज़है कि नालिश बनाम किसी वाली या रईसमज़कूर और बनाम सफ़ीर या एलची किसीरि-यासतग़ैरकेबादहुसूल इजाज़त गवर्न्नमेंट जिसकी तस-दीक़केलिये सार्टीफ़िकटदस्तख़ती किसीसेक्रेटरी गवर्न्न-मेंटका ज़रूरहोगा किसीअदालत मजाज़में जोअदालत ज़िलेके मातहत न हो दायर कीजाय मगर बिलाहुसूल इजाज़त मज़कूरके दायर न होगी॥

ऐसी इजाज़त न दीजायगी इल्ला उन सूरतोंमें जो नीचे लिखी जातीहैं॥

(अलिफ़)जब कि उसवाली या रईस या सफ़ीर या एलचीनेउसीअदालतमें उसीशख्सकेनाम नालिशदाय-रकरदीहो जो उसपर नालिशकरना चाहताहै या—

(बे)जब कि वहवाली या रईस या सफ़ीर या एलची अदालत मज़कूरके इलाक़ेकी हुदूदअरज़ीके अंदरखुद या मारफ़त और शख्सके तिजारत करताहो या—

(जीम) जब नालिशमें शैमुदआबहा जायदाद ग़ैर-मन्क़ूलाहो जो अदालत के इलाक़े की हुदूदअरज़ी मज़कूर के अंदरवाक़ै और ऐसीवाली मुल्करईस यास-फ़ीर या एलचीके क़ब्ज़ेमें हो॥

कोई ऐसा वाली या रईस या सफ़ीर या एलची इस मजमूये के मुताबिक़ गिरफ्तार न हो सकेगा और कोई डिकरी ऐसे वाली या रईस या सफ़ीर या एलचीकी जायदादपर जारी नकीजायगी इल्ला उससूरतमें कि गवर्न्नमेंटकी इजाज़तबज़रिये सार्टीफ़िकट के जिसका ऊपर ज़िक्रहो चुकाहै हासिल हो ॥

दफ़ा ४३४—जनाबमुअल्लाअल्क़ाब नव्वाब गवर्न्नर जनरलबहादुरइजलास कौंसलकोअख्तियारहै कि वक़्तन् फ़वक़्तन् बज़रिये इश्तिहार मुंदर्जैगज़टआफ़इंडियाके—

(अलिफ़) या एलानकरें कि डिकरियात उनदीवानी और मालकी अदालतोंकी जोअंदरक़लमरौ किसीऐसे हिन्दुस्तानी वाली या रियासतके जो मलकामुअज़्ज़िमा के साथ इत्तहादरखतीहै वाक़ैहैं और नव्वाबगवर्न्नरजनरल बहादुर इजलास कौंसलके हुक्मसे मुक़र्ररनहींहुई हैं उसीतरह ब्रिटिशइंडियाके अंदरजारीहोसकेंगी गोया वहब्रिटिशइंडियाकी अदालतोंसे सादिरकीगईथींऔर॥

(बे) एलान मज़कूरको मन्सूख़ करदें ॥

जबतक कि ऐसाएलान नाफ़िज़रहे जायज़है कि क़िस्म मज़कूरकी डिकरियातउसकेबमूजिबइजरापातीरहें॥

उन्तीसवा बाब ॥

नालिशात अज़ तर्फ़ और बनाम जमाअतसनदयाफ्ता और कम्पनियोंके ॥

दफ़ा ४३५—नालिशातमरजूआ जमाअतसनदयाफ्तह या कम्पनीमेंजिसकोइजाज़तामिलै कि किसीअहल्कार

या अमानतदारके नामसे नालिश करे और किसीअह-
ल्कार या अमानतदारके नामसे उसपर नालिशकीजाय
जायज़है कि कोई डायरेक्टर या सेक्रेटरी या और कोई
अफ्सर आला जमाअत या कम्पनीमज़कूरका जो नि-
स्बतवाक़ियात मुक़द्दमेके अदायशहादत करसकेतरफ़से
जमाअत या कम्पनी मज़कूरके अरज़ीदावा पर दस्त-
ख़त और तसदीक़ करे ॥

दफ़ा ४३६—जो मुक़द्दमा बनामकिसीजमाअत सनद-
याफ्ता या कम्पनीके हो जिसको यह मन्सबहै किकिसी
अहल्कारयाअमानतदारके नामसेनालिशकरे या किसी
अहल्कार या अमानतदारके नामसे उसपर नालिशकी-
जाय उसमें सम्मनका इजरा इसतरह होसक्ताहै कि—

(अलिफ़)जमाअतयाकम्पनीमज़कूरकेदफ्तररजिस्ट-
रीशुदहमेंबशर्तेकिकोईऐसादफ्तरहोपहुँचा दियाजायया

(बे) एकचिट्ठीमें जोउसजमाअतया कम्पनीकेदफ्तर
ख़ाने (याअगर एकसे ज़ियादहदफ़ातरहोंतोसदरदफ्त-
रवाक़े ब्रिटिशइंडिया) के ओहदेदार वा अमीनमज़कू-
रके नाम बसबील डाक भेजदिया जाय या—

(जीम) जमाअतसनदयाफ्ता या कम्पनी मज़कूरके
किसी डायरेक्टर या सेक्रेटरी या और किसीओहदेदार
आलाको हवाले किया जाय ॥

औरअदालतको अख्तियारहै किउसजमाअतसन-
दयाफ्ता याकम्पनीके किसी डायरेक्टर या सेक्रेटरी या
और आला ओहदेदारको जोउमूरात नफ्स मुक़द्दमेका
जवाब देसक्ताहो असालतन् हाज़िर होनेका हुक्मदे ॥

तीसवां बाब॥

नालिशात मिन्जानिब और बनाम उमनाय और औसियाय और मुहतमिमानतरकाके॥

दफ़ा ४३७—जुमलै मुक़द्दमातमें जो ऐसी जायदादसे मुतअ़ल्लिक़हों जोकिसी अमीन या वसी या मोहतमिम तरकेकी सुपुर्दगीमें हो जब कि झगड़ा उसजायदादका माबैन उन अशख़ास के जो जायदाद मज़कूरमें इस्तेहक़ाक़हुसूल इन्तफ़ाअरखतेहों बतौरफ़रीक़ अव्वल और किसीशख्स ग़ैर फ़रीक़सानीके हो तो ऐसा अमीन या वसी या मोहतमिम तरका ऐसेअशख़ासग़रज़दारका कायममुक़ाम समझा जायगा और अललउमूम उनअशख़ासको फ़रीक़ मुक़द्दमा करना ज़रूर न होगा लेकिन अगर अदालत मुनासिबजाने तोहुक्म देसक्तीहै कि वह सब या उनमेंसे कोई फ़रीक़ मुक़द्दमा कियाजाय॥

दफ़ा४३८—जिसहालमें कि कई औसियाय या मोहतमिमानतरकाहों अगरकोई नालिशउनमेंसे एक या कईके नामरुजूअकीजाय तोवहसबफ़रीक़मुक़द्दमाकियेजायँगे॥

मगर शर्त्तयहहै कि जिनऔसियायने कि अपनेमौसी केवसीयतनामेको अदालतसे साबित न कियाहोऔरजो औसियायऔरमोहतिममानतरकाअदालतकेअख्तियारहुदूदअरज़ीसेबाहरहोंउनकोफ़रीक़करनाज़रूरनहींहै॥

दफ़ा४३९—अगर अदालत और नेहजका हुक्म न दे तो शौहर किसी औरत मन्कूहह मोहतमिमा तरकायावसीयेका फ़रीक़ उस मुक़द्दमेका न किया जायेगा जो उस औरतकी तरफ़से या उसके नामहो॥

इकतीसवां बाब ॥

नालिशात मिन्जानिब और बनाम अशख़ास नाबालिग़ और फ़ातिरुल् अक़्क़के ॥

दफ़ा ४४०—जोनालिश कि किसी नाबालिग़की तरफ़ से हो वह नाबालिग़के नामसे किसी शख़्स बालिग़ की मारफ़त जोकि उसनालिशमें रफ़ीक़नाबालिग़कालिक्खा जायगारुजू़अहोगी और जायज़है किउस शख़्सको हुक्म दियाजाय कि वह ख़र्चा नालिशका उसीतरह अदाकरे कि गोया वह मुद्दईथा ॥

दफ़ा ४४१—हरदरख़्वास्त बइस्तस्नाय दरख़्वास्तहुक्मी दफ़ा ४४९ के जो अदालतमें किसी नाबालिग़की तरफ़से गुज़रे लाज़िमहै कि वह उसके रफ़ीक़ या उसके वलीदौरान् मुक़द्दमेकी तरफ़से हो ॥

दफ़ा ४४२—अगरकोईअर्ज़ीदावाबिलातवस्सुतरफ़ीक़के कोईनाबालिग़ख़ुद यामारफ़त किसीऔरकेगुज़राने तोमुद्दआअलेहको जायज़है कि इसअम्रकी दरख़्वास्त करे कि अर्ज़ीदावा फ़ेहरिस्तसे ख़ारिज कीजाय और उस का ख़र्चा वकीलया और शख़्स जिसने कि नालिश को पेशकियाहोअदाकरे मुद्दआअलेहको लाज़िमहै किऐसी दरख़्वास्तकी इत्तिलाअ शख़्सपेशकुनिन्दा नालिशको दे और अदालत उसको उज़रातसुनकर अगर उसकी तरफ़सेकुछउज़्रहो जो हुक्म उस मुआमलेमें मुनासिब समझे सादिर करेगी ॥

दफ़ा ४४३—जिसहालमेंकिमुद्दआअलेहकिसीनालिश का नाबालिग़होअदालतको लाज़िमहै किअगर उसकी

नाबालिग़ी वाक़ईका यक़ीन कामिल हो तोकिसी शख्स मुनासिबको उस नाबालिग़केवास्ते वलीदौरान मुक़द्दमा मुक़र्ररकरे ताकि वह उसनाबालिग़की तरफ़सेजवाबदिही करसके और उमूमन् मुक़द्दमेकी पैरवीमें नाबालिग़की तरफ़से अमलकरे॥

नाबालिग़कावली बग़रज़ मुक़द्दमावहवलीनहींहै जो वास्ते ज़ात या जायदादके हस्बमुराद दफ़ा३ ऐक्टसिन बलूग़ मजरियेहिंद मुसद्दिरै सन् १८७५ ई०के होताहै॥

दफ़ा४४४—जो हुक्म कि किसी नालिशमें या किसी दरख्वास्तपर जो अदालतके हुज़ूर गुज़रीहो दियाजाय और उसमें किसी नाबालिग़को किसीतौर का सरोकारहो या किसी तौरपर उसको उससे असर पहुंचताहो और उसमें उसने बालिग़की तरफ़सेकोई उसका रफ़ीक़ या वली दौरान मुक़द्दमा याने जैसी सूरतहो क़ायममुक़ामउसका न होतोजायज़है कि वहहुक्ममंसूखकरदिया जाय और अगरवकील उसफ़रीक़काजिसने हुक्महासिलकिया नाबालिग़ीका हालजानताथा याअक़्लन् क़रीनेसे जानसक्ताथा तो खर्चाउसीवकीलकेज़िम्मेरक्खाजायगा॥

दफ़ा४४५—जो शख्स सहीहुलअक़्ल और बालिग़हो जायज़है कि वह बतौररफ़ीक़ किसीनाबालिग़के कारपरदाज़हो बशर्त्ते कि उसकाहक़ मुखालिफ़हक़ उसनाबालिग़के न हो और वहउसमुक़द्दमेमेंमुद्दआअलेह न हो॥

दफ़ा४४६—अगरहक़ नाबालिग़केरफ़ीक़का मुखालिफ़हक़ नाबालिग़के हो या वहकिसी ऐसेमुद्दआअलेहसे जिसकाहक़ मुखालिफ़ हक़ नाबालिग़के हो इसक़दर

राबितहरखताहो जिससेगुमानहो कि यहबतौर मुनासिब हिफ़ाज़त हक़ीयत उसनाबालिग़की न करेगा या वह अपनेकार लाज़िमीकोअदा न करे यादरअसनायदौरान मुक़द्दमेके ब्रिटिशइंडियाकीसकूनततर्ककरदे या कोईऔर वजहकाफ़ीहो तो जायज़है कि उसनाबालिग़ या मुद्दआ-अलेहकीजानिबसे दरख्वास्तउसकी मौक़ूफ़ीकी कीजाय और अदालतको जायज़है कि अगर वजहपेशशुदहको काफ़ीसमझे तो इसदरख्वास्तके मुताबिक उसरफ़ीक़ के मौक़ूफ़ कियेजानेका हुक्म दे॥

दफ़ा४४७–अगरअदालत और नेहजकाहुक्म नदे तो नाबालिग़का रफ़ीक़बग़ैरइसके कि पेश्तरसेअपनेक़ायम मुक़ामीके वास्ते किसीशख्सलायक़को पैदाकरे और जो ख़र्चा कि हो चुका हो उसकी ज़मानत दाख़िलकरदेखुद अपनी मरज़ीसे दस्तबरदार नहीं होसक्ता॥

जो दरख्वास्त बग़रज़ तक़र्रुरनयेरफ़ीक़ के गुज़रे उसकेसाथ तहरीरीबयानहलफ़ी इसमज़मूनका कि शख्स मुजव्विज़ा लायक़है औरनीज़ यहकि वहहक़ मुख़ालिफ़ हक़नाबालिग़के नहींरखताहै मुन्सलिकहो॥

दफ़ा४४८–जब कि रफ़ीक़ नाबालिग़ का फ़ौतहो या मौक़ूफ़ कियाजाय तो काररवाई मज़ीद मुल्तवीरहेगी तावक़्ते कि उसके बजाय तक़र्रुर दूसरे रफ़ीक़ का हो॥

दफ़ा४४९–अगर नाबालिग़ का वकील एकमीआद मुनासिबके अन्दर रफ़ीक़जदीदको मुक़र्ररकरानेकीतद-बीर नकरे तो हरशख्सजिसको नाबालिग़से ग़रज़हो या शैमुतनाज़ेसे वास्तारखताहो अदालतसे दरख्वास्त

करसक्ता है कि कोई रफ़ीक़ मुक़र्रर कर दियाजाय और अदालत जिसको मुनासिब तसव्वर करे मुक़र्ररकरदे॥

दफ़ा ४५०—जबमुद्दई नाबालिग़ या वह नाबालिग़जो किफ़रीक़ मुक़द्दमा न हो और जिसकी तरफ़से कोई दरख्वास्त दायरहोहद्दबलूग़को पहुँचे तो उसको चाहिये कि अपनीराय इस बाबमें क़ायमकरे किवहमुक़द्दमाया दरख्वास्तकीपैरवीमें ख़ुदमसरूफ़होगा या नहीं॥

दफ़ा ४५१—अगरवह पैरवीमें मसरूफ़रहना पसन्द करे तो उसे लाज़िम हैकि हुक्म मौक़ूफ़ी उसरफ़ीक़का और इजाज़त अपनेनामसे पैरवीकरनेकी हासिलकरे॥

बादअज़ां उसनालिशयादरख्वास्तके फ़रीक़ैनकेनामों मेंइसलाहइसतौरपर कीजायेगी—(अलिफ़,बे)साबिक़ना बालिग़मारफ़त(जीम,दाल)अपनेरफ़ीक़केबालिग़हाल-

दफ़ा ४५२—अगर वहनालिश यादरख्वास्तसे दस्तबरदारहोना पसन्दकरे उसको लाज़िमहै कि अगरमुद्दई बज़ात वाहिद या सायल बज़ातवाहिदहो तो जो ख़र्चा मुद्दआअलेह यारस्पांडंटकाहुआहोया जो कुछ किउसको रफ़ीक़ने अदाकियाहो दाख़िलकरकेउसनालिश यादरख्वास्तके ख़ारिजकिये जानेके लियेहुक्म हासिल करे॥

दफ़ा ४५३—हरदरख्वास्त हस्बदफ़ा ४५१ या ४५२ यकतरफ़ी गुज़रसक्तीहै और यह बात तहरीरी बयान हलफ़ीसे साबितकरनी चाहिये कि नाबालिग़ हद्दबलूग़ को पहुँचगया है॥

दफ़ा ४५४—अगर नाबालिग़शिराकतीमुद्दईहद्दबलूग़ को पहुँचकर चाहे कि नालिशसे दस्तबरदार होजायतो

उसको लाज़िमहैकिज़ुमरैमुद्दइयानसे अपना नामख़ारिज
करानेकीइस्तदुआकरे और अदालतको लाज़िम है कि
अगर उसको फ़रीक़ मुक़द्दमाकरनाज़रूरी न समझे तो
मुक़द्दमेमेंसे उसको ऐसीशरायतपर दरबाब दिलानेख़र्चा
या न दिलाने ख़र्चाके जो अदालतकी दानिस्तमें मुना-
सिब हो निकालदे॥

इत्तिलाअदरख्वास्तकीरफ़ीक़पर और नीज़मुद्दआअ-
लेहपरजारीकीजायेगी और अज़रूयतहरीरबयानहल्फ़ी
के यह साबित करनाचाहिये कि नाबालिग़ साबित हद्द
बलूग़कोपहुँचगयाहै औरख़र्चातमामफ़रीक़ैनदरख्वास्त
तमाम कारवा या किसी कारवा-
इयोंका जोक़ब्लइसकेउसनालिशमेंहुईहों उनअशख़ास
को अदाकरनाहोगा जिनको कि अदालत हुक्मदे॥

अगरशरीकहोना उसनाबालिग़काजो बलूग़कोपहुँचा
हो ज़रूरीहो तो अदालत हिदायत करसक्ती है कि वह
मुद्दआअलेह गरदानाजाय॥

दफ़ा ४५५—अगर कोईनाबालिग़ हद्दबलूग़को पहुँच
कर बहस्ब इतमीनान अदालत यहबात साबित करे कि
नालिश जो उसके नामसे उसके रफ़ीक़ने रुजूअ कीथी
बवजह माक़ूल नथी या नामुनासिबथीतो उसे अख्ति-
यारहै कि अगर वहमुद्दई बज़ातवाहिदहो उस नालिश
को ख़ारिजकराने के लिये दरख्वास्तकरे॥

इत्तिलाअनामा इसदरख्वास्तका बनाम तमाम फ़री-
क़केजिनकोतअल्लुक़होजारीकियाजायगाऔर
किजबअदालतकोउसनालिशके नामाक़ूल या नामुना-

सिब होने पर इतमीनान होतो उसकी दरख्वास्त को मंजूरकरे और हुक्मदे कि रफ़ीक़ख़र्चातमाम फ़रीक़का निस्बत उसदरख्वास्तके और उसपैरवीका जो उसमुक़द्दमे में कीगई हो अदाकरे ॥

दफ़ा ४५६–हुक्मवास्ते तक़र्रुर वली दौरान मुक़द्दमा के उससवालपर जो नाबालिग़केनाम या उसकीतरफ़से या मुद्दईकी तरफ़से गुज़रे होसक्ताहै और उससवालकी ताईदमें बज़रिये तहरीरीबयानहलफ़ीकेइसबातकी तसदीक़कीजायेगी कि वली मुजव्विज़ाको मुआमलातमुतनाज़अफ़ीह नालिश मज़कूरमें कुछ हक़ मुख़ालिफ़हक़ नाबालिग़केनहीं है और वहशख्स मुक़र्ररहोनेकेलायक़है जब कोई और शख्सबतौर वली दौरानमुक़द्दमा अमल करनेके लायक़ औरउसबातपरराज़ी न हो तो अदालत को अख्तियारहै कि अपने किसी ओहदेदारको वली के ओहदेपर मुक़र्ररकरे बशर्ते कि उसको कुछवास्ता मुख़ालिफ़ाना नाबालिग़ के साथ न हो ॥

दफ़ा ४५७–शरीकमुद्दआअलेहजोसहीहुल्अक़्ल और बालिग़हो जायज़है कि वली दौरानमुक़द्दमामुक़र्ररकिया जाय बशर्तेकि वह कोईहक़ मुख़ालिफ़हक़ नाबालिग़ न रखताहो लेकिन कोईमुद्दई याऔरत मन्कूहावली मुक़र्रर नहीं होसक्तीहै ॥

दफ़ा ४५८–अगरवलीदौरानमुक़द्दमामुद्दआअलेहनाबालिग़काअपनेज़िम्मेकीखिदमतको नअंजामदेयाऔर कोईवजह काफ़ी नज़रआये तो अदालतको जायज़हैकि उसेमौकूफ़करदें और हुक्मदे कि जोख़र्चाकि किसीफ़रीक़

परउसकेकुसूरखिदमतसेआयदहुआहोउसकोअदाकरे॥

दफ़ा ४५९—अगर वली दौरान मुक़द्दमा व अय्याम दौरान मुक़द्दमा फ़ौतहो या अदालत के हुक्मसे मौकूफ़ कियाजायतो अदालतकोलाज़िमहै कि नयावलीउसकी जगह मुक़र्रर करदे॥

दफ़ा ४६०—जब किसीफ़रीक़ मुतवफ्फ़ाके नाबालिग़ वारिस याक़ायममुक़ामपरडिकरी जारीकरानेकी दरख्वास्त कीजाय तो ज़रूरहै कि वलीदौरान मुक़द्दमा उसनाबालिग़काबहुक्मअदालतमुक़र्ररकियाजाय और डिकरीदार उसकीइत्तिलाअ उसकेवलीमज़कूरपर जारीकरे—

दफ़ा ४६१—कोईरफ़ीक़या वलीदौरानमुक़द्दमा किसी रुपया या और शैको किसीवक़्त डिकरी या हुक्मसेपहले उस नाबालिग़की तरफ़से वसूल न करेगा इल्लाउसहाल मेंकि अदालतसेउसको इजाज़तहासिलहोचुकीहोऔर उसनेहस्बइतमीनानअदालत ज़मानत असबाबकीदाखिल करदीहो कि उसरुपया या उसशैका हिसाबक़रार वाक़ई उस नाबालिग़केवास्ते और उसकोदियाजायेगा और वह शै वास्ते उसकी मुन्फ़अतके रक्खी जायेगी॥

दफ़ा ४६२—ऐसेकिसीरफ़ीक़यावलीदौरानमुक़द्दमामुक़द्दमेकाजायज़नहोगा कि बिलाइजाज़तअदालत नाबालिग़कीतरफ़सेकोई मुआहिदायासुलहनामादरबाबउस नालिशकेकरेजिसमेंकिवहरफ़ीक़यावलीकारपरदाज़हो॥

जो मुआहिदा या सुलहनामा कि बिदूनइजाज़तअदालतकेकियागयाहो वह नाबालिग़केसिवायऔरजितनेफ़रीक़हैंसबकेमुक़ाबिलेमेंफ़िस्ख़होनेके क़ाबिलहोगा॥

दफ़ा ४६३—अहकाममुन्दर्जे दफ़आत ४४० लग़ायत ४६२ बतब्दील अल्फ़ाज़ तब्दील तलबउन अशख़ास फ़ातिरुल्अक़्ल से भी मुतअल्लिक़ होंगे जो बमूजिब ऐक्ट ३५ सन् १८५८ ई० या किसी और क़ानून नाफ़िज़ुल् वक़्के फ़ातिरुल्अक़्ल क़रार पायें ॥

दफ़ा ४६४—दफ़आत ४४२ लग़ायत ४६२ की कोई इबारत उस नाबालिग़ या शख़्स फ़ातिरुल्अक़्लसे मुतअल्लिक़ न होगी जिसकी ज़ात या जायदादके एहतमाम के लिये कोई वली या सरबराहकार कोर्ट आफ़वारडससे या अदालत दीवानीसे बमूजिब किसी क़ानून मुख़्तसुल् मुक़ामके मुक़र्रर कियागया हो ॥

बत्तीसवां बाब ॥

नालिशात अज़तरफ़ और बनाम मुलाज़िमान फ़ौज ॥

दफ़ा ४६५—अगर कोई अफ़्सर या सिपाही जो फ़िल्हक़ीक़त सीग़ैफ़ौजमें मुलाज़िमसर्कार हो किसी मुक़द्दमेका फ़रीक़ हो और मुक़द्दमेकी पैरवी या जवाबदिही असालतन् करनेके लिये रुख़्सत न पासक्ता हो तो वह मजाज़ होगा कि किसी शख़्सको मुक़द्दमेकी पैरवी या जवाबदिही करनेकेलिये अपनी तरफ़से मुख़्तार मुक़र्रर करे ॥

तक़र्रुर शख़्स मज़कूरका तहरीरी होगा और अफ़्सर या सिपाही मज़कूर उसपर अपने दस्तख़त करेगा ॥

(अलिफ़) रूबरू अपने कमानअफ़्सरके या अगर दस्तख़त करनेवाला ख़ुद कमानअफ़्सर हो तो रूबरू उस अफ़्सर के जो ऐन उसका मातहत हो (बे) अगर अफ़्सर या सिपाही मज़कूर फ़ौजके सीग़ै इस्टाफ़का मुलाज़िम हो

तोरूबरू सर दफ्तर या
दफ्तरके जिसमें वहमुलाज़िमहोपसऐसा कमानअफ्सर याऔर अफ्सरउसमुख्तारनामेपरअपनेदस्तख़तकरेगा औरवहमुख्तारनामाअदालतमेंदाख़िलकियाजायेगा ॥

जब वह मुख्तारनामाअदालतमेंदाख़िल होजायतो कमानअफ्सर वग़ैरहके दस्तख़त सब्तहोने से यह बात साबितहोगी किमुख्तारनामा हस्बज़ाबितातहरीरीपाया है औरयह कि वह अफ्सरयासिपाहीजिसकीतरफ़से वह मुख्तारनामालिखागयामुक़द्दमेकी पैरवी या जवाबदिही असालतन् करनेकेलियेरुख्सतहासिल न करसक्ताथा ॥

तशरीह—इस बाबमें लफ्ज़ कमानअफ्सरसे वह अफ्सर मुराद है जो किसीवक्त पर किसी ऐसी रजमट या पल्टन या जुज्व पल्टन याडिप्पू का कमानियरहोजिससे अफ्सर या सिपाही मज़कूर इलाक़ा रखता हो ॥

दफ़ा ४६६—जिसशख्सको कोई अफ्सर या सिपाही वास्ते करनेपैरवी या जवाबदिही मुक़द्दमे के मुख्तारकरे उसेअख्तियारहोगा कि उसीतरहमुक़द्दमेमें असालतन् पैरवी या जवाबदिहीकरे जैसा कि अफ्सर या सिपाही दरहालत ख़ुद हाज़िर होनेके करता या वास्ते पैरवी या जवाबदिहीमुक़द्दमेके तरफ़से उसअफ्सर या सिपाहीके किसी वकीलको मुक़र्ररकरे ॥

दफ़ा ४६७—हुक्मनामजात जो किसीशख्सपर जिस को अफ्सर यासिपाहीकीतरफ़सेहस्बदफ़ा ४६५ मुख्तारनामाहासिलहो या किसी वकीलपरजिसेअफ्सर यासिपाहीके मुख्तारने मुक़र्ररकियाहो जारीकियेजायें बजमा-

वजूह निस्बतमुक़द्दमेके उसीतरह मवस्सरहोंगे कि गोया वह इत्तिलाअ़नामजात बग़ैर ज़ातख़ास फ़रीक़ मुक़द्दमे पर या उसके वकीलपर जारी कियेगये थे ॥

दफ़ा ४६८—अगर मुद्दआअ़लेहअफ्सर या सिपाही हो तो अदालतकोलाज़िमहोगा कि एकनक़लसम्मनकी उस अफ्सर या सिपाहीके कमानअफ्सरके पास इसलिये रवाना करे कि तामील उसपर अमलमें आये ॥

अफ्सर मज़कूर को जिसके पास नक़ल सम्मनभेजी जाय लाज़िमहै कि बादतामील सम्मनकेऊपर शख्समतलूबा सम्मनके अगरमुमकिन हो सम्मन मज़कूर को
ीरी शख्स मज़कूर मुसबितै पुश्त सम्मनके

अगर किसीवजहसेतामीलनक़लसम्मनउसतरहमुमकिननहोतोनक़लमज़कूर उसअदालतमेंजहांसेवहआई होमैकैफ़ियत वजहअदमतामील वापिसभेजीजायेगी॥

दफ़ा ४६९—अगर किसी इजरायडिकरीमें वारंट गिरफ्तारी या और हुक्मनामे का इजरा हुदूद छावनी या फ़ौज मुतअ़य्यना क़िला व मोरचा या मुअ़स्कर याबाज़ार लश्करमेंहोना ज़रूरहो तो जोओहदेदार कि उस वारंट या और हुक्मनामेकी तामीलके लिये मुतअ़य्यन हो उसेलाज़िमहै कि कमानअफ्सरको हवालेकरे ॥

कमानअफ्सर उसवारंट या और हुक्मनामेकी पुश्त पर अपनेदस्तख़त सब्तकरेगा और अगर वारंटवास्ते गिरफ्तारीकेहो और अगर वहशख्स जिसका नाम वारंटमें लिखाहो उसकी कमानकी हुदूद के अंदर हो तो

उसको गिरफ्तार कराकेउसओहदेदारके हवाले करदेगा जो तामील वारंट मज़कूरके लिये मुतअय्यन हुआहो॥

तेंतीसवां बाब ॥

इंटर प्लीडर याने नालिश अमीन बमुराद तस्फ़िये बैनुल्मुतनाज़ ऐन ॥

दफ़ा ४७०—जबदो या कईअशख़ास दावा मुख़ालिफ़ यकदीगर एकही ज़रक़ाबिल अदा या जायदादकेमिल-नेका दूसरे शख्ससे रखतेहों और दूसरे शख्सको उसमें सिर्फ़ ग़रज़अमानत रखनेसेहो और वहसिर्फ़यहचाहता हो कि हक़दार मालिकके हवालेकीजाय तो जायज़है कि वहअमानतदारख़ुद नालिशतस्फ़िये बैनुल् मुतनाज़ऐन की बनाम उनतमाम दावीदारोंके बग़रज़ तजवीज़ इस अम्रकेकरेकिकिसको वहज़रअदा कियाजाययाजायदाद हवाले की जाय और उसके वास्ते बरीयत हासिलहो॥

मगर शर्त्तयहहै कि अगर कोईनालिश दायरहोजि-समेंहुक़ूक़ तमाम फ़रीक़के बतौर मुनासिब तस्फ़िया पा सक्तेहों तो ज़रूरत किसी नालिश अमीन की बमुराद तस्फ़िये बैनुल्मुतनाज़ऐनके नहीं है ॥

दफ़ा ४७१—अमीनकी ऐसी हरनालिशमें जोबमुराद तस्फ़िया बैनुल्मुतनाज़ऐन हो ज़रूरहै कि अर्ज़ीदावेमें सिवाय दीगर बयानातके जो कि अरायज़दावेके वास्ते ज़रूरी हैं यह मरातिब भी दर्ज कियेजायें॥

(अलिफ़)यह कि मुद्दईको कुछग़रज़ शैमुतदावियामें बजुज़ इसकेनहींहै कि वह उसका महज़अमानतदारहै॥

(बे)दआवी मुद्दआअलेहुमके जुदागानाहैं और—

(जीम) यह कि दरमियान मुद्दई और किसी मुद्दआअलेहके साज़िश नहीं है॥

दफ़ा ४७२–जबकि शै मुतदाविया अदालत में अदा कियेजाने या अदालतकी तहवीलमें रक्खेजानेके क़ाबिल हो तो लाज़िमहै कि मुद्दई क़ब्लअज़ांकि उसको इस्तहक़ाक़ नालिशमें किसी हुक्मके मिलनेका हासिल हो शै मज़कूरको अदालतमें अदाकरदे या तहवीलमें रखदे॥

दफ़ा ४७३–बरवक़्त समाअत अव्वल के अदालत को जायज़ है कि–

(अलिफ़) यहक़रारदे कि मुद्दईमुद्दआअलेहुम्के तमाम मवाख़िज़ेसे निस्बत शै मुतदावियेके बरीहै और उसको ख़र्चा दिलवाये और मुक़द्दमेसेउसको सुबुकदोश करे॥

या जिसहालमें किबमुक़्तज़ाय इन्साफ़ या सहूलियत ज़रूर हो॥

(बे) तमाम अशख़ास फ़रीक़ मुक़द्दमेको ताअख़ीर फ़ैसला मुक़द्दमे के क़ायम

और अगर अदालत यह तजवीज़ करे कि बइतबार इक़बाल फ़रीक़ैन या और शहादतके मुमकिन है तो–

(जीम) शैमुतदावियाके इस्तहक़ाक़कातस्फ़ियाकरदे॥

या उसको यह जायज़ है कि–

(दाल) मुद्दआअलेहुम्कोहुक्मदेकिउनमेंसे एक दूसरे परअपनादावाअदालतकेरूबरूपेशकरनेकेलियेअपने२ बयानात और वजहसुबूत दाख़िलकरके मुक़द्दमेकी पैरवी करे और अदालत ऐसे दावेकी निस्बत तजवीज़करेगी॥

दफ़ा ४७४–बाब हाज़ाकी किसी इबारतसे यहमुतस

ठिवर न होगा कि एजण्ट अपने मालिकोंपर या असामी अपने ज़मींदारोंपर इस अम्रपर मजबूर करनेकी नालिश करें कि वह किसी अशख़ासके मुक़ाबिलेमेंबजुज़ उनकेजो उन मालिकों या ज़मींदारोंके ज़रियेसे दावाकरतेहों जवाबदिही अज़ क़िस्म नालिशतरिफ़्फ़येबैनुलमुतनाज़ऐनकरें॥

तमसीलात ॥

(अलिफ़) ज़ैदनेएकसन्दूक़ज़ेवरातकाअपनेएजण्टउमरूकेपासरक्खा बकरने बयानकिया कि ज़ेवरात बतौर बेजा मुझसे ज़ैदनेलेलियेहैं और उमरूसेउनके दिलापाने का दावा किया उमरू बमुक़ाबिले ज़ैद और बकर के नालिश तरिफ़्फ़ये बैनुलमुतनाज़ऐन रुजूअ नहीं करसक्ताहै॥

(बे) ज़ैदने एक सन्दूक़ ज़ेवरात का अपने एजण्ट

जो क़रज़ा कि उससे बकरको पानाथा उसकी ज़मानतमें ज़ेवरात मज़कूर मक़फ़ूलरहे ज़ैदने बाद अज़ां बयानकिया कि बकर का क़रज़ा अदा होगया और बकरका बयान इसके ख़िलाफ़है अब दोनों उमरूसे ज़ेवरात के लेने का दावा करतेहैं जायज़ है कि उमरू नालिश तरिफ़्फ़ये बैनुलमुतनाज़ऐन ज़ैद और बकरके नाम रुजूअकरे ॥

दफ़ा ४७५—जबकि नालिश बतौर मुनासिब रुजूअकी जाय तो अदालत वास्ते ख़र्चा मुद्दईके यह तदबीरकरेगी कि उसको शै मुतदाविये का एहतमाम सुपुर्द करेगी या कोई और तदबीर मवस्सर करदेगी ॥

दफ़ा ४७६—अगर किसी नालिश तरिफ़्फ़ये बैनुलमुतनाज़ऐन में मिन्जुमला मुद्दआअलेहुम्के किसीने बाबतशै

मुतनाज़ा मुक़द्दम क अमीनपर फ़िल्वाक़े कोइ नालिशकी हो तो जिस अदालत में कि वह नालिश बनाम अमीनी दायरहो उसे लाज़िम है कि जब हस्बज़ाबिता उसकोइस बातकी इत्तिला मिन्जानिब अदालत सादिरकुनिन्दे डिकरी दीजाय कि डिकरी नालिश तस्फ़िये बैनुल्मुतनाज़ा ऐनमें बहक़ अमीन सादिर होगई है तो काररवाई मुक़द्दमेकी बमुक़ाबिले अमीन मज़्कूर मौक़ूफ़रक्खे और उस मुक़द्दमे मौक़ूफ़ शुदहमें जो ख़र्चा उस अमीनका हुआहो उसके वसूल होनेके वास्ते उसीमुक़द्दमे मौक़ूफ़ शुदहमें तदबीर करदे लेकिन जिसहालमें कि उसमुक़द्दमे में बिल्कुल या किसीक़दर ख़र्चेकी तदबीर न कीगईहो तोवह ख़र्चा नालिश तस्फ़िया बैनुल्मुतनाज़ ऐनके ख़र्चाजानिब अमीन मज़्कूरमें बढ़ालिया जाय ॥

चारैकार मुक़ज़ाय वक़्‌ ॥

चौंतीसवां बाब ॥

गिरफ्तारी औरकुर्क़ी क़ब्लफ़ैसला ॥

(अलिफ़) गिरफ्तारी क़ब्लफ़ैसला ॥

दफ़ा ४७७—अगर मुक़द्दमे की किसी नौबत में बशर्ते कि वह मुक़द्दमा बाबत क़ब्ज़े जायदाद गैरमन्क़ूलाके न हो मुद्दई तहरीरीबयान हलफ़ीकी रूसे या बतौर दीगर अदालतको इसबातसे मुतमय्यन करदे कि—

मुद्दआअलेह बइरादे गुरेज़ करने या देर लगाने के

या किसी हुक्मनामे अदालतकी तामीलसे गुरेज़करने के लिये या बग़रज़होने मज़ाहिमत या तवक्कुफ़ के किसी डिकरीके इजरायमें जो आयन्दा उसपर सादिरहो—

(अलिफ़) रूपोश होगया है या अदालत के इलाक़े

यह कि रूपोश होनेको या अदालत के इलाक़े

लेजाने को है या—

(जीम) यह कि उसने अपने मालको या उसके किसी जुज़्वको मुन्तक़िल करदिया है या अदालतके इलाक़ेअख़्तियार से निकालदिया है या—

यह कि मुद्दआअलेह ब्रटिशइंडियासे ऐसी हालत में चलेजानेकोहै जिससे बवजहमाक़ूल यहगुमानक़वीहोता है कि मुद्दईको उसडिकरीके इजरायमें जो कि मुद्दआअलेह

मज़ाहिमतहोगी याउस

में तवक्कुफ़पड़ेगा या मज़ाहिमतहो या तवक्कुफ़पड़े ॥

तो मुद्दईको अदालतसे यहदरख़्वास्तकरना जायज़है

डिकरी

के जोकि उसमुक़द्दमेमें उसपर सादिरहो तलबकीजाय ॥

दफ़ा ४७८—अगर बाद तहरीर इज़हार सायल और

मज़ीदके जो अदालतकेनज़दीक ज़रूर

हो अदालत का इतमीनानहो—

किमुद्दआअलेह किसीइरादेसे मिन्जुमला इरादेहाय मुतज़क्किरहबाला के—

(अलिफ़) रूपोश होगयाहै या अदालतके इलाक़ेसे बाहर चलागयाहै या—

(बे) रूपोशहोनेवाला है या अदालतके इलाके अ-ख़्तियारसे बाहर जानेवालाहै या ॥

(जीम) उसने अपनी जायदाद या जुज्व जायदादको अलाहिदाया इलाके अदालतसे अलाहिदाया मुन्तकिल करदियाहै या ॥

बमूजिबहालात मुतज़क्किरैबाला के ब्रटिशइंडिया को छोड़नेवालाहै ॥

तो अदालत मजाज़होगी किएकवारंट इसमज़मूनसे सादिरकरे कि मुद्दआअलेह गिरफ्तार होकर अदालतमें हाज़िर लायाजाय ताकि वहवजह इसबातकी ज़ाहिरकरे कि क्यों उससे हाज़िरज़ामनी न लीजाय ॥

दफ़ा ४७९–अगर मुद्दआअलेह वजहकाफ़ीपेशनकर सके तो अदालत को लाज़िमहोगा कि उसे इस अम्र का हुक्मदे कि वह अदालत में ज़रनक़द या और जायदाद इसदावेके ईफ़ायकेलायक़ जो उसपर कियागयाहै दाख़िलकरे या ज़ामनी इसबातकीदे कि वहकिसीवक्त अय्याम दौरानमुक़द्दमेमें ता तारीख़इजराय व ईफ़ाय डिकरीकेजो उसपर उसमुक़द्दमेमें सादिरहो इंदुलतलबहाज़िरहोगा॥

पस ज़ामिन ज़िम्मेदार इसबातका होगा कि दरसूरत अदम हाज़िरी उसके उसक़दर रुपया दाख़िलकरे जिस क़दर मुक़द्दमेमें मुद्दआअलेहको अदाकरनेकाहुक्महो॥

दफ़ा ४८०–मुद्दआअलेहकेहाज़िरज़ामिनको अख़्ति-यारहोगाकि जिसवक्तचाहे उसअदालतमें जिसमेंउसका ज़मानतनामा दाख़िलहुआहो अपने बरीउज़्ज़िम्माहोने की दरख़्वास्तदे ॥

जबऐसी दरख्वास्त गुज़रे अदालतको लाज़िमहोगा कि मुद्दआअलेहके अहज़ारकेलिये सम्मनया अगरमुनासिबसमझेपहिलेहीसे वारंटगिरफ्तारी सादिरकरे ॥

और जब मुद्दआअलेह सम्मनया वारण्टके बमूजिब या अज़खुदहाज़िरहो अदालतयहहुक्म सादिरकरेगीकि ज़ामिन ज़मानतसेबरीउज़्ज़िम्मा कियाजाय और मुद्दआअलेहसे ज़मानतजदीद तलबहो ॥

दफ़ा ४८१–जोहुक्मबमूजिबदफ़आत ४७९ या४८० के सादिरहो अगर उसकी बजाआवरी में मुद्दआअलेह क़ासिररहे तो अदालत मजाज़होगी कि मुद्दआअलेह को ताइन्फ़साल मुक़द्दमायाअगर फ़ैसलाख़िलाफ़मुद्दआअलेह सुदूरपाये तो इजराय डिकरीतक जेलख़ानेमें भेजदे मगर शर्त्तयहहै कि इसदफ़ाके बमूजिब कोई शख्सकिसी हालमें छःमहीनेसे ज़ियादह अरसेके लिये क़ैद न किया जायेगा और न छः हफ्तेसे ज़ियादह अरसेके लिये उस हालमें कि तादाद या मालियत शैमुतदाविया की पचास रूपयेसे ज़ियादह न हो ॥

और शर्त्तयहहै किकोईशख्स इसदफ़ाके बमूजिबबाद इस्के किवहहुक्मकीतामील करदे क़ैदमें नरक्खाजायेगा ॥

दफ़ा ४८२–अहकाम दफ़ा ३३९ बाबत तादाद ज़र नक़द जो दरबाब ज़रख़ूराक मदयूनान डिकरीकेहैंउनज़ुमलै मुद्दआअलेहुमसे मुतअल्लिक़होंगे जो इसबाबकेबमूजिब गिरफ्तार कियेजायें ॥

(बे)–कुर्क़ीक़ब्लफ़ैसला ॥

दफ़ा ४८३–अगर मुक़द्दमेकी किसी नौबतमें मुद्दईअ-

दालतको बयानहलफ़ीसे या बतौर दीगर इतमीनानक-
रादे कि मुद्दआअलेह हर्जडालने या तवक्कुफ़करनेकी नि-
य्यतसे किसी डिकरीके इजरायमें जो उसपर सादिरहो ॥

(अलिफ़)अपनीकुल जायदादया उसके किसीजुज्व
को अलाहिदा करनेकोहै या उसे उस अदालतके इलाक़े
से बाहर जहां मुक़द्दमा दायरहै हटादेनेको है या ॥

(बे)उसअदालतके इलाक़ेसे जिसके इलाक़ेमें उसकी
जायदाद मौजूदहै बाहर चलागया है ॥

तो मुद्दई मजाज़है कि अदालतमें इस मज़मूनकीदर-
ख़्वास्तदे कि मुद्दआअलेहसे ज़मानत वास्ते ईफ़ायकिसी
डिकरीके जो मुक़द्दमेमें उसपर सादिरहो तलब कीजाय
और यहकि दरसूरतअदम अदख़ाल ज़मानतहुक्मइस
मज़मूनका सादिरहो कि उसकीजायदादका कोई हिस्सा
जो अंदर इलाक़े अदालतवाक़ैहो तासुदूर हुक्मसानी
अदालतके क़ु[illegible] ॥

दरख़्वास्तमें तफ़सीलजायदाद क़ुर्क़ी तलब औरक़ी-
मत तख़मीनी जायदाद मज़कूर कीदर्ज कीजायेगीइल्ला
उससूरतमें कि अदालत उसके ख़िलाफ़ हिदायतकरे ॥

दफ़ा ४८४—अगर अदालतको बादलेनेइज़हार साय-
लके औरकरने तहक़ीक़ातमज़ीदके जो वह मुनासिबस-
मझे इसबातका इतमीनान हो कि मुद्दआअलेह बग़रज़
डालनेहर्ज या करने ताख़ीरके बीचइजराय किसीडिकरी
के जो मुक़द्दमेमें उसके नाम सादिरहो अपनी जायदाद
अलाहिदाकरने या हटादेनेका इरादारखताहै याकिमद-
यूनडिकरी बइरादेमज़कूर अदालतके इलाक़ेमें कुछमाल

ममलूकाअपना छोड़करइलाक़ैमज़कूरसेबाहर चलागया है तो अदालत उसको यह हुक्मदे कि उसमीआदकेअंदर जिसेअदालतको मुक़र्रर करदेनाचाहिये ज़मानतउस क़दर रुपयेकी जिसकी तसरीह उस हुक्ममें करदीजाय इसमुरादसे किवह जायदाद मज़कूर याउसकीमालियत या उसका उस्क़दर जुज़्व जोकि वास्ते ईफ़ाय डिकरीके काफ़ीहोइन्दुत्तलब अदालतमेंहाज़िरकरे औरअदालत के तहत तसर्रुफ़ रखदे दाख़िल करे ख़्वाह अदालत में हाज़िरहोकर वजहइसबातकी पेशकरेकि उसकीज़मानत क्यों न दाख़िलकरनी चाहिये ॥

नीज़ अदालतउसहुक्ममें क़ुर्की शर्त्तियाकुलयाजुज्व जायदाद मुसर्रह दरख़्वास्तके हिदायत करसक्तीहै ॥

दफ़ा ४८५–अगरमुद्दआअलेह अंदरमीआदमुअय्यनाअदालतके वजह न दाख़िलकरने ज़मानत कीबयान न करसके या ज़मानत मतलूबा दाख़िलकरनेसे क़ासिर रहै तो अदालतको अख़्तियार इसदारइसहुक्मकाहासिलहै किजायदादमुसर्रहा दरख़्वास्त या किसीक़दरमिंजुमले उसके जो वास्तेईफ़ाय डिकरीके जोमुक़द्दमेमेंसादिर हो काफ़ी मुतसव्विरहो क़ुर्ककीजाय ॥

अगर मुद्दआअलेह ऐसी वजह पेशकरे या ज़मानत मतलूबा दाख़िलकरे और जायदाद मुसर्रहा दरख़्वास्त याकिसीक़दरमिनजुमले उसकेक़ुर्कहुईहोतो अदालतको लाज़िमहै कि हुक्म बरख़ास्तगी क़ुर्कीका सादिर करे ॥

दफ़ा ४८६–क़ुर्की उस तरह होगी जिसतरहबइल्लत

इजराय डिकरीज़रनक़दके जायदाद की कुर्क़ीके लिये इसमजमूयेमें हुक्म है ॥

दफ़ा ४८७—अगर कोई दावा निस्बत किसी जायदाद के जो क़ब्ल फ़ैसलेके कुर्क़हो पेशहो तो तहक़ीक़ात ऐसे दावेके बमूजिब उसक़ायदे के जो इसमजमूये के दफ़ आत मासबक़ में बाबततहक़ीक़ात दआवी मुतअल्लिक़ेजायदाद मक़रूक़ै बइल्लत इजराय डिकरी ज़रनक़द के मुक़र्रह अमल में आयेगी ॥

दफ़ा ४८८—जब हुक्म कुर्क़ीका क़ब्ल सुदूर फ़ैसला सादिर हो तोअदालत आमिरकुर्क़ीको लाज़िमहै किजब ज़मानत मतलूबा मय ज़मानत ख़र्चा कुर्क़ी मिनजानिब मुद्दआअलेह दाख़िलहो या मुक़द्दमा डिसमिस किया जाय कुर्क़ी बरख़ास्त करे ॥

दफ़ा ४८९—कुर्क़ी क़ब्ल फ़ैसलाउन हुक़ूक़पर मवस्सर नहोगी जो कुर्क़ीसे पहिले उन अशख़ासकेहों जोफ़रीक़ मुक़द्दमा नहीं हैं औरन मानै इसबातकी होगी कि कोई शख़्स जिसको डिकरी बनाम मुद्दआअलेह हासिल हुई हो बइल्लत इजराय उसडिकरीके उस जायदादमक़रूक़ै कोनीलाम कराने की दरख़्वास्त करे ॥

दफ़ा ४९०—जबकि जायदाद इसबाब के अहकाम के बमूजिब ज़ेरकुर्क़ीहो और डिकरी मुद्दई के हक़में सादिर कीजाय तो उस डिकरीके सीग़े इजराय में जायदाद को दुबारा कुर्क़ करना ज़रूर न होगा ॥

(जीम)हर्जा उस गिरफ्तारी या कुर्क़ीका जोबेजाहो ॥

दफ़ा ४९१—अगरकिसीमुक़द्दमेमें जिसमें गिरफ्तारी

या कुर्की हुई हो अदालतको दरियाफ्त होकि दरख्वास्त गिरफ्तारी या कुर्की मज़कूर को बवजूह ग़ैरमुक्तफ़ी की गई थी ।

या अगर मुद्दई की नालिश साबित न हो और अदालत को दरियाफ्त हो कि नालिश रुजूअ करनेकी कोई वजह ग़ालिबन् न थी ॥

तो अदालत मजाज़ होगी कि मुद्दआअलेहकी दरख्वास्त पर अपनी डिकरी में मुद्दई के ज़िम्मे उसक़दर रुपया जो एकहज़ार से ज़ियादह न हो और जो मुद्दआअलेह के लिये बइवज़ उसखर्चे या नुक़सानके जो उस गिरफ्तारी या कुर्की के बायस उसके लाहक़हाल हुआ हो हर्जा माकूल मालूम हो आयद करे ॥

मगर शर्त्त यहहै कि अदालत इसदफ़ाकेबमूजिब उस तादाद से ज़ियादह नहीं दिलासक्ती है जो ज़र हर्जे की नालिशमें दिलानेकी मजाज़ है ॥

अगर इसदफ़ाकेबमूजिब किसीको हर्जा दिलायाजाय तो बाबत उसी कुर्की या गिरफ्तारीके उसपर फिरनालिश हर्जे की नहीं होसक्ती है ॥

पैंतीसवां बाब ॥

अहकाम इम्तनाई चंदरोज़ा और अहकाम दरमियानी ॥

(अलिफ़) अहकाम इम्तनाई चंदरोज़ा ॥

दफ़ा ४९२—अगर किसी मुक़द्दमे में अज़रूय तहरीरी । और तौरपर यह साबित कियाजाय कि (अलिफ़) कोई जायदाद मुतनाज़ा अफ़ीह मुक़द्दमा इसख़तरहमें रहै कि कोई फ़रीक़ मुकद्दमा उसको ज़ायह करडालेगा

याउसे नुक्सानपहुँचायेगा यामुन्तक़िलकरदेगायाकिवह
किसीडिकरीकेइजरायमें बतौरबेजानीलामहोजायेगी या-

(बे) मुद्दआअलेह अपने क़रज़ख्वाहोंका रुपयाफ़रे-
बन्हज्म करनेकेलिये अपनी जायदाद हटादेनेया इन्त-
क़ाल करनेकी धमकी देताहै या नीयत रखताहै तो—

अ़दालत मजाज़है कि हुक्म इम्तनाई चंदरोज़ा वा-
स्ते बाज़रहने मुद्दआअलेहके उसफ़ेलसे सादिरकरे या
जायदादकी बरबादी या नुक्सान या इन्तक़ाल या बै या
हटादेने या अ़लाहिदगीके इन्सदाद और मौक़ूफ़ करने
केलिये जो हुक्म मुनासिब समझे सादिरकरे या ऐसाहु-
क्म इम्तनाई या और हुक्मदेना नामंज़ूरकरे ॥

दफ़ा ४९३—जिस मुक़द्दमेमें कि मुद्दआअलेहको इर्त्ति-
काब अहदशिकनी या और मज़र्रतसे बाज़ रखने की
इस्तदुआहो आम इससे कि उसमें दावा किसी क़दरहर्जे
का हो या नहो उसमें जायज़होगा कि मुद्दई किसीवक्त
बाद शुरूअहोनेनालिशके आमइससे कि हिनोज़फ़ैसला
सादिर हुआहो या नहीं दरख्वास्त गुज़रानेकि अ़दालत
से हुक्म इम्तनाई चंदरोज़ामशअर इसमज़मूनकेसादिर
होकि मुद्दआअलेह इर्त्तिकाब अहदशिकनी याउसज़रर
सेजिसका इस्तग़ासाहै या इर्त्तिकाब किसी अहदशिकनी
याज़रर उसी क़िस्मसे जोउसमुआहिदासे पैदाहोयाउसी
जायदाद या हक़ीयतसे मुतअ़ल्लिक़हो बाज़रक्खाजाय ॥

अ़दालत इसबातकी मजाज़होगी किहुक्म इम्तनाई
मज़कूर ऐसी क़यूदकेसाथ सादिरकरे जोउसको इसबाब
में किहुक्म इम्तनाई किसमीआदतक होनाचाहिये और

हिसाब मुरत्तिब रक्खाजाय या ज़मानत दाख़िल कराई जाय या नहीं मुनासिब मुतसव्विरहों या अदालत ऐसा हुक्मदेना नामंज़ूर करे ॥

दरसूरत तमर्रुदकेतामील उसइम्तनाअकी जोअज़रूय दफ़ाहाज़ा या दफ़ा४९२ केहो बज़रियेक़ैदमुद्दआअलेहके जो छः महीने तक होसक्ती है या बज़रिये कुर्क़ी उसकी जायदादके या दोनों ज़रियेसे कराई जायेगी ॥

कोई कुर्क़ी जो इस दफ़ाके बमूजिब हो एकसाल से ज़ियादह क़ायम न रहैगी अगर बादगुज़रने एकसालके मुद्दआअलेहने हुक्म इम्तनाई की तामील न की हो तो जायज़है कि जायदाद मक़रूक़ानीलाम कीजाय ज़रसमनमेंसे किसी क़दर हर्जा जो अदालतको मुन बमालूमहो मुद्दईको दिलाये और अगर ज़रसमनसेकुछ वह मुद्दआअलेहके हवाले करे ॥

दफ़ा ४९४—अदालतको लाज़िमहै कि तमाम सूरतों में सिवाय उसके कि जिसमें अदालतके नज़दीक हुक्म इम्तनाई जारीकरनेका मन्शा तवक्कुफ़के बायसफ़ौतहो जायेगा हुक्मइम्तनाई जारीकरनेसे पहिलेतरफ़सानीको दरख्वास्तकेगुज़रनेकी इत्तलाअदेनेका हुक्मसादिरकरे॥

दफ़ा ४९५—जो हुक्म इम्तनाई कि बनाम किसी जमाअत सनदयाफ्ता या कम्पनी आमके हो वह न सिर्फ़ उसी जमाअत या कम्पनीवाजिबुलइत्तबाअहोगा बल्कि तमाम उसके शुरका और ओहदेदारोंपर होगा जिनके ज़ाती फ़ेलकी इम्तनाअ उससे मक़सूद हो॥

दफ़ा ४९६—हरहुक्म इम्तनाई अदालतसेमन्सूख़या

मुबद्दल या फ़िस्ख़ हरशख़्सकी दरख़्वास्तपर होसक्ताहै जो कि उस हुक्मसे नाराज़हो॥

दफ़ा ४९७—अगर अदालतकी यहराय क़रारपाये कि हुक्म इम्तनाई इजराययाफ्ताके इसदारकी दरख़्वास्त बवजह ग़ैर काफ़ी कीगई या—

अगर बाद सुदूर हुक्म इम्तनाईके मुक़द्दमा डिसमिसहो या बइल्लत अदम पैरवी या और वजहके फ़ैसला मुद्दईके ख़िलाफ़ सादिर हुआहो और अदालतको यह मालूम हो कि नालिश दायर करनेकी बक़बास ग़ालिब कोई वजह न थी—

तो अदालत मौसूफ़ बरतबक़ दरख़्वास्त मुद्दआअलेह मजाज़ इसबातकी होगी कि जिसक़दर रुपया उसके नज़दीकबाबतख़र्चा या नुक़सानके जो बसबबइजराय हुक्म इम्तनाई मुद्दआअलेह पर आयद हुआ हर्जा मुनासिबमालूमहो और जो एकहज़ार रुपयेसे ज़ायद नहो अपनी डिकरीमें मुद्दईसे दिलाये—

पर शर्त्तयहहै कि अदालत मज़कूर हर्जा बमूजिबइस दफ़ाके ज़ियादह उस तादादसे न दिलायेगी जिसकी डिकरी करनेकानालिश ज़रहर्जामें उसको अख़्तियारहै॥

जब ज़रहर्जा इसदफ़ाकीरूसे दिलायाजाय तब नालिश बाबत ज़रहर्जा जो बसबब इजराय हुक्म इम्तनाई मज़कूर के हुआहो न होसकेगी॥

(बे) अहकामदर्मियानी॥

दफ़ा ४९८—अदालत मजाज़है किमुक़द्दमेके किसीफ़रीक़की दरख़्वास्तपर वास्ते फ़रोख़्तकरने किसीजायदाद

हिसाब मुरत्तिब रक्खाजाय या ज़मानत जाय या नहीं मुनासिब मुतसव्विरहों या अदालत ऐसा हुक्मदेना नामंज़ूर करे ॥

दरसूरत तमर्रुदकेतामील उसइम्तनाअकी जोअज़रूय दफ़ाहाज़ा या दफ़ा४८२ केहो बज़रियेकैदमुद्दआअलेहके जो छः महीने तक होसक्ती है या बज़रिये कुर्क़ी उसकी जायदादके या दोनों ज़रियेसे कराई जायेगी ॥

कोई कुर्क़ी जो इस दफ़ाके बमूजिब हो एकसाल से ज़ियादह क़ायम न रहैगी अगर बादगुज़रने एकसालके मुद्दआअलेहने हुक्म इम्तनाई की तामील न की हो तो जायज़है कि जायदाद मक़रूक़ानीलाम कीजाय और ज़रसमनमेंसे किसी क़दर हर्जा जो अदालतको मुनासिब मालूमहो मुद्दईको दिलाये और अगर ज़रसमनसेकुछ बाक़ीरहै वह मुद्दआअलेहके हवाले करे ॥

दफ़ा ४९४–अदालतको लाज़िमहै कि तमाम सूरतों में सिवाय उसके कि जिसमें अदालतके नज़दीक हुक्म इम्तनाई जारीकरनेका मन्शा तवक्कुफ़के बायसफ़ौतहो जायेगा हुक्मइम्तनाई जारीकरनेसे पहिलेतरफ़सानीको दरख्वास्तकेगुज़रनेकी इत्तलाअदेनेका हुक्मसादिरकरे॥

दफ़ा ४९५–जो हुक्म इम्तनाई कि बनाम किसी जमाअत सनदयाफ्ता या कम्पनी आमके हो वह न सिर्फ़ उसी जमाअत या कम्पनीवाजिबुलइत्तबाअहोगा बल्कि तमाम उसके शुरका और ओहदेदारोंपर होगा जिनके जाती फ़ेलकी इम्तनाअ उससे मक़सूद हो ॥

दफ़ा ४९६–हरहुक्म इम्तनाई अदालतसेमन्सूखया

मुबद्दल या फ़िस्ख़ हरशख़्सकी दरख़्वास्तपर होसक्ताहै जो कि उस हुक्मसे नाराज़हो ॥

दफ़ा ४९७—अगर अदालतकी यहराय क़रारपाये कि हुक्म इम्तनाई इजरायबयाफ्ताके इसदारकी दरख़्वास्त बवजह ग़ैर काफ़ी कीगई या—

अगर बाद सुदूर हुक्म इम्तनाईके मुक़द्दमा डिसमिसहो या बइल्लत अदम पैरवी या और वजहके फ़ैसला मुद्दईके ख़िलाफ़ सादिर हुआहो और अदालतको यह मालूम हो कि नालिश दायर करनेकी बक़बास ग़ालिब कोई वजह न थी—

तो अदालत मौसूफ़ बरतबक़ दरख़्वास्त मुद्दआअलेह मजाज़ इसबातकी होगी कि जिसक़द्र रुपया उसके नज़दीकबाबतख़र्चा या नुक़सानके जो बसबबइजराय हुक्म इम्तनाई मुद्दआअलेह पर आयद हुआ हर्जा मुनासिबमालूमहो और जो एकहज़ार रुपयेसे ज़ायद नहो अपनी डिकरीमें मुद्दईसे दिलाये—

पर शर्त्तयहहै कि अदालत मज़कूर हर्जा बमूजिबइस दफ़ाके ज़ियादह उस तादादसे न दिलायेगी जिसकी डिकरी करनेकानालिश ज़रहर्जामें उसको अख़्तियारहै॥

जब ज़रहर्जा इसदफ़ाकीरूसे दिलायाजाय तब नालिश बाबत ज़रहर्जा जो बसबब इजराय हुक्म इम्तनाई मज़कूर के हुआहो न होसकेगी ॥

(बे) अहकामदर्मियानी ॥

दफ़ा ४९८—अदालत मजाज़है कि मुक़द्दमेके किसीफ़रीक़की दरख़्वास्तपर वास्ते फ़रोख़्तकरने किसीजायदाद

मन्क़ूलाकेजोउसमुक़द्दमेमेंमुतनाज़अफ़ीहहोऔरजिसके जल्द अज़ख़ुदख़राबहोजानेका एहतमालहो बमूजिबउस तरीक़े और बपाबन्दी उनशरायतके जो मुनासिब मालूम हों किसी शख़्सकेनाम जिसकानाम उसहुक्ममें मुंदर्जहो हुक्म सादिर करे ॥

दफ़ा ४९९-अदालतको बरतबक़ गुज़रने दरख़्वास्त किसीफ़रीक़ मुक़द्दमा और बपाबन्दी उनशरायतके जो मुनासिब मालूमहो अख़्तियारहै कि—

(अलिफ़) वास्तेरोकेजाने या क़ायमरक्खेजानेया मुआइनाहोने किसीजायदादके जो मुक़द्दमेमें मुतनाज़-अफ़ीहहो हुक्म सादिर करे ॥

(बे) कुल अग़राज़ मुतज़क्किरैसदर या उनमेंसे किसी ग़रज़केलियेकिसीशख़्सकोअख़्तियारदेकिकिसी अराज़ी या मकानमक़बूज़ा फ़रीक़सानी मुक़द्दमेमज़कूरपर या उसके अन्दर दख़लकरे और—

(जीम)कुलअग़राज़मुतज़क्किरैसदर या उनमेंसेकिसी ग़रज़केलिये नमूनाहासिलकरनेका अख़्तियारदे या यह अख़्तियारदे कि हालात या सुबूतकामिलकेहासिलकरने केलियेऐसामुआइना या इम्तहान कियाजाय जो ज़रूरी या क़रीन मसलहत मालूमहो ॥

अहकाम दरबाब इजराय हुक्मनामा जो ऊपरबयान होचुकेहैं बतब्दीलमरातिब तब्दीलतलब उनअशख़ास से भी मुतअल्लिक़ होंगे जिनको इस दफ़ा के बमूजिब दख़लकरने की इजाज़त हो ॥

दफ़ा ५००-जायज़ है कि दरख़्वास्त अज़तरफ़ मुद्दई

बग़रज़सादिरहोने हुक्मके हस्बदफ़ा ४९८यादफ़ा४९९ के किसीवक्त बादइजराय सम्मनके और बादपहुंचानेइ- त्तिलाअतहरीरी पासमुद्दआअलेहके दाख़िलकीजाय ॥

जायज़है किमुद्दआअलेहकीतरफ़से दरख़्वास्तवास्ते जारीहोनेहुक्म क़िस्ममज़कूरके किसीवक्त बादहाज़िर होने सायल और बादपहुंचायेजाने इत्तिलाअनामा तहरीरी पास मुद्दईके दाख़िल कीजाय ॥

दफ़ा ५०१—जब अराज़ी मालगुज़ारसर्कार या कोईहक़ीयतक़ाबिलनीलाम मुक़द्दमामेंमुतनाज़अफ़ीहहोअगर वहशख़्स जो अराज़ी या हक़ीयत मज़कूरपर क़ाबिज़ हो मालगुज़ारीसर्कार अदा नकरे या हक़ीयतके मालिकको लगानवाजिब नदे यानी जैसीसूरतहो और इसअराज़ी या हक़ीयतके नीलामका इससबबसेहुक्महोजाय तो जायज़है कि कोई और फ़रीक़मुक़द्दमा जो अराज़ी या हक़ीयतमज़कूरमें कुछ इस्तहक़ाक़ रखनेका दावीदारहो ज़र मालगुज़ारी या ज़रलगान जिसक़दरनीलामसेपहिलेवाजिबुल्अदाहो अदाकरके (बअदख़ालयाबिलाअदख़ालज़मानत यानी जैसा अदालत तजवीज़ करे) फ़ौरन् अराज़ी या हक़ीयत मजकूरपरक़ब्ज़ादिलापाये ॥

और अदालतको अख़्तियार है कि अपनी डिकरीमें तादादअदाशुदह मज़कूरबाक़ीदारकेज़िम्मेडाले मयसूद बमूजिब उसशरहके जो अदालतकोमुनासिब मालूमहो या तस्फ़िये हिसाबके वक्त जिसके तस्फ़ये का हुक्माडिकरीमें दर्जहुआहो तादाद मज़कूर में उसक़दर सूदकेजो अदालत को दिलाना मंज़ूरहो हिसाबमें मुजरादे ॥

दफ़ा ५०२—अगरमुक़द्दमेमेंशैमुतनाज़अफ़ीह अज़क़िस्मज़रनक़द या और ऐसीशैहोजोहवाले होसक्तीहै और किसी फ़रीक़ मुक़द्दमेको तसलीमहो कि वहउस ज़रनक़द या शै पर बतौरअमानतदार दूसरे फ़रीक़के क़ाबिज़हैया कि कोई और शख़्स उसनक़द या शैका मालिकहै या उसकी याफ्तनीहै तो अदालत यहहुक्म सादिरकरसक्तीहै किवहनक़दया शैअदालत में जमायाफ़रीक़आख़िरुज़्ज़िक्रकोबअदख़ालया बिलाअदख़ालज़मानतबपाबंदीकिसीहिदायतआयन्दहमसद्दरै अदालतकेहवाले कीजाय॥

छत्तीसवांबाब ॥

तक़र्रुर रिसीवर यानी मोहतमिमका॥

दफ़ा ५०३—जबअदालतबनज़रदस्तयाबी याहिफ़ाज़त या हुस्नाहिरासत या इन्ति ़ाम किसी जायदादमन्क़ूला या ग़ैरमन्क़ूलाकेजोमुतनाज़अफ़ीह मुक़द्दमा या ज़ेरक़ुर्क़ी होज़रूरसमझैतोउसेअख़्तियारहोगाकिबज़रियेहुक्मके-

(अलिफ़) कोई मोहतमिम जायदाद मज़कूराकेलिये मुक़र्रर कर ॥

और अगर ज़रूरतहोतो—

(बे)जिसशख़्सके क़ब्ज़े या हिफ़ाज़तमें जायदादमज़कूरहो उसके क़ब्ज़े या हिफ़ाजत से निकालले ॥

(जीम) और उसको वास्ते हिरासत या इन्तिज़ामके मज़कूरके सिपुर्दकरे और—

(दाल) अदालतउसमो ़तमिमको वहफ़ीस या कमीशन जायदादमज़कूरके किराये या लगानऔर मुनाफ़ेपर

और हक़्क़ुलख़िदमत दिलाये जो मुनासिब समझे और

वह तमाम अख्तियारात दरबाब रुजूअ और जवाबदिही नालिशात और बग़रज़ दस्तयाबी और इंतिज़ाम और हिरासत और हिफ़ाज़त और तरक़्क़ी जायदाद और तहसीलज़र किराया या लगान और मुनाफ़ाजायदाद और उसके सर्फ़करने और किसी काममें लगानेके और दरबाब तहरीर दस्तावेज़ातके जो ख़ुदमालिकको हासिलहों या उनमेंसे वहअख्तियारात जो अदालतके नज़दीक मुनासिब मालूमहों अता करे—

हर मोहतमिम जो इसतौरपर मुक़र्रर कियाजाय उसेलाज़िम है कि—

(हे) ज़मानत (अगरहो) उसक़दरतादादकीजोअदालत मुनासिबसमझै इसक़रारकेसाथदाख़िलकरेकिजायदाद की बाबतजोकुछवसूलहो उसकाहिसाबबहस्बज़ाबितादे—

(वाव) अपनाहिसाब ऐसेऔक़ातपर और मुवाफ़िक़ ऐसेनमूनोंकेमुरत्तिबकरे जिसतरहअदालतहिदायतकरे—

(ज़े) जोबाक़ी हिसाबकीरूसे बरामदहो हस्बहिदायत अदालत हवाले करदे—

(हे) अगर कुछनुक़्सान जायदादकोउसकेक़ुसूरबिल्अमद या ग़फ़लत अशदसे पहुंचे उसका ज़िम्मेदारहै—

इसदफ़ाकी किसीइबारतसे अदालतको यहइजाज़त नहीं है किजिसशख़्सको अहाली मुक़द्दमा याउनमेंसेचंद या एक बिल्फ़ैल मौक़ूफ़ करनेका हक़नहीं रखताहै उसे जायदादमक़रूक़ाकेक़ब्ज़ेयाहिरासतसेअलाहिदाकरदे॥

दफ़ा ५०४—अगर जायदाद मज़कूर अराज़ीमालगुज़ार सर्कार या ऐसी अराज़ी हो जिसकी मालगुज़ारी

मुन्तक़िलकीगईहो याबएवज़ मुआविज़ेके छोड़ दीगईहो
जायदा

फ़रीक़ैनका फ़ायदा

अदालत मजाज़होगी कि साहब कलक्टर को जायदाद
मज़कूरका रिसीवर मुक़र्ररकरे

दफ़ा ५०५-

ईं उनको सिर्फ़

जो अदालत ज़िलेके मातहतहो अपनी अदालतके कि-

समझे तो उसेलाज़िमहै कि ऐसे तक़र्रुरके लिये जिसश-
ख्सको लायक़ समझे नामज़दकरके उसकानाम मयव-
जूहउसके नामज़द कियेजानेके अदालत ज़िलेकोलिख
भेजे और अदालत ज़िलआ उसजजको ऐसे शख्सनाम-
ज़द कियेहुयेके मुक़र्ररकरनेकी इजाज़तदेगी या और
हुक्म जो उसके नज़दीक मुनासिबहो सादिरकरेगी ॥

कार्रवाई हायख़ास ॥

सैंतीसवां बाब ॥

तफ़वीज़मुक़द्दमा बसालिसी ॥

दफ़ा५०६—अगरजुमलाफ़रीक़ैन मुक़द्दमेको यहमंजूर
हो कि कोई अम्र जोमुक़द्दमेमें बाहम उनके मुतनाज़ाहो
बास्तेफ़ैसलेके सिपुर्द सालिसी कियाजायतो उनको अ-

ख्तयारहै कि किसीवक्त क़ब्ल सुनायेजाने फ़ैसलेकेइस बातकीदरख्वास्ततहरीरीअसालतन्यामारफ़तअपने २ वुकलाके जिनकोबज़रिये तहरीरके अख्तियारख़ासइस बाबमें दियागयाहो अदालतमें गुज़राने कि सालिसीका हुक्म दियाजाय-

ऐसीदरख्वास्ततहरीरीहोगी और वहख़ास अम्रजिस कोसालिसीमें सिपुर्दकरना मंज़ूरहोउसमेंलिखाजायगा॥

दफ़ा५०७-सालिसका नामज़द कियाजाना फ़रीक़ैन की तरफ़से बमूजिब उसतरीक़के अमलमें आयेगा जो बतराज़ी तरफ़ैन क़रारपाये-

अगर किसी सालिसके नामज़दकरनेमें फ़रीक़ैन के बाहमनिज़ाअहो या अगर वहशख्स जिसे वहनामज़द करें [illegible] फ़रीक़ैन की यहख्वाहिशहो कि अदालत अपनीतजवीज़से सालिस [illegible]

दफ़ा ५०८-अदालतबज़रियेहुक्मकेवहअम्रमुतनाज़-अमुक़द्दमे सालिसकोतफ़वीज़ करैगी जिसका तस्फ़िया मक़सूदहै और वास्तेदाख़िलकरनेफ़ैसलासालिसीकेएक मीआदमुक़र्ररकरेगीजो उसकेनज़दीकमाक़ूलमुनासिब हो और मीआदमुक़र्रर हुक्ममज़कूरमें लिखीजायेगी-

जब कोई मुआमला सालिसीमें सिपुर्दकियाजाय तो अदालतको लाज़िमहै कि उस मुक़द्दमेमें अमल न करे बजुज़ उसके जो बाद अर्ज़ी मजमूये हाज़ा में मज़कूरहै॥

दफ़ा ५०९-अगर मुक़द्दमा दो या कई सालिसों के सिपुर्द हो तो हुक्म सिपुर्दगीमें सालिसों के इख्तिलाफ़

रायकी सूरतकेलिये तदबीर मुफ़स्सिलैज़ैल कीजायेगी ॥

(अलिफ़) एक सरपंच मुक़र्रर किया जायगा या–

(बे) यहक़रार दियाजायगा कि बलिहाज़ कसरतराय के निज़ाअकी तजवीज़ हो जब कि सालिसों की तादाद कसीर इत्तिफ़ाक़ करे या–

(जीम) सालिसोंको अख्तियार दियाजायगा कि वह अपनी तजवीज़से एक सरपंच मुक़र्रर करें या–

(दाल) और जिसतरहसे कि बतराज़ी तरफ़ैन क़रार पाये या अगर फ़रीक़ैनराज़ी न हों तो जिसतरहअदालत तजवीज़ करे–

अगरकोईसरपंचमुक़र्ररकियाजायतोअदालतउसक़द्रमीआद जोमुनासिबमालूमहो उसकाफ़ैसलादाख़िलहोनेकेलियेमुक़र्रर करेगी बशर्त्ते कि उससेकामलियाजाय ॥

दफ़ा ५१०–अगरसालिस या जिसहालमें कि कई सालिसहों तो कोई उनमेंसे या सरपंच फ़ौतहोजाय या सालिसी करनेसे इन्कार करे या ग़फ़लतकरे या लायक़ सालिसी करनेके न रहे या ऐसेहालातमेंब्रिटिशइण्डिया के बाहर जाय जिनसे वाज़ैहो कि वह ग़ालिबन् जल्द वापिस नहीं आयेगा तो अदालत को अख्तियार है कि अपनी तजवीज़से सालिस या सरपंच जदीद बजायपंच मुतवफ़्फ़ा या इन्कार कुनिन्दा या ग़फ़लत कुनिन्दा या नाक़ाबिलके या बजायउसके जो ब्रिटिशइण्डियासेचला जाय मुक़र्रर करदे या हुक्म फ़िस्ख़ सालिसीका दे और इस अख़ीरसूरतमें उसको लाज़िमहै किमुक़द्दमेकी कार्रवाई मसरूफ़हो ॥

दफ़ा ५११—जब सालिसोंको बमूजिब हुक्म सालिसी के अख्तियार तक़र्रुर सरपंच का दियागयाहो और वह सरपंच मुक़र्रर नकरें तो मिंजुमलै फ़रीक़ैनके कोई फ़रीक़ सालिसोंकेपासइत्तिलाअनामातहरीरी वास्तेतक़र्रुरसरपंचकेपहुंचासक्काहै औरअगरसातरोज़केअंदरबाद पहुंचानेऐसे इत्तिलाअनामेकेयाउसमीआदज़ायदके अंदर जिसकी अदालतहरसूरतमें इजाज़तदे कोईसरपंचमुक़र्रर नहो तो अदालत मजाज़ होगी कि बरतबक़ गुज़रने दरख्वास्त उसफ़रीक़के जिसने इत्तिलाअनामा हस्बमुतज़क्किरै बाला पहुंचायाहो एक सरपंच मुक़र्रर करे॥

दफ़ा ५१२—हर सालिसयासरपंचजो दफ़आत ५०९ या ५१० या ५११ के बमूजिब मुक़र्रर हो उसे मुक़द्दमे में कारबन्द होनेका उसी तरह अख्तियार होगा कि गोया उसकानाम हुक्मसिपुर्दगी मुक़द्दमेसालिसीमें मुंदर्जथा॥

दफ़ा५१३—अदालतको लाज़िमहै किबनामउनफ़रीक़ैन औरगवाहोंके जिनकाइज़हार सालिसान यासरपंच लिया चाहतेहों वैसेही हुक्मनामे सादिर करे जैसे कि अदालत अपने इजलासके मुक़द्दमात मुतदायरा में सादिर करनेकी मजाज़ है—

जो अशख़ास मुताबिक़ हुक्मनामा मज़कूर हाज़िर न हों या उनसे और किसीतरहका क़ुसूर सरज़दहो या अदाय शहादतके लिये इन्कारकरें या असनाय तहक़ीक़ात मुक़द्दमे मुफ़ाव्विज़ा व सालिसीमें सालिस या सरपंचकी निस्बत गुस्ताख़ी करें तो वह मुस्तौजिब इसअम्रके होंगे कि ऐसी तावान और तदारुक और सज़ा बहुक्म अदा-

लत बरतबक़ गुज़ारिश सालिस या सरपंच के उनपर आयदहो जैसे बहालत फ़ैसलाहोने मुक़द्दमेके अदालत में बवजह उन्हीं क़ुसूरातके आयद होती ॥

दफ़ा५१४—अगर बसबब बहम न पहुंचने शहादतया दरियाफ्त न होनेहालात ज़रूरीके या किसी और वजह से सालिस माबैन मीआद मुन्दर्जैहुक्मके तकमील अपने फ़ैसलेकीनकरसकें तोअदालत इसबातकी मजाज़ होगी कि वास्ते दाख़िलहोने फ़ैसलेके अगर मुनासिब समझे मीआद ज़ायद अताकरे और वक़्नफ़वक़्न उसको ज़ियादहकरतीरहै या हुक्ममशअरमन्सूख़ीसालिसी सादिर करे और ऐसी सूरतमें मुक़द्दमेकी कार्रवाई जारीकरेगी ॥

दफ़ा५१५—जब सरपंच मुक़र्रर होचुके तो उसे अख़्तियार होगा कि बजाय सालिसों के सूरतहाय मुफ़स्सिलै ज़ैलमें मुक़द्दमे को ख़ुद तजवीज़ करे ॥

(अलिफ़) अगर उन्होंने मीआद मुअय्यनाको बिला सुदूर फ़ैसलेके मुन्क़ज़ी होने दिया हो या—

(बे) जब उन्होंने अदालतको सरपंचको इत्तिलाअ तहरीरी इस अम्रकी दीहो कि बाहम उनके इत्तिफ़ाक़राय नहीं होसक्ता है ॥

दफ़ा ५१६—जब मुक़द्दमेमें फ़ैसला सालिसी सादिरहो तो अशख़ास मुजव्विज़ फ़ैसलेको लाज़िमहै कि उसपर दस्तख़तकरके अदालतमें से किसी इज़हारात और दस्तावेज़ातके जो उनके रूबरूलीगई हों और साबित हुई हों भेजदें और लाज़िम है कि इत्तिलाअ दाख़िल करने फ़ैसले सालिसीकी फ़रीक़ैन को दीजाय ॥

[दफ़]ा ५१७—अगरकोई मुक़[illegible]

[illegible]

[illegible] [ज़] सालिसाना निस्बत कुल या जुज्व उस अम्रके जो सिपुर्द सालिसी हुआहो बतौर मुक़द्दमे खास अदालतकी रायके वास्ते तहरीर करें और अदालत उसकी निस्बत अपनी राय लिखेगी और वह राय फ़ैसले में शामिल होकर फ़ैसले का एक जुज्व क़रार पायेगी ॥

दफ़ा ५१८—अदालत मजाज़ है कि बज़रिये हुक्मके सूरतहाय मसर्रहः ज़ैलमें फ़ैसला सालिसी को तरमीम या उसकी इसलाह करे ॥

(अलिफ़) जबयह मालूमहोकि जुज्व फ़ैसलासालिसी एकऐसी अम्रकीबाबतहै कि सिपुर्दसालिसी नहीं कियागयाथा मगर शर्त्तयहहै कि जुज्व मज़कूर बक़ीया फ़ैसले से अलाहिदा होसक्ताहै और तजवीज़ सालिसीपर जो निस्बत अम्र मुफ़्विज़हके हो मवस्सर न हो या—

(बे) जब कि तरतीब फ़ैसला सालिसीकी नाक़िसहो या उसमें कोई ऐसी ग़लती सरीहपाई जातीहो जिसकी इसलाह तजवीज़ सालिसी मज़कूरमें मुख़िल होनेके बग़ैरमुमकिन हो ॥

दफ़ा ५१९—नीज़ अदालत को अख्तियार है कि हुक्म मुनासिब निस्बत ख़र्चा सालिसी के सादिर करे बशर्तें कि कोई एतराज़ निस्बत ख़र्चा मज़कूर के पैदा हुआहो और फ़ैसले मज़्कूरमें ख़र्चेकी निस्बत तजवीज़ काफ़ी दर्ज न हुई हो ॥

दफ़ा ५२०—अदालत मजाज़होगीकि फ़ैसले सालिस को या किसीअम्र मह्विलै सालिसीको वास्ते नज़रसानीके उन्हीं सालिसों या सरपंचके पास ऐसी सरायत के साथ जो उसके नज़दीक मुनासिब मुतसव्विरहों वापिस मुरासिल करे यानी—

(अलिफ़) उसहालमें कि मिंजुमलै उमूर मुफ़व्विज़ह सालिसी के कोई अम्र बिलातजवीज़ रहगयाहो या जो अम्र कि सालिसी के वास्ते नहीं सिपुर्द किया गया था उसकी तजवीज़ हुई हो—

(बे) जिस हालमें कि फ़ैसला सालिसी ऐसा मोहमिल हो कि तामील उसकी ना मुमकिन हो—

(जीम) जिस हालमें कि बमुलाहिज़ा फ़ैसलासालिसी के कोई एतराज़ निस्बत जवाज़ फ़ैसला मज़कूरके बादिउल्नज़रमें पाया जाता हो ॥

दफ़ा ५२१—जो फ़ैसला कि हस्बदफ़अ ५२० के वापस कियागयाहो अगर सालिस या सरपंच उसपर नज़रसानी करने से इन्कारकरे तो वह कालअदम होजायगा लेकिन कोईफ़ैसला सालिस क़ाबिल मन्सूख़ी नहोगा बजुज़ किसीवजहके मिंजुमलै वजूह मुंदर्जै ज़ैल यानी—

(अलिफ़) सालिस या सरपंचकीरिशवत सितानी या बद मुआमलगी—

(बे) किसी फ़रीक़का इस नेहजपरक़ुसूरवार होना कि जिस अम्रको उसे ज़ाहिर करदेना चाहिये था वह उसने फ़रेबन् मख़फ़ी रक्खा या अमदन् पंच या सरपंचको मुग़ालता या धोखा दिया हो ॥

(जीम) फ़ैसलासालसी बाद उसहुक्मके कियागया हो अदालतनेदरबाराफ़िस्ख़सालसीऔरबाज़बनंबर दाख़िलहोने मुक़द्दमेके सादिर कियाहो—

कोई फ़ैसलासालसी जायज़ न होगा इल्लाउसहाल में कि वहमीआदमुअय्यनाअदालतकेअंदरकियाजाय॥

दफ़ा ५२२—अगर अदालतकेनज़दीककोईवजहइस की न पाईजाय कि फ़ैसला याकोई और अम्रामिन्जुमलै उमूर मुफ़व्विज़ा सालसीहस्ब मरक़ूमैबाला नज़रसानी करनेकेलिये वापसभेजाजाय और कोईदरख्वास्तवास्ते तन्सीख़ फ़ैसला सालसीके न गुज़रे या अगर अदालत ने दरख्वास्त मज़कूरको नामंज़ूरकिया हो—

तो अदालतको लाज़िमहोगाकि जबदरख्वास्तगुज़र- नेकी मीआद गुज़रजाय मुताबिक़ फ़ैसले सालसीके फ़ैसला सादिरकरे॥

या अगर फ़ैसलासालसी मज़कूरबतौर मुक़द्दमा ख़ास वास्ते इस्तसबाबके सिपुर्दअदालतहुआहो तोमुताबिक़ अपनीरायके निस्बत उसमुक़द्दमेकेफ़ैसला सादिरकरे—

बलिहाज़ फ़ैसले मुसद्दिरैके डिकरी सादिरहोगी और इजराउसका उसतौरपर होगा जैसा कि मजमूये हाज़ामें इजराय डिकरीकेलिये हुक्महै ऐसीडिकरी नाराज़ीसे अ- पील न होसकेगाबजुज़उसक़दरकेजोउसफ़ैसलेमें लिखे हुयेसे ज़ियादहकी डिकरीहो या उसके मुताबिक़ न हो॥

दफ़ा ५२३—जबचन्दअशख़ास बज़रिये इक़रारनामा तहरीरीके यहबात क़बूलकरें कि कोईनिज़ाअ जो बाहम उनकेवाक़ैहो किसीशख्समुन्दर्जैइक़रारनामाया मुक़र्रह

उसअदालतको जिसको निज़ाअ मुन्दर्जै इक़रारनामेकी निस्बत अख्तियारसमाअतकाहासिलहोवास्ते सालसी के सिपुर्दकीजाय तो दरख्वास्तमिन्जानिबनवीसन्दगान इक़रारनामा या मिन्जुमलै उनके किसी शख्सकीतरफ़से मुशअर इसबातकेगुज़रसक्तीहै कि इक़रारनामा मज़कूर अदालत में दाख़िलकरायाजाय॥

दरख्वास्त तहरीरी होनीचाहिये और उसपरनम्बर सब्तकियाजायगा और दरसूरतेकि दरख्वास्त फ़रीक़ैन मेंसे सबकीतरफ़सेहो तो मुक़द्दमामाबैनएकयाकईफ़रीक़ अहलग़रज़या दावीदारके बतौरमुद्दई या मुद्दइयान और दूसरेएक या कईफ़रीक़बतौर मुद्दआअलेह या मुद्दआ-अलेहुम्के रजिस्टरमें क़ायम कियाजायगा और अगर दरख्वास्तजुमलै फ़रीक़कीतरफ़से न हो तो बाहमसायल बतौरमुद्दई और दीगरअशख़ास बतौर मुद्दआअलेहुम् के मुक़द्दमा क़ायमहोगा–

उसदरख्वास्तके गुज़रने पर अदालत को यहहुक्म देनालाज़िमहोगा किइत्तिलाअनामा बयान बाक़ीतमाम फ़रीक़ हाय इक़रारनामेके जो शरीक दरख्वास्त न हुये हों मुतज़म्मिन इसबातके जारीकियाजाय कि फ़रीक़हाय मज़कूर अन्दर मीआदमुअय्यनाइत्तिलाअनामेकेवजह काफ़ीनिस्बतन दाख़िलहोने इक़रारनामे के पेशकरें–

अगरकोईवजहकाफ़ी पेश नकीजाय तोअदालत उस इक़रारनामे को दाख़िल कराये और लाज़िमहै किहुक्म तफ़वीज़सालसीका उसपर सादिरकरेऔरअगरइक़रार नामे में कोई सालसनामज़द न हुआहो और फ़रीक़ैन

मुत्तफ़िक़ नहों तो जायज़ है कि सालस को भी नामज़द करदे ॥

दफ़ा५२४—बाबहाज़ाके अहकाम मुन्दर्जैबालाजहांतक वहऐसे इक़रारनामे दाख़िलशुदहके ख़िलाफ़ न हों कुल कार्रवाईसे जो बमूजिब हुक्म मुसद्दिरै अदालतमुशअर तफ़वीज़सालसीहस्बदफ़ा५२३केअमलमें आई हों और फ़ैसलासालसीसे और उसडिकरी के इजरासे जो उस के बमूजिबसादिर हुईहो मुतअल्लिक़ होंगे ॥

दफ़ा५२५—जबकोई अम्रबिलातवस्सुत किसीअदालतके सालसीमेंरुजूअ और उसकी बाबतफ़ैसला सालसीहोगयाहो तो हरशख़्स जो फ़ैसलेसे इलाक़ारखता हो मजाज़ है कि उसअदालतदर्जैअदनामें जिसे मुआमला मुतअल्लिक़ै फ़ैसलासालसीके समाअतका अख़्तियार हासिलहो इसअम्रकी दरख़्वास्त गुज़राने कि फ़ैसला सालसी दाख़िल अदालत कियाजाय·

दरख़्वास्त नीचां ये और दाख़िलनम्बर और रजिस्टर होकर बमंज़िलै एक मुक़द्दमेके तसव्वर की जायगी जिसमें सायल बतौर मुद्दईहोगा और दीगर अशख़ास बतौर मुद्दआअलेहुम—

अदालतहुक्मसादिरकरेगी कि इत्तिलाअनामाबनाम उनअशख़ासके जिन्होंने सालसीकराई हो और शरीक दरख़्वास्त नहों मुतज़म्मिन इसबातकेजारीहो किअशख़ास मज़कूरअन्दर मीआद मुअय्यनाके वजह काफ़ी वास्ते न दाख़िलहोने फ़ैसले सालसी के पेशकरें ॥

दफ़ा५२६—अगर कोई ऐसी वजह जिसका ज़िक्र या

हवाला दफ़ा ५२० या दफ़ा ५२१ में है निस्बत फ़ैसले सालसीकेपेशनहो तोअदालतफ़ैसले मज़कूरके दाख़िल किये जानेकाहुक्मदेगी औरवहफ़ैसला बादअज़ांमिस्ल उसीफ़ैसलेके मवस्सरहोगा जो कि हस्बअहकाम इस बाबके कियाजाय॥

अड़तीसवां बाब॥

कार्रवाई अदालत निस्बत इक़रारनामे फ़ीमाबैन फ़रीक़ैन॥

दफ़ा५२७-जिन अशख़ासको किसी अम्रवाक़ै या वहसक़ानूनी के इन्फ़साल में ग़रज़रखनेका दावाहो वह मजाज़होंगे कि बाहम इक़रारनामा तहरीरी करके उस में अम्र मज़कूरको बतौरएक मुक़द्दमेके वास्तेरायअदा-लतके लिखे और यहशर्त्तकरे कि जबतजवीज़ अदा-लत निस्बत उसअम्रके सादिरहो तो-

(अलिफ़) वहतादादज़र जोबाहमफ़रीक़ैन मुक़र्रर करें या जिसे अदालत तजवीज़करदे उनमेंसे एकफ़री-क़दूसरे फ़रीक़को अदाकरेगा या-

(बे)एकफ़रीक़दूसरे फ़रीक़को कुछजायदादमन्क़ूला या ग़ैरमन्क़ूलामुसर्रहः इक़रारनामा हवालेकरेगा या-

(जीम)मिन्जुम्लै फ़रीक़ैनके एक या कई अशख़ास किसी ख़ासअम्रमुफ़स्सिलै इक़रारनामेकी तामीलकरेंगे या उसके करनेसे बाज़रहेंगे-

हरमुक़द्दमा बमूजिब इसदफ़ाके क़लम्बन्दकियाजाय चंददफ़्आतपरमुन्क़सिम होगा जिनपर नम्बर मुसल-सल सब्तकिया जायगा और उसमें मुख़्तसिर कैफ़ियत

ऐसेवाक़िआत और दस्तावेज़ातकी लिखीजायगी जो वास्ते इस अम्रके ज़रूरीहों कि अदालत उसबहसको जो उनसे पैदाहोतीहै तै करसके ॥

दफ़ा५२८—अगर इक़रारनामा बाबत हवालगीकिसी जायदादके हो या बाबतकरने या बाज़रहनेके किसीफ़ेल ख़ाससेहो तोउसइक़रारनामेमें मालियत तख़मीनी उस जायदादकीजिसकेहवालेकरनेकाइक़रारहै या जिससेवह फ़ेलमुन्दर्जै इक़रारनामामुतअल्लिक़हो दर्जकीजायगी ॥

दफ़ा५२९—इक़रारनामा बशर्तेकिवहमुताबिक़ क़वाअद मुन्दर्जैसदरके मुरत्तिबहुआहो किसी ऐसी अदालत मेंदाख़िलहोसक्ताहैजिसको अख़्तियारसमाअत उसीतादाद या मालियतकी शैमुद्दआबहाके मुक़द्दमेका हासिल हो जोतादाद या मालियत शैमुन्दर्जै इक़रारनामेकीहो—

बाद अदख़ालके वहइक़रारनामा बसब्तनंबरदाख़िलरजिस्टरहोकर एकमुक़द्दमा जिसमें एक या चंदअशख़ासमिन्जुमले दावीदारान ग़रज़के मुद्दई या मुद्दइयान होंगे और दूसरे मिन्जुमला उनके मुद्दआअलेह या मुद्दआअलहुम् [illegible] क़ायमहोगा और इत्तिलाअनामा बनाम जुमलैफ़रीक़ इक़रारनामेके जो शरीकअदख़ाल इक़रारनामेके न हुयेहों जारीहोगा ॥

दफ़ा५३०—बादअदख़ालइक़रारनामेकेनवीसन्दगान इक़रारनामा तहत अख़्तियार अदालतकेहोंगे औरउन परपाबंदी बयानातमुंदर्जै इक़रारनामेकी लाज़िमहोगी ॥

दफ़ा५३१—ऐसामुक़द्दमासमाअतकेवास्तेमिस्लमुक़द्दमे मरजूआ हस्ब बाब ५ के दाख़िल होगा और उस

बाब के अहकाम जहांतक मुमकिनहो मुक़द्दमे मज़कूर से मुतअल्लिक़ होंगे ॥

अगर बाद ज़बानबंदी फ़रीक़ैन या बादलेने शहादत मुनासिबके अदालत को इतमीनानहो कि—

(अलिफ़) इक़रारनामे मज़कूरकी तकमील उन्होंने हस्बज़ाबिताकी है और—

(बे) यहकिअज़राहनेकनीयतीग़रज़उनफ़रीक़ैनकीनिज़ाअवाक़िआतमुन्दर्जेइक़रारनामेसेमुतअल्लिक़हैऔर-

(जीम) यह कि निज़ाअक़ाबिल तजवीज़के है—

तो अदालत ऐसे अम्रमें उसीतरह फ़ैसलासादिर करेगी जैसे मामूली मुक़द्दमोंमें करतीहै और उसफ़ैसले के मुताबिक़ डिकरी सादिरहोगी और डिकरीमज़कूरका तामील करना उसी तौरपरलाज़िमहोगा जैसे कि मजमूयेहाज़ामें इजराय डिकरीकेलिये हुक्महै—

उन्तालीसवां बाब ॥

ज़ाबितासरासरीदस्तावेज़ातक़ाबिलख़रीदवफ़रोख़्तका ॥

दफ़ा५३२—वह सबनालिशात बिलआफ़ऐक्सचेंज या हुंडी या प्रामेसरीनोट कि जिनमेंमुद्दई इसबाबके बमूजिबकाररवाई होनाचाहताहै हरअदालतमें जिससे यह दफ़ामुतअल्लिक़है इसतरहसे रुजूअकीजासक्तीहैं कि अरज़ीदावा उसनमूनेके मुताबिक़हो जोइसमजमूयेमें मुक़र्ररहै मगर सम्मन उसी नमूनेके मुताबिक़होना चाहिये जो इसमजमूयेके चौथेज़मीमेके नम्बर१७२में मुन्दर्जहै या किसी और नमूनेका जोवक़्तन् फ़वक़्तन् हाईकोर्ट से तजवीज़ कियाजाय—

पस जिसमुक़द्दमेमेंअर्ज़ीदावाऔरसम्मनमुताबिक़ नमूनेजात मुतअ़ल्लिक़ैबालाकेहों मुद्दआअ़लेहको हाज़िर होनेया जवाबदिहीकरनेका इस्तेहक़ाक़ न होगा तावक़्ते कि वह इजाज़तहाज़िरी और जवाबदिहीकी हस्बमुतअ़ल्लिक़ैआयन्दा किसीजजसे हासिल न करे-

औरअगरमुद्दआअ़लेहऐसीइजाज़त हासिल न करे या इजाज़तलेकर उसकेबमूजिब हाज़िर और जवाबदेह नहोतोमुद्दईमुस्तहक़होगा कि बाबत उसक़दर मुबलिग़ केजोतादादमुन्दर्जैसम्मनसे ज़ियादहनहोमयसूदबशरह मुसर्रेह (अगर कुछहो) लग़ायत तारीख़ डिकरी और नीज़ ज़रख़र्चा मुक़र्ररहहस्बक़ायदे मुसद्दिरैअ़दालतुल-आलिया हाईकोर्ट के बजुज़ उससूरतके कि मुद्दई उस तादादमुक़र्ररहसे ज़ियादह का दावीदारहो कि उससूरत में ज़रख़र्चा बतौरमामूली मुअ़य्यन कियाजायगा डिकरी हासिल करे और जायज़ है कि ऐसी डिकरी की फ़ौरन् तामील कराई जाय-

तादादमुन्दर्जैसम्मनमुद्दआअ़लेहसेअ़दालतमेंजमा नकराईजायगी और न तादाद मज़कूरकीज़मानतउससे दाख़िल कराईजायगी बजुज़ उससूरतके कि बदानिस्त अ़दालत मुद्दआअ़लेह की जवाबदिही बादिउलनज़रमें क़ाबिलतसलीम न हो या उसमें उसकी नेकनीयती के बाबत अ़दालतको शुबहा माक़ूलहो ॥

तशरीह—यहदफ़ाउनमुक़द्दमातसे मुतअ़ल्लिक़नहींहै जिनमें बिलआफ़एक्सचेंज या हुण्डीया प्रामेसरी नोट जिसकी बुनियादपर नालिशदायर हो महज़मुद्दत गुज़र

जाने के साथ बादिउलनज़र में ज़रवाजिब दिलापाने का इस्तेहक़ाक़ क़ायम करनेके वास्ते काफ़ीहै ॥

दफ़ा ५३३—अदालतकोलाज़िमहै किमुद्दआअलेहकी दरख्वास्तपर मुद्दआअलेहको हाज़िरहोने और जवाब-दिहीकरनेकीइजाज़तइसबातपरदेकिमुद्दआअलेह तादादमुन्दर्जै सम्मनअदालतमें दाख़िलकरे या ऐसेतहरीरी बयानात हल्फ़ीपेशकरे जोलायक़इतमीनानअदालतहों और जिनसेऐसी जवाबदिहीयाऐसे वाक़िआतज़ाहिरहों कि बएतबार उनके शख्सदारिन्दै बिलआफ़ ऐक्सचेंज वग़ैरहपर ज़रमुआविज़ाके अदाकरदेनेका सुबूतदेनालाज़िमहो या ऐसे और वाक़िआत ज़ाहिरहों जोबदानिस्त अदालत वास्तेताईददरख्वास्तकेकाफ़ीहों औरइजाज़त मज़कूर बसुदूर ऐसे अहकाम निस्बतअदख़ाल ज़मानत औरतरतीब व तहरीरवाक़िआत तन्क़ीहतलबके जो अदालतकोमुनासिबमालूमहोंदेयाबिदूनकिसीऐसेहुक्मके॥

दफ़ा ५३४—अदालतको अख्तियारहै कि बाद सुदूर डिकरीके डिकरीको सूरतहायख़ासमें मुस्तरदकरदे और अगरज़रूरतहो उसकेइजराको मुल्तवीरक्खे याख़ारिज करे और अगरअदालतकी दानिस्तमेंऐसाकरनामाक़ूल हो तो मुद्दआअलेहकोइजाज़तवास्तेएहज़ार बमूजिबहुक्मसम्मनऔरकरनेजवाबदिही मुक़द्दमेकेबपाबन्दीऐसी शराअतकेअताकरे जोअदालतकोमुनासिबमालूमहों ॥

दफ़ा ५३५—हर कारखाई महकूमें बाबहाज़ामें अदालतको ऐसाहुक्म सादिरकरना जायज़होगा किबिलया या नोटजिसपरमुक़द्दमामबनीहोफ़ौरन् अदालतके

किसी अहल्कारकी तहवील में रक्खाजाय और यह कि जबतकमुद्दई मुक़द्दमेके ख़र्चेकीबाबत ज़मानत दाख़िल नकरे मुक़द्दमेकी तमामकार्रवाई मुल्तवी रक्खीजाय ॥

दफ़ा ५३६—क़ाबिज़ हरबिलआफ़ऐक्सचेंजया प्रामेसरीनोटका जिसकेसकारने या अदाकरनेसे इन्कारहुआ हो वास्तेदिलापाने उनअख़राजातके जो उसके न सकारे जाने या न अदाकियेजाने को लिखादेने में या और तौर पर बवजह न सकारने या न अदाकरनेके आयदहुये हों उसीसबीलसेवसूलकरसकेगा जिससबीलसेतादादाबिल या नोट मज़कूरकीइसबाबके मुताबिक़वसूलकरसक्ताहै ॥

दफ़ा ५३७—अइस्तस्नाय उनशरायतकेजोदफ़ा ५३२ लग़ायत दफ़ा ५३६ मेंमुन्दर्जहैं उननालिशातमें जोइस बाबके मुताबिक़ रुजूअकीजायें वही कार्रवाई होगी जो उननालिशातमेंहोतीहैकिबाबपंजुमकेमुताबिक़दायरहों ॥

दफ़ा ५३८—दफ़ा ५३२ लग़ायत ५३७ सिर्फ़अदालत हायमुफ़स्सिलै ज़ैलसे मुतअल्लिक़

([illegible]) [illegible] फोर्ट [illegible]

और मन्दरास और बम्बई-

(बे)अदालत साहब रिकार्डर मुल्क रंगून—

(जीम) अदालतहाय मुतालिबै ख़फ़ीफ़ैबाक़ै कलकत्ता व मन्दरास व बम्बई—

(दाल) अदालत साहबजज मुल्क किरांची और—

(हे) हरदीगर अदालत जोअख़्तियार समाअत [illegible] मुक़द्दमात [illegible] [illegible]वानी [illegible] लोकल गवर्नमेंट [illegible] इश्तहार [illegible] गज़ट

दफ़आतमज़्कूरै बालाको मुतअल्लिक़ फ़रमाये—

दफ़आत मज़्कूरके उसतौरपर मुतअल्लिक़ कियेजाने की सूरतमें लोकलगवर्न्नमेण्ट हिदायत करसक्तीहै किउन अख्तियारात और ख़िदमातमेंसे जोउन दफ़आतकीतामीलसे मुतअल्लिक़हों किसको कौनअमलमेंलायेगाऔर अंजामदेगा और क़वायदजोवास्तेतामीलअहकाममुन्दर्जैदफ़आत मज़्कूरके ज़रूरीमालूमहोंमुरत्तब करसक्तीहै-

ऐसे इश्तिहारके मुश्तहर होनेसे एक महीनेके अन्दर अहकाम दफ़अमज़्कूर उसीकेमुताबिक़ मुतअल्लिक़हो-जायँगे और क़वायद जो हस्बमुतज़्क्किरै बाला मुरत्तब कियेजायँ हुक्म क़ानूनका रक्खेंगे-

लोकलगवर्न्नमेंटको अख्तियारहै कि वक़्तन् फ़वक़्तन् किसीऐसे इश्तिहारको तब्दील या मन्सूख़करती है ॥

चालीसवांबाब ॥

नालिशात बाबत अशियाय ख़ैरातआमके ॥

दफ़ा ५३९-जो अमानत सरीहन्यामानन् वास्तेअग़राज़ ख़ैरातआम या उमूरमज़्हबीके क़रारदीगईहो जबउसकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी बयान कीजाय या ऐसीअमानतकेइन्तिज़ामकेलियेअदालतकी हिदायतज़रूरीमुतसव्विरहो तो ऐडवकेटजनरल ऐक्सओफ़िशियू या दो या कई अशख़ास जो उसअमानतमें ख़ुदाबिलावसातततग़ैरे ग़रज़रखतेहों और ऐडवकेट जनरलकी रज़ामन्दी तहरीरी हासिलकरचुकेहों अदालतहाईकोर्टमेंया ज़िलेकीअदालतकीहुदूदअरज़ीके

अंदरकुलयाकोईजुज़्वशैअमानतीकावाक़ैहो

डिकरीउमूर मुफ़स्सिलजैलके नालिशरुजूअकरसक्केहैं—

(अलिफ़) तक़र्रुरनयेउमनायखैरातकाहस्बमंशाय अमानत—

(बे)हवाले कियाजाना किसी जायदाद का उमनाय खैरातको हस्बमंशाय अमानत—

(जीम) क़रार दियाजाना उनहिस्सको जोउसखैरात कीअग़राज़केवास्तेवाजिबीहों—

(दाल)इसबातकीइजाज़तकादेनाकिकुलयाकोईजुज्व उसकेमुतअल्लिक़जायदादकाकिरायायापट्टेपर दियाजाय या बैकियाजाय यारहेनरक्खाजाय याबदल लियाजाय—

(हे)क़रारदेना ज़वाबितका वास्तेउसकेइन्तिज़ामके—

या दादख्वाही मज़ीद या और किसीतरह की ऐसी दादख्वाहीकरनाजो बनज़रनवय्यतमुक़द्दमेकेज़रूरीहो—

अख्तियारात जोइसदफ़ाकीरूसे ऐडवकेटजनरलको दियेगयेहैं जायज़है कि बलाद प्रेजीडन्सीके बाहर बाद हुसूलमंजूरी लोकलगवर्न्नमेण्ट के साहब कलक्टर भीया वह ओहदेदार जिसे लोकलगवर्न्नमेंट इसकामके लिये मुक़र्ररकरे अमलमें लाये ॥

ऐक्ट१०सन्१८४०ई० कीदफ़ा२-इसतहरीरकीरूसे मन्सूखकीगई ॥

छठवां हिस्सा ॥

अपील ॥

इकतालीसवां बाब ॥

अपील ब नाराज़ी डिकरियातइब्तिदाईके ॥

दफ़ा ५४०—सिवाय उससूरतकेकि मजमूये हाज़ा या

किसीऔर क़ानून ज़रियेवक्तमेंकोई औरहुक्मसरीहहो और सूरतोंमें अपीलबनाराज़ी डिकरियात या किसीहिस्सै डिकरियात अदालत हाय ज़ीअख्तियार समाअत इब्तिदाईके उनअदालतोंमेंदाखिल होसकेगाजो अदालतहाय समाअत इब्तिदाईके फ़ैसलोंकी नाराज़ी से अपील सुननेकी मजाज़हैं ॥

दफ़ा ५४१—अपीलांट को लाज़िमहै कि दरख्वास्त अपीलबतौर याददाश्तकेतहरीरकरकेगुज़राने और उस के साथ नक़ल डिकरीजिसकी नाराज़ीसे अपीलहो और (अगरअदालत अपीलउससेदरगुज़रनकरे तो) नक़ल फ़ैसलेकी जिसपरवह मब्नीहो दाखिल करनीचाहिये—उस याददाश्तमें वजूहात नाराज़ी उसडिकरीकी जिस की निस्बत अपीलहोबइबारतमुख्तसर और दफ़अवार बिलातहरीर किसीहुज्जत या हिकायतके लिखीजायँगी और वजूहातमज़कूरपरनम्बरसिलसिलेवारसब्तहोगा॥

दफ़ा ५४२—अपीलांटको लाज़िमहै कि बिलाइजाज़त अदालतके कोई और वजहनाराज़ीकी बयाननकरे और न किसी और वजहकीताईदमेंउसकाबयान समाअतकियाजायगा लेकिन अदालतअपीलअपीलके फ़ैसलकरने में उन्हींवजूहकी पाबंदनहोगीजोकि अपीलांटनेलिखीहों—मगर शर्तयहहै कि अदालत अपनी तजवीज़ किसी ऐसी वजहपर न क़ायमकरेगी जो अपीलांटनेनलिखीहो इल्ला उसहालमें कि रस्पांडण्टको मौक़ाकाफ़ी अपीलांट के मुक़द्दमेकी निस्बतउसवजहपरजवाबदेनेकामिलाहो ॥

दफ़ा ५४३—अगर याददाश्तअपील उसतौरपरजोकि

क़ब्लअर्ज़ीबयान कियागयाहै मुरत्तबनहो तो जायज़है कि वह नामंज़ूरकीजाय या अपीलांटको इसवास्ते वापिस कीजायकिउसकीतरमीममीआद मुतअय्यनाअदालतके अंदरहोयाउसी जगह औरउसीवक़्उसकीतरमीमकीजाय
जबकि अदालतहस्बदफ़ा हाज़ा किसीयाददाश्तको नामंज़ूरकरेतोउसकोवजूहनामंज़ूरीकीक़लम्बंदकरनीहोंगी-
जबकोई याददाश्त अपील इसदफ़ा के बमूजिब तरमीम कीजाय तो जज या वह ओहदेदार जिसको जज इस कामके लिये मुक़र्ररकरे इबारत तरमीमी को अपने दस्तख़त से तसदीक़ करेगा ॥
दफ़ा ५४४—अगर किसी मुक़द्दमेमें चंदमुद्दई या मुद्दआअलैः हों और डिकरीजिसका कि अपीलहोऐसीवजह परमब्नीहो जोतमाम मुद्दइयान यातमाममुद्दआअलैहुम् पर यकसां मवस्सरहो तो कोईशख़्स मिन्जुमलेमुद्दइयान या मुद्दआअलैहुम् के कुलडिकरीकी निस्बत अपीलकर सक्ताहै औरबरतक़ उसकेअदालतअपीलमजाज़होगी किडिकरी को कुलमुद्दइयान या मुद्दआअलैहुम्के हक़में यानी जैसी किसूरतहो मन्सूख़ या तरमीम करे ॥
ज़िक्र मुल्तवी रखने और जारीकरने डिकरियों
का दर अस्नाय अपील ॥
दफ़ा ५४५—इजरा किसीडिकरीका सिर्फ़ इसवजह से किउसकीनाराज़ी से अपील दायरहुआ मुल्तवी न किया जायगामगर अदालत अपील मजाज़होगी किदरसूरत पायेजाने वजहमुवज्जहः के हुक्मइल्तिवाय सादिरकरे—
अगर दरख़्वास्तइल्तिवायइजरायाडिकरीक़ाबिलअ—

पीलकीक़ब्लइन्क़ज़ाय मीआदके जो इरजाअ अपील के वास्तेमुअय्यनहै गुज़रेतो अदालतसादिर कुनिन्दैडिकरी को अख़्तियारहोगा कि दरसूरतपेशहोने वजहमुवज्जहः केइजराको मुल्तवीरक्खे-

मगर शर्त्तयहहै कि कोई हुक्म इसदफ़ा के बमूजिब सादिर न किया जायगा इल्ला उस हाल में कि अदालत को इतमीनान हो कि-

(अलिफ़)जो फ़रीक़ इल्तिवाय इजरायडिगरीकी दरख़्वास्तकरे उसकोदरसूरत न होनेहुक्मइल्तिवायके ज़रर वाक़ई पहुँचेगा-

(बे)दरख़्वास्तबिलादिरंगनामुनासिबकेगुज़रीहैऔर-

(जीम)सायलने वास्तेतामीलकार्रवाईवाक़ैउसडिकरी या हुक्मके जो बिलआख़िर उसके ज़िम्मे वाजिबुत्तामील होसक्ताहै ज़मानत दाख़िल करदीहै-

दफ़ा५४६-जब कोईहुक्म वास्तेइजराय ऐसीडिकरी के सादिरहो जिसकी नाराज़ी से अपील दायरहो और अपीलाण्ट वजहकाफ़ी बयानकरे तोअदालतसादिरकुनिन्दा डिकरीको लाज़िमहोगा कि बमुरादइतमीनानवापसी उस जायदादके जो सीग़ैइजराय डिकरी में ले लीगई हो या इतमीनान अदाय मालियत जायदाद मज़कूरकेऔर नीज़वास्ते तामील क़रारवाक़ई डिकरी याहुक्मअदालत अपील के ज़मानत तलब करे ॥

या अदालत अपील मजाज़होगी कि वैसीही वजहसे उसअदालतको जिसने कि डिकरीसादिरकीथी ज़मानत लेनेकी हिदायत करे ॥

और जिसहालमें कि बइल्लत इजरायडिकरी ज़रनक़द् के हुक्मनीलामजायदादऔरमन्क़ूलाका होचुकाहो औरबना-राज़ी उस डिकरी के अपीलदायरहो तो मद्यून डिकरी की दरख्वास्त पर नीलाम ता फ़ैसले अपील उनशरायत परमुल्तवीरहेगा जो दरबाबअदख़ाल या अदमअदख़ाल ज़मानत अदालत सादिर कुनिन्दै डिकरी की दानिश्त में मुनासिब हों ॥

दफ़ा ५४७–ऐसी कोईज़मानत जिसका ज़िक्रदफ़आत ५४५ और ५४६ में मुन्दर्जहै जनाबसेक्रेटरीआफ़इस्टेट हिन्द इजलास कौंसलसे या जब गवर्नमेण्टनेजवाबदिही मुक़द्दमेकी अपनेज़िम्मेली हो किसीओहदेदार सर्कार से जिसपर नालिश बरबुनियाद किसी फ़ेल के दायरहो जो उसकी ख़िदमत मन्सबीके अञ्जामदेनेमें वाक़ैहोनाज़ाहिर कियागयाहो तलब न की जायगी ॥

डिकरियों की अपीलकी कार्रवाई ॥

दफ़ा ५४८–जब याद्दाश्त अपील दाख़िल होकर मञ्ज़ूरहोजायतोअदालतअपीलयाओहदेदारमजाज़उस अदालतका तारीख़दाख़िला उसकी ज़ोहरपरसब्तकरेगा और अपील मज़कूरको किताब रजिस्टरमें जो इसअम्र के वास्ते मुरत्तब रहेगी दाख़िल करेगा ॥

किताब मज़कूर रजिस्टर अपील कहलायेगी ॥

दफ़ा ५४९–अदालतअपीलकोइसबातका अख़्तियार होगा कि अपनीरायके मुवाफ़िक़ क़ब्लतदबीरस्पाण्डण्ट वास्ते एहज़ार और जवाबदिहीके या बाद अज़ां रस्पांडंट कीदरख्वास्तपरअपीलाण्टसेज़मानतवास्ते अदायख़र्चा

अपील यारख़र्चा मुक़द्दमा मुराफ़ैऊला या दोनों के तलब करे-

मगर शर्त्त यह है कि अदालत मज़कूर उन कुल मुक़द्दमात में ज़मानत तलब करेगी जिनमें अपीलाण्ट साकिन बेरूं ब्रिटिश इण्डिया का हो और काफ़ी जायदाद ग़ैर मन्क़ूला ब्रिटिश इण्डिया के अन्दर अलावह उस जायदाद के जिससे वह अपील मुतअ़ल्लिक़ है न रखता हो-

और दर सूरत न दाख़िल होने ज़मानत मज़कूर अंदर मीआ़द मुअ़य्यना अदालत के अदालत मज़कूर अपील को नामञ्ज़ूर करेगी ॥

दफ़ा ५५०-जब याददाश्त अपील दाख़िल रजिस्टर होजाय तब अदालत अपील को लाज़िम है कि उस अदालत को इत्तिलाअ़ अपील की करे जिसकी डिकरी की नाराज़ी से अपील हुआ हो-

अगर अपील किसी ऐसी अदालत के हुक्म से हो जिसके काग़ज़ात अदालत अपील में न रहते हों तो उस अदालत को जिसमें कि इत्तिलाअ़ मज़कूर भेजी गई हो लाज़िम है कि बरतबक़ वसूल इत्तिलाअ़ के जहां तक जल्द मुमकिन हो कुल काग़ज़ात ज़रूरी मुक़द्दमा या ऐसे काग़ज़ात जिनकी निस्बत अदालत अपील से तलबी ख़ास हुई हो अदालत अपील में मुरसिल करे-

फ़रीक़ैन में से कोई फ़रीक़ दरख्वास्त तहरीरी उस अदालत में जिसकी डिकरी की नाराज़ी से अपील हुआ हो बइंदराज तशरीह उन काग़ज़ात मौजूदह अदालत मज़कूर के जिनकी वह नक़्ल कराना चाहता हो पेश कर सक्ता है और नक़ूल उन काग़ज़ात की बसर्फ़ सायल मुरत्तब [illegible] ॥

दफ़ा ५५१—अदालतअपीलको अख्तियारहैकिअगर मुनासिब समझे बादमुक़र्ररकरने एकतारीख़वास्तेसमाअत उज़रात अपीलांट या उसके वकीलके और अगर वहउस तारीख़पर हाज़िरहो तो उसके उज़रात सुनकर तजवीज़ उसअदालतकी जिसकीडिकरीकी नाराज़ीसे अपीलहुआहो बग़ैर तरसीलइत्तिलाअअपील बअदालतमज़कूर और बग़ैरजारीकरनेइत्तिलाअनामा बनाम रस्पांडंटया उसके वकीलके बहाल रक्खे लेकिन ऐसी सूरतमें बहालीके हुक्मकी इत्तिलाअ अदालत सादिर कुनिन्दा डिकरी मज़कूरको भेजी जायगी ॥

दफ़ा ५५२—अदालतअपील बजुज़उससूरतके किहस्बदफ़ा५५१तजवीज़ अदालतमातहतको बहालरक्खे वास्ते समाअत अपीलके एकतारीख़ मुक़र्रर करेगी—

वह तारीख़ बलिहाज़कार रोज़मर्रा अदालत और मस्कन रस्पांडंट और उसमुद्दतके जोवास्तेइजरायइत्तिलाअनामा अपीलकेज़रूरहो मुक़र्ररहोगी ताकिरस्पांडंट को बतारीख़मुअय्यना हाज़िरहोने और अपीलकीजवाबदिही करनेके लिये मोहलतकाफ़ी मिले ॥

दफ़ा ५५३—इत्तिलाअनामा बतअय्युन उसतारीख़के जो वास्ते समाअत अपील के मुक़र्ररकीगई हो महकमे अपीलमें आवेज़ां कियाजायगा और उसीमज़मून का

।मा महकमैअपीलसे उसमहकमेमेंमुरसिल होगा जिसकी डिकरी नाराज़ीसे अपील हुआहो और इत्तिलाअनामा मज़कूररस्पांडंटया उसके वकीलमुतअ-

अदालत अपील पर बतरीक़ मुन्दर्जै बाब ६ जो

दरबाब तामीलसम्मन ऊपर मुद्दआअलैहमशाअरएह्-
ज़ार और जवाबदिही उसकेही जारीहोगा और कुल
क़वायद जो सम्मन मज़कूर और कार्रवाईमुतअल्लिकैता-
मील सम्मनसेमुतअल्लिकहैं इत्तिलाअ नामे मज़कूरकी
तामीलसे मुतअल्लिक होंगे—

बजाय इसके कि इत्तिलाअनामा उसअदालतमेंमुर-
सिलहो जिसकी डिकरीकी नाराज़ीसे अपील हुआ हो
अदालत अपीलकोजायज़है कि इत्तिलाअनामा खुदर-
स्पांडंट या वकालपर बमूजबक़वायद मुतज़क्किरै
बालाके जारीकराये ॥

दफ़ा ५५४—इत्तिलाअनामाबनामरस्पांडण्ट मुशअर
इसबातकेहोगा कि अगरवहबतारीख़मुअय्यनासमाअ-
तअपीलके महकमेअपीलमें हाज़िरनहोगा तोअपील
यकतरफ़ा सुनाजायगा ॥

कार्रवाई वक्तसमाअत ॥

दफ़ा ५५५—तारीख़ मुक़र्ररह पर या किसी और ता-
रीख़को जिसपर समाअतमुक़द्दमा मुल्तवीकीगईहो अ-
पीलांटके उज़रात बताईद अपील सुनेजायँगे उसपर
अदालत अगरउसीवक़्त अपीलडिसमिस करनामुनासि-
ब न समझे उज़रात रस्पांडंट कोबतरदीदअपीलसमा-
अतकरेगी और इससूरतमें अपीलाण्टतरदीदके जवा-
बदेनेका मुस्तहक़ होगा ॥

दफ़ा ५५६—अगरतारीख़मुक़र्ररहमज़कूरापरयाकिसी
ता की समाअतमुल्तवी
रक्खीगईहोअपीलांटअसालतन्यावकालतन्

होतोअपीलबइल्लतअदमपैरवीकेख़ारिजाकियाजायगा॥

अगर अपीलांटहाज़िरहो और रस्पांडंट हाज़िर न हो तो अपील की समाअ़त उसकी ग़ैरहाज़िरीमें यक तरफ़ा होगी॥

दफ़ा ५५७-अगर तारीख़ मुक़र्ररह मज़कूर पर या किसी दूसरी तारीख़पर जिसतक मुक़द्दमेकी समाअ़त मुल्तवीरक्खीगईहो यहदरियाफ़्तहो कि इत्तिलाअ़नामा बनाम रस्पांडंट इस वजहसे नहीं जारी कियागया कि अपीलांटने मीआ़द मुअ़य्यना अदालतके अन्दरइजरायइत्तिलाअ़नामाका ख़र्चामतलूबा दाख़िलनहींकिया तोअदालतकोयहहुक्मदेनाजायज़हैकिअपीलख़ारिजहो मगरशर्त्त यहहै कि बावजूदइसके कि इत्तिलाअ़नामा रस्पांडंट पर तामील न हुआहो ऐसा हुक्म उससूरतमें सादिर न होगा कि समाअ़त अपीलकेरोज़मुअ़य्यनपर रस्पांडंट असालतन् या वकालतन् या बज़रिये किसी एजंट मजाज़ हस्ब ज़ाबिते के हाज़िरहो॥

दफ़ा ५५८-अगरदफ़ा५५६--या दफ़ा ५५७के बमूजिब अपील डिसमिस हो अपीलांट मजाज़होगा कि वास्ते अदख़ालसानी अपीलके महकमै अपीलमें दरख़्वास्त गुज़राने और अगर साबितहो कि जबअपील वास्ते समाअ़तकेपेशहुआथा उसवक़्त हाज़िर होनेयाजो ख़र्चा कि हस्ब मरक़ूमै बाला मतलूब था उसकेदाख़िल करनेसे बवजहमवज्जह माज़ूरथा तोजायज़है किअदालत मज़कूर अदख़ालसानी अपीलका ऐसीशरायतपर दरबाबअदाय याअदमअदायख़र्चेके जोअदालत अपी-

लांट पर आयद करना मुनासिब जाने मंज़ूर करे ॥

दफ़ा ५५९—अगर अपीलकीसमाअतकेवक्तअदालतकोदरियाफ्तहो कि कोईशख्सजोउसअदालतमेंफ़रीक़मुक़द्दमाथाजिसकीडिकरीकी नाराज़ी से अपीलहुआ है लेकिनउस अपीलमेंफ़रीक़नहींकियागयाहैवहअपीलके नतीजेमें कुछगरज़रखताहै तो अदालतमजाज़होगी कि अपीलकी समाअतएकतारीख़ आयन्दापरमुल्तवीरक्खे जोअदालतकीरायसे मुक़र्ररहोगी और शख्समज़कूरके रस्पांडंट कियेजानेका हुक्म दे ॥

दफ़ा ५६०—जब बग़ैरहाज़िरी रस्पांडंट के अपीलयकतरफ़ा समाअतहो और फ़ैसलाख़िलाफ़मुरादउसकेसादिरकियाजायतो उसे जायज़है किअदालतअपीलमेंअपीलके अज़सरनौसमाअत कियेजानेकी दरख्वास्तकरे औरअगरअदालतकोमुतमय्यनकरदे कि इत्तिलानामा उसपरहस्बज़ाबिता जारीनहींहुआथा याकिवहबवजह काफ़ीबरवक्त समाअतअपील अदालतमें हाज़िरहोनेसे माज़ूरथा तोअदालतको जायज़हैकि अपीलकीअज़सरनौसमाअत ऐसीशरायतपरकरे जो दरबाबदिलानेख़र्चा यानादिलानेख़र्चाके रस्पांडंटपरआयदकरनी उसकीदानिश्तमें मुनासिब हो ॥

दफ़ा ५६१—गोकि रस्पांडंटने डिकरीके किसी जुज्वकी नाराज़ीसे अपील न किया हो ताहम उसको जायज़हैकि जबअपीलकी समाअतहो तो नसिर्फ़ताईदडिकरी किसी उज़्रपर मिन्जुमले उन उज़रातके करे जिनकी निस्बत तजवीज़ अदालतमातहतने उसके ख़िलाफ़कीहो बल्कि

निस्बत डिकरीके वहउज़्र जोकि बतौर अपील करसक्ता था पेशकरे बशर्त्ते कि उसने तारीख़मुक़र्ररह समाअ़त अपीलसे कमसेकम सातरोज़ पहले अपनेउज़्रकी इत्तिलाअ़ दाख़िल कीहो--

वहउज़्र बतौरनमूने याददाश्तकेहोगा और अह्काम दफ़ा५४१केजहांतक किवहयाददाश्तअपीलकेनमूनेऔरमज़मूनसेमुतअ़ल्लिक़हैं उसउज़्रसेभीमुतअ़ल्लिक़होंगे॥

दफ़ा ५६२--अगर उसअ़दालतनेजिसकी डिकरी का अपील हो नालिशको किसीअम्र इब्तिदाईपर इसतौर सेफ़ैसलकियाहोकि कोईशहादतवाक़िआतीजोअ़दालत अपीलकेनज़दीक फ़रीक़ैन के हुक़ूक़की तजवीज़केलिये ज़रूरीथी नलीगईहो औरडिकरीअम्रइब्तिदाई मज़कूर कीबिनापरअपीलमेंमन्सूख़होतोअ़दालतअपीलमजाज़ हैकिअगरमुनासिबसमझे हुक्मदे किमुक़द्दमामयनक़्ल हुक्म सीग़े अपीलकेइस हिदायतसेउसअ़दालतमेंभेजा जायजिसकीडिकरीकीनाराज़ीसे अपीलहुआकिमुक़द्दमे कोवाजिबनम्बरसाबिक़ रजिस्टरमें क़ायमकरे औरमुक़द्दमेकीतहक़ीक़ात हस्बउसकी रूयदादके अमलमेंलाये अ़दालत अपील को जायज़ है कि अगर मुनासिबजाने यह हिदायतकरे कि कौनसाअम्रयाकानसीउमूरतन्क़ीहीकी तजवीज़मुक़द्दमा वापिसशुदहमें कीजायगी॥

दफ़ा ५६३--जब कोईमुक़द्दमा इसहिदायतसे वापिस कियाजाय किशहादतमज़कूर जो नहींलीगईथी लीजाय तो जिसअ़दालतमें मुक़द्दमावापिसहो उसेलाज़िम है कि कोई और शहादत उस मुक़द्दमेमें न ले बजुज़ उसके जो

उसी ली हुई शहादत की तरदीद के लिये पेश हो ॥

दफ़ा ५६४—अदालतअपीलमजाज़ नहोगी कि किसी मुक़द्दमेकोदुबारातजवीज़करनेके लिये भेजेइल्लाबसूरत मुन्दर्जे दफ़ा ५६२ के ॥

दफ़ा ५६५—जबकि शहादत मौजूदह मिसल इसबात के वास्ते काफ़ीहोकि अदालतअपील फ़ैसलासादिरकर सकेतो अदालत अपील बाद अज़सरनौ क़रारदेने उमूर तन्क़ीहीके अगर ज़रूरीहों मुक़द्दमे की निस्बत तजवीज़ नातिक़सादिरकरेगीगो फ़ैसलाउसअदालतका जिसकी डिकरीकी नाराज़ीसे अपीलहुआहो बिल्कुल किसीऔर बुनियादपर बजुज़ उसके जिसपर कि अदालतअपीलने फ़ैसला कियाहो मब्नीहो ॥

दफ़ा ५६६—अगर उसअदालतने जिसकीडिकरी की नाराज़ीसे अपील हुआहो किसीऐसे अम्रकोतन्क़ीहत-लबक़रार न दियाहोया तस्फ़ियाउसका न कियाहो या तजवीज़ किसीऐसे अम्रवाक़ैकीन हो जोमहकमै अपील के नज़दीक़ वास्ते असदार फ़ैसलै मुनासिबनिस्बत रू-यदाद मुक़द्दमेके ज़रूरीहो और शहादत मौजूदा मिसल इसबातकेवास्तेकाफ़ी नहो किअदालत अपीलतस्फ़िया अम्रतन्क़ीह तलब या अम्रवाक़ैमज़कूरका करसके तो अदालत अपील मजाज़है कि उमूर तन्क़ीह तलबवास्ते तजवीज़के मुरत्तिबकरकेउनको उसअदालतमेंतज़वीज़ केलिये मुरसिलकरे जिसकीडिकरीकी नाराज़ीसे अपील हुआहो और ऐसीसूरतमेंउसअदालतकोशहादतज़ायद मतलूबा लेनेकी हिदायत करेगी ॥

और अदालत मज़कूर उमूर तन्क़ीह तलबकी तजवीज़ में मसरूफ़होगी औरउसकीनिस्बत अपनीतजवीज़मय शहादत मज़कूरके अदालतअपीलमें इरसालकरेगी ॥

दफ़ा ५६७—वहतजवीज़और शहादत मिसलमुक़द्दमे में शामिलकीजायगी और फ़रीक़ैनमेंसेहरएककोजायज़ हैकिमाबैन उसीमीआदके जोकिअदालतअपीलनेमुक़र्ररकीहो एक यादृदाश्त उज़रात की निस्बत तजवीज़ मज़कूरके दाख़िलकरे—

बादमुन्क़ज़ीहोने उसमीआदके जो ऐसी यादृदाश्त केदाख़िलकरनेकेलिये मुक़र्ररहो अदालतअपीलकोला-ज़िमहै कि अपीलकी तजवीज़के लिये कार्रवाईकरे ॥

दफ़ा ५६८—फ़रीक़ैनअपीलमजाज़नहोंगेकिअदालत अपीलमें शहादत जदीद ख्वाह ज़बानीहोख्वाह दस्ता-वेज़ी पेश करें लेकिन—

(अलिफ़) अगर उस अदालतनेजिसकी डिकरीकी नाराज़ीसे अपीलहुआहो ऐसी शहादतकेलेनेसे इन्कार कियाहो जोलेनी चाहियेथी या—

(बे)अगर अदालतअपीलवास्ते सादिरकरनेफ़ैसले या किसी और वजहमवज्जहसेगुज़रना किसीदस्तावेज़ का या लियाजानाइज़हारकिसीगवाहकाज़रूरसमझे—

तो अदालतअपील इसबातकी मजाज़होगी कि श-हादत मज़कूरके पेश करने या दस्तावेज़के लियेजानेया गवाहके इज़हार लिये जानेकी इजाज़तदे—

जबशहादतमज़ीदकोअदालतअपीलमंज़ूरकरेतोवज-हमंज़ूरीकीवहअदालतअपनीकार्रवाईमें क़लम्बंदकरेगी

दफ़ा ५६९—जबशहादत ज़ायदलेनेकी इजाज़तहोतो अदालतअपीलको अख्तियारहै किवहखुदशहादतमज़कूरले या उसअदालतकोजिसकीडिकरीकाअपीलहुआ हो याकिसीऔरअदालतमताहतकोहुक्मदेकिवहउसशहादतकोले औरजबलीजायतोअदालतअपीलमेंभेजदे।

दफ़ा ५७०—हरसूरतमें कि हुक्म या इजाज़त वास्ते अख़ज़शहादतजदीदके दीजाय अदालतअपीलतख़सीस उमूर शहादततलबकीकरेगी और उनउमूरमुस्तसःको अदालत अपनी कार्रवाईमें क़लम्बंदकरेगी॥

जिक्र फ़ैसले अपील॥

दफ़ा ५७१—अदालत अपीलको लाज़िमहै किबादसमाअतउज़रातफ़रीक़ैन याउनकेवुकलाके औरमुलाहिज़ा किसी जुज्व कार्रवाईके जोकि बसीग़ै अपील या उसअदालतमें हुईहो जिसकीडिकरीका अपीलकियागया और जिसका मुलाहिज़ा ज़रूरी मुतसव्विरहो अपना फ़ैसला सरइजलास उसीवक़्त या किसीतारीख़ माबादमेंजिसकी इत्तिलाअ फ़रीक़ैन या उनकेवुकलाकोदीजायेगीसुनाये॥

दफ़ा ५७२—फ़ैसलाबज़बानअंगरेज़ी तहरीरहोगा मगरशर्त्तयहहै कि अगर जजकीअसली ज़बान अंगरेज़ी न हो और वह फ़ैसला उसज़बानमें समझने के लायक़ न लिखसक्ताहो तो लाज़िमहै कि फ़ैसला उसकीअसली ज़बानमें लिखाजाय या अदालतकी ज़बानमें ॥

दफ़ा ५७३—जब फ़ैसलाउसज़बानमेंलिखाजाय जोअदालतकी ज़बाननहोतो अगरकोई फ़रीक़चाहेफ़ैसलेका तरजुमाज़बानमज़कूरमें होगाऔर बादइतमीनानसेहत

तर्जुमे के तर्जुमेपर दस्तख़त जज या उसओहदेदार के होंगे जिसे वह इसलिये मुक़र्ररकरे ॥

दफ़ा ५७४—अदालत अपीलके फ़ैसलेमें उमूरमुन्दर्जै ज़ैल मुन्दर्ज होने चाहियें ॥

(अलिफ़) उमूर तजवीज़ तलब—

(बे) तजवीज़ निस्बत उमूर तजवीज़ तलबके—

(जीम) वजूहात तजवीज़ और—

(दाल) जिसहालमें कि डिकरी अदालत मातहतकी अपीलमें मन्सूख़ या तरमीमकीजाय तो वहदादरसी जिसका कि अपीलांट मुस्तहक़है—

और जिसवक़् कि फ़ैसलासुनायाजाय उसपरतारीख़ और दस्तख़त जज या जजोंके जो उसमें मुत्तफ़िकुलराय हों सब्त होंगे ॥

दफ़ा ५७५—जब अपील दो या ज़ियादह जजोंके इजलासमें समाअत कियाजाय तो अपीलकीतजवीज़मुताबिक़ राय उनजजोंके या मुताबिक़ कसरतराय उनजजों के अगर कसरतरायहो सादिरकी जायगी—

अगर तजवीज़में कसरतरायका इत्तिफ़ाक़वास्ते तब्दीली या मंसूखी उसडिकरीके नहो जिसकी नाराज़ी से अपीलदायरहुआहोतो वह डिकरीबहालरक्खीजायेगी—

मगर शर्त्त यहहै कि अगर अपील उस अदालतके दो जजोंके इजलासमें समाअत कियाजाय जिसमें दोसे ज़ियादह जजहों और दोनों जजमज़कूरके दरमियान किसी अम्र क़ानूनकी बाबत इख़्तिलाफ़ रायहो तो जायज़ है कि अपील अदालत मज़कूरके और जजोंमेंसे एक या

ज़ियादह जजोंकेपास भेजाजाय और फ़ैसला अपीलका मुताबिक़ कसरतराय उनसब जजोंके होगा (अगरकसरतरायहो) जिन्होंने अपीलकी समाअतकीहो मयउन दो जजोंके जिन्होंने उसकी समाअत पहलेकी थी—

जबफ़ैसलेमें कसरत रायका इत्तिफ़ाक़ वास्तेतब्दीली या मन्सूख़ी उस डिकरीके नहो जिसकी नाराज़ीसेअपील दायर हुआहो तो डिकरी बहाल रक्खीजायेगी—

हाईकोर्टको अख्तियारहै किहस्बमुराददफ़ाहाज़ामुक़द्दमातको इजलासमेंभेजनेके इन्तिज़ामकेलियेवक़्तन् फ़वक़्तन् ऐसेक़वाअदमुरत्तिबकरेजोइसमजमूयेकेमुताबिक़हों

दफ़ा ५७६—जब अपीलकी समाअत एकसे ज़ियादह जजोंके जलसेमेंहो तोवह जज जो अदालतकेफ़ैसलेपर इत्तिफ़ाक़ न करे तजवीज़ या हुक्म जो बदानिस्त उसकी अपीलमें सादिरहोनाचाहियेक़लम्बंद करेगा औरमजाज़ होगा कि उसकी वजूहातलिखे॥

दफ़ा ५७७—जायज़है कि फ़ैसला वास्ते बहाली या तब्दीली या तन्सीख़ उस डिकरीके हो जिसका अपील कियागयाहो या जिसहालमें कि फ़रीक़ैन अपील इसअम्र पर इत्तिफ़ाक़ करें कि डिकरी अपीलकी किस तौरपर होनी चाहिये या क्या हुक्म बसीग़ैअपील सादिर होना चाहिये तो अदालत अपील उसीके मुताबिक़ डिकरी या हुक्म सादिर करेगी॥

दफ़ा ५७८—कोईडिकरी इसवजहसेमन्सूख़यानफ़्सुल्अम्रमें बदल न जायगी और न कोई मुक़द्दमा बसीग़ै अपील इस जेहतसे बाज़ बनंबर वापिस कियाजायगा कि

तजवीज़में या किसीहुक्ममें जो मुक़द्दमे की निस्बत सादिर हुआहो या और नेहजसे कोई खता या सुक्मया बेज़ाब्तगी पाईजाय कि जो रूयदाद मुक़द्दमा या हद्द अख़्तियार अदालतको मुख़िल न हो॥

डिकरी बसीगै अपील॥

दफ़ा ५७९—अदालत अपीलकीडिकरीमें तारीख़सुनाये जाने फ़ैसलेके लिखीजायगी—

डिकरीमेंनम्बर अपीलका औरयाददाश्त अपील और नाम व निशान वग़ैरह अपीलांट और रस्पांडंटका मुंदर्ज होगा और इसमें ज़िक्र दादरसी या दीगर तजवीज़का जो सीगै अपीलसे हुईहो बसराहत लिखा जायगा—

नीज़ डिकरीमें तज़किरह तादाद ख़र्चा अपील औरयहकि किस किस फ़रीक़के ज़िम्मे और किसहिसाबसे ख़र्चा अपील औरख़र्चानालिशका आयदहोनाचाहिये दर्जहोगा—

और डिकरीपर जज या साहबान जजसादिरकुनिन्दा डिकरीके दस्तख़त सब्तहोंगे और तारीख़ मरक़ूम होगी-

मगर शर्त यहहै कि अगर कई जजहों और उनमें इख़्तिलाफ़रायहो तो उस जजको जो फ़ैसले अदालत से इख़्तिलाफ़राय रखताहो डिकरी पर दस्तख़त करने ज़रूर न होंगे॥

दफ़ा ५८०—फ़ैसला और डिकरी अपीलकी नक़ूल मसाहिबै फ़रीक़ैनकीतरफ़से अदालतमें दरख्वास्तगुज़रने पर उनकेतरफ़से फ़रीक़ैनको दीजायँगी॥

दफ़ा ५८१—नक़ल फ़ैसला और डिकरीकीबाद तसदीक़ अदालत अपील या उस ओहदेदारके जिसको अदा-

लत अपील उसकामके लिये मुक़र्ररकरे उसअदालतमें मुरसिलहोगीजहांसेपहलेडिकरीनिस्बतउसमुक़द्दमेकेसादिरहुई हो जिसका अपीलहुआ और असलकाग़ज़ातमुक़द्दमेके साथशामिलकीजायगी और फ़ैसलाअदालतअपीलकामुक़द्दमातदीवानीकेरजिस्टरमेंदर्जकियाजायगा॥

दफ़ा ५८२–अदालतअपीलको मुक़द्दमात अपीलमुतअल्लिक़ैबाबहाज़ामें वहीअख़्तियारात हासिलहोंगे और हत्तुलमक़दूर वही ख़िदमात अंजाम देनीपड़ेगी जो इस मजमूयेकी रूसे अदालतहायसमाअत इब्तिदाईकोउन मुक़द्दमात में हासिलहैं जोबाब पंजुमकेमुताबिक़ रुजूअ हों और बाब २१ में हतुलइमकान अल्फ़ाज़ मुद्दई और मुद्दआअलेह और मुक़द्दमामें अपीलांट और रस्पांडंट और अपील अलीउलतरतीबबाबतउनकार्रवाइयोंकेशामिलसमझेजायँगे जो ब वजहवफ़ात या अज़्दवाजया नादारी फ़रीक़ैन किसीअपील के ज़हूर पिज़ीरहों–

जो अहकाम कि मजमूयेहाज़ामें क़ब्लअज़ीं मुंदर्ज हैं अपीलोंसेभी मुतअल्लिक़होंगेजहांतक कि मुमकिनहो जोकि मुताबिक़ बाबहाज़ा रुजूअ कियेजायँ ॥

दफ़ा ५८३– जोफ़रीक़ कि मुस्तहक़ किसी फ़ायदेका (बवजह बाज़याफ़्त या और तरहसे) बमूजिब डिकरी अपील मुसादिरै हस्ब बाबहाज़ाकेहो अगर वहचाहे कि उसका इजराकराये तो उसे लाज़िमहै किउसीअदालत में दरख़्वास्त करे जिसकी डिकरीका अपील पेशकिया गयाथा और उस अदालतको लाज़िमहै कि डिकरीसीग़ै अपीलका इजरायउसीतौरपर और मुताबिक़ उन्हींक़वा-

अद्केकरे जो डिकरी नालिशात मुराफ़ेऊलाके इजरायके लियेकब्लअर्ज़ी मजमूये हाज़ामें बयान किये गये हैं ॥

बयालीसवां बाब ॥

अपीलबनाराज़ीडिकरी अदालतअपीलके ॥

दफ़ा ५८४–बजुज़ उस सूरत के कि मजमूये हाज़ा या किसी औरक़ानून में दूसरी नेहज का हुक्म हो तमाम डिकरियां जो बसीगे अपील किसीअदालत मातहतहाई-कोर्टसे सादिरहोंउनकाअपीलअदालतुल्आलियाहाई-कोर्टमेंवजूह मुन्दर्जेज़ैलसे किसीवजहपरहोसक्ताहै याने-

(अलिफ़) यह कि तजवीज़बरख़िलाफ़ किसी फ़लां क़ानून या ऐसे रिवाजकेहै जोहुक्मक़ानूनकारखताहै-

(बे)यहकि तजवीज़में तास्फ़िया फ़लांज़रूरी अम्रत-न्कीहतलब मुतअल्लिक़ क़ानून या रिवाजका जो हुक्म क़ानूनका रखताहै नहींहुआ-

(जीम) यहकि शायद ग़ल्ती अजीमयाहुक्मज़ाबिता महकूमा मजमूये हाज़ा या किसी और क़ानूनका वाक़ै हुआ जिसके सबबसे ग़लतीया हुक्ममुक़द्दमेकी तजवीज़ रूयदादी में पैदाहुआ हो ॥

दफ़ा ५८५– कोई अपीलसानी बजुज़ उनवजूहके जो कि दफ़ा ५८४ में मज़कूरहुई किसी और वजहकीबिना पर रुजूअ न होगा ॥

दफ़ा ५८६–किसीमुक़द्दमाअज़ाक़िस्मक़ाबिलसमाअत अदालत हाय मतालिबा ख़फ़ीफ़ामेंअपीलसानी नहोगा जबतादाद या मालियत शै मुद्दआबहाकीजिसकीबाबत असलनालिशरुजूअहुईहो पांचसौरुपयेसे ज़ियादहनहो

दफ़ा ५८७—अहकाममुन्दर्जेबाब ४१ जहांतक मुमकिनहो उन अपीलोंसे भी मुतअल्लिक़होंगे जोइसबाबके मुताबिक़ दाख़िलहों और उनडिकरियोंके इजरायसे मुतअल्लिक़ होंगे जोउन अपीलोंमें सादिरहों ॥

तेंतालीसवांबाब ॥

अपील बनाराज़ी अहकाम ॥

दफ़ा ५८८—जो अहकाम इस मजमूयेके मुवाफ़िक़सादिरहों उनमेंसे नीचेलिखेहुये अहकामका अपीलहोगा और और का न होगा ॥

(१) अहकाम हस्बदफ़ा २० मुशअर मौक़ूफ़ रखने कार्रवाई मुक़द्दमेके ॥

(२) अहकामबमूजिब दफ़ा ३२ मुशअर ख़ारिज या शामिलकरने नाम किसी शख़्सके मुद्दई या मुद्दआअलेहुमके ज़िमरे में ख़्वाह ज़िमरेसे ॥

(३) अहकाम हस्बदफ़ा ३६ या दफ़ा ६६ मुशअर इसके कि कोईफ़रीक़ असालतन् हाज़िरहो ॥

(४) अहकामबमूजिबदफ़ा ४४ मुशअर इज़ाफ़ाकरने विनायदावेके ॥

(५) अहकाम बमूजिब दफ़ा४७ मुशअर ख़ारिजकरने किसी बिनाय दावेके ॥

(६) अहकाममुशअरवापिसीअरज़ीदावाबग़रज़तरमीमयाबग़रज़पेशकियेजानेकेरूबरूअदालतमजाज़के॥

(७) अहकाम बमूजिब दफ़ा १११ मुशअर इसकेकि एकफ़रीक़ का क़र्ज़ादूसरे फ़रीक़के क़र्ज़ेमें मुजरा दिया जाय या न दियाजाय ॥

(८) अहकाम मुतज़म्मिननामंज़ूरी दरख़्वास्त हस्ब दफ़ा १०३ (बमुक़द्दमातलायक़अपील) बग़रज़ हुसूलहुक्ममन्सूख़ी डिसमिसी मुक़द्दमह ॥

(९) अहकाम मुशअर ना मंज़ूरी सवालात हस्ब दफ़ा १०८ बदरख़्वास्त सादिर होने हुक्म मुतज़म्मिन मन्सूख़ी डिकरी यकतरफ़ा ॥

(१०) अहकामहस्बदफ़आत ११३ व १२० व १७७॥

(११) अहकामहस्बदफ़ा ११६ या दफ़ा २४५ मुशअर नामंज़ूरी या तरमीमके लिये वापिसकरने बयानात तहरीरी यादरख़्वास्तहाय इजराय डिकरी के ॥

(१२) अहकामहस्बदफ़आत १४३ व १४५ मुशअर हिदायत ज़ब्त करने किसी शै के ॥

(१३) अहकामहस्बदफ़ा १६२ मुशअरकुर्क़ीवनीलाम जायदाद मन्कूला ।

(१४) अहकामहस्बदफ़ा १६८ बाबतकुर्क़ी जायदाद और अहकामहस्बदफ़ा १७० बाबतनीलामजायदादमकरूका॥

(१५) अहकाम हस्बदफ़ा २६१ मुतअल्लिकै एतराज़ निस्बतलिखने मसौदे इन्तकालनामायाइबारतफ़रोख़्तके

(१६) अहकाम हस्बदफ़ा २९४ वफ़िक़रै अव्वलदफ़ा ३१२ या दफ़ा ३१३ मुशअर बहाली या इस्तरदाद या इन्कार या इस्तरदाद नीलाम जायदाद वग़ैर मन्कूला ॥

(१७) अहकाममुतअल्लिकै इंसालोयंसी हस्बदफ़आत ३५१ या ३५२ या ३५३ या ३५७॥

(१८) अहकामहस्बदफ़ा ३६६ वफ़िक़रै दोमदफ़ा ३६७ या दफ़ा ३६८ ॥

(१९) अहकाममशऋरनामंजूरी दरख्वास्तहस्ब दफ़ा ३७० बइस्तदुआय डिसमिसदावा ॥

(२०) अहकामहस्बदफ़ा ३७१ मुशऋरइन्कारमन्सूखी अस्क़ात या डिसमिसी मुक़द्दमह ॥

(२१) अहकाममुशऋरनामंज़ूरीउज़रातहस्बदफ़ा३७२॥

(२२) अहकामहस्बदफ़ऋात ४५४या ४५५या ४५८ शऋर इसहिदायतके किफ़रीक़ मुक़द्दमेका रफ़ीक़याव ो ख़र्चा अदाकरे ॥

(२३) अहकाम मुतऋल्लिक़ नालिशात अमीन बमुराद तस्फ़िये बैनुल्मुतनाज़ऋैन हस्ब ज़िम्नहाय (आलिफ़) या (बे) या (दाल) दफ़ा४७३ या दफ़ा ४७५ या दफ़ा ४७६ ॥

(२४) अहकामहस्बदफ़ऋात४७९या४८०या४८५या ४९२ या ४९३ या ४९६ या ४९७ या ५०२ या ५०३ ॥

(२५) अहकामहस्बदफ़ा५१४दरबाबफ़िस्ख़सालसी॥

(२६) अहकाम बमूजिब दफ़ा५१८ मुशऋर तरमीम फ़ैसले सालसी ॥

(२७) अहकामनामंज़ूरी हस्बदफ़ा ५५८ बाबत फिर मंज़ूर करने या हस्बदफ़ा ५६० बाबत फिर समाऋत करने अपील के ॥

(२८) अहकाम हस्बदफ़ा५६२ मुशऋर बाज़ बनंबर भेजने मुक़द्दमेके ॥

(२९) अहकामहस्बशराऋतमजमूयेहाज़ामुशऋरआय-दकरने जुर्माना या बाबत गिरफ्तारी या क़ैद किसी शख़्स केबजुज़उससूरतके किवह क़ैदसीगैइजरायडिक्रीसेहो ॥

जो अहकाम इसदफ़ाके बमूजिब सीग़ेअपीलसे सादिरहों वह नातिक़ होंगे ॥

दफ़ा ५८९–अपीलबनाराज़ी किसीहुक्ममुसर्रहःदफ़ा ५८८ ज़िम्न १५ व १६ व १७के हाईकोर्ट में दाख़िल होनेके लायक़ होगा–

जब कि अपील किसी और हुक्मका इसबाबकी रूसे जायज़ हो तोवह अपील उस अदालत में सुनाजायगा जिसमें अपील बनाराज़ी डिकरी मुसद्दिरै उसमुक़द्दमेके ‍ुनाजाता जिस मुक़द्दमेकी बाबत वहहुक्म सादिर हुआ या जबकि ऐसाहुक्म किसी ऐसीअदालतने(जोअदालतहाईकोर्टनहींहै)बतामील अख्तियार समाअतअपीलके सादिर कियाहो तो अदालत हाईकोर्टमें होगा ॥

दफ़ा ५९०–ज़ाबिता काररवाई जो बाब ४१ की रूसे मुक़र्ररहुआहै जहांतकमुमकिनहो उनअहकामके अपीलों से मुतअल्लिक़ होगा जोइसमजमूयेकी रूसे या अज़रूय किसीक़ानून मुख्तसुल्अम्र या मुख्तसुल्मुक़ामके जिसमेंकोईऔर ज़ाबिता मुक़र्रर नहुआहो सादिरकियेजायें॥

दफ़ा ५९१–बजुज़उसके किबाबहाज़ामें लिखागया है कोई अपील बनाराज़ी ऐसेहुक्मके मसमूअ न होगा जो किसी अदालतने बतामील अपने अख्तियार समाअत इब्तिदाई या अपीलके सादिरकियाहो लेकिन जिसहाल मेंकिडिकरीकाअपीलहोतोजायज़है किजोग़ल्ती याहुक्म या बेज़ाब्तगी किसीहुक्म मज़कूरकी ऐसीहो कि मुक़द्दमे की तजवीज़पर मुवस्सरहो वहयाददाश्तअपीलमें बतौर एक वजह नाराज़ीके बयान कीजाय ॥

चवालीसवां बाब ॥

अपील मुफ़लिसाना ॥

दफ़ा ५९२—जो शख़्स कि हस्ब मजमूयेहाज़ [illegible] मूजिबमुस्तहक़ रुजूअ अपीलकाहोऔर रसूममुअय्यनासवाल अपील न अदाकरसक्काहोजायज़ है कि [illegible] अपीलके उसको अपील मुफ़लिसानह की इजाज़तबपाबंदी क़वायदमुन्दर्जै बाब २६ व ४१ व ४२ व ४३ जहां तक कि वह क़वायद उससे मुतअल्लिक़ हों दीजाय—

परशर्त्तयहहै कि वक़्मुलाहिज़ादरख़्वास्त मुफ़लिसी और फ़ैसला और डिकरीके जिसकी नाराज़ीसे अपील हो अगर अदालतको किसीवजहसे यक़ीन इसबातकान हो कि डिकरी अपीलशुदह ख़िलाफ़क़ानून सादिरहुईहै या ख़िलाफ़ किसीरिवाजकेहै जोहुक्म क़ानूनका रखताहै या और नेहजपर ग़लत या ख़िलाफ़ इन्साफ़है तोअदालतको लाज़िमहै कि दरख़्वास्तको नामंज़ूर करे ॥

दफ़ा ५९३—जायज़है कि तहक़ीक़ात मुफ़लिसीसायल की अदालत अपीलख़ुदकरे याबहुक्म अदालतअपील वहअदालतकरेजिसकीतजवीज़कीनाराज़ीसेअपीलहो-

परशर्त्तयहहै कि अगरसायलकोउसअदालतमेंजिस की डिकरीकी नाराज़ीसे अपीलहो नालिश या अपील मुफ़लिसाना की इजाज़त हुईथी तो उसकी मुफ़लिसी की बाबत फिर तहक़ीक़ातकरने की ज़रूरत न होगी इल्लाउससूरतमें कि अदालतअपीलके कोईवजहख़ास तहक़ीक़ातकी हिदायत करनेकी नज़र

पैंतालीसवां बाब ॥

अपील बहुजूरमलकामुअज्ज़िमा इजलास कौंसल ॥

दफ़ा५९४—बाबहाज़ामें लफ्ज़डिकरीकेअन्दरफ़ैसलाऔ-रहुक्मभी दाख़िलहै इल्लाउसहालमें कि यहमफ़हूमउस के किसीमज़मून या

दफ़ा ५९५—बपाबंदी उनक़वायदके जो वक़्तन्फ़वक़्तन् हुज़ूरमलकामुअज्ज़िमासे

पील अदालतहाय ब्रिटिशइण्डियाके मुन्ज़बितहों और नीज़ बपाबंदी उनअहकामके जोबादअज़ाँ मुन्दर्ज हैं—

अपील बहुज़ूरमलकामुअज्ज़िमा बइजलास कौंसल बनाराज़ीडिकरीहाय मुफ़स्सिलेज़ैल रुजूअ होगा—

(अलिफ़) बनाराज़ीहरडिकरीअख़ीरकेजोबसीगे अपील अदालतुल्आलियाहाईकोर्टयाऔरऐसीअदालतसेसा-दिरहोजिसेअख़्तियारअख़ीरअपीलकीसमाअतका है—

(बे)बनाराज़ीहरडिकरी अख़ीरके जोअदालतुल्आ-लिया हाईकोर्टसे बतामील अख़्तियार समाअत इब्ति-दाई सीगे दीवानीके सादिरहो और—

(जीम) बनाराज़ी हरडिकरीकेउसहालमें कि मुक़द्दमा जैसा कि बादअज़ींबयान कियागयाहै उसनौकाक़रार दियाजाय कि उसकाअपील लायक़समाअत हुज़ूरमल-कामुअज्ज़िमा बइजलास कौंसलहै ॥

दफ़ा ५९६—हरसूरतमुतज़क्किरेज़िम्न (अलिफ़)व(बे) दफ़ा ५९५ में ज़रूरहै कि—

तादादयामालियतशैमुतनाज़ाफ़ीहाकिबमुक़द्दमेमरजू-आअदालतमुराफ़ेऊलादशहज़ार रुपयेयाउससेज़ियाद-

हहोऔर तादादयामालियतशैमुतनाज़ाफ़ीहकी उसअ-
पीलमेंजोबहुज़ूरमलकामुअज़्ज़िमाबइजलासकौंसलरुजू
अकियाजाय बतादादमज़कूर या उससे ज़ियादह हो-
या डिकरी सराहतन् या और नेहजसे मुतज़म्मिन
किसीदावे या बहसमुतअल्लिक़े या बाबतजायदादउसी
तादाद या मालियतके हो-

और जिसहालमें कि डिकरीअपीलशुदह मुतज़म्मिन
बहाली तजवीज़ उसअदालतकेहो जो खासमातहतअ-
दालत सादिरकुनिन्दे डिकरीमज़कूरकेहै तो ज़रूर है कि
अपीलमुतज़म्मिनकिसीबहसअम्रअहकामक़ानूनीकेहो।

दफ़ा ५९७-बावजूदकिसीइबारतमुन्दर्जादफ़ा ५९५ के-
कोईअपील बहुज़ूरमलकामुअज़्ज़िमा इजलासकौंसल
ऐसेफ़ैसलेकी नाराज़ीसे न होगा जो अदालत हाईकोर्ट
मुक़र्ररह हस्बऐक्ट सन् २४ व २५ जलूस मलकामुअ-
ज़्ज़िमाविक्टोरिया या बाब १०४के एकजजकी तजवीज़
से या किसीडिवीज़नकोर्टकेएकजजकीतजवीज़से सादिर
हुआहो या अदालत हाईकोर्टके दो याकईजजोंकी तज-
वीज़से या ऐसेडिवीज़नकोर्टकी तजवीज़सेसादिरहुआहो
जो हाईकोर्टके दो या कई जजों से मौजूअहो और वह
जज बाहम बतादाद मसावी मुख्तलिफ़ुल्राय हों और
इतने न हों कि मिन्जुमले कुलहाकिमान वक़्त अदालत
हाईकोर्ट के कसरत उनकी तरफ़ हो-

और न कोई अपील बहुज़ूर मलकामुअज़्ज़िमा इ-
जलासकौंसल ऐसी डिकरी की नाराज़ी से रुजूअहोगा
जो हस्ब दफ़ा ५८६ के क़तई हो॥

दफ़ा५९८-जोशख्सहस्बबाबहाज़ाबहुज़ूरमलकामुअ़ज्ज़िमाइजलासकौंसलअपीलकियाचाहेउसेलाज़िमहैकिजिसअदालतकीडिकरीकाअपलिकरेउसमेंसवालगुज़राने॥

दफ़ा५९९-चाहिये कि सवालमज़कूर उमूमन् डिकरी मज़कूरकी तारीख़सेछःमहीनेकेअन्दर गुज़रानाजाय-

लेकिन जिसहालमें कि बअय्याम तातील अदालत मज़कूर छःमहीनेकी मीआदगुज़रजाय तो सवालबरोज़ इफ्तिताह अदालत दाख़िल होसक्ताहै॥

दफ़ा६००-हरसवालमेंजोहस्बदफ़ा५९८गुज़रे मूजिबातअपीलऔरयहदरख्वास्तदर्जहोनीचाहिये किसार्टीफ़िकट इसमज़मून कामरहमतहो कि मुक़द्दमाबलिहाज़ तादादयामालियत औरनवअय्यतकेहस्बशरायत मुंदर्जे दफ़ा ५९६हैयाऔरनेहजसेलायक़इसकेहैकिअपीलउसकाबहुज़ूरजनाबमलकामुअ़ज्ज़िमाइजलासकौंसलहो-

जब ऐसा सवाल पहुँचेतो अदालत को जायज़हैकि फ़रीक़सानीपर इत्तिलानामेकी तामील होने का हुक्म बईमुराद सादिरकरे कि वहफ़रीक़ सार्टीफ़िकटके नमरहमत होनेकी अगर कोईवजहरखताहोतो पेशकरे॥

दफ़ा६०१-अगर ऐसे सार्टीफ़िकट के देने से इन्कार कियाजाय तो वह सवालख़ारिज़होगा-

मगरशर्त्तयहहै कि अगरवह डिकरी जिसका अपील करनामंज़ूर हो सिवायअदालत हाईकोर्टके किसी और अदालत की डिकरी क़तई होतो हुक्म नामंज़ूरी अताय सार्टीफ़िकटका अपील उसहुक्मकी तारीख़से ३० दिनके अन्दर अदालतुल्आलिया हाईकोर्ट में जिसकी अदा-

लत साबिक़ुज़्ज़िक्र मातहतहो मसमूअ़ हो सक्ताहै ॥

दफ़ा ६०२—दरसूरत अ़ताहोने सार्टीफ़िकटके सायल को लाज़िमहै कि जिसडिकरीका अपीलहो उसकीतारीख़से छः महीनेके अन्दर या सार्टीफ़िकटके अ़ताहोने की तारीख़से छः हफ़्तेके अन्दर याने इनदोनों मीआ़दों मेंसे जो पीछे गुज़रे उसके अन्दर—

(अलिफ़) ख़र्चा ररपांडंटकी ज़मानत दाख़िल करे—

(बे) उसक़दर रुपयादाख़िलकरे जो कि बजुज़कागज़ातमुफ़स्सिलेज़ैलके मुक़द्दमेकी कुलमिसलकेतर्जुमा और नक़ल और तरतीब फ़ेहरिस्त और बहुज़ूरजनाब मलकामुअ़ज़्ज़िमा इजलास कौंसल एकसहीनक़लके भेजनेके सरफ़के वास्ते ज़रूरीहो—

१—ज़ाबितेके कागज़ात जिनके ख़ारिजकरनेकीहिदायत अज़रूयकिसीहुक्म नाफ़िज़ैवक़्मुसद्दिरै जनाबमलका मुअ़ज़्ज़िमा इजलास कौंसलके हुईहो—

२—कागज़ात जिनके ख़ारिजकरनेके लिये फ़रीक़ैन इत्तिफ़ाक़करें

३—हिसाबात या हिसाबातकेहिस्से जिनकोवह ओहदेदार जिसेअ़दालतने इसबाबमेंअख़्तियारदियाहो ग़ैरज़रूरी तसव्वुरकरे और जिनकेशामिलकरनेकेलियेअहाली मुक़द्दमेने बिलख़सूस दरख़्वास्त न कीहो और—

४—वहदीगर कागज़ात जिनके ख़ारिजकरनेका अ़दालतुलआ़लिया हाईकोर्ट हुक्मदे—

और जबकिसायलमिस[illegible] [illegible]ग़ज़ातमुतज़क्किरै बालाके हिन्दुस्तानमें छपवाना पसन्दकरेतो

उसको लाज़िम है कि उसी मीआद के अन्दर जो दफ़ा हाज़ा की ज़िम्न अव्वल में मरक़ूम है उस नक़्ल के छापने के सर्फ़ के लिये जिस क़दर रुपया कि मतलूब हो दाख़िल करे॥

दफ़ा ६०३—जब ज़मानत मज़कूर और दाख़िला रुपये का हस्बइतमीनान अदालत तकमील पा चुके तो अदालत को जायज़ है कि—

(अलिफ़) अपील का मंज़ूर होना ज़ाहिर करे और—

(बे) उसकी इत्तिला अररुपांडंट को पहुँचाये और बाद अज़ां—

(जीम) जनाब मलका मुअज़्ज़िमा इजलास कौंसल के हुज़ूर एक नक़्ल सही मिसल मज़कूर की बजुज़ कागज़ात मुतज़क्किरे बाला के बमोहर अदालत बन्द करके इरसाल करे॥

(दाल) मुक़द्दमे के किसी कागज़ात की एक या कई नक़्ल मुसद्दिक़ किसी फ़रीक़ को जो उसकी दरख़्वास्त करके वह इख़राजात मुनासिब जो उसकी तय्यारी में आयद हुये हों अदा करदे हवाले करे॥

दफ़ा ६०४—अपील की मंज़ूरी से पहिले किसी वक़्त अदालत को जायज़ है कि अगर वजह ज़ाहिर की जाय तो उस ज़मानत की मंज़ूरी को मन्सूख़ करदे और इस बाब में हिदायात मज़ीद सादिर करे॥

दफ़ा ६०५—अगर किसी वक़्त बाद मंज़ूरी अपील के लेकिन मिसल की नक़्ल को सिवाय कागज़ात मज़कूर के बहुज़ूर मलका मुअज़्ज़िमा इजलास कौंसल इरसाल करने से पहिले ज़मानत मज़कूर ग़ैर मुक्तफ़ी मालूम हो—

या मिसल को सिवाय कागज़ात मज़कूरे बाला के तरजुमा करने या नक़्ल करने या छापने या उसकी फ़ेहरिस्त

मुरत्तिबकरने या उसकीनक़ल इरसालकरनेके लियेज़्रि-यादह रुपया मतलूबहो—

तो अदालत को बनाम अपीलांट यह हुक्म सादिर करना जायज़है कि वह उस मीआद के अन्दर जो कि अदालत मुक़र्रर करे दूसरी ज़मानत काफ़ी गुज़रानेया उसीक़द्र मीआदके अन्दर ज़रमतलूबा दाख़िलकरे॥

दफ़ा६०६—अगर अपीलांट उसहुक्मकी तामील में क़ुसूरकरे तो कारवाई मौक़ूफ़ कीजायगी—

और बग़ैर इसके किइसबाबमें हुक्म जनाब मल्का-मुअज़्ज़मा इजलास कौंसल का सादिरहो अपीलकी काररवाई आगे न चलेगी॥

और उसअरसेमें इजरायउस डिकरीका जिसकाअ-पील कियागया हो मुल्तवी न रहेगा॥

दफ़ा६०७—जब कि मिसलकी नक़लबजुज़ काग़ज़ात मुतज़क्किरैबालाके बहुज़ूर जनाबमलकामुअज़्ज़माइज-लास कौंसल मुरसिलहोचुके और उसरुपयेमेंसे जो कि अपीलांट ने हस्ब दफ़ा ६०२ दाख़िलाकिया हो कुछ रुपया फ़ाज़िलरहे तो वहउसको वापिस पासक्ता है॥

दफ़ा६०८—बावजूदे कि बाबहाज्ञाके बमूजिब कोईअ-पील मंज़ूरहो इजरायउसडिकरीका जिसका अपील हो बग़ैर किसी शर्त्तके अमलमें आयेगा—

इल्लाउस हालमें कि अदालत मंज़ूरकुनिन्दहअपील और नेहज की हिदायत करे—

लेकिन अगर अदालतमुनासिबजानेतो किसी वजह ख़ाससे जो किसी ऐसे फ़रीक़कीतरफ़सेज़ाहिरकीजायजो

हो या जो और नेहजपर अदालतको मालूमहो उसे जायज़है कि—

(अलिफ़) किसीजायदादमन्कूला मुतनाज़ाफ़ीह या उसकेकिसी जुज्वको ज़ब्तरक्खे या

(बे) रस्पांडंटसे ऐसी ज़मानतलेकरजोकि अदालत के नज़दीक वास्तेतामील क़रारवाक़ई उसहुक्मके मुनासिबहो जोकि जनाबमलकामुअज़्ज़मा इजलास कौंसल के हुज़ूरसे बसीगे अपीलसादिर होउसडिकरीके इजरायकी इजाज़तदे जिसका अपीलहो या——

(जीम) अपीलांटसेऐसीज़मानतलेकरजोकिअदालत केनज़दीक वास्ते तामील क़रारवाक़ई उसडिकरीकेमुनासिबहो जिसकाअपील जनाबमलकामुअज़्ज़मा इजलास कौंसलके हुज़ूरहो या वास्ते तामील उस हुक्मके जोकि जनाब ममदूहा बसीगेअपील सादिर करें उस डिकरीका इजरा मुल्तवी रक्खे जिसका अपीलहो——

(दाल) जो फ़रीक़ कि अदालतकी मददचाहै उसको निस्बतशैमुतनाज़ाफ़ियाअपीलकेऐसीशरायतकापाबन्द करे या निस्बत शैमज़कूर ऐसी और नेहजकी हिदायत सादिरकरे जो उसके नज़दीक मुनासिबहो ॥

दफ़ा ६०९—अगर दरअस्नाय दौरान अपीलकिसी वक़्त वह ज़मानत जो किसी फ़रीक़ने दाख़िलकीहो गैरमुक्तफ़ी मालूमपड़े तो अदालतको जायज़है कि दूसरे फ़रीक़की दरख्वास्तपर ज़मानत मज़ीद तलबकरे ॥

दरसूरत न दाख़िलहोने ज़मानतमज़ीदकेजोकिअदालततलबकरे अदालतको अख्तियारहै कि अगर अपी-

लांट ने असलज़मानत दाख़िलकी हो तो रस्पांडंटकी दरख़्वास्तपर डिकरी अपीलशुदह के इजराका हुक्म उसीतरह सादिरकरे कि गोया अपीलांटने कोई ज़मानत दाख़िल नहीं कीथी—

और अगर असलज़मानत रस्पांडंटने दाख़िलकीहो तो अदालतकोलाज़िमहै कि जहांतक मुमकिनहो डिकरी का तमाम इजराय मज़ीद मुल्तवीरक्खे और फ़रीक़ैनको फिर उसी हालतपर लेआये जो उस ज़मानत ग़ैरमुक्तफ़ी के देनेकेवक़्त उनदोनोंकीथी या निस्बत शैमुतनाज़ाफ़ीह अपीलके ऐसी हिदायत सादिरकरे जो उसकी दानिस्त में मुनासिब हो ॥

दफ़ा ६१०—जोशख़्सकिसीहुक्ममुसद्दिरेजनाबमलका-मुअज़्ज़िमाइजलासकौंसलका इजराया उसकी तामील कराना चाहे उसेलाज़िमहै किसवाल मयनक़ल मुसद्दिक़ उसडिकरी या हुक्मके जोकि अपीलमें सादिरहुआहो और जिसका इजराया तामीलकराना मतलूबहो उसी अदालतमें गुज़राने जिसके हुक्मकी नाराज़ीसे अपील बहुज़ूर मलकामुअज़्ज़िमा पेशकियागयाहो—

उस अदालतको लाज़िमहै कि हुक्म मुसद्दिरे जनाब-मलकामुअज़्ज़िमाको उसअदालतमेंभेजदे जिसनेकिप-हिलीडिकरीअपीलशुदहसादिरकीहोयाऔरकिसीअदा-लतमेंभेजे जिसकीहिदायत हुज़ूर मलकामुअज़्ज़िमा से बज़रिये उसीहुक्मके हुईहो और (फ़रीक़ैन मेंसे किसीकी दरख़्वास्तपर) ऐसी हिदायतें सादिरकरे जोकि उसके इजरा या तामीलके वास्ते ज़रूरीहों और जिस अदालत

में कि वह हुक्म इसतौरपर भेजाजाय वह उसका इजरा-
या तामील उसीके मुताबिक़ उस तरीक़से और बमूजिब
उन क़वायदके करे जोकि उसकी इब्तिदाई डिकरियोंके
इजरासे मुतअल्लिक़हों—

जब किसी ऐसे हुक्मकी रूसे कोई ज़रनक़द जिसके
दिलानेकेलिये उसमें सिक्कामुरव्विजा इँगलिस्तान लिखा
गया हो या हिन्दुस्तान में वाजिबुल्अदाहो तो ज़रनक़द
मज़कूरका हिसाब बमूजिब उस निर्ख़ मुस्तामिलवक्त के
कियाजायगा जो सेक्रेटरी आज़माहिन्द इजलास कौंसल
ने बइत्तिफ़ाकराय साहिबान लार्डकमिश्नर ख़ज़ानेशाही
बग़रज़ तस्फ़िये मुआमलात ख़ज़ाने माबैन गवर्न्नमेण्ट
इँगलिस्तान और गवर्न्नमेण्टहिन्दके मुक़र्रर कररक्खाहो॥

दफ़ा ६११—जो अदालत कि हुक्म मुसद्दिरै जनाब-
मलकामुअज़्ज़िमा इजलासकौंसलका इजरा या तामील
करे उसकाहुक्म दरबाब उसइजरा या तामीलके लायक़
अपील उसीतौर पर और बपाबन्दी उन्हीं क़वायदकेहो
जैसे कि उसी अदालतकी डिकरियोंके इजरा या तामील
की बाबत उस अदालतके अहकाम हैं॥

दफ़ा ६१२—अदालतुल्आलिया हाईकोर्ट को अख्ति-
यारहै कि वक़्तन् फ़वक़्तन् क़वायद मुताबिक़ ऐक्टहाज़ा
उमूर मुफ़स्सिलै ज़ैलके बाबमें मुन्ज़बित करे—

(अलिफ़)इजरायइत्तिलाअनामाजातबमूजिबदफ़ा६००

(बे)अता किया जाना या न अताकियाजाना सार्टी-
फ़िकट का हस्ब दफ़ा ६०१ व ६०२ उन अदालतों के
हुज़ूरसे जो अख्तियार अख़ीर अपीलकी समाअत का

तहत अदालतुल्आलिया हाईकोर्टके रखती हैं—

जीम तादाद और नवइयत जमानतकी जो हस्ब दफ़ा ६०२ व ६०५ व ६०६ के तलबकीजाय—

(दाल) जांच उस ज़मानतकी—

(हे) तख़मीना ख़र्चा मिसलकी नक़लका—

(वाव) उसनक़लकीतय्यारीऔरमुक़ाबिलाऔरतसदीक़

(ज़े) इस्लाह और तसदीक़ तरजुमोंकी—

(हे) कवाग़ज़ मिसलकीनक़लकी फ़ेहरिस्तकीतैयारीऔर फ़ेहरिस्त उन काग़ज़ातकीजोउसमेंदाख़िलनाकियेजायँ—

(तो) वसूल ख़र्चा जो बाबतमुक़द्दमात अपीलमलका-मुअज्ज़िमाइजलासकौंसलकोहिंदुस्तानमें आयदहुआहो और तमाम दीगरउमूरके बाबमें जो बाबहाज़ा कीता-मीलसे इलाक़ा रखतेहों॥

तमाम क़वायद मज़कूर मुक़ामके सर्कारी गज़ट में मुश्तहर कियेजायँगे और उसहाईकोर्टमें और उनअदा-लतोंमें जोउसके मातहत अख्तियार अख़ीर अपीलकी समाअतका रखतीहों हुक्म क़ानूनका रक्खेंगे॥

दफ़ा ६१३—तमाम क़वायदजो क़ब्लअज़ीं किसीअ-दालतुल्आलियाहाईकोर्टने दरबाबअपीलहुज़ूरमलका-मअज़्ज़िमा इजलासकौंसल मुन्ज़बितकरकेमुश्तहरकिये होंऔरऔनक़ब्ल सुदूर ऐक्टहाज़ाके नाफ़िज़होंवहजिस क़दरकि ऐक्ट हाज़ाके मुताबिक़हैं ऐसेसमझे जायँगे कि गोया हस्बऐक्टहाज़ामुन्ज़बितऔरमुश्तहर कियेगयेथे॥

दफ़ा ६१४— दफ़ा ५९५ व ६१२में जोलफ्ज़हाईकोर्ट काआयाहैउसमेंसाहबरिकार्डर रंगूनकाभी दाख़िलहोना

मुतसव्विरहोगा लेकिन न इस नेहजपर किउसको ऐसे क़वायदके मुंजवितकरनेका अख्तियारहो जोबजुज़उसकी अदालतके और अदालतोंपर वाजिबुल्तामीलहों॥

दफ़ा ६१५–जिनक़वायद और क़यूदका ज़िक्रबंगालेके क़ानून ३ सन् १८२८ई० की दफ़ा ४ ज़िम्न ५ में है वह ऐसे क़वायद और क़यूद मुतसव्विरहोंगे जिनकोउन अपीलोंसे तअल्लुक़है जोहस्ब मजमूयेहाज़ा अदालतुल्आलिया हाईकोर्ट मुक़ाम फ़ोर्ट विलियम वाक़ैबंगाले की तजवीज़ोंकी नाराज़ीसे दायरहों॥

दफ़ा ६१६–ऐक्टहाज़ाकी कोईइबारत ऐसीन समझी जायगी कि–

(अलिफ़)मानैअमलमेंलानेउस अख्तियारकुल्लीऔर बिलाक़ैदकी है जो जनाबमलकामुअज़्ज़िमाको दरबाब मंज़ूरीयानामंज़ूरीअपीलमरजूआहुज़ूर मलकामुअज़्ज़िमा इजलासकौंसलकेहासिलहैयाकिसीऔरनेहजपरया–

(बे)मुख़िल किसीक़वायदमुरत्तिबै जुडीशलकमेटीप्रेवी कौंसल नाफ़िज़ैवक़्क़ीहै जो बहुज़ूर मलकामुअज़्ज़िमा इजलासकौंसल अपीलोंके पेशहोनेकेबाबमें या जुडीशल कमेटी मज़कूरके हुज़ूर उनअपीलोंकीकाररवाईके बाबमें हैं–

कोईइबारत बाबहाज़ाकीकिसीमुआमलै फ़ौजदारीया ऐडमरलटी या वैसऐडमरलटीसे मुतअल्लिक़ न होगीन उनअपीलोंसेमुतअल्लिक़होगी जोबनाराज़ी अहकाम और डिकरी प्रेज़कोर्ट के दायरहों॥

छियालीसवां बाब ॥

इस्तस्वाबहाईकोर्टसे और निगरानी हाईकोर्टकी ॥

दफ़ा ६१७—अगर कब्ल या बरवक़ समाअत किसी मुक़द्दमा या अपीलके जिसमें डिकरी क़तईहो यादरअस्नाय इजराय किसीडिकरीकेकोई बहस क़ानूनी या ऐसे रिवाजकी जो क़ानूनकाहुक्मरखताहो या किसीदस्तावेज़ के ऐसेमानेकी जो मुक़द्दमेकी रूयदादपर मवरूसरहोपैदा हो और अदालत मुजव्विज़ मुक़द्दमा या अपीलको या इजरायकुनिन्दह डिकरीको शुबहामाकूलहोतो अदालत मजाज़होगी कि ख़ुदअपनी मरज़ीसे या वक़ दरख़्वास्त अहदुल्फ़रीक़ैन के वाक़िआत मुक़द्दमेकी कैफ़ियत और वहअम्र जिसकी बाबतशुबहाहो तहरीरकरकेमयअपनी रायके जो उसअम्रकी बाबतहोइन्फ़िसालके लियेअदालतुल्आलिया हाईकोर्टमें इस्तस्वाबन् मुरसिलकरे ॥

दफ़ा ६१८—बावजूद इस्तस्वाब मज़कूरके अदालत को अख्तियारहोगा कि काररवाई मुक़द्दमाया अपीलकी मुल्तवीकरे या जारीरक्खे और जोकुछराय अदालतहाईकोर्टकी निस्बतउस अम्रकेजिसकी बाबत इस्तस्वाब कियागयाहो क़रार पाये उसकी पाबन्दी की शर्त्तपरडिकरीया हुक्मसादिर करे—

लेकिन जिससूरतमें ऐसा इस्तस्वाब हुआहो उसमें ता वसूल नक़ल फ़ैसला अदालत हाईकोर्ट के जो उस इस्तस्वाब परहो इजराय डिकरी या नीलाम या क़ैद अमलमें न आयेगी ॥

दफ़ा ६१९—हाईकोर्ट को लाज़िम है कि उन उज़रात की समाअ़त करे जो फ़रीक़ैन उसमुक़द्दमे या अपील के जिसमें इस्तस्वाब हुआ हो असालतन् या वकालतन् पेश करें और तजवीज़ उस अम्र की करे जिसकी निस्बत इस्तस्वाब कियागया और अपने फ़ैसले की नक़ल बदस्तख़त साहब रजिस्टरार के उस अदालत में मुरासिल फ़रमाये जिसने इस्तस्वाब कियाहो और उस अदालत को लाज़िम होगा कि इंदुल्हुसूल नक़ल मज़कूरह हाईकोर्ट की तजवीज़ के मुताबिक़ मुक़द्दमे को फ़ैसल करे ॥

दफ़ा ६२०—जोकुछ ख़र्चा बवजह इस्तस्वाब अदालत हाईकोर्ट के पड़ाहो वह मुक़द्दमे के ख़र्चे का जुज़्व समझाजायगा

दफ़ा ६२१—जबकोई मुक़द्दमा इसबाब के बमूजिब हाईकोर्ट में इस्तस्वाबन् भेजाजाय तो हाईकोर्ट को अख़्तियार है कि मुक़द्दमाको तरमीम के लिये वापस भेजे और किसी डिकरी या हुक्म की तब्दील या तन्सीख़ या तरदीद करे जो अदालत इस्तस्वाब कुनिन्दा ने उसमुक़द्दमे में सादिर कियाहो जिसमें इस्तस्वाब की ज़रूरत पाईगई और जो कुछ हुक्म मुनासिब समझे सादिर करे ॥

दफ़ा ६२२—हाईकोर्ट मजाज़ है कि मिसल किसी मुक़द्दमे की जिसका अपील हाईकोर्ट में नहीं होताहै अपने पास तलब करे बशर्ते कि उस अदालत ने जो मुजव्विज़ मुक़द्दमा थी ज़ाहिरन् वह अख़्तियार नाफ़िज़ कियाहो जो उसको क़ानूनन् हासिल न था या जो उसको अख़्तियार था उसे अमल में न लाई हो या अपने अख़्तियारात की तामील में ख़िलाफ़ क़ानून अमल किया या कोई बेज़ाब्तगी

अज़ीम की हो और अदालत हाईकोर्ट मजाज़ है कि उस मुक़द्दमेमें जो हुक्म मुनासिब समझे सादिरकरे ॥

। हि

सैंतालीसवां बाब ॥

तजवीज़ सानी ॥

दफ़ा ६२३-जो शख़्स अपनी हक़तल्फ़ी समझे-

(अलिफ़) किसी डिकरी या हुक्मसे जिसका अपील अज़रूय मजमूये हाज़ा जायज़ है मगर उसका अपील हिनोज़ दायर न हुआहो या-

(बे) किसी डिकरी या हुक्म से जिसका अपील इस मजमूयेकी रूसे जायज़ नहीं है या-

(जीम) किसी फ़ैसलेसे जो अदालत मतालिबै ख़फ़ीफ़ा के इस्तस्वाब पर सादिर हुआहो-

और जो शख़्स बवजह दरियाफ्त होने किसी अम्र या शहादत जदीद और अहमके जो बावजूद सई क़रार वाक़ई के बवक्त सादिरहोने उस डिकरी या हुक्मके उसको मालूम न थी याकि वह उसको पेश न करसक्ताथा या बवजह किसी ग़ल्ती या सहोके जो बिल बिदाहत मिसलसे ज़ाहिरहोताहो या किसी और वजह काफ़ीसे तजवीज़सानी उस डिकरी या हुक्मकी चाहताहो जो उसके ख़िलाफ़ मुराद सादिर हुआहो-

तो उसको अख़्तियार है कि उस अदालतमें जिसने ।या हुक्मसादिर कियाहो याइसअदालतमें आकर

कोईहो जहांकामअदालत अव्वलुल्ज़िक्रका मुन्तक़िल होगयाहो तजवीज़सानी की दरख्वास्तकरे—

जोफ़रीक़ कि किसी डिकरी की नाराज़ीसे अपील न करे वह बावजूद दायर होने अपील मिन्जानिब किसी और फ़रीक़के तजवीज़सानीकी दरख्वास्त करसक्ता है बजुज़ उस सूरतकेकि उज़्रमुन्दरजे अपील सायलऔर अपीलांट दोनोंसे यकसां मुतअ़ल्लिक़हो या जब किवह रस्पांडण्टहो अदालतअपीलमें उसमुक़द्दमेकोजिसमें कि दरख्वास्त तजवीज़सानी की करता है पेशकरसक्ता है॥

दफ़ा६२४—बजुज़ वजह दरियाफ़्तहोने ऐसे अम्र या शहादत जदीदऔर अहमकेजैसाकि ऊपरमज़कूरहुआ है या बादिउन्नज़रमें डिकरी से वाज़ैहोने किसी ग़लती कातिबके कोई दरख्वास्त तजवीज़सानी फ़ैसलेकीबजुज़ फ़ैसलेअदालतहाईकोर्टकेकिसीजजके रूबरू सिवायउस जजके जिसने फ़ैसला सादिर कियाहो पेशनकीजायगी॥

दफ़ा६२५—क़वायद जो इसमजमूयेमें दरबाब तरीक़े अपील करने के पहले बयानहोचुके हैं वह बतब्दीलअल्फ़ाज़बतब्दीलतलब दरख्वास्तहाय तजवीज़सानी से भी मुतअ़ल्लिक़ होंगे॥

दफ़ा६२६—अगरअदालतको दरियाफ़्तहो कि तजवीज़सानीकी कोई वजह काफ़ी नहींहै तो वह दरख्वास्त को नामंज़ूर करेगी—

अगरअदालतकीरायमेंतजवीज़सानीकीदरख्वास्तमंज़ूरीकेलायक़होतो वहतजवीज़सानीमंज़ूरकरेगीऔर जजमंज़ूरीकीवजूहअपनेक़लमख़ाससेक़लम्बन्दकरेगा—

मगर शर्त्त यह है कि–

(अलिफ़) ऐसी दरख्वास्त मंज़ूर न होगी बग़ैरइसके कि पेश्तर फ़रीक़सानीको इत्तिलाअ़दीजायताकि वहहाज़िर होकर बताईद उसडिकरीके जिसकी तजवीज़सानी की दरख्वास्तगुज़रीहो उज़रात पेशकरे और–

(बे) ऐसीदरख्वास्तबरबिनाय दरियाफ्तहोनेअम्रया शहादतजदीदके जिसकीनिस्बतसायलबयानकरेकि सायलकोबरवक़्तसुदूरडिकरीयाहुक्ममज़कूरके उसकाइल्म न था या जिसकोवहपेश नहींकरसक्ता था बिदून इसके मंज़ूर न कीजायगी कि बयान मज़कूरकासुबूतक़वीहो॥

दफ़ा६२७–अगरवहजजयाकईजजयाउनमेंसेकोईएक जजजिसनेकिवहडिकरी याहुक्मसादिरकियाहो जिसकी तजवीज़सानीकी दरख्वास्तकीजाय बरवक़्त गुज़रनेदरख्वास्ततजवीज़सानी के अदालतमें कारफ़रमाहो और बसबबग़ैरहाज़िरीयाऔर किसीवजहकेसवालकेगुज़रने सेछः महीनेतकइसबातसे ममनूअ़ न होकि डिकरीया हुक्मपरजिसकी निस्बतदरख्वास्तहो ग़ौरकरेतो उसजज या उनजजोंको या उनमेंसे किसीको अख्तियारहोगा कि दरख्वास्तकीसमाअ़तकरेऔर अदालतकेकिसीदूसरेजजयाजजोंकोअख्तियारन होगाकिउसकी समाअ़तकरें॥

दफ़ा६२८–अगर सवालतजवीज़सानी की समाअ़त एकसेज़ियादह जजकरें औरदोनोंजानिब रायमसावीहों तो वह सवाल नामंज़ूर कियाजायगा–

अगर किसीजानिब कसरतरायहो तो तजवीज़ मुताबिक़ उसी कसरतरायके होगी॥

दफ़ा६२९—हुक्म अदालतका दरबाब ना मंज़ूरी उस दरख्वास्तके क़तईहोगा लेकिन जबकि ऐसी दरख्वास्त मंज़ूर हो तो मंज़ूरी पर उज़्र बरबिनाय वजूह मुफ़स्सिलै ... होसक्ताहै—

(अलिफ़)यहकिवहख़िलाफ़अहकामदफ़ा६२४हैया—

(बे)यहकि वहख़िलाफ़ अहकामदफ़ा ६२६ है या—

(जीम) यहकि बादगुज़रनेमीआदके जो ऐसीदरख्वास्तके लिये मुक़र्ररहै दाख़िलकीगई है और कोई वजह काफ़ी उसकी नहीं है—

जायज़है कि उज़्र मज़कूर उसदरख्वास्तकी मंज़ूरी के हुक्मकी नाराज़ीसे फ़ौरन् बज़रिये अपील गुज़राना जाय या वह उज़्र उस अपीलमें कियाजाय जो मुक़द्दमे की अख़ीर डिकरी हुक्मकी नाराज़ीसे हो—

अगर दरख्वास्त तजवीज़सानी बवजह अदमएहज़ारसायलकेनामंज़ूरहुईहोसायलकोअख्तियारहैकिइस मज़मूनकी दरख्वास्तदे कि दरख्वास्तनामंज़ूरशुदहको बाज़बनंबरसाबिक़क़ायमकरनेका हुक्महो औरअगरहस्बइतमीनान अदालतसाबितहो कि जिसवक़्तदरख्वास्तमज़कूरवास्तेसमाअतकेपेशहुईथी सायलकिसीवजह मुवज्जहकेबायसहाज़िरहोनेसे मुतअज़्ज़िरथातोअदालतयहहुक्मसादिरकरसकेगीकिदरख्वास्तमज़कूर बपाबन्दीऐसीक़यूददरबाबादिलानेख़र्चायानादिलानेख़र्चेकेजो मुनासिबमालूमहोंबाज़बनंबरसाबिक़क़ायमकीजायऔर अदालतउसकीसमाअतकेलियेएकतारीख़मुक़र्ररकरेगी

कोईहुक्म इसदफ़ाके बमूजिबसादिर नाकियाजायगा

इल्ला उसहालमें कि सायलने अपनी दरख्वास्त अख़ी-रकी इत्तिलाअ तहरीरी फ़रीक़सानीपर जारीकी हो—

कोई दरख्वास्त वास्तेतजवीज़सानी ऐसेहुक्मकेजो सीगे तजवीज़ सानीमें या तजवीज़ सानीकी किसीदर-ख्वास्तपर सादिर कियाजाय मंजूर न होगी ॥

दफ़ा६३०—जबदरख्वास्त तजवीज़सानी की मंजूर कीजाय लाज़िमहै कि उसकी याददाश्तकिताबरजिस्टर में लिखीजाय और अदालत मजाज़होगी किऔरनमुक़-द्दमेकी समाअत मुक़र्ररमें मसरूफ़हो या निस्बत समा-अतमुक़र्ररके जोहुक्म मुनासिब समझे सादिरकरे ॥

अड़तालीसवां बाब ॥

क़वायदख़ास मुतअल्लिक़े अदालत हाईकोर्ट मुक़र्ररह हस्ब सनदशाही ॥

दफ़ा६३१—यहबाब सिर्फ़ अदालत हाय हाईकोर्ट से मुतअल्लिक़ है जोकि हस्ब ऐक्ट सन् १८२४व२५ई० जलूस मलकामुअज़्ज़िमा विक्टोरिया बाब १०४(ऐक्ट बग़रज़तक़र्रुरअदालतहाय हाईकोर्टवाक़ैमुल्क हिन्द)के मुक़र्रर हैं या आयंदा हों ॥

दफ़ा६३२—बजुज़ उसके जिसका कि बाब हाज़ा में बयानहै अहकाम इसमजमूयक अदालतहाय हाईकोर्ट मौसूफ़ासे मुतअल्लिक़हैं ॥

दफ़ा६३३—अदालतहाईकोर्टकोलाज़िमहै किशहादत उसीतौरसेले और फ़ैसलों और हुक्मोंको उसी तौरपर

क़लम्बंद करे जैसा कि वक़्तन् फ़वक़्तन् क़ायदेकेज़रियेसे वहहिदायत करतीरहे ॥

दफ़ा६३४—जब किसी अदालत हाईकोर्टकी दानिश्त में यह ज़रूरीहो कि डिकरी जोउसके मामूली इब्तिदाई अख़्तियार समाअत सीगेदीवानी की तामीलमें सादिर कीगईहो क़ब्लअज़ां कि तादाद उसख़र्चेकी जोमुक़द्दमे में आयदहुआहो अज़रूय तशख़ीसमुतहक़्क़िक़होसकेजा-रीहोजानी ... कि वह डिकरी फ़ौरन् जारीकीजाय बजुज़ उसक़दरके जो कि ख़र्चेसे इलाक़ा रखतीहो—

और यह कि जिसक़दर डिकरीख़र्चेसे इलाक़ारखती हो वह बमुजर्रद इसके कि तादाद ख़र्चेकी अज़रूयतश-ख़ीस मुतहक़्क़िक़हो जारी कीजायगी ॥

दफ़ा६३५—इस मजमूये की किसी इबारतसे यह मुत-सव्विर न होगा कि किसीशख़्सको दूसरेकी तरफ़से यह इजाज़तहै कि अदालत के हुज़ूर दरहाले कि वहअपने मामूली अख़्तियार समाअत इब्तिदाईसीगेदीवानीकी ... तक़रीरकरे ... जवाबकरेबजुज़उससूरतकेकिअदालतबतामील अख़्ति-यारमुफ़व्विज़ा हस्बसनद तक़र्रुरअपनेके उसशख़्सको इजाज़त इसअम्रकीदे और न यह मुतसव्विरहोगा कि अदालत हाईकोर्टको जोअख़्तियार ऐडवकेट औरवुक-लाऔरइटरनीकेबाबमें क़वायदमुन्ज़बितकरनेकाहासि-लहै उसमें किसीतरह से वह इबारत मुख़िल्लहोगी ॥

दफ़ा६३६—जोइत्तिलाअनामजातवास्तेपेशकरनेदस्ता

वेज़ातऔर सम्मन मौसूमै गवाहान और जो किसीऔर क़िस्मका हुक्मनामा अदालतकी हाईकोर्टके अख्तियार मामूली या ग़ैरमामूली समाअतइब्तिदाई सीगैदीवानी और उन अख्तियारातके नफ़ाज़से जोनिस्बत मुआमलात इज़दवाज और वसीयत औरतरका ग़ैरवसीयती केहाईकोर्टको हासिलहैं सादिर कियाजायवहबइस्तस्नायसम्मनहायमौसूमा मुद्दआअलेह जोहस्बदफ़ा ६४सादिरहों औरहुक्मनामा इजरायडिकरी औरबइस्तस्नाय इत्तिलाअनामजात महकूमादफ़ा५५३केमारफ़तअटरनियात पैरोकार मुक़द्दमा या मारफ़त उनअशख़ासके जिनको वहअटरनी मामूरकरें या मारफ़त किसी और अशख़ासकेजारीकियेजासक्तेहैं जिनकीहाईकोर्ट बज़रिये किसीक़ायदे या हुक्मके वक़्तन् फ़वक़्तन् हिदायतकरे॥

दफ़ा६३७—कोईफ़ेल ग़ैरफ़ेलअदालती या हमशकल फ़ेल अदालती जोअज़रूयमजमूये हाज़ा जजकोकरना चाहियेऔर कोईफ़ेल जोअहलकमीशन किवास्तेमुआयने और तस्फ़िये हिसाबातके हस्बदफ़ा ३९४ मुक़र्रर हुआहोअमलमें लासक्ताहै जायज़है कि उसेरजिस्टरार अदालत या और ओहदेदार अदालत मौसूफ़ जिसको अदालत ऐसेफ़ेल करनेकी हिदायतकरे अमलमेंलाये—

अदालतहाईकोर्टकोअख्तियारहै कि वक़्तन् फ़वक़्तन् क़ायदेके ज़रियेसे यहज़ाहिरकरे कि कौन २ फ़ेल हस्ब मुराद दफ़ाहाज़ा ग़ैरफ़ेलअदालती और हमशकलफ़ेल अदालती मुतसव्विर होगा॥

दफ़ा६३८—मजमूये हाज़ाके अजज़ा मुफ़स्सिले

अदालतहाईकोर्टसे जबकिवह अपने अख्तियारातमामूलीयाग़ैरमामूलीसमाअतइब्तिदाईसीग़ैदीवानी नाफ़िज़ करतीहोमुतअल्लिक़नहोंगेयानेदफ़आत १६ व १७ व १९ व ५४ ज़िम्न (अलिफ़) व (बे) व ५७ व ११९ व १६० व १८२ लग़ायत १८५ व १८७ व १८९ व १९० व १९१ व १९२ (जिसक़दर कि वह शहादतके क़लम्बन्दकरनेकेतरीक़ेसे मुतअल्लिक़है) व १९८ लग़ायत २०६ और दफ़ा ४०९ जिसक़दर किवह याददाश्तके लिखनेसेमुतअल्लिक़है—

और दफ़ा ५७६ अदालत हाईकोर्ट से जब कि वह अख्तियारात सीग़ेअपील नाफ़िज़करतीहो मुतअल्लिक़नसमझी जायगी—

कोई इबारत इसमजमूयेकी किसीहाईकोर्टके जजसे जब वह बतौर इन्सालोयंटकोर्टके अपने अख्तियारात नाफ़िज़ करनाहो मुतअल्लिक़ न होगी ॥

दफ़ा ६३९—अदालतहाईकोर्टकोअख्तियारहैकिवक़्तन्फ़वक़्तन्अदालतमौसूफ़ाकीहरकार्रवाईकेलियेनमूने मुरत्तिब करेऔरदरबाबबहीजात औरउनमरातिबकेजोउनमेंदाख़िलकियेजायँऔरहिसाबातकेजोअदालत मौसूफ़ा के ओहदेदारोंकोमुरत्तिबरखनेहोंगेक़वायदमुन्ज़बितकरे ॥

दशवां हिस्सा ॥

उनचासवां बाब ॥

मरातिबमुतफ़र्रिक़ ॥

दफ़ा ६४०—अहमस्तूरात जिनको हस्ब दस्तूरऔर रिवाजमुल्क जबरन्लोगों के सामने हाज़िर नहीं करना

चाहिये असालतन् हाज़िरी अदालत से मुआफ़ हैं—

लेकिन किसी इबारत मुन्दर्जै दफ़ाहाज़ासे यह न समझ-ना चाहिये कि मस्तूरात मज़कूरह बइजराय हुक्मनामा दीवानी गिरफ्तारीसे मुआफ़ हैं॥

दफ़ा ६४१—लोकलगवर्न्नमेण्ट मजाज़ है कि बज़रिये इश्तिहार मुंदर्जै गज़ट सर्कारीके किसी शख्सको जो बलिहा-ज़ मरतबैके गवर्न्नमेण्ट मज़कूरकी रायमें अदालतमें असा-लतन् हाज़िरहोनेसे मुस्तहक़ मुआफ़ीका हो उसे मुआफ़ करे और उसको जायज़ है कि उसीतरहके इश्तिहारके ज़रियेसे उस रिआयतको मौक़ूफ़ करे—

लोकलगवर्न्नमेण्ट उन अशख़ासके नाम और सकूनत जो इसतरह मुआफ़ हुये हों वक़्तन् फ़वक़्तन् अदालत हाईकोर्ट में इरसाल करेगी और एक फ़ेहरिस्त ऐसे अशख़ासका अदा-लत ममदूहा में रहा करेगी और एक फ़ेहरिस्त उन अशख़ास की जो हाईकोर्ट की हर अदालत मातहतके इलाक़ेकी हुदूद अरज़ीके अन्दर रहते हों हर एसी अ

जब कोई शख्स जो इसतरह मुआफ़ कियागया हो उस मुआफ़ीका इस्तेहक़ाक़ पे उसका इज़हार लेना बज़रिये कमीशनके ज़रूरी हो तो उसे लाज़िम है कि कमीशनका ख़र्चा अदा कर बजुज़ उससूरतके कि जो फ़-रीक़ उसकी शहादत दिलाना चाहे ख़र्चा मज़कूर अदा कर दे॥

दफ़ा ६४२—कोई जज या मजिस्ट्रेट या और ओहदेदार अदालत इसमजमूये के मुताबिक़ उसहालतमें गिरफ्तार न हो सकेगा जबकि वह अपनी अदालतको जाता या उस में इजलास करता या वहांसे फिर आताहो—

और सिवाय उनहालतों के जिनका ज़िक्र दफ़आत २५६ व ६४३ में मुंदर्जहै जबकोई मुआमला किसीऐसी अदालतके रूबरू पेशहोजो उसपर अख्तियार समाअत-रखतीहोयानेकनीयतीसेबावरकरती हो कि उसको अख्ति-यार समाअतहासिलहै तो उसमुआमलेके फ़रीक़ैन और उनकेवकला और मुख्तारान और रेवन्यू एजंटानवएजंटा-नमक़बूला और उनकेगवाहजो सम्मनके मुताबिक़तल-ब होकर हाज़िरहों इसमजमूयेके बमूजिब उसदरमियान में हुक्मनामा दीवानीके बमूजिब गिरफ्तार होनेसेमहफ़ूज़रहेंगे जब वह अदालतमज़कूर में ग़रज़मजबूरको जाते या वहां हाज़िर रहतेहों और नीज़ जब उसअदा-लतसे वापिसआतेहों—

दफ़ा ६४३—अगर किसीमुक़द्दमेमें जोकिसीअदालतके हुज़ूर ज़ेरतजवीज़हो अदालतको इसबातकी वजहकाफ़ी पाई जाय कि कोई इल्ज़ाम किसीजुर्म मुतज़क्किरे दफ़आत १६३ या १६६ या १६६ या २०० या २०५ या २०६ या २०७या २०८ या २०६ या २१० या ४६३ या ४७१ या ४७४ या ४७५ या ४७६ या ४७७ मजमूये ताज़ीराताहिन्दका जो दर अस्नायकिसी और नालिशया कार्रवाई के या निस्बत किसीदस्तावेज़के जो उसमुक़द्दमे की शहादतमें पेशकीगईहो क़ायमकियागया तहक़ीक़ातके लिये मजिस्ट्रेटकेपास भेजाजायतोअदालत मजाज़होगी कि शख्स मुल्ज़िम को अदालतके बरख़ास्तके वक़्तक हिरासतमें रखवाये बादअज़ां बहिरासत मजिस्ट्रेट के पास रवाना करे या उससे इसअम्र की हाज़िरज़ामिनी

काफ़ीले कि वह मजिस्ट्रेट के हुजूर हाज़िर होगा-

अदालत मज़कूरको लाज़िमहै कि कागज़ातसुबूतऔर दस्तावेज़ातख़ास मुतअल्लिकै इल्ज़ाम मजिस्ट्रेटके पास रवानाकरेऔरजिसशख्ससेचाहे मजिस्ट्रेटकेहुजूरहाज़िरहोने और शहादतअदाकरने कीज़मानतदाख़िलकराये-

मजिस्ट्रेटको लाज़िमहैकि उसइल्ज़ामकी फ़र्दक़रारदाद जुर्मकोलेकर बमूजिब क़ानूनके कारबंदहो-

दफ़ा ६४४-बक़ैदउस अख्तियार के जो बज़रिये दफ़ा ६३९ मजमूयेहाज़ा और ऐक्ट मुसद्दिरे सन् २४ व २५ जलूस मलकामुअज़्ज़िमा विक्टोरिया बाब १०४दफ़ा १५ अदालत हाईकोर्टको मुफ़व्विज़ हुआहै वहनमूनेजातजो इसमजमूयेके चौथेज़मीमें मुन्सलिकेमें मुन्दर्जहैं मय उस क़दर तग़य्युर और तबद्दुलके जो हरमुक़द्दमे केहालातके मुनासिबहो उनअग़राज़केलिये मुस्तैमिलकियेजायँगेजो उस ज़मीमेमें बयान कीगईहैं—

दफ़ा ६४५-जो ज़बान कि बवक्त नाफ़िज़होने मजमूये हाज़ाके किसी अदालत मातहत हाईकोर्ट में मुरव्विजहो वहीउसअदालतकी ज़बानउसवक्ततक रहेगीकिलोकल-गवर्नमेण्ट दूसरीनहजका हुक्मदे-

लेकिन लोकलगवर्नमेंटको वक्तन् फ़वक्तन् यहक़रारदे-नाजायज़ होगा कि कौनज़बानऐसी हर अदालतकी ज़बान समझीजायगी-

दफ़ा ६४५-(अलिफ़) जबकोईमुक़द्दमा बाबतहक़बचाने मालजहाज़ मग़रूक़ा या उजरतपहुँचाने जहाज़केसमन्दरमें या बाबतनुक़सानके जो जहाज़के टक्करखानेसेपहुँ-

चाहो किसीअदालतऐडमरलटीयावैसऐडमरलटीमेंपेश हो वहअदालत आमइससेकि वहअपने अख्तियारात इब्तिदाई याअख्तियारातअपील नाफ़िज़करतीहोमजाज़होगीकिअगर मुनासिबसमझेतो खुदऔर अगरकोई फ़रीक़ दरख्वास्त करे तो अपनेलिये लाज़िम समझकर अपनी इमदादकेवास्ते दोशख्सअसेसर आज़मूदाकार मुताबिक़ उसक़ायदेकेतलबकरेजो वक्तन्फ़वक्तन् उसअदालतकीहिदायतसे मुक़र्ररकियाजायऔरऐसेअशख़ास असेसरको लाज़िमहैकिअआनत करनेकेलियेहाज़िरहों-

ऐसेहर असेसरकोउसक़दरज़रफ़ीस बएवज़हाज़िरी के दियाजायगा जो अदालतअपने क़ायदेकी रूसेमुक़र्ररकरे और फ़रीक़ैनमेंसेउसफ़रीक़कीतरफ़सेअदाकिया जायगा जिसको अदालत हरमुक़द्दमेमें हिदायतकरे-

दफ़ा ६४६-जबकभी अदालत मतालिबै ख़फ़ीफ़े के रजिस्टरारकीनिस्बतकिसी अम्रक़ानूनी या किसीरिवाज के जोहुक्म क़ानूनका रखताहो या निस्बत सहीमफ़हूम किसी दस्तावेज़के जो मफ़हूम मुक़द्दमे की तजवीज़ की वक़ातपर मवस्सरहोकुछ इश्तिबाह पैदाहोतो रजिस्टरार को अख्तियार है कि मुक़द्दमेकी कैफ़ियत बग़रज़ हुसूल रायजजकेलिखे और जुमलै अहकाम मुन्दर्जैमजमूयेहाज़ा जोदरबाबतहरीर कैफ़ियत मुक़द्दमाअज़जानिबजजहैं वहबतब्दीलमरातिब तब्दीलतलबकैफ़ियत मुक़द्दमा नविश्तह रजिस्टरारसे भी मुतअल्लिक़होंगे-

दफ़ा ६४७-सिवाय मुक़द्दमातइब्तिदाई और अपीलके हरअदालतदीवानीकी औरतमाम कार्रवाइयोंमेंइतबाअ

उस ज़ाबितेका जो इस मजमूयेमें मुक़र्ररहुआहै वहांतक होगा जहांतक कि मुमकिनहो-

अदालतहाईकोर्टको अख्तियारहै कि वक़्तनफ़वक़्तन् क़वायद इस मुरादसे कि कार्रवाईहाय मज़्कूरमें तहरीरी बयान हल्फ़ी बतौरशहादत उनमरातिबके क़ुबूलकिया जाय जिनसे वहबयानहल्फ़ीतअल्लुक़ रखताहोमुरत्तिब करतीरहे और क़वायद मज़्कूर जबवह मुक़ामकेसर्कारी गज़टमें मुश्तहरहों हुक्म क़ानूनका रक्खेंगे-

दफ़ा ६४८-जब किसी अदालत को यह मंज़ूरहोकि इसमजमूयेके किसीहुक्मके बमूजिब जो इजराय डिकरी से तअल्लुक़ न रखताहो कोईशख्स गिरफ्तार या कोई जायदाद क़ुर्ककरलीजाय और ऐसाशख्सया ऐसीजाय-दाद अदालतके इलाक़े हुकूमतकीहुदूद अरज़ीकेबाहर रहता या वाक़ेहोतोअदालत मजाज़है किहस्बइक़्तिज़ा-यराय अपनेहुक्मनामा गिरफ्तारी या क़ुर्की का सादिर करे और एकनक़लवारंटया हुक्मकीमयख़र्चा तख़मीनी इजराय गिरफ्तारी या क़ुर्कीके उसअदालत ज़िलेमेंभेज दे जिसकेइलाक़े हुकूमतकी हुदूदअरज़ीके अंदर ऐसाश-ख्सरहता या जायदाद वाक़ैहो-

अदालतज़िलेको लाज़िमहै किनक़लऔरतादादख़र्चा मज़्कूर हासिलकरकेमारफ़तअपनेअहल्कारोंकेयाकिसी अदालत मातहत अपनीके गिरफ्तारी या क़ुर्कीअमलमें लाये और उस अदालतको जहांसे वारंट या हुक्मजारी हुआहो गिरफ्तारी या क़ुर्कीकीतामीलकी इत्तिलाअकरे-

वह अदालतजो इसदफ़ा के बमूजिब गिरफ्तारीकरे

शख़्स गिरफ्तार शुदहको उसअदालतमें भेजदेगीजहां
से वारंट गिरफ्तारीजारीहुआथा इल्ला उससूरत में कि
शख़्स मज़कूर ज़मानत काफ़ी अदालतआख़िरुज़्ज़िक्र
में हाज़िर होने की दाख़िल करे या(जबमुक़द्दमाबाब ३४
सेमुतअल्लिक़हो)ज़मानत काफ़ी वास्ते ईफ़ायउसडिक-
रीके जो अदालत मज़कूरसे उसकेनाम सादिरकीजाय
दाख़िल करे कि इनदोनों सूरतोंमें वह अदालत जिसने
उसको गिरफ्तार कियाहो उसको रिहाईदेगी ॥

दफ़ा ६४९—क़वायद मुन्दर्जै बाब १९ हर हुक्मनामे
अदालतकी तामीलसे मुतअल्लिक़होंगे जोबमुरादगि-
रफ्तारी किसी शख़्सके या नीलाम जायदाद या अदाय
ज़रके हो जिसकी किसी अदालत दीवानीने किसी कार-
रवाईदीवानीने ख़्वाहिश कीहोयाजिसकाहुक्म दियाहो-

उसी बाबमें लफ्ज अदालत सादिरकुनिन्दै डिकरी
से या उसी मज़मूनके दीगर अल्फ़ाज़ से बजुज़ उससूर-
तके कि वहमफ़हूम सियाक़ इबारत के नक़ीज़हो जब
डिकरी इजराय तलब सीग़ेअपील से सादिरहुईहो वह
अदालत मुरादहै जिसने वहडिकरी सादिरकीहो जिस
कीनाराज़ीसे अपीलदायरहुआथा और अगर अदा-
लत सादिर कुनिन्दै डिकरी इजराय तलब मौजूद नरहे
या उसके जारी करनेका अख़्तियार साक़ित होगया हो
तो वहअदालत मुरादहै जो दरसूरत दायरहोने नालि-
श मुतअल्लिक़ै डिकरी सादिर शुदहके उस वक़्तपरजब
कि दरख़्वास्त इजराय डिकरी दाख़िलहुईथी उसनालि-
शकी समाअत करने की मजाज़होती ॥

दफ़ा ६५०—अहकाममुन्दर्जै बाबहाय १४ व १५ मुतअ़ल्लिक़ै गवाहानउन जुम्लैअशख़ाससे मुतअ़ल्लिक़होंगे जो इस मजमूयेके बमूजिब किसीकाररवाईमेंशहादत देनेया दस्तावेज़ात पेशकरनेके लियेतलबहुयेहों-

दफ़ा ६५०—(अलिफ) जायज़है कि हुक्मनामा हाय सम्मन जो ब्रिटिशइंडिया की हुदूदके बाहर किसी अ़दालतसे सादिरहों ब्रिटिशइंडियाकीअ़दालतोंमें मुर्सिल होकर उसीतरह तामीलकियेजायँ कि गोयावह ब्रिटिश इण्डियाकीअ़दालतोंसे सादिरहुयेथेबशर्तेकि अ़दालत हांयसादिरकुनिन्दा सम्मनजनाबनव्वाबगवर्नरजनरल बहादुर इजलासकौंसलके हुक्मसे मुक़र्ररहुईहों या आंकि जनाब मुफ़स्खरअलेहुमइजलासकौंसलने बज़रिये इश्तहार मुन्दर्जै गज़ट आफ़ इण्डिया के इसदफ़ा के अहकामकोउनअ़दालतोंसे मुतअ़ल्लिक़क़रारदियाहो-

जनाबनव्वाब गवर्नरजनरलबहादुर इजलास कौंसलमजाज़हैं कि उसीक़िस्मकेइश्तहारके ज़रियेसे किसी इश्तहारको मन्सूख़ फ़रमायें जो इसदफ़ाकीरूसे मुश्तहरहुआहो मगर इसका यहअसर न होगा किइजराउन सम्मनों का नाजायज़ समझाजायजो मन्सूख़ी मज़कूर से पहले सादिरहुयेहों ॥

दफ़ा ६५१—हरशख़्स जो बमूजिब मजमूये हाज़ा या बमूजिब वारंटमजारिया किसी अ़दालतदीवानीयामाल के बतरीक़जायज़ गिरफ्तारकियेजानेकेवक्त अपनीगिरफ्तारीमें मुज़ाहिमहो या हर्ज नाजायज़ डाले या जोइस मजमूये या वारंट मज़कूरके मुताबिक़ किसी हिरासत

जायज़में होकर हिरासतसे निकलजाय या निकलजाने का क़स्द करे तो वह मजिस्ट्रेट के रूबरू जुर्मसाबितहोने पर किसी मीआदतक क़ैद कियाजायगा जो छः महीने से ज़ियादह न हो या उसपर जुर्मानाहोगा जो एकहज़ाररुपये से ज़ियादह नहो या उसको दोनों सज़ायें होंगी॥

दफ़ा ६५२—अदालत हाईकोर्ट को अख़्तियारहै कि वक़्तन् फ़वक़्तन् क़वायद जो इस मजमूये के मुताबिक़हों बग़रज़ इन्तिज़ाम किसी मरातिब मुतअल्लिक़ बज़ाबितै ख़ुद हाईकोर्ट या मुतअल्लिके ज़ाबितै अदालतहायदीवानी मातहत अपनी निगरानीके मुरत्तिबकरती रहे ऐसेजुम्ले क़वायद मुक़ामके गज़ट सर्कारीमें मुश्तहर कियेजायँगे और बादअज़ाँ हुक्मक़ानूनका रक्खेंगे॥

पहला ज़मीमा

(दफ़ा ३ को देखो)

ऐक्टजो मन्सूख़ कियेगये॥

नम्बर व सन्	उनवान	किसक़दर मन्सूख़हुआ
१० सन् १८७७ ई०	मजमूयेज़ाबितैदीवानी	जिसक़दर कि मन्सूख़नहीं
१२ सन् १८७९ ई०	मशअरतरमीमऐक्ट १० सन् १८७७ ई० वग़ैरह	दफ़आत १ लग़ायत १०३
७ सन् १८८० ई०	बाबतजहाज़हाय तिजारत	दफ़ा ८५

८

(दफ़ा ५ कोदेखो)

अबवाबव दफ़आत इसमजमूयेकी जो मुफ़स्सिलकी अदालतहायमतालिबेजातख़फ़ीफ़ेसे मुतअल्लिक़कीगई हैं मरातिब इब्तिदाई—दफ़आत १ व २ व ३ व ५॥

बाब १—अदालतोंकेअख़्तियारसमाअतऔर निज़ाअ़फ़ैसलशुदहकाबयानबजुज़दफ़ा ११ के—

बाब २—नालिश करनेका मुक़ाम बजुज़दफ़ा २० फ़िक़रै ४—के और दफ़आत २२ लग़ायत २४—

बाब ३—फ़रीक़ैन और उनकीहाज़िरी और दरख़्वास्तों और अफ़आलका बयान—

बाब ४—नालिशकीतरतीबबजुज़दफ़आत ४२ व ४४ क़ायदै (अलिफ़)

बाब ५—नालिशातके रुजूअहोनेका बयान—

बाब ६—इजराबतामीलसम्मनकेबजुज़दफ़ा ७७ के-

बाब ७—ज़िक्रफ़रीक़ैनकी हाज़िरीका और ग़ैरहाज़िरीके नतीजेका—

बाब ८—दफ़ा १११ मतालिबेका मुजराहोना—

बाब ९—फ़रीक़ैनकीज़बानबन्दी अदालतकीमारफ़त बजुज़ दफ़ा ११९के—

बाब १०—इन्कशाफ़हाल और मक़बूली वग़ैरह दस्तावेज़ात की—

बाब १२—दफ़ा १५५ फ़िक़रै १—इन्फ़सालक़तई

मुक़द्दमेका उस सूरत में जबकि फ़रीक़ैनमेंसे कोई अपना सुबूत पेश न करसके–

बाब १३–इल्तवाका ज़िक्र–

बाब १४–गवाहोंकी तलबी व हाज़िरी–

बाब १५समाअतमुक़द्दमा और लेनाइज़्हारगवाहों का बजुज़ दफ़आत १८२ लगायत १८८ के॥

बाब १७ फ़ैसला और डिकरीबजुज़ दफ़आत २०४ व २०७व २११ व २१२ व २१३ व २१४व २१५ के॥

बाब–१८दफ़आत२२०व२२१व२२२बाबतख़र्चा॥

बाब १९–इजराय डिकरी दफ़आत मिनूइब्तिदाय २२३ लगायत २३६ और मिनूइब्तिदाय२३९लगायत २५८ व २५९ बजुज़ उसक़दर इबारतके जो ज़ौजाके दिलापानेके बाबमेंहै औरदफ़ा २६६ (बजुज़ उसक़दर इबारतकेजो जायदाद ग़ैरमन्क़ूलासेमुतअल्लिक़है)और दफ़आतमिनूइब्तिदाय२६७लगायत२७२व२७३(जिसक़दर किजायदादमन्क़ूलाकी डिकरीसे मुतअल्लिक़है) और मिनूइब्तिदायदफ़ा२७५लगायत २८० व २८३ व २८४(जिसक़दरकिजायदादमन्क़ूलासे मुतअल्लिक़है) और दफ़ा२८५व२८६व२८७ व२८८ व२८९व२९० व२९१ व २९२व२९३ (जिसक़दर कि वहनीलामसानी हस्बदफ़ा २९७से मुतअल्लिक़है)और मिनूइब्तिदाय दफ़ा २९४लगायत३०३और मिनूइब्तिदायदफ़ा३२८ लगायत ३३३ (जिसक़दर जायदाद मन्क़ूला से मुतअल्लिक़ है) और ३३६ लगायत ३४३॥

बाब२०–दफ़ा ३६० बाबत अख़्तियार अताकरने

मन्सबसमाअतमुक़द्दमातदीवालियाबाज़अदालतोंको ॥
बाब२१—वफ़ात औरशादी और दीवाला निकलना फ़रीक़ हायमुक़द्दमेका ॥
बाब २२—बाज़दावा और तस्फ़िया मुक़द्दमा ॥
बाब२३—अदालतमें रुपयेका दाख़िलकरना ॥
बाब२४—तलब करना ज़मानत ख़र्चेका ॥
बाब२५—कमीशन ॥
बाब२६—नालिशात मुफ़लिसी ॥
बाब२७—नालिशात अज़जानिब या बनाम सर्कार या मुलाज़िमान सर्कार ॥
बाब२८—नालिशात अज़ तरफ़ रिआयाय मुमालिकग़ैर और अज़तरफ़ या बनामवालियानरियासत हिन्दुस्तानी और वालियान मुमालिकग़ैर बजुज़ फ़िक़रैअव्वलदफ़ा ४३३ के ॥
बाब२९—नालिशात अज़तरफ़ और बनाम जमाअतसनदयाफ्तह और कम्पनियोंके ॥
बाब३०—नालिशात मिन्जानिब और बनाम उमनाय और औसिया और मोहतमिमान तरकाके ॥
बाब३१—नालिशात मिन्जानिब और बनामअशख़ास नाबालिग़ और फ़ातिरुल्अक़्लके ॥
बाब३२—नालिशातअज़तरफ़ और बनाम मुलाज़िमान फ़ौज के ॥
बाब३३—इन्टरप्लीडर यानी नालिश अमीन बमुराद तस्फ़िये बैनुलमतनाज़ईन ॥

बाब–३४ गिरफ्तारी और कुर्क़ी क़ब्ल फ़ैसला बइस्तस्नाय जायदाद ग़ैरमन्क़ूला ॥

बाब ३६–बाबत तक़र्रुर रिसीवर ॥

बाब ३७–तफ़्वीज़ मुक़द्दमा बसालसी मिनइब्तिदाय दफ़ा ५०६ लग़ायत ५२६ ॥

बाब ३८–कार्रवाई अदालत निस्बत इक़रारनामा फ़ीमाबैन फ़रीक़ैन ॥

बाब ४६–इस्तसवाब हाईकोर्ट से और निगरानी हाईकोर्ट की ॥

बाब ४७–तजवीज़सानी ॥

बाब ४९–मरातिब मुतफ़र्रिक़ मिनइब्तिदाय दफ़ा ६४० लग़ायत ६४७ और मिनइब्तिदाय दफ़ा ६४९ लग़ायत ६५२ ॥

तीसरा ज़मीमा ॥

(दफ़ा ७ को देखो)

(क़वानीनबम्बई)

बम्बईका क़ानून	२९	सन्	१८२७	ई०
ऐज़न्	७	सन्	१८३०	ई०
ऐज़न्	१	सन्	१८३१	ई०
ऐज़न्	१६	सन्	१८३१	ई०
ऐक्ट	१९	सन्	१८३५	ई०
ऐक्ट	१३	सन्	१८४२	ई०

चौथा ज़मीमा

(दफ़ा ६४४ को देखो)

प्लीडिंग्स और डिकरियोंके नमूनेजात ॥

(अलिफ़)–हिस्सा अव्वल–अरायज़दावा ॥

नम्बर १ ॥

वास्ते रुपयेके जो क़रज़ दियागया ॥

ब अदालत——मुक़ाम——

मुक़द्दमै दीवानी नम्बर——

(अलिफ़ बे)साकिन–बनाम (जीम दाल) साकिन–

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै ॥

१–यह कि बतारीख़–माह——सन्——बमुक़ाम ——मुद्दईने मुद्दआअलेहको मुबलिग़——क़रज़ दिये जो इन्दुल्‌तलब (याबतारीख़फ़लां) वाजिबुल्‌अदाथे ॥

२——यह कि मुद्दआअलेह ने ज़रमज़कूर नहींअदा किया है बजुज़ मुबलिग़——के जो बतारीख़–माह—— सन्——दिये ॥

(अगर मुद्दई किसी क़ानून तमादीसे मुक़द्दमेकेमुस्त- सना होनेका मुस्तदईहो तो बयानकरे ॥

३–यहकिमुद्दईबतारीख़–माह—सन्—सेतातारीख़ —माह——सन्—नाबालिग़ (या क़ातिरुल्‌अक़्ल)था)

४–यहकि मुद्दई मुस्तदई फ़ैसलेकाबाबत मुबलिग़– मैसूदफ़ीसदी—केतारीख़—माह——सन्——सेहै ॥

(तन्बीह)—ग़रज़ इसबातके लिखनेसे कि क़रज़ा कबवाजिबुल्‌अदाथा सिर्फ़यहहै कि सूदकी तारीख़मुअ-

य्यन होजाय पस जिस हालमें कि सूदका दावा न हो वह बयान मतरूक किया जाय) ॥

नम्बर २ ॥

बाबतउसरुपयेकेजोकिमुद्दईकेवास्तेवसूलाकियागयाथा ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) (वाव ज़ेहे) मुद्दइयान मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करते हैं ॥

१—यह कि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम ———मुद्दआअलेहनेमुबलिग़—(यारुक्काबनामबैंक—बाबतमुबलिग़—)मुसम्मा(हेवाव)सेमुद्दइयानके लिये वसूल पाये ॥

२—यह कि मुद्दआअलेहने वह रुपया नहीं अदा किया (या हवाले नहीं किया) ॥

३—यह कि मुद्दइयान मुस्तदई हैं कि मुबलिग़—मै सूदफ़ीसदी—तारीख़—माह—सन्—से महसूब होकर दिला दियाजाय ॥

नम्बर ३ ॥

बाबत क़ीमत मालके जो कारख़ानेदारने फ़रोख्त किया ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै ॥

१—यह कि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम मुद्दई और मुसम्मा(हेवाव) नेजोकि फ़ौतहोगया हैमुद्दआअलेहकोएकहज़ारबोरे आटेके और पांचसौमन

चावल(याजैसीसूरतहो) कमीशन पर बेचने के लिये ह-
वाले किये थे ॥

२—यह कि बतारीख़——माह——सन्——(या
किसीतारीख़परजोकिमुद्दईको मालूमनहींहै क़ब्लतारीख़
——माह——सन्——) मुद्दआअलेह ने माल मज़कूर
बएवज़ मुब्लिग़—के बेचडाला ॥

३—यहकि कमीशन और इख़राजात मुद्दआअलेह
के उसकी बाबत बक़दर मुबलिग़—होते हैं ॥

४—यहकिबतारीख़——माह——सन्——मुद्दईनेमाल
मज़कूरकेफ़रोख्तकारुपयामुद्दआअलेहसे तलबकियाथा

५—यह कि मुद्दआअलेहने मुबलिग़ मज़कूर नहीं
अदाकिया ॥ (इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ४ ॥

बाबतरुपयेकेजोकिमुद्दआअलेहनेमुद्दईकोअग़वाके
मेंमुग़ालताहोनेकेसबबसेवसूलपाया ॥

(उनवान)

(अलिफ़बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यह किबतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम
——मुद्दई——शलाख़चांदीकीबहिसाब——आनाफ़ीतोला
चांदीख़ालिसके ख़रीदनेपर औरमुद्दआअलेहउसकेबेच-
ने पर राजीहुआथा ॥

२—यहकिमुद्दईने शलाख़मज़कूरकामुसम्मा (हेवाव)
से अयार करवाया और उसकी उजरत मुद्दआअलेहने
अदाकी और (हेवाव)मज़कूरने ज़ाहिरकिया कि उनश-
लाख़ोंमेंसेहरएक १५००तोलाख़ालिसचांदीकीहै चुनांचे

मुद्दईने मुद्दआअलेहको मुबलिग़ — आना — उसकी बाबत अदाकिया ॥

३—यह कि हरएक उन शलाख़ों में से सिर्फ़ १२०० तोला ख़ालिस चांदी की निकली ॥

४—यह कि मुद्दआअलेह ने वह रुपया जोकि उसको ज़ायद दियागया नहीं अदाकिया है ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

(तन्बीह)—रुपयेका तलबकरना ज़रूरनहींहै लेकिन उससे शायद सूद या ख़र्चे पर कुछ असर पहुँचे ॥

नम्बर ५ ॥

बाबत रुपये के जोकि एकशख़्सको मुद्दआअलेहकी दरख़्वास्त पर दियागया ॥

(उनवान)

(अलिफ़बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करताहै—

१—यह कि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम —हस्ब दरख़्वास्त (या बइजाज़त) मुद्दआअलेहके मुद्दईने (हे वाव) को मुबलिग़—दिये ॥

२—यह किउसकेमुआविज़ेमें मुद्दआअलेहनेइन्दुल् तलब (या जैसीकिसूरतहो) मुद्दईको उसीक़दर रुपया अदा करनेका दावा कियाथा (या इक़रार कियाथा) ॥

३—यह कि (बतारीख़—माह—सन्— मुद्दईने मुद्दआअलेहसे तक़ाज़ा उसरुपयेकाकिया लेकि[न] मुबलिग़ मज़कूर नहीं अदाकिया ॥

(इस्तदुआयदादरसी

(तन्बीह)—अगरदरख़्वास्त या इजाज़त

तो अर्ज़ीदावे में उन वाक़िआत को बयान करना चाहिये जिनसे कि उसका ज़ेहनी होना मफ़हूम होता हो॥

नम्बर ६ ॥

बाबतमालके जोक़ीमत मुअय्यनपरबेचागया और हवाले कियागया ॥

(उनवान)

(अलिफ़बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करता है ॥

१—यहकिबतारीख़—माह——सन्——बमुक़ाम ——(हे वाव) मुतवफ़्फ़ा ने मुद्दआअलेहकेहाथएकसौ बोरे आटेके (या मालमुन्दर्जेफ़ेहरिस्त मुन्सलिकैयामुतफ़र्रिक़माल) बेचा और हवालेकिया—

२——यहकि मुद्दआअलेहने मुबलिग़—बाबतमाल मज़कूर बतारीख़हवालगी (याबतारीख़—माह—सन् —किसी दिन क़ब्ल गुज़रने अर्ज़ीदावाके) अदाकरने का इक़रार कियाथा ॥

३—यह कि ज़रमज़कूर उसने नहीं अदाकिया है ॥

४-यह कि(हेवाव)मज़कूरनेअपनेहीनहयातवसीयत कीऔरउसकेज़रियेसेमुद्दईकोवसीउसमालकागरदाना॥

५-यह कि बतारीख़—माह——सन्——(हेवाव) मज़कूर फ़ौत होगया ॥

६—यह कि प्रोबेट वसीयत मज़कूरका मुद्दईको अदालतसे मरहमतहुआ॥

७—यह कि मुद्दई ब मन्सबवसी (हस्बमज़कूरैबाला के) मुस्तहक़—का है ॥

(तम्बीह)—अगर तारीख़ अदाकी मुक़र्रर कीगई

तो वह बयान करनी चाहिये ताकि जिस तारीख़से सूद
शुरूअ़ हुआ वह मालूम हो) ॥

नम्बर ७ ॥

बाबतमालके जो क़ीमत मुनासिबपर फ़रोख्तकिया
गया और हवाले कियागया ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दईमज़कूर इस्बज़ैल अरज़करताहै ॥

१—यह कि बतारीख़—— माह—— सन्
क़ाम——मुद्दईने (मुतफ़र्रिक़ असबाब ख़ानेदारी) मुद्द-
आअ़लेहकेहाथ फ़रोख्तकियाऔरहवालेकियालेकिनउ-
सकीक़ीमतकेबाबमेंकुछसरीहक़रारवमदारनहींहुआथा॥

२—यह कि असबाब मज़कूर की क़ीमत मुनासिब
मुबलिग़—थी ॥

३—यहकिमुद्दआअ़लेहनेज़रमज़कूरनहींअदाकिया॥

(इस्तदुआयदादरसी)

(तन्बीह—क़ाननन् वायदा ज़हनी उसक़दररुपयेके
अदाकरनेका होताहै कि जिसक़दरमालियत मुनासिब
असबाबकी हो) ॥

नम्बर ८ ॥

बाबत मालके जो एक तीसरे शख्सको मुद्दआअ़लेहकी
दरख्वास्तपर बक़ीमत मुअय्यनहवाले कियागया ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दईमज़कूर हस्बज़ैल अरज़करताहै ॥

१—यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमु-
क़ाम——मुद्दई ने मुद्दआअ़लेह के हाथ (एकसौ बोरे
आटेके) फ़रोख्त किये और मुद्दआअ़लेहकी दरख्वास्त

पर वह बोरे मुसम्मा (हे वाव) को हवाले किये ॥

२—यहकि मुद्दआअलेहनेउसकीबाबत मुबलिग़—मुद्दईको अदा करनेका वायदा कियाथा ॥

३—यह कि ज़र मज़कूर उसने नहीं अदाकिया है।

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ९ ॥

बाबत मायोहताजके जोकिमुद्दआअलेहके मूसीके अहलोअयालको बग़ैर उसके सरीही दरख्वास्त केक़ीमत मुनासिब पर दियागया ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दईमज़कूर हस्बज़ैलअरज़करताहै ॥

१—यहकिबतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दईने (मेरीजूनिस ज़ौजा जैमसजूनिस मुतवफ़्फ़ा)कोउसकी दरख्वास्तपरचंदअजनास(ख़ूराकऔरपोशाक)दीं लेकिन कोईइक़रारसरीहीबाबत क़ीमतकेनहींकियागया॥

२—यह कि अजनासमज़कूरउसकेवास्तेज़रूरीथीं॥

३—यह कि अजनास मज़कूर बवाजिबी मालियती मुबलिग़——की थीं ॥

४—यह कि जैम्सजूनिस मज़कूर ने अदा करने से इन्कार किया ॥

५—यहकि मुद्दआअलेहवसीअख़ीरवसीयतजेम्सजूनिसमज़कूरकाहै ॥ (इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर १० ॥

बाबत मालकेजोक़ीमत मुअय्यनपरफ़रोख्त किया गया ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दईमज़कूर हस्बज़ैल अरज़करताहै

१—यह किबतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम ——मुद्दईने (हे वाव) साकिन——मुतवफ्फ़ाके हाथ (तमाम फ़सल जोउसवक़् उसके खेतवाक़ै——में उगी हुई थी) फ़रोख़्त की ॥

२—यहकि (हे वाव) मज़कूरने मुद्दईको बाबत उस के मुबलिग़——अदा करनेकावायदा कियाथा ॥

३—यहकि मुद्दआअलेहने वहरुपयानहींअदाकिया॥

४—यहकि मुद्दआअलेह मोहतामिमतरका (हेवाव) मज़कूर का है ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ११ ॥

बाबत मालके जो क़ीमत मुनासिब पर बेचागया ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दईमज़कूर हस्बज़ैल अरज़करताहै—

१—यहकि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम ——(हे वाव) साकिन——ने मुद्दआअलेहके हाथ (तमाममेवाजोउसकेबाग़वाक़ै——मेंपैदाहुआ) फ़रोख़्त किया लेकिन कोई सरीही इक़रार बाबत क़ीमत के नहीं कियागया था ॥

२—यह कि मेवामज़कूर ब वाजिबी मालयती मुबलिग़——का था ॥

३—यहकिमुद्दआअलेहनेवहरुपयानहींअदाकियाहै॥

४—यह कि बतारीख़——माह——सन्——अदालतुल्आलियाहाईकोर्टमुक़ामफ़ोर्टविलियमने (हेवाव) मज़कूरको मज़नून क़रारदिया और मुद्दईको कमेटी याने

महाफ़िज़ उसकी जायदाद का बअख़्तियारात मामूली उसके इन्तिज़ामके वास्ते मुक़र्रर किया ॥

५—यहकि मुद्दई बतौरकमेटी . हूँ (मुस्तदई दादरसी——का है ॥

(तम्बीह—जबकिमजनूनकी जायदादताबेहाईकोर्ट के मामूली अख़्तियार समाअत इब्तिदाईके नहो तो बजायफ़िक़रात४व५केइबारतमुन्दर्जैज़ैलक़ायमकीजाय॥

४-यहकिबतारीख़—माह——सन्——अदालत दीवानी मुक़ाम——ने हस्बज़ाबिता(हे वाव)मज़कूरको क़ातिरुल्अक़्ल और नाक़ाबिलइन्तिज़ाम अपनेकारोबारके तजवीज़ किया और मुद्दईको सरबराहकारउसकी जायदादका मुक़र्रर किया॥

५—यहकि मुद्दई बमन्सब सरबराहकारी मज़कूरै बालाके (मुस्तदईदादरसी—काहै)॥

नम्बर १२ ॥

बाबतअशियायकेजोकि मुद्दआअलेहकीदरख्वास्तसेबनाई गईं और उसनेनहींलीं॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अरज़ करताहै-

१—यह कि बतारीख़—माह——सन्——बमुक़ाम——(हेवाव) साकिन——नेमुद्दईसेयहमुआमलाकिया कि मुद्दईउसकेवास्ते(छःमेज़ और पचासकुर्सियां)बनादे और बरवक़्त हवालेकरने इनचीज़ों के (हे वाव)मज़कूर उनकी क़ीमत मुबलिग़ —अदाकरेगा ॥

२— ३ वहचीज़ें बनाकर बतारीख़-

माह——सन्—(हे वाव) मज़कूर से बयान किया कि वह चीज़ें तय्यार हैं लेलो और उसवक़्में हवालेकरने पर आमादा और राज़ी है॥

३—यह कि (हे वाव) मज़कूर ने उन अशियाय को नहीं लिया या उनकी क़ीमत नहीं अदाकी है॥

४—यहकिबतारीख़——माह——सन्——अदालतहाई-कोर्ट मुक़ाम फ़ोर्टविलियम् ने हस्बज़ाबितै (हे वाव) मज़कूर को मजनून क़रारदेकर मुद्दआअलेहको उसकी जायदाद का कुमेटी मुक़र्रर किया है॥

५—यह कि मुद्दई दादख्वाह है कि मुबलिग़—मै सूदतारीख़—से बहिसाबफ़ीसदी——सालानाके(हे वाव) मज़कूर की जायदादसे जोकि मुद्दआअलेहके क़ब्ज़े में है दिला दियाजाय॥

नम्बर १३॥

बाबत कमी नीलामसानी (उस मालके जो कि नीलाममें फ़रोख्त कियागयाथा॥

(उनवान)

(अलिफ़बे)मुद्दईमज़कूरहस्बज़ैल अरज़ करता है॥

(१—यहकि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम—मुद्दईने कुछ(मालसौदागरी)इसशर्त्तसे नीलामपर चढ़ाया था कि तमाममाल जिसको ख़रीदार नीलामकेबाद १०रोज़ के अंदर) क़ीमत अदाकरके न उठालेजाय वह उसकी तरफ़से फिर नीलामकियाजाय और इसशर्त्त से मुद्दआअलेह मुत्तिलाअ था॥

२—यहकिमुद्दआअलेहने(चीनीकेबरतनोंकी एकटो-

करी)नीलाममज़कूरमेंबक़ीमत मुबलिग़——ख़रीद्की ॥

३—यहकि मुद्दई उसीरोज़ मुद्दआअलेह को टोकरी मज़कूर के हवालेकरने पर आमादा और राज़ीथा और उसके बाद दशदिनतककी मोहलतथी जिससे मुद्दआ-अलेह मुत्तिलाअथा ॥

४—यहकिमुद्दआअलेहनीलामकेबाद (दशदिनके अं-दर)उसख़रीद्कियेहुये मालको नहींलेगया न बादउसके लेगया और न उसकीक़ीमत अदाकी ॥

५—यहकि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम-मुद्दईने(बरतनोंकीटोकरीमज़कूर) मुद्दआअलेहकी तरफ़ से मुबलिग़——पर दोबारानीलामकी——

६—यहकिख़र्च नीलामसानीकाबतादाद——हुआ ॥

७—यहकि मुद्दआअलेहने वह कमीजो इस नेहजपर वाक़ै हुई याने मुबलिग़——नहीं अदा किये ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

(तन्बीह) दफ़ा४——अगर बेचनेवालेने वास्तेहवाले करनेमालके न अक़रारकरलियाहो तो ख़रीदारको अस-बाब उठालेजाना होगा—ऐक्ट ९सन् १८७२ई०की ९३—को देखनाचाहिये ॥

नम्बर १४ ॥

बाबतज़रसम्मन आराज़ी मुबैयेके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अरज़करता है

१—यहकि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम मुद्दईनेमुद्दआअलेहकेहाथ(मकान और अहाते नम्बर

वाक़ै शहर—याएकखेतमौसूमबा—वाक़ै—या एकक़िताअ
अराज़ीवाक़ै—वग़ैरह) बैकिया (औरमुन्तक़िलकरदिया)
२—यहकिमुद्दआअलेहने मुद्दईको मुबलिग़—बाबत
(मकान और अहाते याखेत या अराज़ी) मज़कूर के
अदाकरने का अक़रार कियाथा॥
३—यहकि मुद्दआअलेह मज़कूर ने ज़रमज़कूर नहीं
अदाकिया॥ (इस्तदुआय दादरसी)
(तन्बीह—जिसहालमें किइन्तिक़ालवाक़ई अमल में
न आयाहोतो फिक़रेअव्वलमें यह इबारत ज़ियादहक-
रनी चाहिये कि मुद्दआअलेहकेहाथ मकानवग़ैरहफ़रो-
ख्तकियागया और उसकोक़ब्ज़ा उसका देदिया)॥

नम्बर १५॥

बाबत ज़र समन जायदाद ग़ैरमन्क़ूलाके जिसके
फ़रोख्त करने का मुआहिदाकियागया और
इन्तक़ाल नहीं कियागया॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दईमज़कूर हस्बज़ैल अरज़करता है॥
१—यहकि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम
—मुद्दई और मुद्दआअलेहके दरमियानअक़रारहुआ
था कि मुद्दई (मकाननंबर—वाक़ैशहर—याएकसौ
बीघाज़मीनवाक़ै—महदूद बसड़क ईस्टइंडियारेलवे
औरदीगरअराज़ियातमुद्दई (बएवज़मुबलिग़—मुद्द-
आअलेहके हाथ फ़रोख्त करे और मुद्दआअलेहमुद्दई
से उसको ख़रीदकरे॥
२—यहकिबतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम—

—मुद्दईने जायदाद मज़कूरकी एकदस्तावेज़इन्तक़ाल काफ़ीमुद्दआअलेहके रूबरू बअदाय मुबलिग़—मज़कूर पेशकीथी क्या उसकी तकमील के वास्ते आमादा और राज़ीथा और उससेकहाथा) और हिनोज़मुद्दई उस की तकमीलके वास्ते आमादा और राज़ीहै ॥

—॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर १६ ॥

बाबतअदाय ख़िदमतबउजरत मुअय्यन ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूरहस्बज़ैल अरज़करता है ॥

१—यहकि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दआअलेहने (मुद्दईकोबतौरक्लार्कके बतन्ख्वाह मुबलिग़——सालानामुलाज़िम रक्खा ॥

२—यहकि तारीख़ (मज़कूर) से तातारीख़——माह——सन्—मुद्दई ने (मुद्दआअलेहकी ख़िदमत बतौर क्लार्कके अदाकी)

३—यह कि मुद्दआअलेह ने तन्ख्वाहमज़कूर नहीं अदाकी ॥ (इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर १७ ॥

बाबतअदाय ख़िदमत ब उजरत मुनासिब ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूरहस्बज़ैल अरज़करता है ॥

१—यह कि माबैन तारीख़——माह——सन्——औरबतारीख़——माह——सन्—मुद्दईने चन्दतसवी-

रात औरनक़्शे जात औरअशकाल) मुद्द‌आअलेह के वास्ते उसकी दरख्वास्तसे बनाईं लेकिन कोई अक़रार सरीह इसबातमें नहींहुआ कि उसकामके वास्ते कित-नारुपया दियाजायगा ॥

२—यह कि वह काम ब वाजिबी मालियती मुब-लिग़——काथा ॥

३—यहकिमुद्द‌आअलेहनेज़रमज़कूरनहींअदाकियाहै॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर १८ ॥

बाबतउजरत और मसालेके बक़ीमत मुअय्यन ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै ॥

१—यहकिबतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दईने(एककिताबमौसूमा——अपनेपाससे काग़ज़ लगाकर एकहज़ारजिल्दें) मुद्द‌आअलेहकेलिये उसकी दरख्वास्तसेछापदीं(औरवहकिताबेंउसकोहवालेकरदीं)

२—यहकिमुद्द‌आअलेहने उसकीबाबतमुबलिग़——अदा करनेका दावा कियाथा ॥

३—यह कि उसने ज़र मज़कूर नहीं अदा कियाहै ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर १९ ॥

बाबतउजरत और मसालेके बक़ीमत वाजिबी ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै ॥

१—यहकिबतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम

—मुद्दईने एक मकान (जोनम्बर——सेमुक़ाम

...रहै) मुद्दआअलैह...

...और उसका... ॥-

यालेकिन कोईसरीहमुवाहिदा इसबाबमें नहींहुआया कि उसकाम और उसमसालेकीक्याक़ीमतअदाकीजायगी॥

वहकाम और मसाला बवाजबीमालियत मुबलिग़——काथा ॥

३—यहकिमुद्दआअलैहने ज़रमज़कूर अदानहींकियाहै॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर २० ॥

बाबत ज़र किराया मुअय्यन बमूजिब सरख़त ॥

(उनवान)

... ॥

१—यह कि सन्——बमुक़ाम मुद्दआअलैहने अपने दस्तख़तसे एक अक़रारनामामुद्दईको लिखदिया जिसकी नक़ल मुन्सलिकहै ॥

(या खुलासा उसअक़रारनामा का लिखना चाहिये)

२——यह कि मुद्दआअलैहने किराया (माह)का लगायत तारीख़——माह——सन्——बतादादमुबलिग़——नहींअदाकियाहै ॥ (इस्तदुआयदादरसी)

नमूने दीगर ॥

१——यहकि मुद्दईने मुद्दआअलैहको मकान नंबर२७ वाक़े चौरगी सात बरसकेलिये तारीख़——माह——सन्——से सालानामुबलिग़——पर किराये दिया था और वह किराया सिमाहीपर वाजिबुलअदा था ॥

२—यह कि किराया मज़कूर बाबत—सिमाहियों के बाक़ीहै और अदानहीं कियागया ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर २१ ॥

बाबत इस्तैमाल औरदख़ल के ब किराया मुअय्यन ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै ॥

१—यहकिबतारीख़—माह—सन्—बमुक़ -मुद्दआअलेह ने मुद्दईसे (मकान नंबर—वाक़ै सड़क—)ब किराये मुबलिग़—जो बतौर—यकुम् तारीख़ माहहाय—पर वाजिबुल्अदाथा लिया ॥

२—यहकि मुद्दआअलेह तारीख़—मा—तक मकान मज़कूरमें रहा ॥

३—यहकिमुद्दआअलेहनेमुबलिग़—मिन्जुमलै किराये मज़कूर के जो बतारीख़ यकुम्माह—सन्—वाजिबुल्अदा था अदानहीं किया ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर २२ ॥

बाबतइस्तैमाल और दख़लके बकिरायेमुनासिब ॥

(उनवान

(अलिफ़ बे) मुद्दईवसी (काफ़ ये) मुतवफ़्फ़ा का हस्बज़ैल   करताहै ॥

१—यहकिमुद्दआअलेहने(मकाननंबर—वाक़ैसड़क—)बइजाज़त(काफ़ ये)मज़कूरके तारीख़—माह—सन्—सेतातारीख़—माह—सन्—अपनेदख़ल

में रक्खाऔरमकान मज़कूरमेंरहनेकेलियेदरबाबकिराया कुछ अक़रारनहीं हुआथा ॥

२—यहकि किराया मकान मज़कूरकाबाबतमुद्दतम-ज़कूरके बवाजिबीबतादाद मुबलिग़—— होताहै ॥

३-यहकिमुद्दआअलेहनेमुबलिग़मज़कूरअदानहींकिया

४—यहकि मुद्दई बतौर वसीमुसम्मा मज़कूरके मुस्त-दईहै कि मुबलिग़—दिलाया जाय ॥

नम्बर २३ ॥

बाबत ख़ूराक और किराया मकान ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैलअर्ज़ करताहै ॥

१—यहकि तारीख़—माह—सन्—सेतातारीख़ —माह—सन्——मुद्दआअलेह ने चंदकमरे मकान (नंबर—वाक़ैसड़क—के)बइजाज़तमुद्दईअपनेदख़लमें रक्खे और उसकीदरख्वास्तपरमुद्दईनेअक्क वशरब और ख़िदमतगार वग़ैरह मायोहताज बहम पहुँचादिये ॥

२—यहकि बएवज़ उसकेमुद्दआअलेहने मुबलिग़—केअदाकरनेकाअक़रारकिया (यायहकिकोई अक़रारबा-बतअक्क व शरब वग़ैरह मायोहताज मज़कूरकेनहींहुआ लेकिन वह बवाजबी मालियती—काथा) ॥

३—यहकिमुद्दआअलेहनेज़रमज़कूरनहींअदाकियाहै॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर २४ ॥

बाबत किराया माल ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै॥

१—यह कि बतारीख़——माह——सन्——मुद्दआअलेह ने
——मुद्दई (अपनेजहाज़परयाऔरतौरसे (एकहज़ारबो-रे आटेके या मुतफ़र्रिक माल) मुक़ाम——सेतामुक़ाम——बदरख्वास्त मुद्दआअलेह लेगया॥

२——यहकि मुद्दआअलेहने मुबलिग़ (एक रुपयाफ़ी बोरह) बतौरउसकेकिरायेके मुद्दईसे अदाकरनेकाअक़रार कियाथा (या यहकि कोई अक़रार दरबाबअदायकिराये मज़कूर नहीं हुआथा लेकिन वहबवाजिबी बतादादमुब-लिग़——होताहै)॥

३—यह कि मुद्दआअलेहने ज़र मज़कूर नहीं अदा कियाहै॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर २५॥

बाबत किराया सवारी जहाज॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै॥

१——यह कि बतारीख़——माह——सन्——मुद्दईने मुद्दआअलेहको (अपनेजहाज़मौसूमह—पर) मुक़ाम-से मुक़ाम——तक उसकी दरख्वास्तपर पहुंचादिया॥

२——यह कि उसकी बाबत मुद्दआअलेहने मुद्दई को मुबलिग़——अदाकरनेका अक़रारकिया था (यायहकि सफ़र मज़कूर की बाबत कुछअदा करनेका अक़रारनहीं हुआथा लेकिन किराया सवारीजहाज़बवाजिबी मुब-लिग़——होताहै)॥

३——यहकिमुद्दआअलेहनेज़रमज़कूरनहींअदाकिया॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर २६ ॥

उनवान)

॥

ह—माह—सन्—बमुक़ाम—

मुद्दई और मुद्दआअलेहमें निज़ाअ दरबाब (मतालिबे मुद्दईबाबत क़ीमत दशकुप्पे तेलके जिसके अदाकरनेसे

उस

निज़ाअको फ़ैसले सालिसी (हे वाव) और (ज़ पर सिपुर्द करनेकेलिये राज़ीहुये (या उन्होंने अः उसकी बाबतलिखा जिसकी नक़ल मुन्सलिकहै)

२—यः

आ-

अलेह (मु

३-यहकिमुद्दआअलेहनेज़रमज़कूरनहींअदाकियाहै॥

(इस्तदुआयदादरसी)

(तन्बीः

जिसमें कि अक़रारनामा सालिसी अदालतमें न दाखिल कियाजाय) ॥

नम्बर २७॥

बराबेना- फ़ैसलामुल्कगैर॥

(उनवान)

मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज करताहै ॥

ह—सन्

अमलदारी——)में महकूमा——रियासत

ज़कू ... मु...

...मुक़द्दमे मज़कूरमें हस्बज़ाबितै ...

फ़ैसलासादिरकिया किमुद्दआअलेहमुबलिग़ —— मुद्दईको मयसूद तारीख़ मज़कूरसे अदाकरे ॥

२ —— यहकि मुद्दआअलेह ने ज़र मज़कूर नहीं अदा

(... दरसी)

अरायज़ दावा बरबिनाय दस्तावेज़ात बाबत महज़अदायज़र ॥

नम्बर २८ ॥

॥

(उनवान)

अलिफ़ बे) मु ... स्बज़ैल अर्ज़ करताहै ॥

—— बमुक़ाम

—— मुद्दआअलेहनेबज़रियेअपने अक़रारनामेकेमुद्दईको मुबलिग़ —— के अदाकरनेका इसशर्त्तपर अक़रारकिया कि अगर मुद्दआअलेह मुद्दईकोमुबलिग़ —— बतौरशशमाही बतारीख़ —— माह —— और बतारीख़ —— माह —— हरसाल ताहयात मुद्दईअदाकरे तोअक़रारनामामज़कूर फ़िस्ख़ होजाय ॥

२ —— यहकि मिन्बाद बतारीख़ —— माह —— सन् —— मुबलिग़ —— बाबत —— शशमाही मज़कूर के मुद्दईको ... और हिनोज़नहीं अदाहुआ ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर २९ ॥

नालिश उस शख़्सकी जिसको रुपया पानाहो बनामलिखनेवालेप्रामेसरी नोटके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै ॥

१—यह कि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम—मुद्दआअलेह ने बज़रिये अपने प्रामेसरी नोट के जकीमीआदअबगुज़रगईमुद्दईकोमुबालिग़—केअदा करनेका अक़रार बमीआद—(योम)कियाथा ॥

२—यहकिमुद्दआअलेहनेमुबलिग़मज़कूर (बजुज़मुबलिग़—जो बतारीख़—माह—सन्—अदा।) नहींदियेहैं

(इस्तदुआयदादरसी)

(तन्बीह—अगरनोटबादइत्तिलाआदिहीवाजिबुल्अदा होतोबजायफ़िक़रात १—व२—केयहलिखनाचाहिये)।

१—यहकि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम—मुद्दआअलेह ने बज़रिये अपने प्रामेसरीनोटके मुद्दईकोमुबालिग़—अंदरमाह—केबादइत्तिलाअयाबी अदाकरनेका अक़रार कियाथा ॥

२—यह कि बादअज़ां मुद्दई ने मुद्दआअलेह को यह इत्तिलाअकीथी कि—महीनेबाद इसइत्तिलाअके मुबलिग़—मज़कूर अदाकरो ॥

३—यह कि मीआद मज़कूर मुन्क़ज़ीहोगईहै लेकिन मुद्दआअलेह ने वहरुपया अदा नहीं किया है ॥

(जिसहालमें किप्रामेसरी नोटका रुपया किसीख़ास मुक़ामपर वाजिबुल्अदाहो यह लिखना चाहिये)

१—यह कि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम—मुद्दआअलेहनेबज़रियेअपने प्रामेसरीनोटकेजिसकी

मीआद अबगुज़रगई है —— रुपया —— मही
मीआदकेबाद [बमुक़ामकोठी (अलिफ़) [कम्पनीमद-
रासक अदाकरनका इक़रार

२—यह किनोटमज़कूर हस्बज़ाबितै [कोठी (अलिफ़)
कम्पनी] मज़कूरपर अदाकरनेके लिये पेश कियागया
था लेकिन अदा नहीं हुआ ॥

बयानतहरारा मुद्दआअलह ॥

ब अदालत ——— मुक़ाम ——— ज़िला-
(जीम दाल) मुद्दआअलेह मुतज़क्किरैबाला हस्ब-
ज़ैल अरज़ करताहै ॥

१—यह कि मुद्दआअलेहने प्रामेसरीनोट जिसकीरूसे
यहदावाहै बहालत मुफ़स्सिलै ज़ैल लिखा—मुद्दई और
मुद्दआअलेह चंदसालतक एककारख़ाने नीलसाज़ी में
शरीकथे और फिर उनके दरमियान यहइक़रारहुआ कि
शिराकत तोड़दीजाय और मुद्दईकारख़ानेसे अलाहिदा
होजायऔरमुद्दआअलेहकुलमालशिराकतऔरज़रहाय
ादनीअपनेऊपरलेऔरमुद्दईको क़ीमतउसकेहिस्सेवा
मालशिराकतीकीबादमिनहाईज़रहायदादनीकेअदाकरे

२—तबमुद्दईने शिराकतके बहीखातेका जांचनाऔर
शिराकतके सरमाये और ज़रहायदादनीकी तहक़ीक़ात
शुरूअकी बल्किमुद्दईने बहीखाते मज़कूरको जांचा और
तहक़ीक़ातकी और इसकेबाद मुद्दआअलेहसे यहज़ाहिर
किया कि सरमाया शिराकतका ज़ियादह एकलाखसे है
औरकोठीके ज़रहायदादनी की तादाद तीसहज़ाररुपये
से कमथी हालांकि सरमाया कोठीका ५००००)से कम

था और ज़रहाय दादनी की तादाद सरमाये से बहुत ज़ियादह होगईथी ॥

३–इस बयानके फ़िक़रै—२—में जो मुतालतादियागया उसमुतालतेके बाइस मुद्दआअलेहने वह नोट लिखा जिसकी रूसे नालिशहै और बएवज़ इसनोटके कोई और मुआविज़ा किसीतरहका नहीं दियागया ॥

नम्बर ३० ॥

नालिशउसशख़्सकी जिसकेनामपहिलेमरतबा बेचा लिखागया–बनामलिखनेवाले प्रामेसरी नोटके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अरज़करताहै॥

१—यह कि बतारीख़—माह——सन्—बमुक़ाम ———मुद्दआअलेहने बज़रिये अपने प्रामेसरीनोटके जिसकी अब मीआद गुज़रगईहै इक़रार किया कि जिसकेनाम (हे वाव) बेचा लिखे [या यह कि (हे वाव) को या जिसकेनाम बेचालिखे]-रुपया—योमकी मीआद के बाद अदाकिया जायगा ॥

२–यह कि (हे वाव) मज़कूरने मुद्दईके नाम बज़रिये तहरीर ज़ोहरी नोट मज़कूरका बेचा किया ॥

३–यहकिमुद्दआअलेहनेवहरुपयानहींअदाकियाहै॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ३१ ॥

नालिशउसशख़्सकी जिसकेनाम मिन्बाद बेचालिखागया बनाम प्रामेसरीनोट लिखनेवाले के ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अरज़करताहै ॥

१—(मुताबिक़ नमूने मरक़ूमैवाला)

२—यह कि नोट मज़कूर बतहरीर ज़ोहरी (हे वाव) मज़कूर और (ज़े हे) और (तो ये) (वग़ैरह)—मुद्दई के नाम मुन्तक़िल हुआ ॥

३—मुद्दआअलेह ने प्रामेसरी नोटका रुपया अदा नहीं किया ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ३२ ॥

नालश उसशख़्सकी जिसकेनाम पहलेमरतबाबेचालिखा गया बनामउसशख़्सकेजिसनेपहलेमरतबाबेचालिखा ॥

उनवान)

लि

१—यह कि (हे वाव) ने बतारीख़—मा

कीमीआद अब गुज़रगई है मुद्दआअलेहको या जिसके नाम वहबेचाकरे उसको मुबलिग़—बादमीआद—— महीनेके अदाकरनेका इक़रार किया ॥

—यहकि मुद्दआअलेहने उसप्रामेसरीनोटको मुद्दई

३—यहकि व़——माह——सन्——व

प्रामेसरीनोट वास्ते अदाय ज़रके हस्बज़ाबितापेशकियागया लेकिन रुपया नहीं अदाहुआ—

(या न पेश करनेका उज़्बयान करनाचाहिये)

४—यह कि मुद्दआअलेहको उसकी इत्तिलाअ थी ॥

५—यह कि वह रुपया नहीं अदा किया गया है ॥

० १४ सा० स० १८८१ ई० ।

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ३३ ॥

नालिश उसशख्सकी जिसकेनाममिन्बादबेचाकिया गया बनाम उस शख्सके जिसने पहले मरतबा बेचालिखा जिसहालतमें कि फ़रोख्तकी मख़सूस हो ॥

(उनवान)

अरज़करताहै॥

१—यह कि मुद्दआअलेहने प्रामेसरी नोट मुसम्मा (हे वाव)के हाथ बेचालिखा जिसकी अबमीआदगुज़र गईहै और वहइब्तिदामें लिखाहुआ(या ऐसामालूमहोताहैकि लिखाहुआ) (ज़े हे)का बतारीख़—माह—सन् ——मुक़ाम——इसमज़मूनसे था कि जिसको मुद्दआअलेह बेचालिखे उसकोमुबलिग़—बादमीआद—— योमके अदाकिया जायगा ॥

२—यह कि प्रामेसरीनोट मज़कूर बज़रिये इबारत फ़रोख्त(हे वाव) मज़कूर (वग़ैरह) मुद्दईकेनाम मुन्तक़िल कियागया [या यह कि (हे वाव) मज़कूरने के नाम फ़रोख्त किया] ॥

३ व ४ व ५—(हममज़मून ३ व ४ व ५—पिछले नमूने मुन्दर्जे बालाके) ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ३४ ॥

नालिश उस शख्स की जिसके नाम मिन्बाद बतहरीर ज़ोहरी फ़रोख्त कियागया बनामख़ास उसशख्सके जिसने उसके नामबतहरीरज़ोहरीफ़रोख्ताकिया ॥

(उनवान)

अलिफ़ बे) मुद्दईमज़कूर हस्बज़ैल अरज़करताहै ॥

—यह कि मुद्दआअलेहनेमुझमुद्दईकेनामएकप्रामेसरीनोट फ़रोख्तकिया जिसकीमीआद अब गुज़रगईहै और वहप्रामेसरीनोटलिखाहुआ(यामालूमहोताहै)कि लिखाहुआ(हे वाव) का बतारीख़—माह—सन्—मुक़ाम—इसमज़मूनसे कि जिसकेनाम(ज़े हे) फ़रोख्त करे उसको मुबलिग़—(बादमीआद—योमके) अदा कियाजाय और उसपर फ़रोख्त बज़रिये तहरीर ज़ोहरीमिन्जानिब (ज़े हे) बनाम मुद्दआअलेह है ॥

२व३व४ (हममज़मून नंबर३व४व५नमूनै नंबर३३)॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ३५ ॥

नालिश उसशख्सकी जिसकेनाम मिन्बादफ़रोख्तबज़रिये तहरीर ज़ोहरी कीगई—बनाम उसशख्सके जिसने दरमियानमें तहरीर ज़ोहरी की ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैलअरज़ करताहै॥

१—यह किप्रामेसरीनोट जिसकी मीआद अबगुज़र गईहै लिखाहुआ (यामालूमहोताहैकिलिखाहुआ) (हे वाव)काबतारीख़—माह—सन्—मुक़ाम—इसमज़मूनसेहै कि जिसको (ज़े हे) बेचाकरेउसकोमुबलिग़— (बादमीआद—योमके) अदा कियाजाय औरउसपरफ़रोख्त बज़रिये तहरीरज़ोहरी मिन्जानिब(ज़े हे)केबनाम मुद्दआअलेहहै और वहबज़रिये तहरीर ज़ोहरी मुद्दआ-

अलेह(वग़ैरह) के बनाममुद्दई मुन्तक़िल कियागया ॥
२ व ३ व ४ (हममज़मून नम्बर ३३) ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ३६ ॥

नालिश उसशख्सकी जिसकेनाम अखीरफ़रोख्तबज़रिये तहरीरज़ोहरीकीगई—बनाम लिखनेवाले प्रामेसरी नोट और पहले और दूसरे फ़रोख्तकरने वाले बज़रिये तहरीर ज़ोहरी के ॥

ब अदालत——मुक़ाम——ज़िला——

मुक़द्दमादीवानी नम्बर——

(अलिफ़ बे) साकिन——बनाम (जीम दाल)साकिन——और (हे वाव) साकिन——और(ज़े हे) साकिन——

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अरज़करताहै॥

१—यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दआअलेह (जीम दाल)ने बज़रिये अपनेप्रामेसरी नोटके जिसकी मीआद अब गुज़र गई है यह अक़रार किया कि जिसके नाम मुद्दआअलेह (हे वाव) फ़रोख्त लिखे उसको मुबलिग़——(बादमीआद——महीने के) अदा कियाजायगा ॥

२—यह कि (हे वाव) मज़कूरने वहप्रामेसरीनोटबज़रियेतहरीर ज़ोहरी बनाम मुद्दआअलेह(ज़े हे) के फ़रोख्तकिया और (ज़े हे) ने बज़रिये तहरीर ज़ोहरीबनाम मुद्दई के फ़रोख्त किया ॥

२—यह किबतारीख़——माह——सन्——वहप्रामे-

सरीनोटवास्तेअदायमुबलिगमज़कूरके(जीम दाल)मज़कूरके रूबरू पेशकियागया (या उज़्र न पेशकरनेकाबयान करना चाहिये) लेकिन रुपया नहीं अदा कियागया ॥

४—यहकि(हे वाव)और(ज़े हे)मज़कूरको उसकीइत्तिलाअ़ दीगई थी ॥

५—यहकि उन्होंने रुपया नहीं अदा किया ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ३७ ॥

नालिशहुण्डीके लिखनेवाले की बनामसकारने वालेके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दईमज़कूर हस्बज़ैलअरज़ करताहै॥

१—यहकि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम———मुद्दईनेबज़रिये अपनी हुण्डीके जिसकीमीआद अब गुज़रगईहै मुद्दआअलेहको लिखा कि मुबलिग़——मुझको(बादमीआद—योमकेयादेखनेपर)अदाकरना॥

२—यहकि मुद्दआअलेहने उस हुण्डी को सकारा (अगरहुण्डीबाददिखलानेकेकुछमीआदपरवाजिबुल्अदाहोतोतारीख़सकारनेकीलिखीजायवरनाज़रूरनहींहै)॥

३—यहकिमुद्दआअलेहनेरुपयानहीं अदाकिया है ॥

४—यहकि इसवजहसे मुद्दईपर इख़राजात बाबत पेशकरने औरतहरीर कराने हाल न पटने हुण्डीके और जो न पटनेकी सूरतमें लाहक़ होते हैं आयदहुये ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

(तन्बीह—जिसहालमेंकिहुण्डीशख़्ससालिसकोवाजिबुल्अदाहोतोबजायदफ़ा१व२व३केयहलिखनाचाहिये)

१—यह कि बतारीख़—मुक़ाम—बज़रिये मेरी हुण्डीके जिसकी अब मीआद गुज़र गई है और जो मैंने मुद्दआअलेहके पास भेजी मुझ मुद्दईने मुद्दआअलेह को लिखाथाकि (हे वाव) को या जिसको वहकहे मुबलिग़—बाद मीआद—महीने के अदाकरना ॥

२—यहकि मुद्दईनेहुण्डीमज़कूर (हे वाव) मज़कूरको बतारीख़—हवालेकी ॥

३—यहकिमुद्दआअलेहनेउसहुण्डीको सकारालेकिनरुपयानहींअदाकियातबवहहुंडीमुझमुद्दईकोवापिस दीगई

नम्बर ३८ ॥

नालिश उसशख़्सकी जिसको रुपया अदाकरना लिखा हो—बनाम सकारने वाले के ॥

(उनवान)

(आलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अरज़ करताहै ॥

१—यहकिबतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम—मुद्दआअलेहनेएकहुंडीको सकाराजिसकीमीआद अब गुज़रगई है वह हुंडी लिखीहुई—(या मालूम होताहै कि लिखीहुई) (हे वाव) की बतारीख़—माह—सन्—मुक़ाम—इसमज़मूनसे थी कि मुद्दआअलेह मुद्दईको मुबलिग़—दिखलानेसे—दिनकेबाद अदाकरे ॥

२—यहकिवहरुपयाअबतकअदानहींकियागया है ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ३९ ॥

नालिशउस शख़्सकी जिसकेनाम पहले मर्तबा बज़रिये तहरीर ज़ोहरी बेचा लिखागया बनाम सकारने वालेके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै ॥

१—यह कि बतारीख़—माह——सन्——मुद्दआ-अलेहनेएकहुण्डीसकारी जिसकीतारीख़गुज़रगईहै और वहहुण्डीलिखीहुई (यामालूमहोताहै किलिखीहुई)मुसम्मा (हे वाव) की बतारीख़—माह—सन्—मुक़ाम — इस मज़मूनसेथी कि मुद्दआअलेह उसशख़्सको जिसके नाम (ज़े हे) बेचालिखे मुबलिग़——दिखानेकी तारीख़से —दिनके बाद अदा करे ॥

२—यह कि (ज़े हे) मज़कूरने बज़रिये मुस्तहरीर ज़ोहरी मुद्दईकेहाथ इसका बेचालिखा ॥

३—यह कि मुद्दआअलेहने उसका रुपया नहीं अदा किया है ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ४० ॥

नालिश उसशख़्सकी जिसकेनाम अख़ीरमर्तबा तहरीर ज़ोहरी बेचा कियागया बनाम सकारने वाले के ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करताहै ॥

१—[मिस्ल नमूने मासबक़ ताआख़िर फ़िक़रह १]

२—यह कि बज़रिये तहरीर ज़ोहरी (ज़े हे) (वग़ैरह) मज़कूर के वह हुण्डीमुद्दईके हाथ मुन्तक़िल कीगईहो ॥

३—यह कि मुद्दआअलेहने उसका रुपया नहीं अदा किया है ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ४१॥

नालिश उसशख्सकी जिसको रुपया अदा होनालिखाहो—बनाम लिखनेवाले हुण्डी के बाबत न सकारेजाने के॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करताहै॥

१—यह कि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम—मुद्दआअलेहने बज़रिये अपनी हुण्डवी मौसूमा (हे वाव) के (हे वाव) मज़कूरको लिखा कि मुद्दईको मुबलिग़—देखनेकी तारीख़से—दिनके बाद अदाकरे॥

२—यह कि बतारीख़—माह—सन्—वह हुण्डी हस्बज़ाबिता (हे वाव) के रूबरू सकारनेके लिये पेश कीगई और उसने उसको नहीं सकारा॥

३—यह कि मुद्दआअलेह को उसकी इत्तिलाअ हस्ब ज़ाबिता हुई॥

४—यह कि उसने रुपया नहीं अदा किया॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ४२॥

नालिश उस शख्सकी जिसके नामपहलेमर्त्तबाबज़रिये तहरीर ज़ोहरी बेचा लिखागया—बनाम उसशख्स के जिसने पहलेमर्त्तबा बेचालिखा॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करताहै॥

१—मुद्दआअलेहने एकहुण्डीको जिसकी अबमीआद

गुज़रगईहै बज़रियेतहरीर ज़ोहरीमुद्दईकेनामबेचालि-खा वह हुण्डी लिखीहुई (या मालूमहोता है कि लिखी-हुई) मुसम्मा (हे वाव) की बतारीख़—माह—सन्—मुक़ाम—इसमज़मूनसे है कि (ज़े हे) उसशख़्सको जि-सकेनाम मुद्दआअलेह बेचालिखे मुबलिग़——दिखाने की तारीख़से(——दिनके) बाद (यामीआदी—यादिख-लाने पर) अदाकरे [उसहुण्डीको (ज़े हे) मज़कूरनेबता-रीख़—माह——सन्——सकारलिया]-

२—यहकि बतारीख़—माह—सन्——वह हुण्डी (ज़े हे) मज़कूरको वास्ते अदाकरनेके पेशकी गईथी और उसने रुपया नहीं दिया॥

३—यह कि मुद्दआअलेहको उसकी इत्तिलाअहस्ब ज़ाबिताहुई॥

४—यहकि मुद्दआअलेहने रुपया नहीं अदाकिया॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ४३॥

नालिश उसशख़्स की जिसके नाम मिन्बाद बज़रिये तहरीर ज़ोहरी बेचा लिखागया बनाम पहले बेचा लिखनेवालेके जिस हालमेंकितहरीरज़ोहरीमख़्सूसहो॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करता है॥

१—यह कि मुद्दआअलेहने एकहुण्डीको जिसकी अब मीआद गुज़रगईहै बनाम मुसम्मा (हे वाव) केबज़रिये तहरीर ज़ोहरी बेचालिखा और वहहुण्डी लिखीहुई (या मालूमहोताहै कि लिखीहुई) मुसम्मा (ज़े हे) कीबतारीख़

—माह—सन्—मुक़ाम—बईमज़मूनथी कि मु-सम्मा (तो ये) उसशख़्सको जिसकेनाम मुद्दश्राञ्चलेह लिग़—मुश्रायनेकी तारीख़ योमके बाद (या और तौरपर) अदाकरे और उसको (तो ये) —सन्—सकारा (अगर न सकारा हो तो यह इबारत मतरूक की जाय)॥

ह कि हुंडी मज़कूर बज़रिये तहरीर (हे बाव) (वग़ैरह) के मुद्दईके नाम मुन्तक़िल कीगई॥

३—यह कि बतारीख़—माह—सन्—हुंडी मज़कूर (तो ये) मज़कूरके रूबरू रुपया अदाकरनेके लिये पेश कीगई और उसने रुपया नहीं दिया॥

४—यह आ..

५—य ... न रुपया नहीं अदाकिया॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ४४॥

नालिश उसशख़्सकी जिसके नाम मिन्बादबज़रिये तहरीरज़ोहरीबेचालिखागया—बनामख़ासउस शख़्सके जिसने उसके नाम बेचालिखा॥

(उनवान)

मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है॥

१—यह कि मुद्दश्राञ्चलेहने बज़रिये तहरीरज़ोहरीके एकहुण्डीको जिसकीमीआद अबगुज़रगईहैमुद्दईकेनाम बेचाकिया वहहुण्डीलिखीहुई (यामालूमहोताहैकिलिखी हुई) मुसम्मा (हे बाव) कीबतारीख़—माह—सन्—मज़मून से है कि मुसम्मा (ज़े हे) उस

शख्स को जिसको (तो ये) कहे मुबलिग़——डिकरी की तारीख़ से——दिनकेबाद (या और नेहजपर) अदाकरे [और उसको (ज़े हे) मज़कूर ने सकारा] और (तो ये) मज़कूरनेमुद्दआअलेहके बनामवज़रिये तखसीस ज़ोहरी के बेचालिखा ॥

२—यह कि बतारीख़—माह——सन्——वह हुण्डी (ज़े हे) मज़कूरके रूबरू रुपया अदाकरनेके लिये पेशकी गईथी और उसने उसको मंज़ूर न किया ॥

३——यह कि मुद्दआअलेह को उसकीइत्तिलाअक़रार वाक़ईथी ॥

४——यहकिमुद्दआअलेहनेउनकारुपयाअदानहींकिया॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ४५ ॥

नालिश उसशख्स की जिसने मिन्बाद बइबारत ज़ोहरी बेचालिखा--बनाम उसशख्सके जिसनेदर्मियान में बइबारत ज़ोहरी बेचालिखा ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै ॥

१——यहकि एकहुण्डी जिसकीमीआदअब गुज़रगई है लिखीहुई (या मालूम होताहै कि लिखीहुई) (हे वाव) की बतारीख़——माह——सन्——मुक़ाम——इसमज़मनसे थी कि (ज़े हे) उसशख्सको जिसके नाम (तो ये) बेचालिखे मुबलिग़——तारीख़मुआयनासे——दिन की मीआदके बाद (या और नेहज़पर) अदाकरे [जिसको (ज़े हे) नेसकारालिया] और (तो ये) ने बनाममुद्दआ-

अलेह उसकी पुश्तपरबेचालिखा बज़रिये तहरीरज़ोहरी मुद्दआअलेह(वग़ैरह)के बनाम मुद्दई बेचीगई ॥

२—यह कि बतारीख़——माह——सन्——वास्ते अदायज़रके(ज़े हे)केरूबरूपेशकीगई और उसनेरुपया नहीं अदाकिया ॥

३——यहकि मुद्दआअलेहको उसकी इत्तिलाअक़रार वाक़ईथी ॥

४—यहकिमुद्दआअलेहनेरुपयाउसकाअदानहींकिया॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ४६ ॥

नालिशउसशख्सकी जिसने बज़रिये तहरीर ज़ोहरी बेचालिखा—बनाम हुण्डीकरनेवाले और सकारने वाले और बेचालिखनेवाले के ॥

बअदालत —— मुक़ाम —— ज़िला——

मुक़द्दमा दीवानी नम्बर——

(अलिफ़ बे)साकिन——बनाम (जीम दाल) साकिन ——और(वाव हे)साकिन——और(ज़े हे)साकिन——

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करता है ॥

१——यहकि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम ——मुद्दआअलेह(जीम दाल)नेबज़रियेअपनीहुण्डीके जिसकी अब मीआद गुज़रगईहै मुद्दआअलेह(हे वाव) को लिखा कि मुद्दआअलेह(ज़े हे) जिसको कहे मुबलिग़ ——(मुआयनाकी तारीख़से——योमकेबाददेना) ॥

२——यह कि बतारीख़——माह——सन्——(हे वाव) [illegible] उसकोसकारा ॥

३—यह कि (ज़े हे) मज़कूर ने बनाम मुद्दई उसकी पुश्तपर बेचालिखा ॥

४—यहकि बतारीख़—माह—सन्—वहहुण्डी (हे वाव) मज़कूर को वास्ते अदाय ज़रके पेशकीगई और उसने उसका रुपया न दिया ॥

५—यह कि दीगर मुद्दआअलेहुम को इसअम्रकी इत्तिलाअ क़रार वाक़ई थी ॥

६—यह कि उन्होंने रुपयाअदा नहींकिया ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ४७ ॥

नालिश उस शख्सकी जो याबिन्दा रुपया लिखा गया—बनाम लिखनेवाले फ़ारन बिलआफ़ऐक्स चेंज न सकारे जाने की बाबत ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यहकि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम—मुद्दआअलेहनेअपनेबिलआफ़ऐक्सचेंजके ज़रियेसे जो बमुक़ाम कलकत्ता लिखागया (हे वाव) को लिखा कि मुद्दईको लन्दनमें—पौंडदिखलानेकी तारीख़से (६० दिन) की मीआद के बाद देना ॥

२—यह किबतारीख़—माह—सन्—वहबिल-आफ़ ऐक्सचेंज सकारने के लिये (हे वाव) के रूबरूपेश कियागया और उसने रुपया नहींदिया और बादअज़ां हस्बज़ाबिता प्रोटेस्ट जारी हुआ ॥

३—यह कि मुद्दआअलेह को उसकी इत्तिलाअ क़रार वाक़ई थी ॥

४—यह कि उसने रुपया नहीं अदा किया ॥

५—(यह कि मालियत——पौंडस्नालिसकी बरवक़ तामील इत्तिलाअनामा प्रोटैस्ट मौसूमा मुद्दआअलेहके बतादाद मुबलिग़—थी) ॥

बिनाबरआनमुद्दईबाबतमुबलिग़—मयफ़ीसदी १०)रु० हर्जा और सूद मिन्इब्तिदाय तारीख़—माह—सन् ——बनाम मुद्दआअलेह दादख्वाह है ॥

नम्बर ४८ ॥

नालिशउसशख्सकी जो याबिन्दा रुपयालिखा गया--बनाम सकारने वालेके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यह कि बतारीख़—माह—सन्——बमुक़ाम ——(हे वाव) ने अपनी हुण्डी में जिसकी मीआद अब गुज़र गईहै मुद्दआअलेहको लिखा कि मुद्दईको मुबलिग़ ——उसकी मीआद के बाद (या दिखलानेसे——मीआदकेबाद) देना ॥

२—यहकिबतारीख़—माह—सन्—मुद्दआअलेह ने उस हुण्डीको सकारा ॥

३—यह कि मुद्दआअलेहने उसका रुपया नहींअदा किया है ॥ (इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ४९ ॥

नायबीमा(बिलातय्युन)बहरीबाबत जहाज़केजोकिआफ़ातबहरीसेतलफ़होगया ॥

(उनवान)

लफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करताहै ॥

१—यहकिमुदईमालिक (याहक़ीयतदार) जहाज़—का बरवक़ उसके ज़ायाहोनेकेथा जैसाकिबादअज़ींबयान किया गयाहै ॥

२—यह कि बतारीख़—माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दआअलेहुम ने बाबत मुबलिग़——जो कि उनको अदा कियेगये (या जिनके अदा करनेका मुद्दईने उसवक़ इक़रार कियाथा) मुद्दईके नाम बीमा उसजहाज़ का लिखदिया चुनांचि उसकीनक़ल मुन्सलिकहै (या जिसकीरूसे उन्होंने तारीख़ सुबूत तलफ़होने और सुबूतहक़ीयतसे——योमके अन्दर मुद्दईको तमाम नुक़्सानऔर हरजेके अदाकरनेका जो कि उसको बवजह तलफ़होने या उसजहाज़को ज़रर पहुँचनेसे दरअस्नायसफ़र——मुक़ाम——सेमुक़ाम——तकके पहुँचनेमें आयदहुआ आम इससे कि वह आफ़ातबहरीया आतशज़दगी से हो या और किसी नेहजसे जिसका ज़िक्र उसमें लिखाहुआहै उसतादादतकजो——मुबलिग़सेज़ियादह न हो इक़रार किया)

३—यह कि जहाज़ मज़कूर जबकि वहसफ़रमुन्दर्जे तहरीर बीमा मज़कूरमें था बतारीख़——माह——सन्——आफ़ातबहरीसे (या और नेहजपर) बिल्कुल तबाहहोगया ॥

४—यह कि मुद्दईका उससबबसे बतादाद मुबलिग़——नुक़्सानहुआ ॥

५—यह कि बतारीख़——माह——सन्——मुद्दईने सुबूत अपने नुक़्सान और हक़ीयतका मुद्दआअ-

लेहको दिया और हरनेहजसे तमाम शरायत बीमामज़कूरकी अपनी तरफ़से क़रारवाक़ई पूरीकीं ॥

६—यह कि मुद्दआअलेहुम ने नुक़्सान मज़कूर उसको नहीं भरदिया है ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ५० ॥

बाबतमालमहमूला जहाज़ जो आतशज़दगीसे तलफ़हुआ—बीमाबतअय्युनमालियत ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दईमज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करताहै॥

१—यह कि मुद्दईमालिक (या हक़ीयतदार) (एकसौ बोरेरुई)महमूला जहाज़——का बरवक़्त उसके तलफ़ होनेकेथा जैसा कि बादअर्ज़ी ज़िक्र कियाजाताहै ॥

२—यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दआअलेहनेबाबतमुबलिग़——जोकिमुद्दईनेउसी वक़्त अदाकरदिये (या अदाकरनेकाइक़रारकिया) मुद्दई के नाम बीमा माल मज़कूरका लिखदिया जिसकीनक़ल मुन्सलिकहै (या जिसकीरूसे मुद्दईकोमुबलिग़——दरसूरतेकि कुलमाल मुक़ाम——में पहुँचनेसे पहलेआतशज़दगी या और वजूहसे जिनका ज़िक्र तहरीर बीमामें मुन्दर्जहै तलफ़ होजाय या जिसहालमें कि जुज़ईनुक़्सानहो उसक़दर हर्जा जोकि मुद्दईकोहो बशर्त्तेकि वह मालकी कुलमालियत पर फ़ीसदी—से ज़्यादह न हो अदाकरने का इक़रारकिया)

३——यहकिबतारीख़——माह——सन्-

वक़्त कि जहाज़ सफ़र मुतज़क्किरै तहरीर बीमामेंथाकुल माल मज़कूर आगलगनेसे(या जैसीकि सूरतहो)तलफ़ होगया ॥

४ व ५ व ६ (हस्बफ़िक़रै ४ व ५ व ६ पिछले नमूने मुन्दर्जैबालाके)——

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ५१ ॥

बाबत किरायह जहाज़ बीमाबतअय्युन मालियत ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै ॥

१——यहकि मुद्दई जहाज़——के किराये सफ़रमुक़ाम——से मुक़ाम——तकमें बरवक़्त उसके तलफ़होने के जिस का ज़िक्रबादअर्ज़ी लिखाजाताहै हक़ीयत रखताथा और मिक़दार कशीर मालकी किराये पर उसवक़्तपर जहाज़ मज़कूर में लादीगई थी ॥

२——यहकिबतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दआअलेहने बाबत मुबलिग़——के जोअदाकियागया मुद्दई के नाम एक तहरीर बीमा बाबत किराये मज़कूर लिखदीथी जिसकी नक़ल मुन्सलिकहै(या हस्बमरक़ूमे बाला उसकामज़मून लिखना चाहिये)

३——यहकि जहाज़ मज़कूर जबकि सफ़र मुतज़क्किरै तहरीरबीमेमेंथा बतारीख़——माह——सन्——बिल्कुल (आफ़ात बहरी)से तबाह होगया ॥

४——यहकि मुद्दईने कुछकिराया उस जहाज़का हस्ब ाला उसके तबाह होजानेकी वजहसे उससफ़र

में नहीं वसूल कियाहै और न उस सफ़रमें जहाज़ को कुछ किराया पैदाहुआ ॥

५ व ६ (हस्ब मरक़ूमै नमूनै नम्बर ४९)

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ५२ ॥

बाबत एकनुक़्सानकेबतौर आम तख़मनिके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यहकि मुद्दई मालिक(याहक़ीयतदार) (एक सौ बोरेरुई)का जो जहाज़मौसूमा——परमुक़ाम——सेमुक़ाम ——तक भेजनेकेलिये लादेगये बरवक़्उसतबाहीकेथा जिसका ज़िक्र बादअर्ज़ी किया जाताहै ॥

२—यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम ——बाबत मुबलिग़——(जो कि मुद्दईने उसवक्त अदा करनेकाइक़रारकिया)मुदआअलेहनेघनाम मुद्दईएकबी-मामालमज़कूरका लिखदिया चुनांचिनक़लउसकीमुन्स-लिकहै(या उसका मज़मून हस्ब मरक़ूमै बाला लिखना चाहिये)३—यह कि बतारीख़——माह——सन्——जब कि जहाज़ सफ़र मुतज़क्किरै तहरीरबीमामेंथा वहजहाज़ आफ़ातबहरीसे ऐसाख़तरेमेंपड़ाकिनाख़ुदा और मल्लाहान जहाज़ ने मजबूर होकर एक हिस्सा कशीर उस जहाज़के माल व असबाबको समन्दरमें फेंकदिया ॥

४—यह कि इसवजहसेमुद्दईने मजबूरहोकरनुक़्सान बहस्ब तख़मीनेआम बतादाद मुबलिग़——अदाकिया॥

५—यह कि बतारीख़——माह——सन्——मुद्दई ने

सुबूत उस नुक़्सान और हक़ीयत का मुद्दआअलेह को दिया और हर नेहजसे तमाम शरायत बीमा मज़्कूरकी अपनी तरफ़से क़रारवाक़ई पूरी कीं॥

६—यह कि मुद्दआअलेहनेनुक़्सानमज़्कूर उसको नहीं भरदियाहै॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ५३॥

बाबतख़ास तख़मीने नुक़्सानके॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़्कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है॥

१ व २ (हस्ब पिछले नमूने मुन्दर्जैबाला)

३—यह कि बतारीख़—माह—सन्—जबकि जहाज़ समन्दरमें रवांथा पानीजहाज़में आगया और (रुई) मज़्कूर बतादाद मालियत—बिगड़गई॥

४व५—(बमूजिबफ़िक़रै५वढ्पिछलेनमूनेमुंदर्जैबाला)

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ५४॥

बाबत बीमा आतशज़दगी॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़्कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है॥

१—यहकि (मुद्दई मालिक या)हक़ीयतदार(मकान का जोनम्बर—वाक़ैसड़क—शहर—केनामसेमशहूर है)उसवक़्त था जबकि वहआतशज़दगीसे जैसाकि बाद-अर्ज़ीज़िक्र कियाजाताहै तलफ़हुआ(याज़रर पहुँचा)

२—यह कि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम

——बाबतमुबलिग़——(केजोकिअदाकियेगये) मुद्दआ-अलेहने मुद्दईकोतहरीरबीमाबाबत (मकान) मज़कूरके करदी चुनांचिनक़लउसकी मुन्सलिकहै (याउसकाम-ज़मूनबयान कियाजाय)

३——यह कि बतारीख़——माह——सन्——(मकान मसकूना)मज़कूर आतशज़दगीसेबिल्कुल तलफ़होगया (या उसको बहुत ज़रर पहुँचा)

४——यहकिमुद्दईका नुक़्सान उसवजहसे बक़दरमुब-लिग़——हुआ॥

५——यह कि बतारीख़——माह——सन्——मुद्दई ने सुबूतनुक़्सान मज़कूर और हक़ीयतकामुद्दआअलेहको दिया औरतमामशरायतबीमा मज़कूर बहमनेहजअपनी तरफ़से पूरी कीं॥

६——यहकि मुद्दआअलेहने नुक़्सानमज़कूर नहींभर दिया है॥ (इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ५५॥

नालिश बनाम ज़ामिनान अदाय किराये मकान॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है॥

१——यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——(हेवाव)नेमुद्दईसेबाबतमुद्दत——साल——केमकाननम्बर——वाक़ै सड़क——(मुबलिग़——सालानापर जो कि माहाना)वाजिबुलअदाथा किरायेलिया॥

२——यहकि(उसीवक़ और मुक़ाममें)मुद्दआअलेहने गमकान मज़कूरके जो कि(हेवाव)मज़कूरको

दिया गया उस किरायेके माह बमाह अदा करनेकेलिये अपनी ज़मानतकी ॥

३–यह कि किरायामज़कूरबाबतमाह——सन्——तादादी मुबलिग़–अदा नहींकियागया(अगरअज़रूय शरायतइक़रारनामाज़ामिनकेज़ामिनकोइत्तिलादिहीकी ज़रूरतहो तो यह इबारत ज्यादह करनी चाहिये)

४–यह कि बतारीख़——माह——सन्——।मुदआअलेहको किराया न अदाहोनेकी इत्तिलादीऔर उसके अदाकरनेका तक़ाज़ा किया ॥

५–यहकिमुदआअलेहनेज़रमज़कूरनहींअदाकियाहै॥

(बे)आरायज़दावाबाबतहरजाख़िलाफ़वरज़ीमुआहिदा

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ५६ ॥

ख़िलाफ़ वरज़ी मुआहिदा इन्तक़ाल आराज़ी ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करताहै॥

१–यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——दरमियानमुद्दईऔरमुदआअलेहके एकइक़रारनामा फ़रीक़ैनके दस्तख़तसे लिखा गया जिसकीनक़ल मुन्सलिकहै ॥

(या यह कि बतारीख़——वग़ैरह मुदआअलेहनेमुद्दईसे बयवज़ अमानत रखदेने मुबलिग़——के जोकिउसी वक़्त अदा कियागया और रक़म ज़ायद मुबलिग़दशहज़ारके जो हस्बमरक़ूमै ज़ैलवाजिबुल्अदाथा यहइक़रार कियाथा कि वहबतारीख़——माह——सन्——

बमुक़ाम——बनाममुद्दई एकक़बाला कामिल और मोतबिर मकान नम्बर——वाक़ै सड़क——शहर——तमाम दून और ज़िम्मेदारियोंसे मुबर्रालिखदेगाऔरमुद्दई ने उसकी बाबत बरवक़् हवालगीमकानकेदशहज़ाररुपये के अदाकरनेका इक़रार कियाथा)

२—यहकि बतारीख़——माह——सन्——मुद्दई ने क़बाला मकान मज़कूर का मुद्दआअलेह से तलबकिया और मुबलिग़——मुद्दआअलेह को देनेके लियेपेशकिया (या यहकि तमाम शरायतपूरीकीं औरतमाम उमूरवक़ूअमें आये और तमाम ज़माना मुन्क़ज़ीहुआजोकिमुद्दआअलेहकी जानिबसे इक़रारनामे मज़कूरकी तकमील बहक़ मुद्दई होनेकेलिये ज़रूरीथा)

३—यहकि मुद्दआअलेहने जायदाद मज़कूरका कोई क़बाला बनाम मुद्दई नहीं लिखदियाहै (या यहकि जायदाद मज़कूरपर दावा एक रेहनकाहै जोकि मिन्जानिब——बनाम——बाबत मुबलिग़——कियागयाथा जिसकी रजिस्टरी दफ्तर——में बतारीख़——माह——सन्——की गईथी और हिनोज़ वह रुपयानहीं अदाकियागयाहै या और नेहजका हुक्म हक़ीयतवाक़ै है)

४—यह कि मुद्दई इस वजहसे उस मुबलिग़के इस्तफ़ादेसे जोकि उसने बतौर अमानत मज़कूर अदाकिया और उसतमाम रुपयेके इस्तफ़ादेसे जो उसनेवास्तेतकमील ख़रीद जायदाद मज़कूरके दिया महरूमरहाहैऔर मुद्दआअलेहकीहक़ीयतकीतहक़ीक़ातमेंऔरअपनीतरफ़से इक़रारनामेकी तय्यारीमेंऔरमुद्दआअलेहकीतरफ़

से उसइक़रारनामेकी तकमील करानेकी जहदमें जो म-सारिफ़ मुद्दईने किये वहसब ज़ायहहुये ॥

बिनाबरआंमुद्दईबाबतहरजामुबलिग़——दादख्वाहहै॥

नम्बर ५७ ॥

बाबत ख़िलाफ़ वरज़ी मुआहिदा ख़रीदअराज़ी ॥

(उनवान)

(अलिफ़बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यह कि बतारीख़——माह——सन्

इक़

ख़तसेलिखागया जिसकीनक़ल मुन्सलिकहै॥

(या यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम मुद्दई औरमुद्दआअलेहने बाहम यहइक़रार किया किमुद्दईमुद्दआअलेहके हाथ४०बीघाअराज़ी वाक़ेमौज़ा——बइवज़मुबलिग़——बेंकरे और मुद्दआअलेह उस को मुद्दईसे ख़रीदकरे) ॥

२—यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दईने जो उसवक्तमालिक बिलाशिरकत जायदाद(मज़कूरका था और जायदाद मज़कूरतमामज़िम्मेदारियोंसे बरीथी जैसा कि मुद्दआअलेह पर ज़ाहिरकर दियागया)मुद्दआअलेहकोएकवसीक़ाकामिलइन्तक़ाल जायदादमज़कूरका इसशर्त्तपर देनेकेलिये पेशकियाकि मुद्दआअलेह मुबलिग़ मज़कूरअदाकरे(यामुद्दआअलेहके नामबज़रियेवसीक़ैकामिलके उसकाइन्तक़ालकरनेके लिये मुस्तैद और राज़ीथा और इस अम्रके वास्ते कहा था) ॥

३—यह कि मुद्दआअलेहने वहरुपया नहीं अदाकिया॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ५८ ॥

दूसरानमूना ॥

नालिश बाबत अदमतकमील ख़रीदारी
जायदाद ग़ैरमन्क़ूलाके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूरहस्बज़ैल अर्ज़करता है ॥

१—यह कि बज़रियेइक़रारनामे मवर्रख़ैतारीख़——
माह——सन्——माबैन मुद्दईऔर मुद्दआअलेहकेयह इक़रार पायाथाकि मुद्दई एकमकान और अराज़ीबक़ीमत मुबलिग़—बशरायत और क़यूदमुन्दर्जै ज़ैल मुद्दआअलेहके हाथबैकरे और मुद्दआअलेहमुद्दईसे ख़रीद करे याने ॥

(अलिफ़) यहकि मुद्दआअलेह मुबलिग़——इक़रारनामा मज़कूरपर दस्तख़त करनेके वक़मिन्जुमलै ज़र सम्मनके मुद्दई को अदाकरे और बाक़ी बतारीख़—माह——सन्——कि उसतारीख़ख़रीदारी मज़कूरकी तकमील होजायगी चुकादे ॥

यहकि मुद्दई बतारीख़——माह——सन्——या मकान मज़कूर की बाबत अपनी हक़ीयत कामिलज़ाहिर और साबितकरे और जबकिज़रबाक़ीमज़कूरमिन्जुमलैज़रसम्मनमुतज़क्किरैबालाकेअदाहोजाय मुद्दआअलेहकेनाम एकक़बालामुनासिबमकानमज़कूरकालिखदे और सिर्फ़उसकाज़िम्मामुद्दआअलेहहो॥

—यहकि इक़रारनामामज़कूरकीतकमीलमिन्जानि-
ब [illegible] और [illegible] नेकेलियेजो
शरायतज़रूरीथींउनकीतकमीलहुई औरतमामउमूरवक़ू
[illegible]
[illegible] अदानहींकिया ॥

३—यह कि मुद्दईपर उसवजह से नुक़्सान उनमसा-
रिफ़का जोकि उसकी जानिबसे इक़रारनामा मज़्कूरकी
तकमीलकीतय्यारीमेंहुयेआयदहुआ और मुद्दआअलेह
की तरफ़से उसकीतकमील करानेकी कोशिशमेंभी मसा-
रिफ़ आयदहुये ॥ (इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ५९ ॥

बाबत न हवालेकरने फ़रोख़्त कियेहुये माल के ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़्कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यहकि बतारीख़—माह——सन्——बमुक़ाम
——मुद्दई और मुद्दआअलेहने बाहम यहइक़रार किया
कि मुद्दआअलेह (बतारीख़—माह—सन्—) मुद्दई
को(एकसौ बोरे आटेके)हवालेकरे (और मुद्दई बरवक़्
हवालगीमालके उसकी बाबत मुबलिग़——अदाकरे)॥

२—यहकि बतारीख़(मज़्कूर)मुद्दई बरवक़् हवालगी
मालमज़्कूर ज़रमज़्कूर मुद्दआअलेह को अदाकरनेपर
आमादाऔरराज़ीथाऔरउसकेलेलेनेकोउससेकहाथा॥

३—यहकि मुद्दआअलेहने माल मज़्कूर नहीं हवाले
किया जिसके सबबसे मुद्दई उस मुनाफ़े से महरूम रहा
जोकि माल मज़्कूर की हवालगीसे उसको होता ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ६० ॥

नालिशख़िलाफ़ वरज़ी मुआहिदे मुलाज़िम रखने की ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

—माह—सन्—बमुक़ाम

— — ई अ मुद्दआअलेह बाहम यह इक़रार हुआ कि मुद्दई बतौर(मुहासिब या पेशदस्त के या जैसी कि सूरतहो)मुद्दआअलेहकी मुलाज़िमतकरे औरमुद्दआ-अलेह ख़िदमतमज़कूरपर मुद्दईकोवास्तेमुद्दत(एकसाल) के मुलाज़िम रक्खे और उसको मुबलिग़——तन्ख्वाह महीना दियाकरे ॥

२—यह कि बतारीख़—माह—सन्—मु
मरक़ूमे वाला मुद्दआअलेह का नौकर रहा और जब से नौकर है और ताइख्तिताम साल मज़कूर हनोज़ उसी ख़िदमतपर मामूर रहने के लिये आमादा और राज़ी है औरइसअम्रकीमुद्दआअलेहकोहमेशाइत्तिलाअरहीहै॥

३—यह कि बतारीख़—माह—सन्——मुद्दआ-
— — — रपर मुद्दईको मौक़ूफ़करदिया औरख़िद-मत मज़कूरके अदा करने से मनाकिया और नौकर की तनख्वाह देनेसेभी इन्कार किया ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर६१ ॥

नालिश ख़िलाफ़ वरज़ीमुआहिदे मामूरी ख़िदमतकी जिसहाल में कि हनोज़मुलाज़िमतवक़ूअमें न आईहो ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—(हस्बनमूने मरक़ूमैबाला)

२—यहकिबतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम—मुद्दईने मुद्दआअलेहसे कहा कि मैं मुलाज़िमत करनेपर हाज़िरहूँ और जबसे हमेशा उसकेवास्ते आमादा और राज़ीरहा ॥

३—यह कि मुद्दआअलेहनेउसकामपरमुद्दईको मसरूफ़ होने देने से या काम करने की तनख्वाह देने से इन्कार किया ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ६२ ॥

ख़िलाफ़ वरज़ी मुआहिदै मुलाज़िमत ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूरहस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यह किबतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम—माबैन मुद्दई और मुद्दआअलेहके यहइक़रारहुआ कि मुद्दई सालानामुबलिग़—परमुद्दआअलेहकोमुलाज़िम रक्खे और मुद्दआअलेह बतौर (एक कारीगर के) वास्ते मुद्दत (एकसाल) के मुद्दईका मुलाज़िम रहे ॥

२—यहकिमुद्दईहमेशाइक़रारनामेमज़कूरकीतामील अपनीतरफ़से करनेपरआमादा और राज़ीहैऔर (बतारीख़—माह—सन्—इसबातका इज़हार किया) ॥

३—यहकि मुद्दआअलेह (मुद्दईकीमुलाज़िमतमेंबतारीख़ मज़कूर दाख़िलहुआ लेकिनामिनबाद बतारीख़—

माह—सन्—) उसने मुद्दई के हस्ब मज़कूरे बाला ख़िद्मत करनेसे इन्कार किया ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ६३ ॥

नालिशबनाम मेमारके ख़राबकाम बनाने की बाबत ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यह कि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम—मुद्दई और मुद्दआअलेहके दरमियानबाहमएकइक़रारनामा लिखागयाथा जिसकी नक़ल मुन्सलिक है ॥

(या इक़रारनामेका मज़मून लिखाजाय)

(२—यह कि मुद्दई ने अपनी तरफ़ से इक़रारनामे मज़कूरकी तमाम शरायत क़रारवाक़ई पूरीकी) ॥

३ मकान

नामेमज़कूरबुरेतौरपरऔरकारीगरीके ख़िलाफ़बनाया)॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ६४ ॥

नालिश उस्तादकी बनाम बाप या वली किसी शागिर्द के ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यह कि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम—मुद्दआअलेहनेएकइक़रारनामाअपनेदस्तख़त और मोहर+से लिखदियाथा जिसकी नक़लमुन्सलिक है ॥

(या उसइक़रारनामेका मज़मून लिखदियाजाय)

+ नमूनमुन्दर्जेऐक्ट१९ सन्१८५० ई०की रूसेज़रूरहै कि बाप या वलीकीमोहरहो ॥

२—यह कि बाद तहरीरइक़रारनामे मज़कूरके मुद्दई ने उस(शागिर्द)को अपनी ख़िदमतमें बतौर शागिर्द के मुद्दत मज़कूरैबालाके वास्तेरक्खा औरजो उमूर किउस इक़रारनामेमेंमुद्दईकी तरफ़से तामील पाने चाहिये वह सबहमेशापूरेकियेऔरपूरेकरनेपरआमादा औरराज़ीहै॥

३—यह कि बतारीख़——माह——सन्——वह(शागिर्द)अमदन् मुद्दईकीख़िदमत गुज़ारीसेग़ैरहाज़िरहुआ और अबतक ग़ैरहाज़िर है॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ६५॥

नालिश शागिर्द की बनाम उस्तादके॥

(उनवान)

(अलिफ़बे) मुद्दई मज़कूरहस्बज़ैल अर्ज़ करता है॥

१—यहकि बतारीख़—माह—सन्——बमुक़ाम—— (अलिफ़बे)मुद्दआअलेह और मुद्दईकेबाप(हे वाव)केदरमियान एक इक़रारनामा बसब्त उनकेदस्तख़त व मोहर के हुआथा जिसकी नक़ल मुन्सलिक है॥

२—यह कि बाद तहरीर इक़रारनामा मज़कूर मुद्दई ने मुद्दआअलेह की ख़िदमत बतौरशागिर्दी वास्तेमुद्दत मुतज़क्किरै इक़रारनामे मज़कूर केअख़्तियार की और तमाम उमूर जिनकीतामीलबमूजिबइक़रारनामेमज़कूर मुद्दई की तरफ़से होनी चाहियेथीं हमेशाकी॥

३—यह कि मुद्दआअलेहने(मुद्दई को काम—नहीं सिखाया जिस अम्रमें कि ख़िलाफ़वरज़ी हुई हो वह

लिखनाचाहियेमसलन् बेरहमी या खूराक बक़दरकाफ़ी न देना या और बदसलूकी) ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ६६ ॥

नालिश बाबत इक़रारनामे दियानतदारी एक क्लर्क यानी मुहर्रिरके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दईमज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१–यहकि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दईने(हे वाव)को बतौर क्लर्कके नौकर रक्खाथा ॥

२–यहकि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दआअलेहने मुद्दईसे इक़रारकियाथाकिअगर(हे वाव)मज़कूर अपनाकाम ओहदेक्लर्कका दियानत व अमानतसे न करे और तमामरुपयेकी बाबतया क़रज़कीदस्तावेज़ात या और माल जो कि मुद्दईके इस्तैमाल के वास्ते उसकोमिले उसकाहिसाब न देसकेतोजोकुछ कि मुद्दईको उसकीवजहसे नुक़्सानहो उसकीबाबत मुद्दआअलेहउस क़दर रुपया जो मुबलिग़——से ज़ियादहनहो अदाकरे ॥

(या २–यहकि उसीवक़्त और उसीमुक़ाममें मुद्दआअलेहने बज़रिये तहरीर अपनी दस्तख़ती के मुद्दई से बक़रारदाद जुर्माना मुबलिग़——के इक़रार कियाथा कि अगर (हे वाव) मज़कूर अपनी ख़िदमात ओहदेक्लर्क और ख़ज़ानचीगरी मुद्दईको बदियानत अंजाम देगा और तमाम रुपया और दस्तावेज़ात क़रज़ा या और जायदाद जो किसीवक़्त उसकेक़ब्ज़ेमें मुद्दईकेवास्ते अमानतन्

आये उस सबका हिसाब वाजिबी मुद्दईको दे तो यह न-
विश्तह फ़िस्ख़ होजाय मगर औरनेहजसे फ़िस्ख़ नहोगा]॥

(या २—यह कि उसी मुक़ाम औरवक़्तमें मुद्दआअलै-
हने मुद्दईको एक इक़रारनामा लिखदिया जिसकीनक़ल
इस अर्ज़ीकेसाथ मुन्सलिकहै) ॥

३—यह कि माबैनतारीख़——माह——सन्——और
तारीख़——माह——सन्——(हे वाव) मज़कूरने रुपया
और और माल मालियती मुबलिग़——वास्ते इस्तैमा-
लमुद्दईकेवसूल किया औरउसका हिसाब उसेनहींदिया
है और वह अबतक याफ्तनी और ग़ैर मवद्दाहै ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ६७ ॥

नालिश किरायेदारकी बनाममालिकमकान
बाबत ख़ास हरजेके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै॥

१—यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम
——मुद्दआअलेह ने बज़रिये एक तहरीर के मुद्दई को
(मकान नम्बर——वाक़ैसड़क——) वास्ते——सालकीमी-
आदके किरायादियाथा और मुद्दईसेयहइक़रारकियाथा
कि मुद्दई और उसके क़ायम मुक़ामजायज़ बिलातअ-
र्रुज़ मीआद मज़कूरतक उसपर क़ाबिज़रहैं ॥

२—यह कि तमाम शरायतका ईफ़ाकियागया और
तमाम उमूरवक़ूअमें आये जो वास्ते इस्तहक़ाक़ नालि-
श मुद्दई के ज़रूरी थे ॥

३–यहकिबतारीख़——माह——अन्दरमीआदमज़्कूर(हे वाव) मालिक जायज़ मकान मज़्कूर ने मुद्दईको जवाज़न् उसमकानसेख़ारिजकिया और अबतकउसका क़ब्ज़ा मुद्दई को नहीं देता है ॥

४–यहकि इस सबबसे मुद्दई बमकान मज़्कूरपेशा दरज़ीका कारोबार करनेसेममनूअहुआ और वहांसेनिकल जानेमें बतादाद मुबलिग़——ख़र्चपड़ा और(ज़े हे) और (तो ये) का काम वहांसे निकलजानेके सबबउसके हाथसे निकल गया ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ६८ ॥

ख़िलाफ़ वरज़ीमुआहिदै ज़िम्मेदारी
बाबत अशियाय मन्क़ूलै ॥

(उनवान)

(बे)मुद्दई मज़्कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१–यह कि बतारीख़——माह——सन् बमुक़ाम -मुद्दआअलेहने यह ज़िम्मा करलियाथा कि एक ख़ानी कलअच्छाकामदेतीहुईहै और इसबयानसेमुद्दई इसके ख़रीदनेकी रग़बतहुई और उसकीबाबतमुबलिग़——मुद्दई ने अदाकिया ॥

२–यहकि दुख़ानीकल मज़्कूरउसवक़्त अच्छाकाम देतीहुईनथीजिससेमुद्दईकोउसकीमरम्मत करानेमेंख़र्च करनापड़ा औरवहमुनाफ़ा दरअस्नाय मरम्मत उसको हासिल होता ॥

नम्बर ६९ ॥

नालिश बरबिनाय इक़रारनामै बरीयंत ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूरहस्बज़ैलअर्ज़ करता है॥

१–यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दई और मुद्दआअलेह कोठी (अलिफ़ बे) और (जीम दाल) के नामसे बशराकत ब्योपार करतेथे कि उन्होंने शराकत फ़िस्ख़करकेबाहम यहइक़रार किया कि मुद्दआअलेहतमाममाल शरायतीलेकरअपनेपासरक्खे और कोठी का तमामक़रज़ा अदाकरे और जो दआवे कि मुद्दईपर इसकोठी के मक़रूज़ होनेके बाबत क़ायम कियेजायँ उनसबसे मुद्दई को बरीकरदे ॥

२–यह कि मुद्दईने तमाम शरायत जो बमूजिबइक़-रारनामैमज़कूर उसकीतरफ़से पूरीहोनीचाहियेथींक़रार वाक़ईपूरीकीं ॥

३–यह किबतारीख़——माह——सन्——(एकफ़ैसला बनाममुद्दईऔरमुद्दआअलेह(हेवाव)नेअदालतहाईको-र्ट मुक़ाम——से बाबतक़रज़ेके जोकि (हे वाव)मज़कूरको कोठी मज़कूरसे यापतनीथाहासिलकियाऔर बतारीख़ माह——सन्——)मुद्दई ने मुबालिग़ -(बाबत मता-लिबे मज़कूर) अदाकिया ॥

४–यहकि मुबलिग़ मज़कूर मुद्दआअलेहनेमुद्दईको नहीं अदाकिया ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ७० ॥

नालिश मालिकजहाज़की मालकेलादनेवाले पर वास्ते न लादने मालके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करताहै ॥

१-यह किबतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——माबैन मुद्दई और मुद्दआअलेहके एक इक़रारनामा लिखागया।जिसकी नक़ल मुन्सलिक है ॥

(या१-यहकि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दई और मुद्दआअलेहने बज़ारियेचारतरपारटीके बाहम यहइक़रार कियाकि मुद्दआअलेह मुद्दईके जहाज़——मुक़ीम——पर बतारीख़——माह——सन्——पांचसौटनमाल तिजारतीहवालेकरे और वहजहाज़उस मालको मुक़ाम——तकलेजाये और वहां बरवक़्त अदा होने किराये के माल हवालेकरदे और मुद्दआअलेहको——योमकी मोहलत वास्ते लादनेके और——योमकी मोहलत वास्ते उतारनेमालके और——योमकीमोहलत वास्तेहर्जमर्जके अगर ज़रूरतहो मुबलिग़——योमिया के हिसाबसे मिले ॥

२-यहकि बतारीख़मुअय्यन हस्बइक़रारनामे मज़कूर मुद्दईआमादा और राज़ीथाऔरउसनेमुद्दआअलेह से(मालमज़कूर या माल मुतज़क्किरैइक़रारनामेमज़कूर) लेनेको कहा था ॥

३-यहकि मुद्दत जो वास्ते लादने और हर्ज मर्ज के

मुक़र्रर कीगईथी वह गुज़र गई लेकिन मुद्दआअलेहने मालमज़कूर उसजहाज़परहवालेनहींकिया बिनाबरआं मुद्दई वास्ते मुबलिग़——बाबत हर्ज मर्जके और वास्ते मुबलिग़——ज़ायद बाबत हर्जेके दादख्वाह है ॥

(जीम)-अरायज़दावा बाबत हर्ज फ़अलबेजा के ॥

नम्बर ७१ ॥

अराज़ी पर मदाख़िलतबेजाकी बाबत ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१-यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दआअलेहमुद्दईकी अराज़ीमें जो——नामसे मशहूरहैदाख़िलहुआ(औरउसमेंमवेशीको चराया और घासको पामाल किया और दरख्तकीलकड़ी काटीऔर और नेहजसे ज़रर पहुँचाया) ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ७२ ॥

मदाख़िलतबेजा मकान मस्कूनामें घुसजानेसे ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै ॥

१-यह कि मुद्दआअलेहमुद्दईके मकानमस्कूनामौसूमा——में घुसगया और देरतक उसमेंशोर और फ़साद करतारहा और उसमकान मस्कूनाके दरवाज़े तोड़डाले औरमुद्दईकी जोअशियायउसमकानमें मुलसिक़थीं और जोमालथा वहलेगया और मुद्दआअलेहने अपनेवास्ते उनकोबेचडाला औरमुद्दईकोऔरउसकेअहलवअयाल

को उस मकानसे निकालदिया और बहुत देरतक इसी तरह निकालाहुआ रक्खा ॥

२—यह कि इसवजहसेमुद्दई अपनेकारोबारके इजरासे ममनूअरहा और दूसरा मकान मस्कूना अपने और अपने अहलवअयालके वास्ते लेनेमें उसपर मसारिफ़ आयद हुये ॥ (इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ७३ ॥

मदाख़िलतबेजा बाबत अमवाल मन्कूला ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दईमज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै ॥

१—यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दआअलेहने मुद्दईके दसपीपे रमशराबके खोल डाले और उनमें जो शराब थी वहसड़कमें डालदी [या ईका माल याने लोहा चावल असबाब ख़ानेदारीया सी कि सूरतहो अपने ज़ब्तमें लाकर लेलिया और लेकर चलागया और अपने वास्ते उसको बेचडाला]॥ (या मुद्दई की गाय और बैल पकड़कर लेगया और बन्दकरदिये और अरसेदराज़तक उनको बन्दरक्खा)॥

२—इस सबबसे मुद्दई गाय और बैलोंकेइस्तफ़ादेसे इस अरसे तक महरूम रहा और उनको चराने और वापिस लानेमें मुदईपर सर्फ़ आयदहुआ और—मेलेमें उनके बेचनेसेबाज़रहा वरना वहांबेचडालता औरमुद्दई को उनगाय और बैलकी क़ीमतमें घटजानेका नुक़्सान हुआ (अगर और कोई नुक़्सानहो तो मुताबिक़ हालातके बयान कियाजाय) ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ७४ ॥

माल मन्कूलैको अपने काममें लेआनेकी बाबत ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१--यह कि बतारीख़---माह---सन्------मुद्दई क़ाबिज़ माल मुसर्रह फ़र्दमुन्सलिके का था (याएकहज़ार आटे के बोरे का)

२----यहकि बतारीख़ मज़कूर बमुक़ाम----मुद्दआअलेह उसको अपने काममेंलाया और उसनेमुद्दईकोउसके इस्तफ़ादे और क़ब्ज़ेसे बेजा महरूमकिया ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

फ़र्दमाल ॥

नम्बर७५ ॥

बनाम मालिक गोदाम मालके हवाले करनेसे इन्कार करनेकी बाबत ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करता है ॥

१----यह कि बतारीख़-----माह----सन्----बमुक़ाम ----मुद्दआअलेह ने बशर्त्त अदाय मुबलिग़----(या मुबलिग़----फ़ीबोरामाहाना वग़ैरह)यहइक़रार किया कि वह अपने गोदाममें(सौबोरेआटेके)रक्खेगा और जबकि ज़र मज़कूर अदाकिया जाय तो वह उसमालको मुद्दई के हवाले करेगा ॥

२----यहकि इसशर्त्तपर मुद्दईने मुद्दआअलेहके पास (आटेके सौ बोरे)मज़कूर अमानत रक्खे ॥

३—यह कि बतारीख़—माह—सन्— मुद्दई ने माल मज़कूर मुद्दआअलेहसे तलबकिया और मुबलिग़—(या कुल तादाद किराया गोदाम जो उसकी बाबत वाजिबुल्अदाथी)देनेको पेशकीलेकिन मुद्दआअलेहने उसमालके हवाले करनेसे इन्कार किया ॥

४—यहकि मुद्दईइसवजहसेमाल मज़कूरको (हे वाव) केहाथ बेचनेसे बाज़ रक्खागया और वह माल मुद्दई के हाथसे जातारहा ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर७६ ॥

फ़रेबन् लेना मालका ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूरहस्बज़ैल अर्ज़करता है ॥

१—यह कि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम—मुद्दआअलेह ने मुद्दईको कुछमाल मुद्दआअलेह के हाथ बेचनेपर राग़िब करनेकेलिये मुद्दईसे यह ज़ाहिर किया(किमुद्दआअलेहमुस्ततीअहैऔरअपनेतमामदयूनसे ज़ियादह मुबलिग़—की इस्तताअत रखता है ॥

२—यहकि मुद्दई इसवजहसे(ख़ुश्कमाल)मालियती मुबलिग़—मुद्दआअलेहके हाथ बेचने (और हवाले करने)पर राग़िबहुआ ॥

३—यहकि उसकेबयानातमज़कूरग़लतथे (यादरोग़गोई की कैफ़ियत बयान करनी चाहिये)और उसवक़्त मुद्दआअलेह ख़ुद जानताथा कि वह बयान ग़लत है ॥

४—यहकि मुद्दआअलेह ने माल मज़कूर की बाबत

रुपया नहीं अदाकिया है—(या अगर माल हवाले न किया गयाहो तो) यह कि मुद्दईपर माल मज़कूरकी तय्यारी और उसको जहाज़पर लादने और उसको फिर वापिस लेनेमें सर्फ़ बक़दर मुबलिग़—आयद हुआ ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ७७ ॥

फ़रेबन् दूसरे शख्सको क़र्ज़ दिलाना ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यह कि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम—मुद्दआअलेहने मुद्दई से बयान किया कि (हे वाव) मुस्ततीअ़ और ख़ूब मोतिबर शख्सहै और अपने तमामदयूनसे ज़ियादहमालियत बक़दरमुबलिग़—के रखताहै (या यह कि (हे वाव) उसवक़्त एकओहदाज़िम्मेदारीका और अच्छी हैसियत रखताहै और उसको उधारमाल कुछ अंदेशा नहीं है)

२—यह कि इसवजहसे मुद्दई (हे वाव) मज़कूरकेहाथ (चावल) मालियती मुबलिग़—का (—महीने के वायदेपर) बेचनेपर राज़ीहुआ ॥

३—यह कि बयानात मज़कूर दरोग़थे और मुद्दआअलेह ख़ुद उस दरोग़से उसवक़्त वाक़िफ़था और वह बयान बनीयत मुग़ालते और फ़रेबदिही मुद्दईकेकियेगयेथे(या मुद्दईको धोखादेने और ज़ररपहुँचानेके वास्ते)॥

४—यहकि(हे वाव)मज़कूरने(बाबत मालमज़कूरकेबादगुज़रनेवायदेमरक़ूमेबालाके रुपयानहीं अदाकिया या)

बाबत उसचावलकेरुपयानहींदियाऔरमुद्दईबवजहबया नात मरक़ूमैबालाके उसमालको बिल्कुलहाथसेखोबैठा॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ७८ ॥

मुद्दईकी ज़मीनके पानीको नजिसकरने के बाबत ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूरहस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यह कि मुद्दई ज़मीन मौसूमै——वाक़ै——पर और एककुवें पर जो उसमें है और उस पानी पर जो उसकुवेंमेंहै क़ाबिज़है और हमेशा उसमुद्दततक जिसका ज़िक्र ज़ैलमें किया जायेगा क़ाबिज़ रहाहै और इसकुवें और उसकेपानीको इस्तैमालमेंलाने और उससेफ़ायदा उठाने का मुस्तहक़है और नीज़ इस बातका इस्तहक़ाक़ रखताहै कि चन्दसोते और चश्मे पानीके जो उसकुवेंमें बहकर आतेहैं और गिरतेहैं वह इसतौरसे बहकरआयें और गिरें कि पानी गंदा या नजिस न हो ॥

२—यह कि बतारीख़——माह——सन्——मुद्दआ- अलेहने बेजा उस कुवें और उसके पानी को और उन चश्मों और सोतों को जो उस कुवेंमें गिरतेहैं गन्दा और नजिस किया ॥

३—यह कि बवजूहमरक़ूमैबाला पानीकुवें मज़कूरका नापाक होकर ख़र्चखाने और दीगर अग़राज़के लायक़ नहीं रहा और मुद्दई और उसका ख़ानदान उसकुवेंऔर इस्तैमाल ——तफ़ादेसे महरूमहै ॥

(इस्तद्आयदादरसी)

नम्बर ७९ ॥

बाबत जारीरखने कारख़ाने ईज़ारसांके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुदई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यहकि मुदई अराज़ी मौसूमा—वाक़ै—पर क़ाबिज़है और उसतमाम अरसेसेजो सवालहाज़ामेंबाद अर्ज़ी मरक़ूमहै क़ाबिज़ रहा ॥

२—यह कि तारीख़—माह—सन्—से मुद्आअलेहके कारख़ाने फ़लज़ातसे धुवां और दीगरबुख़ारात बदबूदार और समियतआमेज़ और मुज़िर तन्दुरुस्ती और मुवादफ़ासिद निकलताहै औरअराज़ी मज़कूरपर फैलताहै और वहांकी हवामें मिलकरउसकोबिगाड़ताहै और अराज़ीकी मिट्टी औरसतहपरबैठकरजमाहोताहै॥

३—यहकि उसकी वजहसे दरख़्त और झाड़ी और नबातात और फ़सल ज़राअतको जोउसज़मीनपरहोती है मज़र्रत पहुँचती है और मालियत का नुक़्सान होता और मवेशी और जानवर मुद्दईके जो उस ज़मीनपर वह ज़ईफ़ और बीमार होजाते हैं और चन्द उनमें से मसमूम होकर मरगये ॥

४—यहकि बवजह मरक़ूमेबाला मुद्दई अराज़ी मज़कूर में अपने मवेशीऔर भेड़ोंको नहींचरासकाहै औरअगर ऐसा न होता तो चरासक्ता अबमुदईको अपनेमवेशीऔर शी ज़राअतके जानवर वहांसे लेजाने पड़े औरअराज़ी मज़कूरकेउसफ़ायदेबख़्शआ तआवर

इस्तैमाल और दख़लसे जोकि दरसूरत न होने वजह मज़कूरके हासिल होता महरूम है॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ८०॥

बाबत मज़ाहिमत राह॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है॥

१—यहकि मुद्दई क़ाबिज़(एकमकानवाक़ै मौज़े— काहै) और उसवक़् जिसका ज़िक्र बादअर्ज़ी मरक़ूम है क़ाबिज़ था॥

२—मुद्दई मुस्तहक़था कि सालके हरमौसिममें ख़ुद और ब हमराही अपने नौकरोंके(मै सवारीके यापियादे या)अपने मकान मज़कूरसे फ़लां खेतकेऊपर होकर एक शारैआमतक जायाकरे और फिर शारैआमसे उसीखेत पर होकर अपने मकानको लौटआये॥

३—यहकि बतारीख़—माह—सन्—मुद्दआअलेहने उसराहकोबतरीक़नाजायज़ रोंकदियाइसवजह से मुद्दई(सवारीपर यापैदल या किसीतरह)आमदोरफ्त नहीं करसक्ता(और जबसे उसराहको बतरीक़नाजायज़ रोंक रक्खा है)॥

४—(अगर कोई ख़ासनुक़्सान हुआहोतोवहबयान कियाजाय)॥ (इस्तदुआयदादरसी)

नमूनैदीगर॥

ने बेजातौरपर एक खा

आमपर जो——से

तकहै इसतौरपर जमाकररक्खाहै कि रास्ताबंदहोगया॥

२—यह कि इसवजहसे मुद्दई उसवक्त कि जायज़ तौरपर उस रास्तेसे गुज़रताथा उसमिट्टी और पत्थरके ढेरपर (या उसखाईमें) गिरपड़ा और मुद्दई का हाथटूट गया और बड़ी तकलीफ़उठाई और मुद्दततकअपनाकाम नकरसका औरमुआलिजाकरनेकासर्फ़भीआयदहुआ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ८१॥

बाबतफेरने गोल या मुजराय आब या पानीकी नाली के॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करताहै॥

१—यह कि मुद्दई क़ाबिज़ एक पनचक्की वाक़े नाली मारूफ़ब— वाक़ेमौज़े—ज़िले—है और उसवक़्त जोकि बादअर्ज़ी मरक़ूमहै क़ाबिज़था॥

२—यह कि बवजह उसक़ब्ज़ेके मुद्दईमुस्तहक़इसका है कि नाली मज़कूर उस पनचक्कीके चलानेके लिये बहतीरहे॥

३—यहकि बतारीख़—माह—सन्—मुद्दआअलेहने उस नालीका किनारा काटकर उसके पानीको बतरीक़ नाजायज़ इसतरहफेरदियाहै कि मुद्दईकी पनचक्की की तरफ़ पानी कम आताहै॥

४—यहकिइसवजहसेमुद्दई—मिक़दारग़ल्लायोमिया से ज़ियादा नहीं पीससक्ताहै हालां किउसपानीकेफेरदेने सेपहिलेमुद्दई योमिया—मिक़दारग़ल्लापीससक्ताथा॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ८२ ॥

बाबत मज़ाहिमत इस्तहक़ाक़ लेने पानी के आबपाशी के लिये ॥

(उनवान)

(अलिफ़बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यहकि मुद्दई अराज़ी वाक़ै——का क़ाबिज़ है और उसवक़् जिसका ज़िक्र बाद्अर्ज़ीं मरक़ूमहै क़ाबिज़ था और इस्तहक़ाक़ रखताथा कि फ़लां नहर या नदी या नाली के पानी का हिस्सा अराज़ी मज़कूरकी आबपाशी के लिये मुस्तैमिल करे ॥

२—यहकिबतारीख़——माह——सन्——मुद्दआ- [illegible] उसपानीके हिस्से मज़कूरको हस्बमरक़ूमैबाला लेने और उसका इस्तैमाल करने से मुद्दईको इस तरह बाज़ रक्खा कि पानी की धारको बतरीक़ नाजायज़ रोक कर दूसरी तरफ़ फेरदिया ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ८३ ॥

बाबत उस ज़ियानके जो किरायेदारने कियाहो ॥

(उनवान)

(अलिफ़बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यहकिबतारीख़——माह——सन्——मुद्दआ- अलेह ने मुद्दई से मकान नम्बर——वाक़ै सड़क वास्ते——मुद्दतके किराया लियाथा ॥

२—यहकिमुद्दआअलेहकिरायेपरउसमेंदख़ीलरहा ॥

३—यहकि [illegible] ——मुद्दआअलेहने

मकान को बहुत ज़रर पहुँचाया (दीवारोंकोबिगाड़डाला फ़र्शको फ़ाड़डाला दरवाज़ोंको तोड़डाला या और तौर से ज़रर की तसरीह जहांतक कि मुमकिनहो कीजाय)॥

बिनाबरआं मुद्दई वास्ते हर्जा तादादी मुबलिग़——के दादख्वाह है ॥

नम्बर ८४ ॥

नालिश बाबत हमला और ज़दोकोबके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दआअलेहने मुद्दईपर हमला करके ज़दोकोबकी ॥

बिनाबरआं मुद्दई बाबत हर्जा मुबलिग़——के दादख्वाह है ॥

नम्बर ८५ ॥

बाबत हमले और ज़दोकोब के ख़ास ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१——यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दआअलेह ने मुद्दईपर हमला करके यहां तक मारा कि बेहोश होगया ॥

२——यह कि मुद्दई उस वजहसे बेकार होकर अपने कामपर (उसके बाद छःहफ्ते तक) न जासका और मुबलिग़——मुआलजेकेवास्ते तबीबकोदेनेपड़े औरजबसे (अपनेदायें हाथसे काम करने से) माज़ूर होगया है (या जो कुछ हर्ज हुआहो वह बयान करना चाहिये)॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ८६ ॥

बाबत हमलै और हब्स बेजाके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करताहै॥

१–यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम——मुद्दआअलेह ने मुद्दई पर हमला करके उसको——योम(याघण्टोंतक)क़ैदरक्खा (अगर कोईख़ासहर्जाहुआ हो तो उसको भी बयान करना चाहियेमसलन्) ॥

२—यहकिउस वजहसे मुद्दई के जिस्मको तकलीफ़ और दिलको रंजबहुत पहुँचा और उसके एतबार और हैसियत को बहुत ज़रर पहुँचा और बदनामी हुई और अपने कारोबारको जारीरखने और अहलोअयाल के वास्ते अपनी ज़ातीफ़िक्र वतरद्दुद करके मुआश पैदाकरनेसे माज़ूररहा और हब्स मज़कूरसे अपनीरिहाई हासिल करनेमें मुद्दईका ख़र्चा भी पड़ा (या और जोकुछहाल हो बयान कियाजाय) ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

नम्बर ८७ ॥

बाबत ज़ररके जो रेलकी सड़कपर मुद्दआअलेह की ग़फ़लत से हुआ ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यह कि बतारीख़—माह—सन्—मुद्दआलेहुम् मामूलन् मुसाफ़िरों को बसबील रेलमाबैन मुक़ाम—और बमुक़ाम—के पहुँचाया करते थे ॥

२—यह कि बतौरीस्न मज़कूर मुद्दई ज़ैल मज़कूर पर मुद्दआअलेहुम्की गाड़ियोंमेंसे जो सड़क मज़कूर पर थीं एक गाड़ीपर सवार हुआ ॥

३—यहकि दरअसनाय सफ़र मज़कूर बमुक़ाम——[या क़रीब इस्टेशन——केया माबैन इस्टेशन——और इस्टेशन——के रेलवे मज़कूरपर इंजन लड़गया और यह हादसा बवजह ग़फ़लत और नाकरदाकारी मुलाज़िमान मुद्दआअलेहुम्के वाक़ैहुआजिसकेसबबसे मुद्दईकोबहुत ज़ररपहुंचा(मुद्दईकीटांगटूटगईशिरमेंजख्मलगायाऔर जो कुछकि खासनुक़सान पहुंचाहो बयान कियाजाय)और मुआलजेमें सर्फ़पड़ा और हमेशाके वास्ते अपनेकारसाबिक़ा यानी फ़रोख्तके लिये फेरी करनेसे माज़ूरहोगया ॥

(इस्तदुआयदादरसी)

(या इसतौरपर——२यहकि बतारीख़ मज़कूर मुद्दआअलेहुम्के

और गाड़ियोंको जो उससे लगी हुई थीं मुद्दआअलेहुम् की रेलवेपर जिससे मुद्दई उसवक़ बतौर जायज़गुज़रता था हांका और चलाया कि वह इंजन और गाड़ी मुद्दई की तरफ़ आई और उसको टक्कर लगी जिससे अला आख़िरह जैसा कि फ़िक़रे ३ में है ॥

नम्बर ८८ ॥

नालिश बाबत उस नुक़सान के जो बेएहतियाती के साथ हांकने से पैदा हो ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै ॥

१—मुद्दई जूता बनानेवालाहै और अपना कारख़ाना मुक़ाम——में चलाता है और मुद्दआअलेह सौदागर है मुक़ाम——का ॥

२——(२३मई सन् १८७५ई०)को मुद्दई शहर कलकत्तेमें दोपहर पर तीन बजने के अमलपर चौरंगी की सड़क होकर जानिब पूरब पियादे पाजाताथा राहमें सड़क मौसूमा हरंगटनइस्ट्रेट को इस वजहसे क़तैकरना पड़ा कि उस सड़क और सड़क चौरंगी का तक़ातैज़वा यायक़ायमापर होताहै जब मुद्दई सड़कके इसपारसे उस पारजाता था और क़ब्ल उसके कि वह उसपारके वास्ते गुज़र मुसाफ़िरान प्यादा तक पहुँचने पाये एक गाड़ीमुद्दआअलेहकी जिसमें दो घोड़े लगेथे और जोबसुपुर्दगी और एहतमाम मुलाज़िमान मुद्दआअलेह केथी दफ़तनं और बराहग़फ़लत और बिलाहोशियार करने राहगीरा केतुंदी और ज़ूदी ख़तरनाकके साथ हरंगटन इस्ट्रेट से निकलकर सड़क चौरंगीमें दाख़िल होगई गाड़ी मज़कूर के बमसे मुद्दई को चोटलगी और उसके सदमें से मुद्दई गिरपड़ा और घोड़ोंके पावँके तले बहुत रौंदागया ॥

३——उससदमें और गिरपड़ने और रौंदेजाने से मुद्दई का बायांहाथ टूटगया औरउसके पहलुओं और पीठ मेंऔरजिस्मके अन्दरभीसदमापहुँचा और उनज़रबात और सदमातके सबबसे मुद्दई चार महीने तक बीमार और बहुत तकलीफ़ उठातारहा और अपना कारोबारन करसका और डाक्टरोंके हक़ुल ख़िदमत और दीगर

अख़राजातमें मुद्दईका बहुत रुपयासर्फ़हुआ औरउसके कारोबार और मुनाफ़े में बहुत कमीहुई ॥

लिहाज़ा मुद्दई दावीदार है कि मुबलिग़——बतौर ख़िसारा उसको दिलायाजाय ॥

(उनवान)

मुद्दआअलेह का बयान तहरीरी ॥

१—मुद्दआअलेहकोबयानमुद्दईसेइन्कार है कि गाड़ी मुतज़क्किरेअर्ज़ीदावामुद्दआअलेहकीगाड़ीहै औरनवह मुद्दआअलेहकेमुलाज़िमोंकेएहतमाम औरसुपुर्दगीमेंथी इसगाड़ीकेमालिकमुसम्मियान(हेवाव) और(ज़हे) साकिन—इस्टेटशहरकलकत्तापेशेअड़गड़ेकेहैं जिनसे मुद्दआअलेहगाड़ियां और घोड़े किरायेपर लियाकरताहै और वहशख़्स जिसके एहतमामऔर सुपुर्दगीमें गाड़ी थीमुसम्मियान(हे वाव) और (ज़ हे)का मुलाज़िमथा॥

२—मुद्दआअलेहयह तसलीमनहींकरताहै किगाड़ी मज़कूर दफ़तन् या बराह ग़फ़लत या बिलाहोशियार करनेराहगीरों केया ख़तरनाक तुंदी और तेज़ीकेसाथ चलतीहुई हरंगटन इस्ट्रेटसे मोड़ीगई ॥

३—मुद्दआअलेह का यह बयानहै कि मुमकिन था कि अगर मुद्दईएहतियातऔर कोशिश माक़ूलअमलमें लाता तो ज़रूर गाड़ी मज़कूरकोअपनी तरफ़आतेहुये देखता और अपने तईं उसके सदमेंसे बचाता ॥

४—अर्ज़ीदावेकीतीसरीदफ़ामेंजोमरातिबमुन्दर्ज हैं उनको मुद्दआअलेह तसलीम नहींकरता है ॥

नम्बर ८९ ॥

बाबत तहरीर तोहमत आमेज़—जिसहालमें
तोहमतआमेज़ हो ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करताहै॥

१—यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम
——मुद्दआअलेह ने एक अख़बार मौसूमा——में (या
एकचिट्ठीमौसूमा(हे वाव)में) इबारतमुन्दर्जैज़ैलनिस्बत

(यह कि वह इबारत लिखनी चाहिये)

२—यहकिवह तशरीहझूठी और अदालतआमेज़थी॥

(इस्तदुआय दादरसी)

(तंबीह—अगर तहरीरतोहमत आमेज़अदालतकी
होतोइबारततोहमतआमेज़लफ्ज़
बलफ्ज़ उसी ग़ैरज़बानमेंजो छपीहो लिखदीजाय और
बादअज़ां इसतौरपर बयान करनाचाहिये—वहइबारत
ज़बान—में तरजुमा करनेसे मानीहस्बज़ैल रखती है
और जिन लोगोंमें कि वहइबारतमुश्तहरकीगईउन्होंने
उसको इसतौरपर समझायानी—यहां लफ्ज़ीतरजुमा

करना चाहिये ॥ नम्बर९० ॥

बाबत तहरीर तोमहत आमेज़ जिसमेंखुद
अलफ़ाज़ तोहमतआमेज़ न हों ॥

(उनवान)

मज़कूर हस्बज़ैलअर्ज़करता है ॥

१–यहकि मुद्दई एक सौदागर शहर–मेंकारोबार करता है और बतारीख़—माह—सन्—और उससे पहले करताथा॥

२–यहकि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम—मुद्दआअलेहनेएकअख़बार मौसूमामें इबारतमुंदर्जेज़ैल निस्बत मुद्दईकेछापी [याएक चिट्ठीमौसूमा (हेवाव)मेंया और नेहजपर मुश्तहरकीजिसका हाल लिखनाचाहिये कि किस नेहजपर]॥

(अलिफ़बे)साकिनउसशहरकाचुपकेसेमुल्कग़ैरको चलागया औरयह कहतेहैंकि उसकेक़रज़ख्वाहजिनका क़रज़ा बतादाद मुबलिग़—है बतरद्दुद उसके पतेको दरियाफ़्त करते फिरते हैं॥

३–यह किमुद्दआअलेहकी इससे मुरादयहथी कि (मुद्दई अपने क़रज़ख्वाहोंसे बचने और उनको फ़रेब देनेकी निय्यतसे रूपोश होगयाहै)॥

४–यह कि इबारत मज़कूर दरोग़ और अदावत आमेज़थी॥ (इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर९१॥

बाबत तहत्तुक जिसके खुद अल्फ़ाज़ लायक़ नालिशकरने के हों॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दईमज़कूरहस्बज़ैल अर्ज़ करताहै॥

१–यहकि बतारीख़—माह—सन्—बमुक़ाम ... ने दरोग़ और अदावतन् मुद्दई के-निस्बतयहअल्फ़ाज़कहे(फ़लांशख़्सचोरहै)और(हेवाव)

या (चंदअशखास ने) उसे यह 1 सुना ॥
२—यहकि बवजह कहने इन अल्फ़ाज़ के मुद्दई का ओहदा———बमुलाज़िमत———के जातारहा ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ९२ ॥

बाबततहक़ुक जिसके अल्फ़ाज़ नालिश करने के लायक़ न हों ॥

(उनवान)

(अलिफ़बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै॥
१—यह कि बतारीख़———माह———सन्———बमुक़ाम———मुद्दआअलेह ने दरोग़ और अदावतन् (हे वाव) से मुद्दई कीनिस्बतकहा (वहएकशख्सनवजवानअजीब तरह काहै जिसके ईमानका ठिकाना नहींहै) ॥
२—यहकि मुद्दई उसवक़् क्लर्क यानी मुहर्रिरकी नौकरी तलाश करताथा और मुद्दआअलेह कीमुरादउन अल्फ़ाज़ से यहथी कि मुद्दईवास्ते उसओहदेकेमोतबिर शख्स नहीं है) ॥
३—यहकि बवजह अल्फ़ाज़ मज़कूरके [(हेवाव)मज़कूरनेमुद्दईकोक्लर्ककेकामपर नौकररखनेसेइन्कारकिया]

(इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ९३ ॥

बाबत नालिशफ़ौजदारी मबनी बर अदावत ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै॥
१—यह किबतारीख़———माह———सन्———बमुक़ाम

——मुद्दआअलेहने वारंट गिरफ्तारीका (मजिस्ट्रेट शहर मज़्कूरयाजोकुछकिसूरतहो)सेबइल्ज़ाम——जारीकराया जिसपर मुद्दई गिरफ्तार कियागया और तामीआद ——(दिन या घंटा क़ैदरहा और उसको हाज़िर ज़ामिनी बतादाद मुबलिग़——अपनी रिहाई हासिल करने के लिये देनीपड़ी)

२——यहकि यहअम्र मुद्दआअलेहने अदावतन् और बिलावजह माक़ूल याक़रीन क़यासके किया ॥

३——यह कि बतारीख़——माह——सन्——मजिस्ट्रेट मौसूफ़ ने मुद्दआअलेह की नालिश को ख़ारिज करके मुद्दई को बरीकिया ॥

४——यहकि बहुत अशख़ासने जिनके नाम मुद्दई को मालूमनहींहैं गिरफ्तारी का हालसुनकर और मुद्दई को मुजरिम ख़यालकरके मुद्दईके साथ कारोबार करना छोड़ दियाहै बवजह उसी गिरफ्तारीके मुद्दईका ओहदा क्लर्क या मुहर्रिरका बमुलाज़िमत (हे वाव) जातारहा यायह कि बवजूह मरक़ूमेबाला मुद्दईके जिस्मको तकलीफ़और दिलकोरंज पहुँचा और अपना कारोबार करनेसेमाज़ूर रहा और उसके एतबारमेंभी ख़ललपड़ा और क़ैदमज़-कूरसे रिहाई हासिल करने और उस नालिशकी जवाब दिहीमें ख़र्चभी करनापड़ा ॥

(इस्तदुआय दादरसी)

(दाल) अ नालिशात जायदादख़ास की

नम्बर ९४ ॥

नालिश मालिक कामिल मिल्कियतकी वास्ते क़ब्ज़े जायदाद ग़ैरमन्क़ूलाके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१——यहकि(ज्वाद ग़ैन) मालिक कामिल मिल्कियत

——वा

औ

यत यामालिकमकान

तख़-

ग़——है)का था ॥

२–यह कि बतारीख़——माह——सन्——(ज़ो)ने ख़िलाफ़क़ानून(ज्वाद ग़ैन)मज़कूरको उसमुहाल(याहिस्सै या मकान से बेदख़ल करदिया)

३–यहकि बादअज़ां (ज्वाद ग़ैन)बिलावसीअत(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूरको अपना वारिस वक़ायममुक़ाम छोड़कर मरगया ॥

४——यहकि मुद्दआअलेह क़ब्ज़ा उस मुहाल(याहिस्सै या मकान)का मुद्दईको नहींदेता है ॥

मुद्दई दादख्वाह उमूर मुफ़स्सिलै ज़ैल काहै ॥

(१)दख़लयाबी जायदाद मज़कूरह ॥

(२)दिलापाने मुबालिग़——का बाबत हर्जाबेदख़ली मज़कूरके ॥

दूसरानमूना ॥

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर यह अर्ज़ करताहै कि——

१——तारीख़——माह——सन्——को मुद्दई ने बज़

दस्तावेज़ तहरीरी के मकान व अहातैनमूनै ५२ वाक़ै सड़करसलइस्टेट मुतअ़ल्लिक़ै——बकिराया ५००) रु० माहवारी पांचबरसके लिये तारीख़——से मुद्दआ़अ़लेह को किरायेपर दिया ॥

२—उसदस्तावेज़कीरूसेमुद्दआ़अ़लेहनेअपनीतरफ़ से वादा किया कि मकान वअहातै मज़कूरको मरम्मतसे दुरुस्त और लायक़ सकूनतके रक्खेगा ॥

३—दस्तावेज़ मज़कूरमें एकदफ़ाबमुराद फिरदख़ल करनेके है जिसका यह मज़मून है कि अगर ज़रकिराया मुक़र्ररह आम इससे कि वह तलब कियाजाय या नहीं वाजिबुल्अदाहोनेसे इक्कीसरोज़तकअदानकियाजायया अगरमुद्दआ़अ़लेहकिसीवायदेकी तामीलमेंजिसकाईफ़ा उसने अपने ज़िम्मेलियाहो क़ुसूरकरे तो मुद्दई मुस्तहक़ होगा कि मकान व अहातै मज़कूरपर फिरदख़लकरले ॥

४—तारीख़—माह—सन्—कोएकमहीने का किराया और तारीख़—माह—सन्—को एक और महीनेका किराया वाजिबुल्अदाहोगया औरतारीख़—माह—सन्—तक दोनों महीनों का किराया इक्कीस रोज़तक ग़ैरमवद्दा रहाथा और अबतक ग़ैर मवद्दाहै ॥

५—उसतारीख़—माह—सन्—१८—ई० को मकान व अहाता मरम्मतसे दुरुस्त और लायक़ सकूनतके न था और न अबहै और उसमकान व अहातै को मरम्मतसे दुरुस्त औरलायक़सकूनत करनेमें ज़रख़तीर सर्फ़होगा और मुद्दईकी मिल्कियत आयन्दामें इसवजह

से बहुत कमी होगई है लिहाज़ा मुद्दई मरातिब मुफ़स्सिलै ज़ैलका दावा करता है ॥

(१) दख़ल ऊपर मकान और अहातै मज़कूरके ॥

(२) मुबलिग़——बाबत बाक़ी ज़र किरायेके ॥

(३) मुबलिग़——बाबत ख़िसारै बाअ़सवायदै ख़िलाफ़ी मुद्दआअ़लेह बीचमरम्मत वग़ैरह मकानके ॥

(४) मुबलिग़——बाबत दख़ल मकान व अहातैमज़कूर तारीख़——माह——सन् १८——ई० से रोज़ हुसूल दख़लतक ॥

नम्बर ९५ ॥

नालिश असामीकी ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूरहस्बज़ैल अर्ज़करता है ॥

१——यह कि (हे वाव) मालिक कामिल (क़ितैअराज़ीवाक़ैशहरकलकत्ता)—महदूदबहुदूदमसर्रहःज़ैलकाहै

२—यह कि बतारीख़——माह——सन्——(वाव हे) मज़कूरने अराज़ी मज़कूर मुद्दई को वास्ते——सालके तारीख़——से पट्टे परदी ॥

ह कि मुद्दआअ़लेह क़ब्ज़ा उसका मुद्दई को ॥ (इस्तदुआय दादरसी)

नम्बर ९६ ॥

बाबत जायदाद मन्क़ूला जो बेजातौरपर लेलीगईहो ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करताहै ॥

१—यह किबतारीख़——माह——सन्——मुद्दईमा-

लिक (या क़ाबिज़) एकसौबोरे आटेकाथा जिसकीतख़-
मीनी मालियत मुबलिग़——है ॥

२—यह कि बतारीख़ मज़कूर बमुकाम——मुद्दआ-
अलेह ने वह आटा उससे लेलिया ॥

बिनाबरआं मुद्दई दादख्वाह बाबत उमूर मुफ़स्सिलै
ज़ैलके है ॥

अव्वल—वास्ते दिलापाने क़ब्ज़ामालमज़कूरके या
जिसहालमें कि उसमालका क़ब्ज़ा न मिलसके तो वास्ते
दिलापाने मुबलिग़——के ॥

दोम—बाबतमुबलिग़—हर्जारोकरखनेमालमज़कूरके॥

नम्बर १७ ॥

बाबत मालमन्कूला जो बेजातौर पर रोक रक्खागया ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूरहस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यह कि बतारीख़——माह——सन्——मुद्दईमा-
लिक (या वह वाक़िआत लिखेजायें जिनसे हक़ क़ब्ज़ेका
ज़ाहिरहोताहो)माल मसरेंहःफ़र्दमुन्सालिकैका था(माल
की तसरीह लिखनी चाहिये) और मालियत तख़मीनी
उसमालकी बक़दर मुबलिग़——है ॥

२—यह कि तारीख़ मज़कूरसे ताशुरूअ नालिश
हाज़ा मुद्दआअलेहने वह माल मुद्दईको नहीं दियाहै ॥

३—यह कि इसनालिशके शुरूअहोनेसे पहलेयानेब-
तारीख़——माह——सन्——मुद्दईने मालमज़कूरमुद्दआ-
अलेहसे तलबकिया लेकिन उसने देनेसे इन्कारकिया॥
बिनाबरआंमुद्दईदादख्वाहवास्तेउमूरमुफ़स्सिलैज़ैलकेहै

अव्वल—वास्ते दिलापाने क़ब्ज़े माल मज़कूरके या जिसहालमें कि क़ब्ज़ा उसमालका न मिलसके तोवास्ते दिलापाने मुबलिग़——के ॥

दोम—वास्ते मुबलिग़——याने हर्जा रोकरखनेमाल मज़कूरके ॥

फ़ेहरिस्तमाल ॥

नम्बर ९८ ॥

नालिश बनाम उसशख्सके जिसनेबफ़रेब ख़रीदारी की और बनाम उसके जिसके नाम उसने मुन्तक़िल किया दरहालेकि मुन्तक़िल अलेह को उस फ़रेबका इल्मथा ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यह कि बतारीख़——माह——सन्——बमुक़ाम ——मुद्दआअलेह (जीम दाल) ने मुद्दईको असबातकी रग़बत दिलानेके लिये कि कुछमाल उसकेहाथ फ़रोख्त कियाजाय मुद्दई से यह ज़ाहिर किया कि (मुद्दआअलेह मुस्ततीअ और अपने तमामदयूनसे ज़ियादह मुबलिग़ ——का मक़्दूर रखताहै) ॥

२—यह कि मुद्दई इसवजहसे (जीम दाल) मज़कूर केहाथ (एकसौसंदूक चायके) जिनकी तख़मीनी मालि-यत बतादाद मुबलिग़——है बेचने और हवाले करदेने पर राग़िब हुआ ॥

३—यह कि बयानात मज़कूर दरोग़थे और उसवक़्त (जीम दाल) मज़कूर उनको दरोग़ जानताथा या यहकि

बयानात मज़कूरके वक़्त (ज़ीमदाख़्ल) मज़कूर दीवालिया+ था और अपना दीवालिया होना जानताथा) ॥

४-यह कि (ज़ीमदाख़्ल) मज़कूरनेमिनूबाद वहमाल बिलाक़ीमत (हे वाव) मुद्दआअ़लैहके हाथ (या जिसको उस बयानके झूठहोनेका इल्मथा) मुन्तक़िल किया ॥

बिनाबरआं मुद्दई दादख्वाहहै कि—

१-मालमज़कूर दिलायाजाय या जिस हालमें कि यह मुमकिन न हो मुबलिग़—दिलाया जाय ॥

२-माल मज़कूरको रोकरखनेकी बाबत हरजा मुबलिग़—दिलाया जाय ॥

(हे) अरायज़दावा दादरसीख़ास ॥

नम्बर ९९ ॥

बाबत मन्सूख़ी मुआहिदेके ग़ल्तीकी बिनापर ॥

(उनवान)

(बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै ॥

१—यह कि बतारीख़—माह—सन्—मुद्दआअ़लैहने मुद्दई से बयान किया कि एक क़िता अराज़ी अज़ां मुद्दआअ़लैह वाक़ै मुक़ाम—(दस बीघाहै) ॥

२-यह कि मुद्दईको इस बातसे उस आराज़ीको बक़ीमत मुबलिग़—ख़रीदनेके लिये बई एतबार रग़बत दिलाई गई कि वह बयान रास्त था और मुद्दई ने

+ तम्बीह मिन्मुतरज्जिम—इस तरजुमे में लफ़्ज़ दीवालिये का उस शख़्सके वास्ते मुस्तैमिल हुआ है जिसके क़रज़े इतने हों कि वह उनको अपनी कुल जायदादसे न अदा करसक्ताहो जोकि इस तमाममाने के लिये कोई लफ़्ज़ हिंदुस्तानी ज़बान में मुरव्विज़ नहीं है इस वास्ते दीवालिये का लफ़्ज़ जो ऐक्ट ८ सन् १८५९ ई० में और पिछले क़ानून में मुस्तैमिल हुआ है बतौर इस्तेलाह के क़ायम रक्खागया ॥

एक इक़रारनामे पर दस्तख़त करादिये चुनांचेनक़लउस की मुन्सलिकहै लेकिन उसअराज़ीका क़बाला मुद्दई के नाम नहीं लिखदिया गया ॥

३—यहकिबतारीख़—माह—सन्—मुद्दईने मुद्दआअलेह को मुबलिग़—मिंजुम्लै ज़र सम्मन के अदा करदिये ॥

४—यहकि क़िताअराज़ीमज़कूर फ़िलहक़ीक़तसिर्फ़ (पांच बीघे) है ॥

बिनाबरआं दादख़्वाह है कि—

अव्वल—मुबलिग़—मैसूद तारीख़—माह—सन्—से दिलादिये जायें ॥

दोम—इक़रारनामा मज़कूर वापस करा दियाजाय और मन्सूख़ हो ॥

नम्बर १००॥

बमुराद सुदूरहुक्म मुमानियत ज़ियान ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है॥

१—यहकि मुद्दई मालिक कामिल (यहांजायदादका बयान करना चाहिये) का है ॥

२—यहकि मुद्दआअलेहउसपरबमूजिबपट्टादियेहुये मुद्दईके क़ाबिज़ है ॥

३—यहकिमुद्दआअलेहनेबिलारज़ामन्दीमुद्दई (चंद क़ीमतीदरख़्तकाटडालेहैं और बेंचदेनेकेलिये चन्दऔर दरख़्त काटडालने को कहताहै) ॥

बिनाबरआं मुद्दई दादख़्वाह होकर मुस्तदई हो

मुद्दआअलेह उस अराज़ी में कोई और ज़ियानकरनेया ज़ियान करनेकी इजाज़त देने से बज़रिये हुक्म इम्त-नाईके बाज़ रक्खाजाय ॥

(जायज़ है किमुआबिज़ा ज़रनक़दके दिलादेने की दरख्वास्तभी की जाय)

नम्बर १०१ ॥

नालिश अम्र तकलीफ़देहके रफ़ाकरनेके लिये ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुदई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है॥

१—यहकिमुदई(मकाननम्बर—वाक़ैसड़क—शहर कलकत्ते)का मालिक बमिल्कियत कामिलहै औरहमेशा उस तमामवक़्में जिसकाज़िक्र ज़ैलमेंहै मालिक रहा ॥

२—यहकिमुद्दआअलेहमालिकबमिल्कियतकामिल (एकक़िते अराज़ीवाक़ैसड़क—मज़कूर)काहै और उस तमामवक़्में मालिकरहा ॥

३—यहकि बतारीख़—माह—सन्—मुद्दआ-अलेहनेक़िते अराज़ीमज़कूरपरएकमज़बह मुक़र्ररकिया और वहमज़बहहनोज़वहांक़ायमहै और उसरोज़सेउस वक़्तक जानवरोंको हमेशा वहांमँगाकर ज़िबैकरतारहा है(और ख़ून और छीछड़े वग़ैरह फ़ुज़लासड़कमज़कूरमें मुदईके मकान मज़कूरके सामने फिकवाता रहताहै)॥

४—यहकि बवजूहमरक़ूमैबालामुदईकोमकानमज़कूर छोड़देनापड़ाऔरउसकोकिरायेपरभीनहींचलासक्ताहै॥

बिनाबरआं मुदई दादख्वाह होकर मुस्तदई है कि वह अम्र तकलीफ़देह मौक़ूफ़ कराया जाय ॥

नम्बर १०२॥

मुजराय आब यानी पानी के गोल या नालीको फेर देने
की मुमानियत का हुक्म हासिल करनेके लिये॥

(उनवान)

(बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करता है॥

(मिस्ल नमूना नम्बर ८१)

मुद्दई दादख्वाह होकर मुस्तदई है कि मुद्दआअलेह बज़रिये हुक्म इम्तनाई के उस पानीको फेरदेने से बाज़ रक्खाजाय॥

नम्बर १०३॥

बमुराद दिलापाने मालमन्कूले के जिसके तलफ़
करडालनेकी मुद्दआअलेह धमकी देताहै
और बग़रज़ सुदूरहुक्म इम्तनाईके॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है॥

१—यहकिमुद्दई(अपने दादाकी एक शबीहका जिसे एकनामी मुसव्विरने तय्यार कियाथा)मालिक है और उन तमाम औक़ातपर जिनकाज़ैलमें ज़िक्रहै मालिकथा और उस शबीहकी कोई नक़ल मौजूद नहीं है(या कोई ऐसा अम्र बयान कियाजाय जिससे ज़ाहिर हो किमाल इसक़िस्मकाहैकिबसर्फ़ज़रफिरमुयस्सर नहीं होसक्ता॥

२—यहकि बतारीख़—माह—सन्—मुद्दईनेउसकोब-हिफ़ाज़तरखनेकेलियेमुद्दआअलेहकेपासरखवागयाथा॥

३—यहकि बतारीख़—माह—सन्—मुद्दईने वह शबीहमुद्दआअलेहसेमांगीऔर जोख़र्चावाजिबी उसको बहिफ़ाज़त रखनेकाहुआहो उसकेअदाकरदेनेको कहा॥

४–यह कि मुद्दई को उसके हवाले करदेनेसे मुद्दआ-अलेहने इन्कार किया और धमकीसे कहता है कि अगर उसके हवाले करदेने को कहाजायेगा तो वह उसे छिपालेगा या बेचडालेगा या काटडालेगा या उसको ज़रर पहुँचायेगा॥

५–यह कि अगर किसी क़दर मुआविज़ा ज़रनक़द दियाजायतो वह मुआविज़ाकाफ़ीवास्तेमुद्दईके(शबीह) मज़कूरके तलफ़ होजाने का न होगा॥

बिनाबरआं मुद्दई दादख्वाह है कि–

अव्वल–बज़रिये हुक्म इम्तनाईके मुद्दआअलेह (शबीह) मज़कूर के बेचने या छिपाडालने या उसको ज़रर पहुँचाने से बाज़ रक्खाजाय॥

दोम–मुद्दआअलेहसे (शबीह) मज़कूर मुद्दईको वापिस दिलादीजाय॥

नम्बर १०४॥

नालिशअमीनबमुरादतस्फ़ियेबैनुल्मुतनाज़एन॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दईमज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करताहै॥

१–यहकि क़ब्ल उन दुआबीके जिनकाज़िक्र ज़ैलमें कियाजाताहै (ज़े हे) ने मुद्दईके पास (यहां तसरीहमाल की करनी चाहिये) (बहिफ़ाज़त रखनेकेलिये) अमानत रक्खाथा॥

२–यह कि मुद्दआअलेह (जीम दाल) उसीमालका दावाकरताहै (इसबयानसे कि (ज़े हे) मज़कूरने वहमाल उसके नाम मुन्तक़िल करदिया है)॥

३—यहकि मुद्दआअलेह(हे वाव)उसीमालपर (बज़रिये तहरीर इसमज़मूनके कि(ज़े हे)मज़कूरने वहमाल उसकेनाम मुन्तक़िल कियाहै) दावीदार है ॥

४—यह कि मुद्दई इनदोनों मुद्दआअलेहों के हुक़ूक़के हालसे नावाकिफ़ है ॥

५—यह कि मुद्दईको उसमालपर कुछ दावा नहीं है और उसमालको उनअशख़ासके हाथजिनकी अदालत हिदायतकरे हवालाकरदेनेपर आमादह और राज़ीहै ॥

६—यहकि मुद्दआअलेहुम्में से किसीकेसाथ साजिश करके नालिश रुजूअ नहीं की गई है ॥

बिनाबरआं मुद्दई दादख्वाह है कि—

अव्वल—बज़रिये हुक्म इम्तनाई के मुद्दआअलेहुम् को मुमानियतहोकि इसमालपरकी निस्बतमुद्दईपरकोई मुक़द्दमा क़ायम न करें ॥

दोम—इनकोहुक्महो किइसमालकी निस्बत अपने अपनेदावे का तस्फ़िया अदालतसे करालें ॥

सोम—किसी शख्सको दरअशनायनिज़ाअ अदालत उसमालके वसूल करनेकी इजाज़त दीजाय ॥

चहारुम—जब उस (शख्स)को माल मज़कूर हवाले कियाजाय तो मुद्दई बरीकरादियाजायकि उसमालकीनिस्बतमुद्दआअलेहुम्मेंसेकिसीकामवाख़िज़ामुद्दईसेनरहे।

नम्बर १०५ ॥

बमुराद एहतमाम क़रज़ख्वाहके ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूरहस्बज़ैलअर्ज़ करता है ॥

१-(हे वाव) मुतवफ्फ़ा साकिन——बरवक़्त अपनी वफ़ात के क़रज़दार मुद्दईका वास्ते मुबलिग़——(यहां नौअय्यत क़रज़ा और हाल उसकी ज़मानत याकिफ़ालत का अगर कुछहो बयानकरना चाहिये) केथा और उस की जायदाद अबतक मक़रूज़ है ॥

२-(हे वाव) मज़कूरने वसीयतनामा मवर्रुखे़——लिखदिया और उसकीरूसे (जीम दाल) को वसीमुक़र्ररकिया (या अपनी जायदाद अमानत वग़ैरहमें रक्खी या बिला वसीयत मरगया याने जैसी कि सूरतहो) ॥

३-यह कि वसीयतमज़कूरको (जीम दाल) मज़कूर ने साबितकिया (या चिट्ठियात मोहतमिमी तरका उसको अताहुई हैं) वग़ैरह ॥

४-यह कि मुद्दआअलेहने (हे वाव) मुतवफ्फ़ा की जायदाद मन्क़ूला (और ग़ैरमन्क़ूला या आमदनी जायदाद ग़ैरमन्क़ूला) पर क़ब्ज़ा करलियाहै और मुद्दईको क़रज़ा मज़कूर नहीं अदा किया ॥

५-यह कि (हे वाव) मज़कूर बतारीख़ या क़रीब तारीख़——के फ़ौत हुआ ॥

६-यह कि मुद्दई मुस्तदई है कि (हे वाव) मुतवफ्फ़ा के माल मन्क़ूला और (ग़ैरमन्क़ूला) का हिसाब लिया जाय और उसका एहतमाम हस्बहुक्मि अदालतके जो सादिर हो कियाजाय ॥

नम्बर १०६ ॥

(बमुराद एहतमाम जायदाद मुतवफ्फ़ा बज़रिये ख़ासमूसीलहुमके)

(उनवान)

(नमूनै १०५ को इस तौर पर बदलदो)

(फ़िक़रै अव्वल को मतरूक करो और फ़िक़रै २ से शुरूअकरो (हे वाव) मुतवफ्फ़ा साकिन----ने वक़्मर्ग वसीयतनामे मरक़ूमैतारीख़--हस्बज़ाबिता लिखा और उसके ज़रियेसे (जीम दाल) को अपना वसीमुक़र्ररकिया और उस वसीयतनामेकी रूसे मुदईके लिये (यहां ख़ास शैवसीयती लिखनी चाहिये) छोड़ी)

बजाय फ़िक़रै ४ के यह इबारत क़ायमकरो॥

मुदआअलेह (हे वाव) मज़कूरकी जायदाद मन्क़ूला पर क़ाबिज़है और मिन्जुमला दीगर अशियायके (यहां नामख़ास शैवसीयती का लिखना चाहिये)

बजायशुरूअ फ़िक़रै ६ के यह इबारत क़ायमकरो॥

मुदई मुस्तदई है कि मुदआअलेह को हुक्म हो कि (यहां नामख़ास शैवसीयतीका लिखाजायगा) मज़कूर मुदईके हवाले करे या यहकि आख़िर तक॥

नम्बर १०७॥

वास्ते एहतिमाम जायदाद मुतवफ़्फ़ाके बज़रिये मूसीलहुम् नक़द पानेवालों के॥

(उनवान)

(नमूना १०५में इसतौरपर तब्दील करनी चाहिये)

(फ़िक़रैअव्वल मतरूककियाजाय औरबजायफ़िक़रै २ के यह इबारत क़ायम कीजाय) (हे वाव) मुतवफ्फ़ा साकिन----ने हस्बज़ाबितै वसीयतनामा वक़् मर्ग

बतारीख़–माह——सन्——लिखा और उसकी रूसे (जीम दाल) को वसी मुक़र्रर किया और बज़रिये इसी वसीयतनामे के मुद्दईके वास्ते मालवसीयती मुबलिग़——छोड़ा ॥

फ़िक़रे ४ में बजाय लफ्ज़ क़रज़ेके शैवसीयतीलिखनी चाहिये ॥

दूसरा नमूना ॥

माबैन (हे वाव) मुद्दई और (ज़े हे) मुद्दआअलेह॥

(हे वाव) मुद्दई मज़कूर यह अर्ज़ करता है ॥

१–(अलिफ़ बे) साकिन——वाक़े——ने अपना वसीयतनामा मवर्रुखे यकुम्मार्च सन् १८७३ ई० हस्ब ज़ाबिते इस मज़मूनसे लिखवाया कि मुद्दआअलेहहाल और (मीम नून) (जोमूसीकी हयातमें मरगया) वसीयानतरकामुक़र्रर कियेजायें और अपनी जायदादमन्क़ूला और ग़ैरमन्क़ूला अमानतन् अपनेऔसियाको इस ग़रज़से तफ़वीज़की कि वहलोग ज़रहाय किराये या लगान और आमदनी जायदाद मज़कूर मुद्दईको उसकीहयाततकदेतेरहें और मुद्दईकी वफ़ातके बाद औरदरसूरत न होने किसी ऐसे पिसर मुद्दईके जो इक्कीस बरस की उमरको पहुँचे या न होने किसी दुख्तरके जो इक्कीस बरसकी उमरको पहुँचे या जिसकीशादी होजाय जायदाद ग़ैर मन्क़ूला अमानतन् उसशख्सके लिये रहे जो मूसीका वारिस जायज़हो और जायदादमन्क़ूला अमानतन् उन अशखासके लिये रहे जो मूसीके क़रावतदार क़रीबहों उस सूरतमें कि मुद्दईकी वफ़ात वक़्त मूसी बि-

लावसीयत मरगयाहो और कोई औलाद मुद्दईकीहस्ब मज़कूरै बाला बाक़ी न रहीहो ॥

२—मूसीयकुमजूलाईसन् १८७८ ई० को मरगयाऔर मुद्दआअलेह ने उसका वसीयतनामा ४—अक्टूबर सन् १८७८ ई०को साबितकिया—मुद्दईकीशादी नहीं हुई ॥

३—मूसीउसकीवफ़ातकेवक़् जायदाद मन्क़ूलाऔरग़ैर मन्क़ूलाका मुस्तहक़थामुद्दआअलेहनेजायदादग़ैरमन्क़ूलाकेज़रकिरायायालगानकातहसीलकरनाशुरूअ किया औरजायदादमन्क़ूलाकोभी एकजगहजमाकिया—मुद्दआअलेहने जायदादग़ैरमन्क़ूलामेंसेकुछजायदादबेंकीहै लिहाज़ामुद्दई उमूरमज़कूरैज़ैल का दावीदार है ॥

(१)यह कि (अलिफ़ बे)की जायदादमन्क़ूलाऔरग़ैरमन्क़ूलाका एहतिमाम इसअदालतमेंहो और उसमुराद से हिदायात मुनासिब जारीहों और हिसाबदियाजाये ॥

(२) ऐसी दादरसी मज़ीद की जाये जो बलिहाज़ हालात मुक़द्दमा ज़रूरीहो ॥

माबैन (हे वाव) मुद्दई और (ज़े हे) मुद्दआअलेह॥

मुद्दआअलेहका बयान तहरीरी ॥

१—(अलिफ़ बे) केवसीयतनामेमेंजायदादउसकीक़र जोंमेंमकफ़ूलथी-वहबरवक़् वफ़ातदीवालियाथा—वहमुस्तहक़थाकिअपनीवफ़ातके रोज़कुछजायदादग़ैरमन्क़ूला हासिल करता जिसको मुद्दआअलेहने फ़रोख्तकर डाला और जिसके ज़रसम्मनसेमुबालिग़—पैदा हुआ और मूसीकेपास कुछ जायदाद मन्क़ूलाथी जिसकोमुद्-

अाअलेह ने फ़राहमकिया और जिसकी फ़रोख्तसेमुब-लिग़—पैदाहुआ ॥

२—मुद्दआअलेहने तमाममुबालिग़मज़कूर और भी मुबलिग़—जो मुद्दआअलेह को जायदाद ग़ैरमन्क़ूला के किराये या लगानसे वसूलहुआ मूसीकीतकफ़ीनऔर तदफ़ीनमें और अख़राजात वसीयती और मूसीकेबाज़ क़रजोंके अदाकरनेमें सर्फ़किया ॥

३—मुद्दआअलेहनेआमदनीऔरख़र्चकाहिसाबबना करउसकी एकनक़लबतारीख़ १० जनवरीसन् १८७५ ई०मुद्दईके पास भेजदी और वास्ते तसदीक़ हिसाबके मुद्दईकोकहाकिरसीदातवग़ैरहाबिलामज़ाहिमत आनकर देखलोमगरउसनेपैग़ाममुद्दआअलेहकाक़बूलनकिया ॥

४—मुद्दआअलेहको यहउज्रहै कि ख़र्चा मुक़द्दमे का मुद्दईके ज़िम्मे पड़ना चाहिये ॥

नम्बर १०८

तामील अमानत ॥

बअदालत——मुक़ाम——

मुक़द्दमा दीवानी नम्बर——

(अलिफ़ बे)साकिन—मुद्दई बनाम (जीम दाल) साकिन—मुतमत्ता या अहदुलअशख़ासमुतमत्तामुद्-आअलेह ॥

(अलिफ़ बे)मुद्दईमज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—यह कि मुद्दईमिन्जुमलाउमनायकेएकअमीन ब-मूजिब एकतमलीकनामेके है जो बतारीख़—याउसके क़रीब किसी तारीख़ पर बरवक़्त अज़दवाज़ (हे वाव)

और(ज़े हे)याने वालिद और वालिदह मुद्दआअलेहके लिखागया[या बमूजिब दस्तावेज़ हवालगी जायदाद और अमवाल (हे वाव)केजो (जीम दाल)मुद्दआअलेह और दीगर क़रज़ख्वाहान(हे वाव)की मुन्फ़अतकेवास्ते अमलमें आई]

२-(अलिफ़ बे)मज़कूरने अपने ज़िम्मेकार अमानत मज़कूर का लिया और माल मन्क़ूला और ग़ैरमन्क़ूला पर जो बज़रिये दस्तावेज़ मज़कूरै बालाके मुन्तक़िल कियागया(या हवालेकियागया)(या माल मज़कूर की आमदनीपर) क़ाबिज़ है ॥

३-(जीम दाल) मज़कूर दस्तावेज़ मज़कूरै बालाके बमूज़िबदावा इस्तहक़ाक़ इन्तफ़ाअका रखताहै ॥

४-मुद्दई चाहताहै कि हिसाब तमामलगान या किराया और मुन्फ़अत जायदाद ग़ैरमन्क़ूला मज़कूर का (और ज़रसमन जायदाद ग़ैरमन्क़ूला या मन्क़ूलामज़कूर या उसके हिस्सेका या ज़र समन जायदाद मन्क़ूला मज़कूर या उसके हिस्सेका या मुनाफ़ैका जोकिमुद्दई कोबमन्सबइन्सरामकारअमानतमज़कूरकेहुआ)समझा देपसमुद्दई मुस्तदईहै कि अदालत रूबरू (जीम दाल) मज़कूर और ऐसेदीगरअशख़ासकेजिनकोग़रज़होऔर अदालत हिदायत करे अमानतमज़कूरका हिसाबलेले और कुलजायदाद अमानतीमज़कूरकाएहतिमामवास्ते मुन्फ़अत (जीम दाल)मुद्दआअलेहमज़कूरऔरतमाम दीगर अशख़ास के जिन को एहतमाममज़कूरमें ग़रज़ हो अमलमेंलाये या (जीम दाल)मज़कूर इस अम्रके

अमल मैं न आने की वजह माक़ूल बयान करे ॥

[तम्बीह—जबकि नालिश मिन्जानिब शख्समुत-मत्ताके हो तो अरज़ीदावा बतब्दील अल्फ़ाज़तब्दील तलब मिस्लअर्ज़ीदावा मूसीलहूकेहो]॥

नम्बर१०९॥

बैअबात या बै ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे)मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़करताहै ॥

१—यहकि बज़रिये रहननामे के जो बतारीख़——माह—सन्—लिखागयाथा एक मकान मै बाग़ और दीगरमुतअल्लिक़ातकेअंदर हुदूदइलाक़ेइसअदालतके मुद्दआअलेहने मुद्दई और उसकेवुरसा(या औसिया या मोहतमिमानतर्का)औरमहवलुलअलेहुमकेनामबइवज़ज़र असल मुबलिग़—मैसूदबहिसाबफ़ीसदी मुबलिग़——सालानाके मुन्तक़िल किया इस शर्त्तपर कि फ़लां तारीख़जिसकोगुज़रेहुयेमुद्दतहुईबअदायज़रअसलमज़कूरमैसूद मुद्दआअलेहमज़कूरउसकाइन्फ़िकाककराले॥

२—अब मुद्दईको मुबलिग़—बाबत असल व सूद रहन मज़कूरके मुद्दआअलेहसे याफ्तनीहै ॥

३—मुद्दई मुस्तदईहैकि अदालतसे मुद्दआअलेहको हुक्महो कि(अलिफ़)ज़रमज़कूरमै उसक़दर सूदमज़ीद केजोतारीख़ गुज़रनेअर्ज़ीदावेसेतारीखअदातकवाजिब हो और नीज़खर्चा नालिशहाज़ा उस तारीख पर जो कि अदालत से मुक़र्ररकीजाय अदाकरदे और दरसूरतन अदाकरने के हक़ इन्फ़िकाक मकान मरहूना मज़कूर का

साक़ितहोकर बैअबात होजाय और मुद्दईकोमकानवग़ै-
रह मरहूनापर क़ब्जादिलायाजाय या(बे)यहकि मकान
मज़कूर बैकरादिया जाय और ज़र समन से ज़रअसल
और सूदऔर ख़र्चामज़कूर अदाकियाजाय और(जीम)
अगर ज़र फ़रोख़्त मुबलिग़ मज़कूरकीबाक़ी कामिल के
लिये काफ़ी नहो तो मुद्दआअलेह तादाद कमी मै सूद
बालाय कमी बहिसाब छःरुपयासैकड़ा सालाना तारोज़
वसूल मुद्दईको अदाकरे और(दाल)मुद्दई मुस्तदई है कि
ब मुराद मज़कूर तमाम हिदायात मुनासिबअदालत से
सादिरहों और हिसाब लियाजाय ॥

नम्बर ११० ॥

इन्फ़िकाक

(उनवान)

नमूनानम्बर १०९ को इसतौरपर बदलदेना चाहिये
कि फ़रीक़ैन और वाक़िआतमेंसे एक बजायदूसरेकेफ़ि-
क़रै अव्वल में बदल दियाजाय ॥

बजाय फ़िक़रै २ के यह क़ायम करना चाहिये ॥

२—अब मुद्दईसे मुद्दआअलेह को बाबतज़रअसल
और सूद रहन मज़कूर के कुल मुबलिग़——याफ़्तनी
है और यहरुपया मुद्दई मुद्दआअलेहको अदाकरदेनेपर
मुस्तैदऔरराज़ीहै और इसअर्ज़ीदावेकेगुज़रनेसेपहिले
इसअम्रकी मुद्दआअलेहको इत्तिलाअथी ॥

बजाय फ़िक़रै ३ केयहइबारत क़ायमकरनी चाहिये ॥

मुद्दई मुस्तदईहै कि मकान मज़कूर इन्फ़िकाककराले
और मुद्दआअलेहको हुक्महो कि बरवक़्त अदाहोनेमुब-

लिग़—मज़्कूर मैं सूद और उसक़दर ख़र्चेके (अगर कुछहो)जोकि अदालत एक तारीख़तक जिसेवहमुक़र्ररकरेगी दिलाये मकान मज़्कूर मुद्दई को बज़रिये तहरीर वापिसकरे और नीज़ यह कि अदालत वास्ते मुशख़्ख़िसकराने और तक्मील करने ऐसी तहरीर वापिसीके और अमलमेंलाने ऐसे अफ़्आलदीगर के जोकि मुद्दईको मकान मज़्कूरपर रहन मज़्बूर से मुबर्राक़ाबिज़ होनेकेलिये ज़रूरीहों हिदायात मुनासिबसादिरकरे ॥

नम्बर १११॥

तामीलख़ास(नम्बर१)

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़्कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै॥

१—बज़रिये एक इक़रारनामे मवर्रुख़े तारीख़— माह——सन——दस्तख़ती (जीमदाल) मुद्दआअलेह मज़्कूरके उसने मुद्दईसेएकजायदादग़ैरमन्क़ूलाजिसका बयान और ज़िक्रइक़रारनामेमज़्कूरमेंहै बइवज़मुबालिग़ —ख़रीद करने (या फ़रोख़्तकरने) का इक़रारकिया ॥

२—मुद्दईने (जीम दाल) मज़्कूरसेदरख़्वास्तकी कि वह अपनी तरफ़से उसइक़रारनामेकी तकलीम ख़ास करे लेकिन उसने नहीं की ॥

३—मुद्दई अपनी तरफ़ से ख़ासतकमील इक़रारनामे की करनेपर मुस्तैद औरराज़ीहै और इसअम्रकी इत्तिलाअ (जीम दाल) मज़्कूरको है ॥

४—बिनाबरआंमुद्दई दादख़्वाह बदीं मुराद है कि अदालत (जीम दाल)मज़्कूरकोइक़रारनामेमज़्बूरकी

तामील खासकरने और उनतमामअफ़आलकेअमलमें लानेकाहुक्मदे जो कि जायदाद मज़कूर पर मुद्दई को क़ब्ज़ाकामिल देनेकेलिये ज़रूरी हों (या जायदादमज़कूरका इन्तक़ाल औरक़ब्ज़ा हासिलकरनेकेलियेज़रूरी हों) और नीज़ यहकि ख़र्चा उस नालिश का अदाकरे॥

[तम्बीह—जो नालिश कि वास्तेहवालाकरने किसी इक़रारनामे के बमुराद उसकी तन्सीख़केहो उसमें फ़िकरै हाय २ व ३ मतरूक कियेजायँ और उनके बजाय एक फ़िक़रा इस तौरका क़ायम कियाजाय जिसमें बिलउमूम वजूह चाहने वापिसी इक़रारनामा और उसकी तन्सीख़कीमरक़ूमहों मसलन् यहकि मुद्दईने उसपरदस्तख़तग़ल्तीसे कियेया हिरासतकी हालतमें किये या मुद्दआअलेह के किसी फ़रेबके सबबसेकिये औरजिसतरह की दादरसी मतलूबहो उसीके मुवाफ़िक़ इस्तदुआ का मज़मून बदलाजाय]

नम्बर ११२॥

तामीलख़ास(नम्बर २)

(उनवान)

... मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है॥

१—यह कि बतारीख़——माह——सन्——मुद्दआअलेह क़तअन् मुस्तहक़एकजायदाद ग़ैरमन्क़ूलाकाथा जिसकीतसरीह इक़रारनामेमुन्सलकेमें मुन्दर्ज है॥

२—यहकि उसीतारीख़को माबैन मुद्दई और मुद्दआअलेहकेएक इक़रारनामाबदस्तख़त तरफ़ैनालिखागया जिसकी नक़ल मुन्सलिक है॥

३—यह कि बतारीख़—माह——सन्——मुद्दई ने मुबलिग़——मुद्दआअलेहको देनेकेलिये कहा और बइ-वज़ उसके इन्तक़ालनामे जायदाद मज़कूरका चाहा ॥

४—यहकि बतारीख़—माह—सन्——मुद्दईनेफिर तक़ाज़ा उसइन्तक़ालका किया (या यहकि मुद्दआअलेह ने मुद्दईके नाम उसका इन्तक़ाल करनेसे इन्कार किया)

५—यहकि मुद्दआअलेहने इन्तक़ालनामे मज़कूर में नहीं लिखा ॥

६—यहकि मुद्दईहनोज़ ज़रसमन जायदाद मज़कूर मुद्दआअलेहकोअदा करनेपर आमादा और राज़ीहै ॥

बिनाबरआंमुद्दईबमुरादउमूरमुफ़स्सिलैज़ैलदादख्वाहहै।

अव्वल—यहकि मुद्दआअलेह बनाम मुद्दई क़बाला मोतबर जायदाद मज़कूरका (मुताबिक़ शरायतमुंदर्जे इक़रारनामे मज़कूर) लिखदे ॥

दोम—मुबलिग़—बाबत हर्जा हनोज़ न लिखदेने क़बाला मज़कूरके दिलायेजायें ॥

नम्बर ११३ ॥

शराकत ॥

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है ॥

१—मुद्दई औरमुद्दआअलेह(जीम दाल)मज़कूरअर-सा—सालसे (यामहीनेसे)बाहमबमुक़ाम—अंदरइलाक़े अख्तियारउसअदालतके बमूजिब चंदशरायत तहरीरी दरबाबशराकत दस्तख़ती तरफ़ैन(याबमूजिबएकदस्ता-वेज़ मोहरी और दस्तख़ती और तकमीलकरदातरफ़ैन

या बमूजिबइक़रारज़बानी तरफ़ैनयानेमुद्दई व मुद्दआ-
अ़लेह) कारोबार करते हैं ॥

२—दरबाब शराक़तकुछ तनाज़आत औरइख़्तिला-
फ़ात माबैन मुद्दई व मुद्दआअ़लेहपैदाहुयेजिनकेसबबसे
उसकारोबारकोइसतौरपरकितरफ़ैनको फ़ायदाहो जारी
रखना मुमकिन नहीं है ॥

३—मुद्दईचाहताहै कि शराकतमजकूरमौक़ूफ़हो और
मुद्दई अपने हिस्सेकेदयून और ज़िम्मेदारियोंको जो श-
राकतमेंबमूजिबशरायत(दस्तावेज़ या इक़रार)मज़कूरके
आयदहोतीहैंअपनेज़िम्मे लेनेकोआमादाऔरराज़ीहै॥

४—यहकि मुद्दई मुस्तदई है कि अदालत से डिकरी
फ़िस्ख़ शराकत मज़कूरकी सादिरहो और हिसाब कारो-
बार शराकत मज़कूरका तलब कियाजाय और ज़रहाय
याफ्तनी बाबत उसकेवसूल कियेजायें और हरफ़रीक़को
हुक्महो कि जोकुछ हिसाब बाबतशराकत मज़कूर उसके
ज़िम्मेनिकले वहअदालतमें दाख़िलकरे और दयून और
ज़िम्मेदारियां जो उसकी बाबतहैं वह मवद्दे और बेबाक़
कीजायें और शराकतकी जायदाद मेंसे ख़र्चा अदालत
अदाहो और अगर बाद उसमवद्दा और बेबाक़ करनेके
उसमेंसे कुछ बाक़ीरहे तो वह माबैन मुद्दई और मुद्दआ-
अ़लेह मुताबिक़मज़मून शरायत शराकत (या दस्तावेज़
याइक़रार)मज़कूरके तक़सीम कियाजाय याजिसहाल में
कि वहकुलजायदादकाफ़ी न पाईजाय तोमुद्दई और मुद्द-
आअ़लेह मज़कूरको हुक्महोकिजिसक़दर ज़र कि वास्ते
अदाय दयून और ज़िम्मेदारियों और ख़र्चे मज़कूर के

चाहिये वहउस हिसाबसे कि क़रीनइन्साफ़हो अदाकरें और जो और तरहकीदादरसीकि अदालतकीतजवीज़ में मुनासिबहो उसका हुक्म दियाजाय॥

यह अरज़ीदावा मारफ़त——साकिन——वकीलमुद्दई——केगुज़रानीगई या——ने गुज़रानी॥

[तंबीह——उन नालिशातमेंजोवास्ते तैकरनेहिसाबव किताबशराकतकेहों लफ्ज़ मौक़ूफ़ीशराकतका न लिखा जाय लेकिन बजाय उसके एक फ़िक़रा इसबयानसे दाख़िल कियाजाय कि शराक़त मौक़ूफ़ होगई है]

नम्बर ११४॥

बयानात मुख्तसिर के नमूने॥

(मजमूये जाबिते दीवानी दफ़ा ५८)

ज़रक़रज़ा	मुद्दईदावीदारहै——रुपयेकाबाबतरुपया क़रज़ा दियेहुये (और उसके सूदके)॥
चंदमुतालिबे जात	मुद्दईदावीदार है——रुपयेका यानी——क़ीमतमाल जो मुद्दआअलेहकेहाथफ़रोख्त किया और——रुपया जो उसको क़रज़दियाऔर——रुपयाबाबतसूदके॥
किराया या लगान	मुद्दई दावीदार है——रुपये का बाबत बाक़ी ज़र किराया या ज़र लगानके॥
तनख्वाह वग़ैरह	मुद्दई दावीदार है——रुपये का बाबत बक़ीये तनख्वाह ओहदेकाके(याजैसी सूरतहो)
सूद	मुद्दईदावीदारहै——रुपये काबाबत सूद——रुपयेके जो क़रज़ दियागया॥

औसतत्र्प्राम	मुद्दईदावीदारहै—रुपयेकाबाबत हिस्सै रसदी अज़रूय औसत आमके॥
महसूलबारबरदारीमाल।	मुद्दईदावीदारहै—रुपयेकाबाबत महसूल बारबरदारी माल और हर्जेके॥
बाक़ीपास महाजन	मुद्दईदावीदारहै—रुपयेकाजोमुद्दई ने पासमुद्दआअलेहकेबहैसियतमहाजन जमाकिया॥
मेहनताना वग़ैरह वकीलका	मुद्दईदावीदारहै—रुपयेकाबाबत मेहनताना वकालतमय रुपयेके जोमुद्दई ने अपनेपाससेसर्फ़किया बतौरवकीलके॥
कमीशन	मुद्दईदावीदारहै—रुपयेकाबाबतकमीशनके जो मुद्दईने बज़रियेनीलामकरने मालयादल्लालीदेनेयाकिसीऔरपेशेया ख़िदमतअख़्तियार करनेसे कमाया॥
इलाजडाक्टरी	मुद्दई दावीदारहै—रुपये का बाबत करने इलाज बहैसियत डाक्टर॥
वापिसी प्रीमेम	मुद्दईदावीदारहै—रुपयेका बाबत वापिसपाने प्रीमेमके जोपालसी याने तहरीरात बीमेके बाबत अदाहुआथा॥
गोदामका किराया	मुद्दई दावीदार है—रुपयाका गोदाम में मालरखनेकी बाबत॥
मालकाकिराया बारबरदारी	—मुद्दई दावीदारहै—रुपये का बाबत किराया लियेजाने मालकेरेलवेपर॥
इस्तैमालऔर दख़लमकान	मुद्दईदावीदारहै—रुपयेकेबाबतइस्तैमाल और सकूनत मकान॥

किरायामाल का	मुद्दई दावीदार है——रुपये का बाबत किराये असबाब आरारूतगीरख़ाने ॥
——लाख़िदमत	मुद्दई दावीदार है——रुपये का बाबत ख़िदमत पैमायश वग़ैरहके ॥
खाना और सकूनत	मुद्दईदावीदारहै——रुपयेकाबाबतखाने और सकूनतके ॥
परवरिश व तालीम	मुद्दईदावीदारहै—रुपयेकाबाबत(खाने और सकूनत)औरतालीमज़ैदके ॥
मुबलिग़वसूल	मुद्दई दावीदार है——रुपयेका जो मुह-कार याअहल्कारतहसीलमिन्जानिब मुद्दईके वसूल हुआ ॥
फ़ीसओहदा	मुद्दईदावीदारहै——रुपयेकाजोमुद्दआ-अलेहनेबहीलेओहदे——केबतौरफ़ीस वसूल किया ॥
रुपयाजोजिया-दा दियागया	मुद्दई दावीदार है——रुपयेकीवापिसी का जो बाबतमहसूलमालरवानाशुदह बालाय रेलवे के ज़ायद दियागया ॥
ऐज़न्	मुद्दईदावीदारहै——रुपयेकाकिमुद्दआ-अलेहने उसीक़दरफ़ीसज़ायदबहैसि-यत——के मुद्दई से की ॥
वापिसी ज़रमि-न्जानिबअमा-नतदार	मुद्दई दावीदार है——रुपये का बग़रज़ वापिसी उसरुपयेके जो मुद्दआअलेह के पास बतौर अमीन के जमा किया गयाथा ॥

रुपयाजोअमानतदारसे याफ्तनीहुआ	मुद्दई दावीदार है——रुपये का कि उसीक़दर रुपया मुद्दआअलेहको अमानतन् सुपुर्द कियागयाथा औरमुद्दई का याफ्तनी होगया ॥
रुपयाजोएजएट को सुपुर्द कियागया	मुद्दईदावीदार है——रुपयेकायाने मुद्दई उसरुपयाको वापिस चाहता है जोमुद्दआअलेहकोबतौरमुद्दईकेएजंटकेसुपुर्द हुआथा ॥
रुपयाजोफ़रेबसे हासिलहुआ	मुद्दई दावीदार है——रुपये का याने वह रुपया वापिस चाहताहै जोफ़रेबन् मुद्दई से हासिल कियागया ॥
रुपयाजोग़लती से दियागया	मुद्दईदावीदार है——रुपयेकायानेमुद्दई वह रुपया वापिस चाहता है जोग़लती से मुद्दआअलेह को दियगया ॥
रुपया जिसका मुआविज़ातलफ़होगया	मुद्दईदावीदार है——रुपये का याने वह रुपयावापिसचाहताहै जोमुद्दआअलेहकोवास्ते किसीकार माहूदा या किसी कार नातमाम के या वास्ते अदा करने किसीहुण्डी या बाबत किसीहुण्डी ग़ैर अदाशुदह (याकिसीऔरऐसेकामके) दियागया था ॥
ऐज़न्	ऐज़न्——रुपयेका याने बग़रज़वापिसी उसरुपयेकेजोबतौरबैआनाक़ीमत हिसिस किसी सरमाये के अमानतन् जमा किया गया हो ॥

रुपया जो बतौर मुद्दई दावीदारहै—रुपयेका जो मुद्दई
ज़ामिनमुद्दआअ-को मुद्दआअलेहकेएवज़बतौरज़ामिन
लेहकेदेनापड़ाके देनापड़ा॥
किरायायालगा-मुद्दईदावीदारहै—रुपयेका बाबत कि-
नजोदियागया शयाया लगानज़िम्मगीमुद्दआअलेहके
जो मुद्दईको देनापड़ा॥

रुपयाजोहुण्डी रिआयतीपर देनापड़ा	मुद्दई दावीदार है—रुपये का बाबत हुण्डीकेजिसकोमुद्दईनेसिर्फ़मुद्दआअलेह की ख़ातिरसेबिलापाने रुपये के सकारा (या पुश्तपर इबारत फ़रोख़्त लिखी)
हिस्सैरसदी ज़मानत	मुद्दई दावीदार है—रुपये का बाबत हिस्सैरसदी मिन्जुमला रुपयेके जो बहै-सियतज़ामिनमुद्दईको अदाकरनापड़ा॥
हिस्सैरसदी दैनइजमाली	मुद्दई दावीदार है—रुपये का बाबत हिस्सै रसदी मिन्जुमले दैन इजमाली ज़िम्मगी मुद्दईवमुद्दआअलेह जोमुद्दई को अदाकरनापड़ा॥
केदियागया	बरवक़ तलब ज़रहिसिस के अदाकिया और जिस रुपयेके फिर देनेकी ज़िम्मे-दारी मुद्दआअलेह पर है॥

रुपयाजोफ़ैसले मुद्दईदावीदारहै—रुपयेका जो फ़ैसले
सालिसी की रू सालिसी की रूसे वाजिबुत्तलबहै॥
सेवाजिबुत्तलबहै
रुपया जान मुद्दईदावीदारहै—रुपये का जो ज़ैद

बीमा का	मुतवफ़्फ़ाके जानबीमा की पालिसीके बाबत वाजिबुल्अदा है ॥
तमस्सुक	मुद्दईदावीदार है—रुपयेका जो बाबत तमस्सुक तादादी—रुपयाऔर उसके
तजवीज़मुम लिकतग़ैर हुण्डीवग़ैरह	दावीदारहै—रुपयेकाअज़रूयतज- वीज़मुसद्दिरैअदालतमुमालिकतरूसक मुद्दईदावीदार है—रुपयेकाअज़रूयरुक़्के नविश्तैमुद्दआअलेहके ॥
एज़न्	ऐज़न्—रुपयेकाअज़रूय हुण्डी जिस को मुद्दआअलेहनेलिखायासकारा (या पुश्तपर इबारत फ़रोख्त लिखी)
एज़न्	ऐज़न्—रुपयेकाअज़रूयप्रामेसरीनोट केजिसकोमुद्दआअलेहनेलिखायावेचा॥ ।बनाम ज़ैद सकारने लिखनेवा- लेया फ़रोख्त करनेवाले हुण्डी के ॥
ज़ामिन्	मुद्दई दावीदारहै—रुपयेका बनाम मुद्द- आअलेह ज़ामिन्केबाबत क़ीमतमाल फ़रोख्त शुदहके ॥
ऐज़न्	मुद्दई दावीदारहै—रुपयेका बनाम मुद्दआअलेहअसलगिरिन्दाक़रज़ाओ- रवकर मुद्दआ तमालफ़रोख्तशुदह (याबाबतबाक़ीज़र किरायारवाहलगानयाबाबतरुपयेकेजो

	क़रज़ दियागया या बाबत ऐसे रुपयेके जो ज़ैद मुद्दआअलेहनेबतौर मुसाफ़िर मिन्जानिबमुद्दईकेयाबाबत किसी और शैकेवसूल किया)
तलबीज़र हिस्सा	मुद्दई दावीदार है——रुपये का बाबत ज़रहिसिसके जो लायक़ तलबीके हैं ॥

इबारत ज़ोहरी मुतअल्लिक़ै ख़र्चा वग़ैरह ॥

(नमूनैहाय मुंदर्जै बाला में यह इबारत ज़ियादहकी जायेगी) और मुबलिग़——बाबतख़र्चा और अगरतादाद मुतदाविया मुद्दई या उसकेवकीलको इससम्मनके इजराकी तारीख़से अन्दर——योमके (याअगर सम्मन कीअदालतके इलाक़ेसे बाहर तामील होनेवाली होतो वहमीआद लिखीजायजो हाज़िरीकेलियेअज़रूयहुक्म केमुक़र्रर कीजाय)अदाकीजाय तो मुक़द्दमेकी काररवाई मज़ीद मौक़ूफ़ की जायेगी ॥

दावा ख़िसारावग़ैरह ॥

एजण्टवग़ैरह	मुद्दई दावीदारहै——ज़रख़िसारैका कि मुद्दआअलेहनेख़िलाफ़ वायदा अपनेके मुद्दईको मुसाफ़िरतपर मामूर न किया ॥
	मुद्दई दावीदार है——ज़रख़िसारैका कि मुद्दआअ　　मुद्दईको कार मुसाफ़िरत से बेजा मौक़ूफ़किया मैदावे——रुपया बाबत बक़ायाय तनख़्वाह के ॥
एजण्ट वग़ैरह	मुद्दई दावीदार है——ज़रख़िसारैका कि

	मुद्दआअलेहने बतौर नाजायज़मुद्दई के काममुन्सरमीको तरक किया ॥
ऐज़न्	मुद्दई दावीदार है—ज़रख़िसाराका कि मुद्दआअलेह ने बतौर गुमाश्ता(या जो सूरतहो)मुद्दई के अपने मन्सब के ख़िलाफ़अमलकियामैंदावेरुपयेजोमुद्दआअलेहने बतौर गुमाश्तेकेवसूल किया॥
शागिर्द्	मुद्दई दावीदार है—ज़रख़िसारे का बवजह खिलाफ़वर्ज़ीशरायतवसीक़ैशागिर्दीकेजोज़ैदने मुद्दआअलेह ख्वाहमुद्दई को लिखदिया ॥
सालिसी	मुद्दईदावीदार है—ज़रखिसारैकाबवजह इसके किमुद्दआअलेहने ज़ैदके फ़ैसले सालिसी की तामील न की ॥
हमलावग़ैरह	मुद्दई दावीदार है—ज़रख़िसारैकाबइवजहमलेऔर बेजाक़ैदरखनेऔरअदावतसे माख़ूज कराने के ॥
अज़तरफ़शौहर व ज़ौजा	मुद्दई दावीदारहै—ज़रखिसारैका बवजह इसकेकिमुद्दआअलेहने (जीम दाल)मुद्दईपरहमलाकियाऔरबेजाक़ैदरक्खा ॥
बनाम शौहर व ज़ौजा	मुद्दईदावीदारहै——ज़रख़िसारैकाबवजह इसकेकि (जीमदाल)मुद्दआअलेह ने हमला किया ॥
वकील	मुद्दई दावीदारहै—ज़रख़िसारैका बइवज़ उसनुक्सानकेजोग़फ़लतसेमुद्दआ-

अलेह की जो मुद्दई का वकील था मुद्दई के आयद हाल हुआ ॥

सुपुर्दगी — मुद्दई दावीदार है—ज़रख़िसारे का जो बायस ग़फलत मुद्दआअलेह व सुपुर्दगी माल मुद्दई (और बेजा रोकरखने माल मज़कूर के) मुद्दई के आयद हाल हुआ ॥

गिरो — मुद्दई दावीदार है—ज़रख़िसारे का जो बायस ग़फ़लत मुद्दआअलेह रख़बरगीरी माल गिरोशुदह (और बायस बेजा रोक रखने माल मज़कूर के) वाक़ै हुआ ॥

मालकिराया — मुद्दई दावीदार है—ज़रख़िसारे का जो बायस ग़फ़लत मुद्दआअलेह बीच हिफ़ाज़त असबाब ख़ाने (या गाड़ी वग़ैरह) जो उसको किराये पर दिया गया था और बेजा रोक रखने असबाब मज़कूर के वाक़ै हुआ ॥

महाजन — मुद्दई दावीदार है—ज़रख़िसारे का बवजह इसके कि मुद्दआअलेह ने बिलावजह जायज़ मुद्दई के रुक्के का रुपया न दिया (या देने से इन्कार किया)

हुंडी — मुद्दई दावीदार है—ज़रख़िसारे का बवजह इसके कि मुद्दआअलेह ने बराह बदअहदी मुद्दई के हुंडियों को नहीं सकारा

इक़रारनामा — मुद्दई दावीदार है—इक़रारनामे की रूसे जिसमें मुद्दआअलेह ने यह शर्त्त लिखी कि हम पेशा फलां न करेंगे ॥

	मुद्दईदावीदारहै—ज़रखि़ मुद्दआअलेहने मालमुद्दई को बसबील रेलवे लेजानेसे इन्कारकिया ॥
	मुद्दई दावीदार है—ज़रख़िसारे का बवजह इसके किमुद्दआअलेहनेमुद्दई कोरेलवेपरसवारकरानेसेइन्कारकिया।
ऐज़न्	मुद्दई दावीदार है—ज़रख़िसारेकाइस वजहसेकिमुद्दआअलेहनेकोयलारेल-वे पररखकरलेजानेऔर उसके हवाले करनेमें बदअहदी की ॥
ऐज़न्	दावीदार है—ज़रख़िसारे का इसवजहसे किमुद्दआअलेह ने आला तकलकेजहाज़पर लेजाने और उसके हवाले करनेमें बदअहदी की ॥
अहदनामा	मुद्दई दावीदार है—ज़रख़िसारे का बाबतख़िलाफ़वरज़ीअहदनामे किराये जहाज़ मौसूमा मेरे के ॥
नालिशवापिसी माल मैंख़िसारा	मुद्दईदावीदार है—वास्तेवापिस पाने असबाब आरास्तगी ख़ाने(या दीगर अशियायइसक़िस्मके)याक़ीमतउसके मैंख़िसारेमुबलिग़—बइवज़रोकरखने असबाब मज़कूर के ॥
नालिशख़िसारा बवजह लेलेने माल मुद्दई के	मुद्दईदावीदारहै—किमुद्दआअलेह ने बिला वजह जायज़ मुद्दईका मालऔर असबाबख़ानावग़ैरहमुद्दईसेलेलिया ॥

:रमतबहा	मुद्दई दावीदार है ——— रख़िसारे का बएवज़ तहरीर तोहमत आमेज़ के ॥
ऐज़न्	मुद्दई दावीदार है——ज़र ख़िसारेका बएवज़ कलमात तहक़ुक आमेज़ के ॥
क़ुर्क़ीबेजा	मुद्दई दावीदार है ज़रख़िसारे का बए-वज़ क़ुर्क़ीबेजा के ॥

यह नमूना काफ़ीहै आम इससे कि क़ुर्क़ी जिसकी शिकायत हुईहै बेजा या हद्दसे ज़ियादह या ख़िलाफ़ज़ा-बिता अमलमें आईहो ॥

वेदख़ली	मुद्दई का यह दावा है कि ऊपर मकान नम्बर——सड़क——या ऊपरइलाक़े मौसूमे ब्लेकएगर वाक़ै——मौज़े——पर-गने——ज़िले के दख़ल पाये ॥
वास्तेसुबूतहक़ और पाने ज़र लगान और किराये के	मुद्दईका यह दावा है कि अपना हक़नि-स्वत (यहांजायदादकी तफ़सीललिखी जायेगी) केसाबितकरे और उसकाकि-राया या लगान दिलापाये ॥

जायज़है कि दोनों नमूनेजात मुन्दर्जे सदर एकदूसरे में शामिल कियेजायें ॥

शिकारगाह माही	मुद्दई दावीदार है——ज़र ख़िसारेका इसवजहसे कि मुद्दआअलेहने मुद्दई के हक़ शिकारमाही पर दस्तन्दाज़ी की ॥
फ़रेब	मुद्दईदावीदारहै——ज़रख़िसारेकाइस वजहसे कि बरवक़्त फ़रोख़्त एकघोड़े के या (कारोबार हिसिस वग़ैरह) मुद्दआ-

अलेहने फ़रेबन् एक बयान ग़लत किया॥

ऐज़न् — मुद्दई दावीदार है—ज़र ख़िसारे का इस वजह से कि मुद्दआअलेह ने ज़ैद के एतबार को फ़रेबन् ग़लत ज़ाहिर किया॥

क़ालत — मुद्दई दावीदार है—ज़र ख़िसारे का इस वजह से कि मुद्दआअलेह ने जो ज़ैद का कफ़ील था मुआहिदे किफ़ालत से ख़िलाफ़वरज़ी की॥

ऐज़न् — मुद्दई दावीदार है—ज़र ख़िसारे का इस वजह से कि मुद्दआअलेह ने उस इक़रार से ख़िलाफ़वरज़ी की जो बहैसियत एजंट मुद्दआअलेह बमुराद क़ुर्क़ी मुद्दई को बरीउज़्ज़िम्मा करदेने के वास्ते किया था॥

बीमा — मुद्दई दावीदार है—उस नुक़सान का जो बमूजिब पालिसी बीमा मुतअल्लिक़े जहाज़ रायल चारटर के वाजिबुलवसूल है मय किराये माल महमूला के (या वास्ते वापिसी ज़र प्रीमेम के)॥

[तन्बीह—ऊपर का नमूना काफ़ी होगा आम इससे कि नुक़सान जिसका दावा है कुल्ली या जुज़वी]

आतशज़दगी — मुद्दई दावीदार है—उस नुक़सान का जो बमूजिब पालिसी बीमा आतशज़दगी मुतअल्लिक़े मकान और असबाब के वाजिबुलअदा है॥

मुद्दई दावीदार है—ज़र ख़िसारे का कि

मुद्दआअलेहने एकमकानकेबीमें आतशज़दगीका क़ौल व क़रारकरके उसके ख़िलाफ़ अमल किया ॥

ज़मींदार व असामी — मुद्दई दावीदार है——ज़र ख़िसारे का इसवजहसे कि मुद्दआअलेहके मकानकी मरम्मतकरतेरहनेकाक़ौल व क़रार करके उसके ख़िलाफ़ अमल किया ॥

ऐज़न् — मुद्दई दावीदार है——ज़र ख़िसारे का बाबत ख़िलाफ़वरज़ी चंदशरायतकेजो मुस्ताजिरी के पट्टेमें मुन्दर्ज हुईथीं ॥

डाक्टर — मुद्दईदावीदारहै—ज़रख़िसारेका बाबत ज़ररजिस्मकेजोमुद्दआअलेह शख़्सडाक्टरीपेशाकीग़फ़लतसेमुद्दईकोपहुँचा ॥

जानवरज़ररसां — मुद्दईदावीदार है——ज़रख़िसारेका बएवज़उसज़ररकेजोमुद्दआअलेहकेकुत्तेने पहुँचाया ॥

ग़फ़लत — मुद्दई दावीदारहै——ज़रख़िसारेका बएवज़ उस नुक़सानकेजोमुद्दआअलेह या उसके मुलाज़िमानके बग़फ़लतसवारी हांकने से मुद्दईको पहुँचा ॥

ऐज़न् — मुद्दईदावीदारहै——ज़रख़िसारेका बएवज़ उसनुक़सान के जो बहालतसवाररहने मुद्दई के ऊपररेलके मुद्दआअलेहके मुलाज़िमोंकी ग़फ़लतसे मुद्दईकोपहुँचा ॥

ग़फ़लत — मुद्दई दावीदारहै ज़र ख़िसारैकाबएवज़ उसनुक़्सानके जोबायसनाक़िसहालत इस्टेशनरेलके मुद्दईको इस्टेशनमज़कूर पर पहुँचा ॥

ऐक्ट १३ सन् १८५५ ई० — मुद्दईदावीदार है बहैसियत होने वसी मुसम्मा (अलिफ़ बे)मुतवफ़्फ़ाकेबदावा हुसूल ख़िसारा एवज़हिलाकत(अलिफ़ बे)मज़कूरके जो बहालत सवार रहनेब-तौर मुसाफ़िरऊपररेलवे मुद्दआअलेहके बायसग़फ़लतमुलाज़िमानमुद्दआअलेह के मज़रूबहोकर मरगया ॥

वायदैइज़-दवाज — मुद्दई दावीदार है जरख़िसारै का इस वजहसे कि मुद्दआअलेह वायदाइज़द वाजका करके मुन्हरिफ़होगया ॥

फ़रोख्तमाल — मुद्दई दावीदारहै ज़रख़िसारै का इस वजहसे कि मुद्दआअलेह माललेनेऔर उसकीक़ीमतदेनेका इक़रारकरके उससे मुन्हरिफ़ होगया ॥

ऐज़न् — मुद्दई दावीदार है ज़रख़िसारै का इस वजहसे कि मुद्दआअलेहनेबमूजिबइक़-रारकेमाल रुई(याकोई औरशै) हवाले नहीं किया याकमहवालेकिया या नाक़ि-सक़िस्मका मालदिया (याऔरतरह पर इक़रारफ़रोख्तके ख़िलाफ़अमलकिया)

ऐज़न् — मुद्दई दावीदार है ज़रख़िसारै का इस

वजहसे कि मुद्दआअलेह घोड़ेकी जिन ख़ूबियों की बाबत कफ़ील हुआथा वह ख़िलाफ़ निकलीं ॥

फ़रोख्त अराज़ी- मुद्दई दावीदार है ज़रख़िसारैका बवजह इसके कि मुद्दआअलेह अराज़ी बेचने या मोललेनेका इक़रारकरकेउससेमुन्हरिफ़ होगया ॥

ऐज़न् मुद्दई दावीदारहै ज़रख़िसारैका बवजह इसके किमुद्दआअलेहएकमकान किराये पर लेने या किराये पर देनेका इक़रार करके उससे मुन्हरिफ़ होगया ॥

ऐज़न् मुद्दईदावीदारहै ज़रख़िसारैका ब वजह इसके कि मुद्दआअलेहनेपट्टाया सरख़त एकमकानजलसैआमकामैगुडविल (यानेनेकनामी)और चौखट किवाड़ वग़ैरह और सामानतिजारतअन्दरमकानमज़कूरके बेचने या मोललेनेका इक़रारकरके उससे इन्हिराफ़ किया ॥

ऐज़न् मुद्दई दावीदारहैज़रख़िसारैका बवजह इसके कि अराज़ी के बैनामेमें जो शर्त्त बाबत मज़बूती इस्तहक़ाक़ मिल्कियत या बाबत दख़ल बिला मज़ाहिमत या और किसी अम्रकीशर्त्तमुन्दर्जहैमुद्दआअलेहने उससे ख़िलाफ़वरज़ीकी ॥

मदाख़िलत मुद्दई दावीदारहै ज़रख़िसारैका इसवज-

बेजा दर अराज़ी — हसे कि मुद्दआअलेहनेबिलावजहजायज़ मुद्दईकी अराज़ीपर दख़्लकिया और मुद्दईके कुवेंसे पानीलिया (या मुद्दई की घासकाटी या उसके दरख़्त और बाड़ा को गिरादिया या फाटक निकाललिया या मुद्दईके रास्ते या पगडंडीको अपने इस्तेमालमेंलाया या मुद्दईके खेतपर से गुज़रा या वहां बालू डालदी या वहांसे कंकड़उठवादिये या उसकीनदीसे पत्थर निकाल लेगया)

पुश्ता — मुद्दईदावीदारहैज़ररख़िसारैका इसवजहसे कि मुद्दआअलेहने बिलावजह जायज़ मुद्दईकी ज़मीन या मकान यामअदनके पुश्तेको दूर करदिया ॥

राह — मुद्दईदावीदारहैज़ररख़िसारैका इसवजहसे कि किसीराह (शारैआम या राहख़ानगी)में बतौर बेजा मज़ाहिमतकीगई ॥

मुजराय आब वग़ैरह — मुद्दई दावीदारहै ज़ररख़िसारैका इसवजहसे कि कोई मुजरायआब बतौर बेजा किसी और तरफ़ जारी करदिया गया (या उसकेइजरायमेंहर्जहुआ या उसका पानी गन्दाकर दियागया या पानी दूसरी तरफ़रवां करादिया गया ॥

ऐज़न — मुद्दई दावीदारहै ज़ररख़िसारैका बवजह कि बतरीक़ बेजा बाहरका पानी

मुद्दईकी अराज़ीपर या मुद्दईकी मअ़्दन में जारीकरदियागया ॥

ऐज़न् — मुद्दई दावीदारहै ज़रख़िसारैका इस वजहसेकि उसवक़्त जबकि मुद्दईकुवेंसेपानीलेताहैबतरीक़बेजाहर्जडालाजाताहै॥

चरागाह — मुद्दईदावीदारहैज़रख़िसारैका इसवजहसेकिमुद्दईके मवेशीचरानेकेइस्तहक़ाक़ मेंबतरीक़बेजारख़लल डालाजाता है ॥

[तन्बीह—ऊपरका नमूना काफ़ी है आम इससे कि मवेशी चरानेकेहुक़ूक़ किसी क़िस्मकेहों ॥

रोशनी — मुद्दई दावीदार है ज़रख़िसारै का इस वजह से कि मुद्दई के मकान के अन्दर रोशनी आनेमें हर्ज डालाजाता है ॥

पेटंट — मुद्दई दावीदार है ज़रख़िसारै का इस वजहसे कि मुद्दईकेपेटंट याने सनद्के ख़िलाफ़ अमलकिया जाताहै ॥

हक़मुसन्नफ़ी — मुद्दई दावीदारहै ज़रख़िसारैका बवजह इसके कि मुद्दईके हक़मुसन्नफ़ीमेंख़लल अंदाज़ी की जाती है ॥

निशानतिजारती — मुद्दई दावीदार है ज़रख़िसारै का इस वजहसेकि बतरीक़बेजा मुद्दईके निशान तिजारतीकाइस्तैमाल सकी नक़ल उतारीगई ॥

तामीर — मुद्दई दावीदार है ज़र ख़िसारै का इस वजहसेकि एकजहाज़ बनानेया मकान

की मरम्मत करने के क़ौल व क़रार में बदअ़हदी की गई ॥

ऐज़न् — मुद्दईदावीदार है ज़रख़िसारे का इस वजहसेकिमुद्दईके हाथसेजहाज़बनवाने या औरकामकरानेकेइक़रारमें ख़िलाफ़वरज़ी की गई ॥

शैतकलीफ़देह — मुद्दईदावीदारहैइसनुक़सानका जो मुद्दआ़अ़लेहकेकारख़ानेसेबुख़ारातफ़ासिद केपैदाहोनेसे मुद्दईके मकान और दरख़्तोंऔरफ़सलग़ल्लावग़ैरहकोपहुंचा॥

ऐज़न् — मुद्दईदावीदार है ज़रख़िसारेका बएवज़ उसतकलीफ़केजो मुद्दआ़अ़लेहके कारख़ानेकी आवाज़से या अस्तबल वग़ैरह से मुद्दई को पहुंचा ॥

हुक्मइम्तनाई — (इबारत ज़ोहरीमें यह लफ़्ज़ ज़ियादह कियेजायेंगे)औरवास्तेहुक्मइम्तनाईके॥

वासिलात — [तम्बीह—जब दावा वास्ते हुसूल अराज़ी या असबात हक़ मिल्कियत या दोनों अम्रकेहों तो इबारतज़ोहरीमें यह अल्फ़ाज़ शामिल किये जायेंगे—और वास्ते वासिलात के]

बक़ायाज़रल- और वास्तेसमझनेहिसाबलगान (किगानयाकिराया राया) या बक़ायाय ज़रलगान (किराये अहद शिकनी के) और बाबत ख़िलाफ़वरज़ी अहद (करने मरम्मतके) ॥

१—दावा क़रज़ख्वाह वास्ते कराने
इन्तिज़ाम तरका के ॥

मुद्दई बहैसियत होने क़रज़ख्वाह(अलिफ़ बे)मुतवफ्फ़ाके इसबातका दावीदारहैकि(अलिफ़ बे)मज़कूरकी जायदाद मन्क़ूला और ग़ैरमन्क़ूलाका इन्तिज़ाम किया जाये और (जीम दाल)मुद्दआअलेहपर बवजह होनेमोहतमिम तरका(अलिफ़ बे)मज़कूर के[और (हे वाव) और(ज़े हे)मुद्दआअलेहमापर बहैसियतहोने वारिसान बशिरकत(जीम दाल)मुद्दआअलेहकेनालिश कीगई]॥

२—दावा मूसालहुम् वास्ते कराने
इन्तिज़ाम तरका के ॥

मुद्दई दावीदारहै बहैसियत मूसालहू बमूजिब वसीयतनामा मवर्रुख़े——माह——सन् १८——ई० नविश्ता(अलिफ़ बे)मुतवफ्फ़ा वास्ते कराने इन्तिज़ाम जायदाद मन्क़ूला और ग़ैरमन्क़ूला मिल्कियत(अलिफ़ बे) मज़कूर और(जीम दाल)मुद्दआअलेह पर नालिश इस वजहसे हुईहै कि वह (अलिफ़ बे) का वसीहै और (हे वाव)और (ज़े हे) बतौरमूसालहुम्के मुद्दआअलेहकिये गयेहैं ॥

३—शराकत ॥

मुद्दई दावीदारहै कि हिसाबदादवस्तुद शराकतीमुद्दई और मुद्दआअलेहका जोबमूजिब शराकतनामामवर्रुख़े तारीख़——माह——सन् १८——ई०के चलीआतीहै मुरत्तिब कियाजाये और कारोबार शराकत का बन्दहोकर उसका तस्फ़िया कियाजाये ॥

४—नालिश मुरतहन ॥

मुद्दई दावीदार है कि हिसाब असल ज़र रहन और

सूद और ख़र्चा याफ़्तनी मुद्दईका बर बिनाय रहननामा मवर्रुख़ै—माह—सन् १८—ई० जो माबैन (फ़रीक़ैन) लिखागया (या बरबिनाय मुआमलै रहनके जो बज़रियेअमानतन् सुपुर्दकरनेअसनाद मिल्कियत बदस्त मुरतहनके होताहै) मुरत्तब कियाजाये और शर्त्त रहन तामील बज़रियेबैबातयाफ़रोख़्तजायदादमरहूनाकेहो ॥

५—नालिश राहिन ॥

मुद्दई दावीदारहै कि हिसाबकीरूसे दरियाफ़्त किया जाये कि बाबतमुआमिलै रहनमरक़ूमैतारीख़—माह—सन् १८—ई० मुनअक़िदै औरमक़बूलै फ़रीक़ैनकेकिस क़दररुपयामुद्दईकेज़िम्मेबाक़ीहै औरजायदादमुफ़स्सिलै रहननामेका इन्फ़िकाक रहनहो ॥

६—तक़र्रुर मदद मुआश ॥

मुद्दई दावीदारहै किमुबलिग़—जो अज़रूयवसीक़ै तमलीक मवर्रुख़ै—माह—सन् १८—ई० वास्ते मदद मुआश अतफ़ाल कमसिन मुसम्मा—के मुक़र्रर कियागयाथा तरके से अलाहिदा कियाजाये ॥

७—तामील उमूर अमानत ॥

मुद्दई दावीदारहैकि तामील अमानतहायमुन्दर्जैउस इक़रारनामे की जो माबैन(फ़रीक़ैन) और—बतारीख़—माह—सन् १८—ई० लिखागया है की जाये ॥

८—तन्सीख़ या तरमीम ॥

मुद्दई दावीदार है कि वसीक़ा मवर्रुख़ै—माह सन्—जो माबैन(फ़रीक़ैन) और—के तहरीर पाया मन्सूख या तरमीम कियाजाये ॥

९--तामील ख़ास ॥

मुद्दई दावीदार है कि इक़रारनामा मवर्रुख़े---माह ---सन्---की तामील ख़ास कराईजाये जिसमें मुद्दई नेफ़लांफ़लांजायदाद बिलालगानीबक़ीमत---मुद्दआ-अलेहके हाथ बै करनेका वायदाकियाहै ॥

नम्बर ११५ ॥

प्रोबेट ॥

१--नालिश मिन्जानिब वसी या मूसालहू वास्तेसाबित कराने वसीयतनामे के हस्ब ज़ाबिता ॥

मुद्दईको यहदावाहै कि वह वसीजायज़ उस वसीयतनामे अख़ीर का है जो बतारीख़---माह---सन्---तरफ़ से (अलिफ बे) मुतवफ़्फ़ा साकिन मुक़ाम---तहरीर पाया है कि वह तारीख़---माह---सन्---को फ़ौत होगया और यहकि वसीयतनामा मज़कूर साबित कियाजाये पस यह सम्मन तुम्हारेनाम इसवजहसे सादिर कियाजाताहैकि तुम मुतवफ़्फ़ा मज़कूरके रिश्तेदार क़रीबतर हो (या जैसी सूरत हो) ॥

२--नालिशमिन्जानिबवसी या मूसालहू किसी वसीयतनामे साबिक़ नविश्ता शख़्स मुतवफ़्फ़ाके या मिन्जानिब उसके किसी रिश्तेदार क़रीबतर के बदावा मंसूख़ कराने किसीप्रोबेटके जोहस्ब इबारत मामूलीअदालत से हासिल हुआ हो ॥

मुद्दईको यह दावा है कि मुद्दई वसी यतनामे अख़ीरका है जो(अलिफ़ बे)मुतवफ़्फ़ा साकिन मुक़ाम---ने बतारीख़---माह---

करके तारीख़—माह—सन्—को वफ़ातपाई और यहकिप्रोबेट एकवसीयतनामे लिबासीकामवर्रुख़े—माह—सन्—जो लिखाहुआ मुतवफ़्फ़ा मज़कूर का ज़ाहिरहुआहै मंसूख़ कियाजाये पस यहसम्मनतुम्हारेनाम इसवजहसे सादिर कियाजाताहै कि तुम उसवसीयतनामे लिबासीके वसीक़रार पायेहो (याजैसी सूरत हो)॥

३—नालिश मिन्जानिब वसी यामूसालहू किसीवसीयतनामेके जबकि चिट्ठियात एहतमाम तरका इसतरह दीगईहों जिसतरह दरख्वास्त बिलावसीयत मरजानेके दीजातीहैं॥

मुद्दई को यहदावाहै कि मुद्दई वसीजायज़ वसीयतनामे आख़ीरमवर्रुख़े—माह—सन्—नविश्तह (अलिफ़ बे)मुतवफ़्फ़ा साकिनमुक़ाम—का है जोतारीख़—माह—सन्—को फ़ौतहोगया और यह कि चिट्ठियात एहतमाम तरका जोवास्तेकरने एहतमाममतरूकामुतवफ़्फ़ा मज़कूरके तुमको अताहुईहैं मन्सूख़कीजायें और यहकिवसीयतनामेमज़कूरकाप्रोबेटमुद्दईकोइनायतहो॥

४—नालिश मिन्जानिबऐसेशख्सकेजो बरबिनायहोने रिश्तेदारक़रीबतरशख्समुतवफ़्फ़ाकेदावीदारचिट्ठियात एहतमाम तरकामुतवफ़्फ़ाकाहो इल्ला जिसके रिश्तेदार क़रीबतर होनेसे मुद्दआअलेह को इन्कार हो॥

मुद्दईको यहदावाहै कि मुद्दईभाई हक़ीक़ी और तनहा रिश्तेदार क़रीबतर(अलिफ़बे)मुतवफ़्फ़ा साकिनमुक़ाम—का है जो तारीख़—माह—सन्—को बिला वसीयत के फ़ौतहो गया और यह कि मुद्दई को अलि-

हाज़ हैसियतमज़कूरके चिट्ठियातएहतमाम तरका वग़ै-
रज़ एहतमामजायदाद मन्कूलाश्रज़ांमुतवफ्फ़ाबिलाव-
सीयत मज़कूरकेमरहमतहों पसयह हुक्मनामा तुम्हारे
नाम इसवजहसे सादिर कियाजाता है कि तुमने उज्र
कियाहै श्रौर अपनेतईं तनहा रिश्तेदार क़रीबतरमुतव-
फ्फ़ाका ज़ाहिर कियाहै (या जैसी सूरत हो)॥

(वाव)—मुतफ़र्रिक़ात ॥

नम्बर ११६ ॥

दफ़ा ५८ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

श्रदालत——ज़िला——बइजलास——मुक़ाम
रजिस्टरमुक़द्दमात दीवानी बाबत सन् १८—ई० ॥

तारीख़ अदख़ाल अर्ज़ीदावा	
नम्बर मुक़द्दमा	
नाम	मुद्दई
पता निशान	
मुक़ाम सकूनत	
नाम	मुद्दआअलैह
पता निशान	
मुक़ाम सकूनत	
कैफ़ियत मुतअल्लिक़े दावा	दावा
मिक़दार दावा या क़ीमत	
तारीख़ बिनाय दावा	
तारीख़ मुक़र्ररह अहज़ार मुतख़ासमीन	अहज़ार
मुद्दई	
मुद्दआअलेह	
तारीख़	फ़ैसला
किसके हक़में सादिर हुआ	
बाबत किस शै या किसक़दर रुपये के	
तारीख़ अपील	अपील
फ़ैसले अपील	
तारीख़ दरख़्वास्त	इजराय डिकरी
तारीख़ हुकम	
किस अशख़ास पर डिकरी जारी करानी मंज़ूर है	
किसशैकी बाबतयाज़रनक़दहो तो किस क़दररुपयेकीबाबत	
मिक़दार ख़र्चा	
रुपया जो अदालतमें दाख़िल हुआ	कैफ़ियत तामील इजराय डिकरी
गिरफ़्तारी	
ज़िक्र दीगर कैफ़ियातकाबजुज़ अदायज़र यागिरफ़्तारी और तारीख़ हर कैफ़ियत की	

नम्बर ११७॥

सम्मन बग़रज़ इन्फ़िसाल मुक़द्दमा ॥
दफ़आत ६४ व ६८ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

(उनवान)

बनाम- -साकिन-

वाज़ै होकि———ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत———के दायर की है लिहाज़ा तुम को हुक्म होताहै कि तुम बतारीख़———वक़्त——— माह———सन———क़बल दोपहर———घंटे पर असालतन् या मारफ़त वकील अदालत मजाज़ हस्ब ज़ाबिते के जो मुक़द्दमे के हालसे करार वाक़ई वाक़िफ़ किया गयाहो और जो कुल उमूर अहम मुतअल्लिके मुक़द्दमे का जवाब देसके या जिसके साथ कोई और शख़्स हो कि जवाब ऐसे सवालात का देसके हाज़िर हो और जवाब दिही दावे मुद्दई मज़कूर की करो और हरगाह वही तारीख़ जो तुम्हारे अहज़ार के लिये मुक़र्रर है वास्ते इन्फ़िसाल कतई मुक़द्दमेके तजवीज़ हुई है पस तुमको लाज़िम है कि उसी रोज़ अपने जुमले गवाहों को हाज़िरकरो और तुमको इत्तिलाअ दीजाती है कि अगर बरोज़मज़कूर तुम हाज़िर न होगे तो मुक़द्दमा बग़ैर हाज़िरी तुम्हारी मसमू और फ़ैसल होगा ॥

इत्तिलाअ १—अगर तुमको यह हो कि तुम्हारे गवाह अपनी मरज़ी से हाज़िर न होंगे तो तुम अदालत हाज़ा से सम्मनबईमुराद जारीकरासक्ते हो कि जो गवाह न हाज़िरहो वह जबरन हाज़िर करायाजाये और जिसदस्तावेज़ को किसी गवाह से पेशकराने का तुम इस्तहक़ाक रखतेहु उ । पेश कर जाये बशर्ते कि तुम तजवीज़ से पहले ही वक़्त उसके ते ख़ुराक जो हरीहो अदालत में दाख़िल करके इस अ की दरख़्वास्त गुज़रानो ।

२—अगर तुम मतालिबा मुद्दई को तसलीम करते हो तो तुम ाज़िमहै कि रुपया मय ख़र्चा नालिश अ — में द लकरो ताकि सरसरी इज डिकरी का जो तुम्हारे जात य र या दरसूरत दोनोंपर हो न इ

और तुमको चाहिये कि अपने साथ—को जिसका मुआयना मुद्दई चाहताहै और किसी दस्तावेज़ को जिसपर तुम बताईद अपनी जवाबदिही के इस्तदलाल करना चाहते

हो अपनेसाथ लाओ या मारफ़तअपनेवकीलकेभेजदो॥
यह सब्तदस्तख़त और मोहरअदालत के आजता-
रीख़—माह——सन्——को जारी कियागया ॥

(दस्तख़तजज)
(तम्बीह)—अगर बयानाततहरीरीकी ज़रूरतहो तो
लिखनाचाहिये कि तुमको (याफ़लांफ़रीक़कोयानी जैसी
कि सूरतहो)हुक्म दियाजाताहै कि बयान तहरीरी ता-
रीख़——माह——सन्——तकगुज़रानो)॥

नम्बर ११८ ॥

सम्मन बग़रज़ क़रारदाद उमूर तन्क़ीहतलब
दफ़आत ६४ व ५८ मजमूये ज़ाबितैदीवानी॥
(उनवान)

बनाम- -साकिन --

वाज़ेहोकि---------- ने तुम्हारेनाम एक ना

लिश बाबत--------- -के दायरकी है लिहाज़ा

तुमको हुक्म होता है, कि तुम बतारीख़

वक़्त-----माह-----सन-----क़ब्ल दो पहर

८टेपर असालतन् यामारफ़त वकील अदालत मजा

ज़ इस्तज़ाबिते के जो मुकद्दमेकेहाल से क़रारवाक़ई

वाक़िफ़ कियागयाहो और कुल उमूरात अहम मुत

अल्लिके मुक़द्दमेका जवाब देसके या जिसके साथ

कोई और शख़्सहो कि जवाब ऐसे सवालात का

देसके हाज़िर हो और जवाबदिही दावा मुद्दई मज़

कूरको करो और तुमको इत्तिलाअ दीजातीहै कि

अगर बरोज़ मज़कूर तुमहाज़िर न होगे तो उमूरतन्

क़ीहतलबतुम्हारी ग़ैरहाज़िरीमें करार दिये जायँगे

और तुमको चाहिये कि अपने साथ-----कोजिसका

मुआयिना मुद्दई चाहताहै और किसी दस्तावेज़ को

जिसपर तुम बताईद अपनी जवाबदिही के इस्तद

लाल करना चाहते हो अपने सायलाओ या मार

फ़त अपने वकीलके भेजदो ॥

इत्ति ला १--अगर तुमको यहअंदेशाहो कि तुम्हारे गवाह अपनी मरज़ी सेहाज़िर न होंगे तो तुम अदालतकीइजाज़तसे सम्मन बईमुराद जारी करासक्तेहो कि जो गवाह न हाज़िरहो वह जबरन् हाज़िरकरायाजाय और जिसदस्तावेज़ को किसी गवाहसे पेशकरानेका तुम इस्तेहक़ाक़ रखतेहो वह उससेपेश करा ईजाय बशर्तेकि तुम तजवीज़से पहले किसीवक़्त उसके वास्ते ज़रूरीखर्च जो ज़रूरीहो अदालतमें दाख़िल करके इस अमरकी दरख़्वास्त गुज़रानो ।

२--अगर तुमतालिबा मुद्दईको तसलीम करतेहो तो तुमको लाज़िम है कि रुपय मयख़र्चा नालिश अदालतमें दाख़िल करो ताकि सरसरी इजराय डिकरीके जो [illegible] ज़ात या माल या दरसूरतज़रूरत दोनोंपरहोकरनानपड़े ॥

यहसब्त दस्तख़त औरमोहर अदालतके आजतारीख़

----माह-----सन्-----को जारी कियागया ॥

मोहर

अदालत

दस्तख़तजज)

तम्बीह--अगर बयानात तहरीरी की ज़रूरतहो तो लिखना चाहिये कि तुमको (या फ़लांफ़रीक़को याने जे-

सी कि सूरतहो) हुक्मदिया जाताहै कि बयान तहरीरी

१

सम्मनहाज़िरीका ॥

दफ़ा ६८—मजमूये ज़ाबितैदीवानी ॥

नंबर मुक़द्दमा ॥

मुद्दआअलेह

(नाम और पता और निशान)

अज़ांजा कि (इसजगह नाम औरपता और निशान मुद्दईका लिखना चाहिये) ने तुम्हारेनाम इसअदालत में नालिश दायरकीहै (यहां मरातिब दावा मुताबिक़ इ-बारतरजिस्टरके दर्जकियेजायेंगे) लिहाज़ा तुमकोहुक्म

ारीख़——वक़्त——क़ब्लदोपहर अ-

सालतन् इसअदालतमें हाज़िरहो (अगर हाज़िरीख़ा-सउसकी असालतन्मतलूबनहोतो यहइबारतदर्जकी

जो मुक़द्दमेकेहालसे क़रारवाक़ई वाक़िफ़ करायागयाहो और कुलउमूर अहममुतअल्लिक़ैमुक़द्दमेकाजवाबदेसके

ासवाला-

तकादेसकेहाज़िरहे ' औ दावमुद्दईमज़कूर कीकरो (अगरसम्मनबग़रज़इन्फ़िसालक़तईमुक़द्दमेके होतोयहइबारतइज़ाफ़ाकीजायगीकिहरगाहवहीतारीख़ जो तुम्हारे अहज़ारके लिये मुक़र्ररहै वास्ते इन्फ़िसाल

क़तईमुक़द्दमेके तजवीज़हुई है पस तुमको लाज़िम है कि उसीरोज़ अपने जुमले गवाहों को हाज़िरकरो) और तुमकोइत्तिलाअ दीजातीहै कि अगर बरोज़मज़कूरतुम हाज़िर न होगे तो मुक़द्दमा बग़ैरहाज़िरी तुम्हारीमसमूअ और फ़ैसलहोगा औरतुमकोचाहियेकिअपनेसाथफ़लां

[illegible] ह। जि

शकरनामुद्दईको मतलूबहो लिखाजायगा) कि जिसका मुआयिनामुद्दई चाहताहै और किसी दस्तावेज़को जिसको तुम वास्ते इस्तदलाल अपनी जवाबदिही के ज़रूर समझतेहो

मुख्तारके भेजदो)

यहसम्मनमेरे दस्तख़त और मोहर अदालतकेआज तारीख़——माह——सन्——को जारीकियागया॥

(मोहर अदालत)

(दस्तख़त जज)

नम्बर १२०॥

हुक्मइरसालसम्मनदूसरीअदालतकेइलाक़ेमेंजारीहोनेकोलिये दफ़ा ८५ मजमूयेज़ाबितेदीवानी॥

अदालत——————मुक़ाम——————

मुक़द्दमादीवानी नम्बर——सन्——

(अलिफ़ बे) साकिन——

बनाम

(जीम दाल) साकिन——

तारीख़——माह——सन्——

हरगाह अ़रज़ीदावेमें बयान कियागया है कि——मुद्दआ़अ़लेह मुक़द्दमा——मुतज़क्किरैबाला बिल्फ़ैलबमुक़ाम—सकूनतरखताहैलेकिनइस्तेहक़ाक़ नालिशअंदर इलाक़ैइस अ़दालतके पैदाहुआ लिहाज़ा हुक्महुआ किसम्मन जोबतारीख़—माह——सन्——वापिसहोना चाहिये बनाम मुद्दआ़अ़लेह मज़कूर वास्ते इजरायके अ़दालत——में मयमुसन्ना उसहुक्मके भेजाजाय ॥

मोहर
अ़दालत

(दस्तख़तजज)

नम्बर १२१ ॥

रूबकारजोदूसरीअ़दालतके सम्मनकेजवाबकेसाथमुरसिलहोगा-दफ़ा ८५ मजमूये ज़ाबिते दीवानी ॥

बअ़दालत——मुक़ाम——

मुक़द्दमा दीवानी नंबर——

तारीख़——माह——सन्——

(अलिफ़ बे) साकिन——

बनाम

(जीम दाल) साकिन——

रूबकार मुरसिलै——मशअ़रइरसाल——बग़रज़ तअ़य्यन ऊपर——बमुक़द्दमै——दीवानीनंबर——मरजूए अ़दालत मज़कूर मुलाहिज़ा हुआ ॥

नीज़ बेलिफ़की तहरीरज़ोहरी हुक्मनामा बईबयान

कि—मुलाहिज़ा हुई और उसका सुबूत हस्बज़ाबितै हमारे रूबरू (बहलफ़ या) इक़रारसालै—और—के लियागया लिहाज़ा हुक्महुआ कि—बअदालत—मय नक़लरूबकार हाज़ा वापिसहो ॥

मोहर
अदालत

(दस्तख़तजज)

तम्बीह—यहनमूना सिवाय सम्मनके हरहुक्मनामे से मुतअल्लिक़होगाजिसकीतामीलउसीतौरपरमरकूज़हो॥

नम्बर १२२ ॥

बयान मुद्दआअलेह
दफ़ा ११० मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

(उनवान)

मैं मुद्दआअलेह जिसकेदस्तख़त ज़ैलमेंहैं(या एकमिन्जुमलैमुद्दआअलेहुम)तमामइस्तेहक़ाक़मुतअल्लिक़ैब सीयत(हेवाव)मज़कूर मुतज़क्किरै अरज़ीदावेसे[याबहैसियतवारिस जायज़ याबहैसियत क़राबतीक़रीब याबहैसियत क़राबती मिन्जुमलै क़राबातियान क़रीबतर(हेवाव)मुतवफ़्फ़ाके जिसकानाम अर्ज़ीदावे मज़कूर में मरक़ूमहै]लादावाहों ॥

या यह कि मैं मुद्दआअलेह जिसके दस्तख़त ज़ैल में सब्तहैं बयान करताहूँ कि मैं (यहांमुताबिक़ इबारतमू-

न्दर्जे अर्ज़ीदावाकेवह बयानात जोतसलीम कियेजायँ या जिनसे इन्कार कियाजाय लिखनेचाहियें)तसलीम करताहूँ (या इन्कार करताहूँ)

या यहकि मैं मुद्दआअलेह जिसके दस्तखत ज़ेल ... अर्ज़ करताहूँ कि बयानातमुन्दर्जे अर्ज़ीदावा से यहनहीं मालूम होताहै कि कोई ऐसा इक़रारनामा मौजूदहैजिस-की क़ानूनन् तामीलकराईजासके[या यहकि मज़कूरसे यह ज़ाहिर होताहै किमैं बशिराकत (हे वाव)केजो मुक़द्दमेमें फ़रीक़ नहीं गरदाना गयाहै ज़िम्मे-दारहों नकि बिलइन्फ़राद जैसा अरज़ीदावेसे ज़ाहिर होताहै यायहकि अरज़ीदावे मज़कूरसे पायाजाताहै कि (ज़े हे) (अलिफ़बे)मज़कूरकेसाथ बमुक़द्दमे मज़बर-शरीक मुद्दई होनाचाहियेथा या जैसी कि सूरत हो]

या यहकि मुद्दईने अपनी हक़ीयत रेहन मज़कूर(या इस्तेहक़ाक़ इन्फ़िक़ाक़रेहन)बनाम(तो ये) मुन्तक़िल या हवाले) करदी है]या यह कि मैंने (हे लाम)के ...थ बतौर ज़िम्मेदारी ज़ायदके बकिफ़ालतमुबालिग़-इस्तेहक़ाक़ इन्फ़िक़ाक़ जायदाद मज़कूर का जिसकी बाबत बेबात करानेकी दरख्वास्त इसमुक़द्दमेमेंकीगईहै मुन्तक़िल करादियाहै या हवाले करादियाहै]

या यहकि शराकतके फ़िस्ख़ होजाने के बाद मुद्दई ने एक दस्तावेज़ लिखदी है जिसकी रूसे मुद्दई ने वादा अदायतमामदयून और ज़िम्मेदारीहाय शराकती का और बिलउमूम तमाम दुआवी और ज़िम्मेदारियों से जो मिन्जानिब ख़ुद मुद्दई और दीगर अशख़ासकेउसी

कारोबार शराकती की बाबतहों मुझको बरीकरदेने का कियाहै (या जैसी कि सूरतहो)

दस्तख़त (जीम दाल)
मुद्दआअलेह

नम्बर १२३॥

बन्द सवालात

दफ़ा १२१ मजमूये ज़ाबितै दीवानी॥

ब अदालत——मुक़ाम——

मुक़द्दमै दीवानी नम्बर——सन् १८　ई०

(अलिफ़ बे)—बनाम (जीम दाल) व (हे वाव) व (ज़े हे)

सवालात अज़तरफ़ (अलिफ़ बे) या (जीम दाल) मज़कूरबग़रज़ क़लम्बन्दी जवाब (हे वाव) और (ज़े हे) या (अलिफ़ बे) मज़कूर के॥

१—आया तुमने वग़ैरह॥

२—आया————वग़ैरह॥

(वाव हे) मुद्दआअलेहको चाहिये कि सवालातनंबर फ़लां व फ़लांका जवाब दे॥

(ज़े हे) मुद्दआअलेह को चाहिये कि सवालात नंबर फ़लां व फ़लांका जवाब दे॥

नम्बर १२४॥

नमूनाइत्तिलाअनामाबहुक्मपेशकरनेदस्तावेज़ात के

दफ़ा १३१ मजमूये ज़ाबितै दीवानी॥

बअदालत——मुक़ाम——

मुक़द्दमा दीवानी नंबर——सन्——

(अलिफ़ बे) बनाम (जीम दाल)

तुमको इत्तिलाअ दीजातीहै कि मुद्दई (यामुद्दआअलेह) चाहताहै कि जिन २ काग़ज़ातको तुम्हारी अर्ज़ीदावे (या बयान तहरीरी या तहरीरी बयान हल्फ़ी) मवर्रुखे़- सन् १८--ई० में हवाला दियागयाहै उनको तुमउसके मुआयिने के लिये पेशकरो ॥

यहांतफ़्सील दस्तावेज़ात मतलूबाकीलिखीजायगी॥

दस्तख़त—वकील मुद्दई (या मुद्दआअलेह)

बनाम—वकील मुद्दआअलेह या (मुद्दई)

नम्बर १२५ ॥

सम्मन वास्ते हाज़िरी और अदाय शहादत के

दफ़ा १५९ व १६३ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

(उनवान)

बनाम—

हरगाह तुम्हारा हाज़िर होना वास्ते—के मिन्जानिब—मुक़द्दमै मज़कूरैबालामेंज़रूरीहै लिहाज़ातुमको हुक्मदियाजाताहैकि (असालतन् इसअदालतमेंहाज़िर) बतारीख़—माह—सन्—बरवक़्—बजेदिन के क़ब्ल दोपहर (और) अपनेसाथ—इसअदालतमेंलेते आओ या भेजदो ॥

मुबलिग़—बाबत तुम्हारे सफ़र ख़र्च वग़ैरह और ख़ूराक एकयोमके इस सम्मनकेसाथ भेजाजाताहैअगर तुम इसहुक्मकी तामील न करोगे तो तुमपर न हाज़िर होनेका वहनतीजाजोकि मजमूये ज़ाबितैदीवानीकीदफ़ा १७० में मरक़ूम है आयद होगा ॥

कियेग हो तईनेके वास्तेनहीं
स सम्मनका
मज़कूरकोइस

तुमको ठहरनापड़े तोमुबलिग़—तुमको सिवायतारीख़ मज़कूरैबालाके हरतारीख़ हाज़िरी अदालतकी बाबत दियाजायेगा॥

मेरेदस्तख़त और मोहर अदालतसे आजतारीख़—
——सन्——को जारी कियागया॥

(मोहर
अदालत
)

नम्बर १२६॥

दूसरानमूना॥

नम्बर मुक़द्दमा—

अदालत——मुक़ाम—ज़िला—

मुद्दआअ

बनाम—(नाम और पता और निशान)

तुमबज़रिये इससम्मनके इसअदालतमेंबतारीख़—
माह—सन्—बरवक़्—क़ब्ल दोपहर असालतन् हा-

ज़िर होनेकेलिये वास्ते अदायशहादत मिन्जानिब मुद्दई (या) मुद्दआअलेह) बमुक़द्दमैमज़कूरैबाला औरवास्तेपेश करने (यहांबयानउसदस्तावेजकाजिसकापेशकरना मत-लूबहोबतशरीहमुनासिबज़रूरीहै और अगरसम्मनसिर्फ़ वास्तेअदायशहादतकेहोया सिर्फ़वास्ते पेशकरने दस्ता-वेज़के तो वैसाही लिखनाचाहिये) तलबकियेगयेहो और तुमको लाज़िमहै कि बग़ैरइजाज़तअदालतके वहांसे न जाओतावक्ते कितुम्हाराइज़हारन होजाय (यातुमदस्ता-वेज़पेश न करदो) औरअदालतबरख़ास्तहो या बिदून इसके कि तुम अदालतसे इजाज़त हासिलकरो ॥

नमूने डिकरियोंके

नम्बर १२७ ॥

डिकरी महज़ ज़र नक़दकी ॥

(उनवान)

दावा बाबत———

यह मुक़द्दमा बतारीख़——वास्ते इन्फ़िसाल अख़ीर के रूबरू——बहाज़िरी——मिन्जानिब मुद्दई और—— मिन्जानिब मुद्दआअलेह पेश हुआ बिनाबरआंहुक्म हुआ कि——मुबलिग़ बतादाद——मयसूद बशरह—— फ़ीसदी——सालाना या माहाना मिनइब्तिदाय ता-रीख़——तातारीख़ वसूलयाबी ज़रमज़कूर——कोअदा करे और नीज़ ख़र्चा इस मुक़द्दमेका जोकि अदालतके ओहदेदारतशख़ीसकुनिन्दाने——महसूबकियाहैमय उस के सूद बशरह मज़कूरै बाला तारीख़ महसूबीख़र्चेसेता तारीख़ वसूलयाबी——को अदाकरे ॥

ख़र्चा मुक़द्दमा ॥

मुद्दई		मुद्दआअलेह	
१ इस्टाम्पअर्ज़ी दावका	रुपया आनापाई	इस्टाम्पवकालत नामेका	रुपया आनापाई
२ इस्टाम्पवकालत नामेका		ऐज़न् सवाल का	
३ इस्टाम्पवजह सुबूत		मेहनतानावकील	
४ मेहनतानावकील बाबत रुपया—		ख़ूराक गवाहोंकी	
५ रसूम तर्जुमा		इजरायहुक्मनामेका	
६ ख़ूराक गवाहकी बग़रज़ हाज़िरी		रसूम तर्जुमेकी	
७ रसूम अहाली कमीशन की		फ़ीस अहालीकमीशन की	
८ इजरायहुक्मनामा			
९ वग़ैरह			
मीज़ान		मीज़ान	

आज तारीख़——माह——सन्——को बसब्तमेरे दस्तख़त और मोहर अदालत के जारीहुआ ॥

मोहर अदालत

(दस्तख़तजज)

ऐक्टनं० १४ बा० स० १८८२ ई०।

नम्बर १२८ ॥

डिकरी वास्ते नीलाम के ब मुक़द्दमै नालिश मुर्तहन या उसशख्सके जिसको इस्तेह-क़ाक़ किफ़ालतका हासिल हो ॥

(उनवान)

हुक्महुआ कि रजिस्टरार (या ओहदेदार तशखीस

मुद्दईको बाबत

मु

खर्चा बाबत उसनालिश के महसूब करे और रजिस्ट-

ख—माह——उसरक़म को जो बाबत असल व सूद

अगर मुद्दआअलहउसतारीखसे जबवहरक़मअदालत

जाय छःमहीने के अंदर अदाकरे तो यह

।ता॥१९

वह खुददावा करता हो या उसके कोई

दावादारहा मकान मरहूना मज़कूरको वापिस लिखदे

के क़ब्ज़ या अख्तयारमें हो उन सबको मुद्दआअलह

को या उस शख्स को जिसको मुद्दआअलेह मुक़र्ररकरे

हवालेकरदे और जब इसतौरपरवापिसी अमलमेंआये

और दस्तावेज़ात औरतहरीरात हवाले करदीजायँ तो रजिस्टरार (याओहदेदार तशख़ीसकुनिन्दा) ज़रमज़-कूरजोबाबतअसलवसूद और ख़र्चेके हस्बमरक़ूमैबाला अदा किया गयाहो मुद्दई को अदाकरदे लेकिन जिस हालमें कि मुद्दआअलेह असल व सूद और ख़र्चामज़-कूर तारीख़ मज़कूरैबाला तक अदालत में न दाख़िल करदे तोउससूरतमें हुक्म दियाजाता है कि मकानमर-हूना मज़कूर (या मकानात ज़ैर किफ़ालत) बमंज़ूरी रजिस्टरार(याओहदेदार तशख़ीसकुनिन्दा)के नीलाम कियाजाय और नीज़ हुक्म दियाजाताहै कि ज़रसमन नीलाम मज़कूरका उससेख़र्चानीलाम वज़ाकरनेके बाद अदालतमें बईमुराद दाख़िलहो कि जिसक़दर रुपया याफ्तनीमुद्दई बाबत असलवसूद और ख़र्चा मज़कूरके पायाजाय वहउसकोहस्ब ज़ाबिताअदाकियाजाय और बाक़ी(अगरकुछरहे) मुद्दआअलेह या उस शख़्स को जिसको वह उसके लेनेके लिये मुक़र्ररकरे दियाजाय ॥

नम्बर १२९ ॥

डिकरी अख़ीर बाबत बयबात ॥

(उनवान)

हरगाह अदालत को मालूम होताहै कि मुद्दआअ-लेहने मुबलिग़——जो बतारीख़——माह——सन्——याफ्तनी मुद्दईबाबत असल वसूदरहनमुतज़क्किरै अर्ज़ी दावा और बाबत ख़र्चा मुक़द्दमेके बमूजिब उसहुक्म के जो इस मुक़द्दमे में बतारीख़——माह——सन्——सा-दिर कियागया था अदालत में ज़ाहिर किया गया "

दाख़िल नहीं किया दर मीआद छः महीने की तारीख़ ——माह——सन्——मज़कूर से मुन्क़ज़ी होगई॥

लिहाज़ा हुक्महुआ किमुद्दआअलेहका तमामइस्तेहक़ाक़ इन्फ़िकाक रहनमकान मरहूना मज़कूर कुल्लियतन् मुन्क़तै करदियाजाय॥

नम्बर १३०॥

हुक्म इब्तिदाई———मुक़द्दमा एहतमाम तरका
दफ़ा२१३ मजमूये ज़ाबितैदीवानी॥

(उनवान)

हुक्महुआकितरतीब हिसाब व तहक़ीक़ात हस्ब मुफ़स्सिलै ज़ैल अमलमेंआये यानी——

बमुक़द्दमै दायन——

१——जो रक़ूम कियाफ़्तनी मुद्दई और तमाम दीगर क़रज़ख्वाहान मुतवफ़्फ़ाकी हों उनका हिसाब मुरत्तिब कियाजाय॥

बमुक़द्दमा मूसालहुम्——

२——हिसाब माल वसीयतीका जोकि मूसीकी वसीयतकी रूसेदियागया हो मुरत्तिब कियाजाये॥

बमुक़द्दमै क़राबती क़रीबतर॥

तहक़ीक़ात कीजाय और हिसाबमुरत्तिबहो कि मुद्दई माल वसीयती में से बतौरक़राबतीक़रीब (याक़राबती मिन्जुमलैक़राबतियानक़रीबतरके) शख्स बिलावसीयतकिसक़दरकायाकिसहिस्सेका अगरकुछहैमुस्तहक़है॥

(बाद फ़िक़रै अव्वलके हुक्म में दरहाले कि ज़रूरी हो बमुक़द्दमैदायनहुक्मतहक़ीक़ात और तरतीबहिसाब

काबहक़ूमसालहुम् और बुरसाय जायज़ और क़राबति-
यान क़रीबतरके दियाजायेगा और बमुक़द्दमे दीगरदावी-
दारान् बजुज़दायनान के तमाम सूरतों में बाद फ़िक़रे
अव्वलके हुक्महोगाकि दायनानकी बाबततहक़ीक़ात
कीजाय और उनकाहिसाब मुरत्तिबकियाजाय औरबाद
अज़ां यहहुक्म लिखाजायेगा कि दीगर अशख़ासकी
बाबत जिनकी ज़रूरतहो तहक़ीक़ातहो और हिसाब
मुरत्तिबकियाजाय औरशुरूअकी इबारतमामूलीमतरू-
ककीजायऔर उसकेबादयह नमूनामुताबिक़ उसीनमूने
के जो दायन के मुक़द्दमे के वास्तेहै)

३—हिसाब अख़राजात तजहीज़वतकफ़ीन और मुत-
अल्लिक़े वसीयत मुरत्तिब कियाजाय ॥

४—हिसाब माल मन्क़ूला मतरूका मुतवफ़्फ़ाका जो
बक़ब्ज़ेमुद्दआअलेह याकिसीऔर शख्स मुद्दआअलेह
के हुक्मसे या उसके इस्तैमालकेलिये दरआयाहोमुर-
त्तिब कियाजाय ॥

५—तहक़ीक़ातइसअम्रकीअमलमेंआयेकिकिसक़द्र
जायदाद मन्क़ूला मतरूकामुतवफ़्फ़ा अगरकुछहोगैरों
के क़ब्ज़ेमेंहै जिसकीनिस्बत कुछअमलनहीं कियागया॥

६—और नीज़ हुक्म दियाजाता है कि मुद्दआअलेह
बतारीख़ याक़ब्लतारीख़—माह—सन्—अदालत
मेंतमाममुबालिग़जोदरियाफ़्त याउसकेक़ब्ज़ेमेंआये हैं
याउसके हुक्मसे या उसके फ़ायदेकेलिये किसीऔर के
क़ब्ज़े में आयेहैं अदालतमें दाख़िलकरे ॥

७—और नीज़ यह कि अगर रजिस्टरारकीदानिश्त

में वास्ते हुसूल अग़राज़ मुक़द्दमेके नीलामकरनाकिसी
जुज्वजायदादमन्क़ूलामतरूकामुतवफ़्फ़ाका ज़रूरीमुत-
सव्विरहोतोउसकोनीलामकरकेज़रसमन नीलामअ़दा
लतमें दाख़िल करदे ॥

८—यहकि (हे वाव) इस मुक़द्दमे (याकार्रवाई में)
मोहतमिम मुक़र्रर हो और मुतवफ़्फ़ा के तमाम दयून
और जायदादमन्क़ूलाकोफ़राहमकरके अपनेएहतमाम
मेंलाये औररजिस्टरारकेहवालेकरे(और) वास्तेतामील
क़रारवाक़ई अपनी ख़िदमातके बतादाद मुबलिग़—
ज़मानतनामा दाख़िलकरे ॥

९—नीज़हुक्मदियाजाताहै किअगरजायदादमन्क़ूला
मतरूका मुतवफ़्फ़ावास्ते अग़राज़ मुक़द्दमेकेग़ैरमुक्तफ़ी
पाईजाय तोतहक़ीक़ात मज़ीदअ़मलमें आयेऔरहिसा-
बात मुरत्तिब कियेजायें यानी ॥

(अलिफ़) तहक़ीक़ात इसअम्रकीकि किसजायदाद
ग़ैरमन्क़ूलापरमुतवफ़्फ़ाबरवक़्तअपनी वफ़ातके क़ाबिज़
था या उसका मुस्तहक़ था ॥

(बे) तहक़ीक़ात इसअम्रकीकिमुतवफ़्फ़ाकी जायदाद
ग़ैरमन्क़ूला या उसके किसीजुज्वपर किया मुतालिबेमें
अगर कुछ मुतालिबा हो ॥

(जीम) हिसाब जहांतक कि मुमकिनहो उनरक़मका
जोकिजुमले मुतालिबेजातकी बाबतवाजिबहों औरउस
में तफ़्सील तक़दीम व ताख़ीर उनमुतालिबे दारोंकी
दर्जकीजाय जो उस नीलामपर जिसकाकि बादअ़र्ज़ी
बयान कियाजायेगा राज़ीहों ॥

१०-यहकिजायदादगैरमन्कूलासतरूका मुतवफ़्फ़ा था उसमेंसे जिसक़दर वास्ते हुसूल ग़रज़ मुक़द्दमा बइज़ाफ़ाज़रमदख़्लाअ़दालतज़रूरीहोबमंज़रीहाकि- मअ़दालतमुबर्रामुतालिबेजातसे उनदावेदारोंके जो कि नीलामपर राज़ीहों और बक़ैदमुतालिबेजात उनदाव- दारोंके जोकि नीलामपर राज़ी न हों नीलामकीजाय॥

११-औरनीज़हुक्मदियाजाताहै कि (ज़ेहे)जायदाद् गैरमन्क़ूलाका नीलामकरे और जिनशरायत और मु- आहिदोंपर नीलामहो उनको वास्तेमंज़ूरी रजिस्टरार के क़लमबन्दकरे और दरसूरत वाक़ैहोने किसी शक

जज के वास्ते तस्फ़ि-

१२-नीज़हुक्म दियाजाताहै कि बग़रज़ त और हिसाबवाला रजिस्टरार अख़बारातमें मुता-

क़ात मज़कूर को किसी और ऐसे तौर अमलमें लाये जो कि रजिस्टरार की दानिश्तमें उस तहक़ीक़ात को मुश्तहर करनेके लिये निहायत मुफ़ीद हो॥

१३-नीज़ हुक्म दियाजाता है कि तहक़ीक़ात और हिसाब मज़कूरकीतरतीबऔरतमामदीगर उमूरजिनके अमलमें आनेका हुक्मदियागयाक़ब्ल तारीख़—माह —सन्—तकमील पायें और रजिस्टरार कैफ़ियत नतीजेतहक़ीक़ात और हिसाबातकी और इसअम्रकी गुज़राने कि तमामदीगर उमूरकीतकमील होगई जिनके अमलमें आनेका हुक्म दियागयाथा और अपनीकैफ़ि-

यत इसबाबमें वास्ते मुश्रायिना फ़रीक़ैन के बतारीख़
——माह——मुरत्तिबरक्खे॥

१४—अख़ीरयह कि यह मुक़द्दमा(यामुआमिला)वास्ते सुदूर डिकरीअख़ीरकेतातारीख़——माह——मुल्तवीरहे॥ [इस हुक्मका मुरत्तिब वह जुज्व लिखाजाय जो कि ख़ास सूरत से इलाक़ा रखता हो]॥

नम्बर १३१॥

डिकरी अख़ीर बमुक़द्दमै नालिश मुसालहू दरबाब एहतमाम तरका मुतवफ्फ़ा॥

दफ़ा २१३ मजमूये ज़ाबितै दीवानी॥

१——हुक्महुआ—किमुद्दआअलेह बतारीख़——माह——सन्——याक़ब्ल उसके अदालतमें मुबलिग़——याने ज़रबाक़ीजो अज़रूय सार्टीफ़िकट मज़कूरमुद्दआ-अलेह मज़कूर से बाबत जायदाद———मतरूका मूसा-याफ्तनीपायागया और नीज़मुबलिग़——बाबतसूदबहि-साब फ़ीसदी सालाना मुबलिग़——तारीख़——माह——से तातारीख़—माह——हर्म्गीमुबलिग़——अदाकरे॥

२—रजिस्टरार (या ओहदेदार तशख़ीसकुनिन्दा) अदालत मज़कूरइसमुक़द्दमेमें ख़र्चा जानिब मुद्दईवमुद्द-आअलेह क़रारदे और इस तौर पर तजवीज़ किये जाने के बाद ज़रख़र्चा मज़कूर मिन्जुमलैमुबलिग़——मज़कूर केजिसकेवास्तेहस्बमज़कूरैबालाअदालतमेंदाख़िलकिये जानेकाहुक्महुआहै हस्ब तफसीलज़ैल अदाकियाजाय॥

(अलिफ़)ख़र्चाजानिब मुद्दई बाबतामिस्टर——उसके टर्नी(याप्लीडरके)और ख़र्चाजानिबमुद्दआअलेह बाबत अमस्टर——उसकेअटर्नी (या प्लीडर के)॥

(बे) (अगर कोई दयून याफ्तनीहोंतो (मुबलिग़ मज़कूरके ज़रबाक़ीमुन्दामेंसे बादअदाय ख़र्चा जानिबमुद्दई व मुद्दआअलेहहस्बमरक़ूमैबालाके जितना २ रुपयाकि ज़ुमलैक़र्ज़ख्वाहोंका हस्बमुन्दर्जै फ़ेहरिस्त बमूजिबतसदीक़रजिस्टरारवाजिबी पायाजायमयसूद माबादकेबाबत उन दयूनके जो सूदीहैं अदाकियाजाय और बाद अदायरक़ूम मज़कूर जितना २ रुपया कि ज़ुमलै मूसालहुम् मुंदर्जैफ़ेहरिस्तको मयसूद माबादके (जिसकीतसदीक़ हस्बमज़कूरैबाला की जायगी) बक़दर हिस्सै रसदी वाजिबी हो अदा कियाजाय ॥

३—अगर बादअर्ज़ी कुछ और रुपया बाक़ीरहे तो वह मूसालहू बाक़ीमुंदैको अदा कियाजाय ॥

डिकरी बमुक़द्दमै नालिश मूसालहूदरबाब एहतमाम तरका जिस हालमें कि वसी बज़ात खुद ज़िम्मेदारअदाय माल वसीयती का हो ॥

दफ़ा २१३ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

१—वाज़ैहो कि मुद्दआअलेहबज़ात खुद ज़िम्मेदार इसकाहैकिशैवसीयती मुबलिग़——मुद्दई को अदाकरे ॥

२—लिहाज़ा हुक्म दियाजाता है कि हिसाब ज़र असल व सूद बाबत शैवसीयतीमज़कूर जो कि याफ्तनी हो मुरत्तिब कियाजाय ॥

३—नीज़ हुक्महोता है कि रजिस्टरारकी तसदीक़की तारीख़ से——हफ्ते के अंदरमुद्दआअलेह मुद्दई को उस क़दर ज़र जोकि रजिस्टरार बाबत असल व सूद याफ्तनी तजवीज़ करै अदा

४—नीज़ मुद्दआअलेह ख़र्चा
जो मुद्द
उस हालमें आयद किया जायगा कि फ़रीक़ैन बाहम

क़रीबतर

दरबाब एहतमाम तरका ॥
दफ़ा २१३ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

१—रजिस्टरार अदालत मज़कूर ख़र्चा जानिब मुद्द

व मुद्दई मज़कूर इसतौर पर क़रारदियेजानेकेबाद
ज़ुमलै मुबालिग़—यानी उस ज़रबाक़ी के जो हस्ब
तसदीक़मज़कूरमुद्दआअलेहासे बाबतजायदादमन्क़ूला
(हे वाव)मुतवफ़्फ़ा बिलावसीयत के याफ्तनी पायाजाय
अंदरएकहफ्तेके उसतारीख़से किख़र्चा मज़कूरैको रजि-

मुद्दआ

है कि
मज़कूरमेंसे बाद अदाय ख़र्चामुद्दईव मुद्दआअलेहामज़-
कूरहके बाक़ी रहे वहमुद्दआअलेहा हस्बमुफ़स्सिलैज़ैल
अदा और सर्फ़करै ॥

का रजिस्टरार हस्ब मज़कूरैबाला करदे एक हफ्ते
के अंदर ज़र बक़ीया मज़कूर का एक सुलस मुदय्यान
अलिफ़ बे) और (जीम)उसकी ज़ौजाको बाबत उस

ज़ौजाके हक़ के इस वजहसे कि वह (हे वाव) मुतवफ़्फ़ा बिला वसीयतीकी बहन और मिन्जुमलै क़रावतियों के एक क़राबती क़रीबतर है अदाकरै॥

(बे) मुद्दआअलेहा मिन्जुमलै बक़ीयै ज़र मज़कूर बाबत अपने हिस्सेके एक सुल्सले इसवजहसे कि वह (हे वाव) मुतवफ़्फ़ा बिलावसीयती मज़कूरकीमां और मिंजुमलै दीगर क़रावतियोंके एकक़राबती क़रीबतरहै॥

(जीम) मुद्दआअलेहा उसतारीख़से कि रजिस्टरार हस्बमरक़ूमैबाला तअय्युन ख़र्चेकाकरै एकहफ्तेकेअंदर मिन्जुमलै ज़र बक़ीया मज़कूरके एकसुल्स (ज़े हे) को बाबत उसके हिस्सेके दे इसवजह से कि वह (हे वाव) मुतवफ़्फ़ाबिलावसीयती मज़कूरका भाई और बाक़ी मुंदा क़राबती क़रीब तरहै॥

नम्बर १३२॥

हुक्म वास्ते फ़िस्ख़ शराकत के॥

दफ़ा २१५ मजमूये ज़ाबितै दीवानी॥

हुक्मदियाजाताहै किशराकतमुतज़क्किरै अर्ज़ीनालिश जो मावैन मुद्दई और मुद्दआअलेह केहै तारीख़—माह—से फ़िस्ख़ होनीचाहिये और नीज़हुक्म दियाजाता है कि इन्फ़िसाख़ शराकत मज़कूर का तारीख़ मज़बूर से गज़ट—वग़ैरहमें मुश्तहर हो॥

हुक्मदियाजाताहै कि——रिसीवर याने मोहतमिम जायदादशराकती और अमवाल मुतनाज़ानालिशहाज़ा का मुक़र्ररहो और जो दयून मुन्दर्जै वही और हुवाली

कारख़ाना शराकतीके लोगोंकेज़िम्मेहैंबा।सबवसूलकरे॥

हुक्म दियाजाता है कि हिसाबात मुफ़स्सिलै ज़ैल मुरत्तिबहों॥

१—हिसाबदयून याफ्तनी व जायदाद व अमवाल मुतअल्लिक़ै कारख़ाने शराकती मज़कूर॥

२—हिसाबदयून और मतालिबैजात ज़िम्मगीकारख़ाने शराकती मज़कूर॥

३—हिसाबतमामदादवास्तिदऔरमुआमलातकामाबैन मुद्दईवमुद्दआअलेहजोबादहिसाब तस्फ़ियायाफ्तहमुंदर्जैनालिशहाज़ामुसबिता(अलिफ़)केहुयेहोंऔरकिसी हिसाबात तस्फ़िये याफ्तह माबादसे इलाक़ा न रखतेहों॥

हुक्म दियाजाताहै कि गुडविल याने नेकनामी उस कारोबार की जो क़ब्लअर्ज़ी मुद्दई व मुद्दआअलेह हस्ब मुन्दर्जैअर्ज़ीदावाकरतेथे और मालमौजूदहमुतअल्लिक़ै कारोबार उसीमुक़ाम पर नीलाम कियाजाय और रजिस्टरारको अख्तियारहै कि फ़रीक़ैनमें से किसी की दरख्वास्तपर उस नीलाममें तमाम या किसीलाटके वास्ते बोली क़रारदे और फ़रीक़ैनमेंसे हरएकको अख्तियार हो कि बरवक़्त नीलाम बोली बोले॥

हुक्म दियाजाता है कि क़ब्ल तारीख़——माह—— हिसाबात मज़कूरैबाला मुरत्तिब कियेजायँ और तमाम दीगरउमूरजिनका अमलमें आना ज़रूरीहो तकमीलको पहुँचायेजायँ और रजिस्टरारबाबत नतीजे हिसाबातके और इसअम्रके कि तमामदीगर उमूरकी तकमीलहोगई तसदीक़ करे और बतारीख़——माह——अपना सार्टी-

फ़िकटउसबाबमेंवास्तेमुआयनेफ़रीक़ैनकेमुरत्तिबरक्खे ॥
बिलआख़िर हुक्म दियाजाता है कि वास्ते सादिर करने डिकरी अख़ीरके यह मुक़द्दमा ता तारीख़——माह——मुल्तवी रहे ॥

नम्बर १३३ ॥

शराकत ॥

डिकरी अख़ीर ॥

दफ़ा २१५ मजमूये ज़ाबितैदीवानी ॥

बअदालत————मुकाम-

मुक़द्दमे दीवानी नम्बर——

(अलिफ़ बे)साकिन——बनाम(जीम दाल)साकिन-

हुक्महुआकि मुबलिग़ तादादी——जोबिलफ़ैल अदालतमें जमाहैं हस्बज़ैल सर्फ़किये जायँ ॥

१——दयूनाज़िम्मगी कारख़ाने शराकतीहस्ब मुन्दर्जै सार्टीफ़िकट रजिस्टरार हम्गी तादादी मुबलिग़——अदाकिये जायँ ॥

२——ख़र्चा तमाम अहाली मुक़द्दमे हाज़ाका तादादी मुबलिग़——अदाहो ॥

(यहख़र्चेडिकरीकोलिखेजानेसेपहलेमुतहक्क़िक़ होनेचाहियें) ॥

३——मुबलिग़——बाबत हिस्से माल शराकतीमौजूदहमुबलिग़——के मुद्दई को अदा दिये जायँ और मुबलिग़——जोकुल मुबलिग़ मज़कूर में से कि बिलफ़ैल अदालतमें जमाहैं बाक़ीरहें बाबतहिस्सैमाल शराकती मौजूदहके मुद्दआअलेहको दियेजायँ ॥

[या यह कि मिंजुम्लैज़र मज़कूर——के बाक़ी रुपया

मुद्दई (या मुद्दआअलेह) मज़कूरको मिंजुम्लामुबलिग़
के जो हिसाब शराकती की बाबत उसका याफ्तनी
मज़कूरमें लिखाहै दियाजाय ॥
मुद्दआअलेह (या मुद्दई) व तारीख़—माह—या
क़ब्ल उसके मुद्दई (या मुद्दआअलेह) को मुबलिग़—
बक़ीयामुबलिग़—मिंजुम्लेकुल मुबलिग़—याफ्तनी
उसके जोकि अब बाक़ी रहाहै अदाकरे ॥

नम्बर १३४ ॥

सार्टीफ़िकट अदमईफ़ाय डिकरी ॥

दफ़ा २२४ मजमूयेज़ाबिते दीवानी ॥

व अदालत—मुक़ाम—
मुक़द्दमै दीवानी नम्बर—बाबत सन् १८——ई०
(अलिफ़ बे)साकिन—बनाम(जीम दाल) साकिन—
तसदीक़ की जातीहै कि व मुक़द्दमै दीवानी नम्बर
—सन्—इस अदालतकी डिकरीका ईफ़ाय जिसकी
एकनक़लमुन्सलिकसार्टीफ़िकटहाज़ाहै बज़रियेइजराय
इसअदालतकेइलाक़ेकेअंदर कुछभीनहींकियागया(या
जुज़न्कियागया यानेजैसीकिसूरतहो और अगरजुज़न्
होतो लिखना चाहिये कि किसक़दर ईफ़ायहुआ) ॥
आज बतारीख़—माह—सन्—बदस्तख़त मेरे
और मोहर अदालतके हवाले कियागया ॥

मोहर
अदालत

(दस्तख़तजज)

नम्बर १३५ ॥

ज़ाहिर करनवजह न

दफ़ा २४८ मजमूये ज़ाबिते दीवानी।

मुतफ़र्रिक़ात नम्बर—— १८——ई०

(अलिफ़ बे) साकिन——

बनाम——

हरगाह——ने दरख़्वास्त अदालतहाज़ामें वास्ते इजरायडिकरी अदालत दीवानी मुक़द्दमे नम्बर—सन्——के गुज़रानीहै लिहाज़ा तुमको इत्तिलाअदीजातीहै कि तुम इस अदालत में बतारीख़—माह—सन्——

ज़ाबिते और वाक़िफ़ हालमुक़द्दमेके हाज़िरहोकरअगर कोई उज़्र वास्ते न जारी

पेशकरो॥

आज बतारीख़—माह——सन्——मेरे और अदालतकी मोहरसे हवाले कियागया॥

मोहर अदालत

(दस्तख़तजज)

नम्बर १३६ ॥

वारंटकुर्की जायदाद मन्कूला मक़्बूज़ा मुद्दआअलेह बइल्लत इजराय डिकरी ज़रनक़द ॥

दफ़ा २५४ मजमूये ज़ाबिते दीवानी ॥

(उनवान)

बनाम बेलफ़ अदालत—

हरगाह इसअदालतकी डिकरीमरकूमै तारीख़—माह - सन्——की रूसे बमुक़द्दमैनम्बर—सन्—यहहुक्महुआथा किमुद्दई को मुबलिग़—बहस्बत-फ्सील मुंदर्जै हाशिया—अदाकरै जो कि मुबलिग़ मज़्कूर अदानहींकियाग याहैलिहाज़ातुमको हुक्म दियाजाताहै कि जायदाद मन्कूला— मज़्कूरकीब-हस्बमुन्दर्जै फ़र्दतालीक़ैमुं सलिकैयावहमालमन्कूलै जिसकी निशांदिही तुमको——मज़्कूरकरैकुर्क़ करो और ——मज़्कूरअगरतुमकोमुबलिग़——मज़्कूरमये मुबलि-ग़——बाबत ख़र्चा उसकुर्क़ीके न अदाकरदे तो जबतककि हुक्मसानी इसअदालतसे नहो उसमालकोकुर्क़रक्खो॥

डिकरी			
ज़र असल ..			
ज़र सूद ..			
ख़र्चा			
ख़र्चा डिकरी			
सूद			
मीज़ान ख़र्चा			
कुर्क़ी			
मीज़ान ..			

तुमको यहभी हुक्म दियाजाताहै कि इसवारण्टको ब-तारीख़——माह——सन्——याक़ब्ल उसकेबईं तस-दीक़ ज़ोहरीवापिसकरो कि किसतारीख़ और किसतौर

पर उसकी तामीलहुईयाकिसवजहसे तामीलनहींहुई ॥
मेरे दस्तख़तऔर मोहरअ़दालतसे आजबतारीख़—
माह—सन्—हवाले कियागया ॥
फ़र्दतालीक़ा ॥

मोहर
अ़दालत

(दस्तख़तजज

नम्बर १३७ ॥

वारण्ट बनाम बेलफ़वास्ते दिलाने क़ब्ज़ा अराज़ी वग़ैरह कें
दफ़ा २६३ मजमूये ज़ाबितैदीवानी ॥

(उनवान)

बनाम बेलफ़ अ़दालत—

हरगाह—जिसपर दख़ल—काहै नालिशहाज़ा में बज़रिये डिकरी—मुद्दई को दिलायागयाहै लिहाज़ा तुमको हिदायत कीजातीहै कि—मज़कूरको उसकाक़ब्ज़ा दिलादो और तुमकोइजाज़तदीजातीहैकि जोशख़्स उस पर दख़ल देनेसे इन्कारकरेउसको निकालदो ॥

आज बतारीख़—माह—सन्—मेरे और मोहरअ़दालतसे हवाले कियागया ॥

मोहर
अ़दालत

दस्तख़तजज

नम्बर १३८ ॥

कुर्क़ी बिलामै इजराय डिकरी ॥

हुक्म इम्तनाई उसहालमें कि जायदाद क़ाबिल कुर्क़ी मन्क़ूलाहो जिसपर मुद्दआअलेहको इस्तेहक़ाक़ बक़ैद किसी मिलाकियत या इस्तेहक़ाक़ किसी और शख़्स के जो उस वक़्त क़ाबिज़ उसकाहो पहुंचताहो॥

दफ़ा २६८ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

(उनवान)

बनाम

हरगाह ——मज़रा डिकरी जो बतारीख़ —— माह सन् ——उसपर बहक़ —— बाबत मुबलिग़ —सादिर हुईथी अदानहीं कियाहै लिहाज़ा हुक्म हुआ कि मुद्दआ-अलेह जबतक कि इस अदालतसे दूसरा हुक्म सादिर नहो ——सेमाल मुफ़स्सिलै ज़ैलजो— मज़कूर के क़ब्ज़े में है याने—— जिसपर मुद्दआअलेहबक़ैद किसीदावे-मज़कूरके मुस्तहक़है उसके लेलेनेसे ममनूअ और बाज़ रक्खाजाय और ——मज़कूर उसवक़्तक कि उस अदा-लतसे और हुक्म सादिर होनाल मज़कूर किसी और शख़्स या असख़ासको गोकि वह कोई हों हवाले करनेसे ममनूअ और बाज़ रक्खाजाय ॥

मेरे दस्तख़त और मोहर अदालतसे आज बतारीख़—— ——सन्——हवाले कियागया ॥

मोहर

अदालत

नम्बर १३९॥

कुर्क़ी बसीगै इज्राय डिकरी॥

हुक्मइम्तनाईजिसहालमें कि जायदादअज्ञकिस्मएैसेदयून केहोजिनकीबाबतदस्तावेज़ातक़ाबिलबैवशिरानहों॥

दफ़ा २६८ मजमूये ज़ाबितै दीवानी॥

(उनवान)

बनाम——

हरगाह——ने ज़र डिकरी जोबनाम——बतारीख़ ——माह——सन्——बमुक़द्दमै दीवानी नम्बर— सन्——बहक़——बाबतमुबलिग़——के सादिरहुई थी नहींअदाकियाहै लिहाज़ाहुक्म दियाजाताहै किमुद्द-आअलेह और——बज़रिये इसहुक्मके उसवक़्त तक इस अदालतसे दूसरा हुक्म सादिरहो तुमसे वहक़रज़ा जो बिल्फ़ेल तुमसे याफ्तनी मुद्दआअलेह मज़कूरबया नकियागयाहै वसूलकरनेसेममनूअ और बाज़रक्खाजा-येयाने-और नीज़ तुम——मज़कूरको वज़रिये इसहुक्म केइत्तिलाअ दीजातीहै कि जबतक इसअदालतसे और हुक्म सादिर न हो क़रज़ा मज़कूर या उसका कोई जुज्व किसी शख्सको गोकि वह कोईहो अदा करनेसे ममनूअ और बाज़ रक्खेगये हो॥

मेरे दस्तख़त और मोहरअदालतसे आजबतारीख़ ——सन्——हवाले कियागया॥

मोहर अदालत

नम्बर १४० ॥

कुर्की बसीग़ै इजराय डिकरी ॥
हुक्मइम्तनाई जिस हालमें कि जायदाद हिस्सा
किसी आम कम्पनी वग़ैरह का हो ॥
दफ़ा २६८ मजमूये ज़ाबितैदीवानी ॥

(उनवान)

बनाम ——मुद्दआअलेह और बनाम मैनेज़र——कम्पनी ॥

हरगाह——ने ज़रडिकरी जो बनाम——बतारीख़——माह——सन्——बमुक़द्दमै दीवानी नम्बर——सन्——बहक़——बाबत——मुबालिग़——सादिरकीगई थी अदा नहीं कियाहै लिहाजा हुक्महोताहै कि तुममुद्दआअलेह अज़रूय इस हुक्मके तावक़े कि इस अदालत से दूसरा हुक्मसादिर न हो हिसिसकम्पनी मज़कूरयाने——के इन्तक़ाल करनेसे या उसकी बाबतकिसीमुनाफ़े के हिस्सेकेवसूल करनेसे ममनूअ और बाज़रक्खेगयेहो और तुम——मैनेजरकम्पनी मज़कूर अज़रूय इसहुक्म के इन्तकाल मज़कूरकी इजाजतदेने या हिस्सामुनाफ़ा मज़कूरके अदा करनेसे ममनूअ और बाज़ रक्खेगयेहो॥
मेरेदस्तख़तऔर मोहरअदालतसेआजबतारीख़——माह——सन्——हवाले कियागया ॥

मोहर
अदालत

(दस्तख़तजज)

नम्बर १४१ ॥

कुर्की बसीगै इजराय डिकरी ॥

हुक्म इम्तनाई बहालत जायदाद गैर मन्कूला ॥

दफ़ा २७४ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

(उनवान)

बनाम—— मुद्दआअलेह

हरगाह तुमने ईफ़ाय उस डिकरीका जो तुमपरबतारीख़—माह——सन्——ब मुक़द्दमै दीवानी नम्बर ——सन्——बहक़——बाबतमुबलिग़—सादिरकी गईथी नहींकिया लिहाज़ा हुक्म दियाजाताहै कि तुम-मज़कूरतावक़्ते कि इसअदालतसे हुक्मसानीसादिरनहो जायदाद मुसर्रहःफ़र्द तालीक़ा मुन्सलिकै को बज़रिये बै व हिबै वग़ैरह मुन्तक़िलकरनेसे ममनूअ औरबाज़रक्खेगयेहो और तमाम अशख़ास उसको बज़रियेख़रीदारी व हिबैवग़ैरहकेलेनेसे ममनूअ व बाज़रक्खेगयेहैं ॥

बदस्तख़तमेरे और बमोहर अदालतआज तारीख़ ——माह——सन्——को हवाले कियागया ॥

फ़र्दतालीक़ा ॥

मोहर अदालत

(दस्तख़तजज)

नम्बर १४२ ॥

कुर्की ॥

हुक्मइम्तनाई जिसहालमें कि जायदाद ज़रनक़द या कोई शै मकफूला बक़ब्ज़े अदालत या ओहदेदार सर्कारकेहो ॥

दफ़ा २७२ और ४८६ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

बअदालत——मुक़ाम——

मुक़द्दमे दीवानी नम्बर——बाबत सन् १८——ई०

(अलिफ़ बे) साकिन——बनाम (जीम दाल) साकिन——मकतूबअलेह——

जो कि मुद्दईने हस्बदफ़ा——मजमूयेज़ाबितै दीवानीके बमुराद क़ुर्क़होने उसज़रनक़दके जोबिलफ़ेलआपकेक़ब्ज़ेमेंहै दरख्वास्त गुज़रानीहै (यहां लिखना चाहियेकि शख्समकतूबअलेहकेक़ब्ज़ेमें ज़रनक़दकाहोना किसतरह मालूमहुआ और किस अम्रकी बाबतहै वग़ैरह उमूर) बिनाबरआंआपसे इल्तिमास कियाजाताहै कि जब तक हुक्मसानी इसअदालतसे सादिर न हो आप उसरुपयेको अपने क़ब्ज़ेमें रक्खें ॥

मोहर
अदालत

(दस्तख़तजज)

मरक़ूमैतारीख़——सन् १८——ई०

नम्बर १४३ ॥

हुक्म बईं मुराद कि रुपया वग़ैरह जो किसी शख्स सालिसके क़ब्ज़ेमें हो मुद्दई को दियाजाय ॥

दफ़ा २७७ मज़मूयेज़ाबितै दीवानी ॥

बअदालत——मुक़ाम——

मुक़द्दमै दीवानी नम्बर——बाबत सन् १८——ई०

मुतफ़र्क़ात नम्बर——बाबत सन् १८——ई०

(अलिफ़ बे) साकिन——बनाम (जीम दाल) साकिन——बनाम बेलफ़ अदालत और बनाम——

हरगाह माल——बइल्लत इजरायडिकरी अदालत दीवानी बमुक़द्दमै दीवानी नम्बर——सन्——मुसद्दरै तारीख़——माह——सन्——बहक़ बाबत मुबलिग़——कुर्क़ कियागयाहै लिहाज़ा माल मक़रूक़ा मज़कूरह क़ीमती मुबलिग़——ज़र नक़द और बैंकनोट क़ीमती मुबलिग़——या उसमेंसे जिसक़दर कि वास्ते ईफ़ाय डिकरी मज़कूरके काफ़ीहोतुम——मज़कूर——मज़कूरको अदा करदो और जायदादमज़कूर जिसक़दरकि वास्तेअदाय ज़र डिकरी मज़कूरके काफ़ीहो वह बज़रिये तुम——बेलफ़ अदालत के बमूजिब क़ायदे मुअय्यना इजरायडिकरीके नीलाम कीजाय और जो रुपया कि नीलाम से वसूल हो या उसमें से जिसक़द्र कि वास्ते अदाय ज़र डिकरी के काफ़ीहोवह——मज़कूरको अदाकियाजायगा औरअगर कुछ फ़ाज़िल रहेगा तो तुम——को दियाजायगा॥

आज बतारीख़——माह——सन्——मेरे दस्तख़त व मोहर अदालतसे हवाले कियागया॥

मोहर
अदालत

(दस्तख़तजज)

नम्बर १४४॥

इत्तिलाअबनामक़ारिक़दायनके॥

दफ़ा २७८ मजमूये ज़ाबितैदीवानी॥

बअदालत—मुक़ाम—
मुक़द्दमै दीवानी नम्बर—बाबत सन् १८—ई०
मुतफ़र्क़ात नम्बर—बाबत सन् १८—ई०
(अलिफ़बे) साकिन—बनाम (जीम दाल) साकिन—
बनाम—

हरगाह—ने इस अदालत में दरख्वास्त गुज़रानी है कि क़ुर्क़ी—की जो तुम्हारी तरफ़से बसीगै इजराय डिकरी मुक़द्दमै अदालत दीवानी नम्बर — सन्—की गई है उठाली जाय लिहाज़ा तुमको इत्तिला अदी जाती है कि बतारीख़—माह—सन्—इस अदालत में असालतन् या बज़रियेवकील अदालत के जो हाल मुक़द्दमे से क़रारवाक़ई वाक़िफ़ हो वास्ते ताईद दावा क़ुर्क़ी बमन्सबदायन होने के हाज़िर हो॥

आज बतारीख़—माह—सन्—मेरे दस्तख़त और मोहर अदालत से हवाले किया गया॥

मोहर
अदालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १४५॥

वारंट नीलाम जायदाद बाबत इजराय डिकरी ज़रनक़द॥
दफ़ा २८७ मजमूये ज़ाबितै दीवानी॥

बअदालत—मुक़ाम—ज़िला—
मुक़द्दमै दीवानी नम्बर—बाबत सन् १८-

मुतफ़र्क़ात नम्बर——बाबत सन् १८——ई०
(अलिफ़ बे) साकिन——बनाम (जीम दाल) साकिन—
बनाम बेलफ़ अदालत——

बज़रिये इस तहरीरके तुमको हुक्म दियाजाताहै कि पेश्तरइत्तिलाअ—योमकीइसतौरपरदेकर किउसइत्तिला आनामेकोइसकचहरीमें चस्पांकरो औरइश्तिहार+हस्ब ज़ाबितैकरादोजायदाद——जोहस्बवारंटअदालतहाज़ा-मवर्रुखे——माह——सन्——बइजरायडिकरी——केबमुक़-दमे——नम्बरी——सन्——के क़ुर्क़ कीगईथी या जायदाद मज़कूरमें से उसक़दर कि वास्ते वसूलकरनेमुबलिग़——के जो डिकरी और ख़र्चे मज़कूरमें से हिनोज़ ग़ैर मवदा रहाहै काफ़ीहो नीलामकरो॥

तुमको यहभी हुक्म होताहै कि वारंट हाज़ाकी पुश्त पर तसदीक़इसअम्रकीलिखकर कि किसतौरपर नीलाम कियागया या नीलामके न कियेजानेकीवजहतहरीरकर के इसवारंटको बतारीख़——माह——सन्——या उसके क़ब्ल वापिसकरो॥

+इस इश्तिहार में वक़्त और मुक़ाम नीलाम का और जायदाद जो नीलाम होनेवाली हो और उसकी मालगुज़ारी मुशख़्ख़िसै जिसहालमें कि वह जायदाद मालगुज़ारी सर्कार हो और तादाद उसरुपयेकी जिसके वसूलकरनेकेलिये नीलामका हुक्म हो मुन्दर्ज करनी होगी और जिसक़दर सेहत व सिदाक़तके साथ मुमकिनहो वहमरातिब जिनकी तफ़सील लिखने का दफ़ा २८७ में हुक्महै लिखे जायेंगे॥

आज तारीख़—माह—सन्—को मेरे दस्तख़त और मोहर अदालत से हवाले कियागया ॥

मोहर

(दस्तख़तजज)

नम्बर १४६ ॥

इत्तिलाअनामा बनाम क़ाबिज़ जायदाद मन्कूला
जो बाबत इजराय डिकरी नीलाम हुई ॥
दफ़ा ३०० मजमूये ज़ाबिते दीवानी ॥

बअदालत—मुक़ाम—ज़िला—
मुक़द्दमे दीवानी नम्बर—बाबत सन् १८—ई०
(अलिफ़ बे)साकिन—बनाम (जीम दाल)साकिन—
बनाम —

हरगाह मुक़द्दमे मरकूमैबालाकी इजरायडिकरीमें — मुश्तरी नीलाम—का हुआहै जोतुम्हारेक़ब्ज़ेमेंहैलिहाज़ा तुमकोबज़रियेइसहुक्मकेमुमानियतकीजातीहैकि— मज़कूरकाक़ब्ज़ाकिसीशख़्सकोबजुज़— मज़कूरकेनदो॥ बदस्तख़तमेरे औरमोहरअदालतकीआजतारीख़— माह—सन्—को हवाले कियागया ॥

मोहर
अदालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १४७ ॥

हुक्म इम्तनाई बई मुराद कि दयून जो बाबत इजराय डिकरी नीलाम कियेगये बजुज़ मुश्तरीके किसी और को न अदा कियेजायें ॥

दफ़ा ३०१ मजमूये ज़ाबिते दीवानी ॥

बअदालत——मुक़ाम——ज़िला——

मुक़द्मे दीवानी नम्बर——बाबत सन् १८——ई०

(अलिफ़ बे) साकिन——बनाम (जीम दाल) साकिन——बनाम——और बनाम——

हरगाह——ने बरवक़्त नीलाम बाबत इजराय डिकरी मुक़द्मा——मरक़ूमैबालाके बाबत——क़र्ज़ा जो तुम——से——को याफ्तनीहै याने बतादाद——ख़रीद करलियाहै लिहाज़ा हुक्म दियाजाताहै कि तुम——क़र्ज़े मज़कूर को बजुज़——मज़कूरके किसी और शख्स को अदाकरने से और तुम——क़र्ज़ा मज़कूरके वसूल करनेसे ममनूअ हो॥

आज तारीख़——माह——को मेरे दस्तख़त और मोहर अदालतसे हवाले कियागया ॥

(मोहर अदालत)

(दस्तख़त जज)

नम्बर १४८ ॥

हुक्म इम्तनाई दरबाब इन्तिक़ाल हिसस जो बाबत इजराय डिकरी नीलाम कियेगये हों ॥

दफ़ा ३०१ मजमूये ज़ाबिते दीवानी ॥

बअदालत——मुक़ाम——ज़िला——

मुक़द्दमा दीवानी नम्बर—बाबत सन्—

(अलिफ़ बे) साकिन—बनाम(जीम दाल)साकिन—

बनाम—व—मैनेजर—कम्पनी

हरगाह—ने नीलाम आम बाबत इजराय डिकरी मुक़द्दमे मज़कूरेबाला में कम्पनी मज़कूरके चन्द हिस्से याने—जोतुम्हारेनामकेहैंख़रीदलिये लिहाज़ाहुक्मदिया जाताहै कि तुम—हिसस मज़कूरको बजुज़—मुश्तरी मज़कूरके किसी और शख़्सके हाथ किसी तौरपर मुन्तक़िलकरने औरउनकेमुनाफ़ेका हिस्सालेनेसे ममनूअहो औरबज़रियेतहरीरहाज़ाकेममनूअकियेजातेहोऔरतुम—मैनेजर कम्पनी मज़कूर को इसबातकी मुमानियतहै कि बजुज़—मुश्तरी मज़कूरके किसी और शख़्सकेहाथ ऐसा इन्तिक़ालहोनेदो याज़र मुनाफ़ामज़कूरकिसीऔर शख़्सको अदाकरो ॥

आज बतारीख़—माह—सन्—मेरे दस्तख़त और मोहर अदालतसे हवाले कियागया ॥

(दस्तख़त जज)

नम्बर १४६ ॥

हुक्म मंज़ूरी नीलाम अराज़ीवग़ैरह ॥

दफ़ा ३१२ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

बअदालत—मुक़ाम—ज़िला—

मुक़द्दमेदीवानी नम्बर—बाबत सन् १८—ई०

(अलिफ़ बे)साकिन—बनाम(जीम दाल)साकिन—
हरगाह—अराज़ीमुफ़स्सिलैज़ैल(या जायदाद ग़ैरमन्कूला)का बतारीख़——माह——सन्—बाबत इजराय डिकरीइसमुक़द्दमैकेमारफ़त बेलफ़इस अदालतकेनीलामहुआथाऔर मीयाद गुज़रगई और बाबतनीलाममज़कूर कोई सवाल नहीं गुज़रा है (या उज़्रदारी मंज़ूर नहीं हुईहै) लिहाज़ा हुक्म दियाजाता है कि नीलाम मज़कूर मंज़ूरहो और बज़रियेइसहुक्मकेवहनीलाममंज़ूरहुआ॥

आज तारीख़——माह——सन्——को मेरे दस्तख़त और मोहर अदालतसे हवाले कियागया॥

तफ़्सील

मोहर अदालत

(दस्तख़तजज)

नम्बर १५०॥

सार्टीफ़िकट नीलामअराज़ी॥

दफ़ा ३१६ मजमूये ज़ाबितेदीवानी॥

बअदालत——मुक़ाम——ज़िला——

मुक़द्दमै दीवानी नम्बर——बाबत सन् १८——ई०

(अलिफ़ बे)साकिन——बनाम(जीम दाल)साकिन—

तसदीक़ कीजाती है कि——बतारीख़——माह——सन्——बज़रिये नीलाम आमके मुश्तरी——वाक़ै——का बाबत इजरायडिकरी इस मुक़द्दमेके क़रार दियागया और नीलाममज़कूरहस्बज़ाबिते अदालतसे मंज़ूरहुआ

आज तारीख़—माह—सन्—को मेरे दस्तख़त और मोहरअदालतसे हवाले कियागया ॥

मोहर अदालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १५ १॥

हुक्म हवाले करने क़ब्ज़ा अराज़ीका मुश्तरीसार्टी-फ़िकट याफ्ता नीलाम इजराय डिकरीको ॥
दफ़ा ३१८ मजमूये ज़ाविते दीवानी ॥

बअदालत—मुक़ाम—ज़िला—

मुक़द्दमै दीवानी नम्बर—बाबत सन् १८—ई०

(अलिफ़ बे) साकिन—बनाम (जीम दाल) साकिन—

बनाम बेलफ़ अदालत—

हरगाहबरवक़्त नीलाम बाबत इजरायडिकरी अदालत दीवानी मुक़द्दमै नम्बर—सन्—के मुसम्मा——ने ——को ख़रीदकर सार्टीफ़िकट नीलामी हासिल किया और अराज़ी मज़कूर——के क़ब्ज़ेमेंहै लिहाज़ा तुमको हुक्म दियाजाताहै कि——मज़कूर मुश्तरी सार्टीफ़िकट याफ्तहको क़ब्ज़ा——मज़कूरका दिलादो और अगर ज़रूर होतो जो शख्स क़ब्ज़ा देनेसे इन्कारकरे उसको अराज़ी मज़कूरसे ख़ारिज करदो ॥

आज तारीख़——माह——सन्——को मेरे

दस्तख़त और मोहर ॥ हवाले किया गया ॥

मोहर अदालत

(

नम्बर १५२ ॥

इजाज़त बनामकलक्टर दरबाबमुल्तबीरखने
नीलाम अराज़ी के
दफ़ा ३२६ मजमूये ज़ाबितैदीवानी ॥

बअदालत---मुक़ाम---ज़िला---

मुक़द्दमा दीवानी नम्बर---बाबत सन् १८---ई०

(अलिफ़ बे) साकिन---बनाम (जीम दाल) साकिन---

---कलक्टर मुक़ाम---मकतूबअलेह---

बजवाब आपकी तहरीर नम्बरी---मवर्रुखै---मशअर इसअम्रकेकि बसीगै इजरायडिकरी इसमुक़द्दमे केनीलाम अराजी---काजोकि आपके ज़िलेमेंवाक़े और मालगुज़ार सर्कार हैं अमलमें आना मुनासिब नहीं लिहाज़ा मैं आपको मुत्तिला करता हूँ कि जिसतौर पर कि आपने बजाय नीलाम अराज़ी---डिकरी के ईफ़ा की तदबीर लिखीहै वह अमलमें आये ॥

मोहर अदालत

(दस्तख़तजज)

नम्बर १५३॥

हुक्म हिरासत में रखनेका बइल्लत तअर्रुज़ वग़ैरह इजरायडिकरी अराज़ी के॥

दफ़ा ३२९ मजमूये ज़ाबितै दीवानी॥

(उनवान)

हरगाह अदालतको मालूम होता है कि --ने बिला वजह जायज़ अदालतकीडिकरीकेइजरायमें जोबनाम-बतारीख़—माह—सन्—बमुक़द्दमै दीवानी नम्बर —सन्—सादिरहुईथी और जिसकीरूसे अराज़ी या जायदाद ग़ैरमन्क़ूला—को दिलाई गईथी तअर्रुज़ (या मज़ाहिमत) किया है लिहाज़ा हुक्महुआ कि—मज़कूर तामुद्दत—योम हिरासतमें रक्खाजाय॥

आज बतारीख़—माह—सन्—मेरे दस्तख़त और मोहर अदालतसे हवाले कियागया॥

मोहर अदालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १५४॥

वारण्ट गिरफ्तारी बाबत इजराय डिकरी

दफ़ा ३३७-मजमूये ज़ाबितै दीवानी॥

बअदालत—मुक़ाम—ज़िला——

मुक़द्दमै दीवानी नम्बर—बाबत सन् १८——ई०

मुतफ़र्क़ात नम्बर—बाबत सन् १८—ई०

(अलिफ़बे)साकिन—बनाम(जीमदाल)साकिन—

बनाम बेलफ़ अदालत—

हरगाह बमुक़द्दमे दीवानी नम्बर—सन्—अज़रूय

	रुपया	आना	पाई
ज़र अस्ल			
ज़र सूद			
ख़र्चा मुक़द्दमा			
ख़र्चा इजराय डिकरी			
मीज़ान			

डिकरी अदालतमवर्रुख़ै माह—सन्—केकोहुक्महुआ मुद्दईको मुबलिग़—हस्बतफ्सीलमुन्दर्जै ह्राशिये अदाकरे औरहरगाह मुबलिग़— उस डिकरीके मुद्दई मज़कूरको नहीं अदाकियागयाहै लिहाज़ा बज़रिये इसतहरीरके तुमको हुक्म होताहैकि मुद्दआअलेह मज़कूरको गिरफ्तारकरो और अगर वह मुद्दआअलेह मुबलिग़—मज़कूरमैं मुबलिग़—ख़र्चा इजराय हुक्मनामे हाज़ा तुमको न अदाकरदे तो मुद्दआअलेह मज़कूर को अदालतके रूबरू जिसक़दर जल्द बसहूलत तमामतर होसके हाज़िरकरदो नीज़ तुमको हुक्म दियाजाताहै कि इस वारण्टको बतारीख़—माह—सन्—या क़ब्ल उसके मै तहरीर ज़ोहरी बतसदीक़ इस अम्रके कि किस तारीख़ और किस तौरपर उसकी तामील हुई या यहकि किस वजह से तामील न होसको वापिस करो ॥

आज बतारीख़—माह—सन्—मेरे दस्तख़त और मोहर अदालतसे हवाले कियागया ॥

मोहर अदालत

दस्तख़त जज)

नम्बर १५५॥

इत्तिलाअ अशखासे मतालिबेकी अदालतमें दफ़ा २७७ मजमूये ज़ाबितैदीवानी॥

बअदालत——मुक़ाम——सन् १८——ई०

(बे) नम्बर——

(अलिफ़ बे) बनाम (जीम दाल)

मुत्तलैरहो कि मुद्दआअलेहने मुबलिग़——अदालतमें जमाकियाहै और कहताहैकि वहमुबलिग़ मुद्दईके दावा (या मुद्दईके दावा बाबत——) के ईफ़ा के लिये काफ़ीहै॥

बनाम(खे ज़ाल)वकील मुद्दई
(दस्तख़त) (ज़्वाद)
वकील मुद्दआअलेह

नम्बर १५६॥

कमीशन वास्तेलेने इज़हार गवाहान् ग़ैरहाज़िर के दफ़ा ३८६ मजमूयेज़ाबितै दीवानी॥

बअदालत——मुक़ाम——ज़िला——

मुक़द्दमै दीवानी नम्बर——बाबत सन् १८——ई०

(अलिफ़ बे)साकिन——बनाम(जीम दाल)साकिन——

बनाम——

हरगाह शहादत——की मिञ्जानिब——बमुक़द्दमै मरक़ूमैबाला ज़रूरहै और हरगाह——लिहाज़ा तुमको हुक्मदियाजाता है कि गवाहान् मज़कूरसे सवालात का जवाब लिखाओ या उनका इज़हार ज़बानीलो पस इस ग़रज़के लिये तुम बज़रिये इसहुक्मके कमिश्नर मुक़र्रर कियेगये और नीज़ तुमको हिदायत होतीहैकि बमुजर्रद

इसके कि इज़हार मज़कूर लियाजाय उसको अदालत हाज़ामेंभेजदो (हुक्मनामाअहज़ारगवाहकाइसअदालत से बरवक़ तुम्हारी दरख्वास्तके सादिर कियाजायेगा) +

आज बतारीख़—माह—सन्—मेरे दस्तख़त और मोहर अदालत से हवाले किया ॥

मोहर
अदालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १५७ ॥

कमीशन वास्ते तहक़ीक़ात मौक़े या तहक़ीक़ातहिसाबातके
दफ़ा ३९२ और ३९४ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

बअदालत—मुक़ाम—ज़िला—

मुक़द्दमै दीवानी नम्बर—बाबत सन् १८—ई०

(अलिफ़ बे) साकिन—बनाम (जीम दाल) साकिन—बनाम——

हरगाह इसमुक़द्दमेमें मुनासिब मुतसव्विर होता है कि कमीशन वास्ते—के सादिर कियाजाय लिहाज़ातुम बग़रज़—कमिश्नर मुक़र्रर कियेगये (हुक्मनामा वास्ते जबरन् हाज़िरकराने गवाहोंके यापेशकराने किसीकाग़- ज़ातके तुम्हारेरूबरू जिनका तुम इज़हारलेना या मुआ- यनाकरनाचाहो) इस अदालतसे तुम्हारी दरख्वास्तपर सादिर कियाजायेगा + ॥

मुबलिग़—जोबमुक़द्दमा मज़कूर तुम्हारीरसूमहै इस कमीशनके साथ भेजाजाताहै ॥

+जबकिकमीशनदूसरीअदालतकोभेजाजायतबइसइबारतकीज़रूरतनहींहै ॥

आज बतारीख़—माह—सन्— मेरे दस्तख़त और मोहर अदालत से हवाले कियागया ॥

मोहर
अदालत

(दस्तख़तजज)

नम्बर १५८ ॥

वारंट गिरफ्तारी क़ब्लफ़ैसला
दफ़ा ४७८ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

बअदालत—मुक़ाम—ज़िला—

मुक़द्दमै दीवानी नम्बर—बाबत सन् १८—ई०

(अलिफ़ बे)साकिन—बनाम(जीम दाल)साकिन—

बनाम बेलफ़ अदालत—

हरगाह—मुद्दई मुक़द्दमै मज़कूरैबालाने हस्ब इतमीनान अदालत यह साबित करदियाहै कि इसअम्रकेबावर करनेकीवजहक़रीनक़यासहै किमुद्दआअलेह—क़रीब है कि—लिहाज़ा तुमको हुक्म दियाजाता है कि——मज़कूरको हिरासतमें लाओ और रूबरू अदालतके हाज़िर करो ताकि वह वजह इसकी बयानकरे कि बतादाद मुबलिग़—अदालत के रूबरू तावक़्ते कि मुक़द्दमा मज़कूर बकुल्ली और क़तई फ़ैसलहोजाय और तावक़्तेकि डिकरी जो बनाम—बमुक़द्दमै मज़कूर सादिरहो जारी होकर उसका ईफ़ा करदिया जाय असालतन् हाज़िर रहने के लिये ज़मानत क्यों न दाख़िलकरे ॥

आज बतारीख़—माह—सन्—मेरे दस्तख़त और मोहर अ़दालतसे हवाले कियागया ॥

मोहर
अ़दालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १५९ ॥

हुक्म हिरासतम रखने का
दफ़ा ४८१ मजमूये ज़ाबितैदीवानी ॥

बअ़दालत—मुक़ाम—ज़िला—
मुक़द्दमा दीवानी नम्बर—बाबत सन् १८—ई०
(अलिफ़ बे)साकिन—बनाम (जीम दाल)साकिन—
बनाम

हरगाह—मुद्दईने इसमुक़द्दमे में अ़दालत के हुज़ूर यहदरख़्वास्त गुज़रानीहैकि मुद्दआ़अलेह—सेवास्ते तामील उसफ़ैसले के जोकि—पर इस मुक़द्दमे में सादिर होहाज़िरज़ामनी तलबकीजाय और अ़दालतनेमुद्दआ़-अलेह—कोहुक्मदियाकि ज़मानत मज़कूरदाख़िलकरे या बजाय ज़मानतके ज़रकाफ़ी अमानतन् दाख़िलकरे मगर इसअम्रमें—क़ासिर हुआ लिहाज़ा हुक्म दिया जाताहै कि मुद्दआ़अलेह—मज़कूर ताफ़ैसलेमुक़द्दमे या जिसहालमें कि फ़ैसलाख़िलाफ़ मुराद—सादिर हो तो तावक़्ते इजराय डिकरी हिरासतमें रक्खाजाय॥

आज तारीख़——माह——सन्——को मेरे दस्तख़त और मोहर अ़दालतसे हवाले कियागया ॥

मोहर
अ़दालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १६० ॥

कुर्की क़ब्ल फ़ैसलै मैहुक्म अदख़ाल ज़मानत वास्ते
तामिल डिकरी के
दफ़ा ४८४ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

बअ़दालत——मुक़ाम——ज़िला——

मुक़द्दमै दीवानी नम्बर——बाबत सन् १८—ई०

(अलिफ़ बे)साकिन——बनाम(जीम दाल)साकिन—

बनामबेलफ़ अ़दालत——

हरगाह——नेहस्बइतमीनान अ़दालत साबितकिया हैकि मुद्दआअ़लेह ने बमुक़द्दमै मरक़ूमै वाला—— लिहाज़ा तुमको हुक्मदियाजाताहै कि मुद्दआअ़लेह—— को हुक्मदो कि बतारीख़——माह——सन्——या उससे पहले बाबत मुबलिग़——ज़मानत इसअम्रकी दाख़िल करे कि जब हुक्महो तो इसअ़दालतमें——पेशकरके अमानत दाख़िलकरे याउसकीक़ीमत दाख़िलकरेयाक़ी-मतमेंसे उसक़दर जोवास्ते ईफ़ायउसडिकरीके काफ़ी हो किअ़दालतहाज़ा——पर सादिरकरे या यहांकि अ़दालत में हाज़िरहोकर यहज़ाहिरकरे कि——को किसवजहसे ज़मानतदाख़िलकरनीनचाहिये और तुमकोयहभी हुक्म

दियाजाताहै कि——मज़कूर को क़ुर्क़करके तासुदूरहुक्म सानी इसअदालतके उसकोहिफ़ाज़तमेंरक्खो औरजिस तरह कि तुम इस वारंटकी तामीलकरोउससेबाद तामील फ़ौरन् अदालतको मुत्तिलाकरो और इसवारंट को इस अदालत में लेआओ॥

आज तारीख़——माह——सन्——को दस्तख़त और मोहर अदालतसे हवाले कियागया॥

मोहर अदालत

(दस्तख़तजज)

नम्बर १६१॥

क़ब्लफ़ैसला दरसूरत अदख़ाल ज़मानत॥

दफ़ा ४८५ मजमूये ज़ाबितै दीवानी॥

बअदालत——मुक़ाम——ज़िला——

मुक़द्दमै दीवानी नम्बर——बाबत सन् १८——ई०

(अलिफ़बे)साकिन——बनाम(जीम दाल)साकिन——बनाम बेलफ़ अदालत॥

हरगाह——मुदई ने इसमुक़द्दमेमें अदालतकोयहदरख्वास्तदीहै कि——मुदआअलेहसे ज़मानत वास्तेईफ़ाय डिकरीके जो बनाम——इस मुक़द्दमे में सादिरहो तलब कीजाय और जोकि अदालत ने——मज़कूरको उसज़मानतके दाख़िल करनेका हुक्म दियाहैमगर——बजाआवरी——से क़ासिर रहा है लिहाज़ा तुमको हुक्म

दियाजाता है कि---माल-----मज़कूरका कुर्ककरो और उसको तावक़्ते कि हुक्मसानी अदालतकासादिरहोवहिफ़ाज़तज़ेरहिरासतरक्खो और जिसतौरपर किइसवारंट कीतामीलकरो उससे इसअदालतकोफ़ौरन्बादतामील इत्तिलाअदो औरउसवक़्तयहवारंटअपनेसाथलेआओ॥

आज बतारीख़---माह---सन्---मेरे दस्तख़त और मोहर अदालतसे हवाले कियागया॥

(मोहर अदालत)

(दस्तख़तजज)

नम्बर १६२॥

कुर्क़ी क़ब्ल फ़ैसला॥

हुक्म इम्तनाई उसहालमें कि जायदाद कुर्क़ीतलब अज़ क़िस्मजायदाद मन्क़ूलाहो जिसमें कि मुद्दआअलेह बक़ैद मतालिबै या हक़ किसी और अशख़ासके इस्तेहक़ाक़ अपने ख़ासक़ब्ज़े का रखताहो॥

दफ़ा ४८६--मजमूये ज़ाबिते दीवानी॥

बअदालत---मुक़ाम---ज़िला----

मुक़द्दमे दीवानी नम्बर---बाबत सन् १८----ई०

(अलिफ़बे)साकिन---बनाम(जीमदाल)साकिन---

बनाम--- मुद्दआअलेह

हुक्म दियाजाताहै कि तुम मुद्दआअलेह---तासुदूर हुक्मसानी इसअदालतकेजायदाद मुफ़स्सिलेज़ैलजो-मज़कूरकेक़ब्ज़ेमेंहैयाने---जिसकाकिमुद्दआअलेहबक़ैदकिसीदावा-मज़कूरके मुस्तहक़ है-मज़कूरसे लेने से

ममनूअ और बाज़रहो और अज़रूयइसहुक्म के ममनूअ और बाज़रक्खे गयेहो और — मज़कूर तावक़्ते कि इस अदालतसे हुक्मसानी सादिरहो जायदाद मज़कूरकिसी अशख़ासकोगोकि वहकोईहों अज़रूयइसहुक्मकेहवाले करनेसे ममनूअ और बाज़ रक्खागया है॥

आज बतारीख़ —— माह —— सन् —— मेरेदस्तख़त और मोहर अदालतसे हवाले कियागया॥

मोहर अदालत

(दस्तख़त जज

नम्बर १६३ ॥

क़ुर्क़ी क़ब्ल फ़ैसला॥

हुक्मइम्तनाई दरसूरत जायदाद ग़ैरमन्क़ूला के॥

दफ़ा ४८६ मजमूये ज़ाबितेदीवानी ॥

बअदालत——मुक़ाम——ज़िला——

मुक़द्दमे दीवानी नम्बर——बाबत सन् १८——ई०

(अलिफ़ बे)साकिन——बनाम (जीम दाल)साकिन——

बनाम —— मुद्दआअलेह

हुक्म दियाजाताहै कि तुम——मज़कूरतावक़्ते कि इस अदालतसे हुक्मसानी सादिरहो जायदाद मुसर्रह फ़र्द तालीक़ा मुन्सलिकै को बज़रिये बै या हिबा के या और तौरपर मुन्तक़िलकरनेसेममनूअ और बाज़रक्खे और तुमको बज़रिये इसहुक्मके मुमानियत कीजाती और बाज़रक्खेजातेहो और तमाम अशख़ासजायदाद

मज़कूर को बज़रिये ख़रीद या हिबे के या और तौर पर लेनेसे ममनूअ और बाज़रक्खेगयेहैं और अज़रूयइसहु-क्मके ममनूअ कियेजातेहैं और बाज़रक्खे जातेहैं ॥

आज बतारीख़—माह——सन्——मेरे दस्तख़त और मोहर अदालतसे हवाले कियागया ॥

फ़र्द तालीक़ा ॥

मोहर अदालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १६४ ॥

कुर्क़ी क़ब्ल फ़ैसला ॥

हुक्म इम्तनाई जिस हालमें कि जायदाद ज़रनक़द मक़-बूज़ा दीगर अशख़ास या ऐसा क़र्ज़ा हो जो दस्ता-वेज़ात क़ाबिल बेचशिराकी नौसे न हो ॥

दफ़ा ४८६ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

बअदालत—मुक़ाम—ज़िला----

मुक़द्दमे दीवानी नम्बर—बाबत सन् १८- ई०—

(ब)साकिन——बनाम (जीम दाल) साकिन——

बनाम·

हुक्म दियाजाता है कि मुद्दआअलेह—जबतक कि इस अदालतसे हुक्मसानी सादिर न हो-- --से(रुपया जो बिलफ़ेल अज़ां मुद्दआअलेह—के पासहै या क़र्ज़ा याने जैसी कि सूरतहो और उनका बयान लिखनाचा-हिये)वसूल करनेसेममनूअ औरबाज़रहेऔर अज़रूय

इस हुक्मकेममनूअ और बाज़ रक्खागयाहै और—मज़कूर जबतक कि इस अदालतसे हुक्मसानीसादिरन हो (ज़र वग़ैरह) मज़कूर या उसका कोई हिस्सा किसी शख़्स को गोकि वह कोईहो अदा करनेसे ममनूअऔर बाज़रहे और अज़रूय इसहुक्मके ममनूअ कियागया और बाज़रक्खागया है॥

आज बतारीख़—माह—सन्—मेरे दस्तख़त और ‥र अदालत से हवाले कियागया॥

मोहर अदालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १६५॥

क़ुर्क़ी क़ब्ल फ़ैसला॥

हुक्म इम्तनाई जिसहालमें कि जायदाद अज़क़िस्म हिसस किसी आम कम्पनी वग़ैरह के हो॥

दफ़ा ४८६ मजमूयेज़ाबितैदीवानी॥

बअदालत—मुक़ाम—ज़िला—

मुक़द्दमै दीवानी नम्बर—बाबत सन् १८—ई०

(अलिफ़ बे)साकिन—बनाम(जीम दाल)साकिन—बनाम—मुद्दआअलेह और—बनाम—मैनेजर—कम्पनी के—

हुक्म दियाजाता है कि—मुद्दआअलेह तासुदूर हुक्मसानी अदालत के—हिसस को जो कि कम्पनी मज़कूरमें ‥ किसी तौर पर मुन्तक़िल करने या उनके

मुनाफ़ेकेवसूलकरनेसेममनूअ औरबाज़रहे औरअज़रूय इसहुक्मके ममनूअ कियाजाताहै औरबाज़रक्खाजाता है और तुम——मैनेजर कम्पनी मज़कूर के इन्तक़ाल हिसस या अदाय मुनाफ़ेमज़कूरकीइजाज़त देनेसे अज़रूय इसहुक्मकेममनूअ और बाज़ रक्खेगयेहो॥

आज बतारीख़——माह——सन्——मेरे दस्तख़त और मोहर अदालतसे हवाले कियागया॥

मोहर अदालत

(दस्तख़तजज)

नम्बर १६६ ॥

हुक्मइम्तनाई चन्दरोज़ा॥

दफ़ा ४९२ मजमूये ज़ाबिते दीवानी॥

बरतबक़ गुज़रने दरख्वास्तमुसम्मा—वकील(या कौंसली) (अलिफ़ बे)मुद्दई के और बमुलाहिज़ा सवाल मुद्दई के जो (आज)इस मुआमले में गुज़राहै (याबमुलाहिज़े अर्ज़ीदावेके जो इसमुक़द्दमे में बतारीख़——माह——सन्——गुज़रीहै याबमुलाहिज़ाबयान तहरीरीमुद्दई के जो बतारीख़——माह——सन्——दाख़िलहुआहै) और बादसमाअत शहादत——और——जोबताईददरख्वास्त केपेशहुईहै [अगरमुद्दआअलेहको इत्तिलाअ दीगईहो औरवहहाज़िरनहो तो यह लिखाजायगाकिबादसमाअतशहादतमुसम्मा—बसुबूत पहुँचने इत्तिलाअ अदख़ाल दरख्वास्त मज़कूर बदस्त(जीमदाल)मुद्दआअलेह के] अदालतसे हुक्महोताहै कि हुक्म इम्तनाईबमुरादबाज़

रखने (जीम दाल) मुद्दआअलेह और उसके नौकरों और कारीगरों और कारपरदाज़ों के उस मकान के मिस्मार करने या मिस्मार होनेदेनेसे जो मुद्दई मज़कूरकी अर्ज़ी-दावेमें मज़कूरहै (या जो मुद्दईके बयान तहरीरीयासवाल में याउस शहादतमें बयानहुआहै जो वक्तअदख़ालइस दरख्वास्त के लीगईथी) यानेमकाननम्बर ९ सड़कमौ-सूमैआयलमिंगरस्ट्रीट वाक़ै मौज़े हिन्दूपुर तअल्लुक़ा-औरभी वास्ते बाज़रखने मुद्दई और उसके मुलाज़िमान् वग़ैरहकोमकान मज़कूरकेअमले और मसालेकेफ़रोख्त करनेसे उस वक्तर्तक कि इस मुक़द्दमेकीसमाअतहोयाता सुदूर हुक्मसानी अदालत हाज़ा के जारी कियाजाय ॥

मवर्रुखे तारीख़—माह—सन् १८——ई०

(दस्तख़त सिविलजज)

तम्बीह——जब कि हुक्म इम्तनाई वास्ते बाज़ रखने मुद्दआअलेहके फ़रोख्तकरनेसेकिसीबिल या नोटकेमत-लूब हो तो अदालतके हुक्ममें जहां हुक्म इम्तनाईका बयानहै यहलिखाजायेगाकिमुद्दआअलेहुम् और उनके ——और——तावक्ते कि इसमुक़द्दमेकी समाअत नहोया तासुदूर हुक्मसानी अदालतहाज़ाके उसप्रामेसरीनोट या बिलआफ़ऐक्सचेंज मवर्रुखे———को जो मुद्दई की अर्ज़ीदावा (यासवाल) मेंबयानहुआहै औरजिसकामज़-कूरउसशहादतमेंभीहैजोबरवक्त अदख़ाल दरख्वास्तके लीगईथी अपने या उनमेंसे किसीके क़ब्ज़ेसे अलाहिदा नकरें और उसकीपुश्तपर इबारत फ़रोख्त या इन्तक़ाल की न लिखें और न उसको फ़रोख्तकरें ॥

जब मुक़द्दमा वास्तेहिफ्ज़हक़ मुसन्नफ़ीकेहो तो हुक्म इम्तनाईमें यह लिखाजायेगाकिवास्ते बाज़रखने (जीम दाल) मुद्दआअलेह और उसकेमुलाज़िमों और कारीगरों और कारपरदाज़ोंकी किताब मौसूमा——या उसकेकिसी जुज्वकेछापने या मुश्तहर या फ़रोख्त करनेसे तावक़्ते कि इस मुक़द्दमेकी समाअ़त नहो याअदालतसे हुक्मसानी सादिर न हो आख़िरतक॥

जब मुद्दआअलेह को सिर्फ़ एकजुज्व किताबके तबा वग़ैरहसे बाज़रखना मंज़ूरहो तो यह लिखाजायेगा कि वास्ते बाज़रखने (जीम दाल) मुद्दआअलेह और उसके मुलाज़िमों और कारीगरों और कारपरदाज़ों के छापने या मुश्तहर या फ़रोख्त या किसी नेहजपर मुन्तक़िल करनेसे उस क़दर हिसस किताब के जो मुद्दई की अर्ज़ीदावे (या सवाल या शहादत मदख़लै) में मुफ़स्सिल मज़कूरहैं और मुद्दआअलेह की तरफ़से मुश्तहर होना ज़ाहिरकियागयाहै हस्वतफ्सील ज़ैल याने किताब मज़कूरका उसक़दर जुज्व जो——कहलाता है और नीज़ वह जुज्व जो——के नामसे मौसूमहै (याजो किताबमें सफ़े ——से सफ़े——तक मुन्दर्जहै——तावक़्ते कि आख़िरतक)॥

मुक़द्दमातपेटण्टयाने हक़ईजादमें यह लिखाजायगा कि वसुदूरहुक्मअदालत(जीम दाल)मुद्दआअलेह औरउसकेकारीगर और मुलाज़िम और कारपरदाज़ लोगउमूर मुफ़स्सिलेज़ैलसेबाज़रक्खेजायें याने ईंटैं सूराख़दार (या जैसी सूरतहो) मिस्लाख़िश्तईजाद मुद्दईके जो अर्ज़ीदावे में(या सवाल या बयान तहरीरी वग़ैरहमें) मुफ़स्सिल

मज़कूरहै और जिसके ईजाद का हक़ मुद्दइयों या उनमें से एक को हासिल है उस मुद्दत की बाक़ी मीआद तक जो मुद्दई की सनद पेटएट में आता हुई है और जिसका ज़िक्र अरज़ीदावे में (या जैसी सूरत हो) मुन्दर्ज है अपनी तरफ़ से तय्यार या फ़रोख़्त न करें और न उसकी नक़ल और तलबीस करें और न इसी शकल और वजे की और और ईंटें बनायें और न नौ ईजाद ईंट में कुछ कमी और बेशी करें—तावक़े कि आख़िर तक ॥

मालतिजारत के निशानात के मुक़द्दमे में यह लिखा जाये गा कि बदस्तूर हुक्म अदालत मुसम्मा (जीमदाल) मुद्दआ अलेह और उसके मुलाज़िम और कारीगर और कारपरदाज़ लोग अफ़आल मुफ़स्सिलै ज़ैल से बाज़ रक्खे जायँ याने किसी क़िस्म की मुरक्कब चीज़ या सियाही (जो कुछ कि हो) जो बनाम निहाद सियाही मुरक्कबे (अलिफ़बे) मुद्दई के बयान या ज़ाहिर की गई हो ऐसी बोतलों में भरकर फ़रोख़्त न करें न फ़रोख़्त के लिये दिखावें न औरों से फ़रोख़्त करावें जिनपर ऐसा लेबिल याने काग़ज़ तस्मिया चस्पां हो जिसकी सराहत मुद्दई की अर्ज़ीदावे में या सवाल वग़ैरह में मुन्दर्ज है या कोई और लेबिल ऐसी क़िस्म और क़ितै और रंग और इबारत का लगा हो कि बवजह मशाबिहत लेबिल असली के यह गुमान पैदा करे कि वह मुरक्कब चीज़ या सियाही तय्यार करदा मुद्दआ अलेह मज़कूर वही है जो मुद्दई आप तय्यार करके बेंचता है—और नीज़ हुक्म दिया जाय कि वह लोग फ़रोख़्त के इश्तिहारनामे ऐसे बनाकर और लिखाकर मुश्तहिर न करें कि आव्वाम को गुमान हो कि वह

कबचीज़यासियाही जोमुद्दआअलेहबनवाकरफ़रोख्तक रताहैयाफ़रोख्तकरनाचाहताहैवहीहैजो (अलिफ़बे)मुद्द ईतय्यार औरफ़रोख्तकरताहै——तावक़्तेकिआख़िरतक॥

अगर किसीशरीककोकारोबार शराकतीमेंदस्तंदाज़ होनेसेबाज़रखनामंज़ूरहोतोयह लिखाजायेगा किबसुदूर हुक्मअदालत(जीमदाल)मुद्दआअलेह और उसकेमुला ज़िम और कारपरदाज़लोग अफ़आल मुफ़स्सिलैज़ैलसे बाज़ रक्खेजायें यानेवहलोग (हे वाव)को कोठीशराकती के नामसे किसीतरहका मुआहिदा नकरें और कोई बिल आफ़ऐक्सचेंज याहुण्डी या नोट या किफ़ालतनामा तह- रीरी न लिखें और न सकारें और न पुश्तपर इन्तक़ाल की इबारत लिखें न उनको फ़रोख्तकरें और (हे वाव) की कोठी शराकतीके नामसे या उसके एतबारकी तक़- वियतसे कभी क़र्ज़ा न लें और माल ख़रीद व फ़रोख्त नकरें और न किसीतरहका वायदा या इक़रार या मुआ- हिदा ज़बानी या तहरीरी अमलमें लायें और न कोई ऐसा फ़ेल कोठी शराकतीके नामसेकरें या दूसरेसे करायें जिसकेसबबसे कोठी शराकती मज़कूर किसी मुबलिग़के अदा करनेकी ज़िम्मेदारहोजाय यातामील किसीवायदा याइक़रार यामुआहिदेकी कोठी मज़कूरपरलाज़िमआये ——तावक़्ते कि आख़िर तक॥

नम्बर १६७॥

इत्तिलाअ दरख्वास्त सुदूर हुक्म इम्तनाईकी॥

दफ़ा ४९४ मजमूये ज़ाबितै दीवानी॥

बअदालत——मुक़ाम——ज़िला-

(अलिफ़ बे) साकिन———बनाम (जीम दाल) साकिन——

मुत्तिलाहो कि मैं (अलिफ़ बे) बइजलास अदालत मुक़ाम———मज़कूर बतारीख़—माह————वास्ते सुदूर [illegible]

क़द्दमका

वसूलयाबी हर्जा ख़िलाफ़वर्ज़ी [illegible]

ख़ासअम्रके जिसकीबाबत यह नालिशहैरुजूअकिया (या इस मुरादसे कि वह बाबत किसीदयूनके जो उस शराकतमें कि फ़ीमाबैन हमारे है और जिसके मुन्क़ता होनेके लियेयहनालिशशुरूअकीगईहैफ़ारग़ख़तियोंकेलेने और देनेसे या उस अराज़ीमें मिट्टी खोदने से जिसकी बाबत यहइक़रारहुआथाकि वह मुझको मुआफ़िक़ इक़रारनामे के बैकरदे और जिसकीतालीम ख़ासकेलिये यह नालिश रुजूअ कीगई (याने जैसी कि सूरत हो) बार रक्खा जाय दरख़्वास्त कियाचाहता हूँ॥

मरक़ूमे तारीख़—माह——सन———

दस्तख़त (अलिफ़बे)

बनाम (जीम दाल)

(तम्बीह—जिसहालमें कि हुक्म इम्तनाई की दरख़्वास्त बनाम ऐसे शख़्सके हो जिसका नाम और पता किसी काग़ज़से जो अदालतमें दाख़िल होचुकाहो नदरियाफ्त होताहो तो वह नाम और पता मुफ़स्सिल लिखा जायेगा ताकि ओहदेदार मुनासिब उस इत्तिलाअकी तालील करसके)

नम्बर १६८ ॥

तक़र्रुर रिसीवर याने मोहतमिम ॥

दफ़ा ५०३ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

बअ़दालत——मुक़ाम——ज़िला——

मुक़द्दमा दीवानी नम्बर——बाबत सन् १८——ई०

(अलिफ़ बे) साकिन——बनाम(जीम दाल)साकिन——

बनाम——

हरगाह जायदाद——बइल्लत इजराय डिकरी जो ब मुक़द्दमै मज़कूर बतारीख़——माह——सन्——बहक़—— सादिर हुईथी कुर्क़ कीगईहै लिहाज़ा तुम सरबराहकार जायदाद मज़कूर के हस्ब दफ़ा ५०३ मजमूये ज़ाबितै दीवानी मुक़र्ररहुयेबशर्त्त अदख़ालज़मानत हस्बइतमीनानरजिस्टरारके और तुमको हस्बदफ़ा मज़कूर अख्तियार कुल्ली हासिल है ॥

तुमको लाज़िमहै कि——पराहिसाबसही औरवाजिबी आमद वख़र्चा जायदादमज़कूरका देतेरहो और बमूजिब इसहुक्म तक़र्रुर के तुम उसरुपये पर जोकि वसूल हो बशरह फ़ीसदी——के मुस्तहक़ पानेहक़्क़ुस्सई के होगे ॥

आज बतारीख़——माह——सन्——मेरे दस्तख़त और मोहर अदालतसे हवाले कियागया ॥

मोहर
अदालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १६९॥

इक़रारनामा जो रिसीवर याने मोहतमिम को दाख़िल करना होगा॥

दफ़ा ५०३ मजमूये ज़ाबितेदीवानी॥

बअदालत——मुक़ाम——ज़िला——

मुक़द्दमै दीवानी नम्बर——

(अलिफ़ बे) साकिन——बनाम (जीम दाल) साकिन——

वाज़ैहो किहम मुसम्मियान (अलिफ़ बे) साकिन——वग़ैरह——और (जीम दाल) साकिन——वग़ैरह और (हे वाव) साकिन——वग़ैरह बिलइजमा और बिलइन्फ़राद (ज़े हे) रजिस्टरार अदालत——की ख़िदमत में इक़रार करतेहैं कि मुबलिग़——(ज़े हे) मौसूफ़ या उसके अटर्नी या औसिया या मोहतमिमान तरका या महविलअलेहुम्को अदाकरदेंगे और अज़रूय इसइक़रारनामे के हम और हममेंसे हरएक और हमारे वरसा औरऔसिया और मोहतमिमान तरका बिलइजमा और बिलइन्फ़राद उसकुल रुपयेके अदाकरनेके ज़िम्मेदाररहेंगे॥

मरक़ूमै तारीख़——माह——सन्——

और हरगाह एक अर्ज़ीदावा इस अदालतमें (तो ये) ने बनाम (काफ़ लाम) के बमुराद (यहांग़रज़ नालिश की लिखनीहोगी) गुज़रानी है॥

और हरगाह (अलिफ़ बे) मज़कूर बहुक्म अदालत मज़कूरै बाला (मीम नून) मूसी मुतज़क्किरै अर्ज़ीदावा की जायदाद ग़ैरमन्क़ूला के लगान या किराया और मुनाफ़ा के वसूलकरने और उसकी जायदाद मन्क़ूला

को गैरों से फ़राहम करनेके लिये मुक़र्रर कियागया है॥

पस शर्त्त इसइक़रारनामेकी यहहै कि अगर (अलिफ़ बे) मज़कूर बाबत तमाममुबलिग़ और हररक़मके जो कि उसको (मीम नू) मज़कूरकी जायदाद गैरमन्क़ूला के लगान या किराया और मुनाफ़ाकी बाबत और उसकी जायदाद मन्क़ूलाकी बाबत वसूल हो (याने जैसी कि सूरतहो) उनऔक़ातपर जोकि अदालत मज़कूर मुक़र्रर करे हस्बज़ाबिताहिसाबदे और जो बाक़ियात कि वक़्नू फ़वक़्नू उससे वाजिबुल्वसूलहों और जिनकी तसदीक़ उसतौरपर जैसा कि अदालतनेहिदायतकीहै या आयंदा हिदायत करे हस्बज़ाबिता अदाकरदे तो यह इक़रारनामाफ़िस्ख़होगा वर्ना तमाम व कमाल नाफ़िज़ रहेगा॥

(अलिफ़ बे)
(जीम दाल)
(हे वाव)

मुक़र्रर इन मज़कूरैबालाके दस्तख़तसे हवाले किया गया रूबरू——के॥

तम्बीह—अगररुपयाअमानतदाख़िलकियाजायेतोउसकीयाददाश्त मुताबिक़शर्त्त मुन्दर्जै इक़रारनामेके होगी॥

नम्बर १७०॥

हुक्मसालिसी में मुक़द्दमाके सुपुर्दकरनेका
हस्बइक़रारनामाफ़रीक़ैन॥
दफ़ा ५०८ मजमूये ज़ाबितै दीवानी॥
(उनवान)

बनाम————

हरगाह मुद्दई और मुद्दआअलेह मज़कूरैबालाबमुक़द्दमैमज़कूरतुस्सदरतास्फ़ियाउनउमूरका जिनकी निज़ाफ़ी [illegible] हैतुम्हारीस [illegible] और [illegible] रखनेके लिये बाहमराज़ी हुयेहैं लिहाज़ातुम उसके मुताबिक़—मुक़र्ररहुये तमामभुआमलात मज़कूर मुतनाज़ा फ़रीक़ैनकीतजवीज़करो और बरज़ामन्दीफ़रीक़ैनतुमको इसअम्रकी तजवीज़काभी अख्तियारहै कि इस सालिसी का ख़र्चा किसफ़रीक़ के ज़िम्मे होगा ॥

तुमको हुक्महैकि अपनाफ़ैसला तहरीरीइसअदालत में बतारीख़—माह—सन्—या उससे पहले या किसी और तारीख़पर जो अदालत बादअर्ज़ीमुक़र्रर करे दाखिल करो ॥

जिन गवाहोंको या जिन दस्तावेज़ात को वास्तेलेने इज़हार या मुआयने के तुमअपनेरूबरूपेशकरानाचाहते हो उनके अहज़ारऔर पेशीकेलिये हुक्मनामाइसअदालत से तुम्हारी दरख्वास्तपर सादिर कियाजायेगाऔर तुमको अख्तियारहै कि उनगवाहों से हलफ़ या इक़रार सालैकराओ ॥

मुबलिग़—कि बमुक़द्दमै मज़कूर तुम्हारी उजरत की बाबत है बज़रिये इसहुक्मके इरसाल कियाजाताहै ॥

आज बतारीख़—माह—सन्—मेरे दस्तख़त और मोहर अदालतसे हवाले कियागया ॥

मोहर
अदालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १७१ ॥

हुक्म अदालतसे सुपुर्द कियेजाने मुक़द्दमे का सालिसीमें बरज़ामन्दी फ़रीक़ैन ॥

दफ़ा ५०८ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

(उनवान)

बमुलाहिज़ा सवाल मुद्दई जो आज की तारीख़ गुज़रा औरबरज़ामन्दी——मिन्जानिबमुद्दआअलेहऔरबादस माअत———मिन्जानिब मुद्दई और——मिन्जानिब मुद्द-आअलेहबरज़ामन्दीतमामफ़रीक़केयहहुक्मदियाजाता है कि तमामउमूरमुतनाज़ा मुक़द्दमाहाज़ामेंतमामदादव-स्तुद और मुआमलातकेजोफ़ीमाबैनफ़रीक़ैनहोतजवीज़ आख़ीरकेलिये——कीसालिसीके सुपुर्दकियजायनाम्बुरदा को लाज़िमहै कि अपना फ़ैसला तहरीरी में तमामकार-वाइयों और इज़हारों और दस्तावेज़ात मक़द्दमैहाज़ा के इस अदालतमेंतारीख़इमरोज़ासे एकमहीनेके अंदरगुज़-राने और नीज़ बरज़ामन्दीफ़रीक़ैनहुक्महुआकिसालिस मज़कूरको अख़्तियारहैकिफ़रीक़ैन औरउनके गवाहोंका इज़हार बहलफ़ या बइक़रार सालहले जिसका उसेअ-ख़्तियार दियागयाहै और सालिसमज़कूर को वहतमाम अख़्तियारात और मन्सबहासिलहोंगेजोकिसालिसोंको हस्बमजमूये ज़ाबितै दीवानी मुफ़व्विज़ हैं और बशमूल उनके यह अख़्तियारभी होगा कि जो बहीजात हिसाव ज़रूरी समझे उन सबको तलबकरे और नीज़ उसीतरह की रज़ामंदीसे यहहुक्म दियाजाताहै कि इसमुक़द्दमे का ख़र्चा मैख़र्चे सुपुर्दगी सालिसी सालिस मज़कूरके फ़ैसले

तकबशमूलखर्चा उसफ़ैसलेके मुताबिक़तजवीज़सालिस मज़कूरके क़रारपाये और उसीके मुताबिक़ उसका इजरा हो और नीज़ इसीतरहकी रज़ामंदीसे हुक्मदियाजाता है कि सालिस मज़कूरको अख़्तियारहै कि जुमलै उमूरात की तहक़ीक़ातमें जिनकी सालिसी उसके सुपुर्द की गई मदद देनेके लिये किसीलायक़ मुबसर हिसाबको मुक़र्रर करे और मुबसर मज़कूरकी उजरत और दीगर इख़राजात जो इस बाबमें हों उनका तअय्युन सालिस मज़कूर की रायपर मुनहसिर है ॥

आज बतारीख़——माह——सन्
और मोहर अदालतसे हवाले कियागया ॥

मोहर अदालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १७२ ॥

सम्मन बमुक़द्दमै सरसरी बरबिनाय दस्तावेज़ क़ाबिलबै व शिरा ॥

दफ़ा ५३२ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

नम्बर मुक़द्दमा ॥

बअदालत मुक़ाम——

— मुद्दई

— मुद्दआअलेह

बनाम——(यहांमुद्दआअलेहकानामऔरपता और निशां लिखना चाहिये)

हरगाह (यहां मुद्दईका नाम और पता और निशां लिखना चाहिये) ने एक नालिश इस अदालत में तुम्हारे नाम बमूजिब बाब ३९ मजमूये ज़ाबितै दीवानी बाबतमुबलिग़ — —असलवसूद (यामुबलिग़ बक़ीया असलवसूद जोउसको इसमन्सबसे कि बिलआफ़ऐक्सचेंज याहुण्डी याप्रामेसरीनोटकारुपयाउसकोअदाकिया जाना लिखाहै[या उसके नाम बेचा लिखाहै] याफ्तनीहै और उस बिल या हुंडी या प्रामेसरीनोटकी नक़ल मुन्सलिक कीजातीहै रुजूकीहै लिहाज़ातुम्हारेनामसम्मनबईमुराद भेजाजाताहै कि तुम इस हुक्मके इजराकी तारीख़ से जिसमें तारीख़ इजरा महसूब होगी दशदिनके अंदर वास्ते हाज़िरीहोने और करनेजवाबदिहीमुक़द्दमेकेइजाज़त हासिलकरो औरअरसे मज़कूरकेअंदरअपनेहाज़िर होनेका दाख़िलाकराओ दरसूरत अदम तामीलइसहुक्म के मुद्दई बाद मुन्क़ज़ी होने मीआद दशयोम मज़कूर के मुस्तहक़होगा कि डिकरीउसक़दर रुपयेकी जो मुबलिग़ ——से ज़ियादह न होगी (यहांतादादसूतदाविया लिखी जायेगी)औरमुबलिग़— ——कीबाबतख़र्चेकेहासिलकरे॥

हाज़िरहोनेकी इजाज़त अदालतसे बज़रिये एकदरख्वास्तके हासिलहोसक्ती है जिसके साथ तहरीरी बयान हलफ़ी या इक़रार बईं मज़मून होना चाहिये कि मुक़द्दमा अज़राह हक़वाजिब क़ाबिल जवाबदिहीहै या कोई वजह माक़ूल इसबाबतकीहै कि तुमको हाज़िर होनेकी इजाज़त दीजाय ॥

यहांनक़ल बिलआफ़ ऐक्सचेंज या हुंडी या प्रामेसरी

नाटकी और उसकी तमामइबारत ज़ोहरीकी करनीहोगी ॥

नम्बर १७३ ॥

यादृदाश्त अपील ॥

दफ़ा ५४१ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

याददाश्त अपील ॥

[नाम वग़ैरह हस्बमुन्दर्जै रजिस्टर] मुद्दई अपीलांट ॥

(नाम वग़ैरह हस्ब मुन्दर्जै रजिस्टर) मुद्दआअलेह रस्पांडण्ट ॥

(नामअपीलांट)मुद्दई(यामुद्दआअलेह)मज़्कूरेबाला अदालतुल्आलियाहाईकोर्टमुक़ाम-याअदालतजिला मुक़ाम (याने जैसी कि सूरतहो) बनाराज़ी डिकरी बमुक़द्दमै मरक़ूमेबाला मवर्रुखै--तारीख़ माह सन् बवजूह मुफ़स्सिलै जैल अपील गुज़रानता है याने (यहां वजूह नाराज़ी बयान कीजायें)

तम्बीह—अगर इजराय डिकरी के मुल्तवी होनेका हुक्म हुआहो तो उसकी इत्तिलाअ इसइत्तिलाअनामे में लिखनी चाहिये॥

नम्बर १७६ ॥

डिकरी अपील ॥

दफ़ा ५७१ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

बअदालत—मुक़ाम—ज़िला—

—अपीलांट बनाम—रस्पांडएट—

अपील बनाराज़ी—अदालत—मवर्रुखै—माह—सन्—

याददाश्त अपील ॥

——— मुद्दई

——— मुद्दआअलेह

मुद्दई (यामुद्दआअलेह) मुतज़क्किरैबालानेअदालत—मुक़ाम—मेंबमुक़द्दमे मरक़ूमैबाला अपील बनाराज़ी डिकरी मवर्रुखै—माह——सन्——बवजूह मुन्दर्जै ज़ैल किया याने—

(यहां वजूहलिखनेचाहियें)

यह अपीलबतारीख़—माह सन्—रूबरू—के बहाज़िरी—मिन्जानिबअपीलांट औरबहाज़िरी—मिन्जानिब रस्पांडएटसमाअतकेलियेपेशहुआ पसहुक्महुआ॥

(यहां बयान दादरसी का लिखाजायेगा)

ख़र्चा अपीलहाज़ाका—तादादी मुबलिग़—अदाकरे—

ख़र्चा मुक़द्दमे मुराफैऊलाका——अदाकरे—

आज बतारीख़——माह——सन्——मेरे दस्तख़त से हवाले कियागया ॥

मोहर
अदालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १७७ ॥

रजिस्टर अपील बनाराज़ी डिकरी अदालत अपील दफ़ा५८७ मजमूये ज़ाबितैदीवानी ॥

हाईकोर्ट मुक़ाम——

रजिस्टरअपील बनाराज़ी डिकरी अदालत अपील ॥

तारीख़ यादداश्त	
नम्बर अपील	
नाम	अपीलांट
अहवाल याने पता और निशां	अपीलांट
मुक़ाम सकूनत	अपीलांट
नाम	रस्पांडेंट
अहवाल याने पता और निशां	रस्पांडेंट
मुक़ाम सकूनत	रस्पांडेंट
किस अदालतकीडिकरी	जिस डिकरी की निसबत नाराज़ी से अपील हुआ
नम्बर मुक़द्दमा इबतिदाई और अपीलका	जिस डिकरी की निसबत नाराज़ी से अपील हुआ
कैफ़ियत मरातिब मुतअल्लिक़े	जिस डिकरी की निसबत नाराज़ी से अपील हुआ
तादाद या क़ीमत	जिस डिकरी की निसबत नाराज़ी से अपील हुआ
तारीख़मुक़र्ररह इश्तहारमुतख़ासमैन	इश्तहार
अपीलांट	इश्तहार
रस्पांडेंट	इश्तहार
तारीख़ फ़ैसला	फ़ैसला अपील
बहाल रहा या मंसूख़हुआ या उसकी तरमीमहुई	फ़ैसला अपील
किस शै या किसक़दर रुपयेकी बाबत	फ़ैसला अपील

तम्बीह——अगर इजराय डिकरी के मुल्तवी होनेका हुक्म हुआहो तो उसकी इत्तिलाअ इसइत्तिलाअनामे में लिखनी चाहिये॥

नम्बर १७८ ॥

डिकरी अपील ॥

दफ़ा ५७९ मजमूये ज़ाबितै दीवानी ॥

बअ़दालत——मुक़ाम——ज़िला——

——अपीलांट बनाम——रस्पांडएट——

अपील बनाराज़ी——अ़दालत——मवर्रुख़ै——माह——सन्——

याद्दाश्त अपील ॥

——————— मुद्दई

——————— मुद्दआअ़लेह

मुद्दई (यामुद्दआअ़लेह) मुतज़क्किरैवालानेअ़दालत-मुक़ाम——मेंबमुक़द्दमै मरक़ूमैवाला अपील बनाराज़ी डिकरी मवर्रुख़ै——माह——सन्——बवजूह मुन्दर्जे किया याने—

(यहां वजूहलिखनेचाहियें)

यह अपीलबतारीख़——माह——सन्——रूबरूअ——के बहाज़िरी-मिन्जानिबअपीलांट औरबहाज़िरी-मिन्जा-निब रस्पांडएटसमाअ़तकेलियेपेशहुआ पसहुक्महुआ॥

(यहां बयान दादरसी का लिखाजायेगा)

ख़र्चा अपीलहाज़ाका——तादादी मुबल्लिग़——अदाकरे—

ख़र्चा मुक़द्दमै मुराफ़ैऊलाका——अदाकरे—

आज बतारीख़——माह——सन्——मेरे दस्तख़त से हवाले कियागया ॥

मोहर
अदालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १७७ ॥

रजिस्टर अपील वनाराज़ी डिकरी अदालत अपील दफ़ा५८७ मजमूये ज़ाबितैदीवानी ॥

हाईकोर्ट मुक़ाम——

रजिस्टरअपील वनाराज़ी डिकरी अदालत अपील ॥

तारीख़ याददाश्त	
नम्बर अपील	
नाम	अपीलांट
अहवाल याने पता और निशां	
मुक़ाम सकूनत	
नाम	रस्पांडेंट
अहवाल याने पता और निशां	
मुक़ाम सकूनत	
किस अदालतकीडिकरी	जिसडिकरी से नाराज़ीमिअपील हुआ
नम्बर मुक़द्दमा इबतिदाई और अपीलका	
कैफ़ियत मरातिब मुतअल्लिक़े	
तादाद या क़ीमत	
तारीख़मुक़र्ररहअख़राजातमुतख़ासमान	अख़राजात
अपीलांट	
रस्पांडेंट	
तारीख़ फ़ैसला	फ़ैसला अपील
बहाल रहा या मंसूख़हुआ या उसकी तरमीमहुई	
किस शै या किसक़दर रुपयेकी बाबत	

नम्बर १७८ ॥

इत्तिलानामा वास्ते पेशकरने तरदीद वजूह तजवीज़सानीके दफ़ा ६२६ मजमूयेज़ाबितैदीवानी ॥

बअदालत—मुक़ाम—ज़िला—

मुद्दई बनाम——मुद्दआअलेह—

बनाम——

मुत्तिलाहोकि—नेइसअदालतमेंवास्ते तजवीज़सानी फ़ैसला मुसद्दिरै तारीख़—माह—सन्—बमुक़द्दमे मरक़ूमैबालाके दरख्वास्त गुज़रानीहै तुमको चाहिये कि बतारीख़—माह—सन्—जो इसलिये मुक़र्रर हुई है कि तुमअपने उज़रातपेशकरो कि इस मुक़द्दमेमेंफ़ैसले की तजवीज़सानी क्यों न मंज़ूरहोनी चाहिये ॥

आज बतारीख़—माह—सन्—मेरे दस्तख़त मोहर अदालतसे हवाले कियागया ॥

मोहर
अदालत

(दस्तख़त जज)

नम्बर १७९ ॥

इत्तिला बरवक़ तब्दील वकीलके ॥

बअदालत—मुक़ाम—ज़िला—

(अलिफ़ बे)साकिन—बनाम(जीम दाल)साकिन—

बनाम रजिस्टरार अदालत——

अर्ज़रसाहूँ कि सायल[अलिफ़ बे] या (जीम दाल) का वकील बमुक़द्दमे मरक़ूमैबाला अबतक (ज़े हे)—था

लेकिन सायलने उसे अपनी वकालतसे मौक़ूफ़ करादिया है और अब सायल का वकील (तो ये)—है॥

दस्तख़त (अलिफ़ बे) या (जीम दाल)

नम्बर १८०॥

याददाश्त जो हरसम्मन और इत्तिलाअनामा और डिकरी और हुक्म अदालत और हरदीगर हुक्मनामा अदालतकेज़ैलमें लिखनी चाहिये॥

महकमै रजिस्टरार (मुक़ाम महकमै) में हाज़िरीकेघंटे दससे चारतकहैं बजुज़ (यहां वहतारीख़ लिखनीचाहिये जिसको अदालत बंदहो) के कि उसरोज़ महकमैमज़कूर एकबजे बन्दहोगा॥

आरजेक्रास्थोयट

क़ायममुक़ामसेक्रेटरीगवर्न्नमेण्टहिंद॥

इश्तिहार ॥

प्रकट हो कि इसकिताबको मतबअ अवधअख़बारने अपना धनव्ययकरके तर्जुमा कराया है इसकारण उक्तमतबेकी आज्ञाबिनाकोई छापने का इरादानकरे ॥

मनेजर अवधअख़बार ॥

ऐक्टनम्बर ८-सन् १८८५ ई० ज़मींदारान व काश्तकारान बंगालाका आईन जदीद ॥

(मुतफ़र्रिक़)

ऐक्टनम्बर १ सन् १८७८ ई० अफ़यून ॥

(बखतकैथी मुतअल्लिक़ै माल)

सरकुलर नम्बर $\frac{७}{१७३}$ (आर) सन् १८७३ ई० क़वायद पटवारियान मुल्कअवध ॥

पटवारियोंके क़ायदे मुल्कअवध मैनक्शाजात ख़सरह वग़ैरह ॥

(उर्दू व कैथी व महाजनी)

(दीवानी)

टिक्सके लैसन्सका ऐक्टनम्बर २-सन् १८७८ ई० पंजाब व मुमालिक मग़रबी व शिमाली व अवध ॥

इश्तिहार ॥

माह मार्च सन् १८८६ ई० से मुमालिक मग़रबी व शिमाली का बुकडिपो इलाहाबाद क्यूरेटर बुकडिपो से मतबा मुंशीनवलकिशोर मुक़ाम लखनऊ में आगया है इस बुकडिपो में मग़रबी व शिमाली एजूकेशनलबुक किताबोंके सिवाय औरभी हरएक विद्या की किताबें मौजूदहैं इन हरएक किताबों की ख़रीदारीकी कुलशर्त्तें क़ीमतके सहित इस छापेख़ानेकी छपीहुई फ़ेहरिस्त में दर्ज हैं जो दरख्वास्त करनेपर हरएक चाहनेवालोंको बिलाक़ीमत मिलसक्ती हैं जिनसाहबोंको इन किताबों की ख़रीद करनाहो वे इसे खरीद और फेहरिस्त तलब करें ॥

द० मैनेजर अवध अख़बार

लखनऊ मुहल्ला हज़रतगंज